

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY
CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY

Acc N. 9918
CLASS _____
CALL No. 934.0131 Sat

9918




पाटलीपुत्र की कथा

Pataliputra At Katha
ya

Megadha Samrajya
ka Uthana sura
palama

Satyapetu





शैव काल न सति
रामपुरवा के अशोकस्तंभ पर
दीक्षरी यती ई० पू०

पाटलीपुत्र की कथा

या

मागध साम्राज्य का उत्थान और पतन

लेखक

सत्यकेतु विद्यालंकार

बी. ए. लिट. (पेरिस)

9918



CENTRAL

~~489~~

~~30. 10. 1950~~

~~934/11d~~

CENTRAL

LIBRARY

Acc.

Date

7

934.0131

Sat

1950

हिंदुस्तानी एकेडेमी,
युक्तप्रान्त, इलाहाबाद

प्रकाशक—

हिंदुस्तानी एकेडेमी

दुस्तमार्त, हलाशाबाद

प्रथम संस्करण

मूल्य (०)

CENTRAL ARCHIVES

9918

14.10.1958

934.0131/Sat

मुद्रक—

जगन्नाथ प्रसाद भालवीय
सेंट्रल मिडिंग प्रेस प्रयाग

प्रस्तावना

भारतवर्ष के इतिहास में पाटलीपुत्र का बड़ा महत्त्व है। ईस्वी सन् से पाँच सदी पहले से छठी सदी ईसवी पश्चात् तक यह भारत की राजनीतिक शक्ति का प्रधान केंद्र रहा। एक हजार साल के इस सुदीर्घ काल में पाटलीपुत्र को राजधानी बनाकर बहुत से राजवंशों और सम्राटों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर शासन किया। यूरोप के प्राचीन इतिहास में जो स्थिति रोम की है, वही भारत के इतिहास में पाटलीपुत्र की है। रोम के समान इस नगरी में भी अनेक राजवंशों ने राज्य किया, अनेक क्रांतियाँ हुईं। अनेक बार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किये, अनेक बार अधीनस्थ राज्यों ने विद्रोह किये। पर पाटलीपुत्र की राजनीतिक शक्ति नष्ट नहीं हुई।

पाटलीपुत्र मगध के प्राचीन जनपद की राजधानी था। यहाँ के महत्त्वाकांक्षी राजाओं ने पहले मगध को महाजनपद बनाया, फिर भारत के अन्य छोटे-बड़े जनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उत्तरी भारत में मगध का साम्राज्य इन दस सदियों में प्रायः अच्युत बना रहा। दक्षिणी भारत भी बहुत अरसे तक पाटलीपुत्र के विशाल साम्राज्यों में सम्मिलित रहा। अनेक दिम्बिजधी प्रतापी राजाओं ने हिमालय से समुद्र तक सारी पृथिवी पर शासन किया। राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं; धर्म, भाषा, सभ्यता, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी इस काल में पाटलीपुत्र भारत का सर्वप्रधान केंद्र रहा। अशोक के समय में, ज्ञानार्थ उपसुत ने जिन धर्मविषय का उपक्रम किया, उसने न केवल भारत में, अपितु उससे बाहर भी बहुत से विदेशों में मगध के धर्मसाम्राज्य को स्थापित कर दिया।

पाटलीपुत्र का यह इतिहास बड़े महत्त्व का है। भारत के प्राचीन

इतिहास पर बहुत सी पुस्तकें भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में लिखी जा चुकी हैं। अनेक विद्वानों ने भारत का कमबख्त इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। पर मगध के शक्तिशाली और वैभवपूर्ण साम्राज्य के उत्थान और पतन का घुबक रूप से इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया। ब्राह्मण, शैशुनाक, नन्द, मौर्य, कन्न, शुंग, सातवाहन, गुप्त और पाल वंशों का इतिहास एक दूसरे से घुबक नहीं है। एक ही मगध साम्राज्य का शासन करने वाले ये विविध वंश हुए। राजवंश बदलते रहे, पर मगध की राजनीतिक शक्ति निरंतर जारी रही। नंदों के पतन से मगध की शक्ति का अंत नहीं हो गया, मौर्यों ने उसी मगध साम्राज्य का शासन किया, जिस पर उनसे पहले नंद राजा शासन करते थे। इन एक हजार वर्षों के इतिहास में यह बात ध्यान देने योग्य है, और इस ग्रंथ को इसी दृष्टि से लिखा गया है। यह किसी वंशविशेष का इतिहास नहीं है, इसमें मगध के विशाल साम्राज्य के उत्थान और पतन का वृत्तांत कमबख्त रूप से देने का प्रयत्न किया गया है। यही इस ग्रंथ की विशेषता है।

मैंने जान-बूझ कर इस पुस्तक में कोई प्रमाण नहीं दिये, न कोई किसी आभासग्रंथ का संकेत किया है। यह पुस्तक सर्वसाधारण पाठकों को दृष्टि में रखकर लिखी गई है, जो ऐतिहासिक खोज की उलझनों में न पड़कर सरल रीति से कमबख्त इतिहास को जानना चाहते हैं। मुझे ज्ञात है, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न ग्रंथों के संबंध में अनेक मतभेद हैं। सातवाहन, गुप्त, पाल आदि विभिन्न वंशों के राजाओं के शासनकाल के विषय में भी अभी सब ऐतिहासिक एकमत नहीं हुए हैं। पर जो घटनाएँ व विधियाँ प्रायः मान्य समझी जाती हैं, उन्हें ही इस पुस्तक में स्वीकार किया गया है, और विभिन्न ऐतिहासिकों के मतभेदों की कोई विवेचना न कर उनकी सर्वथा उपेक्षा कर दी गई है।

भारत के प्राचीन इतिहास पर मेरे दो ग्रंथ पहले प्रकाशित हो चुके हैं। सन् १९३० में मेरा "भीम साम्राज्य का इतिहास" प्रकाशित हुआ था। उसके बाद १९३४ में मुंबई विश्वविद्यालय हरिद्वार से प्रकाशित "भारतवर्ष का इतिहास" में "बौद्धकाल का राजनीतिक इतिहास" मैंने लिखा था। इन दोनों ग्रंथों में मगध के इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण भाग आ गया था। यह स्वाभाविक है, कि इस पुस्तक को लिखते हुए अपने इन दोनों ग्रंथों का मैं विशदरूप से प्रयोग करूँ ! यही कारण है, कि मगध के बाह्यवर्ष, शिशुनाक, नन्द और मौर्यवंशों के इतिहास में मेरी इन पहली पुस्तकों की सामग्री कुछ परिवर्तित रूप में फिर से समाविष्ट कर दी गई है। यह कहना कठिन है, कि इस पुस्तक में कोई भीलिकता है। आचार्य नाथरूप के शब्दों का अनुसरण करते हुए मैं यही कह सकता हूँ, कि भारत के प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में जो कार्य पहले के आचार्यों ने किया है, प्रायः उस सबको एकत्र कर, उसे सम्मूल रूप, यह इतिहास मैंने तैयार किया है। मुझे आशा है, पाठक इसे पढ़कर मगध के गौरवमय इतिहास की एक सौकी ले सकेंगे। इस ग्रंथ के प्रकाशक 'हिंदुस्तानी एकेडेमी' की इच्छा यह थी, कि इसे 'पटना की कहानी' नाम से प्रकाशित किया जाय। इसी लिये मगध साम्राज्य के पतन व पाटलीपुत्र के गौरव की इतिश्री हो जाने के बाद भारत की एक प्राचीन नगरी का पटना के रूप में किस प्रकार उद्धार हुआ, इस विषय पर भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक था। इसी लिये ग्रंथ के अंतिम तीन अध्यायों में मगध काल और आधुनिक काल के पटना की कहानी का भी संक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया गया है।

विषय-सूची

| | पृष्ठ |
|--|--------------|
| पहला अध्याय : विषय प्रवेश | १—१४ |
| (१) पाटलीपुत्र नगर | १ |
| (२) पाटलीपुत्र की स्थापना | २ |
| (३) प्राचीन भारत के विविध राज्य | ४ |
| (४) मगध का साम्राज्यवाद | १० |
| (५) मगध का सैन्यशक्ति | १२ |
| दूसरा अध्याय : मगध साम्राज्य का प्रारंभ | १५—२५ |
| (१) मगध में जागों का पहला राज्य | १५ |
| (२) श्रुति दीप तमा की कथा | १६ |
| (३) बाहद्रेय वंश का प्रारंभ | १६ |
| (४) बाहद्रेय वंश | २० |
| (५) बाहद्रेय राजाओं का समय | ३० |
| (६) बाहद्रेय शासन के विरह क्रांति | ३० |
| (७) मगध में फिर राज्यकालि | ३२ |
| तीसरा अध्याय : मगध का उत्कर्ष | ३५—६५ |
| (१) सोलह महाजनपद | ३५ |
| (२) श्वेतिग विभिन्नार | ४० |
| (३) अजातशत्रु | ४४ |
| (४) राजा उदादिभद्र | ५६ |
| (५) शिशुनाग नदिचर्चन | ५८ |
| (६) काकपर्व महावंदी | ५६ |
| (७) महाप्रचन्द | ६० |
| (८) यवनों के आक्रमण | ६३ |
| चौथा अध्याय : जैन और बौद्ध धर्म | ६६—६९ |
| (१) धार्मिक सुधारणा | ६६ |
| (२) वर्धमान महापीर | ६८ |
| (३) जैन धर्म की शिक्षाएँ | ७२ |

| | |
|---|----------------|
| (५) महात्मा बुद्ध | ७७ |
| (५) बौद्ध धर्म की शिक्षायें | ८६ |
| (६) बौद्ध संघ | ९१ |
| (७) आजीवक संप्रदाय | ९५ |
| (८) धार्मिक सुधारणा का प्रभाव | ९६ |
| पाँचवाँ अध्याय : सम्राट् चंद्रगुप्त मौर्य | १००—१२५ |
| (१) मोरियगण का कुमार चंद्रगुप्त | १०० |
| (२) सिकंदर के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह | १०६ |
| (३) मगध साम्राज्य की विजय | ११० |
| (४) सैल्युक्त का आक्रमण | ११६ |
| (५) सम्राट् बिंदुसार अभिक्रान्त | १२० |
| छठवाँ अध्याय : प्रियदर्शी राजा अशोक | १२६—१७३ |
| (१) अशोक का राज्यारोहण | १२६ |
| (२) राज्यविस्तार | १३० |
| (३) मगध साम्राज्य की सीमा | १३३ |
| (४) विदेशों के साथ संबंध | १३७ |
| (५) अशोक के शिलालेख | १३८ |
| (६) धर्मविजय का उपक्रम | १४६ |
| (७) धर्मविजय के उपाय | १४० |
| (८) अशोक और बौद्ध धर्म | १५६ |
| (९) कुमार कुशाल | १६७ |
| (१०) नीकिरियद् से विरोध | १७० |
| सातवाँ अध्याय : बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार | १७४—१६३ |
| (१) बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा | १७५ |
| (२) लंका में प्रचार | १७६ |
| (३) दक्षिणी भारत में बौद्ध धर्म | १८२ |
| (४) सीतान में कुमार कुस्तन | १८५ |
| (५) हिमालय प्रदेशों में प्रचार | १८७ |

| | | |
|---|---------------------------------|-----|
| (६) | यवन देशों में प्रचार | १८२ |
| (७) | सुवर्णभूमि में प्रचार | १८१ |
| आठवाँ अध्याय : अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजा १६४-२०६ | | |
| (१) | राजा सुवश कुनाल | १८४ |
| (२) | राजा वसुपालित दशरथ | १८६ |
| (३) | राजा संप्रति | १८७ |
| (४) | राजा शालिशुक | २०१ |
| (५) | मौर्य वंश का अंत | २०४ |
| (६) | मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण | २०६ |
| (७) | धर्म विजय की नीति | २०८ |
| नवाँ अध्याय : मौर्यकालीन कृतियाँ २१०—२१६ | | |
| (१) | पाटलीपुत्र नगरी | २१० |
| (२) | अशोक के स्तूप | २११ |
| (३) | सारनाथ | २१३ |
| (४) | सांची | २१४ |
| (५) | बरहुत | २१६ |
| (६) | लक्षशिला | २१७ |
| (७) | मौर्यकालीन नृतियाँ व अन्य अवशेष | २१७ |
| दसवाँ अध्याय : मौर्य काल की शासनव्यवस्था २२०—२६६ | | |
| (१) | कौटिलीय अर्थशास्त्र | २२० |
| (२) | साम्राज्य का शासन | २२१ |
| (३) | त्रिचिगीषु राजपि सम्राट | २२६ |
| (४) | मंत्रिपरिषद् | २२६ |
| (५) | जनता का शासन | २३२ |
| (६) | केंद्रीय शासन का संगठन | २४० |
| (७) | न्याय व्यवस्था | २४० |
| (८) | राजकीय आय-व्यय | २६२ |
| (९) | मर्दुमशुमारी | २६४ |

| | |
|---|---------|
| (१०) गुप्तचर-विभाग | २६४ |
| (११) डाक प्रबंध | २६६ |
| (१२) राजशक्ति पर जनता का प्रभाव | २६७ |
| द्वारहवाँ अध्याय : मौर्य काल का आर्थिक जीवन | २७०—२७४ |
| (१) कृषि | २७० |
| (२) व्यवसाय | २७३ |
| (३) व्यापार | २८१ |
| (४) खाने-जाने के साधन | २८६ |
| (५) सोल और माण के परिमाण | २९२ |
| (६) मुद्रापद्धति | २९४ |
| (७) मूद्र के नियम | २९५ |
| (८) दास्यपथा | २९७ |
| (९) दुर्गों का स्वरूप | २९९ |
| (१०) सार्वजनिक कर्मों का नियंत्रण | ३०१ |
| चारहवाँ अध्याय: मौर्यकालीन समाज और सभ्यता | ३०५—३२३ |
| (१) भारतीय समाज के विविध वर्ग | ३०५ |
| (२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति | ३०७ |
| (३) धार्मिक विश्वास | ३११ |
| (४) भारतीयों का भोजन और पान | ३१४ |
| (५) आग्नेय-यमोद | ३१६ |
| (६) रीति-रिवाज और स्वभाव | ३१८ |
| (७) शिक्षणालय | ३२० |
| तेरहवाँ अध्याय : शुंग और कण्व वंश | ३२४—३३६ |
| (१) मगध में फिर साम्यकालि | ३२४ |
| (२) शुंग पुष्यमिष | ३२५ |
| (३) पुष्यमिष के उत्तराधिकारी | ३२८ |
| (४) कण्व वंश | ३३० |
| (५) शकों का भारत प्रवेश | ३३२ |

चौदहवाँ अध्याय : मगध के सातवाहन और

कुशासु राजा

३३०—३३०

- | | |
|--|-----|
| (१) सातवाहनों का अभ्युदय | ३३० |
| (२) गौतमीपुत्र सातकर्णिक | ३३८ |
| (३) मगधसम्राट् नासिन्धीपुत्र भी पुल्लुमासि | ३४१ |
| (४) मगध के अन्य सातवाहन राजा | ३४२ |
| (५) मगध से सातवाहन शासन का अंत | ३४७ |
| (६) नया पुष्यपुर | ३५८ |

पंद्रहवाँ अध्याय : भारसिंह और वाकाटक वंश

३५१—३६१

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| (१) कुशासु साम्राज्य का पतन | ३५१ |
| (२) भारसिंह वंश | ३५४ |
| (३) वाकाटक वंश | ३५६ |
| (४) पादलीपुत्र में कौमुदी महोत्सव | ३५६ |

सोलहवाँ अध्याय : मौर्योत्तरकालीन भारत का राजनीतिक

और आर्थिक जीवन

३६२

- | | |
|--------------------------------|---------|
| (१) मगधराज्यों का पुनरुत्थान | ३६२ |
| (२) राज्यशासन | ३६५—३७५ |
| (३) आर्थिक जीवन | ३६८ |
| (४) बृहत्तर भारत का विकास | ३७२ |

सत्रहवाँ अध्याय : मौर्योत्तर काल का साहित्य,

धर्म और समाज

३७६—४१५

- | | |
|--|-----|
| (१) साहित्य | ३७६ |
| (२) वैदिक धर्म का पुनरुत्थान | ३८० |
| (३) भक्तिभेद का विकास | ३८० |
| (४) निराल्प जीवन के विरुद्ध भाषना | ४०१ |
| (५) विनाश संबंधी नियम | ४०५ |
| (६) अहिंसावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया | ४०६ |
| (७) दास्यधर्म का हास | ४०८ |

| | |
|---|---------|
| (८) नास्तु और मूर्तिकला | ४०६ |
| अठारहवाँ अध्याय : पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राट | ४१६—४४७ |
| (१) गुप्त वंश का प्रारंभ | ४१६ |
| (२) सम्राट् समुद्रगुप्त | ४१६ |
| (३) सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य | ४३१ |
| (४) कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य | ४३६ |
| (५) सम्राट् स्कंदगुप्त | ४३८ |
| (६) गुप्त साम्राज्य का क्षय | ४४१ |
| (७) दृश्यों के आक्रमण | ४४३ |
| इन्नीसवाँ अध्याय : विज्ञान, धर्म और साहित्य | ४४८—४७० |
| (१) साहित्य और विज्ञान | ४४८ |
| (२) दार्शनिक साहित्य | ४५८ |
| (३) धार्मिक दशा | ४६३ |
| बीसवाँ अध्याय : गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था | ४७१—४६० |
| (१) साम्राज्य का स्वरूप | ४७१ |
| (२) केंद्रीय शासन | ४७४ |
| (३) प्रांतीय शासन | ४७६ |
| (४) राजकीय कर | ४८२ |
| (५) अधीनस्थ राज्यों का शासन | ४८३ |
| (६) गुप्तकाल के सिक्के | ४८३ |
| इक्कीसवाँ अध्याय : गुप्त काल की समृद्धि और आर्थिक जीवन | ४९१—५०६ |
| (१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर | ४९२ |
| (२) चीनी यात्री फ़ाह्यान | ४९४ |
| (३) रहन-सहन और आभूषण-प्रमोद | ४९८ |
| (४) निर्यात वस्तु | ५०१ |
| (५) आर्थिक जीवन | ५०३ |
| बाईसवाँ अध्याय : गुप्तकाल की कृतियाँ और अन्वेषण | ५१०—५२६ |

| | |
|---------------------|-----|
| (१) मूर्तियाँ | ५१० |
| (२) प्रस्तर-स्तंभ | ५१७ |
| (६) भवन और मंदिर | ५१८ |
| (५) चित्रकला | ५२२ |
| (५) संगीत | ५२५ |

नेईसर्वा अध्याय : भारतीय सभ्यता और धर्म

का विदेशों में विस्तार ५२७—५४३

| | |
|------------------------------------|-----|
| (१) बृहत्तर भारत | ५२७ |
| (२) उत्तर-पश्चिम का बृहत्तर भारत | ५३५ |
| (३) हूणों का भारतीय जनता | ५४४ |

चीनीसर्वा अध्याय : पाटलीपुत्र के वैभव का अंत ५४७—५६७

| | |
|------------------------------------|-----|
| (१) गौस्तुतिवंश का अभ्युदय | ५४७ |
| (२) गुप्त-वंश के पिछले राजा | ५५० |
| (३) उत्तरी भारत के विभिन्न राज्य | ५५२ |
| (४) मगध गुप्त-वंश | ५५५ |
| (५) चीनी यात्री ह्युएनत्सांग | ५६३ |

पश्चीसर्वा अध्याय : पाल वंश का शासन ५६८—६०२

| | |
|--|-----|
| (१) अराजकता का काल | ५६८ |
| (२) मानस्य न्याय का अंत और पाल वंश का प्रारंभ | ५७० |
| (३) राजपूत वंशों का प्रादुर्भाव | ५७४ |
| (४) पालवंशी राजा धर्मपाल और देवपाल | ५७७ |
| (५) राजा मिर्हिरभोज | ५८० |
| (६) पाल वंश के अन्य राजा | ५८३ |
| (७) मुसलिम आक्रमणों का प्रारंभ | ५६९ |
| (८) कन्नौज के गहरवार राजा | ५६६ |
| (९) पालवंश का अंत | ६०० |

छत्तीसर्वा अध्याय : ज्ञान और संस्कृति का केंद्र मगध ६०३-६३२

| | |
|--|-----|
| (१) नालंदा महाविहार | ६०३ |
| (२) विक्रमशिला | ६१० |
| (३) उदयगढ़पुर का महाविहार | ६२५ |
| (४) बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार | ६१७ |
| (५) बृहत्तर भारत | ६२४ |
| (६) बौद्ध धर्म का ह्रास | ६२८ |
| (७) उपसंहार | ६३१ |

सत्ताइसवाँ अध्याय : तुर्क, अफगान और मुगलों

काशासन ६३३—६६२

| | |
|--|-----|
| (१) लखनौती के खिलजी सरदार | ६३३ |
| (२) तुगलकों का शासन | ६३६ |
| (३) शर्की मुगलानों का शासन | ६३६ |
| (४) खेरखाँ का अभ्युदय | ६४४ |
| (५) पटना के रूप में पाटलीपुत्र का पुनरुद्धार | ६४१ |
| (६) मुगलों का उत्कर्ष | ६४४ |
| (७) व्यापार का केंद्र पटना | ६६२ |
| (७) मराठों का प्रवेश | ६६६ |

अट्ठाइसवाँ अध्याय : ब्रिटिश शासन की स्थापना ६६६—६६७

| | |
|--|-----|
| (१) यूरोप में साम्राज्यवाद की नई लहर | ६६६ |
| (२) बिहार में ब्रिटिश शासन का सूत्रपात | ६७२ |
| (३) थोर दुर्मिद | ६७३ |
| (४) ब्रिटिश शासन का संगठन | ६८७ |
| (५) पटना का ह्रास | ६६० |
| (६) सन् ५७ का राजविद्रोह | ६६६ |
| (७) ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत | ६६६ |

नवतीसवाँ अध्याय : वर्तमान और भविष्य ६६८—७१०

| | |
|---------------------------------------|-----|
| (१) राष्ट्रीय पुनरुत्थान | ६६८ |
| (२) पटना के उत्कर्ष का पुनः प्रारंभ | ७०५ |
| (३) पटना का भविष्य | ७०८ |

चित्र-सूची

| | | |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| १—भीर्यकालीन साँड | सुस्त पृष्ठ | के सामने |
| २—गुप्तकालीन बुद्ध | पृ० ८० | " " |
| ३—अशोकस्तंभ का सिंह-शिखर | पृ० १२८ | " " |
| ४—बालयोगी | पृ० ३०५ | " " |
| ५—धामरआहिंसी | पृ० ३२० | " " |
| ६—राजगृह की दीवार के विशेष अवशेष | पृ० ३६८ | " " |
| ७—पाटलीपुत्र के अवशेष | पृ० ६०६ | " " |
| ८—पाटलीपुत्र के अवशेषों का मानचित्र | पृ० ७०८ | " " |

संसार की प्राचीन सभ्यताओं का संबंध प्रायः पश्चिम नदियों की घाटियों अथवा विशेष नगरों से रहा है, उदाहरणार्थ मिस्र देश की सभ्यता का धर्म है नील नदी की घाटी में विकसित संस्कृति, तथा मध्यकालीन यूरोप की सभ्यता का केंद्र इटली का रोम नगर था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय भाषाओं में प्रचुर ऐतिहासिक लोकप्रिय साहित्य लिखा गया है।

हिंदुस्तानी एकेडेमी के भूतपूर्व समापति स्वर्गीय राज राजेश्वर-बली साहब की एक योजना इसी दृष्टिकोण से भारतवर्ष के प्रसिद्ध नगरों तथा नदियों के केंद्रस्वरूप विकसित प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारतीय सभ्यता का इतिहास लिखवाने की थी। इस योजना के अंतर्गत सिंधु तथा गंगा नदियों और दिल्ली, काशी तथा पटना नगरों की कथाएं प्रस्तुत करने का निर्णय एकेडेमी ने १९४३ में ही किया था। इसे कार्यान्वित करने के लिए रायसाहब की प्रेरणा से संयुक्तप्रांतीय कोर्ट आफ वाटर्स ने सूरजपुर रियासत के कोष से छः हजार रुपये प्रदान किए थे। एकेडेमी ने यह निर्णय किया था कि इस रकम से पाँचों पुस्तकों के लेखकों को पारिश्रमिक के रूप में बारह-बारह सौ रुपये भेंट किए जाएँ और वे पुस्तकें 'कुंवर महेंद्रप्रताप सिंह स्मारक' के रूप में प्रकाशित की जाएँ।

अनेक कारणों से इस योजना के अग्रसर होने में किलंब हुआ। अब हम सहज इस की प्रथम पुस्तक 'पाटलीपुत्र की कथा' को प्रस्तुत कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि इस योजना की अन्य पुस्तकें भी क्रमशः निकट भविष्य में प्रकाशित कर सकेंगे।


हम कोर्ट आफ वाटर्स तथा सूरजपुर रियासत की सहायता के लिए हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

धीरेंद्र वर्मा

मंत्री तथा कोषाध्यक्ष,

हिंदुस्तानी एकेडेमी,

संयुक्त प्रांत, इलाहाबाद



पहला अध्याय

विषय प्रवेश

(१) पाटलीपुत्र नगर

पाटना का प्राचीन नाम पाटलीपुत्र था। गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित इस नगर का भारतीय इतिहास में अद्वितीय स्थान है। प्राचीन यूरोपीय इतिहास में जो स्थान रोम का है, वही भारत के इतिहास में पाटलीपुत्र का है। लगभग एक हजार वर्ष तक—पाँचवीं सदी ईसवी पूर्व से छठी सदी इसवी पश्चान् तक—पाटलीपुत्र का इतिहास ही भारतवर्ष का इतिहास है।

इस काल में पाटलीपुत्र के राजाओं ने न केवल भारत में, अपितु भारत के बाहर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, पूर्व और पश्चिम, सब तरफ अपनी शक्ति का विस्तार कर बृहत्तर भारत की स्थापना की। पाटलीपुत्र के बौद्ध भिक्षुओं ने अफगानिस्तान, लंका, नेपाल, तिब्बत, तुर्किस्तान, चीन, जापान, बर्मा, इन्डो-चायना, जावा, सुमात्रा आदि सुदूर देशों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म का विस्तार किया। हजार वर्ष के इस सुदीर्घ काल में पाटलीपुत्र सम्पूर्ण एशिया का केन्द्र रहा, राजनीतिक केन्द्र भी और धर्म का केन्द्र भी। पाटलीपुत्र के इसी गौरव की दृष्टि में रखते हुए शायद मानवधर्मशास्त्र के संकलनकर्त्ताओं ने अभिमान के साथ कहा था—“इसी देश में उत्पन्न हुए विद्वानों और अग्रणी नेताओं से पृथिवी भरके मनुष्यों ने अपने आचार-विचार की शिक्षा ग्रहण की है।”

(२) पाटलीपुत्र की स्थापना

पाटलीपुत्र का संस्थापक राजा उदायीभद्र था ।

एक बार की बात है, पूर्णिमा की रात थी। चाँद और चाँदनी छिटक रही थी। गरमी का मौसम था। मगध के राजा अजातशत्रु अपने महल की छत पर गये और दरबारियों के साथ उस अनुपम दृश्य का आनन्द लेने लगे। अजातशत्रु ने अपने दरबारियों को सम्बोधन करके कहा—“कैसी सुहावनी रात है। मौसम अनु है, पूर्ण चन्द्रमा निकला हुआ है, सब ओर चाँदनी छाई हुई है। इस रात का किस प्रकार सदुपयोग किया जाय ?”

राज-दरबार की एक स्त्री ने उत्तर में कहा—“इस रात को खूब मौज बहानी चाहिये। खूब आनन्द मंगल मनाना चाहिये।”

एक अन्य स्त्री ने कहा—“ऐसी रात का आनन्द उठाने के लिये पहले सारे राजगृह को सजाना चाहिये।”

पर कुमार उदायीभद्र ने कहा—“इस अनुपम रात की स्मृति में किसी नवीन राज्य पर आक्रमण करना चाहिये।”

उस अनुपम रात का उपयोग राजा अजातशत्रु ने किस प्रकार किया, यह हम नहीं जानते। पर कुमार उदायीभद्र के हृदय में कल्पन से ही जो उर्मत और आकांक्षायें थीं, उनका इससे हमें अतीव-मूर्ति ज्ञान होजाता है।

यही उदायीभद्र पाटलीपुत्र का संस्थापक था। इसी ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसे हुए पाटलीघाम को अपनी राजधानी बनाया और पाटलीपुत्र के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रारम्भ किया।

महात्मा बुद्ध के समय में पाटल या पाटलीग्राम एक छोटा सा कसबा था। उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी। राजगृह

से कुशीनगर जाते हुए महात्मा बुद्ध ने पाटलीग्राम में विश्राम किया था। उन दिनों राजा अजातशत्रु पाटलीग्राम की किला-बन्दी करा रहा था। मगध का प्रधान अमात्य कसकार इस कार्य में सलाने या। अजातशत्रु ने यहाँ एक कैत्य का भी निर्माण कराया था। उदायीभद्र के पाटलीग्राम को राजधानी बनाने से पूर्व भी इस नगर का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। पर उदायीभद्र ने इसके समीप ही एक विशाल और सम्पन्न नगर का निर्माण किया, और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस नगर का नाम पाटलीपुत्र रखा गया। प्रसिद्ध जैन लेखक हेमचन्द्र ने लिखा है, कि जिस जगह इस नगर की स्थापना की गई, वहाँ एक सुन्दर लाल फलों वाला पाटली वृक्ष विद्यमान था। उसी के कारण इसका नाम पाटलीपुत्र पड़ा, और उस वृक्ष के सुन्दर फलों के कारण ही वह कुसुमपुर भी कहलाया। (स्थविरा-वनि चरित्त पृ० २६०)

उन दिनों मगध के राजा गंगा के उत्तर में अपनी शक्ति को विस्तार कर रहे थे। गंगा के उत्तर में उस समय प्रांसद्वय बज्जिसंघ विद्यमान था, जिसमें अनेक शक्तिशाली गणराज्य सम्मिलित थे। राजा अजातशत्रु बज्जिसंघ को जीत कर अपनी अधोनता में लाने के लिये प्रयत्नशील था। इसीलिये अजात्य कसकार ने गंगा के तट पर स्थित पाटलीग्राम की किलाबन्दी की थी। राजा अजातशत्रु बज्जिसंघ को जीत कर अपनी अधोनता में लाने में सफल हुए। मगध का साम्राज्य गंगा के उत्तर में हिमालय की उपत्यका तक विस्तृत हो गया। अतः अजातशत्रु के बाद उदायीभद्र का पाटलीग्राम को मगध की राजधानी बनाने सर्वथा स्वाभाविक और समुचित था। राजगृह की भौगोलिक स्थिति अधिक दक्षिण में थी। नये जीते हुए प्रदेशों का शासन वहाँ से सुगमता के साथ नहीं हो सकता

था। उदायी के समय से पाटलीपुत्र की समृद्धि और स्थिति निरन्तर बढ़ती गई, और धीरे धीरे वह भारत का सर्वप्रधान नगर बन गया।

(३) प्राचीन भारत के विविध राज्य

भारत बहुत बड़ा देश है। प्राचीन काल में यहाँ सैकड़ों छोटे-बड़े राज्य थे। धीरे-धीरे बहुत से छोटे-छोटे भागों में बँटी हुई थीं, जिन्हें 'जन' कहते थे। जन को हम कबीला या ट्राइब समझ सकते हैं। विविध 'जन' विविध प्रदेशों में बस गये थे और इन प्रदेशों को 'जनपद' कहते थे। प्रत्येक जनपद में प्रायः एक जन का निवास था। जनपदों के नाम जनों के नाम से ही पड़े थे। कुुरु, पांचाल, वत्स, शूरसेन, अंग, यौधेय, मद्र आदि आर्यों के विविध जनों के नाम थे। जब ये जन विविध प्रदेशों में बस गये, तो उन प्रदेशों व जनपदों का नाम भी इन जनों के नाम पर कुुरु, पांचाल, वत्स आदि होगया।

इन विविध जनपदों में विविध प्रकार की शासनप्रणालियों का विकास हुआ था। जब तक जन किसी एक प्रदेश में नहीं बसे थे, उनकी शासनप्रणाली प्रायः एक जैसी थी। जन एक बड़े परिवार के समान थे। जिस प्रकार एक परिवार का शासन, परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति, पिता या पितामह करता है, उसी प्रकार जन का शासन भी एक 'बृद्ध', या 'मुख्य' द्वारा होता था, चाहे इस शासक या राजा की नियुक्ति चुनाव द्वारा होती हो या किसी परम्परागत रिवाज द्वारा। यह राजा जन का नेता समझा जाता था, और इसकी स्थिति परिवार के प्रमुख के सदृश ही मानी जाती थी। वह जन की सम्मति को महत्व देता था, और समिति में एकत्रित 'जन' जो राय देते थे, उसे स्वीकार करता था।

पर जब 'जन' किसी प्रदेश में बस कर 'जनपद' बनने लगे, तो यह स्वाभाविक था, कि उनमें अन्य लोग भी शामिल हों। आर्यों के विस्तार से पूर्व भारतमें अन्य जातियों का निवास था। आर्यों ने इन जातियों को परास्त कर अपने अधीन किया। अनेक जनपदों में ये आर्य-भिन्न जातियाँ बहुत बड़ी संख्या में निवास करती थीं। थोड़े से आर्यजन बहुसंख्यक आर्य-भिन्न जातियों पर शासन करते थे। राज्य आर्यों का था, आर्य-भिन्न लोगों की शासन में कोई आवाज नहीं थी। कहीं आर्य-भिन्न लोगों की संख्या अधिक थी, कहीं कम। कहीं कहीं उनका संबंध अभाव भी था। प्रत्येक जनपद की परिस्थिति भिन्न थी। यही कारण है, कि विविध जनपदों में विविध प्रकार की शासन-प्रणालियों का विकास प्रारम्भ हुआ।

आर्य लोग पश्चिम की तरफ से भारत में आगे बढ़े थे। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की तरफ बढ़ते गये आर्य-भिन्न जातियों से उनका सम्पर्क भी बढ़ता गया। यही कारण है कि पूर्व के जनपदों में आर्य-भिन्न निवासियों की संख्या पश्चिम के जनपदों की अपेक्षा बहुत अधिक थी।

भारत के इन प्राचीन जनपदों की शासन-प्रणालियाँ मुख्यतया दो प्रकार की थीं, गणतन्त्र और राजतन्त्र। 'गण' उन राज्यों को कहते थे, जिनमें वंशक्रम से आया हुआ कोई राजा नहीं होता था, 'जन' अपना शासन स्वयं करता था। आर्य परिवारों के मुखिया गणसभा में एकत्र होकर अपने शासन का संचालन करते थे। राजतन्त्र राज्यों में वंशक्रम से आये हुए राजा शासन करते थे। समय-समय पर जनपदों की शासन-प्रणाली में परिवर्तन होते रहते थे। महाभारत के समय में कुरु देश में राजतन्त्र था। बाद में वहाँ गणराज्य होगया। विदेह, पांचाल, मत्स्य आदि में भी यही हुआ। यह परिवर्तन इन राज्यों में किस

प्रकार हुआ, इसका कृतान्त ज्ञानव्य नहीं होता। पर प्राचीन साहित्य में कोई काइ ऐसे निर्देश मिलते हैं, जिनमें इस परिवर्तन पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे कुछ निर्देशों का यहाँ उल्लेख करना हम उपयोगी समझते हैं।

मिथिला का विदेह राज्य भारतीय इतिहास में बहुत प्राचीन है। इसके राजा 'जनक' कहलाते थे। रामायण की सीता विदेह-राज जनक की ही कन्या थी। इन जनक राजाओं की अध्यात्म विद्या का बड़ा शौक था। बृहदारण्यक उपनिषद् में विदेहराज जनक की परिषद् में अध्यात्मविद्या सम्बन्धी विवादों का उल्लेख-बड़े विस्तार के साथ किया गया है। विदेह के ये राजा परलोक और अध्यात्म की चिन्ता में इतने लीन हो गये थे, कि राज्य कार्य की उन्हें जरा भी परवाह नहीं रह गई थी। महाभाग के शान्ति-पर्व (अध्याय २३) में कथा आती है, कि राजा जनक इतने निरुद्ध और विमुक्त हो गये थे कि मौज उन्हें नजर सा आने लगा था। इसी कारण वे कहा करते थे—'जब मेरे पास कोई धन न हो, तभी मेरे पास अनन्त धन होगा। मिथिला यदि आग द्वारा भस्म भी हो जाय, तो भी मेरा क्या बिगड़ना है !'

जिस राजा के ये विचार हों, वह पारलौकिक दृष्टिसे चाहे कितना ही पहुँचा हुआ क्यों न हो, पर अपने राज्यकार्य की वह कभी सकलता पूर्वक नहीं चला सकता। जनक की परनी ने उन्हें बहुत समझाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि, तुम उस प्रतिज्ञा को याद करो, जो तुमने राज्याभिषेक के समय पर की थी। उन्होंने कहा—'तुम्हारी प्रतिज्ञा और थी। पर तुम्हारे कार्य दुसरी तरह के हैं।' आगे चल कर उन्होंने यहाँ तक कह दिया, कि, 'आज राज्य की उपेक्षा कर तुम्हारी दशा एक दुजे के समान है। तुम्हारी माता आज पुत्र-विहीन है, और तुम्हारी परनी आज पति-विहीन है।'

पर इन सब का जनक पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें कोई भी बात समझ में नहीं आई। इसीलिये महाभारतकार ने कहा है—'इस दुनिया में राजा जनक कितना तत्वज्ञानी प्रसिद्ध है, पर वह भी भूलता के जाल में फँस गया था।'

संसार के इतिहास में कितने राजाओं ने प्रजा पर अत्याचार कर व भोग-विलास में फँस कर अपने राजधर्म की उपेक्षा की। पर भारतीय इतिहास का यह उदाहरण शायद अद्वितीय है, जब कि एक राजा ने अर्थात् में विलीन होकर अपने राजधर्म को भुला दिया। 'मिथिला अगर अग्नि द्वारा भस्म भी हो जाय, तो मेरा क्या बिगड़ता है।' यह मनोवृत्ति एक चौतराग योगी के लिये चाहे कितनी ही प्रशंसनीय क्यों न हो, पर एक राजा के लिये इसे कदापि क्षमा नहीं किया जा सकता। एक राजा के लिये यह मनोवृत्ति ठीक वैसी ही है, जैसी कि रोमन सम्राट नीरो की थी, जो कि रोम में आग लग जाने पर स्वयं ब्रासुरी बजाता हुआ उस दृश्य का आनन्द लेता हुआ खुश हो रहा था।

मालूम नहीं, कि जनक द्वारा राजधर्म की इतनी उपेक्षा करने पर प्रजा ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया या नहीं। कौटलीय अर्थशास्त्र में एक निर्देश मिलता है, जिसके अनुसार विद्रोह का राजा कराल बड़ा कामी था, और एक हुमायी के साथ बलात्कार करने के कारण प्रजा ने उसे मार डाला। सम्भवतः, जनक कराल विद्रोह का अन्तिम राजा था, और उसकी हत्या के बाद ही वहाँ राजतन्त्र का अन्त होकर गणतन्त्र की स्थापना हो गई।

कौटलीय अर्थशास्त्र में अन्य भी अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख है, जिनका प्रजा पर अत्याचार करने, अत्यन्त लाभ करने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से विनाश हो गया। दासक्य नाम के अज्ञ राजा का विनाश

माहाण कन्या पर बलात्कार करने के कारण हुआ। ऐल राजा ने लोभ के बशीभूत होकर चारों बर्यों पर बहुत ब्याधा कर लगाये। सौवीर के राजा अजबिन्दु ने भी इसी गलत नीति का अनुसरण कर अपना विनाश किया। परिणाम यह हुआ, कि ऐल और अजबिन्दु दोनों मर गये। इसी प्रकार के अन्य अनेक राजाओं का उल्लंघन कर आचार्य चाणक्य ने लिखा है—“ये और अन्य बहुत से राजा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और हर्ष—इन छः रात्रुओं के बशीभूत होने के कारण अपने बन्धु बान्धवों और राज्य के साथ विनष्ट हो गये। इसके विपरीत धन्वरोश, नाभाग आदि अनेक राजा जितेन्द्रिय होने के कारण देर तक पृथिवी पर शासन करते रहे।”

कौटलीय अर्थ-शास्त्र के इस संदभ में उन राज्यकान्तियों का सूत्र-रूप में निर्देश मिलता है, जिनसे भारत के अनेक प्राचीन जनपदों में शासन करने वाले राजवंशों का अन्त हुआ और गणतन्त्र शासनों का प्रारम्भ हुआ।

भारत के ये प्राचीन जनपद, चाहे उनमें राजतन्त्र शासन हो चाहे गणतन्त्र हो, प्रायः छोटे-छोटे राज्य होते थे। प्राचीन ग्रीस और इटली के नगर-राज्यों (City states) के समान इनका विस्तार प्रायः कुछ सौ वर्ग मीलों से अधिक नहीं होता था। महाभारत के युद्ध में कौरवों और पाण्डवों का पक्ष लेकर जो राजा कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में एकत्र हुए थे, उनकी संख्या सैकड़ों में थी। राजा रामचन्द्र जब वनवास के लिये आयोध्या से चले, तो योद्धा सा सफर करने के बाद ही वे कोशल देश की सीमा से बाहर हो गये थे।

इन राज्यों में प्रायः एक पुर (नगर) और शेष जनपद होते थे। राज्य के सब अग्रणी लोग, व्यापारी, शिल्पी और कर्मकर

पुर में रहते थे। जनपद में मुख्यतया कृषकों का निवास होता था। अनेक जनपदों में जहाँ आर्य-भिन्न लोगों की संख्या अधिक होती थी, खेती का काम दास लोग करते थे। पुर और जानपद के इसी भेद के कारण आगे चल कर 'पौर' और 'जानपद' समाजों का विकास हुआ। इन गणराज्यों का शासन पौर जानपद द्वारा ही होता था।

इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन भारत में भी बहुत से सम्राट हुए। अनेक शक्तिशाली राजाओं ने चक्रवर्ती साम्राज्यों की स्थापना की। दूर-दूर तक दिग्विजय कर अनेक प्रतापी राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किये। एतरेय ब्राह्मण में लिखा है, कि राजा भरत ने सम्पूर्ण पृथिवी का विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस देश का भारत नाम भी राजा भरत के नाम से ही पड़ा। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे बहुत से चक्रवर्ती सम्राटों का उल्लेख मिलता है, जो सदा विरथविजय में तत्पर रहते थे।

पर भारत के ये प्राचीन सम्राट दिग्विजय करते हुए पराजित राजाओं का मूलोच्छेद नहीं करते थे। वे उनसे केवल अधीनता स्वीकृत करा के ही संतुष्ट हो जाते थे। परास्त निवृत्त राजा दिग्विजयी शक्तिशाली सम्राट के अधीन रहना मान कर, उसे बलि व कर देते रहना स्वीकार करते और उसके अश्वमेध-यज्ञ में सम्मिलित होते थे। राजा युधिष्ठिर ने दिग्विजय कर जब राजसूय-यज्ञ किया, तो उसमें सैकड़ों राजा सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार एक चातुरन्त सम्राट के रहते हुए भी विविध जनपदों व राज्यों की स्वतन्त्रता कायम रहती थी। सम्राट जहाँ निवृत्त हुआ, वहाँ अधीन राजा कर देना बन्द कर देते थे, और पूरकतया स्वतन्त्र होजाते थे। फिर कोई अन्य महात्वाकांक्षी राजा मैदान में

आता था और दिग्विजय कटिफा से चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयत्न करता था।

४-मगध का साम्राज्यवाद

भारत के इन विविध जनपदों में से एक मगध था। बिहार प्रान्त के जो प्रदेश आजकल पटना और गया जिलों में सम्मिलित हैं, उन्हीं का प्राचीन नाम मगध था। इसी मगध का पुरानी राजधानी राजगृह थी, और बाद में उदायीभद्र ने पाटलीपुत्र (पटना) को इसी की राजधानी नियत किया था। मगध के इस आर्य जनपद में आर्य-भिन्न निवासियों का संख्या बहुत अधिक थी, और यही कारण है, कि बहुत पुराने काल से इस मगध में एक नये प्रकार के साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था। मगध के राजा अपने शत्रुओं को परास्त कर उनसे अधोनता स्वीकार करा के ही संतुष्ट नहीं हो जाते थे, वे उनका मूलोच्छेद करके, उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे।

एतत्काल में एक सुदृढ आता है, जिसमें प्राचीन काल के विविध राज्यों में प्रचलित विविध शासनप्रणालियों का निर्देश किया गया है। इसके अनुसार प्रतीची (पश्चिम) देश में जो सुराष्ट्र (गुजरात), कच्छ, काठियावाड़ और सौवीर (सिन्ध) आदि देश थे, उनके शासन को 'स्वराज्य' कहते थे, और वहाँ के शासक 'स्वराट्' कहलाते थे। उदीची (उत्तर) दिशामें, हिमालय के परे उत्तरकुरु, उत्तर मद्र आदि जो जनपद थे, उनमें 'वैराज्य' शासनप्रणाली थी। ये राज्य 'विराट्' या राजा से निर्धान होते थे। दक्षिण दिशा में सन्ध (यादव) लोगों में 'भोज्य' प्रणाली का शासन था, उन जनपदों के शासक को 'भोज' कहते थे। इसी प्रकार कुछ अन्य जनपदों के शासन का उल्लेख करके प्तरेय

ब्राह्मण में लिखा है, कि प्राच्य (पूर्व) विरा के देशों में जो राजा है, वे 'सम्राट्' कहते हैं, उनका साम्राज्य के लिये 'सघाट्' के रूप में ही अभिषेक होता है। प्राच्य जनपदों में मगध और कलिङ्ग प्रमुख थे।

बहुत प्राचीन काल से इस मगध में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति का विकास हो रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण की इस बात की पुष्टि इतिहास द्वारा भी होती है। महाभारत के समय में मगध का राजा जरासन्ध था। उसने चारों तरफ विजय करके अपने साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया। पूर्व में अंग वंग कलिङ्ग और पुण्ड्र को जीतकर जरासन्ध ने अपने अधीन कर लिया था। पश्चिम में काश्यप देश के राजा वक्र और वेदि के राजा शिशुपाल उसके अधीनस्थ थे और उससे मित्रता का सम्बन्ध रखते थे। जरासन्ध ने अनेक गणतन्त्रराज्यों पर भी आक्रमण किये। उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली गणतन्त्रक वृष्णियों का था। कृष्ण इसी गण के प्रधान थे। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए जरासन्ध ने अन्धक वृष्णियों के संघ पर आक्रमण किया। पहले पहल उसे सफलता नहीं हुई। परन्तु अपनेक बार हमले करने के बाद अन्ध में वह सफल हुआ और अन्धक वृष्णियों की अपना असली जनपद छोड़ कर द्वारिका में जाकर बसना पड़ा। जरासन्ध द्वारा मत्स्ये जाने पर ही अन्धक वृष्ण लोग द्वारिका जानें की विषय हुए थे।

कृष्ण का भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व है। जरासन्ध को परास्त करने के लिए उन्होंने इन्द्रप्रस्थ के पाण्डवराजा युधिष्ठिर की सहायता प्राप्त की। जरासन्ध को मार कर उन्होंने मगध के बढ़ते हुए साम्राज्यवाद को रोकने का प्रयत्न किया। जरासन्ध का साम्राज्यवाद भारत के प्राचीन अक्रवर्ती राजाओं के साम्राज्य

वाद से बहुत भिन्न था। जरासन्ध पराजित राजाओं का मूलोच्छेद करने का यत्न करता था। इसी कारण महाभारत में लिखा है, कि उसके कारागार में बहुत से राजा कैद थे और जरासन्ध उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा था।

मगध के अन्ध भी बहुत से राजाओं ने इसी प्रकार के साम्राज्यवाद का अनुसरण किया। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदायाभद्र, नागदासक और महापद्मानन्द के नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं। पुराणों में महापद्मानन्द को 'एकराट्' 'एकच्छत्र' 'अतिबल' 'और' 'सर्वक्षत्रान्तक' आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है।

मगध के इन्हीं राजाओं ने धीरे-धीरे भारत के अन्ध सब, राजतन्त्र व गणतन्त्र—जनपदों को परास्त कर सम्पूर्ण देश में अपना एकच्छत्र, 'अनुल्लंघित शासन' स्थापित कर लिया। पाटलीपुत्र इसी विशाल मगध साम्राज्य की राजधानी था।

(५) मगध की सैन्यशक्ति

आर्य लोग भारत में पश्चिम से पूर्व की तरफ फैले थे। वर्तमान समय के पंजाब व संयुक्तप्रान्त में उनके जो जनपद स्थापित हुए, उनके निवासी मुख्यतया आर्य लोग ही थे। पर पूर्व के राज्यों में 'आर्य-मिश्र' लोगों की संख्या अधिक थी। इनमें बाँड़े से आर्य बहुसंख्यक विजातीय लोगों पर शासन करते थे। इन जनपदों में राजा 'समानों में ज्येष्ठ' न होकर 'एकराट्' होता था। इन एकराटों की शक्ति का आधार आर्यशक्ति उतनी नहीं होती थी, जितनी कि भरती की हुई सेनाओं की शक्ति। उनको सेनाओं में भी आर्यत्व के अतिरिक्त 'भृत' (वेतन पर इकट्ठे किये हुए वा मर्सिनरी) सैनिकों की प्रचुरता रहती थी।

कौटिलीय अर्थशास्त्र में निम्नलिखित प्रकार की सेनाओं का उल्लेख है—

(१) मौल- वह जो राजा व शासक आर्यवर्ग की अपनी विरादरी के लोगों की सेना हो । इसमें शुद्ध आर्य सैनिक ही सम्मिलित होते थे ।

(२) भृत-वेतन के लिये भरती हुए लोगों की सेना । क्योंकि मगध व अन्य पूर्वी जनपदों में आर्य भिन्न जातियों के निवासी बहुत अधिक थे, अतः उन्हें वेतन देकर वही संख्या में सेना में भरती किया जा सकता था । मगध की सेना में भृत सैनिकों की भरती करने की जो सुविधा थी, वह कुक, पांचाल, कोशल, मालव, आरट्ट आदि पश्चिम के जनपदों में नहीं थी ।

३) श्रेणियाँ—प्राचीन काल में जिस प्रकार शिल्पियों व कारीगरों की श्रेणियाँ (Guilds) थीं, उसी प्रकार सैनिकों की भी थीं । ये श्रेणियाँ एक प्रकार के स्वतन्त्र संगठन थे, जिनके अपने कानून व अपने परम्परागत नियम होते थे । आर्यों ने जिन आर्य-भिन्न जातियों को जीत कर अपने अधीन किया था, उनमें बहुत से लोग बड़े वीर होते थे । इन वीर लोगों में से बहुतों का पेशा ही सैनिक का था । इन्होंने अपनी स्वतन्त्र सैनिक श्रेणियाँ संगठित करली थीं, और राजा लोग अपनी साम्राज्य सम्बन्धी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए इन सैनिक श्रेणियों का भलीभाँति उपयोग कर सकते थे । वेतन, उपहार व अन्य पल्लोभनों द्वारा इन सैनिक श्रेणियों के पेशेवर सैनिक मगध के सम्राटों की सहायता के लिये सदा तत्पर रहते थे ।

(४) मित्र-जो पड़ोसी राजा अपने मित्र हों, उनकी सेना को 'मित्रबल' कहते थे । चेदिराज शिशुपाल मगध सम्राट जरासन्ध का मित्र था । वह जरासन्ध का प्रधान सेनापति भी था । चेदि की सेना मगध की सहायता के लिये सदा तत्पर रहती थी । इस प्रकार की सेना को मित्रबल कहते थे ।

[५] अटवि बल-मार्गीन काल में भारत का बहुत सा भाग जंगलों से आच्छन्न था। विशेषतया, पूर्वी भारत में उस समय बहुत घने व विशाल जंगल थे। वर्तमान समय का छोटा नागपुर व सम्भाल परगना के जंगलप्रधान प्रदेश 'महाकान्तारों' के अवशेष हैं। इन अटवियों (जंगलों) में उस समय बहुत सी बड़े जातियाँ निवास करती थी, जिन्हें आर्य लोग पूरी तरह अपनी अधीनता में लाने में सफल नहीं हुए थे। ये अटवि-निवासी बहुत बड़े बड़े होते थे। मगध के सम्राटों ने इनकी शक्ति का अपने स्वार्थ के लिये प्रयोग किया। अटवि निवासियों की सेना का उन्होंने पृथक रूप से संगठन किया। इसके लिए उन्होंने एक पृथक अमान्य की भी नियुक्ति की, जिसे 'आटविक' कहते थे। आटविक के नेतृत्व में यह अटवि सेना भी मगध सेना का एक महत्वपूर्ण अंग होती थी।

अमान्य कौटिल्य वा चाणक्य मगध सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के मंत्रिपुरोहित (पञ्चम अमान्य) थे। उनके अर्ध-शास्त्र द्वारा मगध के सम्राटों का परम्परागत राजनीति का मत्ती भीति परिचय मिलता है। ऊपर पाँच प्रकार की जिन सेनाओं का वर्णन किया गया है, उन्हें संगठित करने की जो सुविधा मगध को थी, वह भारत के अन्य राज्यों की नहीं थी। शूत और आटविक सेनाओं के साथ साथ मगध के राजनीतिज्ञों ने साम्राज्य के विस्तार के लिये अद्भुत प्रकार की कूटनीति का भी विकास किया था।

दूसरा अध्याय

मगध साम्राज्य का प्रारम्भ

(१) मगध में आर्यों का पहला राज्य

आर्यों की अनेकों शाखायें और अनेक वंश थे। उनका विस्तार भारत में धीरे-धीरे हुआ था। आर्यवंशों में सबसे मुख्य मानव और ऐल हैं। इन दोनों वंश-वृक्षों में अनेक शाखायें और उपशाखायें फूटती गईं, और धीरे-धीरे सारे उत्तरी भारत में आर्यों के विविध वंश राज्य करने लगे।

ऐलवंश का संस्थापक राजा पुरुरवा था। उसकी राजधानी प्रयाग के समीप में स्थित प्रतिष्ठान नगरी थी। ऐलवंश ने बड़ी उन्नति की और दूर-दूर के प्रदेशों में अपने राज्य स्थापित किये। इसी वंश में आर्य चलकर तितिलु हुआ। उसने पूर्वी भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। वर्तमान बिहार प्रान्त में सबसे पहला ऐलवंशी आर्य राज्य तितिलु द्वारा ही स्थापित हुआ था। ऐलवंशी आर्यों के प्रवेश से पूर्व बिहार में सौषुम्न जाति का निवास था। आर्यों से परास्त हो कर ये लोग सुदूर पूर्व में इड़ीसा की तरफ चले गये। राजा तितिलु ने सौषुम्नों को परास्त कर आर्य राज्य की नींव डाली, और उसके पंशज देर तक वहाँ राज्य करते रहे।

इसी समय कान्यकुब्ज में ऐलवंशी आर्य राजा कुश राज्य कर रहा था। उसका छोटा लड़का अमूर्तरवस था। उसके लड़के का नाम गय था। गय अमूर्तरवस एक प्रबल प्रतापी वंशकर राजा हुआ है। मगध भारत में जो वीर पुरुष किसी-नये

राज्य की स्थापना कर एक नये राजवंश का प्रारम्भ करते थे, उन्हें वंशकर कहा जाता था। गय आमूर्तरयस ने काशी के पूर्व के जंगली प्रदेश में, जिसे प्राचीन समय में धर्मारण्य कहा जाता था, और जो आगे चल कर मगध कहलाया, पहले पहल एक आर्य राज्य की स्थापना की, और एक नये वंश का प्रारम्भ किया। वर्तमान समय की गया नगरी का स्थापक सम्भवतः यही गय आमूर्तरयस था, जिसे राजधानी बना कर इसने मगध का पहले पहल शासन किया था। गय आमूर्तरयस की गिनती चक्रवर्ती राजाओं में की जाती है।

प्रतीत होता है, कि मगध में आर्यों का यह प्रथम राज्य देर तक टिक नहीं सका। धर्मारण्य उस समय में एक विशाल जंगल था, जिसमें शक्तिशाली राक्षस जातियाँ निवास करती थीं। राक्षस जातियों के जोर के कारण आर्य लोग वहाँ देर तक नहीं रह सके। रामायण में ऋषि विश्वामित्र ने जिन राक्षस जातियों को नष्ट करने के लिये अयोध्या के राजा राम की सहायता प्राप्त की थी, वे इसी धर्मारण्य में बसती थीं।

(२) ऋषि दीर्घतमा की कथा

भारत की प्राचीन अनुकृति में ऋषि दीर्घतमा की कथा बड़े महत्त्व की है। मगध और पूर्वी भारत के अन्य प्रदेशों में आर्यों के प्रवेश पर उससे अथवा प्रकाश पड़ता है। हम इस कथा को संक्षेप में यहाँ उद्धृत करते हैं।

प्राचीन समय में दो ऋषि हुए, जिनके नाम बृहस्पति और उशिज थे। उशिज की पत्नी का नाम ममता था। उशिज और ममता के एक पुत्र हुआ, जो जन्म से ही अन्धा था। इस लिये उसका नाम दीर्घतमा रखा गया। उधर ऋषि बृहस्पति के भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भारद्वाज था। अन्धा दीर्घतमा

अपने चचेरे भाई भारद्वाज के आश्रम में रहता था। वहाँ उसने अपनी माँ की सहायता से दुराचार करने का प्रयत्न किया। परिणाम यह हुआ, कि कुल आश्रम-वासियों ने ऋषि दीर्घतमा को बर्ष कर, बड़े पर डाल गंगा में बहा दिया। गंगा में बहते-बहते ऋषि दीर्घतमा आनन्द राजा बलि के राज्य में जा पहुँचे। राजा बलि उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब एक बूढ़ा व अन्धे ऋषि की नदी में बहते हुए देखा, तो उसका उद्धार किया, और बड़े आदर के साथ उसे अपने राजमहल में ले गये।

राजा बलि के कोई सन्तान नहीं थी। उस समय आर्यों में नियोग की प्रथा प्रचलित थी। राजा बलि की पत्नी सुरेष्णा ने ऋषि दीर्घतमा के साथ नियोग करके पाँच पुत्रों को जन्म दिया। इनके नाम अंग, वंग, कर्लिंग, मुण्डू और मुम्ह थे। इन पाँचों ने अङ्ग वंग, आदि पाँच पूर्वी राज्यों की स्थापना की। ये पाँचों वंशकर राजा हुए। इन्हें इतिहास में 'बाल्य क्षत्र' और 'बाल्य ब्राह्मण' के नाम से कहा गया है। ये पाँचों क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों थे। इनकी माता क्षत्रिय व पिता ब्राह्मण ऋषि थे, इसीलिये इन्हें ये नाम दिये गये हैं। कृतिपय पुराणों के अनुसार अंग, वंग आदि पाँच कुमार रानी सुरेष्णा के पुत्र न होकर उसकी शूद्र दासी के पुत्र थे। राजा बलि की आज्ञा से जब रानी सुरेष्णा ऋषि दीर्घतमा के पास गई, तो उसे बूढ़ा, अन्धा व विकलांग देखकर डर गई और उसने अपनी जगह पर अपनी दासी को ऋषि के पास भेज दिया।

ऋषि दीर्घतमा ने एक अन्ध शूद्र स्त्री श्रीशिररी से विवाह भी किया और उससे काशीवान आदि अनेक पुत्रों का जन्म हुआ।

यह राजा बलि तितिक्षु का वंशज था । तितिक्षु का जलेश्वर हम ऊपर कर चुके हैं । यद्यपि मगध से गय आमूर्तरयस द्वारा स्थापित राज्य इस समय समाप्त हो चुका था, पर और अधिक पूर्व में तितिक्षु के वंशज अभी तक राज्य कर रहे थे । बलि के बाद उसके आर्य-राज्य को और अधिक उन्नति हुई । उसकी नियोज्य सन्तान ने वंगुल की खाड़ी तक आर्य-शासन का विस्तार किया, और अङ्ग, वंग, कालिंग, पुण्ड्र और सुन्ध-इन पाँच नये राज्यों को अपने नामों से स्थापना की ।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है, कि बलि के उत्तराधिकारी शुद्ध आर्य राजा नहीं थे । प्राचीन अनुभूति के अनुसार वे दीर्घतमा क्षत्रि की शुद्र स्त्री द्वारा उत्पन्न हुई सन्तान थे । अभिप्राय यह है, कि पूर्वी भारत में आर्य लोग अपनी रक्त-शुद्धता को कायम नहीं रख सके थे । मगध के बाद के राजाओं को भी असुर व शुद्र कहा गया है । जरासन्ध व महापद्मनन्द जैसे मगध सम्राट शुद्ध आर्य न होकर असुर व शुद्र कहे गये हैं । पूर्वी भारत के इन प्राचीन आर्यों में बहुत प्राचीन काल से अनार्य-रक्त का प्रवेश हो गया था । पूर्वी भारत में जाकर बसने वाले व अपना पृथक राज्य स्थापित करने वाले आर्य ब्राह्मणों व क्षत्रियों ने आर्यभिन्न जातियों की स्त्रियों से विवाह किये और इसीलिये इन पूर्वी राज्यों में अनार्य तत्व की अधिकता रही । इसी कारण 'भृत' सेना को संगठित कर सकना उनके लिए सुगम रहा और इसी लिये उनमें प्राचीन आर्य-परम्परा के विपरीत शक्तिशाली साम्राज्यों के निर्माण की प्रवृत्ति हुई ।

मनुस्मृति में जहाँ वज्रसंकरों का परिगणन किया गया है, मगध, अंग आदि उनमें सम्मिलित हैं । पूर्व के ये राजा शुद्ध आर्य न होकर वज्रसंकर थे ।

(३) बार्हद्रथ वंश का प्रारम्भ

प्राचीन काल में इस्तिनापुर में औरव वंश का राज्य था। इस वंश में कुरु नाम का एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ। कुरुलेव की स्थापना इसी ने की और इसके वंशज आगे चलकर कौरव कहाये।

कुरु के वंश में आगे चल कर राजा वसु हुआ। वसु बड़ा प्रतापी और वंशकर राजा था। उसने चेद्दि देश को जीत कर अपने अधीन कर लिया, और इसीलिये वह चैत्रोपरचर (चैत्र + उपरिचर = चैत्रों के ऊपर चलने वाला) की उपाधि से विभूषित हुआ। उसने पूर्व में चेद्दि से भी आगे बढ़कर मगध नक के प्रदेश को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसकी राजधानी शुक्तिमती (केन) नदी के तट पर स्थित शुक्तिमती नगरी थी।

वसु के पाँच लड़के थे—बृहद्रथ, प्रत्यग्रह, कुश, यदु और माकेल्ल। वसु ने अपने प्रताप से जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना थी, उसे उसने पाँच भागों में विभक्त कर उनका शासन करने के लिये अपने पाँचों पुत्रों को नियुक्त किया। मगध का शासक बृहद्रथ को नियत किया गया। काशी और अग के बीच के जंगल-प्रधान (धर्मारण्य) प्रदेश का नाम मगध था। वहाँ पर पहले गय आमूर्तरयस ने आर्य-राज्य की नींव डाली थी। मगध में पहला स्थायी आर्य-राज्य वसु ने स्थापित किया, और और उसका पहला शासक बृहद्रथ हुआ। वसु की मृत्यु के बाद उसके पाँचों लड़के अपने-अपने प्रदेश में स्वतन्त्र हो गये और उनसे पाँच पृथक राजवंशों का प्रारम्भ हुआ। वसु बड़ा प्रतापी राजा था। मत्स्य-देश से मगध तक सारा मध्य-भारत उसके अधीन था। इसीलिए उसे चक्रवर्ती सम्राट् कहा जाता था।

वसु के बाद मगध में बृहद्रथ ने स्वल्प राजवंश की स्थापना की। यह बाहद्रथ वंश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। बाहद्रथ राजाओं की राजधानी गिरिव्रज थी। पाटलीपुत्र व राजगृह की स्थापना से पूर्व अनेक सदियों तक मगध की राजधानी गिरिव्रज रही। राजगृह की स्थापना गिरिव्रज के समीप ही बाद में हुई। वस्तुतः गिरिव्रज के मण्डहरों पर ही राजगृह का निर्माण हुआ था। गिरिव्रज के संस्थापक कौरव सप्ताद् वसु और उसका पुत्र बृहद्रथ ही थे।

(४) बाहद्रथ वंश

इस वंश के राजा निम्नलिखित थे—बृहद्रथ, कुर्याय, ऋषभ, पुष्यवान्, सत्यहित, सुधन्वा, ऊर्ज, सम्भव, जरासन्ध, सहदेव, सोमाधि और धृतरथा।

महाभारत के युद्ध के समय मगध का बाहद्रथ-वंशी राजा सहदेव था, और महाभारत के युद्ध-काल में ही सोमाधि मगध के सिंहासन पर आरोहण हो गया था। पुराणों के आधार पर बाहद्रथ वंश के राजाओं की जो सूची ऊपर दी गई है, सम्भवतः वह पूर्ण नहीं है। महाभारत में मगध के एक राजा द्रोण का उल्लेख आता है, जिसे इस्तिनापुर के राजा पाण्डु ने परास्त किया था। इस प्रसंग में महाभारत में लिखा है—‘पृथ्वी को विजय करने की इच्छा से राजा पाण्डु भीष्म आदि ब्रह्मों, धृतराष्ट्र और कुरुओं के अन्य श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके, उनकी अनुमति लेकर, मञ्जुश्वरणा युक्त आशीर्वाद का भण्ड करवा हुआ हाथों-धोहे और रथों से भरी हुई बड़ी भारी सेना के साथ विजय के लिये चला।... उन्होंने बल तथा अहङ्कार से गवित मगधराज द्रोण को उसकी राजधानी राज-

गृह में ही मार जाना । राजगृह से बहुत सा कोप और विविध प्रकार के बाहन पाण्डु के हाथ लगे ।'

इससे प्रतीत होना है, कि पाण्डु के समय में मगध का राजा दीप था । बाहूद्रय-वंशी जरासन्ध कौरवराज दुर्योधन व पाण्डव राज युधिष्ठिर का समकालीन था । राजा दीप पाण्डु का समकालीन था । इसलिये वह जरासन्ध से कुछ समय पूर्व मगध का राजा था । उसे हम उज्ज और सम्भव के बाद जरासन्ध से पहले रख सकते हैं ।

यद्यपि मगधराज दीप पाण्डु से ही परास्त हो गया था, पर उसके प्रताप व शक्ति में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता । महाभारत में ही लिखा है कि, "दीप ने बहुत से राजाओं को हानि पहुँचाई हुई थी, बहुत से महोप उससे नुकसान उठाये हुये थे और इसी लिये उसे अपने बल का बहुत घमंड था ।"

दीप के बाद मगध की राजगद्दी पर जरासन्ध आसीन हुआ । महाभारत के अनुसार जरासन्ध ने सब क्षत्रिय राजवंशों की राज्य-भौ का अन्त कर, सर्वत्र अपने तेज से आक्रमण कर, सब राजाओं में प्रधान स्थान प्राप्त किया था, वह सबको स्वामी था । सारा संसार उसके 'एकवंश' में था और सर्वत्र उसका साम्राज्य था ।

चेदि का राजा शिशुरान् जरासन्ध को अर्धीनता स्वीकार करता था और मागध-साम्राज्य के प्रधान सेनापति-पद पर नियुक्त था । कारुप देश का राजा वक्र उसका शिष्य सा बना हुआ था । वक्र बड़ा प्रतापी राजा था और माया-युद्ध में बड़ा प्रवीण था । ऐसे ही, करभ का राजमेघवाहन, जिसकी स्वाति एक दिव्य-मणि के कारण सर्वत्र विस्तृत थी, जरासन्ध के अर्धीन हो गया था । प्राग्ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसके अर्धीन

सुरु और नरक नाम के दो राजा थे, और जो अनन्त बल वाला भूपात था, न केवल वाणी से अपितु कर्म से भी जरासन्ध के अधीन था। सुधिष्टिर का मामा पुरुजित भी मगधराज की अधीनता स्वीकृत करता था। अंग, पुण्ड्र और किरात का राजा वामुदेव भी जरासन्ध के अधीन था। इसी प्रकार पाण्ड्य और कथकैशिक का राजा भीष्मक भी मागध साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करता था।

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है, कि जरासन्ध का साम्राज्य पूर्व में बङ्गाल और आसाम तक फैला हुआ था। पूर्वी भारत के अंग, अंग, पुण्ड्र, किरात व प्रान्द्योतिप के राजा उसकी अधीनता में थे। दक्षिण में कथकैशिक (बहार व झारखण्ड) के प्रदेश भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। चेदि के पश्चिमोत्तर में शूरसेन प्रदेश (वर्तमान मधुरा व उनके समीपवर्ती प्रदेश) में अन्धक बाद्यों का राज्य था। वहाँ का राजा कंस जरासन्ध का दामाद था। जरासन्ध की पुत्री व सहदेव की बहन अस्ति और यासि कंस की पत्नियाँ थीं। जरासन्ध की सहायता व संरक्षण के भरोसे कंस अपनी पत्नी पर मनमाना अत्याचार करता था। इस प्रकार भारत के बहुत बड़े भाग में उस समय जरासन्ध की तृती बोलती थी।

अनेक राज्य ऐसे भी थे, जिन्होंने मगधराज जरासन्ध की अधीनता स्वीकार कर लेने के स्थान पर अपने प्रदेशों को छोड़ कर कहीं सुदूर पश्चिम में बस जाना उचित समझा। ऐसे अठारह राज्य तो भोज्यों के ही थे। उनके अतिरिक्त, शूरसेन, मगधकार, बोध, शाल्व, पटञ्चर, सुस्थल, सुकुट्ट, कुलिन्द, कुन्ति और शाल्वायन ये सब राजकुत्र अपने जनपदों को छोड़ कर जरासन्ध के भय से पश्चिम की ओर चले गये थे।

इसी प्रकार दक्षिण-पंचाल, पूर्व-कोशल और मत्स्यराज्यों के निवासी भी अपने-अपने प्रदेशों को छोड़कर दक्षिण में जाकर बस गये। पंचाल लोग अपने 'स्वराज्य' को छोड़ कर सब तरफ बिखर गये। (महाभारत, समापर्व, अ० १५)

ऊपर जिन राजकुलों व गणों का उल्लेख किया गया है, उन सब प्रदेशों का ठीक-ठीक परिचय हमें नहीं है। पर मगध-राज जरासन्ध के उग्र साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में इस संदर्भ से बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें ज्ञात होती हैं। वंग, पुरुड, चेदि आदि जिन राज्यों ने जरासन्ध की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, उन्हें मगध साम्राज्य में अधीनस्थ रूप से कायम रहने दिया गया था। पर जिन राजकुलों व गण राज्यों ने यह अधीन-स्थिति स्वीकार नहीं की थी, उन्हें अपने-अपने जनपद व प्रदेश छोड़ कर सुदूरवर्ती प्रदेशों में जा बसने के लिये विवश होना पड़ा था। मगध की इस उग्र साम्राज्य-लिप्सा से आर्या-वर्त के जनपदों में उस समय कितनी भयंकर उथल-पुथल मची होगी, इसकी कल्पना सुगमता से की जा सकती है।

जरासन्ध ने बहुत से राजाओं को पकड़ कर कारागार में भी डलवा दिया था। महाभारत की अनुभूति के अनुसार 'जिस प्रकार सिंह महाहत्तियों को पकड़ कर गिरिराज की कन्दरा में बन्द कर देता है, उसी प्रकार जरासन्ध ने राजाओं को परास्त कर गिरिव्रज में कैद कर लिया था। राजाओं के द्वारा यज्ञ करने की इच्छा से (राजाओं का यज्ञ में बलिदान करने की इच्छा से) उस जरासन्ध ने अत्यन्त कठोर तप करके उभापति महादेव को सन्तुष्ट किया है, और राजाओं को एक-एक करके परास्त कर अपने पास कैद कर लिया है।'

राजा बुधिशिर उन दिनों राजसूय यज्ञ करने के लिये उत्सुक थे। कृष्ण ने उन्हें बताया, कि जब तक जरासन्ध जैसा शक्तिशाली मघाट् विद्यमान है, उनकी राजसूय के लिये कोशिश करना। बरुण स्वयं है। पहले जरासन्ध को मारने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे मार्ग से हटाये बिना राजसूय यज्ञ का स्वन देखना भी बेकार है। कृष्ण को जरासन्ध से विशेष विरोध व द्वेष था। वे अन्धक वृष्णि संघ के 'संघ मुख्य' व नेता थे। जरासन्ध के आक्रमणों से विचरा होकर इस अन्धक वृष्णि-संघ को अपने प्रदेश शूरसेन को छोड़कर सुदूर पश्चिम में डारिका में जा बसने के लिये विचरा होना पड़ा था।

शूरसेन प्रदेश में यादव लोगों के दो राज्य थे—अन्धक और वृष्णि। अन्धक यादवों का नेता कंस था। कंस जरासन्ध का वामाद था। जरासन्ध मगध का 'एकराट्' था। पर कंस अन्धक यादवों में 'समाना' में लोण्ट' था, एकराट् नहीं, पर पर अपने स्वसुर जरासन्ध का सहारा पाकर कंस ने भी अन्धक यादव कुलों के अन्य 'बुद्धों' व नेताओं को दबाना शुरू किया, और एकराट् ही गया। पर अन्धक यादवों को यह बात पसन्द न आई। उन्होंने अपने पत्नीसों, दूसरे यादव राज्य, वृष्णिगण से महायज्ञ माँगी। वृष्णि-यादवों का नेता कृष्ण था। कृष्ण ने कंस को मार डाला। यह सुनते ही जरासन्ध का कोप कृष्ण और यादवों पर उमड़ पड़ा। उसने सतरह बार यादवों पर आक्रमण किये। अन्धक-वृष्णिगणों ने स्वयं हट कर महाराज जरासन्ध का मुकाबला किया। इस और बिन्धक नामक दो सेनापति इन वृद्धों में काम आये। अखिर अठारहवीं बार जरासन्ध ने एक शक्तिशाली सेना लेकर यादवों पर आक्रमण किया। इस बार अन्धक-वृष्णि परास्त हुए, और कृष्ण की सलाह से वे शूरसेन देश को छोड़ कर डारिका में जा बसे। वहाँ

अन्धक और वृष्णि राजों ने परस्पर मिल कर एक संघ राज्य बना लिया, और कृष्ण इसके 'सच मुन्ध' नियत हुए। द्वारिको मगध से बहुत दूर थी। वहाँ जरासन्ध के आक्रमणों का कोई भय नहीं था। पर कृष्ण अपने परम शत्रु मगधसम्राट से बदला उतारने के लिये उत्सुक थे। अकेला यादव संघ मगध का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिये उन्होंने इन्द्रप्रस्थ के पाण्डव राजा युधिष्ठिर को अपना मित्र बनाया। पाण्डव राजा बड़े महत्वाकांक्षी थे। वे राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के प्रयत्न में थे। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जरासन्ध को मारे बिना वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। उसने कहा—'इस समय एक महान सम्राट् मगधराज जरासन्ध पहले से विद्यमान है। वह अपने बल पराक्रम से सम्राट्पद पर पहुँचा है। ऐल तथा ऐश्वर्य वंश की इस समय एक सौ शाखाएँ हैं। शक्ति से चाहे जरासन्ध ने उन्हें अपने अधीन कर लिया हो, परन्तु दिल से उसे वे नहीं चाहते। वह-बल से ही उन पर शासन करता है। ८६ राजा तो उसने कैद ही कर रखे हैं, और साथ ही यह घोषणा कर रखी है, कि जब इन कैदी राजाओं की संख्या पूरी सौ हो जावेगी, तो महादेवजी के आगे इनकी बलि चढ़ा दी जावेगी। यह बिल्कुल अनहोनी बात है कि, किसी राज्य के विधिपूर्वक अभिषिक्त राजा को कोई सम्राट् पकड़ रखे। क्षत्रिय का धर्म लड़ाई में मरना है, पशु के समान यज्ञ में बलि चढ़ना नहीं। मगधराज का हमें मिल कर मुकाबला करना चाहिए। जो अब जरासन्ध के मुकाबले में खड़ा होगा, वही उच्चल कीर्ति प्राप्त कर सकेगा। जरासन्ध को जो परास्त करेगा, वही इस समय सम्राट्-पद का अधिकारी होगा।'

कृष्ण की प्रेरणा से पाण्डव लोग जरासन्ध का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गये। पर उन्होंने सम्मुख युद्ध में जरासन्ध का सामना करना उचित नहीं समझा। अर्जुन और भीम बेश बदल कर कृष्ण के साथ मगध की राजधानी गिरिवज्र में गये और वहाँ जरासन्ध को द्वन्द्व युद्ध के लिये ललकारा। कृष्ण ने युद्ध के लिए आह्वान करते हुए जरासन्ध से कहा, "हम तुम्हें द्वन्द्व-युद्ध के लिये आह्वान करते हैं। या तो कारागार में बाले हुए सब राजाओं को छोड़ दो, या मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ।"

जरासन्ध जैसा बड़बुद वीर द्वन्द्व-युद्ध से इनकार नहीं कर सकता था। सर्वसाधारण जनता के सामने खुले मैदान में जरासन्ध और भीम की लड़ाई हुई। दर्राकों में शूद्र, स्त्रियाँ, वृद्ध सब शामिल थे। द्वन्द्व-युद्ध में भीम की विजय हुई। जरासन्ध मारा गया। यदि पाण्डव सेनायें मगध पर आक्रमण करतीं, तो जरासन्ध की सैन्य शक्ति को नष्ट कर सकना शायद उनके लिये सम्भव न होता। कृष्ण ने अपनी नीति कुरानना से पाण्डवों को यही सन्नाह दी, कि वे बेश बदल कर गिरिवज्र पहुँचे और वहाँ जरासन्ध को द्वन्द्व-युद्ध में परास्त करें। कृष्ण सली भाँति जानता था, कि जरासन्ध के मरते ही मगध में क्रांति हो जायगी क्योंकि मगध का साम्राज्य 'एकराट्' की वैयक्तिक शक्ति पर निर्भर था।

जरासन्ध के मारे जाते ही कृष्ण ने पहला कार्य यह किया कि कैद में पड़े हुए राजाओं को मुक्त कर दिया। इन सब राजाओं ने प्रसन्नता पूर्वक पाण्डवों की अधीनता स्वीकार की। ये सब राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये सद्यः तैयार हो गये। मगध का साम्राज्यवाद इन सब

राजाओं का समूल उच्छेद करने में तत्पर था। पर युधिष्ठिर का साम्राज्यवाद प्राचीन आर्य-परम्परा के अलुक्लन था। अन्ध राजाओं से अधीनता स्वीकृत करना ही उसका उद्देश्य था, मूर्धाभिषिक्त राजाओं को कैद करना या मारना प्राचीन आर्य परम्परा के सर्वथा विपरीत था।

जरासन्ध की मृत्यु के बाद उसका लड़का सहदेव मगध के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। एकराष्ट्र राजाओं की शक्ति बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व पर निर्भर रहती है। जरासन्ध के मरते ही उसका शक्तिशाली साम्राज्य झिझ-भिन्न हो गया। इन्द्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर का साम्राज्य पाकर विविध अधीन राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये। अनेक गणराज्य भी निर्भय होकर फिर से अपने जनपदों में वापस लौट आये। अब भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति मगध की जगह पर इन्द्रप्रस्थ हो गई।

राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने से पूर्व विग्विजय किया और भारत के विविध जनपदों से अधीनता स्वीकृत कराई। पूर्वी भारत को विजय करने का कार्य भीम के सुदं किया गया था। मगध को अधीन करने के लिये भीम को युद्ध की आवश्यकता नहीं हुई। सहदेव को समझा-बुझा कर शान्त कर दिया गया और उसने पाण्डवों को कर देना भी स्वीकार कर लिया। जिस कृष्ण के पदयन्त्र से जरासन्ध का बध हुआ था, युधिष्ठिर की राजसूय-सभा में उसी की सहदेव ने अर्चना की, और विविध उपहार पाण्डवराज की सेवा में भेंट किये।

पर पाण्डवों का यह उत्कर्ष देर तक कायम नहीं रहा। हस्तिनापुर के कौरव पाण्डवों के इस उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकते थे। कौरवों और पाण्डवों में आगे चल कर जो संघर्ष हुआ, उसी को महाभारत का युद्ध कहा जाता है।

मगध का राजा महदेव इस युद्ध में पाण्डवों की ओर था। द्रोणाचार्य द्वारा वह युद्ध में भाग गया। महाभारत में इस प्रसंग में लिखा है—“जब पाण्डवों की सेना का इस प्रकार विनाश होने लगा, तब जरासन्ध-पुत्र हंस कर पराक्रम प्रकाशित करता हुआ द्रोणाचार्य की ओर दौड़ा। जैसे बादल सूबों को छिपा देते हैं, वैसे ही उसने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य को छिपा दिया। जरासन्ध-पुत्र महदेव के ऐसे हस्तलाभ को देखकर क्षत्रियों का नाश करने वाले द्रोणाचार्य एक-एक बार में सौ-सौ और हजार-हजार बाण उसके ऊपर चलाने लगे। सब धनुधारियों के सम्मुख ही द्रोणाचार्य ने जरासन्ध-पुत्र को अपने बाणों से अश्रद्धाहित कर मार डाला।”

प्रतीत होता है, कि महदेव का एक अन्य भाई-जयत्सेन था, वह भी एक अशौहिणी सेना लेकर पाण्डवों की ओर से महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुआ था। जरासन्ध का एक पुत्र, सम्भवतः, महाभारत के युद्ध में कौरवों के भोपक्ष में था। इसका नाम अष्टद था। यह दुर्योधन की सेना में सम्मिलित था। इससे ज्ञात होता है कि जरासन्ध की मृत्यु के बाद न केवल मगध की राज्य शक्ति ही क्षीण हो गई थी, अपितु उसके राजकुल में भी फूट पड़ गई थी।

महदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सोमाधि मगध की राजगद्दी पर बैठा। पुराणों के अनुसार उसने ५८ वर्ष तक राज्य किया। सोमाधि के उत्तराधिकारी निम्नलिखित हुए—सोमाधि के शंभु ने अतश्रवा ने ६४ वर्ष राज्य किया। आयुनायु का राज्यकाल २६ वर्ष था। उसके बाद निरमित्त ने ४० वर्ष तक पृथिवी का उपभोग कर स्वर्गरोहण किया, सुधन्व ने ५६ वर्ष तक राज्य किया। बृहत्कर्मा ने २३ वर्ष तक राज्य किया। बृहत्कर्मा

के बाद सेनाजित् राजा बना। उसका शासन काल भी २३ वर्ष था। उसके बाद श्रुतज्ञय हुआ। पुराणों के अनुसार श्रुतज्ञय 'महाबल, महाबाहु और महाबुद्धिपराक्रम' था। प्रतीत होता है, कि उसके समय में मागध शक्ति का पुनरुद्धार हुआ और उसके बल तथा बुद्धि-पराक्रम की याद उसके पीछे भी देर तक बनी रही।

श्रुतज्ञय के बाद विभु मगध का राजा बना। उसने २८ वर्ष तक राज्य किया। फिर, शुचि ने ५८ वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद राजा जेम ने २८ वर्ष तक राज्य का उपभोग किया। जेम के बाद वीरवर सुव्रत ने ६४ वर्ष राज्य किया। फिर सुनेत्र ने ३५ वर्ष तक शासन किया। फिर, निवृत्त ने ५८ वर्ष तक पृथिवी का उपभोग किया। तदनन्तर, त्रिनेत्र ने २८ वर्ष तक राज्य किया। फिर, इन्दसेन ५८ वर्ष तक राजा रहा। फिर ३३ वर्ष महोनेत्र का राज्य रहा। सुनलने ३२ वर्ष राज्य किया। उसके बाद सुनेत्र ने ४० वर्ष तक राज्य का उपभोग किया। फिर, ८३ वर्ष तक राजा सत्वजित् ने शासन किया। विश्वजित् ने २५ वर्ष तक राज्य किया। अन्त में राजा रिपुञ्जय ने ३० वर्ष तक मगध का शासन किया।

जरासन्ध के बाद सोमाधि से शुरू कर रिपुञ्जय तक कुल २२ राजा मगध में हुए। इनमें से सोमाधि से वृहत्कर्मा तक ६ और सेनाजित् से रिपुञ्जय तक १६ पृथक्-पृथक् पुराणों में उल्लिखित किये गए हैं। सोमाधि से रिपुञ्जय तक सब २२ बाह्य वंशों राजाओं के शासन काल का कुल जोड़ २५० वर्ष है। पुराणों व भारत की अन्य प्राचीन ऐतिहासिक अनुसृति से इन राजाओं के सम्बन्ध में अन्य कोई बात हमें ज्ञात नहीं होती।

(५) बार्हद्रथ राजाओं का समय

महाभारत युद्ध की घटनाओं के साथ इस वंश के तीन राजाओं का सम्बन्ध है—जरासन्ध, सहदेव और सोमाधि। इन्हें हम महाभारत के सम-कालीन समझ सकते हैं। याद के जो राजा हुए, उनके शासन-काल पुराणों में दिये गये हैं, और उनका बल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं।

महाभारत के काल के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। जहाँ कुछ विद्वान इस युद्ध का काल अबसे लगभग ५००० वर्ष पूर्व मानते हैं, वहाँ अन्य विद्वान उसे १० या ११ सदी ईस्वी पूर्व (अबसे प्रायः ३००० वर्ष पूर्व) में प्रतिपादित करते हैं। हमें यहाँ इस विवाद में बहने की आवश्यकता नहीं। हम बार्हद्रथ वंश के राजाओं के काल-क्रम की सुगमता से महाभारत-पूर्व व महाभारत-पश्चात् करके प्रदर्शित कर सकते हैं। सोमाधि महाभारत-युद्ध के समाप्त होने के साथ मगध के राज-सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, उसने ५० वर्ष राज्य किया, अतः उसके उत्तराधिकारी अतल्लवा का शासन-वर्ष हम महाभारत युद्ध के ५० वर्ष पश्चात् सुगमता से रख सकते हैं। भारत के आर्चीव इतिहास में तिथिक्रम का विषय बड़ा विधादयस्त है। इसलिये बार्हद्रथ-वंश के इन राजाओं के काल का हम केवल सुंभला सा ही परिचय दे सकते हैं।

(६) बार्हद्रथ-शासन के विरुद्ध राज्यक्रांति

बार्हद्रथ वंश का अन्तिम राजा रिपुञ्जय था। उसके अमात्यका नाम पुलिक था। पुलिक ने अपने स्वामी रिपुञ्जय के विरुद्ध विद्रोह कर उसे मार डाला, और अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया। सम्भवतः, पुलिक क्रांति से आव-

क्षत्रिय नहीं था। इसीलिये पुराणों में लिखा है, कि सब क्षत्रिय देखते के देखते ही रह गये और पुलिक ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया। हम पहले लिख चुके हैं कि मगध में आर्य-भिक्ष लोगों की प्रधानता थी। वहाँ की सेना में भूत और श्रेण्यबल बड़ी सख्या में थे। प्रतीत होता है, कि पुलिक ने ऐसी ही आनायें सेना की सहायता से रिपुजय के विरुद्ध विद्रोह कर उसे मार दिया था। पुराणों में इस पुलिक व इसके पुत्र को 'प्रणतसामन्त' और 'नयवर्जित' कहा गया है। जिन सामन्तों के सिर चटाने के कारण पिछले बाहद्वय राजा कमजोर होगये थे, उन्हें उसने भली-भाँति अपने कायू में कर लिया था। साथ ही वह नयवर्जित भी था। आर्य राजाओं की जो पुगनी रीति चली आती थी, उसकी अपेक्षा कर वह अपनी स्वेच्छा से राज्य करता था। पर इस प्रकार के स्वेच्छाचारी एकराट होने के लिये वह आवश्यक था, कि वह नरश्रेष्ठ हो। पुराणों में उसे 'नरोत्तम' भी कहा गया है। वैयक्तिक गुणों के अभाव में वह कैसे सम्भव था, कि सब क्षत्रिय देखते ही रह जायें, और वह मगध के राज-सिंहासन पर अपना अधिकार कर ले।

पर यह पुलिक था कौन? इस सम्बन्ध में विविध ऐतिहासिकों में जो बहुत सा मतभेद है, उस पर हम यहाँ प्रकाश नहीं डालेंगे। पुलिक मगध सम्राट् बाहद्वय का अन्त्य और अवन्ति का शासक था। प्रतीत होता है, कि पिछले दिनों में अवन्ति मगध के अधीन होगया था, और वहाँ के स्वतन्त्र वीतिहोत्र-वंश का अन्त होगया था। महाभारत के युद्ध के बाद अवन्ति में वीतिहोत्र-वंश का राज्य था। पिछले किसी बाहद्वय राजा ने अवन्ति को जीत कर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। पुलिक रिपुजय की तरफ से अवन्ति

पर शासन करता था। पुलिक के दो पुत्र थे, बालक और प्रद्योत। विषुजय को मार कर पुलिक ने बालक को मगध का राजा बनाया और प्रद्योत को अवन्ति का। पुलिक को इस राज्य-क्रांति से मगध और अवन्ति दोनों देशों में बार्हद्रथ वंश के शासन का अन्त हो गया।

(७) मगध में फिर राजक्रान्ति

पर मगध में पुलिक के वंश का शासन देर तक कायम नहीं रह सका। भद्रिय नाम के एक वीर महात्वाकांक्षी व्यक्ति ने पुलिक के पुत्र बालक के विरुद्ध विद्रोह किया, और उसे मार कर स्वयं मगध के राजसिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। यह भद्रिय कौन था ? इसे प्राचीन अनुब्रति में 'श्रेणिय' कहा गया है मगध की सैन्य-शक्ति में 'श्रेणियल' का बड़ा महत्व था। उस काल में सैनिकों की अनेक भणियाँ (Guilds) थीं, जिनका संगठन स्वतन्त्र होता था। श्रेणियों में संगठित इन सैनिकों का प्था ही युद्ध करना था। राजा लोग इन सैनिक श्रेणियों को अपने अनुकूल बनाने व उनकी सहायता प्राप्त करने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। यर्नात होता है कि, भद्रिय इसी प्रकार की एक शक्तिशाली सैनिक श्रेणि का नेता था, इसीलिये उसे श्रेणिय कहा गया है। सम्भवतः, पुलिक द्वारा प्रारम्भ की गई क्रांति से जो अव्यवस्था मगध में उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठाकर भद्रिय ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया और अन्त-सर पाते ही नयवर्जित राजा बालक को राज्य ख्युत कर स्वयं राज्य-शक्ति को प्राप्त कर लिया। भद्रिय स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठा। पुलिक द्वारा स्थापित परम्परा का अनुसरण करते हुए उसने अपने लड़के बिम्बिसार को राजगद्दी पर बिठावा। उस समय बिम्बिसार की आयु केवल पन्द्रह वर्ष की थी। भद्रिय

के बाद विम्बिसार 'श्रेणिय' बना। उसकी शक्ति का आचार यह सैनिक श्रेणी थी, जिसके बल पर महिय ने मगध-राज बालक के विरुद्ध विद्रोह किया था।

मगध के शासन में इस समय सैनिकों का खोर था। प्राचीन आर्य-नीति को मगध के राजा देर से छोड़ चुके थे। अपनी साम्राज्य-विस्तार की नीति को सफल बनाने लिये वे वेतन के लालच से भरती हुये व पेशी के तौर पर लड़ने वाले सैनिकों को निरंतर अधिकाधिक महत्व देते रहे। इसी नीति का परिणाम ये दो क्रांतियाँ हुईं। आधी सदी से भी कम समय में मगध के राजसिंहासन पर पुराने आर्य-वंश की जगह दो भिन्न-भिन्न सैनिक नेताओं ने अधिकार किया। ये सैनिक सम्राट् पृथक् तथा स्वच्छाचार से शासन का संचालन करते थे। परम्परागत आर्यनीति की इन्हें कोई भी चिन्ता नहीं थी। पुंलक और महिय, दोनों ने ही मगध राजाओं को राज्यच्युत कर अपने पुत्रों को राजगद्दी पर बिठाया। मगध के शासन में इस समय कोई भी व्यवस्था शेष नहीं रही थी।

अवन्ति के राजा प्रद्योत को यह सहन नहीं हुआ, कि मगध का राज्य इस प्रकार अपने कुल के हाथ से निकल जावे। इसी लिए उसने मगध पर आक्रमण करने की योजना की। बौद्ध ग्रन्थ मग्गमनिकाय के अनुसार विम्बिसार के उत्तराधिकारी अजातशत्रु ने प्रद्योत के आक्रमण से मगध की रक्षा करने के लिये अपनी राजधानी राजगृह की किलाबन्दी की थी। अवन्ति और मगध के राजाओं में जो घोर संघर्ष इस समय शुरू हुआ, उसका वर्णन हम आगे चल कर करेंगे। इस संघर्ष में मगध के राजाओं को ही सफलता मिली। नृत और श्रेणियाल के कारण मगध की सैनिक शक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी थी

कि अन्य राज्य उसके सम्मुख टिक नहीं सकते थे। सौभाग्य से विम्बिसार के बाद मगध के सिंहासन पर ऐसे शक्तिशाली राजा आसीन रहे, जो कि इस सैनिक शक्ति की भलीभाँति अपने कान्ध में रख सकते थे, और इसी का परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत में मगध का साम्राज्य विस्तृत हो गया।

तीसरा अध्याय

मगध का उत्कर्ष

(१) सोलह महाजनपद

राजा विम्बिसार और उसके बाद मगध को बहुत उन्नति हुई। धीरे-धीरे वह उत्तरी भारत का सब से बड़ा राजनीतिक शक्ति बन गया। मगध के इस उत्कर्ष को भली-भांति समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम उस समय के अन्य विविध राज्यों पर प्रकाश डालें। हम पहले लिख चुके हैं कि प्राचीन भारत में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जिन्हें 'जनपद' कहते थे। धीरे-धीरे कुछ जनपद अधिक शक्तिशाली होने लगे। उन्होंने समीपवर्ती जनपदों पर अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया और अपने मूल जनपद में अधिक प्रदेश अपने साथ में जोड़ लिया। ये 'महाजनपद' कहलाने लगे।

बौद्ध साहित्य में जगह-जगह पर सोलह महाजनपदों का उल्लेख आता है। प्रतीत होता है, कि महात्मा बुद्ध के समय में सोलह जनपद बहुत महत्वपूर्ण व प्रमुख हो गये थे, और उन्हें महाजनपद कहा जाता था। इस काल के इतिहास को स्पष्ट करने के लिये इनका संक्षेप से उल्लेख करना आवश्यक है। ये सोलह महाजनपद निम्नलिखित थे :—

(१) अंग—यह मगध के ठोक पूर्व में था। मगध और अंग के बीच में चम्पा नदी बहती थी, जो इन दोनों महाजनपदों को एक दूसरे से पृथक् करती थी। अंग को राजधानी का नाम भी चम्पा था। बौद्ध काल में चम्पा को भारत

के सबसे बड़े छः नगरों में से एक गिना जाता था। शेष पाँच नगर राजगृह, भावस्ती, साकेत, कोशाम्बी और वाराणसी थे। चम्पा पूर्वी व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र थी। चम्पानदी और गंगा के जल-मार्गों द्वारा बहुत से व्यापारी यहाँ से सुवर्ण भूमि (पेगू और मालदीव) आया जाया करते थे। अंग और मगध में निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। महात्मा बुद्ध के समय में अंग मगध के अधीन हो चुका था।

(२) मगध—इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। बाहद्वय और पुलक के वंशों का अन्त होने पर, बुद्ध के समय में अशोक विन्धिसार मगध के राजा थे।

(३) काशी—इसकी राजधानी वाराणसी (बनारस) थी। अनेक जातक कथाओं से सूचित होता है, कि यह वाराणसी बौद्ध काल में भारत की सबसे बड़ी नगरी थी। एक ग्रन्थ के अनुसार इसका विस्तार बारह योजन था।

(४) कोशल—इसकी राजधानी भावस्ती थी। यह अचिरावती (रापती) नदी के तट पर स्थित थी। कोशल देश का दूसरी प्रसिद्ध नगरी साकेत (अयोध्या) थी। कोशल जनपद के पश्चिम में पंचाल जनपद, पूर्व में सदानीरा (गण्डक) नदी, उत्तर में नैपाल की पर्वतमाला और दक्षिण में स्यन्दिका नदी थी। आधुनिक समय का अवध प्रान्त प्रायः वही है, जो प्राचीन समय में कोशल था। इसमें ऐश्वकाव वंश के क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। इनकी वंशावली पुराणों में अविकल रूप से दी गई है। महात्मा बुद्ध के समय में कोशल की राज-गद्दी पर राजा विरुदक (विट्ठभ) विराजमान थे।

(५) वृजि वा वज्जि—यह एक संघ का नाम था, जिसमें आठ गणराज्य सम्मिलित थे। इन आठ गणों में विदेह,

लिच्छवि और ज्ञातुकगण सबसे मुख्य हैं। सारे वज्जि-संघ की राजधानी वैशाली थी। वर्तमान समय के बिहार प्रान्त में गंगा से उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो उत्तरीबिहार का प्रदेश है, उसे तिरहुत कहते हैं। वज्जि-संघ की स्थिति वही पर थी। वज्जि-संघ में सम्मिलित आठों गण पृथक्-पृथक् जन-पद थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी। ज्ञातुकगण की राजधानी कुण्डग्राम थी। जैनधर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर का प्रादुर्भाव वही पर हुआ था। लिच्छवि गण की राजधानी वैशाली थी। यह वैशाली सम्पूर्ण वज्जि-संघ की भी राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के समय में यह वज्जि-संघ अत्यन्त शक्ति-शाली और समृद्ध था। महात्मा बुद्ध ने अनेक जगह इसे आदर्श के रूप में उपस्थित किया है।

(६) मल्ल—यह महाजनपद भी एक संघ के रूप में था, जिसमें दो गण सम्मिलित थे—कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। यह संघ वज्जि-संघ के ठीक पश्चिम में था। आजकल का गोरखपुर जिला जहाँ है, वहाँ ही प्राचीन काल में मल्ल महाजनपद की स्थिति थी।

(७) वत्स—इसकी राजधानी कोशम्बी थी। इस नगरी के अवशेष इलाहाबाद जिले में यमुना के किनारे कोसम गाँव में उपलब्ध हुए हैं। बौद्ध-काल में वत्स बहुत ही शक्तिशाली था। वहाँ का राजा उदयन अपने समय का सबसे प्रतापी व प्रसिद्ध राजा हुआ है। संस्कृत-साहित्य उसकी कथाओं से परि-पूर्ण है।

(८) चौद—वर्तमान समय का कुन्नेजखंड प्राचीन चेदि राज्य को सूचित करता है। इसकी राजधानी शुक्तिमती नगरी थी, जो शुक्तिमती (केन) नदी के तट पर स्थित थी।

(६) पंचाल—यह कोशल और वत्स के पश्चिम में तथा चोदि के उत्तर में स्थित था। प्राचीन समय में पंचाल दो राज्यों में विभक्त था—उत्तर-पंचाल व दक्षिण-पंचाल। वर्तमान समय का झेलखण्ड उत्तर पंचाल को तथा कानपुर व फर्रुखाबाद के जिले दक्षिण पंचाल को सूचित करते हैं। उत्तर-पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण-पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी।

(१०) कुरु—इस महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। यह नगर वर्तमान दिल्ली के समीप यमुना के तट पर स्थित था। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र और दिल्ली के प्रदेश इस जनपद के अन्तर्गत थे।

(११) मत्स्य—इसकी राजधानी विराट नगर या वैराट थी, जो वर्तमान समय की जबपुर रियासत में स्थित है। मत्स्य महाजनपद यमुना के पश्चिम में तथा कुरु के दक्षिण में स्थित था।

(१२) शूरसेन—इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत के समय में यह प्रसिद्ध अन्धक वृष्णि सभ का केन्द्र था। बौद्ध साहित्य में शूरसेन के राजा अवन्तिपुत्र का उल्लेख मिलता है, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था।

(१३) अश्मक—यह राज्य गोदावरी नदी के समीपवर्ती प्रदेश में था। इसकी राजधानी पोतन या पोतलि थी।

(१४) अवन्ति—चोदि के दक्षिण-पश्चिम में, जहाँ अजमालवा का प्रदेश है, प्राचीन समय में अवन्ति का महाजनपद था। इसकी राजधानी उज्जैन थी। बौद्धकाल में यह राज्य बहुत शक्तिशाली था। महात्मा बुद्ध के समय में अवन्ति का राजा चण्ड प्रयात था, जो वत्सराज उद्वन को जीत कर

अपना साम्राज्य बढ़ाने में तत्पर था, और जिसके भय से ही मगधराज अजातशत्रु ने राजगृह की किलाबन्दी की थी।

(१५) गान्धार—इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो उस समय भारत में विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र थी। रावल पिंडी, पेशावर, काश्मीर तथा हिन्दूकुश पर्वतमाला तक फैले हुए पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेश इस महाजनपद में सम्मिलित थे। महात्मा बुद्ध के समय में इनका राजा पुत्रकुमारती था, जिसने मगधराज बिम्बिसार के पास एक वृत्तमण्डल भेजा था।

(१६) कम्बोज—गान्धार के परे उत्तर में पामीर का प्रदेश तथा उससे भी परे बदर्शा का प्रदेश कम्बोज महाजनपद कहलाता था। कम्बोज में इस काल में भी गणराज्य स्थापित था।

इन सोलह महाजनपदों के अतिरिक्त, उस समय भारत में अन्य भी बहुत से जनपद स्वतन्त्र रूप से विद्यमान थे। कोशल के उत्तर और मल्ल के पश्चिमोत्तर में (आधुनिक नेपाल की तराई में) शाक्य जनपद था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का प्राटुभावं हुआ था। शाक्यगण के पड़ोस में ही कोलिय गण (राजधानी-राजग्राम), मौरियगण (राजधानी-पिप्पलिवन), युल्लिगण (राजधानी-अज्जकप्य) भगगण (राजधानी-सूसुमार) और कालाम गण (राजधानी-केसपुत्त) की स्थिति थी।

गान्धार, कुरु तथा मत्स्य के बीच केकय, मद्रक, जिगत और चौधेय जनपद थे। और अधिक दक्षिण में सिन्धु, शिषि, अन्यत्र और सौवीर आदि जनपद थे।

पर धीरे-धीरे साहित्य में सोलह महाजनपदों का जिस प्रकार धार-धार उल्लेख आता है उससे प्रतीत होता है, कि उस समय में ये सब अन्य जनपद अपने पड़ोसी शक्तिशाली महाजन-

पदों की किसी न किसी रूप में अधीनता स्वीकार करते थे। अक्सर बात तो यह है कि उस समय में इन सोलह जनपदों में भी मगध, वत्स, कोशल और अश्वत्थि—ये चार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। ये जहाँ अपने समीपवर्ती राज्यों को जीतकर अपने अधीन करने की कोशिश में थे, वहाँ आपस में भी इनमें घनघोर संघर्ष का प्रारम्भ हो चुका था।

(२) श्रेणिय विम्बिसार

श्रेणिवल के सेनानी भद्रिय ने राजा बालक के विरुद्ध पद्म्यन्त्र कर उसे मार डाला और अपने लड़के विम्बिसार को राजगद्दी पर बिठाया, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। सम्भवतः, इसी राजा बालक का दूसरा नाम कुमारसेन भी था। महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित में इस पद्म्यन्त्र का निर्देश किया है। महाकाली के मेलमें महामांस की बिक्री के कारण जो भूतना उठ खड़ा हुआ था, उसकी गड़बड़ से फायदा उठाकर श्रेणिय भद्रिय की श्रेणिया से तालबल नाम के एक बेताल सैनिक ने इस राजा कुमारसेन पर अचानक हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। बाणभट्ट ने कुमारसेन को 'जघन्यज' लिखा है। यह स्पष्ट है, कि पुलिक या पुलिक के वंशज शुद्ध आर्यकुल के न होकर नीच व आर्यभिन्न कुल के थे। इस समय मगध में आर्यभिन्न सैनिक श्रेणियों की प्रचलता थी, और उनके साहसी नेता मगध के सिंहासन की गद्दी की तरह उल्लास रहे थे। बाहर्द्ध्रि विपुत्रय को 'जघन्यज' पुलिक, ने मारा और उसके बेटे बालक व कुमारसेन को भद्रिय ने मरवा दिया।

विम्बिसार बहुत शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी राजा था। उसका विवाह कोशल देश की राजकुमारी, महाकोशल की कन्या कोशलदेवी के साथ हुआ था। इसी विवाह में दहेज में

'महान बुद्ध मूल्य' के रूप में काशी जनपद का एक प्रदेश, जिसकी आमदनी एक लाख वार्षिक थी, विम्बिसार को प्राप्त हुआ था। कोशल के साथ वैवाहिक सम्बन्ध के स्थापित हो जाने से मगध को इस परिचयी शक्तिशाली राज्य से कोई भय नहीं रह गया था, और वह निश्चित रूप से पूर्व की तरफ साम्राज्य-विस्तार के लिये प्रयत्न कर सकता था। राजा विम्बिसार ने अंग महाजनपद के राजा जददत्त के ऊपर आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया। इस समय से कुछ पहले वत्स महाजनपद का राजा शतानीक (उदयन का पिता) अंग देश को अपनी अधीनता में ला चुका था। ऐसा प्रतीत होता है, कि वत्स अंग को देर तक अपने अधीन नहीं रख सका। अक्सर पाते ही अंग स्वाधीन हो गया। पर उसकी स्वतंत्रता देर तक कायम नहीं रह सकी, और अन्त में वह मगध के साम्राज्यवाद का शिकार हो गया। राजा विम्बिसार अंगराज से अधीनता स्वीकृत कराके ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु वहाँ के राजा जददत्त की मार कर अंग को पूर्णतया मगध साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया गया। इस प्रकार अंग का वह शक्तिशाली महाजनपद, जो किसी समय बहुत बलशाली था और जो किसी समय मगध को भी अपनी अधीनता में रख चुका था, अन्त में नष्ट हो गया। अंग को जीतने से मगध की शक्ति बहुत बढ़ गई। काशी का कुछ प्रदेश उसे पहले ही से प्राप्त हो गया था, अब अंग को अधिगत कर लेने से वह अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्य बन गया और साम्राज्य-विस्तार के उस संघर्ष में प्रवृत्त हुआ, जिसका उग्ररूप हम अजातशत्रु के शासन में देखेंगे।

मगध की पुरानी राजधानी गिरिजानगर थी। पर वह नगर गंगा के उत्तर में विश्वामान वज्जिसंघ के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था। इस पर निरन्तर वज्जियों के आक्रमण होते थे। रहते

इन्हीं के कारण गिरिजत्र में एक बार भारी आग लग गई थी बिम्बिसार ने गिरिजत्र के उत्तर में थोड़ा सा हट कर, एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नाम राजगृह था। राज गृह के राजप्रासादों का निर्माण महागोविंद नाम के भवन निर्माणकला के प्रसिद्ध विशेषज्ञ द्वारा किया गया था। राजगृह को एक दुर्ग के रूप में बनाया गया था, ताकि बलिजियों के आक्रमणों का वहाँ से भलो-भाँति मुकाबला किया जासके। जिस उद्देश्य से राजगृह की स्थापना की गई थी, वह सफल हुआ। कुछ समय बाद बलिजियों के आक्रमण बन्द हो गये और बलिज-संघ तथा मगध की सन्धि को स्थिर करने के लिये उनमें वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया गया। बलिजकुमारी चेल्लना का विवाह बिम्बिसार के साथ कर दिया गया।

बिम्बिसार बड़ा शक्तिशाली राजा था। बौद्ध ग्रन्थ महावग्ग में लिखा है कि उसकी अधीनता में ८०,००० ग्राम थे, जिनके आधिक उसकी राजसभा में एकत्र हुआ करते थे। एक अन्य स्थान पर बौद्ध-साहित्य में उसके राज्य का विस्तार ३०० योजन लिखा गया है।

बिम्बिसार बड़े वैभव के साथ मगध का शासन करता था। महावग्ग के अनुसार उसकी सन्धियों की संख्या ५०० थी। इस विषय में बौद्ध लेखक ने यदि अतिशयोक्ति भी की हो, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि उसका अन्तःपुर बहुत बड़ा था। उसके बहुत से पुत्रों के नाम प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति में मिलते हैं। अजातशत्रु, दशक, अभय, शीलवन्त और विमल इनमें प्रमुख हैं।

महात्मा बुद्ध राजा विन्धिसार के समकालीन थे। अपने धर्मचक्र का प्रवर्तन करते हुये महात्मा बुद्ध कई बार मगध आये और विन्धिसार से उनकी भेंट हुई। विन्धिसार के हृदय में बुद्ध के लिये बहुत आवर था।

प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक भी राजा विन्धिसार के समय में ही हुआ। यह शालवती नाम की वेश्या का पुत्र था, और पैदा होते ही माता ने इसका परित्याग कर दिया था। कुमार अभय (विन्धिसार के अन्यतम पुत्र) ने उसे अपना लिये और पाल-पोस कर बड़ा किया। जीवक को अत्यन्त पन्थ शिक्षा दी गई और उसे पढ़ने के लिये तक्षशिला भेज दिया गया। तक्षशिला में जीवक ने आयुर्वेद शास्त्र की कौमारभृत्य शाखा में विशेष निपुणता प्राप्त की। विद्याध्ययन समाप्त कर जीवक मगध वापिस लौटा और आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध वैद्य बना। जीवक के चिकित्सा-सम्बन्धी चमत्कारों का उल्लेख अनेक स्थानों पर बौद्ध-साहित्य में किया गया है।

विन्धिसार १५ वर्ष की आयु में मगध का राजा बना था। ६७ वर्ष की आयु तक कुल ५२ वर्ष उसने राज्य किया। उसके बड़े लड़के का नाम दशक था। पिता के बुढ़ हो जाने पर सारा राज्य-कार्य दशक के ही हाथ में आ गया था। यही कारण है, कि अनेक प्राचीन ग्रन्थों में विन्धिसार का शासन काल २० वर्ष और दशक का २५ वर्ष लिखा गया है। पर दशक ने जो भी राज्य किया, वह अपने पिता के जीवन-काल में ही किया बाद में नहीं; क्योंकि विन्धिसार के बाद मगध के राजसिंहासन पर अजातशत्रु आस्य हुआ था और उसने अपने पिता को हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी।

(३) अज्ञातशत्रु

राजा बिम्बिसार ने अपने शासन के अन्तिम वर्षों में अज्ञातशत्रु को चम्पा (अंग जनपद) का शासक नियत किया था। मगध में शासन कार्य अज्ञातशत्रु के बड़े भाई दर्शक के हाथ में था। ऐसा प्रतीत होता है, कि बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य के दोनों महाजनपदों (मगध और अंग) को अपने इन दोनों पुत्रों (दर्शक और अज्ञातशत्रु) के सुपुर्द कर दिया था। पर अज्ञातशत्रु केवल अंग से ही संतुष्ट नहीं हुआ। वह संपूर्ण मगध साम्राज्य का स्वामी होना चाहता था। इसलिये उसने अपने पिता बिम्बिसार को मार कर स्वयं राज्य प्राप्त करने का उद्योग किया। बौद्ध साहित्य में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया गया है :—

देवदत्त ने अज्ञातशत्रु के साथ मिलकर यह षड्यंत्र किया कि राजा बिम्बिसार को मार कर वह राजगद्दी प्राप्त कर ले। देवदत्त ने कुमार अज्ञातशत्रु से कहा—कुमार ! पहले मनुष्य दीर्घायु होते थे, अब वे अल्पायु होते हैं। हो सकता है, कि कुमार कहलाते हुए ही तुम्हारी मृत्यु हो जाय। इसलिये कुमार ! तुम अपने पिता को मार कर स्वयं राजा बन जाओ।

तब कुमार अज्ञातशत्रु जाँच से छुरा बाँध कर भीत उद्दिग्ध शक्ति, मस्त (की तरह) मध्याह्न में सहसा अन्तःपुर में प्रविष्ट हुआ। अन्तःपुर के उपचारकार (रक्षक) महामानव्यों ने अज्ञातशत्रु को अन्तःपुर में प्रविष्ट होते देखा। दत्त कर उसे पकड़ लिया। फिर कुमार से कहा—

‘कुमार ! तुम क्या करना चाहते थे ?’

‘पिता को मारना चाहता था।’

‘तुम्हें इस कार्य के लिये किसने प्रेरणा दी थी ?’

‘आप देवदत्त ने।’

सब से महामात्य अज्ञातशत्रु को ले, जहाँ मागध राजा बिम्बिसार विन्बिसार था, वहाँ गये। जाकर राजा को सब बात सुनाई। तब राजा ने कुमार अज्ञातशत्रु से कहा—

‘कुमार ! तू मुझे किस लिए मारना चाहता था ?’

‘देव ! मैं राज्य चाहता हूँ !’

‘कुमार ! यदि तू राज्य चाहता है, तो यह राज्य तेरा है !’

बिम्बिसार ने अज्ञातशत्रु को चम्पा का राज्य दे दिया। पर वहाँ देवदत्त के साथ मिलकर अज्ञातशत्रु ने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू किया, लोगों को सम्पत्ति लूटनी प्रारम्भ की। जनता ने राजा बिम्बिसार से शिकायत की।

बिम्बिसार ने सोचा कि यदि अज्ञातशत्रु को अधिक विरहृत राज्य दे दिया जायगा, तो वह अत्याचार करना बन्द कर देगा। इसलिए उसने राजधानी राजगृह को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण मागध जनपद भी अज्ञातशत्रु को दे दिया। पर इससे भी उसके अत्याचारों में कमी नहीं आई। इस पर राजा ने राजगृह भी अज्ञातशत्रु को दे दिया। केवल खजाने पर ही अपना अधिकार शेष रखे। इस पर देवदत्त ने अज्ञातशत्रु को समझाया कि जिसके पास खजाना होता है, वही असली राजा होता है। इसलिये बिम्बिसार को विवश किया गया कि वह खजाना भी अज्ञातशत्रु के सुपुर्दे कर दे। बिम्बिसार ने यह भी स्वीकार कर लिया, पर साथ ही अपने पुत्र पर इस बात के लिये खोर दिया कि वह देवदत्त का साथ छोड़ दे। इस बात से अज्ञातशत्रु बहुत नाराज हुआ और अपने पिता को कैद में बाल दिवा। उसने बिम्बिसार को भोजन देना बन्द कर दिया, ताकि वह भूख से तड़प-तड़प कर मर जावे। बिम्बिसार से मिलने के लिए केवल एक व्यक्ति को इजाजत दी जाती थी। वह

थी उसकी रानी और अजातशत्रु की माता वैदेही। वह छिप कर विन्धिसार के लिए एक कठोर में भोजन ले जाती थी। जब यह बात अजातशत्रु को मालूम हुई, तो उसने रानी को मारने की धमकी दे यह करने से रोक दिया। परन्तु वैदेही अपने शरीर पर एक ऐसा चूर्ण मल लानी थी, जो पीपक था। इस प्रकार राजा विन्धिसार कुछ समय तक और जीवित रह सका। पर जब अजातशत्रु को यह बात मालूम हुई, तो उसने रानी वैदेही का विन्धिसार से मिलना ही बिलकुल बन्द कर दिया। विन्धिसार महात्मा बुद्ध का श्रद्धालु भक्त था। बुद्ध ने गृध्रकूट पर्वत पर एक ऐसे स्थान पर आसन जमाया, जहाँ से विन्धिसार सिङ्की के रास्ते बुद्ध का दर्शन करता रह सकता था। बुद्ध के दर्शन-मात्र से ही उसका जीवन कायम रहा। पर जब अजातशत्रु को यह बात मालूम हुई, तो उसने उस सिङ्की को भी बन्द करा दिया।

इसी समय की बात है, कि अजातशत्रु के लड़के उदासीभद्र को उंगली में एक फोड़ा निकल आया। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा। अजातशत्रु ने उसे गोदी में उठा लिया और उसे पुचकारने का प्रयत्न करने लगा। फिर उसने फोड़े वाली उंगली को मुँह में ले उसे चूमना शुरू किया। इससे वह फोड़ा फट गया और उदासीभद्र को चैन पड़ गई। ठीक इसी समय रानी वैदेही वहाँ आ पहुँची और अजातशत्रु को इस दशा में देख उससे कहा—“तेरे पिता ने भी तेरे लिये एक दिन ठीक इसी प्रकार किया था।” यह सुनते ही अजातशत्रु की धारिणी लुल गई। उसे स्थान आया कि वह अपने पिता के साथ कितना अनूचित व्यवहार कर रहा है। उसने सोचा, यदि मेरे पिता अब भी जीवित हों, तो कितना उत्तम हो। उसने चिल्ला कर कहा—आह! यदि कोई आदमी मुझे बता सके कि मेरे बुद्ध

पिता अब भी जीवित हैं, तो उसे मैं अपना सारा राज्य देने को तैयार हूँ। वह सुनते ही लोग कारागार की तरफ भाग पड़े। बिम्बिसार बहुत बूढ़ा था, इतने दिनों के अनशन के कारण उसका शरीर मृतप्राय हो गया था। जब उसने बाहर शोर सुना, तो समझा कि अज्ञातशत्रु ने उसे कोई नई व्यवधा देने की व्यवस्था की है इसे वह नहीं सह सका और उसके प्राण शरीर को छोड़ गये।

इस प्रकार परमप्रतापी अंग-विजेता सैनिक श्रेणि के नेता महाराज बिम्बिसार की मृत्यु हुई। अज्ञातशत्रु के अन्य भाई उसके भय के मारे बौद्ध भिक्षु बन गये। न केवल शीलवन्त, विमल आदि छोटे भाइयों ने ही भिक्षुवृत्ति स्वीकार की, पर कुमार दशक, जो बिम्बिसार के पिछले रथ वर्षों में राजगृह का शासक रहा था और अज्ञातशत्रु का बड़ा भाई था, अपने उद्वेग महात्माकाशी भाई के भय से बौद्धभिक्षु बन गया।

इसमें संश्रेह नहीं कि राज्य-प्राप्ति-के परचान् अज्ञातशत्रु को अपने काय पर बहुत परचात्ताप हुआ। बौद्ध ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर उसके परचात्ताप का उल्लेख है। जैन लेखक हेमचन्द्र ने लिखा है, कि अज्ञातशत्रु को अपने पिता की मृत्यु पर इतना दुःख हुआ कि वह राजगृह में रह नहीं सका और उसने अपनी राजधानी राजगृह से पारवर्तित कर चम्पा बना ली।

राजगृह पर आधिकार कर लेने के अनन्तर अज्ञातशत्रु से अन्य राज्यों के साथ युद्धों का प्रारम्भ हुआ। पहला युद्ध कोशल महाजनपद के साथ हुआ। वहाँ इस समय राजा प्रसेनजित का राज्य था। यह अज्ञातशत्रु का मामा था। अपने मामा के साथ अज्ञातशत्रु के युद्ध का कारण यह था, कि राजा बिम्बिसार को वैदेही कोशल देवी के विवाह के अवसर पर 'निहान युद्ध' मुख्य

के रूप में कारी का जो प्रदेश एहेंज में दिया गया था, उस पर अब कोशल के राजा ने फिर अपना अधिकार कर लिया था। अपने पति के वियोग में रानी कोशलदेवी का स्वर्गवास हो चुका था। अतः प्रसेनजित् चाहता था कि कारी जनपद का वह प्रदेश पिप्पिताओं अजातशत्रु के पास न रहने पावे। इसी प्रयत्न पर मगध और कोशल में युद्ध का प्रारम्भ हुआ।

अजातशत्रु नवयुवक था और बड़ा महत्वाकांक्षी व उदंड धीर था। दूसरी ओर प्रसेनजित् बृद्ध हो चुका था। पहले अनेक युद्धों में कोशल की निरन्तर पराजय होती रही। प्रसेनजित् अपनी पराजयों से बहुत चिन्तित था। एक दिन उसने अपने दरबारियों के सम्मुख इस समस्या को उपस्थित किया। उन्होंने कहा, बौद्ध भिक्षुओं से इस समस्या का हल पूछना चाहिये। राजा ने कुछ लोगों को भिक्षुओं की बातें सुनने के लिए नियत कर दिया। दो भिक्षु आपस में मगध और कोशल के युद्ध की चर्चा कर रहे थे। राजा प्रसेनजित् के भेजे हुए दूत इनकी बातों का ध्यान से सुनने लगे। बातें चलते हुए उन भिक्षुओं में से एक ने कहा, यदि प्रसेनजित् मगध को परास्त करना चाहता है, तो उसे शकटव्यूह बनाकर युद्ध करना चाहिये। दूतोंने यह बात प्रसेनजित् तक पहुँचा दी। उसने यही किया। एक बार फिर सेना एकत्र की गई। सेना को शकटव्यूह की पद्धति से संगठित किया गया। इस बार अजातशत्रु परास्त हो गया। वह केवल परास्त ही नहीं हुआ, अपितु प्रसेनजित् के हाथ में कैद भी हो गया।

वद्यपि अन्त में प्रसेनजित् अजातशत्रु को परास्त करने में समर्थ हुआ, पर मगध की शक्त का उसे भली-भाँति परिज्ञान हो गया था। उसने यही उचित समझा कि अजातशत्रु के साथ

सन्धि कर ली जावे और इस सन्धि को स्थिर रखने के लिये अपनी कन्या बजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया जावे। जिस प्रकार कोशल देवी के विजिसंघ के साथ विवाह के समय काशी का वह एक लाख वार्षिक आमदनी का प्रदेश दहेज में 'नहानचुन्न मूल्य' के रूप में प्रदान किया गया था, वैसे ही अब फिर बजिरा के विवाह में वही प्रदेश उसी रूप में फिर दे दिया गया। इस प्रकार काशी का वह प्रदेश मागध साम्राज्य में ही शामिल रहा।

कोशल के साथ सन्धि हो जाने के अनन्तर, अजातशत्रु ने गंगा के उत्तर में विद्यमान वजिसंघ पर आक्रमण करने का विचार किया। वजिसंघ बड़ा शक्तिशाली जनपद था, जिसमें आठ गण सम्मिलित थे। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार मगध और वजिज जनपदों के इस युद्ध का तात्कालिक कारण निम्नलिखित था। वजिज और मगध के बीच में गंगा नदी बहती थी, जो इनके बीच की सीमा का काम देती थी। गङ्गा के तट पर एक बन्दरगाह था, जो एक भील लम्बा था। आधा बन्दरगाह वजिजियों के अधिकार में था और आधा मगध के। इस बन्दरगाह के समीप ही एक पर्वत था, जिसके आंचल में बहुमूल्य स्वनिज पदार्थों की एक खान थी। इस खान पर भी दोनों जनपदों का अधिकार समभक्त जाता था। पर दो वर्षों से केवल वजिज लोग इस खान का उपयोग कर रहे थे। मगध को इसका कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था। अजातशत्रु इसे सहन नहीं कर सका और उसने युद्ध द्वारा वजिजियों को परास्त करने का निश्चय किया। वजिजियों पर आक्रमण करने का मूल कारण तो मगध की साम्राज्य-लिप्सा ही थी।

वजिज जनपद को किस प्रकार मगध के साम्राज्यवाद ने अपना शिकार बनाया, इसका वृत्तान्त बड़ा मनोरंजक व उपरोक्षी है। इसके

महापरिनिम्बान मुक्त के आधार पर इस वृत्तान्त का वहाँ उल्लेख करते हैं :—

“ऐसा मैंने सुना । एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर विहार करते थे ।

उस समय राजा मगध वैदेहीपुत्र अजातशत्रु बज्जि पर धर चढ़ाई करना चाहता था । वह ऐसा कहता था— मैं इन वैभवशाली महानुभाव बज्जियों को वञ्छित करूँगा, बज्जियों का विनाश करूँगा, उन पर आकत ढाऊँगा ।

तब अजातशत्रु ने मगध के महामन्त्री बर्षकार ब्राह्मण को कहा— आओ ब्राह्मण ! जहाँ भगवान हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचन से भगवान के पैरों में सिर से वन्दना करो । आरोग्य, अल्प आतंक, लघु उत्थान, मुख विहार पूछो और यह कहो— भगवान् ! राजा अजातशत्रु बज्जियों पर चढ़ाई करना चाहता है । वह ऐसा कहता है, ‘मैं इन बज्जियों को वञ्छित करूँगा’ । भगवान् तुम्हें जैसा वचन दे, उसे समझ कर मुझे कहो । तथागत अथवाध्वं बात नहीं कह सकते ।

‘अच्छा’ कह कर ब्राह्मण बर्षकार बहुत अच्छे यान पर आरूढ़ हो राजगृह से निकला और गृध्रकूट पर जहाँ भगवान थे, वहाँ गया । जाकर भगवान के साथ संमोदन कर एक ओर बैठा और एक ओर बैठ कर राजा अजातशत्रु का संदेश भगवान को सुना दिया ।

उस समय आयुष्मान् आनन्द भगवान के पीछे खड़े होकर भगवान को पंखा मल रहे थे । तब आयुष्मान् आनन्द को आमंत्रित कर भगवान ने कहा—

‘आनन्द ! क्या तूने सुना है, बज्जि लोग बराबर सभा में एकत्रित होने वाले हैं ?’

'हाँ, भगवन् ! मैंने सुना है ।'

'आनन्द ! जब तक वज्रिज एक साथ एकत्र होकर बहुरा अपनी सभाये' करते रहेंगे, तब तक आनन्द ! वज्रियों की वृद्धि ही समझना, हानि नहीं ।

'क्या आनन्द ! तूने सुना है, कि वज्रिज लोग एक हो बैठक करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं और एक हो राजकीय कार्य की देखभाल करते हैं ?'

'हाँ, भगवन् ! मैंने सुना है ।'

'आनन्द ! जब तक वज्रिज लोग एक हो बैठक करते रहेंगे, एक हो उत्थान करते रहेंगे, और एक हो राजकीय कार्य की देखभाल करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही समझना, हानि नहीं ।'

'क्या आनन्द ! तूने सुना है, कि वज्रिज लोग, जो अपने राज्य में विहित है, उसका उल्लंघन नहीं करते, जो विहित नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करते; और पुराने समय से वज्रियों में जो नियम चले आ रहे हैं, उनका पालन करते हैं ?'

'हाँ, भगवन् ! मैंने सुना है ।'

'आनन्द ! जब तक वज्रिज लोग जो अपने राज्य में विहित है, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, जो पुराने समय से वज्रियों में नियम चले आ रहे हैं, उनका पालन करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं ।'

'क्या आनन्द ! तूने सुना है, वज्रियों के वृद्ध (महल्लक) नेता हैं, उनका वे सत्कार करते हैं, उन्हें वे बड़ा मान कर उनकी पूजा करते हैं, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझते हैं ?'

'हाँ, भगवन् ! मैंने सुना है ।'

‘आनन्द ! जब तक बज्जियों में वृद्ध (महल्लक) नेता रहेंगे, उनका वे सत्कार करते रहेंगे, उन्हें वे बड़ा मानकर उनकी पूजा करते रहेंगे, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं ।’

तब भगवान ने ब्राह्मण वर्षकार को सम्बोधन करके कहा—
‘ब्राह्मण ! एक समय मैं वैशाली के सारदन्द चैत्य में विहार करता था । वहाँ मैंने बज्जियों को ये सात अपरिहाणीय धर्म कहे थे । जब तक, ब्राह्मण ! ये सात अपरिहाणीय धर्म बज्जियों में रहेंगे, इन सात अपरिहाणीय धर्मों में बज्जि लोग दिखाई पड़ेंगे, तब तक ब्राह्मण ! बज्जियों की वृद्धि ही सम्भन्ता, हानि नहीं ।’

ऐसा कहने पर ब्राह्मण वर्षकार भगवान से बोला—हे गौतम ! एक भी अपरिहाणीय धर्म से बज्जियों की वृद्धि ही सम्भन्ती होगी, सात अपरिहाणीय धर्मों की तो बात ही क्या ? हे गौतम ! राजा अजातशत्रु को उपलाय (रिश्वत) या आपस में फूट डलवा कर युद्ध करना ठीक नहीं । हे गौतम ! अब हम जाते हैं । हमें बहुत काम करने हैं ।

तब मगध का महामात्य ब्राह्मण वर्षकार भगवान को अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर आसन से उठ कर चला आया ।

इससे आगे का वृत्तान्त अष्टकथा में इस प्रकार लिखा गया है—

वर्षकार ब्राह्मण राजा अजातशत्रु के पास गया । राजा ने उससे पूछा,—‘आचार्य ! भगवान ने क्या कहा ?’ उसने उत्तर दिया, अमण गौतम के कथनानुसार तो बज्जियों को किसी प्रकार भी परास्त नहीं किया जा सकता । हाँ उपलाय (रिश्वत) और आपस में फूट डालने से लिया जा सकता है ।’

‘तब राजाने कहा—‘रिश्वत से हमारे हाथी, घोड़े और कोप का नारा हागा। भेद का ही प्रयोग करना चाहिये। यह कैसे किया जावेगा ?

वर्षकार ने उत्तर दिया—‘तो महाराज ! तुम परिषद् में बज्रियों की बात उठाओ। तब मैं कहूँगा, महाराज। तुम्हें उनसे क्या है ? इन राजाओं (बज्रिगण के राज सभासद) को कृषि और वाणिज्य करने दो।’ तब तुम कहना—‘क्यों जी ! यह ब्राह्मण बज्रियों के सम्बन्ध में की जाने वाली बात में रुकावट डालता है।’ उसी दिन मैं उन (बज्रियों) के लिये भेद उपहार भेजूँगा। उसे पकड़ कर मुझ पर दोषारोपण कर, बन्धन, ताड़न आदि न कर, घुरे से मुँडन करा मुझे नगर से बाहर निकाल देना। तब मैं कहूँगा—मैंने तेरे नगर में प्राकार और परिषदा बनवाई हैं; मैं इनके कमजोर स्थानों को जानता हूँ, अब जल्दी तुम्हें सीधा करूँगा। ऐसा सुन कर तुम कहना—बेशक, तुम जाओ।

राजा अज्ञातरात्रु ने यही सब किया। बज्रियों ने वर्षकार के निकाले जाने की बात सुनकर कहा, ‘यह ब्राह्मण मायावी शठ है, इसे गंगा न उतरने दो।’ पर दूसरे बज्रियों की सम्मति इससे मिली थी। उन्होंने कहा—‘इस ब्राह्मण को हमारा पक्ष लेने के कारण ही तो भगध से निकाला गया है, अतः इसे आने देना चाहिये।’ बज्रियों ने ब्राह्मण वर्षकार से पूछा—‘तुम किस लिये यहाँ आए हो ?’ उसने सब हाल सुना दिया। बज्रियों ने कहा—‘इस छोटी सी बात के लिये इतना भारी दण्ड देना उपयुक्त नहीं था। फिर उन्होंने पूछा—‘भगध में तुम्हारा क्या पद था ? वर्षकार ने कहा—‘मैं वहाँ विनिश्चय महामात्र था। बज्रियों ने निश्चय किया, वहाँ भी वर्षकार का यही पद रहे। वर्षकार वैशाली में निवास करने लगा। वह बड़ी सुन्दर रीति से न्याय कार्य करता था। राजकुमार उसके पास विद्याभ्रष्टण करते थे।

धीरे-धीरे ब्राह्मण वर्णकार की वैशाली भर में धाक जम गई । अपने गुणों के कारण सब उसकी प्रतिष्ठा करने लगे । अब उसने अपना असली कार्य प्रारम्भ किया । उसने एक लिच्छवि को एकान्त में ले जाकर पूछा—‘आप बहुत गरीब हैं न ?’ उसने कहा—‘आप से यह बात किसने कही !’ ‘अमुक लिच्छवि ने !’ इसी प्रकार दूसरे लिच्छवि से वर्णकार ने कहा—‘तुम कायर हो क्या ?’ ‘किसने कहा !’ ‘अमुक लिच्छवि ने !’ इसी प्रकार मूठ-मूठ एक दूसरे के नाम से बातें कह कर वर्णकार ने उन लिच्छवि राजाओं में तीन वर्ष के अन्दर ऐसी फूट डाल दी, कि दो लिच्छवि राजा एक रास्ते पर भी नहीं जाते थे । हम पहले लिख चुके हैं कि लिच्छविगण वैज्ज जनपद में सब से अधिक शक्तिशाली था । जब वर्णकार को विश्वास हो गया, कि अब लिच्छवियों में भली-भाँति फूट पड़ गई है, तब उसने राजा अजातशत्रु के पास जल्दी ही आक्रमण करने के लिये स्वर भेजी । अजातशत्रु ने रणभेरी बजाई और युद्ध के लिये चल पड़ा । जब वैशाली-निवासियों ने देखा कि अजातशत्रु आक्रमण करने आ रहा है, तो उन्होंने भी रणभेरी बजाई और कहा—‘आओ चलें, राजा अजातशत्रु को गंगा के पार न उतरने दें । पर भेरी सुन कर भी लिच्छवि लोग जमा नहीं हुए । तब दुबारा भेरी बजाई गई, कि राजा को नगर में घुसने न दें; नगरद्वार बन्द करके अजातशत्रु का मुकाबला करें । पर अब भी कोई जमा नहीं हुआ । राजा अजातशत्रु खुले द्वारों से ही घुस कर सब को तबाह करके चला गया ।

बौद्ध साहित्य के इस विवरण पर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है । निस्सन्देह, वैज्ज जनपद मगध के उत्तर में गंगा के पार एक बहुत शक्तिशाली संघ था । पर गणतन्त्र-राज्यों की सबसे बड़ी निर्बलता यह होती है, कि उनमें भेद-नीति सुगमता से सफल बनाई जा सकती है । ‘भेद’ और ‘प्रदान’

इन दो उपायों से ही गणराज्यों का विनाश शत्रु लोग करते रहे हैं। कौटिलीय अर्थशास्त्र में साम्राज्यवादी आचार्य चाणक्य ने इन्हीं उपायों का उपदेश अपने बिल्किरीषु राजा को संघों का नाश करने के लिये दिया है। चाणक्य से पूर्व आचार्य वर्णकार ने भी इन्हीं उपायों का उपयोग कर बज्जिसंघ का नाश किया।

एक जैन ग्रन्थ के अनुसार, जब राजा अजातशत्रु ने वैशाली पर चढ़ाई की तो काशी और मल्ल जनपदों ने इस युद्ध में बज्जियों की सहायता की। सम्भवतः बज्जिसंघ के साथ ही काशी और मल्ल जनपद भी मगध के साम्राज्यवाद के शिकार हो गये। यद्यपि बौद्ध ग्रन्थ अट्टकथा के अनुसार वर्णकार की भेदनीति के कारण अजातशत्रु ने युद्ध के बिना ही वैशाली पर अपना अधिकार कर लिया था, पर जैन अनुभूति के अनुसार उसे बज्जिसंघ को परास्त करने के लिये घोर युद्ध की आवश्यकता हुई थी। इस युद्ध में अजातशत्रु ने 'महाशिला-करण्डक' और 'रथमूसल' जैसे भयंकर हथियारों का प्रयोग किया था। वर्णकार की भेदनीति के कारण कमजोर पड़े हुए बज्जि महाजनपद को युद्ध द्वारा जीत सकना अजातशत्रु के लिये सम्भव हो गया था, यही प्राचीन अनुभूति का निष्कर्ष है।

अंग महाजनपद विम्बिसार के समय में मगध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया था; अब अजातशत्रु के प्रयत्न से बज्जि, मल्ल और काशी, ये तीन महाजनपद मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो गये। काशी का कुछ भाग पहले ही विम्बिसार के समय में भी मगध के अधीन था। अजातशत्रु ने सम्पूर्ण काशी महाजनपद को हस्तगत कर लिया। इस प्रकार अब मगध साम्राज्य की शक्ति बहुत बढ़ गई।

अजातशत्रु ने ३२ वर्ष तक राज्य किया। जिस समय महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ, उस समय अजातशत्रु को शासन करते

हुए आठ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। महात्मा बुद्ध का निर्वाण-काल ४८० ईस्वीपूर्व के लगभग है। अतः अजातशत्रु ४८८ ईसवी पूर्व में राजगद्दी पर बैठे, और ४५६ ईसवी पूर्व में उनके शासन का अन्त हुआ।

(४) राजा उदायीभद्र

प्रसिद्ध बौद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ महावंश के अनुसार उदायीभद्र ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार कर मगध का राजसिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता विन्धिसार का घात किया था और उदायी ने अजातशत्रु का। ये एकराट् बनने के इच्छुक मगध सम्राट् सचमुच ही 'नयवर्जित' थे। शाश्वद इन्हीं को दृष्टि में रख कर आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, कि राजपुत्र कर्कट (कैंहड़े) के समान होते हैं, जो अपने पिता को ही खा जाते हैं। चाणक्य ने राजपुत्रों को इस प्रवृत्ति से बचाने के लिये अनेक उपायों का भी प्रतिपादन किया है। राजपुत्र कहीं अपने पिता को मार कर राज्य-प्राप्ति के लिये षड्यन्त्र तो नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी रखने के लिये अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई हैं।

पाटलीपुत्र की स्थापना उदायी ने ही की। अजातशत्रु के समय में मगध की राजधानी चम्पा और राजगृह थी। काशी, मल्ल और वज्जि महाजनपदों के जीत लेने के बाद मगध साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था, कि राजगृह या चम्पा साम्राज्य के केन्द्र से बहुत दूर पड़ती थी। शक्तिशाली वज्जिसंघ को भली-भाँति काबू में रखने के लिये भी इस प्रकार की राजधानी की आवश्यकता थी, जो वज्जिजनपद से अधिक दूर न हो। पाटलीपुत्र इसके लिये बहुत ही उपयुक्त नगरी थी।

उदाधी बहुत ही महत्वाकांक्षी तथा वीर राजा था। पड़ोस के सब राजा उस के निरन्तर आक्रमणों से तंग थे। वे समझते थे, कि जब तक उदाधी जीवित रहेगा तब तक दूसरे राजा चैन से राज्य-सुख का उपभोग नहीं कर सकते। पर उदाधी ने किस-किस राजा को जीत कर अपने अधीन किया, इसका वृत्तान्त भारत की प्राचीन अनुब्रुति से ज्ञात नहीं होता। पर जैन ग्रन्थों में उदाधी के विषय में एक कथा अत्यन्त उपयोगी पाई जाती है। हेमचन्द्र कृत 'मथविरावलि चरित्र' के अनुसार उदाधी ने किसी सनीपवर्ती राजा पर आक्रमण कर उसके राज्य को छीन लिया और वह राजा भी युद्ध में मारा गया। परन्तु उस राजा के पुत्र ने अर्वाण्टि के राजा के पास जाकर आश्रय लिया और उससे उदाधी के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सहायता की याचना की। इस समय भारत में साम्राज्य-विस्तार के लिये जो महाजनपद संघर्ष कर रहे थे, उनमें मगध और अर्वाण्टि ही सब से प्रबल थे। मगध ने अंग, काशी, वज्जि और मल्ल महाजनपदों को जीत लिया था। इनके विजय के कारण उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उधर अर्वाण्टि की शक्ति भी बहुत बढ़ी हुई थी। यत्स और अर्वाण्टि इस समय एक राजवंश के शासन में थे। पश्चिम के अनेक छोटे-बड़े राज्य इस समय अर्वाण्टि के अधीन हो चुके थे।

अर्वाण्टि के राजा ने इस राजकुमार को सहायता देना स्वीकृत कर लिया। पर उदाधी को युद्ध द्वारा परास्त कर सकना सुगम बात न थी। अन्तः एक चाल चली गई। उदाधी जैन धर्म में अट्ठा रहता था। जैन साधु उसके पास आते जाते रहते थे। इस राज्यच्युत राज कुमार ने जैन साधु का वेश बनाया और पादलीपुत्र जा पहुँचा। जो जैन गुरु उदाधी के भक्तप्रासाद में

आने जाते थे, उनमें से एक का शिष्य बन कर वह स्वयं भी महलों में आने जाने लगा। एक दिन अचस्र पाकर, जब राजा सो रहा था, इसने उस पर आक्रमण किया और सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार पितृहन्ता तथा पाटलीपुत्र के संस्थापक राजा उदायीभद्र का अन्त हुआ। उदायी का शासन-काल कुल १६ वर्ष था।

उदायी के बाद अनुरुद्ध और फिर मुण्ड मगध की राजगद्दी पर बैठे। इन दोनों का शासन-काल ८ वर्ष था। इनके साथ सम्बन्ध रखने वाली किसी भी महत्वपूर्ण घटना का ज्ञान हमें नहीं है।

(५) शिशुनाग नन्दिवर्धन

मुण्ड के बाद मगध का राजा नागदासक बना। इसका प्रधान अमात्य शिशुनाग था। नागदासक नाम को ही राजा था, असली राज्यशक्ति शिशुनाग के हाथ में थी। शिशुनाग ने उसी मार्ग का अवलम्बन किया, जिस पर अन्तिम ब्राह्मण राजा रिपुंजय का प्रधानामात्य पुलिक चला था। मगध में फिर एक बार कान्ति हुई। नागदासक को राजसिंहासन से उतार कर उसका अमात्य शिशुनाग सम्राट् बन गया। बौद्ध साहित्य के अनुसार पाटलीपुत्र के पौरों, मन्त्रियों और अमात्यों ने नागदासक को राजगद्दी से च्युत कर "साधुसम्मत अमात्य शिशुनाग" को राजपद पर अभिषिक्त किया। शिशुनाग वहाँ तक साधुसम्मत था, यह वह सकना सुगम नहीं है, पर इसमें संदेह नहीं, कि वह बड़ा प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। उसने कुल ४२ वर्ष तक मगध का नेतृत्व किया, २४ वर्ष नागदासक के अमात्यरूप में और १८ वर्ष स्वयं राजा के रूप में। शिशुनाग का ही दूसरा नाम नन्दिवर्धन था।

शिशुनाग के शासन-काल में मगध के साम्राज्य का और भी अधिक विस्तार हुआ। इसके समय की सबसे बड़ी घटना अश्वन्ति महाजनपद का मगध साम्राज्य में सम्मिलित होना है। पुलिक के लड़के प्रघोत ने अश्वन्ति में जिस नये वंश का प्रारम्भ किया था, अब उसका अन्त हो गया। प्रघोत बड़ा शक्तिशाली राजा था, अब उसका अन्त हो गया। इसीलिये प्राचीन अनुश्रुति में उसे 'बस्स' विशेषण से स्मरण किया गया है। बस्स राज्य के साथ उसके बहुत से युद्ध हुए, और धीरे धीरे बस्स अश्वन्ति का बराबरी हो गया। प्रघोत ने अपने समय में मगध पर भी आक्रमण करने की तैयारी की। इसीलिये राजा अजातशत्रु ने राजगृह की किलाबन्दी कराई थी। प्रघोत के बाद अश्वन्ति की राजगद्दी के लिये गृह-कलह शुरू हो गया। बाद के राजा प्रघोत के समान वीर तथा शक्तिशाली नहीं थे। शिशुनाग ने उन पर आक्रमण किया और अश्वन्ति के अन्तिम राजा अश्वन्तिवर्धन को मार कर यह शक्तिशाली महाजनपद भी मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अश्वन्ति के नष्ट होने के साथ ही बस्स देश पर भी शिशुनाग का अधिकार हो गया।

(६) काकवर्ण महानन्दी

शिशुनाग का पुत्र काकवर्ण महानन्दी था। कुछ ग्रन्थों में इसे ही कालाशोक के नाम से लिखा गया है। इसने कुल २८ वर्ष तक राज्य किया। इस के शासनकाल के इस २८ वर्ष में महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुए १०० वर्ष पूर्ण हो चुके थे। इस अवसर पर बौद्ध धर्म की एक महासभा वैशाली में संगठित की गई। राजा महानन्दी इस महासभा का संरक्षक था। इसका आयोजन वैशाली के कुमुमपुरी विहार में किया गया था, जहाँ

बौद्ध संतार के सर्व प्रसिद्ध ७०० भिक्षु एकत्र हुए थे। बौद्ध धर्म के संगठन में इस महासभा ने बड़ा कार्य किया।

महानन्दी के समय में मगध साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ हो, इस विषय में कोई निर्देश प्राचीन अनुश्रुति में नहीं पाया जाता।

महानन्दी का अन्त भी एक पद्म्यन्त्र द्वारा हुआ। महाकवि बाणभट्ट ने हरिवंश में लिखा है, कि नगर के बाहर गले में छुरी भोंक देने से उसकी मृत्यु हुई। प्राचीन आर्य मर्यादा को छोड़कर मगध के सम्राटों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया था, उसमें यदि राजाओं का अन्त इस प्रकार के पद्म्यन्त्रों द्वारा हो, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है ?

जिस पद्म्यन्त्र द्वारा राजा महानन्दी की हत्या हुई, उसका नेता महापद्म नन्द था। यह जाति का शूद्र था और अपने प्रारम्भिक जीवन में बड़ी कठिनाता से अपना पेट पालता था। परन्तु देखने में वह बड़ा सुन्दर था। धीरे धीरे महानन्दी की रानी उसके कानू में आ गई, और रानी द्वारा राजा भी बहुत कुछ उसके प्रभाव में आ गया। अबसर पाकर महापद्म नन्द ने महानन्दी को कल्ल कर दिया और उसके पुत्रों के नाम पर स्वयं राज्य-कार्य का संचालन करने लगा। महानन्दी के दस लड़के थे। प्रतीत होता है, कि पिता की हत्या के समय ये सभी आयु में कम थे। वही कारण है, कि राजमाता का कृपापात्र होने से सारी शासन-शक्ति महापद्मनन्द के हाथ में थी। इस महापद्म ने बाद में महानन्दी के पुत्रों का भी घात करा दिया, और स्वयं मगध का सम्राट बन गया।

(७) महापद्म नन्द

वायु पुराण के अनुसार महापद्मनन्द ने २८ वर्ष तक मगध का शासन किया। यह बहुत ही शक्तिशाली राजा था। एक

पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार उसके सैनिकों की संख्या दस पद्म थी। उसके पास सम्पत्ति भी दस पद्म थी। इसी लिये उसका नाम महापद्म पड़ा था। पौराणिक अनुश्रुति की इन संख्याओं को स्वीकृत कर सकता तो सम्भव नहीं है, किन्तु महापद्म के पास अनन्त सेना और अनन्त सम्पत्ति अवश्य थी। इसीलिये उसे प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में उपसेन भी कहा गया है।

महापद्म नन्द के समय में मागध साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। एक अनुश्रुति के अनुसार महापद्म ने ऐश्वकाक, पाञ्चाल, कौरव्य, हैहय, शूरसेन, मैथिल तथा अन्य बहुत से राज्यों को जीत कर अपने अधीन किया था। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदायी, शिशुताग और नन्दिश्वरान ने मगध के जिस ढंकर्य का प्रारम्भ किया था, महापद्मनन्द ने उसे चरमसीमा तक पहुँचा दिया। अंग, काशी, वज्जि, मल्ल, वत्स और अवन्ति—ये छः महाजनपद महापद्म के पूर्व ही मागध सम्राटों ने अपने अधीन कर लिये थे। अब महापद्म ने ऐश्वकाक वंश द्वारा शासित कोशल, पाञ्चाल, चेदि, शूरसेन और कुरु—इन महाजनपदों को जीत कर मागध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार बौद्ध काल के सोलह महाजनपदों में से बारह महाजनपद मागध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये। महाजनपदों के अतिरिक्त जिन अन्य जनपदों को महापद्म नन्द ने अपने अधीन किया था, उनमें कलिा विरोपरूप से उल्लेखनीय है। खारवेल के हाथीगुम्फ शिलालेख से सूचित होता है, कि नन्दराज कलिा पर आक्रमण कर वहाँ से जिन की एक मूर्ति विजयोपहार के रूप में मगध ले गया था। कलिा भी महापद्म के प्रयत्न से मागध साम्राज्य के अन्तर्गत होगया था। दक्षिणी भारत में प्राप्त अनेक शिलालेखों से ज्ञात होता है, कि आधुनिक बम्बई प्रान्त के भी अनेक प्रदेशों

पर नन्द का शासन था। सम्भवतः, गोदावरी के प्रदेश में स्थित अरमक महाजनपद भी महापद्मनन्द के साम्राज्य में सम्मिलित था।

नन्द के प्रधान मन्त्री का नाम कल्पक था। प्राचीन अनुश्रुति में इसकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की गई है। इसी की सूझ और नीति कुशलता का यह परिणाम था, कि महापद्म नन्द ने प्रायः सारे उत्तरी भारत में मागध साम्राज्य का विस्तार कर लिया था।

महापद्म जाति का शूद्र था। पुराणों ने उसे 'शूद्रागर्भोद्भव' करके लिखा है। उसके सम्बन्ध में पुराणों का कहना है, कि जिस प्रकार प्राचीन समय में परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया था, वैसे ही अब शूद्र नन्द ने सब क्षत्रिय राजवंशों का अन्त कर दिया था। वह स्वेच्छाचारी एकराट् था, जिसका पृथिवी भर पर एकच्छत्र शासन था, और उसकी आज्ञा को उल्लंघन करने वाला कोई नहीं था। पुराणों में यह भी लिखा है, कि महापद्म नन्द से लगा कर सब राजा 'शूद्रप्राय' और 'आधार्मिक' हुए। यह तो स्पष्ट ही है, कि महापद्म नन्द आर्य-भिन्न जाति का था, और प्राचीन आर्य धर्म का पालन करने वाला नहीं था। प्राचीन आर्य क्षत्रिय राजवंशों और आर्य-नीति का अन्त कर उसने विशाल एकच्छत्र, स्वेच्छाचारी मागध साम्राज्य का विस्तार किया था। महापद्म नन्द की शक्ति का आधार उसकी वैयक्तिक योग्यता और उस भूत सेना का साहाय्य था, जिसमें अनार्य सैनिकों की प्रभुता थी, और जो अनार्य, शूद्र मागध सम्राट् के प्रति भक्ति रखती थी।

महापद्म के बाद उसके आठ पुत्रों ने शासन किया। महापद्म और उसके आठ पुत्र ही इतिहास में नवनन्द के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके सम्बन्ध की कोई घटना हमें ज्ञात नहीं है। पर

अन्तिम नन्द धननन्द था, जिसे मार कर मौर्य चन्द्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सहायता से मागध साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। महापद्म नन्द के पुत्रों का शासन-काल केवल सोलह वर्ष है।

मौर्य चन्द्रगुप्त ने धननन्द का नाश कर एक नये शक्तिशाली वंश का प्रारम्भ किया, पर मागध साम्राज्य पहले ही की तरह कायम रहा। मौर्यों के साथ किसी नये साम्राज्य का प्रारम्भ नहीं होता। मागध का जो साम्राज्य जरासन्ध, बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनन्द के प्रयत्नों से निरन्तर उन्नति करता गया था, मौर्यों ने उसे और अधिक विस्तृत किया। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और अशोक के प्रयत्नों से मागध साम्राज्य अपने विस्तार की अन्तिम सीमा तक पहुँच गया, और न केवल प्रायः सम्पूर्ण भारत, अपितु भारत के बाहर के भी अनेक प्रदेश उसके अन्तर्गत हो गये।

धननन्द का विनाश और चन्द्रगुप्त मौर्य का मागध-सम्राट बनना ठीक वैसी ही घटना है, जैसी कि बार्हद्रय रिपुञ्जय की हत्या के बाद पुलिके का शक्ति प्राप्त करना या राजा बालक के विरुद्ध षड्यन्त्र करके श्रेणिय भद्रिय का राजसिंहासन पर अधिकार करना। राजवंशों और राजाओं में परिवर्तन होता गया, पर मागध साम्राज्य अक्षुण्णरूप से जारी रहा।

(८) यवनों के आक्रमण

महापद्मनन्द जिस समय बगाल की खाड़ी से सतलुज तक सम्पूर्ण उत्तरी भारत में 'अबाधित' और 'अनुलूषित' शासन की स्थापना कर रहा था, उसी समय सुदूर पश्चिम में मैसिडोनिया का राजा किलिप सारे यवन देश (ग्रीस) को जीत कर अपना एकच्छत्र साम्राज्य बनाने में लगा था। भारत के समान यवन देश

में भी उस समय बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे। मैसिडोन के साम्राज्यवाद ने इन सब को जीत कर एक शासन के नीचे ला दिया।

फिलिप का पुत्र सिकन्दर था, जिसने आचार्य अरिस्टोटल की शिक्षा का अनुसरण कर यवन देश से बाहर, पूर्व की तरफ अपना साम्राज्य विस्तृत करने का संकल्प किया था। सिकन्दर के विश्वविजय के इस प्रयत्न का वर्णन करने की हमें आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे उसने ईजिप्ट, एशिया माइनर, ईरान और अफगानिस्तान को जीत लिया और हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार कर भारत में प्रवेश किया।

हिन्दूकुश और सतलुज के बीच के प्रदेश में उस समय बहुत से जनपद थे, जिनमें प्रधानतया गणतन्त्र शासन थे। इनमें मालव, क्षत्रिय, आर्जुनायन; आरट्ट, आग्नेय, क्षुद्रक और शिविगण सब से प्रसिद्ध हैं। सिकन्दर के इनके साथ घनघोर युद्ध हुए। पश्चिमोत्तर भारत के इन विविध जनपदों से लड़ता हुआ सिकन्दर जब व्यास नदी के तट पर पहुँचा, तो उसे ज्ञात हुआ, कि प्रान्च्य देश में मगध का जो शक्तिशाली साम्राज्य है, उसमें राजा नन्द का शासन है, और उसकी शक्ति अजेय है। सिकन्दर की यवन सेनाएँ पञ्चनद प्रदेश के गणराज्यों से लड़ती हुई ही थक गई थीं। भारत के इस एकराट्ट का सामना करने का उसे साहस नहीं हुआ। सिकन्दर भारत विजय की अपनी आकांक्षा को पूर्ण नहीं कर सका। उसे वापस लौटने के लिये बाधित होना पड़ा।

सुदूर पश्चिम के इस वीर आक्रान्ता ने मगध साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी भारत में विस्तृत होने के लिये मैदान तैयार कर

दिया। सिकन्दर के आक्रमणों ने पञ्चाय के गणराज्यों की शक्ति को जड़ से हिला दिया था। मागध सम्राट् उन्हें किस प्रकार अपने अधीन करने में सफल हुए, इस पर हम आगे चल कर प्रकाश डालेंगे।

चौथा अध्याय

जैन और बौद्ध धर्म

(१) धार्मिक सुधारणा

महत्वाकांक्षी वीर सैनिक नेताओं के बीच में, जिस समय मगध का राजसिंहासन गंद की तरह उछल रहा था, मगध के पड़ोस में गङ्गा के उत्तर में तभी एक महान धार्मिक सुधारणा का प्रारम्भ हो रहा था। धीरे धीरे ये धार्मिक आन्दोलन सारे भारत में फैल गये। मगध के साम्राट् जैसे दिग्विजय करके अपने चातुरन्त साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे, वैसे ही ये धार्मिक नेता धर्मचक्र द्वारा न केवल सारे भारत में, अपितु सारे भूमण्डल में, धर्मचक्रवर्ती होने के लिये संघर्ष कर रहे थे। जब मगध का राजनीतिक साम्राज्य नाट हो गया, तब भी यह धर्मसाम्राज्य भारत और उसके बाहर लायम रहा। भारत के प्राचीन इतिहास में इस धर्मसाम्राज्य और धार्मिक सुधारणा का बहुत अधिक महत्व है।

उत्तरी बिहार में जो अनेक गणराज्य थे, इन नये धार्मिक आन्दोलनों का उत्तसे प्रारम्भ हुआ। महात्मा बुद्ध साक्यगण में उत्पन्न हुए थे, और वर्धमान महावीर ज्ञातुकगण में। वज्रिसंघ में जो आठ गणराज्य सम्मिलित थे, ज्ञातुकगण उनमें से एक था। मगध के साम्राज्यवाद ने उत्तरी बिहार के इन गणराज्यों का अस्त कर दिया। राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में गण मगध से परास्त हुए। पर धार्मिक क्षेत्र में शाक्य और वज्रिसंघ के भिक्षुओं के

समुद्र मगध ने सिर मुका दिया। जब मगध की राजगद्दी के लिये नैतिक नेता एक दूसरे से दौड़ कर रहे थे, और राजपुत्र कर्कट के समान अपने पिता के विरुद्ध पहुँचकर रहे थे, वे भिन्न-भिन्न लोग शान्ति, प्रेम और सेवा से एक नये प्रकार के चातुरन्त साम्राज्य की स्थापना में लगे थे।

भारत बहुत बड़ा देश है। जैसे विविध जनपदों में आर्य जाति विविध शाखाओं में विभक्त होनी गई, ऐसे ही प्राचीन आर्य-धर्म भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न रूप धारण करता गया। प्राचीन आर्य एक ईश्वर के उपासक थे, वे प्रकृति की भिन्न-भिन्न शक्तियों में ईश्वर के भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना कर, उनकी देवताओं के रूप में उपासना करते थे। यज्ञ इन देवताओं का पूजा का क्रियात्मक रूप था। धीरे धीरे यज्ञों का कर्मकाण्ड अधिकाधिक जटिल होना गया। यज्ञ के वास्तविक अभिप्राय को भूल कर आर्य जातियों ने उसे ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का साधन समझ लिया। यज्ञों में पशुहिंसा शुरू हुई। एक-एक यज्ञ में हजारों की संख्या में पशुओं की बलि दी जाने लगी। पशुओं की बलि पाकर अग्नि प्रसन्न व सन्तुष्ट होती है और उससे मनुष्य स्वर्ग-लोक को प्राप्त कर सकता है, यह विश्वास प्रचल ही गया।

उस समय के भारत में समाज में उच्च-नीच का भेद भी बहुत बढ़ गया था। आर्यभिन्न जातियों के सम्पर्क में आने से आर्यों ने अपनी रक्षशुद्धता को कायम रखने के लिये जो नियम बनाए थे, उसका अब बहुत दुरुपयोग होने लगा था। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने को समाज में ऊँचा समझते थे। बाकी लोग नीच माने जाते थे। शूद्रों और द्राव्यों की एक ऐसी संघी भी उस समय उत्पन्न हो गई थी, जिसे मानवता के साधारण अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। इस नई धार्मिक सुधारणा ने यज्ञों के रुढ़िवाद व समाज में उच्च-नीच के भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठा कर

प्राचीन आर्यधर्म का पुनर्बुद्धार करने का प्रयत्न किया।

(२) वर्धमान महावीर

वज्जिन संघ में जो आठ गण सम्मिलित थे, उनमें से एक का नाम था, ज्ञातुक। इसकी राजधानी कुण्डप्राम थी। यहाँ के गणमुख्य का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह वैशालिक राजकुमारी त्रिशला के साथ हुआ था। त्रिशला लिच्छविगण के प्रमुख राजा चेटक की बहन थी। लिच्छविगण वज्जिन संघ का सबसे शक्तिशाली गण था। ज्ञातुक राजा सिद्धार्थ और लिच्छवि कुमारी त्रिशला के तीन सन्तानें हुईं, एक कन्या और दो पुत्र। छोटे लड़के का नाम वर्धमान रखा गया। यही आगे चल कर जैन धर्म का तीर्थंकर महावीर बना।

वर्धमान का बाल्यजीवन राजकुमारों की तरह व्यतीत हुआ। वह एक सख्त गणमुख्य का पुत्र था। छोटी आयु में ही उसकी शिक्षा प्रारम्भ की गई। शीघ्र ही वह सब विद्याओं और शिल्पों में निपुण हो गया। अपने पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण उसे विद्याप्राप्ति में अधिक परिश्रम करना पड़ा। उचित आयु में वर्धमान का विवाह यशोदा नाम की कुमारी के साथ किया गया। उनके एक कन्या भी उत्पन्न हुई। आगे चल कर जमालि नामक क्षत्रिय के साथ इसका विवाह हुआ, जो कि वर्धमान महावीर के प्रधान शिष्यों में से एक था।

यद्यपि वर्धमान का प्रारम्भिक जीवन साधारण गृहस्थ के समान व्यतीत हुआ, पर उसकी प्रवृत्ति सांसारिक जीवन की तरफ नहीं थी। वह 'प्रेय' मार्ग को छोड़कर 'श्रेय' मार्ग की ओर जाना चाहता था। जब वर्धमान की आयु तीस वर्ष की थी, उनके पिता की मृत्यु हो गयी। ज्ञातुकगण का 'मुख्य' अब वर्धमान का बड़ा भाई नन्दिवर्धन बना। वर्धमान की प्रवृत्ति पहले ही वैराग्य की तरफ थी। अब पिता की मृत्यु के बाद

उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर भिक्षु बनना निश्चित किया। नन्दिवर्धन तथा अन्य निकट सम्बन्धियों से अनुमति ले वर्धमान ने घर का परित्याग कर दिया। ज्ञातक लोग पहले ही तीर्थंकर पार्श्व द्वारा प्रतिपादित जिन धर्म के अनुयायी थे, अतः स्वाभाविक रूप से वह जैन भिक्षु बना। जैन भिक्षुओं की तरह उसने अपने कंशरमश्रु का परित्याग कर तपस्या करनी प्रारम्भ की। एक प्राचीन जैन ग्रन्थ में इस तपस्या का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है।

वर्धमान ने भिक्षु बनते हुए जो कपड़े पहने थे, वे तेरह मास में बिलकुल जर्जरित हो गये और फट कर स्वयं शरीर से उतर गये। फिर उसने बस्त्रों को धारण नहीं किया। वह छोटे घन्चे के समान नम्र ही विचरण करने लगा। जब वह समाधि लगा कर बैठा हुआ था, तो नानाविध जीवजन्तु उसके शरीर पर चलने फिरने लगे। उन्होंने उसे अनेक प्रकार से काटा, पर वर्धमान ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की। जब वह ध्यानमग्न हुआ इधर उधर परिभ्रमण करता था, तो लोग उसे चारों ओर से घेर लेते थे। वे उसको मारते थे, शोर मचाते थे; पर वर्धमान उनका जरा भी रुवाल नहीं करता था। जब कोई बात पूछता था तो वह जवाब नहीं देता था। जब उसे लोग प्रणाम करते थे, तो वह प्रणाम का भी उत्तर नहीं देता था। कुछ दुष्ट लोग उसे डण्डों से भी पीटते थे, परन्तु उसे इसकी भी परवाह नहीं थी।

चारह वर्ष तक वह निरन्तर अपने शरीर की उपेक्षा कर सब प्रकार के कष्टों को सहता रहा। वह भोजन भी हथेली पर ग्रहण करता था। उसने संसार के सब बन्धनों का उच्छेद कर दिया था। संसार से वह सर्वथा निर्लिप्त था। आकाश की

नरह उसे किसी आशय की आवश्यकता नहीं थी। वायु के समान उसके सम्मुख कोई बाधा नहीं रह गयी थी। शरद काल के जल के समान उसका इव्य शुद्ध था। कमलपत्र के समान वह किसी में लीन नहीं था। कछुवे के समान उसने अपनी इन्द्रियों को वश में कर लिया हुआ था। गेँडे की सींग के समान वह एकाकी हो गया था। पत्नी के समान वह स्वतन्त्र था।

इस प्रकार बारह वर्ष तक धीरे तपस्या कर अन्त में तेरहवें वर्ष में वर्धमान को अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ। उसे पूर्ण संव्यज्ञान की उपलब्धि हुई। उसे 'केवलिन' पद प्राप्त हुआ। एक प्राचीन जैन ग्रन्थ के अनुसार 'तेरहवें' वर्ष में, वसन्त ऋतु के द्वितीय मास में, वसन्त ऋतु के चौथे पक्ष में, वैशाखमास में, वैशाखमासके दसवें दिन, जब कि वस्तुओं की छाया पूर्व की तरफ पड़नी प्रारम्भ हो गई थी, अर्थात् अपराह्न काल में, सुव्रत नामक बारहों और विजय नामक मुहूर्त में, जम्भिका ग्राम के बाहर, अजुपालिक नदी के तट पर, सामाग नाम के गृहस्थ की जमीन में स्थित एक पुराने मन्दिर के समीप, शाल-वृक्ष के नीचे वर्धमान महावीर ने 'केवलिन' पद प्राप्त किया।

जिस समय मनुष्य संसार के संसर्ग से सर्वथा मुक्त हो जाता है, सुखदुःख-दुन्द से वह ऊपर उठ जाता है, वह अपने को अन्य सब वस्तुओं से पृथक् 'स्वतन्त्र' समझने लगता है, तब यह 'केवलिन' की वशा प्राप्त होती है। केवली होकर वर्धमान महावीर बन गया। बारह वर्ष की सुदीर्घ तपस्या के बाद महावीर ने जो सत्यज्ञान प्राप्त किया था, अब उसने उसका प्रचार प्रारम्भ किया। महावीर की ख्याति शीघ्र ही दूर-दूर तक पहुँच गई। अनेक लोग उनके शिष्य होने लगे। महावीर ने इस

समय जिस नये सम्प्रदाय की स्थापना की, उसे 'निग्रन्थ' नाम से कहा जाता है। निग्रन्थ का अर्थ है, बन्धनों से मुक्त। महावीर के शिष्य भिक्षु लोग 'निगन्थ' या 'निगन्ध' कहाने थे, इन्हें जैन भी कहते थे, क्योंकि ये 'जिन' (वर्धमान को केवलपद प्राप्त हो जाने के बाद वीर, जिन, महावीर, आर्हत आदि सम्मान-सूचक शब्दों से कहा जाता था) के अनुयायी होते थे। निगन्ध महावीर के शिष्यों इन्हें प्रायः 'निग्रन्थ ज्ञातृ पुत्र' (निगन्ध नाट पुत्र) के नाम से पुकारते थे। ज्ञातृपुत्र उन्हें इसलिये कहा जाता था, क्योंकि वे ज्ञातृक गण के कुमार थे।

वर्धमान महावीर ने जिस प्रकार अपने धर्म का प्रचार किया, इस सन्यन्ध में भी अनेक बातें प्राचीन जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होती हैं। महावीर का प्रधान शिष्य गौतम इन्द्रभूति था आगे चलकर इस इन्द्रभूति ने भी 'केवलिन' पद प्राप्त किया था। महावीर का यह दृंग था, कि वे किसी एक स्थान को केन्द्र बनाकर अपना कार्य नहीं करते थे। पर अपनी शिष्यमण्डली के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए अपने धर्मसन्देश को जनता तक पहुँचाने का उद्योग करते थे। सब से पूर्व उन्होंने ज्ञातृकगण में ही अपनी शिष्याओं का प्रसार किया। सब ज्ञातृक शीघ्र ही उनके अनुयायी हो गये। उसके बाद लिच्छवि और विदेह में प्रचार किया गया। उत्तरी विहार के इन गणराज्यों में प्रचार करने के बाद महावीर ने मगध की राजधानी राजगृह के लिये प्रयाण किया। उस समय मगध में श्रेणिय विन्धिसार का राज्य था। राजा श्रेणिय ने महावीर को बड़ा आदर किया, और उसके स्वागत में विन्धिसार की सम्पूर्ण सेना (सम्भवतः श्रेणिकत) ने भी भाग लिया।

उस समय भारत का मुख्य महाजनपद मगध था। भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन में यही सब का अप्रणी था। इसीलिए उस युग के धार्मिक नेताओं ने भी इसी को अपना प्रधान कार्यक्षेत्र बनाया। वर्धमान महावीर ने भी अपने जीवन का बड़ा भाग मगध में ही प्रचारकार्य में व्यतीत किया। राजगृह, चम्पा आदि मगध साम्राज्य की नगरियों में वे अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते रहे। अपनी आयु के ७२ वें वर्ष में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के समय महावीर राजगृह के समीप पावा नाम की नगरी में विराजमान थे। यह स्थान इस समय भी जैन लोगों का बड़ा तीर्थ है। वर्तमान समय में इसका दूसरा नाम पोरावपुर है, और यह बिहार रेलवे स्टेशन से ६ मील की दूरी पर स्थित है।

(३) जैन धर्म की शिक्षायें

वर्धमान महावीर ने किसी नये धर्म की स्थापना नहीं की थी। श्रावक गण तथा उसके समीपवर्ती जनपदों में जैन धर्म का पहले ही प्रचार था। महावीर ने पूर्व जैन धर्म के २३ आचार्य व तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर जैनधर्म के २४ वें व अन्तिम तीर्थंकर थे। ये जैन लोग अन्य आर्यों के समान वेद को नहीं मानते थे, ईश्वर व प्राकृतिक शक्तियों के रूप में उसके विविध रूपों (देवताओं) में भी उनका विश्वास नहीं था। यज्ञों के कर्मकाण्ड में भी इनकी निष्ठा नहीं थी। वज्र-महाजनपद के संकीर्ण क्षेत्र में प्राचीन आर्य-परम्परा के विपरीत यह धर्म धीरे से चला आ रहा था। महावीर ने इसी धर्म में सुधार कर उसे ऐसा बल प्रदान किया, कि धीरे धीरे वह भारत के बहुत से प्रदेशों में फैल गया। मगध के अनेक सम्राटों की उसमें भक्ति हुई। जैन ग्रन्थों के अनुसार, राजा बिम्बिसार,

पाटलीपुत्र का संस्थापक उदापीभद्र और महापरमेश्वर जैन-धर्म के अनुयायी थे। मगध के ये सब राजा प्राचीन आर्य क्षत्रिय वंशों के नहीं थे। मानवधर्मशास्त्र के अनुसार ये वर्णसंकर थे। पुराणों में इनमें से अनेक को शूद्र तक कहा गया है। ब्राह्मण-प्रधान आर्य-धर्म में इन राजाओं का उचित आदर नहीं मिल सकता था। महावीर द्वारा जिस धर्म का इस समय मगध में प्रसार हो रहा था, उसमें सामाजिक ऊँचनीच का भेद नहीं था। ब्राह्मणों व क्षत्रियों को उसमें अन्य मानव समाज से ऊँचा नहीं माना जाता था। इस दशा में मगध के इन वर्णसंकर व शूद्र राजाओं ने यदि उसे अपनाया हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

जैन धर्म के अनुसार मानवीय जीवन का उद्देश्य मोक्ष व केवली पद प्राप्त करना है। मोक्षप्राप्ति के लिये मनुष्य क्या उद्योग करे, इसके लिये साधारण गृहस्थों व भिक्षुओं (मुनियों) में भेद किया गया है। जिन नियमों का पालन एक मुनि कर सकता है, साधारण गृहस्थ (आवक) उनका पालन नहीं कर सकता। इसीलिये जीवन की इन दोनों स्थितियों में मुमुक्षु के लिये भिन्न-भिन्न धर्मों का प्रतिपादन किया गया है।

पहले सामान्य गृहस्थ (आवक) के धर्म को लीजिये। गृहस्थ के लिये पाँच अगुत्रों का पालन करना आवश्यक है। गृहस्थ के लिये यह सम्भव नहीं, कि वह पाप का पूर्णतया परित्याग कर सके। संसार के कृत्यों में फँसे रहने से उन्हें कुछ न कुछ अनुचित कृत्य करने ही पड़ेगे। अतः उनके लिये अगुत्रों का विधान किया गया है। अगुत्रत निम्नलिखित हैं—

(१) अहिंसागुत्रत—जैन धर्म के अनुसार यह आवश्यक है, कि प्रत्येक व्यक्ति अहिंसागुत्रत का पालन करे। मन, बचन और

शरीर से किसी भी प्रकार से हिंसा करना उचित नहीं है। पर गृहस्थों के लिये अहिंसा का पूर्णतया पालन कर सकना सम्भव नहीं है। अतः आश्रमों के लिये स्थूल अहिंसा का विधान किया गया है। स्थूल अहिंसा का अभिप्राय यह है, कि निरपराधियों की हिंसा न की जावे। इसीलिये जैन राजा अपराधियों को सब प्रकार का दण्ड दे सकते हैं, हिंसक जन्तुओं का धात कर सकते हैं, और राजकीय दृष्टि से युद्धों में भी तत्पर हो सकते हैं।

(२) सत्याणुव्रत मनुष्यों में असत्यभाषण की प्रवृत्ति अनेक कारणों से होती है। द्वेष, स्नेह तथा मोह का उद्बोध इनमें प्रचलित है। इन सब प्रवृत्तियों को दबा कर सर्वथा सत्य बोलने का प्रयत्न सत्याणुव्रत कहाता है।

(३) अर्ध्याणुव्रत या अस्तेय—किसी भी प्रकार से दूसरों की चोरी न करना, गिरी हुई, पत्नी हुई, रखी हुई या भूली हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण न कर के उसके वास्तविक स्वामी को दे देना अर्ध्याणुव्रत कहाता है।

(४) ब्रह्मचर्याणुव्रत—मन, वचन तथा कर्म द्वारा परस्त्री का समागम न कर अपनी पत्नी में ही सन्तोष रखना तथा स्त्री के लिये मन, वचन व कर्म द्वारा परपुरुष का समागम न कर अपने पति में ही सन्तोष रखना ब्रह्मचर्याणुव्रत कहाता है।

(५) परिग्रह-परिमाण अणुव्रत—आवश्यकता के बिना बहुत से धनधान्य को संवह न करना परिग्रह-परिमाण अणुव्रत कहाता है। गृहस्थों के लिये यह तो आवश्यक है कि ये धन उपाजन करें, पर उसी में लिप्त हो जाना व अर्धसंग्रह के पीछे भागना पाप है।

इन पाँच अंगुव्रतों का गृहस्थों को सदा पालन करना चाहिए। पर समय-समय पर इनके अतिरिक्त अधिक कठोर व्रतों का ग्रहण करना भी उपयोगी है। सामान्य सांसारिक जीवन ज्यतीत करते हुए गृहस्थों को चाहिए, कि कभी-कभी वे अधिक कठोर व्रतों का पालन करें, ताकि मुनि-जीवन ज्यतीत करने के लिये मार्ग साफ होता रहे। ये कठोर व्रत जैनधर्म में शीलव्रत कहाते हैं, और इनके द्वारा जैन आश्रम समय-समय पर यह व्रत लेते हैं, कि वे एक निश्चित प्रदेश में ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं जावेंगे। भोजन में कुछ निश्चित वस्तुओं से अधिक नहीं खावेंगे। भोजन की गणना भी एक निश्चित तोल से अधिक नहीं होगी। कुछ निश्चित तिथियों में मुनियों के सरश जीवन ज्यतीत करेंगे और मुनियों की सेवा में तत्पर रहेंगे। प्रत्येक मनुष्य मुनि नहीं बन सकता, गृहस्थ-जीवन ज्यतीत करना ही होगा है, पर मुनि बनने की तैयारी में कुछ न कुछ समय तो प्रत्येक मनुष्य लगा ही सकता है। जैन धर्म के अनुसार सांसारिक जीवन और गृहस्थ धर्म हेतु नहीं है, पर वे अन्तिम लक्ष्य नहीं हैं। मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष है। अतः गृहस्थ होते हुए भी मनुष्य को अपना जीवन इस ढंग से बिताना चाहिए, कि वह पाप में लिप्त न होकर मोक्ष-साधन में तत्पर रहे।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पाँच व्रतों का गृहस्थ को तो स्थूल रूप से पालन करना होता है, पर जैन मुनि के लिये यह आवश्यक है, कि वह इनका सूक्ष्म रूप से पालन करें। मोक्षपद को प्राप्त करने के लिये ज्ञान-सागर को त्याग कर साधना में तत्पर होने हैं, वे मुनि कहाते हैं। अतः उनके लिये आवश्यक है, कि वे पापों का सर्वथा

त्याग करें और इसीलिये पाँचों व्रतों का अधिकल रूप में पालन करें। जैनधर्म में इन महाव्रतों का मुनि लोग किस प्रकार पालन करें, इसका बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। मुनियों के सम्बन्ध में जैन धर्म की कल्पना निम्नलिखित है—

• मुनि को चाहिये कि आत्मा के सब बन्धनों को काट दे। किसी बन्धु न पूणा न करे। किसी से स्नेह न करे। किसी प्रकार की भोजन में अपने को न लगावे। जीवन के आनन्दों पर विजय प्राप्त करना कठिन है। निर्बल लोग आसानी से उनका परित्याग नहीं कर सकते। पर जिस प्रकार साहसी व्यापारी दुर्गम समुद्र के पार उतर जाते हैं, वैसे ही मुनि जन संसार-सागर के पार उतर जाते हैं। श्रावर व जंगम, किसी भी वस्तु को मन, वचन व कर्म से किसी भी प्रकार की च्छति नहीं पहुँचनी चाहिये। मुनि को केवल अपनी जीवनयात्रा के लिये ही भोजन की भिक्षा माँगनी चाहिये। यदि सारी पृथिवी भी एक आदमी की हो जावे, तो भी उसे सन्तोष नहीं होता। जितना ही तुम प्राप्त करोगे, उतनी ही तुम्हारी कामना बढ़ती जावेगी। तुम्हारी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये तो दो 'माश' भी काफी है। पर सन्तोष तो, यदि तुम सम्पत्ति के पीछे भागो, तो करोड़ों से भी नहीं होगा !

जैन धर्म के अनुसार मुनि-जीवन के ये आदर्श हैं। इन आदर्शों तक पहुँचने के लिये मुनि लोग अपने जीवन को किस प्रकार नियमित करें, इस विषय में भी जैन साहित्य में बड़ी सूक्ष्म विवेचना की गई है। यद्यपि जैन मुनि संसार से विरक्त होकर मोक्ष साधन में तत्पर रहते थे, पर अपने मन्तव्यों को जन-साधारण में फैलाने के कार्य में भी वे बड़े उत्साह से कार्य

करते थे। वर्धमान महावीर अपनी शिष्य-मण्डली के साथ निरन्तर भ्रमण ही करते रहे, और गृहस्थ तथा मुनि, सब को सन्मार्ग का प्रदर्शन करते रहे।

(४) महात्मा बुद्ध

गंगा के उत्तर में एक छोटा जनपद था, जिसका नाम शाक्यगण था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। वहाँ के गणराजा का नाम शुद्धोदन था। इसकी पत्नी माया थी। इन्हीं के घर कुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो आगे चल कर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धार्थ का दूसरा नाम गौतम था, यह नाम सम्भवतः उनके गौतम गोत्र के कारण था। जन्म के एक सप्ताह बाद ही कुमार सिद्धार्थ की माता का देहान्त हो गया। माता की यहिन महाप्रजावति थी। सिद्धार्थ का उम्मी ने पालन किया।

कपिलवस्तु का शाक्यगण वज्रिसंघ के समान शक्तिशाली नहीं था। पर धृष्टियों के उचित खीरता की उनमें कभी नहीं थी। शाक्य कुमारों की शिक्षा में उस समय भौतिक उन्नति की ओर बहुत ध्यान दिया जाता था। सिद्धार्थ को भी उम्मी प्रकार की शिक्षा दी गई। तौरन्दाजी, पुइस्वारी और मल्ला विद्या में बहुत प्रवीण बनाया गया। उस युग में पड़ोस के राजा मल्लराज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करने में लगे हुए थे। कोशल के कई हमले शाक्यों पर हो चुके थे। अतः यह स्वाभाविक ही था, कि शाक्य कुमारों को वीर और ऐश्वर्यशाली बनने के लिये शिक्षा दी जाय। सिद्धार्थ का बाल्यकाल बड़े सुख और ऐश्वर्य में व्यतीत हुआ। मरदी, गरभी और बपा—इन तीनों ऋतुओं में उनके निवास के लिये अलग

महल बने हुए थे। इनमें जन्तु के अनुसार ऐश्वर्य तथा भोग-विलास के सब सामान एकत्र किये गये थे। सिद्धार्थ एक सम्पन्न शाक्य राजा का पुत्र था। उसके पिता की इच्छा थी, कि सिद्धार्थ भी शाक्य गण में खूब प्रतिष्ठित तथा उन्नत स्थान प्राप्त करे।

युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की कुमारी के साथ किया गया। विवाह के अनन्तर सिद्धार्थ का जीवन बड़े आनन्द के साथ व्यतीत होने लगा। सुख-ऐश्वर्य की उन्हें कभी ही क्या थी? कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र उपज हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया।

एक बार की बात है कि कुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु का अवलोकन करने के लिये निकले। उस दिन नगर को खूब सजावा गया था। कुमार सिद्धार्थ नगर की शोभा को देखता हुआ चला जा रहा था, कि उसका ध्यान सड़क के एक ओर जेट कर अन्तिम रवास लेते हुए एक बीमार की ओर गया। सारथी ने पूछने पर बताया कि यह एक बीमार है, जो कष्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, और थोड़ी ही देर में इसका देहान्त हो जायगा। ऐसी घटना सभी आदमों देखते हैं, पर सिद्धार्थ पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद उसे क्रमशः जाठी टंक कर जाता हुआ एक बूढ़ा, श्मशान की ओर जाती हुई एक अरथी और एक शाल्लमुख सन्वासी दिव्यार्थ दिये। पहले तीन दृश्यों को देख कर सिद्धार्थ का द्वा हुआ वैराग्य एक दम प्रबल हो गया। उसे यह भोगविलासमय जीवन अत्यन्त तुच्छ और क्षणिक जान पड़ने लगा। सन्वासी को देखकर उसे उमंग आई कि मैं भी इसी प्रकार संसार से विरक्त हो जाऊँ।

सिद्धार्थ को वैरागी सा होना देख कर शुद्धोधन को बड़ी चिन्ता हुई। उसने संसार के तीव्र विलासों द्वारा सिद्धार्थ का

वैराग्य शब्दाने का प्रयत्न किया। एक रात को सिद्धार्थ अत्यन्त सुन्दरी वेश्याओं के बीच में अकेला छोड़ दिया गया। वे नवयु की वेश्या ज्ञाना प्रकार के हावभाव, नाच न गान द्वारा उसे रिक्तान का प्रयत्न करने लगीं। सिद्धार्थ उदाभीत भाव से स्थिररूपि होकर वहाँ बैठा रहा। कुछ समय में उस नौद आ गई। रंग न जमान के कारण वेश्याओं को भी नौद सताने लगी। वे सब वहीं सो गईं। तब आधी रात को सिद्धार्थ की नौद अचानक टूटी, तब उसने देखा कि कुछ समय पूर्व जो नवयुवतियां सबमुष सौन्दर्य का अवतार सी प्रतीत हो रही थीं, उन्धी और अन्न आश्व उठाने से भी स्तानि होती है। किसी के बाल अम्लव्यस्य हैं, कोई किसी भयंकर स्वप्न को देखने के कारण मुख ही विकृत कर रही है। किसी के शरीर से बखर उतर गया है। थोड़ी देर तक इस दृश्य का देखकर सिद्धार्थ वहाँ से अपने शयनागार में चला गया। इस दृश्य ने सिद्धार्थ के कोमल हृदय को वैराग्य की तरफ और भी प्रेरित कर दिया। उसने संसार का परित्याग कर संन्यास ले लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया।

एक दिन अंधेरी रात को कुमार सिद्धार्थ घर से निकल गया। शयनागार से बाहर आकर तब वह सदा के लिये अपने छोटे से परिवार से विदा होने लगा, तो उसे अपने प्रिय अवोध बालक राहुल और प्रियतमा यशोधरा की स्मृति सताने लगी। वह पुनः अपने शयनागार में श्विष्ट हुआ। यशोधरा मुख की नौद सो रही थी। राहुल माता की छाती से नटा सो रहा था। कुछ देर तक सिद्धार्थ इस अनुपम दृश्य को एकटक देखता रहा। उसके हृदय पर दुःखानता प्रभाव करने लगी। पर अगले ही क्षण अपने हृदय के निर्मल भावों को एक साथ परे हकेल कर वह बाहर चला गया। गृहत्याग के समय इसकी आत्मा नद बप की थी।

प्रातःकाल हों जाने पर सिद्धार्थ ने अपना पोड़ा भी खुला छोड़ दिया। पोड़ा स्वयं अपने पर बापन लौट आया। सिद्धार्थ ने अपने राजसी कपड़े एक साधारण किसान के साथ बदल लिये थे। प्रातःकाल शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को ढूँढ़ने के लिये अपने अनुचरों को भेजा, पर साधारण किसान के वस्त्र पहने हुए कुमार को वे नहीं पहचान सके। सिद्धार्थ निश्चिन्त होकर अपने मार्ग पर अग्रसर हुआ।

इसके बाद लगभग सात साल तक सिद्धार्थ ज्ञान और सत्य की खोज में इधर उधर भटकता रहा। शुरू शुरू में उसने दो तपस्वियों को अपना गुरु धारण किया। इन्होंने उसे मोक्षप्राप्ति के लिये खूब तपस्या करवाई। शरीर की सब क्रियाओं को बन्द कर पोर तपस्या करना ही इनकी दृष्टि में मोक्ष का उपाय था। सिद्धार्थ ने पोर से पोर तपस्याएँ की। शरीर को तरह तरह से कष्ट दिये। पर इन साधनों से उसे आत्मिक शान्ति नहीं मिली। उसने यह मार्ग छोड़ दिया।

मगध का परिभ्रमण करता हुआ सिद्धार्थ उरुबेल पहुँचा। यहाँ के मनोहर प्राकृतिक दृश्यों ने उसके हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला। इस प्रदेश के निस्तब्ध और सुन्दर जंगलों और मधुर शब्द करने वाले स्वच्छ जल के झरनों को देख कर उसका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। उरुबेल के इन जंगलों में सिद्धार्थ ने फिर तपस्या प्रारम्भ की। यहाँ पाँच अन्य तपस्वियों से भी सिद्धार्थ की भेंट हुई। ये भी कठोर तप द्वारा मोक्षप्राप्ति में विश्वास रखते थे। सिद्धार्थ लगातार पद्मासन लगा कर बैठा रहता। भोजन तथा जल का उसने सर्वथा परित्याग कर दिया। इस कठोर तपस्या से उसका शरीर निर्जीव सा हो गया। पर फिर भी उसे सन्तोष नहीं हुआ।



शुभकालीन बुद्ध, मारनाथ
सारनाथ संग्रहालय
पाँचवीं शती, ई० पू०

The first part of the document
 describes the general principles
 of the system. It is divided into
 several sections, each dealing
 with a different aspect of the
 theory. The second part
 contains a detailed account of
 the experiments conducted to
 test the validity of the
 proposed model. The results
 are presented in a series of
 tables and figures, which
 clearly demonstrate the
 agreement between the
 theoretical predictions and
 the experimental observations.
 Finally, the document
 concludes with a discussion
 of the implications of the
 findings and suggests
 directions for future research.

उसने अनुभव किया, कि उसकी आत्मा वहाँ पर है, जहाँ पहले थी। इतनी घोर तपस्या के बाद भी उसे आत्मिक उन्नति के कोई चिह्न दिखाई नहीं दिए। उसे विश्वास हो गया कि शरीर को जान-बूझकर कष्ट देने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्धार्थ ने तपस्या के मार्ग का परित्याग कर दिया और फिर से अन्न ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया। उसके साथी तपस्वियों ने समझा, कि सिद्धार्थ मार्गभ्रष्ट हो गया है, और अपने उद्देश्य से च्युत हो गया है। उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और अन्न सिद्धार्थ फिर अकेला ही रह गया।

तपस्या के मार्ग से निराश होकर सिद्धार्थ वर्तमान बोधगया के समीप पहुँचा। वहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष था। वृक्ष पर सिद्धार्थ उसकी छाया में बैठ गया। इतने दिनों तक वह सत्य को ढूँढ़ने के लिये अनेक मार्गों का प्रहार कर चुका था। अब उसने अपने अनुभवों पर विचार करना प्रारम्भ किया। सात दिन और सात रात वह एक ही जगह पर ध्यानमग्न दशा में बैठा रहा। अन्त में उसे बोध हुआ। उसे अपने हृदय में एक प्रकार का प्रकाश सा ज्ञान पड़ा। उसकी आत्मा में एक विश्व व्योमि का आविर्भाव हुआ। इसकी साधना संकल हुई। वह अज्ञान से ज्ञान की दशा को प्राप्त हो गया। इस बोध व सत्य-ज्ञान के कारण वह सिद्धार्थ से 'बुद्ध' बन गया। बौद्धों की दृष्टि में इस पीपल के वृक्ष का वृक्ष महत्त्व है। वह बोधिवृक्ष कहलाता है, उसी के कारण समीपवर्ती नगरी गया भी बोधगया कहलाती है। इस वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न दशा में जो बोध कुमार सिद्धार्थ को हुआ था, वही 'बौद्ध धर्म' कहलाता है। महात्मा बुद्ध उसे आर्यमार्ग व मध्यमार्ग कहते थे। इसके बाद सिद्धार्थ व बुद्ध ने अपना सम्पूर्ण जीवन इसी आर्यमार्ग का प्रचार करने में लगा दिया।

बीड़-साहित्य में सिद्धार्थ की इस ज्ञानप्राप्ति की दशा का बड़ा विस्तृत और अतिरंजित वर्णन किया गया है। उसके अनुसार ज्ञानप्राप्ति के अवसर पर मार (कामदेव) आदि राजसों ने अपनी सेना सहित सिद्धार्थ पर चढ़ाई की। उसके सामने नाना प्रकार के प्रलोभन व कंपा देने वाले भय उपस्थित किये गये। पर सिद्धार्थ ने इन सब पर विजय पाई। सम्भवतः ये वर्णन महात्मा बुद्ध के हृदय के अच्छे-बुरे भावों के संघर्ष को प्रियतम करने के लिये किये गये थे। बुद्ध ने अपने हृदय में विद्यमान बुरे भावों पर विजय प्राप्त की और सत्यज्ञान द्वारा धर्म के आर्यमार्ग का ग्रहण किया।

महात्मा बुद्ध को जो बोध हुआ था, उसके अनुसार मनुष्य-मात्र का कल्याण करना और सब प्राणियों का हित सम्पादन करना उनका परम लक्ष्य था। इसीलिये बुद्ध होकर वे शान्त होकर नहीं बैठ गये। उन्होंने सब जगह नूम नूम कर अपना उपदेश जनता तक पहुँचाना प्रारम्भ किया।

गया से महात्मा बुद्ध काशी की ओर चले। काशी के समीप जहाँ आजकल सारनाथ है, वहाँ उन्हें वे पाँचों तपस्वी मिले, जिनसे उनकी उरुधेल में भेंट हुई थी। जब इन तपस्वियों ने बुद्ध को दूर से आते देखा, तब उन्होंने सोचा, यह वही सिद्धार्थ है जिसने अपनी तपस्वा वीच में ही भंग कर दी थी। वह अपने प्रयत्न में असफल हो निराश होकर फिर यहाँ आ रहा है। हम इसका स्वागत व सन्मान नहीं करेंगे। परन्तु जब महात्मा बुद्ध और समीप आये, तो उनके चेहरे पर एक अनुपम ज्योति देख कर ये तपस्वी आश्चर्य में आ गये, और खड़े होकर उनका स्वागत किया। बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। गया में बोधिवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर जो सत्यज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, उसका सब से पहले उपदेश इन तप-

स्वियों को ही दिया गया। ये पाँचों बुद्ध के शिष्य हो गये। बौद्ध धर्म में सारनाथ के इस उपदेश का बड़ा महत्त्व है। इसीके कारण बौद्ध संसार में जोधगया के बाद सारनाथ का तीर्थ-स्थान के रूप में सब से अधिक आहात्म्य है।

सारनाथ से बुद्ध उठकेल गये। यह स्थान उस समय याज्ञिक कर्मकाण्ड में व्यस्त ब्राह्मण पुरोहितों का गढ़ था। वहीं एक हजार ब्राह्मण इस प्रकार के रहते थे, जो हर समय अग्निकुण्ड में अग्नि को प्रदीप्त रखकर वेदमन्त्रों द्वारा आहुतियाँ देने में व्यस्त रहते थे। बुद्ध के उपदेशों से अनेक ब्राह्मण उनके अनुयायी हो गये। कश्यप इनका नेता था, आगे चल कर यह बुद्ध के प्रधान शिष्यों में गिना जाने लगा।

कश्यप के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाने के कारण बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उठकेल से वह अपने शिष्यों के साथ राजगृह गये। उन्होंने नगर के बाहर एक उपवन में डेरा लगाया। उन दिनों मगध के राजसिंहासन पर श्रेष्ठिय विन्धिसार विराजमान थे। उन्होंने बहुत से अनुचरों के साथ बुद्ध के दर्शन किये और उनके उपदेशों का अवलु किया। राजगृह में बुद्ध को दो ऐसे शिष्य प्राप्त हुए, जो आगे चल कर बौद्ध धर्म के बड़े स्वम्भ साधित हुए। इनके नाम सारिपुत्त और मोग्गलान थे। ये दोनों प्रतिभाशाली ब्राह्मणकुमार एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे और सदा एक साथ रहते थे। एक बार जब ये मार्ग पर बैठे हुए किसी विषय की चर्चा कर रहे थे, तो एक बौद्ध भिक्षु भिक्षापात्र हाथ में लिये उस रास्ते से गुजरा। इन ब्राह्मणकुमारों की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसकी चाल, बल, मुखमुद्रा और शान्त तथा वैराग्यपूर्ण दृष्टि से ये दोनों इतने प्रभावित हुए कि उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये ब्याकुल हो उठे। जब यह बौद्ध भिक्षु भिक्षाकार्य समाप्त कर वापस लौट रहे।

था, तो ये उसके साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिये गये। इनको देखते ही बुद्ध समझ गये कि ये दोनों ब्राह्मणकुमार उनके प्रधान शिष्य बनने योग्य हैं। बुद्ध का उपदेश सुन कर सारिपुत्त और मोग्गलान भी भिक्षुवर्ग में सम्मिलित हो गये। बाद में ये दोनों बड़े प्रसिद्ध गुरु और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये इन्होंने बहुत कार्य किया।

जब मगध के बहुत से कुलीन लोग बड़ी संख्या में भिक्षु बनने लगे, तो जनता में असन्तोष बढ़ने लगा। लोगों ने कहा शुरु किया—यह सातु पत्ता को सखा घटाने, स्त्रियों को विधवाओं के सदृश बनाने और कुलों का नारा करने के लिये आया है। इसमें यशो। बुद्ध के शिष्यों ने उनसे आकर कहा, कि आज-कल मगध की जनता इस भाव के गोंध बन कर गा रही है—सिर करता हुआ एक साधु मगध की राजधानी में आया है, और पदाङ्ग की चोटी पर डेरा डाले बैठा है। उसने संज्ञय के सब शिष्यों को अपना चेला बना लिया है, आज न जाने वह कैसे अपने पीछे लगायगा। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया—इस बात से चबराओ नहीं। यह असन्तोष क्षणिक है। जब तुमसे लोग पूछते हैं, बुद्ध आज कैसे अपने पीछे लगायगा, तो तुम उत्तर दिया करो—वीर और विवेकशाली पुरुष उसके अनुयायी बनेंगे। वह तो सत्य के बत पर ही अपने अनुयायी बनाता है।

महात्मा बुद्ध का प्रधान काव्यक्षेत्र मगध था। वे कई बार मगध में आते, और सर्वत्र नुम घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया। विभिन्न शहर और अजातशत्रु उनके समकालीन थे। इन मगध सम्राटों के हृदय में बुद्ध के प्रति अपार भद्रा थी। बुद्ध अपने बहुत से शिष्यों को साथ में लेकर इमण किया करते थे। उनकी मददगारी में कई सौ भिक्षु एक साथ रहते थे। वे जिस शहर में पहुँचते, शहर के बाहर किसी उपवन में डेरा डाल

देते । लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शनों के लिये आते और रगमे उपदेश अवगुण करते । नगर के अद्वालु लोग उन्हें भोजन के लिये आमन्त्रित किया करते थे । भोजन के अतन्तर बुद्ध अपने यत्नमान को उपदेश भी देते थे । यही उनके प्रचार का ढंग था ।

मगध से बाहर महात्मा बुद्ध काशी, कोशल और बज्ज जनपदों में गये थे । अश्वन्ति जैसे दरवर्ती जनपदों के लोगों ने उन्हें अनेक बार आमन्त्रित किया । पर इच्छा होते हुए भी वे स्वयं वहाँ नहीं जा सके । उन्होंने अपने कुछ शिष्यों की टोली को वहाँ भेज दिया था, और अश्वन्ति की जनता ने बड़े प्रेम और उत्साह से उनका स्वागत किया था । भिक्षुओं की इसी प्रकार की टोलियाँ अन्वय भी बहुत से स्थानों पर आर्यमार्ग का प्रसार करने के लिये भेजी गई थीं । इन प्रचारमण्डलियों का ही परिणाम था, कि बुद्ध के जीवनकाल में ही उनका संदेश प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत में दूर दूर तक फैल गया था ।

महात्मा बुद्ध ने ४४ वर्ष के लगभग आर्यमार्ग का प्रचार किया । जब वे ८० वर्ष के हो चुके थे, तो उन्होंने राजगृह से कुशीनगर के लिये एक लम्बी यात्रा का प्रारम्भ किया था । इस यात्रा में वैशाली के समीप वेणुवन में उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था । कुछ दिन वहाँ विश्राम करके उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया । पर वे बहुत निर्बल हो चुके थे । वैशाली से कुशीनगर आते हुए वे फिर बीमार पड़े । बीमारी की दशा में ही वे कुशीनगर पहुँचे और हिरण्यवती नदी के तट पर अपना डेरा डाला । यहाँ उनकी दशा और भी बिगड़ गई । बुद्ध की बीमारी की खबर कुशीनगर में वायुवेग से फैल गई । नगर के कुलीन मल्ल (कुशीनगर में मल्लगण की स्थिति थी) चत्रिय पड़े पड़े मुरछों में हिरण्यवती के तट पर महात्मा बुद्ध के अन्तिम दर्शनों के लिये आने लगे ।

महात्मा बुद्ध की अंतिम दशा की कल्पना कर भिक्षु लोग बड़े चिन्तित थे। उन्हें उदास देख कर बुद्ध ने उन्हें कहा—तुम सोचते होगे, तुम्हारा आचार्य तुमसे जुदा हो रहा है। पर ऐसा मत सोचो। जो सिद्धान्त और नियम मैंने तुम्हें बताये हैं, जिनका मैंने प्रचार किया है, वही तुम्हारे आचार्य रहेंगे और सदा जीवित रहेंगे। फिर उन्होंने सब भिक्षुओं को सम्बोधन करके कहा—पुत्रो ! सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जो आता है, वह जाता भी अवश्य है। बिना रुके प्रयत्न किये जाओ।

महात्मा बुद्ध के ये ही अंतिम शब्द थे। इसके बाद उनका देह प्राणशून्य हो गया। कुशीनगर के समीप अब भी उस स्थान पर एक विशाल मूर्ति विद्यमान है, जहाँ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ।

(५) बौद्ध धर्म की शिक्षायें

महात्मा बुद्ध सच्चे अर्थों में धर्मसुधारक थे। प्राचीन आर्यधर्म में जो बहुत सी छरावियाँ आ गई थीं, उन्हें दूर कर उन्होंने सच्चे आर्यधर्म का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। समाज में ऊँचनीच के भेद के ये बहुर विरोधी थे। जन्म के कारण किसी को ऊँचा व किसी को नीचा मानने के लिये वे तैयार नहीं थे। उनकी दृष्टि में कोई अक्षुभ नहीं था। उनके शिष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रेष्ठ, शूद्र, वैश्यायें व नीचा समझी जाने वाली जातियों के मनुष्य—सब एक समान स्थान रखते थे। एक बार की बात है, कि दो ब्राह्मण, वासन्ध और भारद्वाज बुद्ध के पास गये, और उनसे कहा—इस दोनों में इस बात पर विवाद हो गया है, कि कोई क्याँक जन्म से ब्राह्मण होता है, या कर्म से। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया—हे वासन्ध ! मनुष्यों में जो गौण चराता है, उसे हम चरबाहा कहेंगे, ब्राह्मण नहीं।

जो मनुष्य कला-सम्बन्धी बातों से अपनी आजीविका चलाता है, उसे हम कलाजीवी कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। जो आदमी व्यापार करता है, उसे हम व्यापारी कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। जो आदमी दूसरों की नौकरी करता है, वह अनुचर कहलावेगा, ब्राह्मण नहीं। जो चोरी करता है, वह चोर कहलावेगा, ब्राह्मण नहीं। जो आदमी राज्य धारण करके अपना निर्वाह करता है, उन हम सैनिक कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। किसी विरोध माता के पेट से जन्म लेने के कारण मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहूँगा। वह व्यक्ति जिसका किसी भी वस्तु पर ममत्व नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा। जिसने अपने सब बन्धन काट दिखे हैं, अपने को सब लगावों से पृथक् करके भी जो विचलित नहीं होता, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा। जो भी व्यक्ति क्रोधरहित है, अच्छे काम करता है, सत्याभिलाषी है, जिसने अपना इच्छाओं का दमन कर लिया है, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा। वास्तव में न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है, और न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म न लेने से अब्राह्मण होता है। अपने कर्मों से ही एक आदमी ब्राह्मण बन जाता है और दूसरा अब्राह्मण। अपने काम से ही कोई किसान है, कोई शिल्पी है, कोई व्यापारी है और कोई सेवक है।

महारत्ना बुद्ध पशुहिंसा के घोर विरोधी थे। अहिंसा उनके सिद्धान्तों में से एक था। वे न केवल जड़ों में पशुवति के विरोधी थे, पर जीवों को मारना व किसी प्रकार का कष्ट देना भी वे अनुचित समझते थे। उस समय भारत में जड़ों का कर्म-काण्ड बड़ा जटिल रूप धारण कर चुका था। लोगों का विश्वास था, कि यज्ञ द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ईश्वर के हृदय के लिये मोक्ष की साधना के लिये और अभीष्ट फल की प्राप्ति

के लिये ब्राह्मण लोग यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। पर महात्मा बुद्ध का यज्ञों में विश्वास नहीं था। एक जगह उन्होंने उपदेश करते हुए कहा है—वासत्व ! एक उदाहरण लो। कल्पना करो कि यह अचिरावती नदी किनारे तक भर कर जा रही है। इसके दूसरे किनारे पर एक मनुष्य आता है और वह किसी आवरवक कार्य से इस पार आना चाहता है। वह मनुष्य उसी किनारे पर खड़ा हुआ यह प्रार्थना करना प्रारम्भ करे कि ओ दूसरे किनारे, इस पार आ जाओ ! क्या उसके इस प्रकार स्तुति करने से यह किनारा उसके पास चला जायगा ? हे वासत्व ! ठीक इसी प्रकार एकत्रयी विश्वा में निष्ठात ब्राह्मण यदि उन गुणों को क्रियारूप में अपने अन्दर नहीं लाता जो किसी मनुष्य को ब्राह्मण बनाते हैं, अत्राह्मणों का आचरण करता है, पर मुख से प्रार्थना करता है—मैं इन्द्र को बुलाता हूँ, मैं वरुण को बुलाता हूँ, मैं प्रजापति, ब्रह्मा, महेश और यम को बुलाता हूँ, तो क्या ये उनके पास चले आवेंगे ? क्या इनकी प्रार्थना से ही कोई लाभ हो जायगा ?

यज्ञों में विविध देवताओं का आह्वान कर ब्राह्मण लोग जो उनकी स्तुति करते थे, महात्मा बुद्ध उसे निरर्थक समझते थे। उनका विचार था, कि सदाचरण और सद्गुणों से ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। व्यर्थ के कर्मकाण्ड से कोई लाभ नहीं। बुद्ध और वासत्व का एक अन्य संवाद इस विषय पर बड़ा उत्तम प्रकाश डालता है।

“क्या ईश्वर के पास धन व क्षियाँ हैं ?”

“नहीं।”

“वह क्रोधपूर्ण है या क्रोधरहित ?”

“क्रोधरहित।”

“उसका अन्तःकरण मलिन है या पवित्र ?”

“पवित्र ।”

“वह स्वयं अपना स्वामी है या नहीं ?”

“है ।”

“अच्छा वास्तव ! क्या इन ब्राह्मणों के पास धन और
स्त्रियाँ नहीं हैं ?”

“हैं ।”

“ये क्रोधी हैं या क्रोधरहित ?”

“क्रोधी हैं ।”

“ये ईर्ष्यालु हैं या ईर्ष्यारहित ?”

“ये ईर्ष्यालु हैं ।”

“उनका अन्तःकरण क्या पवित्र है ?”

“नहीं, अपवित्र है ।”

“वे स्वयं अपने स्वामी हैं या नहीं ?”

“नहीं ।”

“अच्छा वास्तव ! तुम स्वयं ही ईश्वर और ब्राह्मणों से
इतना स्वभाववैषम्य सतला रहे हो। अब बताओ, इनमें कोई
एकता और साम्य भी हो सकता है ?”

“कोई नहीं ।”

“इसका अभिप्राय यह हुआ कि ये ब्राह्मण मलिन हृदय के
हैं, वासनाओं से शुभ्य नहीं हैं और वह ब्रह्म पवित्र और वासना-
रहित है, अतः ये ब्राह्मण मृत्यु के अनन्तर उसके साथ नहीं
मिल सकते। अब ये आचारहीन ब्राह्मण बैठ कर वेदपाठ करते
हैं या उसके अनुसार कोई कर्मकाण्ड करते हैं, तब उनके हृदय
में तो यह होता है कि इस वेदपाठ से या कर्मकाण्ड से मोक्ष की
प्राप्ति हो जावेगी। पर यह उनका अज्ञान है। त्रयोविधा के उन
परिहर्तों की भाव वस्तुतः जलरहित महानूभि के, मार्गरहित प्रोहद
वन के समान है। उससे उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता।”

अभिप्राय यह है, कि महात्मा बुद्ध केवल वेदपाठ व यज्ञों के अनुष्ठानों को सर्वथा लाभहीन समझते थे। उनका विचार था, कि जब तक चरित्र शुद्ध नहीं होगा, धन की इच्छा दूर नहीं होगी, क्रोध, काम, मोह आदि पर विजय नहीं की जावेगी, तब तक यज्ञों के अनुष्ठान मात्र से कोई लाभ नहीं होगा।

जीवन को पवित्र बनाने के लिये महात्मा बुद्ध ने अष्टाङ्गिक मार्ग का उपदेश किया था। इस मार्ग के ये आठ अंग हैं—(१) सत्य-चिन्तन (२) सत्य-संकल्प (३) सत्य-भाषण (४) सत्य-आचरण (५) सत्य रहन-सहन (६) सत्य-प्रयत्न (७) सत्य-ध्यान और (८) सत्य आनन्द। इसमें सन्देह नहीं कि आठ बातों को पूर्णतया आचरण कर मनुष्य अपने जीवन को आदर्श व कल्याण-मय बना सकता है।

बुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य निर्वाणपद को प्राप्त करना है। निर्वाण किसी पृथक् लोक का नाम नहीं है; न ही निर्वाण कोई ऐसा पद है, जिसे मनुष्य मृत्यु के बाद प्राप्त करता है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण उस अवस्था का नाम है, जिसमें ज्ञान द्वारा अविद्यारूपी अन्धकार दूर हो जाता है। यह अवस्था इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त की जा सकती है। सत्यवाच के अनन्तर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की यह दशा इसी जन्म में प्राप्त कर ली थी। एक जगह पर बुद्ध ने कहा—जो धर्मात्मा लोग किसी की हिंसा नहीं करते, शरीर की वृत्तियों का संयम कर पापों से बचे रहते हैं, उस अत्युत्तम निर्वाणपद को प्राप्त करते हैं, जहाँ शोक और संताप का नाम भी नहीं।

महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में सूक्ष्म और जटिल दार्शनिक विचारों को अधिक स्थान नहीं दिया। इन विचारों की उन्होंने उपेक्षा की। जीव का क्या स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है व किसी अन्य पदार्थ से, अन्तर्दि तत्त्व कितने

और कौन से हैं, सृष्टि का कर्ता कोई ईश्वर है या नहीं—इस प्रकार के दार्शनिक विवादों से वे सदा बचते रहे। उनका विचार था, कि जीवन की पवित्रता और आत्मकल्याण के लिये इन सब प्रश्नों पर विचार करना विशेष लाभकारी नहीं है। पर मनुष्यों में इन प्रश्नों के लिये एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। यही कारण है, कि आगे चल कर बौद्धों में बहुत से दार्शनिक सम्प्रदायों का विकास हुआ। इन सम्प्रदायों के सिद्धान्त एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। पर बुद्ध के उपदेशों व संवादों में इन दार्शनिक तत्त्वों पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया।

(६) बौद्ध संघ

महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिये संघ की स्थापना की। जो लोग सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर धर्मप्रचार और मनुष्यमात्र की सेवा में ही अपना जीवन अर्पण देना चाहते, वे भिक्षुव्रत लेकर संघ में सम्मिलित होते थे।

महात्मा बुद्ध का जन्म एक गणराज्य में हुआ था। अपनी आयु के २६ वर्ष उन्होंने गणों के वातावरण में व्यतीत किये थे। वे गणों व संघों की कार्यप्रणाली से भलीभाँति परिचित थे। यही कारण है, कि जब उन्होंने अपने नवीन धार्मिक सम्प्रदाय का संगठन किया, तो उसे भिक्षुसंघ नाम दिया। अपने धार्मिक संघ की स्थापना करते हुए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने समय के संघराज्यों का अनुसरण किया और उन्हीं के नियमों तथा कार्यविधि को अपनाया। सब जगह भिक्षुओं का अलग अलग संघ था। प्रत्येक स्वान का संघ अपने आप में एक पृथक् स्वतन्त्र सत्ता होता था। सारे भिक्षुसंघ सभा में एकत्र होकर अपने कार्य का सम्पादन करते थे। ब्रह्मसंघ को जिस प्रकार के सात अपरिहार्यधर्मों का महात्मा

बुद्ध ने उपदेश किया था जैसे ही सात अपरिहारणीय धर्म बौद्ध संघ के लिये उपदिष्ट किये गये थे—

- (१) एक साथ एकत्र होकर बहुधा अपनी सभायें करते रहना ।
- (२) एक ही बैठक करना, एक ही उत्थान करना और एक ही संघ के सब कार्यों को सम्पादित करना ।
- (३) जो संघ द्वारा विहित है, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना । जो संघ में विहित नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करना । जो भिक्षुओं के पुराने नियम चले आ रहे हैं, उनका सदा पालन करना ।
- (४) जो अपने में बड़े, धर्मानुरागी, चिरप्रव्रजित संघ के पिता, संघ के नायक स्थविर भिक्षु हैं, उनका सत्कार करना, उन्हें बड़ा मान कर उनकी पूजा करना, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझना ।
- (५) पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली लुप्तता के चरा नहीं आना ।
- (६) वन की कुटियों में निवास करना ।
- (७) सदा यह स्मरण रखना कि भविष्य में केवल ब्रह्मचारी ही संघ में सम्मिलित हों, और सम्मिलित हुए लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहें ।

संघ-सभा में जब भिक्षु लोग एकत्र होते थे, तो प्रत्येक भिक्षु के बैठने के लिये आसन नियत होते थे । आसनों की व्यवस्था करने के लिये एक श्रृङ्खल कर्मचारी होता था, जिसे आसन-प्रज्ञापक कहते थे । संघ में जिस विषय पर विचार होना होता था, उसे पहले प्रस्तावरूप में पेश किया जाता था । प्रत्येक प्रस्ताव तीन बार दोहराया जाता था, उस पर बहस होती थी,

धीरे निर्णय के लिये मत (वोट) लिये जाते थे । संघ के लिये कोरम का भी नियम था । संघ की बैठक के लिये कम से कम बीस भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक होती थी । यदि कोई निर्णय पूरे कोरम के अभाव में किया जाता, तो उसे मान्य नहीं समझा जाता था ।

प्रत्येक भिक्षु के लिये आवश्यक था, कि वह संघ के सब नियमों का पालन करे, संघ के प्रति भक्ति रखे । इसीलिये भिक्षु बनते समय जो तीन प्रतिज्ञायें लेनी होती थीं, उनके अनुसार प्रत्येक भिक्षु को बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में आने का वचन लेना होता था । संघ में शामिल हुए भिक्षु कठोर संन्यास का जीवन व्यतीत करते थे । मनुष्यमात्र के कल्याण के लिये और सब प्राणियों के हित के लिये ही भिक्षुसंघ की स्थापना हुई थी । यह कार्य सम्पादित करने के लिये भिक्षुओं से वैयक्तिक जीवन को पवित्रता और त्याग का भावना की पूरी आशा रखी जाती थी ।

बौद्ध संघ के अपूर्व संघटन ने बुद्ध के कार्यमार्ग के सर्वत्र प्रचरित होने में बड़ी सहायता दी । जिस समय मगध के साम्राज्यवाद ने प्राचीन संघराज्यों का अन्त कर दिया, तब भी बौद्ध संघों के रूप में भारत की प्राचीन जनतन्त्र प्रणाली जीवित रही । राजनीतिक शक्ति यदि मगध सम्राटों के हाथ में थी, तो धार्मिक और सामाजिक शक्ति इन संघों में निहित थी । संघों में एकत्र होकर हजारों लाखों भिक्षु लोग पुरातन गुरुप्रणाली से उन विषयों का निर्णय किया करते थे, जिनका मनुष्यों के दैनिक जीवन से अधिक घनिष्ट सम्बन्ध था । बौद्ध संघ की इस विशेष स्थिति का वह परिणाम था, कि भारत में समानान्तर रूप से दो प्रबल शक्तियाँ आयम थीं, एक मगध साम्राज्य और

दूसरा चातुरन्व संघ । एक समय ऐसा भी आया, जब इन दोनों शक्तियों में परस्पर संघर्ष का सूत्रपात हो गया ।

(७) आजीवक सम्प्रदाय

भारतीय इतिहास में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का समय एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक सुधारका काल था । इस समय में अनेक नवीन धार्मिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था । इनमें बौद्ध और जैन धर्मों के नाम तो सब कोई जानते हैं, पर जो अन्य सम्प्रदाय भी इस समय में प्रारम्भ हुए थे, उनका परिचय प्रायः लोगों को नहीं है । इसी प्रकार का एक सम्प्रदाय आजीवक था । इसका प्रवर्तक मंस्कलिपुत्र गोसाल था । आजीवकों के कोई अपने ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होते । उनके सम्बन्ध में जो कुछ भी परिचय मिलता है, वह सब बौद्ध और जैन साहित्य से ही है । मंस्कलिपुत्र गोसाल छःठी आयु से ही भिक्षु हो गया । शीघ्र ही वर्धमान महावीर से उसका परिचय हुआ, जो 'केवलिन' पद पाकर इस समय अपने विचारों का जनता में प्रसार करने में संलग्न थे । महावीर और गोसाल साथ साथ रहने लगे । पर इन दोनों की तथियत, स्वभाव, आचार-विचार और चरित्र एक दूसरे से इतने भिन्न थे, कि छः साल बाद उनका साथ टूट गया और गोसाल ने महावीर से अलग होकर अपने पृथक् सम्प्रदाय की स्थापना की, जो आगे चल कर आजीवक नाम से विख्यात हुआ । गोसाल ने अपने कार्य का मुख्य केन्द्र आवस्ती को बनाया । आवस्ती से बाहर एक कुम्भकार स्त्री का अतिथि होकर उसने निवास प्रारम्भ किया, और धीरे धीरे बहुत से लोग उसके अनुयायी हो गये ।

आजीवक सम्प्रदाय के मन्तव्यों के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमें ज्ञात होता है, उसका आधार उसका विरोधी साहित्य है ।

पर उसके कुछ मन्तव्यों के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। आजीवक लोग मानते थे, कि संसार में सब बातें पहले से ही नियत हैं। "जो नहीं होना है, वह नहीं होगा। जो होना है, वह कोशिश के बिना भी हो जायगा। अगर भाग्य न हो, तो हाथ में आई हुई चीज भी नष्ट हो जाती है। नियति के बल से जो कुछ होता है, वह चाहे शुभ हो या अशुभ, अवश्य होकर रहेगा। मनुष्य चाहे कितना ही यत्न करे, पर जो होना-हार है, उसे वह बदल नहीं सकता।" इसीलिये आजीवक लोग पीरुप, कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नियति को अधिक बलवान मानते थे। आजीवकों के अनुसार वस्तुओं में जो विकार व परिवर्तन होते हैं, उनका कोई कारण नहीं होता। संसार में कार्य-कारण भाव काम कर रहा हो, सो बात नहीं। पर जो कुछ हो रहा है या होना है, वह सब नियत है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उसे बदल सके, यह सम्भव नहीं।

वर्तमान महावीर के साथ आजीवक का जिन बातों पर मतभेद हुआ था, उनमें से मुख्य निम्नलिखित थीं—(१) शीतल जल का उपयोग करना (२) अपने लिये विशेष रूप से तैयार किये गये अन्न व भोजन को ग्रहण करना (३) स्त्रियों के साथ सहवास करना। मंसखलिपुत्र गोसाल की प्रवृत्ति अधिक भोग की तरफ थी। वह आराम से जीवन व्यतीत करने के पक्ष में था। महावीर का घोर तपस्यामय जीवन उसे पसन्द नहीं था। यही कारण है, कि महात्मा बुद्ध ने भी एक स्थल पर आजीवकों को ऐसे सम्प्रदायों में गिना है, जो ब्रह्मचर्य को महत्त्व नहीं देते।

पर आजीवक भिक्षु का जीवन बड़ा सादा होता था। वे प्रायः हथेली पर रख कर भोजन करते थे। मांस, मच्छी और मदिरा का सेवन उनके लिये वर्जित था। वे दिन में केवल एक बार भिक्षा माँग कर भोजन करते थे।

आजीवक सम्प्रदाय का भी काफी विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के शिलालेखों में उल्लेख आता है, कि उसने अनेक गुहा-निवास आजीवकों को प्रदान किये थे। अशोक के पौत्र सम्राट दशरथ ने भी गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में अनेक गुहायें आजीवकों के निवास के लिये दान में दी थीं और इस दान के सूचित करने वाले शिलालेख अब तक उपलब्ध होते हैं। अशोक ने विविध धार्मिक सम्प्रदायों में अविरोध उत्पन्न करने के लिये जो 'धर्ममहामात्र' नियत किये थे, उन्हें जिन सम्प्रदायों के मामलों पर दृष्टि रखने का आदेश दिया गया है, उनमें बौद्ध, ब्राह्मण और निर्धन्व (जैन) सम्प्रदायों के साथ आजीवकों का भी उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है, कि धीरे धीरे आजीवकों ने भी प्रयाप्त महत्त्व प्राप्त कर लिया था, और यह सम्प्रदाय कई सदियों तक जीवित रहा था। इस समय इसके कोई अनुवासी शेष नहीं हैं।

(८) धार्मिक सुधारणा का प्रभाव

वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के नेतृत्व में प्राचीन भारत को इस धार्मिक सुधारणा ने जनता के हृदय और दैनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने अपने प्राचीन धार्मिक विश्वासों को छोड़ कर किसी नये धर्म की दीक्षा ले ली हो, यह नहीं हुआ। पहले धर्म का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था, जो कर्मकाण्ड, विधि-विधान और विविध अनुष्ठानों द्वारा जनता को धर्म-मार्ग का प्रदर्शन करते थे। सर्वसाधारण गृहस्थ जनता सांसारिक धर्मों में संलग्न थी, कृषि, शिल्प, व्यापार आदि द्वारा धन उपार्जन करती थी, और ब्राह्मणों द्वारा बताये धर्म-मार्ग पर चल कर इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी। अब ब्राह्मणों का स्थान भिक्षुओं, मुनियों

और भिक्षुओं ने ले लिया। इन धर्मों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र - सभी वर्गों और जातियों के लोग सम्मिलित थे। अपने गुणों के कारण समाज में इनकी प्रतिष्ठा थी। धर्म का नेतृत्व एक ब्राह्मण जाति के हाथ में निकल कर अब ऐसे लोगों के समाज के हाथ में आ गया था, जो घर-गृहस्थी को छोड़कर मनुष्यमात्र की सेवा का व्रत ग्रहण करते थे निःसन्देह, यह एक बड़ी भारी सामाजिक क्रांति थी।

भारत के सर्वसाधारण गृहस्थ सदा से अपने कुलकामानुगत धर्म का पालन करते रहे हैं। प्रत्येक कुल के अपने देवता, अपने रीति-रिवाज और अपनी परम्पराएँ थीं, जिनका अनुसरण सब लोग मर्यादा के साथ करते थे। ब्राह्मणों का वे आदर करते थे, उनका उपदेश सुनते थे, और उनके वचनो कर्मकारण का अनुष्ठान करते थे। ब्राह्मण एक ऐसी भेष्टि थी, जो सांसारिक धर्मों से पृथक् रह कर धर्मचिन्तन में संलग्न रहती थी। पर समय की गति से इस समय बहुत से ब्राह्मण अपने त्याग, तपस्या और निरीह जीवन का त्याग कर चुके थे। अब उनके मुकाबले में धर्मों की जो नई भेष्टि संगठित हो गई थी, वह त्याग और तपस्या से जीवन व्यतीत करती थी, मनुष्यमात्र का कल्याण करने में तत्पर रहती थी। जनता ने ब्राह्मणों की जगह अब इनको आदर देना और इनके उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू किया। बौद्ध धर्म के प्रचार का यही अभिप्राय है। जनता ने पुराने धर्म का सर्वथा परि त्याग कर कोई विलकुल नया धर्म अपना लिया हो, सो बात भारत के इतिहास में नहीं हुई।

विश्विसार, अजातशत्रु, उद्दालि, महापद्मनन्द और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे मागध सम्राट् जैन मुनि, बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मणों का समानरूप से आदर करते थे। जैन साहित्य के अनुसार जैन

थे, इन्होंने जैन मुनियों का आदर किया और उन्हें बहुत सा दान दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये बौद्ध थे, भिक्षुओं का ये बड़ा आदर करते थे और इनकी सहायता पाकर बौद्ध संघ ने बड़ी उन्नति की थी। बौद्ध और जैन साहित्य इन सम्राटों के साथ संबंध रखने वाली कथाओं से भरे पड़े हैं और इन सम्राटों का उल्लेख उसी प्रसंग में किया गया है, जब इन्होंने जैन या बौद्ध धर्म का आदर किया, उनसे शिक्षा ग्रहण की। पौराणिक साहित्य में इनका अनेक ब्राह्मणों के संपर्क में उल्लेख किया गया है। वास्तविक बात यह है, कि इन राजाओं ने किसी एक धर्म को निश्चितरूप से स्वीकार कर लिया हो, किसी का विशेष रूप से पक्ष लिया हो, यह बात नहीं थी। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार ये ब्राह्मणों, श्रमणों और मुनियों का समानरूप से आदर करते थे; क्योंकि इस काल में भिक्षु लोग अधिक संगठित और क्रियाशील थे। इसलिये उनका महत्त्व अधिक था। जो वृत्ति राजाओं की थी, वही जनता की थी।

इस धार्मिक सुधारणा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि भारत में यज्ञोंके कर्मकाण्ड का खोर कम हो गया। यज्ञों के बंद होने के साथ-साथ पशुबलि की प्रथा कम होने लगी। यज्ञों द्वारा स्वर्गप्राप्ति की आकांक्षा निर्बल हो जाने से राजा और गृहस्थ लोग श्रावक या उपासक के रूप में भिक्षुओं द्वारा बताये मार्ग का अनुसरण करने लगे, और उनमें जो अधिक भद्रालु थे, वे मुनियों और श्रमणों का सा सादा तपःव्यामय जीवन व्यतीत करने के लिये तत्पर हुए।

बौद्ध और जैन संप्रदायों से भारत में एक नई धार्मिक चेतना उत्पन्न हो गई थी। शक्तिशाली संप्रदायों में संगठित होने के कारण इनके पास धन, मनुष्य व अन्य साधन प्रचुर परिमाण में विद्यमान थे। परिणाम यह हुआ, कि मगध के साम्राज्य-

विस्तार के साथ-साथ संघ की चातुरंत सत्ता की स्थापना का विचार भी बल पकड़ने लगा। इसीजिये आगे चल कर भारतीय धर्म व संस्कृतिका न केवल भारत के सुदूर प्रदेशों में, अपितु भारत से बाहर भी दूर-दूर तक विस्तार हुआ।

पाँचवाँ अध्याय

सम्राट् चंद्रगुप्त मौर्य

(१) मौरियगण का कुमार चंद्रगुप्त

बौद्धकाल में सोलह महाजनपदों के अतिरिक्त जो अन्य अनेक जनपद थे, उनमें पिप्पलिवन का मौरियगण भी एक था। इस हा प्रदेश उत्तरी बिहार में, नेपाल की तराई के समीप, बज्जि महाजनपद के पड़ोस में था। राजा अजातशत्रु ने बज्जिसंघ को जीत कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उसी युग के किसी मगध सम्राट् ने पिप्पलिवन के मौरियगण को भी जीत कर अपने अधीन कर लिया था। मगध के उग्र साम्राज्य-वाद ने जहाँ उत्तरी बिहार के अन्य गणराज्यों की स्वतंत्रता का अंत किया, वहाँ मौरियगण भी उनकी महत्वाकांक्षाओं का शिकार होने से न बच सका। नंदवंशी राजा धननंद के समय में यह गण भी मगध के अधीन था।

मौरियगण के राजकुल की एक रानी इस समय पाटलीपुत्र में छिपकर अपना जीवन बिता रही थी। उसके भाई-बंध भी उसके साथ में ही पाटलीपुत्र में रहते थे। मगधसम्राट् के कोप से बचने के लिये इन सब ने पाटलीपुत्र के विशाल नगर में छिप कर रहने में ही अपना कल्याण समझा था। इसी दशा में कुमार चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। उसकी माता को मगध के राजकर्म-चारियों का भय था। कहीं चंद्रगुप्त उनके हाथ में न पड़ जावे, इसलिये उसने अपने नवजात शिशु को एक ग्वाल के सुपुर्द कर दिया। अपनी उमर के ग्वालबालकों के साथ मौरियगण के राजकुमार चंद्रगुप्त का भी पालनपोषण होने लगा।

एक बार की बात है, चंद्रगुप्त अन्य लड़कों के साथ पशु चरा रहा था। अबसर पाकर वे एक खेल खेलने में लग गये। चंद्रगुप्त राजा बना, अन्य बालकों को उपराजा, न्यायाधीश, राजकर्मचारी, चोर, डाकू आदि बनाया गया। राजा के आसन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने अपराधियों को पेश किये जाने की आज्ञा दी। अपराधी पेश हुए। उनके पञ्च-विपन्न में युक्तियाँ सुनी गई। न्यायाधीशों के निर्णय के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपना कैसला सुना दिया। कैसला यह था, कि अभियुक्तों के हाथ-पैर काट दिये जावें। इस पर राजकर्मचारियों ने कहा—देव ! हमारे पास कुल्हाड़े नहीं हैं। इस पर चंद्रगुप्त ने आज्ञा दी—यह राजा चंद्रगुप्त की आज्ञा है, कि इन अपराधियों के हाथ-पैर काट दिये जावें। यदि तुम्हारे पास कुल्हाड़े नहीं हैं, तो लकड़ी का डंढा बनाओ, और उसके साथ चकरी का सींग बांध कर कुल्हाड़ा बना लो। राजा चंद्रगुप्त की आज्ञा का पालन किया गया। कुल्हाड़ा बनाया गया और अपराधियों के हाथ-पैर काट दिये गये। चंद्रगुप्त ने फिर आज्ञा दी—अब हाथ-पैर जोड़ दिये जावें। वे जोड़ दिये गये।

चंद्रगुप्त के नेतृत्व में बच्चों के इस खेल को चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण खड़ा देख रहा था। जिस प्रकार शान और प्रताप से चंद्रगुप्त राजा की भूमिका अदा कर रहा था, उसे देख कर चाणक्य बड़ा प्रभावित हुआ। उसने विचार किया, यह बालक अबश्य ही राजकुल का है, और यदि इसे शस्त्र और शास्त्र की भलीभाँति शिक्षा दी जाय, तो वह होनहार कुमार एक दिन बहुत उन्नति कर सकता है। यह बालक चंद्रगुप्त के साथ गाँव में गया, और उसके संरक्षक खाले के सामने एक हथार कापीपस्त रख कर बोला—मैं तुम्हारे पुत्र को सब विद्यायें सिखाऊँगा, तुम इसे मेरे साथ कर दो। खाला इसके लिये तैयार हो

गया, और चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गया। चाणक्य से चंद्रगुप्त ने सब विद्याओं का भलीभाँति अध्ययन किया।

चाणक्य वत्सशिला का रहने वाला एक प्रसिद्ध आचार्य था। वह राजनीतिशास्त्र का अपने समय का सबसे बड़ा पंडित था। राजनीतिशास्त्र के अतिरिक्त वह तीनों वेदों का ज्ञाता, सब शास्त्रों में पारंगत और भंडविद्या में निपुण था। वह एक बार वत्सशिला से पाटलीपुत्र आया, क्योंकि इस नगरी के वैभव की उस समय सारे भारत में धूम थी। उस समय के राजा लोग विद्वानों का आदर करते थे। चाणक्य को आशा थी, कि मगध का प्रतापी सम्राट् धननंद भी उसका भलीभाँति सम्मान करेगा। राजा धननंद को एक भुक्तिशाला थी, जिसमें वह विद्वानों का आदर कर उन्हें दानदक्षिणा से संतुष्ट करता था। पाटलीपुत्र पहुँचकर इस भुक्तिशाला में गया, और संप्रदाहण के आसन पर बैठ गया। वत्सशिला का वह प्रमुख आचार्य था, और उसे आशा थी, कि पाटलीपुत्र में भी प्रधान आचार्य के रूप में उसे सम्मान मिलेगा।

चाणक्य देखने में बड़ा कुरूप था। उसके सामने के दाँत टूटे हुए थे। जब राजा धननंद ने ऐसे व्यक्ति को प्रधान ऋद्धण के आसन पर बैठे देखा, तो उसने सोचा, निश्चय ही यह व्यक्ति मुख्य आसन का अधिकारी नहीं हो सकता। उसने चाणक्य से पूछा—तुम कौन हो, जो इस मुख्य आसन पर आ बैठे हो? उधर से उत्तर भिजा—यह मैं हूँ। वह उत्तर सुनकर धननंद कोच में आपे से बाहर हो गया। उसने आज्ञा दी, इस नीच ऋद्धण को यहाँ न बैठने दो, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। राजपुरुषों ने उसे बहुत समझाया—देव! ऐसा मत कीजिये। पर धननंद ने एक न मानी। इस पर राजपुरुष चाणक्य के पास गये और बोले—आचार्य! हम राजाज्ञा से आपको वहाँ से उठाने के

लिये जाये हैं, परन्तु हम यह कहने का साहस नहीं कर सकते कि आचार्य आप यहाँ से उठ जाइये। हम लज्जित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। चाणक्य सब कुछ समझ गया। उसने अपने कमंडल को ईद्रकील पर पटक कर क्रोध से कहा—राजा उद्धत हो गया है, समुद्र से घिरी हुई पृथिवी नंद का नाश देना ले। वह कह कर वह भुक्तिशाला से बाहर हो गया। राजपुरुषों ने जब यह बात नंद से कही, तो उसने आज्ञा दी—पकड़ो पकड़ो, इस दास को पकड़ो। भागता हुआ चाणक्य राजप्रासाद में एक गुप्त स्थान पर छिप गया और राजपुरुष उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। चाणक्य ने जो प्रतिज्ञा सबके सामने की थी, उसे पूरी करने में वह पूरी शक्ति के साथ लग गया।

उस समय में राजकुमार पद्मवंत के लिये सुगमवा से तैयार हो जाते थे। 'राजपुत्रों की दशा कैकड़े के समान होती है, जो अपने पिता को ही मार देते हैं' यह उस युग का प्रचलित सिद्धान्त था। मगध के अनेक सम्राटों के विरुद्ध इसी प्रकार के पद्मवंत हो चुके थे। चाणक्य ने भी ऐसे एक राजकुमार से परिचय किया, जो नंद के विरुद्ध पद्मवंत में सम्मिलित होने के लिये तैयार हो गया। इसका नाम पर्वतक था। यह मानस नहीं, कि नंद के साथ इसका क्या संबंध था, पर वह राजप्रासाद में ही रहता था, और राजवंश के साथ संबंध रखता था। पर्वतक को लेकर चाणक्य त्रिन्धाचल के जंगलों में चला गया, और वहाँ अपने पद्मवंत की रचना की। नकली सिक्के बना कर ८० करोड़ कार्पाण एकत्र किये गये, और इस धन से एक बड़ी सेना का संगठन किया गया।

इसी अवसर पर चाणक्य की चंद्रगुप्त से भेंट हुई। चाणक्य कुराल नीतिज्ञ था, पर उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो सैन्यसंचालन में कुराल हो, जिस में एक विशाल

साम्राज्य के स्वामी होने के सब गुण विद्यमान हों, और जो चाणक्य से पूरा सहयोगी बन सके। पर्वतक में ये गुण नहीं थे। चाणक्य को अब चंद्रगुप्त और पर्वतक में से एक को चुनना था; दो कुमारों को वह नंद के बाद मागध साम्राज्य की गद्दी पर नहीं बिठा सकता था। उसने दोनों कुमारों के गले में एक-एक सुवर्णसूत्र बांध दिया। एक बार जब चंद्रगुप्त सो रहा था, उसने पर्वतक से कहा—ऐसे ढंग से सुवर्णसूत्र को चंद्रगुप्त के गले से निकाल लाओ, कि न गाँठ खुले और न सूत्र टूटे। पर्वतक को कोई उपाय नहीं सूझा, वह असफल हो कर लौट आया। ऐसे ही एक दूसरे दिन जब पर्वतक सो रहा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही आदेश दिया। चंद्रगुप्त ने सोचा, इसका केवल एक उपाय है, पर्वतक का सिर काट कर ही सुवर्णसूत्र को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, कि न दागा टूटे और न गाँठ खुले। उसने यही किया और पर्वतक का सिर काट कर सुवर्णसूत्र को चाणक्य के सम्मुख लाकर रख दिया।

इससे चाणक्य बहुत प्रसन्न हुआ। पर्वतक उसके रास्ते से हट गया और चंद्रगुप्त के रूप में उसे ऐसा वृष्णि मिल गया, जो न केवल वीर और साहसी था, पर अपने कार्य की सिद्धि के लिये बीभत्स से बीभत्स उपाय का आश्रय ले सकता था। जब चंद्रगुप्त सेना के संचालन में समर्थ हो गया, तो उसने चाणक्य के निरीक्षण में मागध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया। अनेक ग्रामों और नगरों पर आक्रमण किये, पर उन्हें सफलता नहीं हुई। मागध सेनाओं से वे बुरी तरह परास्त हुए, और फिर जंगल में छिप कर अपनी जान बचाने लगे।

एक बार की बात है, कि जब चाणक्य और चंद्रगुप्त वेश

बदल कर फिर रहे थे, तो वे एक गाँव में पहुँचे, जहाँ एक स्त्री पूछे बना कर अपने लड़के को खिला रही थी। लड़का चारों ओर के किनारों को छोड़ता जाता था, और बीच का भाग खा लेता था। यह देखकर माता ने कहा, इस लड़के का व्यवहार तो चंद्रगुप्त जैसा है, जिसने कि राज्य लेने का प्रयत्न किया था। यह सुनकर बालक ने पूछा—माँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और चंद्रगुप्त ने क्या किया था? माता ने उत्तर दिया—मेरे प्यारे पुत्र! तुम पूछे का चारों ओर का किनारा छोड़कर केवल बीच का भाग खा रहे हो। चंद्रगुप्त सम्राट् बनने को महात्वाकांक्षी रहता था, उसने सोमाप्रांतों को पहले अधीन किये बिना ही राज्य के मध्य में ग्रामों और नगरों पर हमला करना शुरु कर दिया। इसीलिये लोग उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए और सीमा की तरफ से आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट कर दिया। यह चंद्रगुप्त की मूर्खता का ही परिणाम था। यह सुनकर चंद्रगुप्त और चाणक्य की आँखें खुल गईं, वे सीमाप्रदेश की तरफ गये, और वहाँ सेना एकत्र कर मागध साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिये प्रवृत्त हुए।

मागध साम्राज्य के उत्तरपश्चिम में इस समय भारी उथल-पुथल मची हुई थी। सिकंदर के हमलों से गांधार और पंजाब के विविध जनपद आक्रांत हो रहे थे। चंद्रगुप्त ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। एक बार वह सिकंदर से भी मिला। उसे आशा थी, कि विरवविजयी सिकंदर की सहायता ले वह मागध साम्राज्य को पराजित कर सकेगा। पर स्वच्छाचारी सिकंदर के साथ उसका मेल नहीं हुआ। सिकंदर और चंद्रगुप्त दोनों ही स्वच्छाचारी और महात्वाकांक्षी थे। चंद्रगुप्त ने खरी-खरी बातें सुनकर सिकंदर ने उसे मार डालने की भी आज्ञा दी थी, पर यह साहसी बुद्धि जैसे मागध सम्राट् बन-

नंद के काबू में नहीं आया था, वैसे ही सिकंदर भी इसे मार सकने में सफल नहीं हुआ। व्यास नदी तक हमला कर चुकने के बाद जब सिकंदर वापस लौटा, तो चंद्रगुप्त ने उत्तर-पश्चिमी भारत की अव्यवस्था और उथल-पुथल से लाभ उठाया। वह इस विद्रोह की प्रवृत्ति का नेता बन गया, जो सिकंदर से पराजित जनपदों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान थी। सिकंदर के शासन से उत्तरपश्चिमी भारत को स्वतंत्र कर चंद्रगुप्त ने मागध साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस सब कार्य में उसका परम सहायक आचार्य चाणक्य था, जो तक्षशिला का निवासी होने के कारण गांधार और पंजाब के जनपदों व उनके निवासियों से भलीभाँति परिचित था।

(२) सिकंदर के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह

मैसीडोनिया के राजा सिकंदर ने किस प्रकार ग्रीस के विविध गणराज्यों को जीतकर विश्वावजय के लिये एशिया की ओर प्रस्थान किया, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। ईजिप्त (मिस्र), एशिया माइनर के विविध यूनानी उपनिवेश, तथा ईरान को जीतकर सिकंदर ने हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत में प्रवेश किया। तक्षशिला (गांधार जनपद की राजधानी) के राजा आम्बि ने बिना लड़े ही उसको अधीनता स्वीकृत कर ली। उसके दूत हिंदुकुश के पश्चिम में ही सिकंदर की सेवा में अधीनतासूचक भेंट-उपहार लेकर उपस्थित हुए थे। हिंदुकुश की उपत्यकाओं में रहने वाली विविध जातियों ने बड़ी वीरता के साथ सिकंदर का सामना किया। उन्हें परास्त करने में उसे छः मास के लगभग लग गये। इन्हें जीतकर सिकंदर भारत में आगे बढ़ा। गांधार का राजा आम्बि पहले ही उसकी अधीनता स्वीकार कर चुका था, पर जेहलम के पूर्व में

केकय देश का राजा पोरु बड़ा स्वात्माभिमानी और वीर था। उसने सिकंदर का मुक़ाबला करने का निश्चय किया। जेदलम के तट पर दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। केकय का छोटा सा जनपद दिग्विजेता सिकंदर को परास्त नहीं कर सका। पोरु कैद हो गया। जब उसे सिकंदर के सम्मुख उपस्थित किया गया, तो उसने उसका बड़े आदर से स्वागत किया। सिकंदर वीरता की कदर करता था, और पोरु जैसे सच्चे वीर के लिए उसके हृदय में सम्मान का भाव था। उसने पोरु से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाय। पोरु ने उत्तर दिया—जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं। इस उत्तर से सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ। केकय राज्य का शासनभार पोरु के ही सुपुत्र पर दिया गया। पोरु अब सिकंदर का अधीनस्थ राजा हो गया।

केकय जनपद को परास्त कर जब सिकंदर पंजाब में आगे बढ़ा, तो उसे अनेक गणराज्यों के साथ मुक़ाबला करना पड़ा। उस समय मध्य-पंजाब में श्लुचुकायन, कठ, बुद्रक और मालव नाम के गणराज्य थे। ये परस्पर मिलकर सिकंदर का मुक़ाबला करने के लिये प्रयत्नशील थे। पर इससे पूर्व कि ये अपनी सैनिकशक्ति का सम्मिलितरूप से संगठन कर सकें, सिकंदर ने उन पर हमला कर दिया और एक-एक करके उन्हें जीत लिया। कठों ने खूब डट कर सिकंदर से युद्ध किया, उनसे वह इतना क्रुद्ध हो गया था, कि जीतने के बाद उनके प्रधान नगर साँकल का उसने पूर्णतया ध्वंस कर दिया था। कठ, बुद्रक, मालव और श्लुचुकायन को जीतने के बाद सिकंदर व्यास नदी के किनारे पर आ पहुँचा। व्यास के पूर्व में चौधे-गण था, जो अपनी वीरता के लिये अद्वितीय था। चौधेयों के परे मगध का शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसका विस्तार बंगाल की खाड़ी से लगाकर गंगा के पश्चिम तक था। सिकंदर चाहता था, कि

व्यास नदी को पार कर इनको भी विजय करे। पर उसकी सेना हिम्मत हार चुकी थी। मध्य-पंजाब के गणराज्य जिस अद्भ्य साहस के साथ सिकंदर से लड़े थे, उसके कारण उसको सेनाओं ने व्यास नदी पार कर यथेयगण और मागध साम्राज्य के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं की।

लौटते हुए सिकंदर के शिबि, जुट्टक और आग्नेय गणों के साथ युद्ध हुए। फिर सिंध के प्रदेश में मुषिकर्ण, पातन व कुछ अन्य जनपदों के साथ युद्ध करता हुआ वह भारत से वापस लौट गया। उत्तरपश्चिमी भारत के जिन प्रदेशों पर उसने विजय की थी उनका शासन करने के लिये वह फिलिप्पस नामक एक सेनापति की अधीनता में ग्रीक सेना छोड़ गया था। अपने साम्राज्य के भारतीय प्रदेशों में उसने अनेक ज़रप (प्रांतीय शासक) नियुक्त किये थे, जो फिलिप्पस के निरीक्षण में शासनकार्य करते थे। पोरु और आम्बि भी इसी प्रकार के ज़रप थे।

मैसीडोनिया लौटने के पूर्व ही ३२३ ई० पू० में बैबिलोन, नगरी में सिकंदर की मृत्यु हो गई। विशाल यूनानी साम्राज्य का अधिपति कौन हो, इस विषय को लेकर सिकंदर के सेनापतियों में गृहकलह प्रारंभ हो गया। विविध सेनापति अपने-अपने प्रदेशों में स्वतंत्र हो गये। मैसीडोनिया, थ्रेस, ईजिप्त, और सीरिया में चार भिन्न-भिन्न सेनापतियों ने चार प्रथक राजवंशों की स्थापना की। इस परिस्थिति का परिणाम यह हुआ कि सिकंदर के साम्राज्य के भारतीय प्रदेशों में विद्रोह का अग्नि भड़क उठी। वहाँ सिकंदर एक आधी को तरह आया था, जिसके वेग के सामने अनेक पुराने राजवंश और गणराज्य खड़े नहीं रह सकते थे। पर इस आधी के भारत से जाते ही फिर यहाँ के निवासियों ने अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति का उद्योग प्रारंभ कर दिया। फिलिप्पस का घात करा दिया गया।

गणराज्यों ने फिर अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त किया। पुराना राजवंश फिर मैदान में आ गया। किलिप्सस ही उत्तराधिकारी यूडीमौस नियुक्त हुआ था, जो कि सिंध नदी के तट पर स्थित एक शक्तिशाली ग्रीक सेना का अग्रपंक्ति था। पर यूडीमौस इस विद्रोह को प्रचंड अग्नि को बुझाने में सर्वथा असमर्थ रहा।

ग्रीक शासन के विरुद्ध पंजाब में जो यह विद्रोह हुआ, उसका नेतृत्व चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य कर रहे थे। उस समय की अव्यवस्था और राजनीतिक उथल-पुथल का लाभ उठा कर इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया, और पंजाब को विदेशी साम्राज्य की अधीनता से मुक्त कराके अपने अधीन कर लिया। एक ग्रीक लेखक ने क्या ठीक लिखा है—सिकंदर के लौटने पर चंद्रगुप्त ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, परंतु कृतकार्य होने के अनंतर शीघ्र ही स्वतंत्रता के नाम को दासता में परिवर्तित कर दिया। जिन्हें उसने विदेशियों के जुग से स्वतंत्र किया था, उन्हें अपने अधीन कर लिया। पंजाब के विविध छोटे-छोटे राज्य एक शक्तिशाली विदेशी शासन से तब तक स्वाधीन नहीं हो सकते थे, जब तक कि उन्हें एक सूत्र में संगठित करने वाला कोई योग्य नेता न हो। यह योग्य नेता चंद्रगुप्त मौर्य था। यह विलकुल स्वाभाविक था कि जिस शक्तिशाली वीर के नेतृत्व में उन्होंने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को फिर प्राप्त किया हो, उसे वे अपना नेता और स्वामी स्वीकार करते रहें। यह निश्चित है, कि सिकंदर के शासन से पंजाब को स्वतंत्र कर चंद्रगुप्त ने वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

इस प्रकार सीमाप्रांत को अपने अधीन कर, वहाँ की वीर सेनाओं को साथ ले चाणक्य और चंद्रगुप्त पूर्व की ओर बढ़ते

गये। जो नगर और ग्राम रास्ते में आये उन्हें जीतते हुए वे पाटलीपुत्र जा पहुँचे। वहाँ धननन्द को परास्त कर उन्होंने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया।

(३) मगध साम्राज्य का विजय

चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध राजा धननन्द को मार कर किस प्रकार पाटलीपुत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया, इसी कथानक को लेकर कवि विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस नाटक लिखा था। इस नाटक के अनुसार चाणक्य और चंद्रगुप्त की जिन सेनाओं ने पाटलीपुत्र पर आक्रमण किया था, उनमें शक, यवन, किरात, कान्बोज, पारसीक, वाह्लीक आदि की बड़ी भारी सेनायें सम्मिलित थीं, जिन्हें चाणक्य ने बुद्धि से अपने बश में कर रक्खा था। जिस प्रकार प्रलय के समुद्र से पृथिवी फिर जाती है, वैसे ही इन सेनाओं से पाटलीपुत्र फिर गया था। मुद्राराक्षस में कुछ ऐसे राजाओं के नाम भी दिये हैं, जो इस आक्रमण में चंद्रगुप्त के साथ थे। इनके नाम ये हैं—कुल्लु (कुल्लु) का राजा चित्रवर्मा, मलय (सम्भवतः मालवगण) का राजा सिंहनाद, काश्मीर का राजा पुष्कराक्ष, सिंधु (सिंध) का राजा सिधपेण और पारसीक राजा मेघाक्ष। ये सब राजा उत्तरपश्चिमी भारत के उन्हीं प्रदेशों के शासक थे, जिन्हें चंद्रगुप्त ने सिकंदर के साम्राज्य से स्वतंत्र कराया था।

मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार चाणक्य ने पर्वतक नाम के एक शक्तिशाली राजा को मगध का आधा राज्य देने का वचन देकर उसकी भी सहायता प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार पर्वतक मगध के ही राजकुल का था, वह हम ऊपर लिख चुके हैं। धननन्द इस विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सका, पुरा साहित्य बुद्ध में उसकी सृत्यु हो गई और पाटलीपुत्र पर चंद्र-

गुप्त का कब्जा हो गया। पर नंद का नाश कर देने से ही चाणक्य के कार्य की इतिभी नहीं हो गई।

राजा नंद के अनेक मंत्री थे। इनमें प्रधान का नाम राजस था। वह जाति से ब्राह्मण और नीतिशास्त्र का प्रकांड पंडित था। इसने नंद के मरने पर उसके भाई सर्वाथसिद्धि को सिंहासन पर बैठा कर भागध साम्राज्य का संचालन प्रारंभ कर दिया। पाटलीपुत्र चंद्रगुप्त के हाथ में था, पर भागध की प्रजा नंदवंश में अनुरक्त थी। अभी भागध की सेना पूरी तरह परास्त भी नहीं हुई थी। चाणक्य बड़ी मुश्किल में पड़ा। अब नीतिशास्त्र के इन दो आचार्यों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। मुशाराजस में इसी का बड़े सुंदर रूप में वर्णन है। चाणक्य ने अपने सहोपायों मित्र विष्णुगुरामों को जीवसिद्धि क्षत्रणक के वेश में राजस के पास भेज दिया। कुछ ही समय में वह उसका विश्वासपात्र हो गया। राजा सर्वाथसिद्धि के साथ रहने लगा। इसी जीवसिद्धि की प्रेरणा से सर्वाथसिद्धि वैरागी हो कर बन में चला गया और राज्यकार्य से विमुक्त हो गया।

इस समाचार से अमात्य राजस को बड़ा शोक हुआ। चंदनदास नाम के एक धनी वैश्य के पास अपने कुटुम्ब को छोड़कर और शकटदास आदि विविध नागरिकों को अनेक प्रकार के कार्य सुपुर्द कर अमात्य राजस राजा सर्वाथसिद्धि को तपोवन से लौटा लाने के लिये गया। वह सुनकर चाणक्य ने राजस के पहुँचने से पहले ही अपने गुप्तचरों द्वारा सर्वाथसिद्धि को मरवा डाला। इस प्रकार नंदकुल का सर्वनाश करके चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। पर वह जानता था, कि जब तक राजस जैसे पुराने अमात्यों का सहयोग चंद्रगुप्त को प्राप्त नहीं होगा, वह कभी भागध के सिंहासन को नहीं संभाल सकेगा। अतः उसकी सारी राक्ति इस काम में लग गई, कि

फूटनीति द्वारा राजस को परास्त कर उसे चंद्रगुप्त की सेवा करने के लिये विवश करे।

उधर राजस ने विचार किया, कि जब तक चंद्रगुप्त की सेनाओं में फूट नहीं डाली जायेगी, उसे परास्त नहीं किया जा सकेगा। उत्तरीपश्चिमी प्रदेशों से जिन सेनाओं ने पाटलीपुत्र पर कब्जा किया था, उनका नेता पर्वतक था। वह आधे मागध साम्राज्य का दावेदार भी था। राजस ने उसे पूरे मागध साम्राज्य का राजा बनाने का लालच दिया और अपने पक्ष में कर लिया। जीवसिद्धि द्वारा राजस को चालों का सब हाल जानकर चाणक्य ने बहुत सावधानी से चलना शुरू किया। अनेक भाषाएँ जानने वाले बहुत से गुप्तचरों को बेध बदल कर भेद लेने के लिये सब जगह नियुक्त कर दिया गया। राजस का कोई गुप्तचर चंद्रगुप्त को धोखे से किसी प्रकार की हानि न पहुँचा सके, इसका चाणक्य ने पक्का प्रबंध किया। क्योंकि पर्वतक राजस के पक्ष में हो गया था, अतः उसका बंध करा दिया गया। पर्वतक का पुत्र मलयकेतु था, उस पर निगाह रखने के लिये भागुरायण की नियुक्ति की गई। यह भागुरायण मलयकेतु और राजस के मैत्रीरूप बृहत् में धुन की तरह लग गया।

चाणक्य ने निपुणक नाम के एक गुप्तचर को जनता का दिल परखने और अमात्य राजस के पक्षपातियों का पता लगाने के लिये भेजा था। वह यमराज के चित्रपट को फैलाकर साधु के बैध में घूमता था और लोगों का भेद लेता था। उसने पता लगाया कि राजस अपना परिवार पाटलीपुत्र में ही सेठ चंदनदास के पास छोड़ गया है, और शकटदास कायस्थ तथा जीवसिद्धि जपणक राजस के पक्षपाती और चंद्रगुप्त के विरोधी हैं। चंदनदास के घर में यमपट को फैला कर भीख माँगते हुए उसे राजस की पत्नी की अंगुली से गिरी हुई, 'राजस' नाम से

अंकित एक मुद्रा भी मिली। इस मुद्रा और अन्य रहस्यों को उसने चाणक्य के सुपुत्र कर दिया। राजस की मुद्रा का चाणक्य के हाथ में पड़ जाना बड़े महत्त्व की बात सिद्ध हुई। इसी से उसने नीतिबुद्ध में राजस को परास्त किया।

चाणक्य ने एक ऐसा जाली पत्र तैयार किया, जिसका कोई सरनामा आदि नहीं था। अपने गुप्तचर सिद्धार्थक से इसकी प्रतिलिपि शकटदास के हाथ से कराई और इस पत्र को राजस की मुद्रा से मुद्रित कर दिया। सिद्धार्थक को सब बात समझ कर मलयकेतु के शिविर में खाना कर दिया गया। एक चाल और चली गई। शकटदास को फाँसी की आजा दे दी गई और सिद्धार्थक से कह दिया कि जब चांडाल लोग शकटदास को शूली पर चढ़ाने के लिये ले जाते हों, तो दौड़ आँख दबा कर इशारा कर देना। चांडाल अलग हट जावेंगे और शकटदास को साथ लेकर राजस के पास चले जाना। मित्र के प्रार्थनों की रक्षा करने के कारण राजस तुमसे बहुत प्रसन्न होगा और तुम पर पूर्ण विश्वास करने लगेगा। सब बात समझ कर सिद्धार्थक उस पत्र को साथ ले खाना हो गया। उधर चाणक्य ने चंदनदास को गिरफ्तार कर लिया। उस पर सब तरह से चोर डाला गया कि वह राजस के परिवार को चाणक्य के सुपुत्र कर दे, पर स्वामिभक्त चंदनदास किसी भी प्रकार इस विश्वासघात के लिये तैयार नहीं हुआ।

उधर अमात्य राजस भी चुपचाप नहीं बैठ था। बड़े धैर्य और बुद्धिकौशल से वह अपना नीतिजाल फैला रहा था। उसके गुप्तचर भी नानाविध वेषों में अनेक प्रकार से अपना कार्य करने में लगे थे। मलयकेतु को वह अपने साथ मिला ही चुका था, चंद्रगुप्त की सेना के बहुत से सेनापति अपने अनुयायियों के साथ राजसके पत्र में हो गये थे। पीरे पीरे

उस सेना का संगठन हड़ होना जाता था, जो पाटलीपुत्र पर आक्रमण कर चंद्रगुप्त को राज्यच्युत करने के लिये तैयार हो रही थी। राजस ने चंद्रगुप्त का घात करने के लिये भी बहुत से उपाय किये। पहले विषकन्या भेजी गई। फिर पाटलीपुत्र में नगरप्रवेश के समय चंद्रगुप्त का स्वागत करने के लिये जो यज्ञ द्वार तैयार किया गया था, उसके शिल्पियों को अपने साथ में भिलाकर यह प्रबंध किया गया कि जब चंद्रगुप्त द्वार के नीचे से गुजरे, तो तोरण उस पर गिरा दिया जावे और वह वहीं मर जावे। एक बर्बरक को गुप्तचुरिका देकर तैनात किया गया कि वह जलूस में चंद्रगुप्त पर हमला करे। एक बंश को चंद्रगुप्त का वैयक्तिक चिकित्सक नियत किया, जो वस्तुतः राजस का गुप्तचर था। उसने यत्न किया कि भोजन में विष देकर चंद्रगुप्त को मार दे। जिस महल में चंद्रगुप्त रहता था, उसके नीचे सुरंग खोद कर शरूद् भरवा दिया गया। राजस ने यह सब कुट्ट किया, पर चाणक्य की जागरूकता के सामने उसकी एक न चली। उसके सब प्रयत्न व्यर्थ गये और चंद्रगुप्त का बाल भी बाँका न हुआ।

पर अब भी राजस निराश नहीं हुआ। उसने यत्न किया कि चंद्रगुप्त और चाणक्य में विरोध हो जावे। अनेक गुप्तचर इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये। पर इस कार्य में भी राजस सफल नहीं हुआ। उधर चाणक्य का गुप्तचर भागुरायण मलयकेतु को राजस के विरुद्ध भड़काने में लगा था। छोटी-छोटी बातों को लेकर वह मलयकेतु के मन में राजस के प्रति विरोधभावना को प्रदीप्त करता रहता था। राजस ने पाटलीपुत्र पर आक्रमण करने के लिये जो भारी सेना संगठित की थी, वह उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रस्थान कर रही थी। पाटलीपुत्र समीप आ गया था। इसलिये आज्ञापत्र लिये बिना

किसी का भी सैन्यशिविर से बाहर आना-जाना सर्वथा निषिद्ध था। आज्ञापत्र देने का काम भागुरायण के सुपुर्द था। एक दिन जब मलयकेतु और भागुरायण साथ बैठे थे, चाणक्य ने अपना नीति का अंतिम वाक्य बलाया। एक कर्मचारी आया और उसने सूचना दी कि सैन्य शिविर के रक्षाधिकारी दीर्घबलु ने निवेदन किया है कि आज्ञापत्र के बिना शिविर में प्रवेश करता हुआ एक आदमी पकड़ा गया है, जिसके पास कुछ जरूरी पत्र भी हैं। यह व्यक्ति सिद्धार्थक ही था, जिसे राजस की मुद्रा से अंकित एक जातो पत्र देकर 'कार्यसिद्धि' के लिये भेजा गया था। पत्र के साथ सिद्धार्थक को मलयकेतु और भागुरायण के सम्मुख पेश किया गया। पत्र पर राजस की मोहर थी ही। नकली तौर पर बहुत ननु-नच करके अब मैं सिद्धार्थक ने यह गुप्त रहस्य प्रगट किया, कि इस पत्र को उसे राजस ने दिया था और चंद्रगुप्त के पास पहुँचाने का कार्य उसके सुपुर्द किया गया था। उसने यह भी कहा कि मुझे राजस ने कुछ मौखिक संदेश भी दिया था। यह मौखिक संदेश यह था कि मलयराज सिहनाद, काश्मीर के राजा पुष्कराज, सिंधु के महाराज सिधुसेन और पारसोक राजा मेधाज के साथ पहले ही गुप्तरूप से संधि हो चुकी है। इन्हें अपनी गुप्त सहायता के बदले में पूरी तरह पुरस्कार आदि द्वारा संतुष्ट करना चाहिये।

यस, कार्यसिद्धि हो गई। भागुरायण के समझाने से मलयकेतु को विश्वास हो गया कि राजस गुप्तरूप से चंद्रगुप्त से मिला हुआ है और उसकी सेना में सम्मिलित मलय, काश्मीर, सिंध और पारस के राजा भी गुप्तरूप से चंद्रगुप्त से समझौता कर चुके हैं। मलयकेतु और राजस में झूट पड़ गई। उसकी सेना के आधारस्तम्भ चित्रवंशों आदि राजाओं का मलयकेतु ने स्वयं ही धात कर दिया। इन सब बातों से

राजस की कमर टूट गई। उसने अबस्था को संभलने का बहुत यत्न किया। तरह-तरह से मलयकेतु को समझाया। पर उसका सब प्रयत्न विफल हुआ। निराश होकर वह अपने मित्र चंद्रनदास की सुध लेने के लिये भेष बदल कर पाटलीपुत्र की ओर चल पड़ा। पर चाणक्य के गुप्तचरों ने यहाँ भी उसका पोज़ा नहीं छोड़ा। वे द्वाया की तरह उसके साथ-साथ थे। उन्होंने पहले ही राजस को खबर कर दी, कि आज चंद्रनदास को फाँसी दी जाने वाली है। उसकी फाँसी का कारण यही है कि वह राजस के परिवार का पता चाणक्य को बताने से इनकार करता है। राजस अपने प्रयत्नों से निराश हो चुका था। अपने अंतरंग मित्र की इस दुर्वशा को वह नहीं सह सका। उसने निश्चय किया कि जिस तरह भी होगा, चंद्रनदास के प्राणों की रक्षा करूँगा। वह तीर की तरह तेजी से गया और आत्म-समर्पण कर अपने मित्र की रक्षा की। चाणक्य इसी अबसर की प्रतीक्षा में था। वह प्रगूट हुआ और इन दो नीतिकुराल आचार्यों में परस्पर मेल हो गया। अमात्य राजस ने सम्राट् चंद्रगुप्त का मंत्रिपद स्वीकार किया और इस प्रकार चाणक्य के प्रयत्न से चंद्रगुप्त का मार्ग सर्वथा कष्टकहीन हो गया। अब वह पाटलीपुत्र के विशाल मागध साम्राज्य का स्वामी हो गया। इस समय मागध साम्राज्य में बंगाल की खाड़ी से गंगा तक का प्रदेश ही शामिल नहीं था, अपितु हिंदूकुश पर्वत तक के सब प्रदेश भी उसके अंतर्गत थे। चंद्रगुप्त ने इन्हीं प्रदेशों को अपने अधीन कर मागध साम्राज्य पर आक्रमण किया था।

(४) सैयूकस का आक्रमण

चाणक्य की जाल में आकर मलयकेतु ने जिन राजाओं को मरवा दिया था, वे कुल्लू, मध्य-पंजाब, काश्मीर, सिंध और

पारसीक देशों के शासक थे। पश्चिमी भारत के ये सब प्रदेश अब मागध सम्राट् चंद्रगुप्त के सीधे शासन में आ गये थे। धननंद के नाश और मोरिय (मौर्य) कुमार चंद्रगुप्त के सम्राट् हो जाने से पाटलीपुत्र में जो राज्यक्रांति हुई थी, उससे मागध साम्राज्य की शक्ति और भी बढ़ गई थी।

जिस समय चंद्रगुप्त अपने नये प्राप्त किये हुए साम्राज्य को दृढ़ करने में लगा था, उसी समय सिकंदर का अन्यतम सेनापति सैल्यूकस मैसीडोनियन साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों में अपने शासन को नीब को मुहृद करने में व्यस्त था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य किस प्रकार अनेक टुकड़ों में विभक्त हो गया, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। मैसिडोनियन साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों पर अपना अधिकार क्रायम करने के लिये सिकंदर के दो सेनापति संपर्प कर रहे थे। इनके नाम हैं—सैल्यूकस और एंटिगोनस। ये दोनों ही सिकंदर के उच्च सेनापति थे। कई वर्षों तक इनमें परस्पर लड़ाई जारी रही। कभी सैल्यूकस की विजय होती और कभी एंटिगोनस की। शुरु में विजयधी ने एंटिगोनस का साथ दिया। उसने सैल्यूकस को परास्त करके मगा दिया। पर ३२१ ई० पू० में सैल्यूकस ने पैरोलोन जीत लिया। अब से युद्ध की गति बदल गई। धीरे धीरे सैल्यूकस ने एंटिगोनस को पूर्णरूप से परास्त कर ईजिप्त भागने के लिये विचारा किया, और स्वयं सम्राट् हो गया। उसका राजधानी सीरिया में थी, इसीलिये उसे सीरियन सम्राट् कहा जाता है। पर वह एशिया माइनर से हिंदूकुश तक एक विशाल साम्राज्य का अधिपति था। ३०६ ई० पू० में उसका राज्याभिषेक वड़ी धूम-धाम के साथ सीरिया में हुआ।

पश्चिमी और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को मुहृद

कर उसने मैसहोनियन साम्राज्य के खोये हुए भारतीय प्रांतों को फिर से अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा। ३०५ ई० पू० में एक शक्तिशाली बड़ी सेना साव लेकर उसने भारत पर आक्रमण किया और सिंध नदी तक बिना किसी विघ्नवाधा के बढ़ आया। इधर चंद्रगुप्त भी सावधान और जागरूक था। सिंध के तट पर दोनों सेनाओं में पनचोर युद्ध हुआ। कई विद्वानों का मत है कि सैल्यूकस अपने इस आक्रमण में गंगा के किनारे-किनारे पाटलीपुत्र तक बढ़ आया था। पर यह बात प्रमाणों से पुष्ट नहीं होगी। अधिक ऐतिहासिक वही मानते हैं, कि चंद्रगुप्त की सेनाओं ने सिंध नदी के पूर्वीय तट पर उसका मुकाबला किया था, और वह भारत में इससे आगे नहीं बढ़ सका था। युद्ध के बाद जो संधि हुई, उसकी शर्तें निम्नलिखित थीं—

(१) चंद्रगुप्त सैल्यूकस को ५०० हाथी दे।

(२) बर्तमान में सैल्यूकस निम्नलिखित चार प्रदेश चंद्रगुप्त को दे :— १. परोपनिसदी, २. आर्कोसिया, ३. आरिया और ४. गद्रोसिया।

(३) इस संधि को स्थिर भेत्री के रूप में परिवर्तित करने के लिये सैल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया।

यह संधि मागध साम्राज्य के लिये बहुत ही अनुकूल थी। इससे उसकी परिचमी सोमा हिंदुकुश के पश्चिम में भी कुछ दूर तक फैल गई थी। सीरियन साम्राज्य के चार बड़े प्रदेश मागध साम्राज्य के अंतर्गत हो गये थे। इन चार प्रांतों में परोपनिसदी का अभिप्राय अफ़ग़ानिस्तान के उस पहाड़ी प्रदेश से है, जिसका पूर्वी तिरा हिंदुकुश पर्वतमाला है। आर्कोसिया आजकल के कदहार को कहते थे। आरिया ईराक का पुराना नाम था। गद्रोसिया से वर्तमान समय के कलाब प्रदेश का बोध होता

या। इस प्रकार सैल्यूकस के युद्ध से कलात, कंदहार, हेरात और काबुल के प्रदेश मागध साम्राज्य में शामिल हो गए थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रीयुत बी० ए० स्मिथ ने इस संबंध में लिखा है, कि दो हजार साल से भी अधिक हुए, जब भारत के प्रथम सम्राट ने उस 'वैज्ञानिक सीमा' को प्राप्त किया, जिसके लिये उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आहें भरते रहे हैं और जिसको सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों के मुगल सम्राटों ने भी कभी पूर्णता के साथ प्राप्त नहीं किया था।

मागध के मौर्य सम्राटों की पश्चिमी सीमा हिंदुकुश तक ही सीमित नहीं रही। कुछ ही समय बाद कन्बोज (बदखशां) और पामीर के प्रदेश भी उनकी अधीनता में आ गये। अशोक मौर्य के लेखों से सूचित होता है, कि ये प्रदेश भी उसके विशाल साम्राज्य के अंतर्गत थे।

३०३ ई० पू० में यह संधि हुई। इसके शीघ्र बाद ही सैल्यूकस ने अपने राजकर्मचारियों में से अन्यतम मैगस्थनीज को राजदूत बनाकर पंद्रगुप्त की राजसभा में भेजा। मैगस्थनीज विरकाल तक मागध साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र में रहा। उसने अपना रिक्त समय भारत की भौगोलिक स्थिति, उपज, जातियों और राजनीतिक दशा का लेखवद्ध करने में व्यतीत किया। मैगस्थनीज के इस विवरण के जो अंश इस समय उपलब्ध होते हैं, वे निःसंदेह मौर्यकाल के भारत के संबंध में बहुत प्रामाणिक हैं, और उनसे बहुत सी महत्त्व की बातें ज्ञात होती हैं।

इस प्रकार अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पंद्रगुप्त मौर्य ने उसका दृढ़तापूर्वक शासन किया। इतने युद्धों के बावजूद भी उसे प्रजा की भलाई का पूरा-पूरा ध्यान रहता था। यही कारण है, कि पाटलीपुत्र से जगभग १००० मील की दूरी पर

स्थित गिरनार के पहाड़ों में उसने एक विराल कृत्रिम मील का निर्माण कराया था। उन दिनों सुराष्ट्र (काठियावाड़) का शासक पुष्यगुप्त था। चंद्रगुप्त ने उसे आज्ञा दी कि गिरनार की नदी के सम्मुख एक बांध लगाकर उसे एक मील के रूप में परिवर्तित कर दे और उससे अनेक नहरें निकाल कर उस प्रदेश में सिंचाई का प्रबंध किया जाय। इस मील का नाम 'सुदर्शन' रखा गया। अशोक के समय तक इसमें कार्य जारी रहा, और बाद में महात्तमप रुद्रदामा तथा गुप्त सम्राटों ने इसका जीर्णोद्धार कराया।

सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के समय की एक और घटना भी उल्लेखनीय है। आचार्य पतंजलि ने अपने महाभाष्य में एक जगह लिखा है, कि धन की इच्छा रखने वाले मौर्यों ने पूजा के लिये मूर्तियां बनवा कर सुवर्ण एकत्र किया। सम्भवतः, यह बात चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में हुई। निरंतर युद्धों के कारण चंद्रगुप्त को यदि धन की कमी हो गई हो और उसने अपने कोष की वृद्धि के लिये इस उपाय का आश्रय लिया हो, तो आश्चर्य की क्या बात है? अपने शुरु के संघर्षकाल में भी चाणक्य की प्रेरणा से उसने ऐसे ही तरीकों से ८० करोड़ काषाण्य एकत्र किये थे।

(५) सम्राट् बिंदुसार अमित्रघात

चंद्रगुप्त मौर्य ने ३२२ ई० पू० से २६८ ई० पू० तक शासन किया। चौबीस वर्ष के अपने राज्यकाल में उसने मागध साम्राज्य को सारे उत्तरी भारत में विस्तीर्ण कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध का सम्राट् बना। श्रीक लेखकों ने इसे अमित्रघात लिखा है, बहुत से शत्रुओं (अमित्रों) के विनाश के कारण ही उसने यह उपाधि प्राप्त की थी। विजयती

लामा वारानाथ ने बौद्धधर्म का जो इतिहास लिखा था, उसके अनुसार आचार्य चाणक्य बिदुसार के समय में भी विद्यमान था, और उसके राज्य का भी पूर्ववत् संचालन कर रहा था। चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य के पौरुहित्य में जिस चातुरंत साम्राज्य के विस्तार का प्रारंभ हुआ था, वह बिदुसार के समय में भी जारी रहा। वारानाथ के अनुसार उसने सोलह राजधानियों के राजाओं और अमात्यों को उखाड़ डाला और एक लम्बे युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच सभ्य भूमि को राजा बिदुसार को अधीनता में ला दिया। निःसंदेह, आचार्य चाणक्य केवल भारत के इतिहास में ही नहीं, अपितु संसार के इतिहास में एक अद्वितीय महापुरुष हुआ है। यह उसी का महत्वाकांक्षा और अदम्य साहस का परिणाम था, कि हिंदूकुश से आसाम तक और काश्मीर से मद्रास तक सारा भारत एक शक्तिशाली साम्राज्य के सूत्र में संगठित हो गया था। ॥

बिदुसार के समय में जिन सोलह राज्यों को जीतकर मागध साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था, वे सभी दक्षिणी भारत में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच में स्थित थे। बिदुसार के उत्तराधिकारी अशोक के समय में उसके शिलालेखों से यह भलीभाँति सूचित हो जाता है, कि मागध साम्राज्य का विस्तार भारत में कहीं-कहीं तक हो चुका था। अशोक ने स्वयं केवल कलिंग को विजय किया था। बाकी सब प्रदेश बिदुसार के समय तक मागध साम्राज्य में शामिल किये जा चुके थे। अशोक के शिलालेखों के अनुसार चोड, पांड्य, केरल और सातवाहन, ये चार सुदूर दक्षिण में स्थित राज्य मागध सम्राट् के सीधे शासन में नहीं थे। शेष सारा दक्षिणी भारत अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। निःसंदेह, दक्षिण भारत की

विजय का प्रेय विदुसार को ही है, जिसने आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में यह सुदृढ़ कार्य भी संपन्न किया था।

मौर्यसम्राटों की दक्षिण विजय के कुछ निर्देश प्राचीन तामिल साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं। एक प्राचीन तामिल कवि मामुलनार के अनुसार मौर्यों ने दक्षिण पर बारंबार आक्रमण किये थे। एक अन्य ग्रंथ के अनुसार मौर्यों की सेनाएं कोंकण से कर्नाटक तट के साथ-साथ उसके दक्षिण अंश, तुलु प्रदेश से होती हुई कोयंबटूर की तरफ बढ़ी, और वहाँ से और भी दक्षिण में जाकर मद्रा के नीचे तक पहुँच गईं। ये मौर्य अनेक पहाड़ों में से रास्ते काटते हुए और चट्टानों पर अपने रथ दौड़ाते हुए इतनी दूर दक्षिण में पहुँच गये थे। तामिल कवियों के इन वर्णनों से प्रतीत होता है, कि चौड और पांड्य राज्यों के भी कुछ हिस्सों को विदुसार मौर्य की सेनाओं ने अपने अधीन कर लिया था। संभवतः, ये सुदूर दक्षिण के प्रदेश स्थिररूप से मौर्यसाम्राज्य में नहीं रह सके। बाद में इन तामिल राज्यों ने परस्पर मिलकर एक संघात (संघ) बना लिया, और मौर्यों से स्वतंत्रता प्राप्त की। अशोक के समय में तामिल राज्य उसके धर्मविजय के प्रभाव में तो थे, पर राजनीतिक दृष्टि से वे मागध साम्राज्य की अधीनता में नहीं थे। मौर्यवंश के पतनकाल में कलिंगराज खारवेल ने अपने शिलालेख में तामिल देशों के इस संघात का उल्लेख किया है, और उसे ११३ वर्ष पुराना बताया है। वह संघात ठीक विदुसार के समय में बना था।

विदुसार के समय की कुछ और घटनायें भी उल्लेखनीय हैं। उसके शासनकाल में तक्षशिला में दो बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला मागध साम्राज्य के पश्चिमोत्तर प्रदेश (उत्तरापथ) की राजधानी थी। वहाँ की परिस्थितियाँ ही ऐसी थीं, कि बार-

बार वहाँ विद्रोह हो सकते थे। अशोक के शासनकाल में भी वहाँ अनेक बार विद्रोह हुए। उत्तरपश्चिमी भारत का यह प्रदेश नया-नया ही मगध साम्राज्य के अधीन हुआ था। वहाँ के निवासियों में अपने पुराने जनपदों वा गणराज्यों की स्वतंत्र सत्ता की स्मृति अभी नष्ट नहीं हुई थी। इसीलिये अक्सर पाते ही वे लोग विद्रोह कर मगध सड़ा कर देते थे। धौद्धवंश दिव्यावदान में लिखा है— राजा विदुसार के वत्तशिला नगर ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को शांत करने के लिये विदुसार ने कुमार अशोक को भेजा। उसने कहा— कुमार जाओ और वत्तशिला नगर के विद्रोह को शांत करो। उसने उसके लिये अतुरंग सेना तो दे दी, परंतु गान और हथियार नहीं दिये। जब वत्तशिला के पौरों ने सुना कि कुमार अशोक स्वयं विद्रोह को शांत करने के लिये आ रहे हैं, तो उन्होंने ३३ बोजन तक वत्तशिला की सड़क को और वत्तशिला नगर को अच्छी तरह सजाया और पूरा घट जेकर पहलें ही अशोक के स्वागत के लिये चल पड़े। कुमार अशोक का स्वागत करके 'पौर' ने कहा— न हम कुमार के विरुद्ध हैं, और न राजा विदुसार के। परंतु कुछ अमात्य हमारा परिभव करते हैं।' इसके बाद वे थड़े सरकार के साथ अशोक को वत्तशिला में ले गये।

इसके बाद फिर एक बार वत्तशिला में विद्रोह हुआ। इसका बगुन भी दिव्यावदान में उपलब्ध होता है। इस विद्रोह को शांत करने के लिये राजा विदुसार ने कुमार सुसीम को भेजा था। संभवतः अशोक उस समय वज्रैतों के शासक थे। कुमार सुसीम बलीभाति इस विद्रोह को शांत नहीं कर सका, और फिर अशोक को वहाँ भेजने की व्यवस्था की गई।

सम्राट् चंद्रगुप्त के समान विदुसार के समय में भी भारत

का विदेशों के साथ घनिष्ठ संबंध था। बिंदुसार के समय में सीरियन साम्राज्य का स्वामी एंटियोकस सोटर था, जो सैल्यूकस का ही उत्तराधिकारी था। उसने मैगस्थनीज की जगह पर डायमंचस को अपना राजदूत बनाकर पाटलीपुत्र में भेजा था। प्राचीन यूनानी लेखकों ने एंटियोकस और बिंदुसार के संबंध में अनेक कथाएँ लिखी हैं। एक कथा के अनुसार एक बार बिंदुसार ने एंटियोकस को लिखा, कि कृपया मेरे लिये कुछ अंजीर, कुछ अंगूरी शराब और एक यूनानी अध्यापक खरीद कर भेज दीजिये। इसके उत्तर में एंटियोकस ने अंजीर और शराब तो खरीद कर भेज दी, पर अध्यापक के संबंध में कहला भेजा कि यूनानी प्रथा के अनुसार अध्यापक का क्रय-विक्रय नहीं हो सकता।

बिंदुसार के समय में मिथ का राजा टाल्मी फिलेडेलफस था। इसने डायोनीसियस नाम का एक राजदूत पाटलीपुत्र की राजसभा में भेजा था। डायोनीसियस चिरकाल तक बिंदुसार के दरबार में रहा और मैगस्थनीज के समान ही भारत का एक विवरण भी लिखा। यह विवरण ईसा की पहली सदी तक अक्षर्य ही उपलब्ध था, इसीलिये ऐतिहासिक मिनी ने इसका उपयोग अपने ग्रंथ में किया था। श्रेष्ठ है, कि डायोनीसियस का विवरण अब उपलब्ध नहीं होता।

चाणक्य के समय में ही सुबंधु नाम का एक अन्य अमात्य बिंदुसार की सेवा में नियुक्त था। चाणक्य ने ही इसकी नियुक्ति की थी। पर यह हृदय से चाणक्य का विरोधी था। इसने बल किया, कि बिंदुसार के हृदय में मौर्यवंश के प्रतिश्रुता चाणक्य के विरुद्ध भावना उत्पन्न करे। पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन का अंतिम भाग प्राचीन आर्यभर्यादा के अनुसार उपोवन में व्यतीत

किया। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय चाणक्य ने भीर्षु साम्राज्य के संचालन का भार संभवतः अमात्य राधगुप्त के हाथ में सुपुर्द किया था। चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। इस राधगुप्त का यशस्वी विष्णुगुप्त के साथ कोई संबंध था या नहीं, यह हम नहीं जानते। पर राधगुप्त बिंदुसार का प्रधानामात्य था और अपने कार्य में सर्वथा निपुण था।

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह लिखना भी आवश्यक है, कि मौर्यवंश की स्थापना के साथ एक नये संवत् की भी स्थापना हुई थी, जिसे कलिंगराज श्वारवेल ने अपने शिलालेख में 'मौरिय संवत्' के नाम से लिखा है।

२६ वर्ष तक शासन करने के बाद २७२ ई० पू० में सम्राट् बिंदुसार की मृत्यु हुई।

छठवाँ अध्याय

मियदर्शी राजा अशोक

(१) अशोक का राज्यारोहण

विदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक था, जो दिव्यावदान के अनुसार चंपा की परमसुंदरी ब्राह्मणकन्या से उत्पन्न हुआ था। मागध सम्राटों की पुरानी परम्परा के अनुसार विदुसार के विविध पुत्रों में राजभिहासन के लिये युद्ध हुए और यह संधर्ष चार वर्ष तक निरंतर जारी रहा। महावंश के अनुसार राजा विदुसार की सोलह रानियाँ और एक सौ एक पुत्र थे। इन पुत्रों में सुमन (दिव्यावदान का सुसीम) सब से बड़ा और तिष्य सब से छोटा था। अशोक न विमाताओं से उत्पन्न सब भाइयों को मार कर स्वयं राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। दिव्यावदान में इस सारे घटना-चक्र का बड़े मनोरंजक रूप में वर्णन किया है। हम उसे यहाँ ऋधृत करते हैं।

राजा विदुसार के एक पुत्र हुआ जिनका नाम सुसीम रखा गया। इसी समय चंपा नगरी में एक ब्राह्मण निवास करता था, उसकी कन्या बहुत ही सुंदर 'दर्शनीया, प्रासादिका और जनपदकल्याणी' थी। उसके भविष्य के विषय में ज्योतिषियों से पूछा गया। उन्होंने बताया—इस लड़की का पति राजा होगा और इसके दो पुत्ररत्न होंगे। एक पुत्र तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और दूसरा वैरागी होकर 'सिद्धव्रत' हो जायगा। यह भविष्यवाणी सुनकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। दुनिया रुपये के पीछे चलती है। वह ब्राह्मण लड़की को लेकर पाटली-

पुत्र चला आया और उसे अच्छे वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत कर राजा विदुसार की पत्नी बनाने के लिये उपहाररूप से दे दिया। जब वह राजा के अन्तःपुर में प्रविष्ट हुई, तो अन्तःपुर में रहने वाली स्त्रियों के दिल में आया कि वह कन्या बहुत सुन्दर है, अत्यंत प्रासादिका और जनपदकरवारी है। यदि कहीं राजा ने उसके साथ संभोग कर लिया, तो हमारी गो बात भी न पूछेगा और हमारी तरफ आँख उठाकर भी न देखेगा। यह सोचकर उन रानियों ने ब्राह्मणकन्या को नाइन का काम सिखा दिया। जब वह अपने कम में खूब निपुण हो गई, तो राजा के बाल और मूँड़ आदि सँवारने लगी। जब राजा सोता था, तो वह उसके बाल सँवारती थी। एक बार प्रसन्न होकर राजा ने उसे वर माँगने को कहा। उस कन्या ने उत्तर दिया—मैं देव के साथ समागम करना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा बोला—तू नाइन है, मैं क्षत्रिय राजा हूँ, मेरा और मेरा समागम किस प्रकार हो सकता है? कन्या ने उत्तर दिया—मैं नाइन नहीं हूँ, अपितु ब्राह्मणकन्या हूँ, मेरे पिता ने मुझे आपकी पत्नी होने के लिये ही उपहाररूप से दिया था। यह सुनकर राजा ने पूछा—फिर तुझे नायन का कार्य किस ने सिखाया है? ब्राह्मणकन्या ने उत्तर दिया—अन्तःपुर की रानियों ने।

इसके बाद इस परम सुन्दरी कन्या को नाइन का कार्य करने की और अधिक आवश्यकता नहीं रह गई। राजा विदुसार ने उसे अपनी पटरानी बना लिया और उसके साथ कीड़ा, रमण आदि करने लगा। उसके गर्भ रह गया और ती मास पञ्चान् एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने अपनी पटरानी से पूछा—इसका क्या नाम रक्खा जाय? उसने उत्तर दिया—इस बच्चे के उत्पन्न होने से मैं 'अशोका' हो गई हूँ, अतः इसका नाम

अशोक रखा जाना चाहिये। कुछ समय बाद रानी के एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम 'विभावशोक' रखा गया।

अशोक का शरीर ऐसा नहीं था, कि उसके स्पर्श से सुख प्राप्त होता हो, वह 'दुःस्पर्शाग्र' था, इसलिये राजा विदुसार उससे प्रेम नहीं करता था। पर वह यह जानना चाहता था, कि उसके पुत्रों में कौन सबसे योग्य है। अतः उसने परिव्राजक पिगलवत्साजीव के साथ सलाह की। राजा ने कहा—उपाध्याय! कुमारों की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं, कौन उनमें सबसे योग्य है और मेरे बड़े राज्यकार्य को संभाल सकेगा। पिगलवत्साजीव ने कहा—बहुत अच्छी बात है, कुमारों को लेकर उद्यान में सुवर्णमंडप में बलिये, वहाँ उनकी परीक्षा लेंगे। इस परीक्षा के परिणामस्वरूप पिगलवत्साजीव यह जान गया कि राजा अशोक ही बनेगा, क्योंकि वही सब में योग्य था। पर क्योंकि विदुसार को वह पसंद नहीं था, अतः अपने विचार को पिगलवत्साजीव ने स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं किया।

जब तक्षशिला में दुवारा विद्रोह हुआ, तो उसे रात करने के लिये कुमार सुसीम को भेजा गया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक जान-बूझ कर, कोशिश करके वहाँ जाने से बचा था। संभवतः विदुसार तब तक बुद्ध ही चुका था और बीमार था। उसे मरणासन्न जानकर राजा बतने के लिये उससे अशोक पाटलीपुत्र से बाहर नहीं जाना चाहता था। इसी बीच में राजा विदुसार भी मृत्यु हो गई और अशोक ने पाटलीपुत्र पर अपना कब्जा कर लिया। जब वह समाचार सुसीम ने सुना तो वह बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने तुरंत पाटलीपुत्र की ओर प्रस्थान किया। पर इस बीच में अशोक पूरी तैयारी कर चुका था। पाटलीपुत्र के सग दरवाजों पर सैनिक नियत कर दिये गये। राजधानी को आक्रमण से बचाने के लिये पूरी



अशोकस्तंभ का सिद्धशिवर, सारनाथ
सारनाथ संग्रहालय
तीसरी शती ई० पू०



तेजसवी कर ली गई। जब सुसोम पाटलीपुत्र के समीप पहुँचा, तो अग्र-अमात्य राचागुप्त ने उसे संदेश भेजा, कि यदि तुम अशोक को मारने में समर्थ होंगे तभी राज्य प्राप्त कर सकोगे। दोनों भाइयों में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें सुसोम मारा गया। पर वहीं पर मामजे का कैसला नहीं हो गया। अशोक के और भी भाई थे। वे भी राजगढ़ी के उन्मीद्वार थे। चार साल तक यह लड़ाई चलती रही। अंत में अशोक की विजय हुई। अपने भाइयों को परास्त कर अशोक ने अपने मार्ग को निष्कटक बना लिया।

अशोक के कितने भाई थे और कितनों को उसने युद्ध में मारा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके एक ही एक भाइयों की बात कुछ अतिशयोक्ति पर्वीत होती है। सब भाई भी उसके द्वारा नहीं मारे गये। अशोक के शिलालेखों में उसके कुछ भाइयों का उल्लेख आता है, जिनके साथ वह बड़ा अच्छा बर्ताव करता था। संभव है, कि सब भाई उसके विरुद्ध नहीं उठ खड़े हुए थे। पर चार वर्ष तक गृहकलह और भ्रातृयुद्ध का रहना इस बात को सूचित करता है, कि अशोक को राजगढ़ी पर अधिकार प्राप्त करने के लिये घोर संघर्ष करना पड़ा था, और उसमें कई भाइयों की हत्या भी हुई थी।

जब राजा बिदुसार की मृत्यु हुई, तो अशोक पाटलीपुत्र में ही था, पर उन दिनों वह उज्जैनी का शासक था। यक्षिण की शक्तिशाली सेनाएँ उसी के अधीन थीं। इनको नाशयता उसे इस गृहयुद्ध में प्राप्त थी। कुमार सुमीन मत्तशिला के विद्रोह को शांत करने में सफल नहीं हुआ था, अतः उत्तर-पश्चिमी भारत की सेनाओं को वह स्वयं राजगढ़ी प्राप्त करने के लिये प्रयुक्त नहीं कर सका था।

बौद्ध ग्रंथों में जो विवरण मिलते हैं, उनके अनुसार शुरू

में अशोक बहुत क्रूर और अत्याचारी था। प्रजा पर उसने घोर अत्याचार किये। पर बाद में बौद्ध धर्म का अनुसरण करने से उसकी वृत्ति बिलकुल बदल गई। वह बड़ा दयालु और धर्मात्मा बन गया। प्रारंभिक जीवन में अत्याचारी होने की जो बात पुरानी ऐतिहासिक अनुश्रुति में पाई जाती है, उसका आधार सायद सचाई पर आश्रित है। उसने राजगद्दी पर अपना अधिकार युद्ध द्वारा प्राप्त किया था। संभवतः, अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिये उसे बहुत सख्ती से काम लेना पड़ा हो। गृहकलह के कारण जो अव्यवस्था और उथल-पुथल उत्पन्न हो गई होगी, उस पर काबू पाने के लिये भी अशोक को यदि जनता के कुछ अंग पर कठोर अत्याचार करने पड़े हों, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है।

(२) राज्यविस्तार

सम्राट् विदुसार की मृत्यु के बाद गृहकलह में सफल होकर अशोक एक बहुत बड़े साम्राज्य का अधिपति बन गया था। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी से शुरू हो कर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला से भी परे तक फैला हुआ था। दक्षिण में भी तामिल देशों तक मगध का साम्राज्य विस्तृत था। पर कलिंग का राज्य इन साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। जब अशोक के राज्याभिषेक को साठ साल व्यतीत हो चुके, अर्थात् २६१ ई० पू० में, कलिंग पर आक्रमण किया गया। उस समय कलिंग अत्यंत शक्तिशाली और वैभवपूर्ण देश था। मैगस्थनीज के अनुसार वहाँ की सेना में साठ हजार पदाति, एक हजार घोड़सवार और सात सौ हाथी थे। इस शक्तिशाली राज्य पर बड़ी तैयारी के साथ हमला किया गया। मगध की विश्वविजयिनी सेनाओं का मुकाबला कर सकना कलिंग की सेना के लिये भी संभव नहीं था। अंत में उसकी

हार हुई। इस युद्ध में कलिंग के एक लाख आदमी मारे गये, डेढ़ लाख कैद किये गये और इनसे कई गुना आदमी युद्ध के बाद आने वाली स्वाभाविक विपत्तियों से काल के प्राप्त हो गये। इस विजय का उल्लेख अशोक ने अपने 'चतुर्दश शिलालेखों' में निम्नलिखित शब्दों में किया है:—

राज्याभिषेक के आठ वर्ष बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग देश को विजय किया। वहाँ डेढ़ लाख मनुष्य कैद किये गये, एक लाख मनुष्य मारे गये और उससे कई गुना आदमी (महामारी आदि से) मरे। इसके बाद कलिंग देश विजय होने पर देवताओं के प्रिय का धर्मपालन, धर्म-कर्म और धर्मानुशासन अच्छी तरह से हुआ। कलिंग के जीतने पर देवताओं के प्रिय को बड़ा पश्चात्ताप हुआ, क्योंकि जिस देश की पहले विजय नहीं हुई है, उसकी विजय होने पर लोगों की हत्या व मृत्यु अवश्य होती है और न जाने कितने आदमी कैद किये जाते हैं। देवताओं के प्रिय को इससे बहुत दुःख और श्लेद हुआ। देवताओं के प्रिय को इससे और भी दुःख हुआ कि वहाँ ब्राह्मण, श्रमण तथा अन्य समुदाय के मनुष्य और गृहस्थ रहते हैं, जिनमें ब्राह्मणों की सेवा, माता-पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, मित्र, परिचित, सहायक जाति, दास और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाता है, और जो दृढ़ भक्त होते हैं। ऐसे लोगों का वहाँ बड़, विनाश या प्रियजनों से बलान् वियोग होता है। अथवा जो स्वयं तो मुरझित होते हैं, पर जिनके मित्र, परिचित, सहायक और संबंधी विपत्ति में पड़ जाते हैं, उन्हें भी अत्यंत स्नेह के कारण बड़ी पीड़ा होती है। यह सब विपत्ति वहाँ प्रायः हरेक मनुष्य के हिस्से पड़ती है। इससे देवताओं के प्रिय को विशेष दुःख होता है। क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है, जहाँ अनंत संप्रदाय न हों, और वे संप्रदाय

ब्राह्मणों और भ्रमणों में (विभक्त) न हों, और कोई देश ऐसा नहीं है, जहाँ मनुष्य एक न एक संप्रदाय को न मानते हों। कलिंग देश में उस समय जितने आदमी मारे गये, मरे या कैद हुए, उनके सौते या हजारवें हिस्से का नाश भी अब देवताओं के प्रिय को बड़े दुःख का कारण होगा।

कलिंगविजय के बाद अशोक की मानसिक वृत्ति बदल गई, उसने राज्यों के द्वारा विजय करना छोड़ कर धर्मविजय के लिये उद्योग प्रारंभ किया। पर कलिंगविजय के बाद मागध साम्राज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गया और सुदूर दक्षिण के कुछ तामिल प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत एक सम्राट की अधीनता में आ गया। स्तून की नदी बहाकर जिस कलिंग पर विजय प्राप्त की गई थी, उसके सुशासन में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। इस प्रदेश को एक नवीन प्रांत के रूप में परिणत किया गया। इसकी राजधानी तुषाली-नगरी थी, और इसके शासन के लिये राजघराने के एक 'कुमार' को ही प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त किया गया। कलिंग में किस शासननीति का अनुसरण किया जावे, इसे स्पष्ट करने के लिये अशोक ने वहाँ दो विशेष शिलालेख उत्कीर्ण कराये थे। इनमें वे आदेश उल्लिखित कराये गये थे, जिनके अनुसार शासन करने से कलिंग के गहरे घाव भलीभाँति ठीक हो सकें।

कलिंगविजय के अतिरिक्त अशोक ने अन्य किसी प्रदेश को जीत कर मागध साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। शक्यतः से उसका मन बिलकुल ऊब गया था। कलिंग के समीप बहुवृत्त-सी आटविक जातियाँ निवास करती थीं, जिन्हें कायू में ला सकना सुगम बात नहीं थी। जब उसके राजकर्मचारियों ने अशोक से पूछा, कि क्या इनका दमन करने के लिये बुद्ध किया जाय, तो उसने यही आदेश दिया, कि इन बनवासिनी

जातियों को भी धर्म द्वारा ही बश में किया जाय। उसने अपने एक शिलालेख में कहा है—कदाचित् आप यह जानना चाहेंगे कि जो सीमांत जातियाँ नहीं जीती गई हैं, उनके संबंध में हम लोगों के प्रति राजा की क्या आज्ञा है। तो मेरा उत्तर यह है कि राजा चाहते हैं कि वे सीमांत जातियाँ मुझसे न डरें, मुझ पर विश्वास करें और मुझसे सुख ही प्राप्त करें, कभी दुःख न पावें। वे यह भी विश्वास रखें कि जहाँ तक क्षमा का व्यवहार हो सकता है, वहाँ तक राजा हम लोगों के साथ क्षमा का बर्ताव करेगा। अब इस शिक्षा के अनुसार चलते हुए आपको ऐसा काम करना चाहिये कि सीमांत जातियाँ मुझ पर भरोसा करें और समझें कि राजा हमारे लिये वैसे ही हैं, जैसे कि पिता।

(३) मागध साम्राज्य की सीमा

अशोक के समय में मागध साम्राज्य की सीमाएँ कहाँ तक पहुँची हुई थीं, इस विषय पर उसके शिलालेखों से अच्छा प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः, इन्हीं शिलालेखों के आधार पर यह ठीक-ठीक जाना जा सकता है, कि मौर्यकाल में मागध का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की दो प्रतियाँ बंगाल की खाड़ी के पास साम्राज्य के पूर्वी प्रदेश में उपलब्ध हुई हैं। इनमें से एक धौली नामक ग्राम के समीप, पुरी जिले के भुवनेश्वर नामक स्थान से दक्षिण की ओर सात मील की दूरी पर पाई गई है। दूसरी प्रति मद्रास प्रांत के गंजाम जिले में जौगढ़ नामक स्थान पर उपलब्ध हुई है। धौली और जौगढ़, दोनों प्राचीन कलिंग देश के अंतर्गत थे। कलिंग भारत के दक्षिणपूर्वी भाग में है, और निःसन्देह यह अशोक के साम्राज्य का भी दक्षिणपूर्वी भाग

ही था। चतुर्दश शिलालेखों की तीसरी प्रति देहरादून जिले के कालसी नामक ग्राम के समीप पाई गई है। देहरादून से चकरौता छोड़ो जो सड़क गई है उससे कुछ दूर हट कर ठीक उस स्थान पर जहाँ कि जमुना नदी हिमालय पर्वत को छोड़ कर मैदान में उतरती है, यह तीसरी प्रति विद्यमान है। चौथी और पाँचवीं प्रतियाँ भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। एबटाबाद् से पंद्रह मील उत्तर की तरफ हजारा जिले में मनसेरा नामक स्थान पर एक प्रति मिली है, और पेशावर से चालीस मील उत्तरपूर्व की तरफ शाहवाजगढ़ी के समीप दूसरी। चतुर्दश शिलालेखों की छठवीं प्रति काठियावाड़ के जूनागढ़ नामक नगर के समीप और सातवीं प्रति बंबई से तीस मील उत्तर की ओर धाना जिले में सोपारा नामक स्थान पर मिली है। चतुर्दश शिलालेखों की कोई भी प्रति दक्षिणी भारत में अब तक उपलब्ध नहीं हुई है, परंतु सुदूर दक्षिण में अशोक के अन्य अनेक शिलालेख मिले हैं। लघु शिलालेखों की तीन प्रतियाँ मैसूर के चीवलाग जिले में, एक सिद्धपुर में, दूसरी ब्रह्मगिरि में और तीसरी जटिंग रामेश्वर पहाड़ पर मिली हैं। अशोक के शिलालेखों का इस प्रकार संपूर्ण भारत में प्राप्त होना उसके साम्राज्य की सीमा पर अच्छा प्रकार डालता है। इससे हम सहज ही यह समझ सकते हैं, कि उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ-कहाँ तक था। मैसूर तक का सारा भारत उसके साम्राज्य के अंतर्गत था, इस संबंध में इन शिलालेखों से कोई संदेह नहीं रह जाता। पर इस विजय में अधिक चारीकी से विचार करने के लिये अशोक के शिलालेखों को अंतःसाची भी बहुत सहायक है। इनमें मौर्य सम्राट के अधीन प्रदेशों को 'विजित' कहा गया है, और जो साम्राज्य के पड़ोस के स्वतंत्र राज्य थे, उन्हें

'प्रत्यंत' की संज्ञा दी गई है। दक्षिण के प्रत्यंत चोड़, पांड्य, केरल, सातियपुत्र और ताम्रपर्णी थे। उस युग में चोड़ देश की राजधानी भूगोलवेत्ता टालमी के अनुसार ओर्योरा थी। इसी का वर्तमान प्रतिनिधि त्रिचनापली के समीप उडैयूर है। पांड्य देश की राजधानी मदुरा थी। केरल में मलापार और कुर्ग के प्रदेश सम्मिलित थे। सातियपुत्र का अभिप्राय वर्तमान द्रावणकोर से है। ताम्रपर्णी लंका या सिंहलद्वीप का ही प्राचीन नाम है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि त्रिचनापली, मदुरा द्रावणकोर तथा मलापार के सुदूर दक्षिण में स्थित प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थे। उनकी गिनती प्रत्यंत राज्यों में थी।

उत्तरपश्चिम में अशोक के प्रत्यंत राज्य वे थे, जहां अंतियोक नाम का यवन राजा राज्य करता था, और उसके परे तुरमय, अंतिकिनि, मक और अलिकमुन्दर नाम के राजा राज्य करते थे। अंतियोक से अभिप्राय सीरिया तथा पश्चिमी एशिया के अधिपति एंटियोकस द्वितीय थियोस से है। वह सैल्यूकस का पौत्र था और इस समय में उसके साम्राज्य का अधिपति था। तुरमय आदि और भी परे के राजा थे। सैल्यूकस ने हिंदुकुश और उसके समीप के जिन प्रदेशों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। यह स्पष्ट है, कि अशोक का पहोसी स्वतंत्र राजा सैल्यूकस का वंशज अंतियोक ही था। इस प्रकार कांबोज से बंगाल की खाड़ी तक और हिमालय से चोड़ देश तक का सारा भारत उसके विजित या साम्राज्य के अंतर्गत था। मगध का विशाल साम्राज्य अब अपने विस्तार की चरम सीमा को पहुँच गया था।

अशोक के शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य (विजित) की उक्त सीमाओं के अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष जनपद भी थे, जिन्हें

अपने शासन के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त थे। अशोक के शिलालेखों में उनके नामों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है—यवन, कांबोज, गांधार, रठिक, पितनिक, नाभक, नाभपति, आंध्र और पुलिंद। इन संरक्षित राज्यों का प्रथम वर्ग यवन, कांबोज और गांधार का है, जो उत्तरापथ में था। यवन या योन का अभिप्राय किसी यवन व प्रोक वस्ती से है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उसने हिंदुकुश पर्वत की उपत्यका में एक नगरी बसाई थी, जिसका नाम अल-कसांडिया रखा था। संभवतः यहाँ बहुत से यूनानी (यवन) लोग बस गये थे। सिकंदर अपने आक्रमण के स्थिर प्रभाव के रूप में यदि कुछ यवन वस्तियाँ भारत में छोड़ गया हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। कांबोज से पामीर पर्वतमाला के प्रदेश तथा मद्रासों का प्रदण होता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और उसके समीपवर्ती उत्तरपश्चिमी सीमाप्रांत के प्रदेश इस राज्य के अंतर्गत थे। यह अशोक के संरक्षित राज्यों का पहला वर्ग है। दूसरा वर्ग नाभक और नाभपति का था। इनको ठीक स्थिति के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानों ने प्रतिपादित किया है कि नाभक और नाभपति का अभिप्राय खोतान से है, जो पामीर के उत्तर में था। तीसरा वर्ग भोज-पितनिक या रठिक-पितनिक का था। ये प्रदेश संभवतः आधुनिक बरार और महाराष्ट्र के अंतर्गत थे। चौथा वर्ग आंध्र और पुलिंद का था। आंध्र देश मद्रास प्रांत में अब भी है। पुलिंद की स्थिति आंध्र के उत्तर में थी। वायुपुराण के अनुसार पुलिंद जाति विष्णाचल की तराई में निवास करती थी। कुछ विद्वानों ने इनको स्थिति वर्तमान जबलपुर जिले के समीप प्रतिपादित की है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि विशाल मौर्य साम्राज्य के अंत-

गंत कुछ ऐसे प्रदेश भी थे, जो अपना शासन स्वयं करते थे, मौर्य सम्राट के अधीन होते हुए भी जिन्हें अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त थी। इनकी स्थिति वर्तमान भारत की रियासतों के सदृश समझी जा सकती है।

(४) विदेशों के साथ संबंध

सारे मागध साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र ही थी, किंतु कई अन्य राजधानियाँ भी थीं, जिनमें राजा की तरफ से कुमार और महामात्य रहते थे। ऐसी उपराजधानियाँ तक्षशिला, उज्जैनी, तोषली और सुवर्णगिरि थीं। मौर्यों के विशाल साम्राज्य का शासन एक राजधानी से नहीं हो सकता था।

सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अनेक समकालीन विदेशी राज्यों और उनके राजाओं का उल्लेख किया है। इनके नाम ये हैं:—

१. अंतियोक—यह पश्चिमी एशिया का सीरियन सम्राट एंटिओकस द्वितीय थिऑस था, जिसका शासनकाल २६१ ई० पू० से २४३ ई० पू० तक है। यह सैल्यूकस का पौत्र था और उसी साम्राज्य का अधिपति हुआ था, जिसे सैल्यूकस ने सिकंदर के मैसीडोनियन साम्राज्य के भग्नावशेष पर क़ायम किया था। अंतियोक के साम्राज्य की सीमा मागध साम्राज्य की सीमा को छूती थी।
२. तुकमथ—यह ईजिप्त (मिस्र) का अधिपति टालमी द्वितीय फिलेडेलफस (२२१-२४७ ई० पू०) था।
३. अंतिकिनि - यह मैसिडोनिया का राजा एंटिगोनस गोनडस (२७९-२३६ ई० पू०) था।

४. मक—यह साइरिनि का अधिपति मेगस था, जिसका राज्यकाल ३०० से २५० ई० पू० तक है।
५. अलिकमुन्दर—यह कारिथ का राजा एलेकजेंडर (२५२-२४४ ई० पू०) था।

इन सब विदेशी राजाओं के साथ सम्राट् अशोक का संबंध था। इनके राज्यों में उसने धर्मविजय के लिये प्रयास किया। उसके इस प्रयत्न पर हम आगे विचार करेंगे। सीरिया के राजा के राजदूत चंद्रगुप्त और बिंदुसार के समय में पाटलीपुत्र की राजसभा में रह चुके थे। संभवतः अशोक के समय में भी इस राज्य का दूत भारत की राजधानी में रहा हो। ईजिप्त के राजा टालमी फिलडेलफस ने भी एक दूतमंडल पाटलीपुत्र में भेजा था, जिसका नेता हायोनीसियस था। मागध सम्राट् के राजदूत भी इन विदेशों में जाते थे। अशोक ने अपने एक शिलालेख में लिखा है कि वहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुँचते, वहाँ भी देवताओं के प्रिय का धर्माचरण, धर्मविधान और धर्मानुशासन सुन कर लोग धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। इस से स्पष्ट है, कि अशोक के दूत विदेशों में अनेक स्थानों पर निवास करते थे।

(५) अशोक के शिलालेख

सम्राट् अशोक के बहुत से उत्कीर्ण लेख आजकल उपलब्ध हैं। उसके इतिहास को जानने के लिये इनसे उसमें अन्य साधन नहीं। अशोक ने अपने इन शिलालेखों को धम्मलिपि कहा है। उनकी जो दो प्रतियाँ उत्तरपश्चिमी सीमाप्रांत के पेशावर और हजारा जिलों में मिली हैं, वे खरोष्ठी लिपि में हैं, शेष सब ब्राह्मी लिपि में। उसके लेख शिलाओं, पत्थर की ऊँची लाटों और गुफाओं में उत्कीर्ण किये गये हैं। इनका संक्षेप में वर्णन देना बहुत उपयोगी है।

(क) चतुर्दश शिलालेख—अशोक के लेखों में ये सब से प्रामाण्य हैं, और एक के नीचे दूसरा करके सब इकट्ठे खुदे हुए हैं। इनकी आठ प्रतियाँ आठ विभिन्न स्थानों पर अथिक्कल या अपूर्ण रूप में मिली हैं। जिन स्थानों पर ये चौदह लेख मिले हैं, वे निम्नलिखित हैं :—

१. पेशावर जिले में शाहवाजगढ़ी—पेशावर से चालीस मील उत्तरपूर्व की ओर मुसुकजाई ताल्लुके में शाहवाजगढ़ी नाम का गाँव है। उससे आध मील की दूरी पर एक विशाल शिला है, जो चौबीस फीट लम्बी, दस फीट ऊँची और दस फीट मोटी है। इस शिला पर बारहवें लेख को छोड़ कर अन्य सब लेख खुदे हुए हैं। बारहवाँ लेख पचास गज की दूरी पर एक पृथक् शिला पर उत्कीर्ण है। शाहवाजगढ़ी गाँव नया है, पर इसी जगह पुराने समय में एक विशाल नगर था, जिसके खंडहर अब तक पाये जाते हैं। एक ऐतिहासिक के अनुसार अशोक के अधीन यवनराज्य की राजधानी संभवतः यहीं पर थी।

२. मानसेरा—उत्तरपश्चिमी प्रांत के हजार जिले में यह स्थान है। यहाँ केवल पहले बारह लेख ही उपलब्ध हुए हैं। तेरहवें और चौदहवें लेख अभी इस स्थान के समीप कहीं नहीं मिले। मानसेरा का शिलालेख जहाँ उत्कीर्ण है, उसके समीप से होकर संभवतः प्राचीन काल में वह सड़क जाती थी, जिसके द्वारा तीर्थवाजी लोग भद्रारिका देवी के दर्शनों को जाया करते थे। अब भी उधर जेरी नामक तीर्थस्थान है।

३. कीलसी—देहरादून जिले में यमुना के तट पर एक विशाल शिला पर अशोक के पूरे चौदह लेख उत्कीर्ण हैं। यह स्थान हिमालय की उपत्यका के प्रदेश जौनपुर भावड़ के द्वार पर है। इस प्रदेश की सभ्यता, धर्म व चरित्र रोष भारत से बहुत कुछ भिन्न हैं। एक स्त्री के अनेक पति होने की बात अभी तक यहाँ

जारी है। इनके देवी-देवता भी अन्य हिंदुओं से भिन्न हैं। संभवतः मौर्य युग में भी यह प्रदेश सभ्यता की दृष्टि से प्रथक था, और इसीलिये इसमें अपने धर्मसंदेश को पहुँचाने के लिये अशोक ने उसके द्वार पर अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे। प्राचीन समय का सुधन नगर भी इसी के समीप था।

४. गिरनार—काठियावाड़ की प्राचीन राजधानी गिरिनगर के समीप ही एक विशाल शिला पर ये चौदह लेख उत्कीर्ण हैं।

५. सोपारा—यह स्थान बंबई प्रांत के थाना जिले में है। प्राचीन शूर्पारक नगरी संभवतः यहीं पर थी। प्राचीन ग्रीक लेखकों ने भी इसे सुधारा और सुपारा नाम से लिखा है। वहाँ आठवें शिलालेख का केवल तिहाई हिस्सा भग्नावस्था में मिला है। पर इससे यह सहज में ही अनुभव किया जा सकता है, कि किसी समय में यहाँ पूरे चौदह लेख विद्यमान थे।

६. धौली—उड़ीसा में भुवनेश्वर (जिला पुरी) से सात मील की दूरी पर यह जगह है। मौर्ययुग में संभवतः यहीं सोपाली नगरी थी, जो कलिंग की राजधानी थी। वर्तमान धौली गाँव के पास अश्वस्तंभ नाम की एक शिला है, जिस पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। चतुर्दश शिलालेखों में नं० ११, १२ और १३ यहाँ नहीं मिलते। उनके स्थान पर दो अन्य विशेष लेख मिलते हैं, जिन्हें कि अशोक ने कलिंग के लिये विशेषरूप से उत्कीर्ण कराया था।

७. जौगढ़—मद्रास प्रांत के गंजाम जिले में यह स्थान है। यह भी प्राचीन कलिंग देश के ही अंतर्गत था, यहाँ भी ११, १२ और १३ नंबर नहीं मिलते। इनकी जगह पर धौली वाले वे दो विशेष लेख मिलते हैं, जो खास कर कलिंग के लिये उत्कीर्ण कराये गये थे।

८. अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की आठवीं प्रति आंध्रदेश

में कुर्नूल जिले से पिछले दिनों में ही मिला है।

(ख) लघु शिलालेख—चतुर्दश शिलालेखों की भाँति ये भी साम्राज्य के दूर-दूर के प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं। इनकी विविध प्रतियाँ निम्नलिखित स्थानों पर मिली हैं—

१. रूपनाथ—मध्यप्रान्त के जयलपुर जिले में कैमोर पर्वत की उपत्यका में एक शिला पर ये लेख उत्कीर्ण हैं। यह स्थान दुर्गम चट्टानों और जंगली जानवरों से भरा हुआ है। पर यह एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों यात्रो शिव की उपासना के लिये एकत्र होते हैं।

२. सहसराम—बिहार प्रांत के साहाबाद जिले में सहसराम नाम का कसबा है। उसके पूर्व में चंदनपीर पर्वत की एक कृत्रिम गुफा में ये लेख उत्कीर्ण हैं, अशोक के समय में यहाँ भी एक प्रसिद्ध तीर्थ था। वर्तमान समय में यहाँ एक मुसलमान फकीर को दरगाह है।

३. बैराट - यह स्थान राजपूताने की जयपुर रियासत में है। इसके समीप ही हिंसगौर नामक पहाड़ों के नीचे लघु शिलालेखों को एक प्रति उपलब्ध हुई है। पुरानी अनुभूति के अनुसार पांडव लोग वनवास के अंत में इसी स्थान पर आकर रहे थे।

४. सिंहपुर—यह स्थान मैसूर के चोवलदुग जिले में है।

५. जतिहरामेश्वर—यह भी चोवलदुग जिले में ही है।

६. त्रिगिरि—यह भी चोवलदुग में सिंहपुर और जतिहरामेश्वर के समीप में ही है।

७. मास्की—यह निजाम हैदराबाद रियासत के रायपुर जिले में है। इस स्थान पर जो लेख मिले हैं, वे बहुत भग्नावस्था में हैं। पर ऐतिहासिक दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। इसी से यह बात प्रामाणिकरूप से ज्ञात हो सकी है, कि राजा प्रियदर्शी

के नाम से जो विविध शिलालेख भारत भर में उपलब्ध हुए हैं, वे वस्तुतः मौर्य सम्राट् अशोक के ही हैं। उसमें स्पष्ट रूप से राजा अशोक का नाम दिया गया है। यह नहीं समझना चाहिये, कि इन सातों स्थानों पर एक ही लेख की भिन्न-भिन्न प्रतियाँ मिलती हैं, जैसा कि चतुर्दश शिलालेखों के विषय में कहा जा सकता है। चौतलद्रुग के तीनों स्थानों—सिंहपुर, जतिङ्गरामेश्वर और ब्रह्मगिरि में थोड़े से पाठभेद के साथ एक ही लेख उत्कीर्ण है। यह लेख दो भागों में विभक्त है। पहला भाग थोड़े से पाठभेद के साथ सहसराम, रूपनाथ, वैराट और मात्की में भी मिलता है। पर दूसरा भाग चौतलद्रुग के इन तीन स्थानों के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं मिलता।

(ग) भात्र का लेख—जयपुर रिचासत में वैराट नगर के पास ही एक चट्टान पर यह लेख उत्कीर्ण है। प्राचीन समय में यहाँ एक बौद्ध विहार था, और अशोक ने इस लेख को इसलिये सुदबाया था कि विहार में निवास करने वाले भिक्षुओं को यथोचित आदेश दिये जायें। इस लेख में अशोक ने उन बौद्ध ग्रंथों के नाम विज्ञापित कराये थे, जिन्हें वह इस योग्य समझता था कि भिक्षु लोग उनका विरोध रूप से अनुरासन करें। संभवतः इसी प्रकार के लेख अन्य बौद्ध विहारों पर भी लगवाये गये थे।

(घ) सप्त स्तंभ लेख—शिलालेखों के समान स्तंभों पर भी अशोक ने लेख उत्कीर्ण कराये थे। ये स्तंभलेख निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं:—

१. दिल्ली में टोपरा स्तंभ—यह वर्तमान समय में दिल्ली में विद्यमान है। यह फीरोजशाह को लाट के नाम से मशहूर है। पहले यह स्तंभ दिल्ली से ६० मील की दूरी पर यमुना के किनारे टोपरा (अंबाला ज़िले में सडौरा के पास) में स्थित था।

सुलतान फीरोजशाह तुगलक इसे दिल्ली ले आया था, और उसे इसके वर्तमान स्थान पर स्थापित किया था, जो कि दिल्ली दरवाजे के बाहर फीरोजशाह का कोटला कहलाता है।

२. दिल्ली में मेरठ स्तंभ—यह पहले मेरठ में था। फीरोजशाह तुगलक इसे भी दिल्ली ले आया था, और कारमीर दरवाजे के उत्तर-पश्चिम में पहाड़ी पर स्थापित किया था। कहते हैं कि फर्रुखरसिबर (१७१३ से १७१६ तक) के समय में वारूदखाने के फट जाने से इसे, बहुत नुकसान पहुँचा था। गिर कर इसके अनेक टुकड़े हो गये थे। बाद में १८६७ में इसे फिर बयापूर्व खड़ा किया गया था।

३. इलाहाबाद स्तंभ—यह वही प्रसिद्ध स्तंभ है, जिस पर गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। यह अब प्रयाग के पुराने किले में स्थित है। इस पर अशोक के दो लेख हैं, जो कौशाम्बी के शासनाधिकारियों को आदेश के रूप में संबोधन किये गये हैं।

४. लौड़िया अरराज स्तंभ—बिहार प्रांत के चंपारन जिले में राधिया नामक गाँव है। उससे २½ मील पूर्व-दक्षिण में अरराजमहादेव का मंदिर है। वहाँ से मील भर लौड़िया नामक स्थान पर यह स्तंभ विद्यमान है। इस पर भी अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं।

५. लौड़िया नंदनगढ़—यह भी बिहार के चंपारन जिले में है। पूर्व-लिखित लौड़िया से उत्तर-पश्चिम में नेपाल राज्य की तरफ जाते हुए लौड़िया नंदनगढ़ का स्तंभ दिखाई पड़ता है। इसी स्थान पर पिप्पलिवन का प्रसिद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। पिप्पलिवन का मोरियगण, जिसके एक प्रतापी कुमार ने मौर्यवंश की स्थापना की, संभवतः यहाँ पर स्थित था।

६. रामपुरवा स्तंभ—यह भी चंपारन जिले में ही है। एक ऐतिहासिक के अनुसार ये तीनों स्तंभ उस प्राचीन राजमार्ग को सूचित करते हैं, जो गंगा के उत्तर में पाटलीपुत्र से नेपाल की तरफ को जाता था। इस राजमार्ग पर आने जाने वाले यात्रियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिये ही अशोक ने इन स्तंभों पर अपने धम्म के संदेश को उत्कीर्ण कराया था। चंपारन जिले की इन लाटों में से पहली दो पर सप्त स्तंभलेखों में से पहले छः लेख ही उत्कीर्ण हैं। रामपुरवा की लाट पर पहले चार लेख ही मिलते हैं। पूरे सातों लेख केवल दिल्ली के टोपरा स्तंभ पर हैं। इलाहाबाद स्तंभ पर पहले छः लेख हैं, यद्यपि इनमें से केवल दो ही अविकल अवस्था में हैं। दिल्ली-मेरठ स्तंभ पर पहले पाँच लेख ही मिलते हैं, वे भी भग्न दशा में हैं।

(क) लघु स्तंभलेख—ये तीन स्थानों पर उत्कीर्ण हुए मिले हैं। स्थान निम्नलिखित हैं:—

१. सारनाथ—बनारस के उत्तर में ३½ मील की दूरी पर यह अत्यंत प्राचीन स्थान है। यहाँ प्राचीन काल के बहुत से भग्नावशेष मिलते हैं। इन्हीं अवशेषों में एक स्तंभ पर अशोक का यह लघु लेख उत्कीर्ण है। इसमें बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को कड़े दंड का विधान किया गया है।

२. साञ्ची—मध्य भारत की भूपाल रियासत में साञ्ची बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ के विशाल स्तूप के दक्षिणी द्वार पर, एक टूटे हुए प्राचीन स्तंभ पर यह लेख उत्कीर्ण है। यह सारनाथ के लेख का ही अपूर्ण और परिवर्तित स्वरूप है।

३. इलाहाबाद स्तंभ—प्रयाग के दुर्ग के जिस स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति और अशोक के सप्तस्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं, उसी पर यह लेख भी पृथक् रूप से उत्कीर्ण है। साञ्ची के लेख के समान यह भी अपूर्ण और परिवर्तित है।

(च) अन्य स्तंभलेख—सप्त स्तंभलेखों और लघु स्तंभलेखों के अतिरिक्त अशोक के कुछ अन्य स्तंभलेख भी निम्नलिखित स्थानों पर मिले हैं—

१. रुम्मिनदेई स्तंभ—नेपाल राज्य की भगवानपुर तहसील में पटोरिया नाम का गाँव है। उसके एक मील उत्तर की तरफ रुम्मिनदेई का मंदिर है। वहाँ एक प्राचीन स्तंभ पर अशोक का एक लेख उत्कीर्ण है। यद्यपि यह लेख बहुत छोटा है, पर बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसमें लिखा है—'यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था।' बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनीवन की स्थिति का निश्चय इसी लेख से हुआ है।

२. निग्लीव स्तंभ—रुम्मिनदेई स्तंभ के उत्तरपश्चिम में तेरह मील दूर निग्लीव स्तंभ है। यह निग्लीव नाम के गाँव के पास, इसी नाम की झील के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस स्तंभ को भी तीर्थ-यात्रा के संबंध में ही स्थापित किया गया था। इस स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख में अशोक द्वारा कनकमुनि बुद्ध के स्तूप की मरम्मत दिये जाने का उल्लेख है।

३. रानी का लेख—यह लेख इलाहाबाद के स्तंभ पर ही उत्कीर्ण है। इसमें सम्राट् अशोक ने अपनी दूसरी रानी काम्बाकी के दान का उल्लेख किया है।

६. गुहालेख—शिलाओं और स्तंभों के अतिरिक्त गुहा-मंदिरों में भी अशोक ने कुछ लेख उत्कीर्ण कराये थे। इस प्रकार के तीन लेख अब तक उपलब्ध हुए हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दिये गये दान का उल्लेख है। अशोक के लेखों से युक्त गुहाएँ गंगा से सोलह मील उत्तर में बराबर नाम की पहाड़ियों में विद्यमान हैं।

(६) धर्मविजय का उपक्रम

इतिहास में अशोक के महत्त्व का मुख्य कारण उसकी धर्मविजय है। मागध साम्राज्य की विश्वविजयिनी शक्ति को सिकंदर और सीडर की तरह अन्य देशों पर आक्रमण करने में न लगाकर उसने धर्मविजय के लिये लगाया। कलिंग को जीतने में जो लाखों आदमी मारे गये थे, कैद हुए थे, लाखों स्त्रियाँ ब्रिजवा व बन्धे अनाथ हुए थे, उसे देखकर अशोक के हृदय में यह विचार आया, कि जहाँ लोगों का इस प्रकार बध हो, वह विजय निरर्थक है। इस प्रकार की विजय को देख कर उसे बहुत दुःख और अनुताप हुआ। उसने निश्चय किया, कि अब वह किसी देश पर आक्रमण कर इस तरह से विजय नहीं करेगा। अपने पुत्रों और पौत्रों के लिये भी उसने वही आदेश दिया, कि वे शस्त्रों द्वारा नये प्रदेशों की विजय न करें, और जो धर्म द्वारा विजय हो, उसी को वास्तविक रूप से विजय समझें।

इसी विचार से अशोक ने सुदूर दक्षिण के चोड, पाण्ड्य, केरल, सावियपुत्र और ताम्रपर्णी के राज्यों में तथा साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित यवन अंतियोक आदि द्वारा शासित प्रदेशों में शस्त्रविजय की जगह धर्मविजय का उपक्रम किया। मागध साम्राज्य की जो सैनिक शक्ति उस समय थी, यदि वह चाहता तो उससे इन सब प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर सकता था। पर कलिंगविजय के बाद जो अनुताप की भावना उसके हृदय में उत्पन्न हुई थी, उससे उसने अपनी नीति को बदल दिया। इसीलिये उसने अपने महामात्यों (उच्च राजपदाधिकारियों) को यह आज्ञा दी—शावद आप लोग यह जानना चाहेंगे, कि जो अंत (सीमावर्ती राज्य) अभी तक जीते नहीं गये हैं, उनके संबंध में राजा की क्या आज्ञा है।

मेरी शक्तों के बारे में यही इच्छा है कि वे मुझसे डरे नहीं, और मुझ पर विश्वास रखें। वे मुझसे सुख ही पायेंगे, दुःख नहीं। वे यह विश्वास रखें कि जहाँ तक क्षमा का बर्ताव हो सकेगा, राजा हमसे क्षमा का बर्ताव ही करेगा। (दूसरा कर्त्तव्य लेख)

यही भाव उन आटविक जातियों के प्रति प्रगट किया गया, जो उस समय के महाकांतारों में निवास करती थीं, और जिन्हें शासन में रखने लिये राजाओं को सदा शस्त्र का प्रयोग करने की आवश्यकता रहती थी। राज्यों से विजय की नीति को छोड़ कर अशोक ने धर्म द्वारा विजय की नीति को अपनाया था।

अशोक का इस धर्म से क्या अभिप्राय था ? जिस धर्म से वह अपने साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने का उद्योग कर रहा था, क्या वह कोई संप्रदाय विशेष था, या धर्म के सर्वसम्मत सिद्धांत ? अशोक के शिलालेखों से यह बात मज़ीभांति स्पष्ट हो जाती है। वह लिखता है—धर्म यह है कि दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किया जाय, माता पिता की सेवा की जाय, मित्र, परिचित रिश्तेदार, अमण और ब्राह्मणों को दान दिया जाय और प्राणियों को हिंसा न की जाय।

एक अन्य लेख में अशोक ने अपने धम्म को इस प्रकार समझाया है—माता और पिता की सेवा करनी चाहिये। (प्राणियों के) प्राणों का आदर दृढ़ता के साथ करना चाहिये। (अर्थात् जीवहिंसा नहीं करना चाहिये), सत्य बोलना चाहिये, धम्म के इन गुणों का प्रचार करना चाहिये, विद्यार्थी को आचार्य की सेवा करनी चाहिये और सब को अपने जाति-माइयों के प्रति उचित बर्ताव करना चाहिये। यही शास्त्रीय (धर्म की) रीति है। इससे आयु बढ़ती है, और इसी के अनुसार मनुष्यों को चलना चाहिये।

इसी प्रकार अन्यत्र शिलालेखों में लिखा है—'माता-पिता की सेवा करना तथा मित्र, परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण और ब्रह्मण को दान करना अच्छा है। थोड़ा धन्य करना और थोड़ा संचय करना अच्छा है।' फिर एक अन्य स्थान पर लिखा है—'धर्म करना अच्छा है, पर धर्म क्या है ? धर्म नहीं है कि पाप से दूर रहे, बहुत से अच्छे काम करे, दया दान, सत्य और शीघ्र (पवित्रता) का पालन करे।'

इन उद्धरणों से स्पष्ट है, कि अशोक का धम्म से अभिप्राय आचार के सर्वसम्मत निषेधों से है। दया, दान, सत्य, मार्दव, गुरुजन तथा माता-पिता की सेवा, अहिंसा आदि गुण ही अशोक के धम्म हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अशोक अपने धम्म के संदेश को ले जाने के लिये उत्सुक था। इसीलिये उसने बार-बार जनता के साधारण व्यवहारों और धम्म-व्यवहार की तुलना की है। यहाँ कुछ ऐसी तुलनाओं को उद्धृत करना उपयोगी है। चतुर्विंश शिलालेखों में से नया लेख इस प्रकार है—'लोग विपत्तिकाल में, पुत्र के विवाह में, कन्या के विवाह में, सतान की उत्पत्ति में, परदेश जाने के समय और इसी तरह के अन्य अवसरों पर अनेक प्रकार के मंगलाचार करते हैं। ऐसे अवसरों पर स्त्रियाँ अनेक प्रकार के जुद्ध और निरर्थक मंगलाचार करती हैं। मंगलाचार अवश्य करना चाहिये, किंतु इस प्रकार के मंगलाचार प्रायः अल्प फल देने वाले होते हैं। पर धर्म का मंगलाचार महाफल देने वाला है। इसमें (धर्म के मंगलाचार में) दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुओं का आदर, प्राणियों की अहिंसा और ब्राह्मणों व ब्रह्मणों को दान—यह सब करना होता है। ये सब कार्य तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य धर्म के मंगलाचार कहलाते हैं। इसलिये पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र, साथी और कहाँ तक कहें,

पड़ोसी तक को भी वह कहना चाहिये—यह मंगलाचार अच्छा है, इसे सब तक करना चाहिये, जब तक अभीष्ट कार्य को सिद्धि न हो। यह कैसे ? (अर्थात् धर्म के मंगलाचार से अभीष्ट कार्य कैसे सिद्ध होता है ?) इस संसार के जो मंगलाचार हैं, वे सदिग्ध हैं, अर्थात् उन से अभीष्ट कार्य सिद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। संभव है, उनसे केवल ऐदिक फल ही मिलें। किंतु धर्म के मंगलाचार काल से परिच्छिन्न नहीं हैं (अर्थात् सब काल में उनसे फल मिल सकता है)। यदि इस लोक में उनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति न हो, तो परलोक में तो अनंत पुण्य होता ही है। यदि इस लोक में अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया, तो दोनों लाभ हुए अर्थात् यहाँ भी कार्य सिद्ध हुआ, परलोक में भी अनंत पुण्य प्राप्त हुआ।

इसी प्रकार एक अन्य लेख में साधारण दान और धर्म-दान में तुलना की गई है। अशोक की सम्मति में ऐसा कोई दान नहीं है, जैसा धर्म का दान है। इस लिये जिस व्यक्ति को दान की इच्छा हो, वह धर्म का दान करे। धर्म का दान क्या है ? धर्म का अनुष्ठान। अतः माता-पिता की सेवा की जाय, हिंसा न की जाय, दासों और सेवकों से उचित व्यवहार किया जाय। सच्चा दान करने वाला व्यक्ति धर्म को जाने और धर्म का अनुष्ठान करे।

एक अन्य लेख में अशोक ने साधारण विजय और धर्म-विजय में भेद किया है। साधारणतया, राजा लोग शस्त्र द्वारा विजय करते हैं, पर धर्मविजय शस्त्रों द्वारा नहीं की जाती। इसके लिये तो औरों का उपकार करना होता है। धर्मविजय के लिये जनता का 'दिव और सुख संपादित करना होता है, बुरे मार्ग से हट कर सन्मार्ग पर प्रवृत्त होना होता है, और सब प्राणियों को 'निरापद्, संवर्षी, शांत और निर्वय, जनते का

उद्योग करना होता है। यह विजय दया और त्याग से प्राप्त की जाती है।

इनके अतिरिक्त, धर्म की पूर्णता के लिये कुछ अवशुओं से भी बचने की आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके, 'आसीनव' कम करने चाहिये। पर ये आसीनव हैं क्या ? चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या। अशोक ने लिखा है—मनुष्य को यह देखना चाहिये, कि चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या—ये सब पाप के कारण हैं। और उसे अपने मन में सोचना चाहिये, कि इन सब के कारण मेरी निंदा न हो। इस बात की ओर विरोध ध्यान देना चाहिये, कि इस मार्ग से मुझे इस लोक में सुख मिलेगा और मेरा परलोक बनेगा।

ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट है, कि अशोक का धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं था। यद्यपि अशोक स्वयं बौद्धधर्म का अनुयायी था पर उसने जिस धर्मविजय के लिये उद्योग किया था, वह कोई संप्रदाय विशेष का न होकर सब धर्मों के सर्व-सम्मत सिद्धांतों का समाहार ही था।

(७) धर्मविजय के उपाय

अशोक ने जिन उपायों से धर्मविजय को संपन्न करने का प्रयत्न किया, उन पर संक्षेप में प्रकाश डालना आवश्यक है। सब से पूर्व उसने अपने और अपनी प्रजा के जीवन में सुधार करने का उद्योग किया। भारत में जो क्रूरता व अक्रूरण हिंसा प्रचलित थी, उसे अशोक ने रोकने का प्रयत्न किया। 'यहाँ किसी प्राणी की हत्या या डोम न करना चाहिये, और न समाज करना चाहिये। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज में बहुत दाय-देखता है। किंतु एक प्रकार के समाज हैं, जिन्हें देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा अच्छा मानता है। पहले देवताओं के

प्रिय प्रियदर्शी राजा के रसोईघर में शोरवे के लिये प्रतिदिन सैकड़ों हजारों प्राणी मारे जाते थे। पर अब जब यह धर्मलिपि लिखी गई, केवल तीन प्राणी, दो मोर और एक मृग मारे जाते हैं, वह मृग भो सदा नहीं। भविष्य में वे तीन प्राणी भी न मारे जायेंगे।

प्राचीन भारत में समाज का अभिप्राय उन मेलों से था, जिनमें रथों की दौड़ और पशुओं की लड़ाई होती और उन पर वाजी लगाई जाती थी। इन में पशुओं पर अकारण क्रूरता होती थी। ऐसे समाज अशोक को पसंद नहीं थे। परंतु ऐसे क्रुद्ध समाज भी होते थे, जिनमें गाना-बजाना और अन्य निदोष बातें होती थीं। इनमें विमान, हाथी, अग्निस्कंध आदि के दृश्य भी दिखाये जाते थे। अशोक को ऐसे समाजों से कोई एतराज नहीं था। अशोक ने उन प्राणियों का वध सर्वथा रोक दिया, जो न खाये जाते हैं, और न ऐसे ही किसी अन्य उपयोग में आते हैं। ऐसे प्राणी निम्नलिखित थे—सुग्गा, मैना, अरुण, चकोर, हंस, नांदोमुख, गेलाड, जतुका (चमगीदड़) अंधारपीलिका, कहुआ, वेहड़ी की मछली, जीवजीवक, गंगापुपुटक, संकुजमस्य, साही, पर्यशरा, चारहसिगा, सांड, ओकपिड मृग, सफेद कबूतर और आम के कबूतर। ये सब प्राणी केवल शौक के कारण मारे जाते थे। इन्हें खाने का रिवाज उस समय नहीं था। अशोक ने इस प्रकार की व्यर्थ हिंसा के विरुद्ध अपने शिलालेखों द्वारा आदेश प्रकाशित किया था। जहाँ खाने के लिये अथवा ऐसे ही उपयोगों से लिये पशुवध किया जाता है, उसे भी कम करने के लिये अशोक ने प्रयत्न किया था। यह लिखता है—गामिन या दूध पिलाती हुई बकरी, भेड़ी और मुअरी तथा इनके बच्चों को, जो छः महीने तक के हों, नहीं मारना चाहिये। मुर्गों को बधिया नहीं करना चाहिये। जीवित

प्राणियों को भूसी के साथ नहीं जलाना चाहिये। अनर्थ करने या प्राणियों की हिंसा के लिये वन में आग नहीं लगानी चाहिये, प्रति चार-चार महीनों की, तीन ऋतुओं की तीन पूर्णमासियों के दिन, पौष मास की पूर्णमासी के दिन, चतुर्दशी अमावस्या और प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली नहीं मारना चाहिये। इन सब दिनों में हाथियों के वन में तथा तालाबों में कोई भी दूसरे प्रकार के प्राणी नहीं मारे जाने चाहिये।

पशुओं को कष्ट से बचाने के लिये अशोक ने यह भी प्रयत्न किया कि उन्हें दाग न जाय। इसीलिये पशुओं को दागने में अनेक साधनों उपस्थित की थीं। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा तथा पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चार-चार महीने के त्यौहारों के दिन बैल को नहीं दागना चाहिये। बकरा, भेड़ा, सूअर और इसी तरह के दूसरे प्राणियों को, जो दागे जाते हैं, नहीं दागना चाहिये। पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चातुर्मास्य के शुक्लपक्ष में घोड़े और बैल को नहीं दागना चाहिये।

इन सब आदेशों का प्रयोजन यही था, कि कर्ष्य हिंसा न हो और लोगों में दया तथा अहिंसा की ओर प्रवृत्ति हो। अशोक अपने साम्राज्य में एक ऐसे वातावरण को उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा था, जिससे लोगों की प्रवृत्ति धर्ममार्ग की तरफ हो सके।

धर्मविजय के लिये ही अशोक ने धर्मयात्राओं का प्रारंभ किया। यात्रा तो पहले सम्राट् भी करते थे, पर इनका उद्देश्य आनन्द व मौज होता था। वे बिहारयात्राएँ करते थे, धर्मयात्रा नहीं। अशोक ने धर्मयात्राओं का प्रारंभ किया। इनमें शिकार आदि द्वारा समय नष्ट न करके अमणों, ब्राह्मणों और वृद्धों का दर्शन, उन्हें दान देना, जनपद में निवास करने वाली जनता के पास जाकर उन्हें उपदेश देना और धर्मविषयक विचार करना

होता था। अशोक को इस प्रकार की धर्मयाचाओं से बहुत ही आनंद प्राप्त होता था।

अपने राजकर्मचारियों को अशोक ने यह आदेश दिया, कि वे जनता के कल्याण के लिये निरंतर प्रयत्नशील रहें, किसी को अकारण दंड न दें, किसी के साथ कठोरता का बर्ताव न करें। यदि उस के राजकर्मचारी इन बातों का ध्यान न रखेंगे, तो धर्मविजय कैसे हो सकेगी? उसने लिखा है—'देवताओं के भ्रिय की तरफ से जोसाली के महामात्य नगरव्यावहारिकों (न्यायाधीशों) को ऐसे कहना। आप लोग हजारों प्राणियों के ऊपर इसलिये नियुक्त किये गये हैं, कि जिससे इस अच्छे मनुष्यों के स्नेहपात्र बनें। आप लोग इस अभिप्राय को नजीर्नांति नहीं समझते। एक पुरुष भी यदि बिना कारण (बिना अपराध) धोसा जाता है, या परिक्रेश पाता है, तो उससे बहुत लोगों को दुःख पहुँचता है। ऐसी दशा में आपको मध्यमार्ग से (अत्यंत कठोरता और अत्यंत दया, दोनों का स्वाम कर) चलना चाहिये। किंतु ईर्ष्या, निठल्लापन, निठुरता जल्दबाजी, अनश्वास, आलस्य और तंद्र के रहने ऐसा नहीं हो सकता। इसलिये ऐसी चेष्टा करनी चाहिये, कि ये (दोष) न आवें। इसका भी मूल उपाय यह है, कि सदा आलस्य में वचना और सचेष्ट रहना। इसलिये सदा काम करते रहो, उठो, चलो, आगे बढ़ो। नगरव्यावहारिक सदा अपने समय (प्रविद्या) पर दृढ़ रहें। नगरजन का अकारण बंधन और अकारण परिक्रेश न हो। इस प्रयोजन के लिये मैं धर्मानुसार प्रति पाँचवें वर्ष अनुसंधान के लिये निकलूंगा। उज्जैनी से भी कुमार हर तीसरे वर्ष ऐसे ही बर्ग को निकालेगा और वत्स-शिला से भी।'

इस प्रकार के आदेशों का उद्देश्य यही था, कि साम्राज्य का

शासन निर्दोष हो, राजकर्मचारी जनता के कल्याण में तत्पर रहें और किसी पर अत्याचार न होने पावे'। यह सब किये बिना धर्मविजय की आशा ही कैसे की जा सकती थी। राज्य-सुशासन की स्थापना के लिये ही अशोक ने यह व्यवस्था की, कि 'सब समयों में, चाहे मैं खाता होऊँ, चाहे खाने में होऊँ, चाहे शयनागार में होऊँ, प्रतिवेदक हर समय प्रजा का कार्य मुझे बतावें। मैं सब जगह प्रजा का कार्य करूँगा।'

धर्मविजय के लिये मार्ग को साफ करने के लिये यह भी परम आवश्यक था, कि विविध संप्रदायों में मेल-जोल पैदा किया जाय। उस समय भारत में अनेक मत और संप्रदाय थे। इनमें परस्पर विरोध का रहना अस्वाभाविक नहीं था। अशोक ने इस तरफ भी ध्यान दिया। उसने लिखा है—'देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान या पूजा से गृहस्थ व सन्यासी, सब संप्रदाय वालों का सत्कार करते हैं। किंतु देवताओं के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाह नहीं करते, जितनी इस बात की कि सब संप्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। संप्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर उसकी जड़ वाणी का संयम है, अर्थात् लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। केवल विशेष-विशेष कारणों के होने पर ही निंदा होनी चाहिये। क्योंकि किसी न किसी कारण से सब संप्रदायों का आदर करना लोगों का कर्तव्य है। ऐसा करने से अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का उपकार होता है। इसके विपरीत जो करता है, वह अपने संप्रदाय को भी क्षति पहुँचाता है, और दूसरे संप्रदायों का भी अपकार करता है। क्योंकि जो कोई अपने संप्रदाय की भक्ति में आकर, इस विचार से कि मेरे संप्रदाय का गौरव बढ़े, अपने संप्र-

द्वय की प्रशंसा करता है और दूसरे संप्रदाय की निंदा करता है, वह वास्तव में अपने संप्रदाय को पूरी हानि पहुँचाता है। संप्रदाय (मेल-जोल) अकञ्चा है, अर्थात् लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान देकर मुनें और उसकी सेवा करें। क्योंकि देवताओं के प्रिय की यह इच्छा है, कि सब संप्रदाय वाले बहुत विद्वान और कल्याण का कार्य करने वाले हों। इसलिये जहाँ-जहाँ जो संप्रदाय वाले हों, उनसे कहना चाहिये कि देवताओं के प्रिय दान या पूजा को इतना बढ़ा नहीं मानते, जितना इस बात को कि सब संप्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो।

जनता को यह बात समझाने के लिये, कि वे केवल अपने ही संप्रदाय का आदर न करें, अपितु अन्य मतमतांतरों को भी सम्मान की दृष्टि से देखें, सब मत वाले वाणी के संयम से काम लें, और परस्पर मेलजोल से रहें, अशोक ने धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की। उनके साथ ही श्री महामात्र, ब्रह्मभूमिक तथा अन्य राजकर्मचारिण्य। यही बात लोगों को समझाने के लिये नियत किये गये।

इन्हीं धर्ममहामात्रों की नियुक्ति के प्रयोजन को एक अन्य लेख में मल्लोर्भाति स्पष्ट किया गया है—वीते जमानों में धर्ममहामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए। इस लिये मैंने राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में धर्ममहामात्र नियुक्त किये। वे सब पाचवहों (संप्रदायों) के बीच नियत हैं। वे धर्म के अधिष्ठान के लिये, धर्म की वृद्धि के लिये तथा धर्मयुक्त लोगों के सुख के लिये हैं। वे भृत्यों, ब्राह्मणों, धनी गृहपतिवों, अनाथों, बूढ़ों के बीच हित-सुख के लिये, धर्मयुक्त प्रजा की अपरिवाधा (बाधा से बचाने) के लिये संलग्न हैं। बंधन और वध को रोकने के लिये, बाधा से बचाने के लिये, कैद से छुड़ाने के लिये, जो बहुत संतान वाले हैं, बूढ़े हैं उनके बीच में वे स्थापित

हैं। वे यहाँ (पाटलीपुत्र में, बाहर के नगरों में, सब अंतःपुरों में, (मेरे) भाइयों के, यद्दनों के और अन्य जातियों के बीच सब जगह व्यापृत हैं। मेरे सारे विजित (साम्राज्य) में, धर्म-युक्त में वे धर्ममहामात्र व्यापृत हैं।'

इस प्रकार स्पष्ट है, कि धर्ममहामात्रों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का काम यह था, कि वे सब संप्रदायों में मेल लायन कराये। जनता के हित और सुख के लिये यत्न करें। धर्मानुकूल आचरण करने वाली प्रजा को सब प्रकार की बाधाओं से बचाये रखें। शासन में किसी पर कठोरता न हो। कोई व्यर्थ क्रोध न किया जाये, किसी की व्यर्थ हत्या न हो। जो सारीब लोग हैं या जिन पर गृहभी की अधिक जिम्मेदारियाँ हैं ऐसे लोगों के साथ विशेष रियायत का बर्ताव हो। धर्ममहामात्र इन्हीं बातों के लिये सब नगरों में, सब संप्रदायों में व अन्यत्र नियुक्त किये गये थे।

ये धर्ममहामात्र केवल मौर्य साम्राज्य में ही नहीं, अपितु सीमांतवर्ती स्वतंत्र राज्यों में भी नियत किये गये। अपने 'विजित' में भगीर्वात धर्मस्थापना हो जाने के बाद अन्य देशों में भी धर्म द्वारा विजय का प्रयास शुरू किया गया। अशोक ने अपने शिलालेखों में इन सब राज्यों के नाम दिये हैं। सुदूर दक्षिण में चोड, पांड्य, केरल, सातियपुत्र और त.भ्राण्य तथा पश्चिम में अंतियोक का यवन राज्य तथा उससे भी परे के तुर्कनाय, मक, अलिकमुन्दर और अंतिकिनि द्वारा शासित राज्य, जिनके संबंध में हम पहले लिख चुके हैं। दक्षिण में लंका तक और पश्चिम में सीरिया, मिश्र, मैसीडोनिया और ग्रीस तक अशोक ने अपने धर्ममहामात्र नियत किये। ये धर्ममहामात्र अपने धर्मविजय के उद्योग में केवल विविध संप्रदायों में मेल-जोल का ही यत्न नहीं करते थे, पर उनके सम्मुख

कुछ ठोस काम भी था। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा भी करता है—मैंने सब जगह मार्गों पर परगद के वृक्ष लगवा दिये हैं, ताकि पशुओं और मनुष्यों को छाया मिले। आधों की घाटिकायें लगवा दी हैं। आठ-आठ कोस पर मैंने कुएँ खुदवाये हैं और सरायें बनवाई हैं। जहाँ-तहाँ पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिये बहुत से प्याऊँ बँठा दिये हैं। किंतु ये सब आराम बहुत थोड़े हैं। पहिले राजाओं ने और मैंने भी विविध मुखों से लोगों को सुखी किया है। पर मैंने यह सब इसलिये किया है, कि लोग धर्म का आचरण करें।

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के विजित (साम्राज्य) में सब स्थानों पर और वैसे ही जो सीमांतवर्ती राजा हैं, वहाँ, जैसे चोड, पांड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी में और अंतियोक नामक यवन राजा तथा जो उसके (अंतियोक के) पड़ोसी राजा हैं, उन सब देशों में देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा, एक मनुष्यों की और दूसरी पशुओं की चिकित्सा, का प्रबंध किया है, और जह पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा के लिये उपयुक्त औषधियाँ नहीं प्राप्त होती थीं, वहाँ लाई और लगाई गई हैं। इसी तरह से मूल और फल भी जहाँ नहीं थे, वहाँ लाये और लगाये गये हैं। मार्गों में पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिये वृक्ष लगाये और कुएँ खुदवाये गये हैं।

यह धर्मविजय देवताओं के प्रिय ने वहाँ (अपने साम्राज्य में) तथा छः सौ योजन दूर पड़ोसी राज्यों में प्राप्त की है। जहाँ अंतियोक नामक यवन राजा राज्य करता है। और उस अंतियोक से परे तुरमय, अंतिविनि, मक और अलिकमुन्दर नाम के राजा राज्य करते हैं, और उन्होंने अपने राज्य के नीचे (दक्षिण में) चोड, पांड्य, तथा ताम्रपर्णी में भी धर्मविजय प्राप्त की

हैं। '... सब जगह लोग देवताओं के प्रिय के धर्मानुशासन का अनुसरण करते हैं और अनुसरण करेंगे। जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं जाते, वहाँ भी लोग देवताओं के प्रिय का धर्माचरण, धर्मविधान और धर्मानुशासन सुनकर धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, और भविष्य में करेंगे।'

विदेशों में धर्मविजय के लिये जो महामात्य नियत किये गये थे, के अंतमहामात्र कहलाते थे। इनका कार्य उन देशों में सड़कें बनवाना, सड़कों पर दूत लगवाना, कुर्सें खुदवाना, सराय बनवाना, प्याऊँ बिठाना, पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा के लिये चिकित्सालय खुलवाना और इसी प्रकार के अन्य उपायों से जनता का हित और कल्याण संपादित करना था। जहाँ वे अंतमहामात्र इन उपायों से लोगों का हित और सुख करते, वहाँ साथ ही अशोक का धर्मसंदेश भी सुनाते। वह धर्मसंदेश वही था, सब संप्रदायों में मेल-मिलाप, सब धर्माचार्यों—ब्राह्मणों और श्रमणों—का आदर, सेबक, दास आदि से उचित व्यवहार, व्यर्थ हिंसा का त्याग, माता-पिता व गुरुजनों की सेवा और प्राणिमात्र की हितसाधना। अशोक की ओर से सुदूरपूर्वी विदेशी राज्यों का धर्म द्वारा विजय करने के लिये जो अंतमहामात्र अपने कर्मचारियों की फौज के साथ व्यापृत हुए, वे उन देशों में चिकित्सालय खोलकर, मुक्त दवा देकर, धर्मशास्त्रा और कुर्सें बनवा कर, सड़कें, प्याऊँ और बाटकायें तैयार कराके, जनता की सेवा करते थे। उस समय के राजा लोग प्रायः पारम्परिक यद्धों में व्यस्त रहते थे। उन्हें अपनी शक्ति और वैभव के अतिरिक्त अन्य किसी बात का ख्याल नहीं था। जनता के हित और सुख को बात पर वे कोई ध्यान नहीं देते थे। ऐसी दशा में अशोक के इन लोकोपकारी कार्यों का यह परिणाम हुआ, कि लोग अपने इन उपकर्ता महामात्रों को बड़ी अट्टा की दृष्टि

से देखने लगे। जिस धर्म के अनुयायी इस प्रकार परोपकार के लिये अपने मन, मन और धन को निष्ठावर कर सकते हैं, उसके लिये लोगों में स्वाभाविक रूप से अज्ञात का भाव उत्पन्न हुआ, साधारण जनता के लिये वही राजा है, वही स्वामी है, जो उनके हित-अहित और सुख-दुःख का ध्यान रखे। उनके आराम के लिये चिकित्सालय, कुप, धर्मशाला आदि का प्रबंध करे। इसी का परिणाम हुआ, कि इन सब विदेशी राज्यों में धर्म की एक भी बंद गिराये बिना, केवल परोपकार और प्रेम द्वारा अशोक ने अपना धर्म साम्राज्य स्थापित कर लिया।

अशोक की इस धर्मविजय की नीति का ही यह परिणाम हुआ कि अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये रास्ता साफ हो गया। जिन देशों में अशोक के अंतमहामात्र लोककल्याण के कार्यों में लगे थे, वहाँ जब बौद्ध प्रचारक गये, तो इन्होंने अपने धर्म को बहुत सुगम पाया।

(८) अशोक और बौद्ध धर्म

सम्राट अशोक पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार जब अशोक ने राजगढ़ी प्राप्त की, तो वह बहुत क्रूर और अत्याचारी था। एक बार अमात्यों ने उसको आज्ञा का पालन नहीं किया तो अशोक को बहुत क्रोध आया। क्रोध में अपनी तलवार को म्यान से खींच कर उछलने पाँच सौ अमात्यों के सिरों को धड़ में अलग कर दिया। एक और दिन की बात है, कि अंतःपुर की स्त्रियों ने, जो अशोक के कुरूप होने के कारण ईर्ष्या करती थीं, एक अशोक वृक्ष के पत्तों को तोड़ दिया। नामसाम्न के कारण अशोक इस वृक्ष को बहुत चाहता था। उसे बहुत क्रोध आया और पाँच सौ स्त्रियों को जीवें-जी आग में जला दिया।

जब अमात्यां ने देखा कि राजा इस प्रकार अत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने उससे प्रार्थना की कि आप अपने हाथों को इस प्रकार अपवित्र न कीजिये। क्यों नहीं आप अपराधियों को दंड देने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर लेते? राजा को यह बात समझ में आ गई। उसने चंडगिरिक नाम का एक आदमी इस काम के लिये नियत कर दिया, जो बहुत ही क्रूर था। क्रूरता में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। प्राणियों को कष्ट देने में उसे बड़ा आनन्द आता था। वह इतना क्रूर था, कि अपने माता-पिता को उसने स्वयं अपने हाथ से मारा था। इस भयानक आदमी को प्रथम 'वध्यघातक' के के पद पर नियत करके एक भयंकर जेलखाना भी बनाया गया। इसका बाह्य रूप बड़ा सुन्दर और दर्शनीय था। लोग उसे देखते ही मोहित हो जाते और सोचते कि अंदर जाकर भी इस रमणीक स्थान को देखें। पर अंदर जाते ही उन पर घोर संकट आ पड़ते थे। राजा को आज्ञा थी, कि जो आदमी इस कारागार में पहुँच जाये, उसे जीता न छोड़ा जाय, अपितु नातान्वित कष्ट देकर उसकी हत्या कर दी जाय।

जो कोई भी इस जेलखाने में आता, बच कर न लौट पाता। एक बार बालपंडित नाम का एक भिक्षु वहाँ चला गया। उसे भी चंडगिरिक ने जलती हुई भट्टी में डाल दिया। परंतु भट्टी में डाल कर जब वध्यघातक नीचे देखने लगा, तो उसने एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा। बालपंडित एक कमल पर बैठा हुआ था, चारों तरफ अज्ञानमें उठ रही थीं, परंतु वे भिक्षु का कुल भी नहीं बिगाड़ सकती थीं। इस चमत्कार की सूचना राजा को मिली, तो वह स्वयं देखने के लिये आया और अपनी आँखों से बालपंडित के प्रताप को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भिक्षु ने उसे उपदेश दिया। अशोक पर इस उपदेश का बड़ा

प्रभाव पड़ा और वह क्रूरता का परित्याग कर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया।

द्विरुपाख्यान की यही कथा कुछ परिवर्तनों के साथ प्राचीन अनुभूति के अन्य बौद्ध ग्रंथों में भी पाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है, कि बौद्ध धर्म के उत्तम प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिये इन ग्रंथों में अशोक को अत्यंत क्रूर और अत्याचारी दिखाया गया है। कुछ भी हो, यह स्पष्ट है, कि अशोक पहले बौद्ध नहीं था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कैलिंग विजय के बाद उसके जीवन में जो परिवर्तन आया था, हम पहले उसका उल्लेख कर चुके हैं। पर बौद्ध धर्म के प्रति उसका झुकाव पहले ही हो चुका था। क्रूरता और अत्याचारमय जीवन से ऊब कर उसने बौद्ध भिक्षुओं के शांतिमय उपदेशों में संतोष अनुभव करना प्रारंभ कर दिया था। कैलिंग-विजय में उसे जो अनुभव हुए, उन्होंने उसकी वृत्ति को बिलकुल बदल दिया। बौद्ध धर्म को यह दीक्षा अशोक ने संभवतः राजगहरी पर बैठने के आठ वर्ष बाद ली थी।

बौद्धधर्म को ग्रहण करने के बाद अशोक ने सब बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। अमात्यों के परामर्श के अनुसार इस यात्रा में उपगुप्त नाम के एक प्रसिद्ध आचार्य की सहायता ली गई। उपगुप्त मथुरा के समीप नतभक्तिकारण्य में उरुमुंड पर्वत पर निवास करता था। इस संसारप्रसिद्ध आचार्य के साथ अठारह हजार भिक्षु और रहते थे। जब राजा ने उपगुप्त की विद्वत्ता और धर्मज्ञान के विषय में सुना, तो अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि हाथी, घोड़े, रथ आदि अच्छी तरह तैयार करा दो, मैं उरुमुंड शैल जाऊंगा और भिक्षु उपगुप्त के दर्शन करूंगा। यह सुन कर मंत्रियों ने कहा—देव! यान आदि भेज दीजिये, उपगुप्त ही वहां चला आयेगा, आपकी

उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं। राजा ने उत्तर दिया— हम इस योग्य नहीं हैं, कि उपगुप्त यहाँ आवें, हमी को वहाँ जाना चाहिये। पर जब उपगुप्त की मालूम हुआ कि राजा बहुत से लोगों के साथ मेरे पास आ रहा है, तो उसने सोचा कि राजा के मेरे पास आने से बहुत से मनुष्यों और पशुओं को व्यर्थ कष्ट होगा। उसने अशोक को कहला भेजा कि वह स्वयं ही पाटलीपुत्र आ जावेगा। यह जानकर अशोक ने स्वविर उपगुप्त के तथा उसके अनुयायियों के पाटलीपुत्र जाने का समुचित प्रबंध कर दिया। बहुत सी नौकायें वसुना के तट पर एकत्र की गईं। इनमें उपगुप्त और अठारह हजार भिक्षु सवार हुए। मथुरा से प्रयाग तक वसुना में नौकाओं पर यात्रा करते हुए भिक्षुओं की यह विशाल मंडली फिर गंगा द्वारा पाटलीपुत्र पहुँच गई। जिस आदमी ने पहले-पहल अशोक को उपगुप्त के आगमन का समाचार दिया, प्रसन्न होकर अशोक ने उसे अपने शरीर से उतार कर चार हजार का एक हार इनाम में दे दिया। फिर 'घाटिक' को बुलाकर आज्ञा दी—सारे शहर में एक साथ बंदे बजाये जावें, ताकि जनता को मालूम हो जाय कि आचार्य उपगुप्त पधार गये हैं।

उपगुप्त के स्वागत के लिये सारे पाटलीपुत्र को सजाया गया। अशोक स्वयं देह कोस तक आगे आचार्य को लिवाने के लिये गये। संपूर्ण 'पीर' और अमात्य उनके साथ थे। वहाँ ही अठारह हजार भिक्षुओं से घिरे हुए स्वविर उपगुप्त को अशोक ने देखा, वह हाथों से नीचे उतर गया। कुछ क्रदम पैदल चल कर वह उपगुप्त के पास पहुँचा और एक पैर नदी के तीर पर और दूसरा नाव पर रखकर उसने स्वयं उपगुप्त को नाव से नीचे उतारा और फिर इस तरह उसके पैरों पर गिर पड़ा, जिसे जड़ से कटा हुआ पृष्ठ। फिर हाथ जोड़ कर अशोक ने

कहा—'जब मैंने शत्रुगण का नाश कर शैलों समेत यह पृथिवी प्राप्त की, जिसके समुद्र ही आवरण हैं और जिस पर राज्य करने वाला अन्य कोई नहीं है, तब भी मुझे यह सुख नहीं मिला, जो आज आपको देखकर मिला है।' स्वविर उपगुप्त ने अशोक के सिर पर अपना दाँबा हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया—'राज्य के सब कार्य को बिना प्रमाद के भलीभाँति करते रहो और तीनों दुर्लभ रत्नों (बुद्ध, धम्म और संघ) की सदा पूजा करते रहो।' सम्राट और स्वविर में देर तक बात होती रही। बाद में अशोक ने उससे कहा 'हे स्वविर ! मेरी इच्छा है कि मैं उन सब स्थानों का दर्शन करूँ, जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे थे। उन स्थानों का मैं सम्मान करूँ और वहाँ ऐसे स्थिर निशान छोड़ जाऊँ, जिससे भविष्य में आने वाली संतति को शिक्षा मिलती रहे।'।

स्वविर ने उत्तर दिया—'साधु-साधु ! तुम्हारे हृदय में बहुत ही उत्तम विचार उत्पन्न हुआ है। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने का काम बड़ी प्रसन्नता से करूँगा।'।

इस प्रकार आज्ञायुक्त उपगुप्त के मार्गप्रदर्शन में अशोक ने तीर्थयात्रा प्रारंभ की। पाटलीपुत्र से वे पहले चंपारन जिले के उन स्थानों पर गये, जहाँ अशोक के पाँच विशाल प्रस्तरस्तंभ प्राप्त हुए हैं। वहाँ से हिमालय की तराई के प्रदेश में वे होते हुए वे पश्चिम की ओर मुड़ गये और लुम्पिनीवन जा पहुँचे। वहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस जगह पहुँच कर उपगुप्त ने अपना दाँबा हाथ फैला कर कहा—'महाराज ! इसी प्रदेश में भगवान का जन्म हुआ था।' ये शब्द अब तक इस स्थान पर स्थित एक प्रस्तर स्तंभ पर उल्कीय हैं। इसी स्तंभ पर जो लेख लिखा है वह बड़ा महत्त्वपूर्ण है। 'देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के बीस वर्ष बाद स्वर्ण

आकर इस स्थान की पूजा की। यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। इस लिये यहाँ परिवर का एक विरात स्तंभ और एक बृहत् दीवार खड़ी की गई। यहाँ भगवान का जन्म हुआ था, इसलिये लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर उठा दिया गया और (भूमि कर के रूप में केवल) आठवाँ भाग लेना निश्चित किया गया। लुम्बिनीवन में अशोक ने बहुत दान-पुण्य किया। फिर वह कपिलवस्तु गया, यहाँ उपगुप्त ने फिर अपना दीया हाथ फैला कर कहा—'महाराज इस स्थान पर बोधिसत्त्व के राजा मुद्रोदन के घर में अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था।'

दिव्यावदान के अनुसार कपिलवस्तु के बाद राजा अशोक बोधिवृक्ष के दर्शनों को गये। यहाँ भगवान को बोध हुआ था। अशोक ने यहाँ आकर एक लाख सुवर्ण मुद्रायें दान कीं। एक चैत्य भी इस जगह पर बनवाया गया। बोधिवृक्ष के बाद स्वधिर उपगुप्त अशोक को सारनाथ ले गया, जहाँ भगवान ने पहले-पहल धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था। सारनाथ के बाद अशोक कुशीनगर गया, जहाँ भगवान ने निर्वाण-पद प्राप्त किया था। उपगुप्त अशोक को श्रावस्ती और जेतवन भी ले गया, इन स्थानों के साथ महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का पनिष्ट संबंध है। साथ ही, सारिपुत्र मौद्गल्यान, महाकरयप आदि प्राचीन बौद्ध आचार्यों के स्थानों के भी दर्शन किये गये और वहाँ भी बहुत कुछ दान-पुण्य हुआ। बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनन्द के स्तूप पर अशोक ने साठ लाख सुवर्ण मुद्रायें अर्पित कीं।

बौद्ध होकर अशोक ने कुछ ऐसे आदेश भी दिये, जो केवल बौद्ध लोगों के ही काम के थे। एक शिलालेख में उसने लिखा-वाया है—'भगवत् के प्रियदर्शी राजा संघ को अभिवादन (पूर्वक संबोधन करके) कहते हैं, कि वे विप्रहीन और सुख से रहें।

हे भद्रतगण ! आपको मालूम है, कि बुद्ध, धम्म और संघ में हमारी कितनी भक्ति और आस्था है। हे भद्रतगण ! जो कुछ भगवान् बुद्ध ने कहा है, सो सब अच्छा कहा है। पर भद्रतगण ! मैं अपनी ओर से (कुछ ऐसे संघों के नाम लिखता हूँ, जिन्हें मैं अवश्य पढ़ने योग्य समझता हूँ) हे भद्रतगण ! (इस विचार से कि) इस प्रकार सत्तम चिरस्थायी रहेगा, मैं इन धर्मसंघों (के नाम लिखता हूँ) यथा—विनय समुत्तसे (विनय समुत्कर्षः), अलिनवस्सामि (आर्यवंशः), अनामाव भयानि, मुनिगाथा, मोनेयसूने (मोनेय सूत्रम्), उपविस्सपसिने (उपविस्स प्रश्नाः), राहुलवाद, जिसे भगवान् बुद्ध ने भूट बोलने के वारे में कहा है। इन धर्मसंघों को, हे भद्रतगण ! मैं चाहता हूँ, कि बहुत से भिक्षुक और भिक्षुणी बार-बार भवण करें और धारण करें और इसी प्रकार उपासक और उपासिका भी (मुनें और धारण करें)। हे भद्रतगण ! मैं इसलिये यह लेख लिखवाता हूँ, कि लोग मेरा अभिप्राय जानें।'

यह शिलालेख बड़े महत्त्व का है। इससे यह ज्ञात होता है, कि अशोक को किन बौद्ध धर्मों से विरोध प्रेम था। इन धर्मों में बौद्ध धर्म के विधि-विधानों और पारलौकिक विषयों का वर्णन न होकर सदाचार और जीवन को ऊँचा करने के सामान्य नियमों का उल्लेख है। अशोक की दृष्टि यही थी, कि बौद्ध लोग (भिक्षु और उपासक सब) भी धर्म के तत्त्व (सार) पर विशेष ध्यान दें।

बौद्ध धर्म के संबंध में अशोक का एक अन्य कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसने बौद्ध संघ में फूट न पड़ने पर, इसके लिये उत्सोग किया। इस विषय में अशोक के तीन लेख उपलब्ध हुए हैं। 'देवताओं के विषय त्रिपिटकीं राका ऐसा कहते हैं कि पाटलीपुत्र में तथा प्रांतों में कोई संघ में फूट न जाते। जो

कोई, चाहे वह भिजु हो या भिजुगी, संघ में फूट डालेगा, उसे सफेद कपड़े पहना कर उस स्थान पर रख दिया जावेगा, जो भिजुओं या भिजुगियों के लिये उपयुक्त नहीं है। (अर्थात् उसे भिजुसंघ से बहिष्कृत कर दिया जायगा। हमारी यह यात्रा भिजुसंघ और भिजुगीसंघ को बटा दो जाय।) देवताओं के प्रिय ऐसा कहते हैं, इस तरह का एक और लेख आप लोगों के पास भेजा गया है, जिससे कि आप लोग उसे याद रखें। ऐसा ही एक लेख आप उपासकों के लिये भी लिख दें, जिससे कि वे हर उपवास के दिन इस आज्ञा के मर्म को समझें। साल भर प्रत्येक उपवास के दिन हर एक महामात्र उपवास-द्रव्य का पालन करने के लिये इस आज्ञा के मर्म को समझाने तथा इसका प्रचार करने के लिये जायगा। जहाँ-जहाँ आप लोगों का अधिकार हो, वहाँ-वहाँ आप सर्वत्र इस आज्ञा के अनुसार प्रचार करें। इसी प्रकार आप लोग सब कोठों (दुर्गों) और विषयों (प्रांतों) में भी इस आज्ञा को भेजें।”

“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा कौशांबी के महामात्रों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं—संघ के नियम का उल्लंघन न किया जाय। जो कोई संघ में फूट डालेगा, उसे श्वेत वस्त्र पहना कर उस स्थान से हटा दिया जायगा, जहाँ भिजु या भिजुगियाँ रहते हैं।” “भिजु और भिजुगी, दोनों के लिये (संघ का) मार्ग नियत किया गया है।” “जो कोई भिजु या भिजुगी संघ में फूट डालेगा, उसे उस स्थान से हटा दिया जायगा, जो भिजुओं और भिजुगियों के लिये नियत है। मेरी इच्छा है, कि संघ का मार्ग स्थिर रहे।”

सारनाथ, प्रयाग और साञ्ची में प्राप्त ये तीन शिलालेख संघ में एकता कायम रखने के लिये अशोक द्वारा किये गये प्रवृत्तों का वर्णन करते हैं। संघ में फूट न हो, इसके लिये

अशोक तुला हुआ था। बौद्ध की मृत्यु के बाद ही संघ में मत-भेद शुरू हो गये थे। अशोक से पूर्व इन्हीं मतभेदों को दूर कर, एकता स्थापित करने के लिये, बौद्धों की दो महासभाएँ हो चुकी थीं। पर मतभेद अभी तक विद्यमान था। अशोक का यह इच्छा थी, कि यह फूट अधिक न बढ़े। इस आदेश के पालन का उत्तरदायित्व चर्ममहामात्रों को दिया गया था। जहाँ उनका काम यह था, कि विविध संप्रदायों में समवाय (सेल-जोल) लायम करें, वहाँ बौद्ध संघ में फूट को रोकने का कार्य भी वहाँ के सुपुर्द किया गया था। बौद्ध होने के नाते अशोक अपनी राजशाक्ति का प्रयोग इस उद्देश्य से भी कर रहा था, कि बौद्ध संघ में एकता बनी रहे।

अशोक स्वयं बौद्ध था, पर सब धर्मों के प्रति उसके हृदय में आदर था। उसने जहाँ विविध संप्रदायों में समवाय स्थापित करने का उद्योग किया, वहाँ अन्य संप्रदायों को दान भी दिया। गया के समोप बराबर पहाड़ियों में तीन गुहामंदिर उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें अशोक ने आज्ञावक संप्रदाय को दिया था। इस समाज में वहाँ तीन लेख भी उत्कीर्ण हैं।

(८) कुमार कुनाल

अशोक के समय में भी उत्तराखण्ड में विद्रोह जारी रहे। इन विद्रोहों का उल्लेख दिव्यावदान में किया गया है। प्रतीत होता है, कि विशाल मागध साम्राज्य के उत्तरपश्चिमी प्रदेश में इतने समय बाद अभी तक पूर्णतया शांति स्थापित नहीं हुई थी। वहाँ के महामात्रों को शासन में अधिक कठोर उपायों का अवलंबन करना पड़ता था, और इसीलिये वहाँ विद्रोह भी बहुधा होते रहते थे। ऐसे एक विद्रोह को शांत करने के लिये अशोक ने अपने बड़े कुमार कुनाल को भेजा था, और उसे अपने प्रयत्न में पूर्ण सफलता भी हुई थी। विद्रोह को

शांत करने के बाद कुनाल उत्तरीय में प्रांतीय शासक के रूप में कार्य करता रहा। वहाँ वह बहुत लोकप्रिय था।

कुनाल अशोक का बड़ा पुत्र था। उसे वह बहुत प्रिय भी था। उसको आँसूँ दिमाजय के कुनाल पत्नी के समान सुंदर थीं, इसीलिए उसका नाम कुनाल पत्नी था। वह देखने में बहुत सुंदर तथा प्रकृति से अत्यंत सुकुमार था। उस का विवाह काञ्चनमाला नाम की परम सुंदरी युवती से हुआ था। कुनाल और काञ्चनमाला का गृहस्थ जीवन बड़ा सुखी और प्रेममय था। वृद्धावस्था में अशोक ने तिष्यरक्षिता से विवाह किया। वह उच्चैः के एक संपन्न श्रेष्ठी की कन्या थी और परम सुवती होने के कारण सौंदर्य उसमें बहुत था। बड़े अशोक से उसे संतोष नहीं हुआ। युवक कुनाल पर वह मोहित थी। उसके सुन्दर रूप और आकर्षक आँसूँ ने युवती तिष्यरक्षिता को पागल कर दिया था। एक बार एकान्त में तिष्यरक्षिता ने कुनाल के सामने अपना प्रेम प्रकट किया। पर अपनी विमाता के इसी प्रेम की कुनाल ने कोई परचाह नहीं की। वह उसे अपने माता सम्भक्तता था और माता के समान ही उससे व्यवहार करता था। धीरे-धीरे तिष्यरक्षिता का निराशा प्रेम भयंकर द्वेष के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने कुनाल से बदला लेने का निश्चय किया। कुनाल ने तिष्यरक्षिता के प्रेम को अस्वीकार कर उसका घोर अपमान किया था, अब वह उससे बदला लेने को कटिबद्ध हो गई थी।

एक बार अशोक बीमार पड़े। यद्यपि तिष्यरक्षिता अशोक से दूरा भी प्रेम नहीं करती थी, पर इस बार उसने राजा की बड़ी सेवा की। अशोक पर उसने प्रकट किया कि वह उससे सच्चा प्रेम रखती है। तिष्यरक्षिता की सेवा से अशोक स्वस्थ हो गये। बीमारी के समय अशोक की सारी चिकित्सा

और उपचार विध्वंसिता के ही हाथ में था। राजा उसमें बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने एक मन्त्राद के लिये सारा राज्यकार्य और राजमुद्रा विध्वंसिता के समर्प कर दी। वह उसी अबसर की प्रतीक्षा में थी। उसने एक कपटलेख तैयार कराया और उस पर अशोक की राजमुद्रा लगा दी। यह कपटलेख वत्सशिला के महामात्यों के नाम था। उन्हें यह आज्ञा दी गई थी, कि कुमाल की आँखें निकाल ली जाँय। जब यह आज्ञापत्र वत्सशिला पहुँचा, तो वहाँ के अमात्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुमाल के गुणों और सद्व्यवहार के कारण उससे बहुत प्रसन्न थे। उनका साहस नहीं हुआ, कि वे कुमार को इस आज्ञापत्र की खबर दे। पर विध्वंसिता का भिन्नबाया हुआ यह कपटलेख अशोक की दंतमुद्रा से अंकित था। यह मुद्रा उन आज्ञाओं पर लगाई जाती थी, जिनका तुरंत पालन होना आवश्यक होता था। अतः यह आज्ञा भी कुमाल के सम्मुख पेश की गई। कुमाल ने स्वयं बधिकों को बुलाया और यह कह कर कि सम्राट का आज्ञा का पालन होना ही चाहिये, अपनी आँखें अपने आप ही बाहर निकलवा दो। दंतमुद्रा से अंकित राजज्ञा में यह भी आदेश था, कि कुमाल को राज्यपद से च्युत कर दिया जाय। कुमाल ने इसका भी पालन किया, राज्यपद छोड़कर वह अपनी पत्नी काञ्चनमाता के साथ पाटली-पुत्र की ओर चल पड़ा।

जब राजा अशोक ने यह समाचार सुना, तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। विध्वंसिता और उसके सभी बहुरंग-कारियों को अस्थंभ कठोर दंड दिये गये। एक बौद्ध ग्रंथ में लिखा है, कि रानी विध्वंसिता को जीते-जी जाम में जलका दिया गया। जिस जगह कुमाल ने स्वयं अपनी आँखें निकलवाई थीं, वहाँ अशोक ने एक विशाल स्तूप खड़ा कराया। कुमाल

का यह कार्य राजकीय दृष्टि से परम आदर्श था। 'राजाइका का पालन होना ही चादिये'—इस आदर्श के बिना कोई भी राज्य-संस्था ब साम्राज्य कायम रह ही नहीं सकता। इस घटना की स्मृति में अशोक ने जो स्तूप बनाया था, यह अशोक के नौ सदी बाद उस समय भी मौजूद था, जब चीनी यात्री ह्युनत्सांग भारत-यात्रा के लिये आया था।

(१०) मंत्रिपरिषद् से विरोध

दान-पुण्य की धुन में कई बार राजा अशोक ऐसे कार्य कर जाते थे, जो एक सम्राट् के लिये कदापि उचित नहीं कहे जा सकते। ऐसे अवसरों पर मंत्रियों का उसके साथ विरोध हो जाता था। ऐसी एक मनोरंजक कथा हम यहाँ दिव्याचदान से उद्धृत करते हैं:—

जब राजा अशोक को बौद्ध धर्म में बड़ा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने भिक्षुओं से पूछा—'भगवान् के लिये सबसे अधिक दान किसने दिया है ?'

भिक्षुओं ने उत्तर दिया—'गृहपति अनायपिंडक ने।'

'भगवान् के लिये उसने कितना धन दान दिया ?'

'सौ करोड़ !'

यह सुनकर राजा सोचने लगे, अनायपिंडक ने साधारण गृहपति होकर सौ करोड़ दान दिया है, तो मुझे भी इतना दान अवश्य करना ही चाहिये ? उसने भिक्षुओं से कहा—'मैं भी भगवान् के नाम पर सौ करोड़ दान करूँगा।'

अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिये अशोक ने बहुत यत्न किया। हजारों स्तूप, विहार आदि बनवाये। लाखों भिक्षुओं को भोजन और आश्रय दिया। इस प्रकार धीरे-धीरे अशोक ने नब्बे करोड़ तो भगवान् के नाम पर भिक्षुओं, विहारों

और संघ को दान कर दिया। पर दस करोड़ अर्भों और शेष बच गया। राजा इसे सरलता से नहीं दे सका। इस कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। राजा को शोकानुर होते देख प्रथामासाय राधागुप्त ने, जिसने कि दान में अशोक की बड़ी सहायता की थी, पूछा—‘प्रबल शत्रुसंघ चारों तरफ से घेर कर भी जिस चंड सूर्य के समान दीप्यमान मुख को देख न सके, जिसकी शोभा के सम्मुख सैकड़ों कमल भी बजते हैं, हे देव! तुम्हारा यह मुख आज म्लान क्यों है?’

राजा ने कहा—‘राधागुप्त! न मुझे धन के विनाश की चिंता है, न राज्य के नाश का खयाल है, और न किसी जातम से मेरा विभोग हुआ है। मुझे सोच केवल इस बात का है, कि पूज्य भिक्षुओं से मुझे बिलुडना पड़ रहा है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि भागवान बुद्ध के कार्त्तव में सौ करोड़ दान करूँगा, पर मेरा यह मनोरथ पूरा नहीं हुआ।’

इसके बाद राजा अशोक ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये राज्यकोष से शेष दस करोड़ धन लेकर अपनी प्रतिज्ञा-पूर्ति का विचार किया। परंतु इस कार्य में भी उसे सफलता नहीं मिली। उस समय कुशल का पुत्र (अशोक का पौत्र) संघति सुवराज था। उससे अमात्यों ने कहा—‘कुमार! राजा अशोक को सदा बोड़े ही रहना है। उसकी बोड़ी ही आनु शेष है। वह द्रव्य कुर्कुटाराम नामक विहार को भेजा जा रहा है। राजाओं की शक्ति कोष पर ही आश्रित है। इसलिये मना कर दो।’ कुमार ने भाग्यद्वारिक को राजकोष में से दान देने से इनकार कर दिया।

पहले राजा अशोक सुवर्णपात्र में रख कर भिक्षुओं के लिये भोजन भेजा करता था। पर वह भी मना कर दिया गया। फिर उसने चाँदी के बरतन में भोजन भेजना चाहा, वह भी

निषिद्ध कर दिया गया। फिर उसने लोहे के पात्र में भोजन भेजना चाहा, इसके लिये भी अनुमति नहीं मिली। अंत में उसने मिट्टी के बरतन में कुर्कुटाराम के भिक्षुओं के लिये भेजना चाहा पर उसके लिये भी उसे अनुमति नहीं दी गई। अब उसके पास केवल आधा आँवला ही बच गया था, जो उस समय उसके हाथ में मौजूद था। केवल उसी पर उसका अपना अधिकार था। अन्य किसी वस्तु का उपयोग वह अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता था।

संविप्र होकर अशोक ने श्रमात्पों और 'पीर' को बुलाकर पूछा—'इस समय राज्य का स्वामी कौन है?' यह प्रश्न सुनकर प्रधानात्मास्य ने डठ कर और संशोभित रीति से अशोक का अभिवादन करके उत्तर दिया—'देव ! आप ही पृथिवीके स्वामी हैं।' यह सुन कर अशोक की आँसुओं में आँसू फूट पड़े। वह वस्तुस्थिति को जानता था। आँसुओं से अपने वदन को गीला करते हुए उसने कहा—'तुम केवल दार्शनिक (विनय) से झूट-झूठ क्यों कहते हो, कि स्वामी मैं हूँ। मैं तो राज्यभ्रष्ट हो गया हूँ। मेरे पास तो केवल आधा आँवला ही अपना बच गया है। ऐसे पेशवर्ग को अधिकार है।'

इसके बाद अशोक ने वह आधा आँवला ही कुर्कुटाराम के भिक्षुओं के पास यह कहला कर भेज दिया, कि 'जो संपूर्ण जंबूद्वीप का स्वामी था, आज वह केवल आधा आँवले का ही स्वामी रह गया है। मंत्रियों ने मेरे अधिकारों को छीन लिया है।'

इस घटना से भलीभाँति सूचित होता है, कि बौद्ध धर्म की सहायता करने की धुन में राजा अशोक ने राज्यकोष को भी खोड़ने का प्रयत्न किया था। मंत्रिपरिषद् इसे नहीं सह सकी।

उन्होंने अशोक के विकृत पुत्रराज को भड़का दिया और अशोक के राज्यधिकार छीन लिये ।

बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के कुछ वर्ष बाद तक तो अशोक ने अपने राज्यकार्य को उपेक्षा नहीं की । पहले वह उपसक था । बौद्ध धर्म में साधारण गृहस्थ उपसक कहलाते थे, पर बाद में वह संघ में वाक्तावदा प्रविष्ट हो गया था । उस समय भिक्षुत्व में ही वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा था । बौद्ध धर्म के उन्माह में उसने राज्यकार्य को उपेक्षा शुरू कर दी थी । इसीनिष्ठे मंत्रीपरिषद् ने उसको राज्याधिकार से च्युत कर दिया था । अपने एक शिलालिख में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपने उन्माह का इस प्रकार उल्लेख किया है— 'देवताओं के प्रति इस तरह कहते हैं । दस वर्ष से अधिक हुए कि मैं उपसक हुआ था, पर तब मैंने अधिक उद्योग नहीं किया । किंतु एक वर्ष से अधिक हुआ जब मैं संघ में आया हूँ, तब से मैंने अक्रुद्धा उद्योग किया है ।' पर सम्राट् का इस प्रकार का उद्योग मंत्रीपरिषद् को पसंद नहीं था ।



मातवाँ अध्याय

बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार

(१) बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा

भगवान् बुद्ध के जीवनकाल में उनके धर्म का प्रचार प्राच्य और मध्यदेशों में ही हुआ था। मंगल, अंग, काशी, कोशल और वत्स देशों में ही बुद्ध ने अपने धर्म का स्वयं उपदेश किया था। ये सब प्रदेश इस समय में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध के समय में और उनके बाद भिक्खु लोग अपने आचार्य को इस शिक्षा का पालन करते रहे कि 'हे भिक्खुओ ! अब तुम सब जाओ और धनुओं के कुशल के लिये, संसार की दया के निमित्त, देवताओं और मनुष्यों की भलाई, कल्याण, और कुशल के लिये भ्रमण करो। सुभ्रम से कोई भी दो एक ही मार्ग से न जाओ। हे भिक्खुओ ! तुम उस सिद्धांत का प्रचार करो, जो आदि में उत्तम है, मध्य में उत्तम है और अंत में उत्तम है। संपन्न, पूर्ण और पवित्र जीवन का प्रचार करो।' बुद्ध के बाद दो सौदियों तक बौद्ध धर्म का प्रचार उत्तरी भारत में सर्वत्र होता रहा। पर इसमें विशेष उन्नति नहीं हुई। कारण यह कि बुद्ध के निर्वाणपद को पाने के बाद से ही बौद्ध संघ में आंतरिक मतभेदों का सूत्रपात हो गया। भिक्खु लोग साधारण-साधारण बातों पर विवाद करने लगे। बुद्ध की शिक्षाओं की उनके शिष्यों ने अपनी-अपनी समझ के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप से व्याख्या शुरू की। इन्हीं का ठीक समाधान करने के लिये चौदों की पहली महासभा बुद्ध की मृत्यु के बाद और दूसरी उनको

१०० वर्षे बाद हुई। इन महासभाओं ने बौद्ध संघ की शक्ति को हट्ट करने और आंतरिक मतभेदों को दूर करने में बड़ी सहायता दी।

पर अशोक के समय में बौद्ध धर्म का न केवल भारत में सर्वांग, अपितु विदेशों में भी प्रचार हुआ। संपूर्ण मनुष्यजाति का एक तिहाई भाग अब भी बौद्ध धर्म का अनुयायी है। भारत से अब बौद्ध धर्म का प्रायः लोप हो चुका है, पर लंका, वरमा सिन्धुत, चीन, जापान आदि अनेक देशों में अब भी इस धर्म की प्रसुखता है। जैसे भारत से बौद्ध धर्म का लोप हो गया, वैसे ही अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, जावा, सुमात्रा, मलाया आदि अन्य बहुत देशों में भी अब इस धर्म का लोप हो चुका है। पर एक समय था, जब ये सब देश भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भूमंडल के इतने बड़े भाग में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उसके उद्योग का प्रारंभ अशोक के समय में ही हुआ था। यह सारा उद्योग पाटलीपुत्र में प्रारंभ हुआ। पाटलीपुत्र की राजनीतिक महत्ता जैसे मागध साम्राज्य द्वारा बढ़ी, वैसे ही इस नगरी की संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में प्रभुता बौद्ध शासन (धर्म) के विस्तार से बढ़ी।

बौद्ध धर्म के विदेशों में विस्तार का सारा आयोजन बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा द्वारा किया गया था। यह महासभा बौद्ध धर्म और पाटलीपुत्र के इतिहास में बड़ा महत्त्व रखती है। इससे पूर्व बौद्ध संघ में बहुत कुछ शिथिलता आ चुकी थी। भिन्न लोग आपस के विवाद में व्यापृत रहते थे। जिस भिन्न को जो कुछ समझ में आता, जो कुछ अभीष्ट होता, वही बुद्ध के नाम से कह देता था। भगवान् बुद्ध की शिक्षाओं को तरोतरो-मरोत कर मनमानी व्याख्या की जाने लगी थी। धर्म में अनेक संपदाय उत्पन्न हो गये थे, जिनकी संख्या महावंश के अनुसार

अठारह थी। इन संप्रदायों के आंतरिक मतभेदों के अतिरिक्त भिक्षु के भगड़े इस हद तक बढ़ गये थे, कि साधारण उपासना तक भी बंद हो गई थी। सात वर्ष तक निरंतर 'उपोसथ' भी नहीं हो पाया था। इस अवस्था में सम्राट् अशोक की संरक्षा में बौद्धों की तीव्ररी महासभा का आयोजन पाटलीपुत्र के प्रसिद्ध विहार 'अशोकाराम' में किया गया। इसका अध्यक्ष अशोक का धर्मगुरु स्वधिर उपगुप्त बना। लंका की बौद्ध अनुयायियों के अनुसार इस आचार्य का नाम मोद्गलिपुत्र लिखया। संभवतः उपगुप्त और लिप्य एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं।

एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार सम्राट् अशोक ने संपूर्ण बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र करने के लिये दो दलों को नियत किया। ये सब जगह गये और भिक्षुओं को एकत्र कर लाये। सात दिन के बाद सब भिक्षु इकट्ठे हो गये। सातवें दिन अशोक अपने बतवाये हुए अशोकाराम में गया, जहाँ सब भिक्षु एकत्र थे। स्वयं अशोक अपने गुरु आचार्य लिप्य के साथ सभामंडप के मध्य में निरावधान हुआ। वहाँ पहले मिथ्या दृष्टि वाले भिक्षुओं को एक-एक करके बुलाया गया और उनसे भगवान् बुद्ध के धर्म के संबंध में प्रश्न किये गये। उन्होंने अपने अपने विचार के अनुसार धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की। इस पर इन सब मिथ्या दृष्टि वाले भिक्षुओं को बहिष्कृत कर दिया गया। जो भिक्षु इस तरह निकाले गये, उनको संख्या साठ हजार थी। "अथ धार्मिक भिक्षुओं को बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि भगवान् बुद्ध की शिक्षायें क्या थीं? उन्होंने उत्तर दिया—भगवान् बुद्ध की शिक्षायें 'विभज्जवादी' हैं। धार्मिक भिक्षुओं के इस मतकथ से आचार्य मोद्गलिपुत्र लिप्य ने सहमति प्रगट की। इस पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। पाप-

भिन्न बहिष्कृत हो गये, और संघ शुद्ध हो गया। सात वर्ष के बाद फिर 'उपोसथ' किया जा सका।

पर तृतीय महासभा की समाप्ति यहीं पर नहीं हो गई। आचार्य तिष्य ने एक हजार ऐसे भिक्षुओं को चुन लिया, जो परम विद्वान और अनुभवी थे। इन एक हजार भिक्षुओं को सभा आचार्य तिष्य की अध्यक्षता में नौ मास तक होती रही। धर्मसंबंधी सब विवादमूलक विषयों पर इसमें विचार हुआ। अंत में मोद्गलिपुत्र तिष्य का रचा हुआ कथावस्तु नाम का ग्रंथ प्रमाणरूप से खरने स्वीकार किया। इस तरह, अशोक के राज्याभिषेक के सत्रह साल बाद, ७२ वर्ष के वृद्ध महाविद्वान धर्माचार्य मोद्गलिपुत्र तिष्य (या उपगुप्त) ने बौद्धधर्म की तृतीय महासभा की समाप्ति की। सात ही प्रांतीयों कोप कर कह उठी, 'साधु'।

बौद्ध धर्म के आंतरिक झगड़ों के समाप्त हो जाने और संघ में एकता स्थापित हो जाने पर आचार्य तिष्य ने देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये एक महान योजना तैयार की। इसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि भिक्षुओं की भण्डालियाँ विभिन्न देशों में उपदेश के लिये भेजी जाँय। लंका की प्राचीन अनुभूति के अनुसार इन भण्डालियों के नेताओं और उनसे समर्पित देशों की सूची इस प्रकार है—

| देश | प्रधान भिक्षु |
|-------------------|--------------------|
| काश्मीर और गांधार | मज्झंतिक |
| महिशा मण्डल | महादेव |
| वनवास | थेर रक्सित्त |
| अपरंतिक | योनक धम्म रक्सित्त |
| महाराष्ट्र | महाधम्म रक्सित्त |
| गोन लोक | महारक्सित्त |

हिमवत
मुचसंभूमि
लंका

धेर मन्दिम और कस्तुभ
धेर सोण और उत्तर
महामहिंद्र

आचार्य तिष्य की योजना के अनुसार ये भिक्षु विविध देशों में गये और वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचारकार्य प्रारंभ किया। भारत के पुराने राजा चातुर्मास्य के बाद शरद्व अनु के प्रारंभ में विजय-यात्रा के लिये जाना करते थे। इन भिक्षुओं ने भी शरद्व के शुरू में अपना प्रचारकार्य प्रारंभ किया।

बौद्ध अनुश्रुति में प्रचारमण्डलों के जिन नेताओं के नाम दिये गये हैं, उनके अस्तित्व की सूचना कुछ प्राचीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी होती है। साञ्चो के दूसरे स्तूप के भीतर से पाये गये पत्थर के संदूक में एक चातुर्मंजूषा (वह संदूककी जिसमें अस्थि के फूल रखे गये हों) ऐसी मिली है, जिस पर 'मोग्गलिपुत्त' उत्कीर्ण है। एक दूसरी चातुर्मंजूषा के तले पर तथा डकन के ऊपर और अंदर हारितोपुत्त, मन्दिम तथा सब हेमवताचारिय (संपूर्ण हिमालय के आचार्य) कासपगोत्र के नाम खुदे हैं। इन मंजूषाओं में इन्हीं प्रचारकों के धातु (फूल) रखे गये थे, और वह स्तूप इन्हीं के ऊपर बनाया गया था। साञ्चो से पाँच मील की दूरी पर एक अन्य स्तूप में भी चातुर्मंजूषाएँ पाई गई हैं, जिनमें से एक पर कासपगोत्र का और दूसरी पर हिमालय के दुंदुभिसर के दामाद गोत्रीपुत्त का नाम उत्कीर्ण है। कासपगोत्र और दुंदुभिसर धेर मन्दिम के साथी थे, जो हिमालय के प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे। स्तूपों में प्राप्त ये चातुर्मंजूषाएँ इस बात का ठोस प्रमाण हैं, कि बौद्ध अनुश्रुति की प्रचारमण्डलियों की बात यथार्थ सत्य है। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार करने के लिये इन भिक्षुओं का भी बड़ा आदर हुआ और इनकी धातुओं पर भी धैसे ही

रूप खड़े किये गये, जैसे कि भगवान बुद्ध के अवशेषों पर। उस युग में सर्वसाधारण लोग इन महाप्रतापी व साहसी भिक्षु प्रचारकों को कितने आदर की दृष्टि से देखते थे, इसका इतने सुन्दर प्रमाण नहीं मिल सकता। अशोक के समय में पाटली-पुत्र में हुई इस महासभा और आचार्य मोद्गलिपुत्र तिष्य (उपगुप्त) के पुरुषार्थ का ही यह परिणाम हुआ, कि बौद्धधर्म भारत से बहुत दूर-दूर तक के देशों में फैल गया।

(२) लङ्का में प्रचार

जो प्रचारक-मंडल लङ्का में कार्य करने के लिये गया, उसका नेता महेन्द्र था। वह सम्राट् अशोक का पुत्र था। उसके साथ कम से कम चार भिक्षु और थे। महेन्द्र की माता का नाम असंधिमित्रा था। वह विदिशा के एक भेषी की कन्या थी। राजा बिहुसार के शासनकाल में जब अशोक उज्जैनी का शासक था, उसका विवाह असंधिमित्रा के सान में हुआ था। इस विवाह से अशोक को दो संतान हुई, महेन्द्र और संधिमित्रा। कुमारी संधिमित्रा महेन्द्र से आयु में दो साल कम थी। अशोक के धर्मगुरु आचार्य मोद्गलिपुत्र तिष्य ने महेन्द्र और संधिमित्रा, दोनों का भिक्षुव्रत में दीक्षित किया। भिक्षु बनने समय महेन्द्र की आयु बीस साल की थी।

इस समय में लङ्का का राजा 'देवताओं का प्रिय' तिष्य था। उसकी अशोक से बड़ी मित्रता थी। राजगहों पर बैठने पर तिष्य ने अपना एक दूतमंडल अशोक के पास भेजा, जो बहुत से मणि, रत्न आदि मागध सम्राट् की सेवा में भेंट करने के लिये लाया। इस दूतमंडल का नेता राजा तिष्य का भानजा महाअरिद्र था। लङ्का का दूतमंडल सात दिन में महाबल द्वारा ताम्रलिप्ति के बंदरगाह पर पहुँचा और उसके बाद सात

दिन में पाटलीपुत्र आया। अशोक ने इस दूतमण्डल का राजकीय रीति से बड़े समारोह के साथ स्वागत किया। पाँच मास तक लङ्का का दूतमण्डल पाटलीपुत्र में रहा। इसके बाद जिस मार्ग से वह आया था, उसी से लङ्का वापस चला गया। दूतमण्डल को विदा करते हुए अशोक ने त्रिपय के नाम पर संदेश भेजा—“मैं बुद्ध की शरण में चला गया हूँ। मैं धम्म की शरण में चला गया हूँ। मैं संघ की शरण में चला गया हूँ। मैंने शाक्यमुनि के धर्म का उपासक होने का व्रत ले लिया है। तुम भी इसी बुद्ध, धर्म और संघ के त्रिवाद का आश्रय लेने के लिये अपने मन को तैयार करो। जिन के उन्वचसम धर्म का आश्रय लो। गुरु बुद्ध की शरण में आने का निश्चय करो।”

इधर तो अशोक का वह संदेश लेकर महाअरिष्टु लङ्का वापस जा रहा था, उधर आचार्य उपगुप्त के आदेशानुसार भिक्षु-महेन्द्र लङ्का में धर्मप्रचार के लिये अपने साथियों के साथ जाने को कटिवद्ध था। महेन्द्र ने अशोक की अनुमति से लङ्का जाने से पूर्व अपनी माता तथा अन्य संबंधियों से मिलने का विचार किया। इस कार्य में उसे छः मास लग गये। महेन्द्र की माता देवी अर्द्धमित्रा उन दिनों विदिशा में रहती थी। वह अपने पुत्र से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। महेन्द्र विदिशा में अपनी माता के धनवाये हुए विहार में ही ठहरा। सम्भवतः यह साज्जी के बड़े स्तूप के साथ का ही विहार था, जिसे रानी अर्द्धमित्रा ने धनवाया था। विदिशा में रहते हुए भी महेन्द्र धर्मप्रचार के कार्य में संलग्न रहा। यहाँ उसने माता के भतीजे के पुत्र भन्दु को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया।

विदिशा से महेन्द्र सीधा लङ्का गया। अनुराधपुर के आठ मील पूर्व जिस जगह बड़ उवरा, उसका नाम महिंदवल पड़ गया। अब भी वह महिंदले कहलाता है। अशोक के संदेश के

कारण देव-शास्त्रों का प्रिय राजा विष्वक् पहले ही बौद्ध धर्म के प्रति अनुराग रखता था। अब उसने महेन्द्र और उसके साथियों का समारोह के साथ स्वागत किया। महेन्द्र का उपदेश सुनकर अपने चालीस हजार साथियों के साथ राजा विष्वक् ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। राजकुमारी अनुला ने भी अपनी ३०० सहचरियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की, पर उसे निराश होना पड़ा। उसे बताया गया कि भिक्षुओं को यह अधिकार नहीं है कि स्त्रियों को दीक्षा दे सकें। स्त्रियों को दीक्षा भिक्षुनी ही दे सकती है। इस पर राजा विष्वक् ने महा-अरिद्र के नेतृत्व में फिर एक प्रतिनिधि-मण्डल पाटलीपुत्र भेजा। इसे दो कार्य सुपूर्द किये गये थे। पहला यह कि संघमित्रा (महेन्द्र की बहन) को लङ्का आने के लिये निमन्त्रण दे, ताकि कुमारी अनुला व लङ्कावासिनी अन्य महिलायें बौद्ध धर्म की दीक्षा ले सकें। दूसरा यह कि बौद्धिष्ठ की एक शाखा को लङ्का ले जाँव, ताकि वहाँ उसका आरोपण किया जा सके। यद्यपि अरिद्र अपनी प्रिय पुत्री से विदा नहीं होना चाहता था, पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये उसने संघमित्रा को लङ्का जाने की अनुमति दे दी। बौद्धिष्ठ की शाखा को भेजने का उपक्रम बड़े समारोह के साथ किया गया। बड़े अनुष्ठानों के साथ सुवर्ण के कुंडर से बौद्धिष्ठ की एक शाखा काटी गई। उसे बड़े प्रयत्न से लङ्का तक सुरक्षित पहुँचाने का आयोजन किया गया। इस शाखा के लङ्का तक पहुँचने का वर्णन बड़ी सुन्दरता से बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। वहाँ उसका स्वागत करने के लिये पहले से ही सब तैयारी हो चुकी थी। बड़े सम्मान के साथ लङ्का में बौद्धिष्ठ का आरोपण किया गया। अनुराधपुर के महाविहार में यह विज्ञान वृक्ष अ। तक भी विद्यमान है और संसार के सबसे पुराने वृक्षों में से वह एक है।

राजा तिष्य ने संघमित्रा के निवास के लिये एक भिक्षुगी-
विहार बनवा दिया। वहाँ राजकुमारी अनुला ने अपनी १००
सहेलियों के साथ भिक्षुगीव्रत की वीजा ली। संघमित्रा की
मृत्यु लङ्का में ही हुई। २० वर्ष की आयु में वह भिक्षुणी बनी
थी। ३१ वर्ष तक भिक्षुणीव्रत का पालन कर ७१ वर्ष की आयु
में लङ्का में उसकी मृत्यु हुई। अब तक राजा तिष्य की भी मृत्यु
हो चुकी थी। उसका उत्तराधिकारी राजा उत्तिय था। महेन्द्र
का भी मृत्यु लङ्का में ही ८० वर्ष की आयु में ही हुई। लङ्का में
बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और संघमित्रा का
ही है। समयांतर में सब लङ्कावासी बौद्ध धर्म के अनुयायी
हो गये।

(३) दक्षिणी भारत में बौद्ध धर्म

आचार्य उपगुप्त (मोद्गलिपुत्र तिष्य) की योजना के
अनुसार जो विविध प्रचारक मण्डल विभिन्न देशों में बौद्ध
धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे, उनमें से चार को दक्षिणी
भारत में भेजा गया था। अशोक से पूर्व बौद्ध धर्मका प्रचार
मुख्यतया विष्णुनाथ के उत्तर में, उत्तरी भारत में ही था।
लङ्का के समान दक्षिणी भारत में भी अशोक के समय में ही
पहले-पहले बुद्ध के अष्टांगिक आर्यमार्ग का प्रचार हुआ।
अशोक ने अपनी धर्मविजय की नीति का अनुसरण करते
हुए चोड़, पाण्ड्य, केरल, सातियपुत्र और ताम्रप्रार्गी के पड़ोसी
राज्यों में जहाँ अंतमहामात्र नियत किये, वे वहाँ अपने
साम्राज्य में भी रठिक पेतणिक, आंध्र और पुलिंद प्रदेशों में
धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की थी। ये सब प्रदेश दक्षिणी भारत
में ही थे। अशोक द्वारा नियुक्त धर्ममहामात्रों और अंत-
महामात्रों के अतिरिक्त, अब आचार्य उपगुप्त के चार प्रचारक

मण्डल भी वहाँ गये। इनमें से भिन्न महादेव महिषासुरहन्त गया। यह उस प्रदेश को सूचित करता है, जहाँ अब मैसूर रियासत है। बनवास उत्तरी कर्नाटक का पुराना नाम है। वहाँ आचार्य रक्षित धर्मप्रचार के लिये गया। अपरांत का अभिप्राय कोंकण से है, वहाँ का कार्य यौनक धम्म रक्षित के सुपुत्र किया गया था। संभवतः, वह आचार्य बन देश का निवासी था, इसीलिये इसे यौनक कहा गया है। महाराष्ट्र (महाराष्ट्र) में कार्य करने के लिये धेर महाधम्म रक्षित की निर्वाह हुई थी। दक्षिणी भारत में बौद्ध प्रचारकों के कार्य का वर्णन लह्या के बौद्ध ग्रंथ महावंश में इस प्रकार किया गया है—
 'आचार्य रक्षित बनवास देश में आकाश मार्ग से उड़ कर गया। वहाँ उसने जनता के बीच में 'अनमत्तम' का प्रचार किया। साठ सहस्र मनुष्य बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। सैंतीस हजार मनुष्यों ने भिन्न बनना स्वीकार किया। इस आचार्य ने बनवास देश में पाँच सौ विहारों का निर्माण कराया और बौद्ध धर्म की भलीभाँति स्थापना की।

धेर यौनक धम्म रक्षित अपरांतक देश में गया। वहाँ जाकर उसने 'अग्गिक्खन्धोपसमुत्त' का उपदेश किया। यह आचार्य धर्म और ज्ञान के भेद को खूब अच्छी तरह समझता था। इसका उपदेश सुनने के लिये सत्ताईस हजार मनुष्य एकत्र हुए। इनमें से एक हजार पुरुष और इनमें से अधिक स्त्रियाँ जो कि विशुद्ध चरित्र्य जाति की थीं, भिक्षुसंघ में प्रविष्ट होने के लिये तैयार हो गईं।

धेर महाधम्म रक्षित महाराष्ट्र में प्रचार के लिये गया। वहाँ उसने 'महानारदकस्सपाह जातक' का उपदेश किया। चौदासी हजार मनुष्यों ने सत्य बौद्ध मार्ग का अनुसरण किया और तेरह हजार ने भिक्खुव्रत की दीक्षा ली।

'आचार्य महादेव बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये मदिश मण्डल में गया। वहाँ उसने 'देवदत्त सुत्तन्त' का उपदेश किया। परिणाम यह हुआ कि चालीस हजार मनुष्यों ने प्रव्र-
था लेकर भिक्षुओं के पीतघरों को धारण किया।'

आध्र देश में और पाण्ड्य आदि तामिल राज्यों में आचार्य उपगुप्त ने किस को कार्य दिया था, यह बौद्ध अनुश्रुति हमें नहीं बताती। पर प्रतीत होता है, कि सुदूर दक्षिण के इन प्रदेशों में महेन्द्र और उसके साथियों ने ही कार्य किया था। सातवीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग जब भारत की यात्रा करते हुए दक्षिण में गया, तो उसने द्रविड़ देश में महेन्द्र के नाम का एक विहार देखा था। यह विहार सम्भवतः, महेन्द्र द्वारा दक्षिण भारत में किये गये प्रचारकार्य की स्मृति में ही बनवाया गया था।

(४) खोतान में कुमार कुस्तन

पुराने समय में खोतान भारत का ही एक समृद्ध उपनिवेश था। वहाँ बौद्ध धर्म, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार था। पिछले दिनों में तुर्किस्तान और विशेषतया खोतान में जो सुदाई हुई है, उस ने इस प्रदेश में बौद्ध मूर्तियों, स्तूपों तथा विहारों के अवशेष प्रभूत मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। संस्कृत के लेख भी इस प्रदेश से मिले हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि किसी समय यह सारा इलाका गृहत्तर भारत का ही अंश था। पाँचवीं सदी में चीनी यात्री फाह्यान और सातवीं सदी में ह्वेनत्सांग ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। उनके वर्णनों से सूचन होता है कि उस प्राचीन युग में सारा खोतान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सारा देश बौद्ध विद्वानों और स्तूपों से भरा हुआ था, और वहाँ के अनेक नगर बौद्ध शिक्षा और सभ्यता के केन्द्र थे।

खोतान में बौद्ध धर्म और भारतीय सभ्यता का प्रवेश

राजा अशोक के समय में ही हुआ। इसका वर्णन कुछ तिब्बती ग्रन्थों में उल्लिखित है। संभवतः ये तिब्बती ग्रन्थ बोधान की प्राचीन अनुश्रुति के आधार पर ही लिखे गये हैं। हम यहाँ बहुत संक्षेप से इस कथा को लिखते हैं—

राज्याभिषेक के तीस साल बाद राजा अशोक के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्योतिषियों ने बताया कि इस बालक में प्रभुता के अनेक चिन्ह विद्यमान हैं, और यह पिता के जीवनकाल में ही राजा बन जायगा। यह सुनकर अशोक को बड़ी चिन्ता हुई। उसने आज्ञा दी कि बालक का परित्याग कर दिया जाय। परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का पालन होवा रहा। इसी लिये उसका नाम कुस्वन (कु = भूमि है स्वन जिसकी) पड़ गया।

उस समय चीन के एक प्रदेश में बोधिसत्त्व का राज्य था। उसके २६६ पुत्र थे। इस पर बोधिसत्त्व ने वैश्रवण से प्रार्थना की कि उसके एक पुत्र और हो जाय, ताकि संख्या पूरी १००० हो जाय। वैश्रवण ने देखा कुस्वन का भविष्य बहुत उज्वल है। वह उसे चीन ले गया और बोधिसत्त्व के पुत्रों में सम्मिलित कर दिया। बोधिसत्त्व ने पुत्रवन् उसका पालन किया। एक दिन जब कुस्वन का बोधिसत्त्व के अन्य पुत्रों के साथ कंगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने उससे कहा—‘तू सम्राट् का पुत्र नहीं है। यह जानकर कुस्वन को बड़ा कष्ट हुआ। इस बात को सचाई का निश्चय करके उसने राजा से अपने देश का पता लगाने और वहाँ जाने की अनुमति माँगी। इस पर राजा ने कहा—‘तू मेरा ही पुत्र है। यह तो अपना देश है। तुझे दुखों नहीं होना चाहिये। पर कुस्वन को इससे भी संतोष नहीं हुआ। कुस्वन ने पूरा इरादा कर लिया था, कि उसका अपना एक ही राज्य हो। अतः उसने अपने दस हजार सारथियों को एकत्र किया और

पश्चिम की तरफ चल पड़ा। इस तरह चलते-चलते वह खोतान के रोस्कर नामक स्थान पर आ पहुँचा।

सम्राट् अशोक के एक मंत्री का नाम यश था। वह बहुत प्रभावशाली होता जाता था। धीरे-धीरे वह राजा की आँखों में खटकने लगा। यश को जब यह बात मालूम हुई, तो उसने भी यही निश्चय किया कि भारत छोड़ कर, अपने लिये क्षेत्र छोड़ के। अपने अपने साथ हजार साथियों के साथ भारत छोड़कर सुदूर पश्चिम में नये प्रदेशों का अनुसंधान प्रारंभ किया। इस प्रकार वह खोतान में ज्येन नदी के दक्षिण तट पर जा पहुँचा।

अब ऐसा हुआ, कि कुस्तन के अनुयायियों में से दो व्यापारी घूमते फिरते तोला नाम के प्रदेश में आये। यह प्रदेश उस समय विलंकुल और आबाद था। इसकी रमणीयता को देखकर उन्होंने विचार किया कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन के द्वारा आबाद किये जाने के योग्य है। इसके बाद में मंत्री यश को कुस्तन के बारे में पता लगा। तो उसने यह संदेश उसके पास भेजा—तुम राजधानी के हो और मैं भी कुलीन घराने का हूँ। अच्छा ही कि हम परस्पर मिल जाय और इस ज्येन प्रदेश में मिलकर बस जाय। तुम राजा बनो और मैं तुम्हारा मंत्री। यह विचार कुस्तन को बहुत पसंद आया। कुस्तन ने अपने चीनी अनुयायियों के साथ और यश ने अपने भारतीय साथियों के साथ परस्पर सहयोग से इस प्रदेश को आबाद किया। इसीलिये तिब्बती अनुसृति के अनुसार "खोतान देश आधा चीनी है, और आधा भारतीय। लोगों की भाषा न तो पूरी तरह भारतीय ही है और न चीनी। वह दोनों का सम्मिश्रण है। अक्षर बहुत कुछ भारतीय लिपि से मिलते-जुलते हैं। लोगों की आदतें चीन से बहुत कुछ मिलती हैं।

धर्म और भाषा भारत से मिलती हैं। खोतान में वर्तमान भाषा का प्रवेश आर्यों (बौद्ध प्रचारकों) द्वारा हुआ है।" जिस समय कुस्वन बोधिसत्व को छोड़कर नये राज्य के अन्वेषण के लिये चला था, उसकी आयु केवल बारह साल की थी। जब उसने खोतान में अपने राज्य की स्थापना की, तो वह १६ साल का हो चुका था। ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी सत्य हुई, कि कुमार कुस्वन अशोक के जीवनकाल में ही राजा बनेगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस प्रचीन विषय की अनुभूति के अनुसार खोतान के प्रदेश में राजा अशोक के समय में भारतीयों ने अपना उपनिवेश बसाया, जिसमें चीनी लोगों का सहयोग उन्हें प्राप्त था, और इसी समय में सुदूरपूर्वी प्रदेश में भारतीय सभ्यता और धर्म का प्रवेश हुआ। विषय की अनुभूति की प्रत्येक बात पर विश्वास करने की हमें आवश्यकता नहीं है। पर इसमें संदेह नहीं कि अशोक के समय में खोतान में भारतीयों ने अपना उपनिवेश बसाया और वहाँ अपने धर्म, भाषा व सभ्यता का प्रवेश कराया। इस कार्य का फल कुस्वन और वंश को है।

(५) हिमवत प्रदेशों में प्रचार

हिमालय के क्षेत्र में आचार्य मन्दिम को प्रचार कार्य करने के लिये नियत किया गया था। महावंश में केवल उसी का नाम इस प्रदेश में प्रचार करने वाले भिक्षु के रूप में दिया गया है। पर उसकी टीका में उसके चार साधियों के भी नाम दिये हैं। वे साध्वी निम्नलिखित थे, कस्सपगोत्र, इंदुमिसर, सहदेव और मूलकदेव। हम ऊपर लिख चुके हैं, कि साध्वी के समीप उपलब्ध हुईं भातुमंजूषाओं पर हिमवताचार्य के रूप में मन्दिम,

कस्सप और दुंदुभिसर के नाम उल्कीर्य मिले हैं। हिमालय के संघर्ष प्रदेशों में अशोक के समय में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ। महावंश के अनुसार बहुत से गांधर्व, वज्र और कुम्भ-एडकों ने बौद्ध धर्म को स्वीकृत किया। एक वज्र ने, जिसका नाम पञ्चक था अपनी पत्नी हारीत के साथ धर्म के प्रथम फल की प्राप्ति की और अपने ५०० पुत्रों को यह उपदेश दिया, जैसे तुम अब तक क्रोध करते आये हो, जैसे अब भविष्य में न करो, क्योंकि सब प्राणी सुख की कामना करने वाले हैं, अतः अब कभी किसी प्राणी का घात मत करो। जीवमात्र का कल्याण करो। सब मनुष्य सुख के साथ रहें। पञ्चक से यह उपदेश पाकर उसके पुत्रों ने भी इसी का आचरण किया। तदनंतर नागराजा ने मज्झन्तिक को रत्नजटित आसन पर बिठाया और स्वयं खड़ा होकर पंखा गलने लगा। उस दिन काश्मीर और गांधार के कुछ निवासी नागराजा को विविध उपहार अर्पण करने के लिये आये हुए थे। जब उन्होंने धेर की अलौकिक शक्तियों और प्रभाव के विषय में सुना, तो वे भी उसके समीप आये और अभिवादन करके खड़े रह गये। धेर ने उन्हें 'आग्नीविसोपम धम्म' का उपदेश दिया। इस पर अस्सी हजार मनुष्यों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और एक लाख मनुष्यों ने धेर द्वारा प्रव्रज्या ग्रहण की। तब से लेकर आज तक काश्मीर और गांधार के मनुष्य बौद्ध धर्म के तीनों पदार्थों (बुद्ध, संघ और धम्म) के प्रति पूर्ण भक्ति रखते हैं और भिक्षुओं के पीत-वस्त्रों को धारण करते हैं।"

काश्मीर और गांधार में आचार्य मज्झन्तिक पृथक् रूप से भी कार्य कर रहा था। उसके कार्य का भी महावंश में बड़े विस्तार के साथ वर्णन है। पर प्रतीत होता है, कि हिमवत-चर्य धेर मज्झिम ने भी उसके कार्य में सहायता की। अभि-

प्रायः यह कि हिमवन्त प्रदेश के समान काश्मीर और गांधार में भी बौद्ध धर्म का अशोक के युग में प्रचार हुआ।

हिमवन्त प्रदेश में नेपाल की पुरानी राजधानी पातन या ललित पत्तन राजा अशोक ने ही बसाई थी। यह काठमांडू से २६ मील की दूरी पर स्थित थी। पातन के मध्य व चारों तरफ अशोक ने बहुत से स्तूप बनवाये थे, जिनमें से पाँच अब तक विश्रमान हैं। अशोक की पुत्री चारुमता नेपाल जाकर बस गई थी। उसने अपने पति देवपाल के नाम से वहाँ देवपत्तन नाम की नगरी भी बसाई थी। उसी के समीप एक विशाल बौद्ध विहार का भी निर्माण कराया था, जिसके अवशेष पशुपतिनाथ के मंदिर के उत्तर में अब तक विश्रमान हैं।

काश्मीर में भी अशोक के समय में बहुत से स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ। कल्हणकृत राजतरङ्गिणी के अनुसार काश्मीर की राजधानी श्रीनगरी को अशोक ने ही बसाया था। श्रीविजयदेश के टूटे-फूटे किले को हटा कर उसके स्थान पर इस राजा ने सब दीर्घों से रहित विशुद्ध पत्थरों का एक विशाल किला बनवाया, और समीप ही एक कमल बनवाया, जिसका नाम अशोकेश्वर रखा गया। अशोक ने जंहुलम के सारे लठ को स्तूपों द्वारा व्याकृत करवा दिया था।

हिमालय के प्रदेशों में गांधर्व, यक्ष आदि जिन जातियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का इल्लेख किया गया है, वे सब वहाँ के मूल निवासियों के नाम हैं। वे कोई लोकोत्तर व देवी सत्तायें नहीं हैं।

(६) यवन देशों में प्रचार

भारत के पश्चिम में अंतियोक आदि जिन यवन राजाओं के राज्य थे, उनमें भी अशोक ने अपनी धर्मविजय की स्था-

पना का उपयोग किया था। अंत महामात्र उन सब देशों में चिकित्सालय, धर्मशाला, कुप, प्याऊ, आदि खुलवा कर भारत और उसके धर्म के लिये विशेष आदर का भाव उत्पन्न कर रहे थे। इस दशा में जब आचार्य महारक्षित अपने प्रचारक मंडल के साथ वहाँ कार्य करने के लिये गया, तो उसने अपने लिये मैदान तैयार पाया। इस पसंग में महावंश ने लिखा है, कि 'आचार्य महारक्षित योन देश में गया। वहाँ उसने 'काल-काराम मूत्र' का उपदेश किया। एक लाख सत्तर हजार मनुष्यों ने बुद्धमार्ग के फल को प्राप्त किया और दस हजार स्त्री-पुरुष भिक्षु बने।' इसमें संदेह नहीं, कि अशोक के बाद बहुत समय तक इन पश्चिमी बचन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार रहा। मिश्र के यूनानी राजा टालमी (तुरमग ने अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय में भारतीय ग्रंथों के भी अनुवाद की व्यवस्था की थी। जब पैलेस्टाइन में अशोक से लगभग ढाई सौ वर्ष बाद महात्मा ईसा का प्रादुर्भाव हुआ, तो इस पश्चिमी बुद्धि में ईसा की तथा थेराभन नाम के विरक्त लोग रहते थे। ये लोग पूर्व का तरफ से पैलेस्टाइन और ईजिप्ट में जाकर बसे थे और धर्मोपदेश के साथ-साथ चिकित्सा का कार्य भी करते थे। ईसा की शिक्षाओं पर इनका बड़ा प्रभाव था, और स्वयं ईसा इनके सत्संग में रहा था। संभवतः, ये लोग आचार्य महारक्षित के ही उत्तराधिकारी थे, जो ईसा के प्रादुर्भाव के समय में इन विदेशी बचन राज्यों में बौद्ध भिक्षुओं (घेरों) का जीवन व्यतीत करते थे। बाद में ईसाई धर्म और इस्लाम के प्रभाव के कारण इन पश्चिमी देशों से बौद्ध धर्म का सर्वथा तोप हो गया। पर वह निश्चित है, कि उनसे पूर्व इन देशों में बौद्ध धर्म अपना काफी प्रभाव जमा चुका था। बाद में बौद्ध के सदृश, शैव और वैष्णव लोग भी इन बचन देशों में

गये और वहाँ उन्होंने अपनी अनेक वस्तियाँ कायम कीं।

(७) सुवर्णभूमि में प्रचार

महावंश के अनुसार आचार्य उत्तर के साथ धेर सोरा सुवर्णभूमि में गया। उस समय सुवर्णभूमि के राजकुल की यह वृथा थी, कि क्या ही कोई कुमार उत्पन्न होता, एक राजसी उसे आकर ला जाती। जिस समय वे धेर सुवर्णभूमि पहुँचे, सभी बाली ने एक पुत्र को जन्म दिया। लोगों ने समझ कि वे धेर राजसी के सहायक हैं। अतः वे उन्हें धेर कर मारने के लिये तैयार हो गये। धेरों ने उनके अभिप्राय को समझ लिया और इस प्रकार कहा—“हम तो शील से युक्त भगवा हैं, राजसी के सहायक नहीं हैं।” इसी समय राजसी अपने संपूर्ण साथियों के साथ समुद्र से निकली और सब लोग भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। पर धेरों ने अपने अतीतिक प्रभाव से राजकुमार का भक्षण करने वाले राजसी को धेर लिया। इस प्रकार सर्वत्र अभाव को स्थापना कर इन धेरों ने एकत्रित लोगों को ‘ब्रह्मजाल सूत्र’ का उपदेश किया। बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकृत कर लिया। विशेषतः आठ हजार आदमी तो धर्म से अच्छी प्रकार आकृष्ट होकर उसके अनुयायी हो गये। एक हजार पाँच सौ पुरुषों और इतनी ही स्त्रियों ने भिक्षु बनकर संघ में प्रवेश किया। क्यों कि राजकुमार का जीवन इन भिक्षुओं के प्रथम से वृथा था, अतः वे और उसके बाद के सब कुमार सोमांतर कहाये।” संभवतः, महावंश के इस वर्णन में आलंकारिक रूप से यह उल्लेख है, कि रोग-रूपी राजसी के आक्रमण के कारण सुवर्णभूमि का कोई राजकुमार जीवित नहीं रह पाता था। धेर सोमा और उतर कुराल चिकित्सक भी थे। जब वे सुवर्णभूमि गये, तो उन पर भी इस

रोगरूपी राजस ने पुनः आक्रमण किया, पर इस बार इन थोर चिकित्सकों के प्रयत्न से राजकुमार की जान बच गई, और सुवर्षभूमि के निवासियों की बौद्ध धर्म पर बहुत अढ़ा हो गई। राजकुल और सर्वसाधारण लोगों ने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म स्वीकार किया।

महावंश ने विविध प्रचारक मण्डलों के कार्य का वर्णन करने के उपरांत क्या ठीक लिखा है, कि इन सब सिद्ध धरों ने अमृत से भी चढ़कर आनंद-सुख से परिपूर्ण जीवन का त्याग कर सुदूरवर्ती विदेशी राज्यों में भटक कर, सब कष्टों का सहन करते हुए संसार का हितसाधन किया था।

सुवर्षभूमि का अभिप्राय दक्षिणी वरमा से है। आधुनिक वरमा के पेगु-मालमीन के प्रदेशों में अशोक के समय में बौद्ध प्रचारक गये, और उन्होंने उस प्रक्रम का प्रारंभ किया, जिससे कुछ ही समय में न केवल संपूर्ण वरमा, पर उसके भी पूर्व के बहुत से देश बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गये।

अशोक के समय में आचार्य उपगुप्त के आयोजन के अनुसार बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार करने के लिये जो भारी प्रयत्न प्रारंभ हुआ, उसका केवल भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं, अपितु संसार के इतिहास में बड़ा महत्त्व है। बौद्ध भिक्षु जो उद्योग कर रहे थे, उन वे 'बुद्ध के शासन' का प्रसार कहते थे। इसमें संदेह नहीं कि मागध साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ धर्मसाम्राज्य के विस्तार का विचार भी उस समय के लोगों में प्रकृत या उत्पन्न हो गया था। चातुरंत संघ की सर्वत्र स्थापना कर वे धर्मचक्रवर्ती होने के प्रयत्न में लगे थे। इस कार्य में वे मगध के सम्राटों से भी बहुत आगे बढ़ गये। मागध साम्राज्य की अपेक्षा बहुत बड़ा धर्मसाम्राज्य उपगुप्त ने ऐसा बनाया, कि वह कुछ सदियों तक नहीं, अपितु सहस्राब्दियों तक कायम

रहा। दो हजार से अधिक साल बीत जाने पर भी वह साम्राज्य अब तक आंशिक रूप से कायम है। जब भारत की राजनीतिक शक्ति विलकुल लीग हो गई, पाटलीपुत्र का साम्राज्य लुप्त हो गया, तो भी इस धर्मसाम्राज्य के कारण चिरकाल तक भारत संसार के धर्म, सभ्यता और संस्कृति का केन्द्रस्थान बना रहा। वस्तुतः यह धर्मविजय बहुत चिरस्थायिनी रही।

आठवाँ अध्याय

अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजा

(१) राजा सुयरा कुनाल

२३२ ई० पू० में अशोक का राज्यकाल समाप्त हुआ। उसके अनेक लड़के थे। शिलालेखों में उसके केवल एक पुत्र का उल्लेख है, जिसका नाम तीवर था। उसकी माता रानी कारुवाकी के दान का वर्णन एक शिलालेख में किया गया है। परंतु प्राचीन अनुकृति से अशोक के अन्य अनेक पुत्रों का नाम ज्ञात होता है। इनमें महेन्द्र रानी असंधिमित्रा का पुत्र था। कुनाल उसका सबसे बड़ा लड़का था, जिसे रानी विष्वरक्षिता की ईर्ष्या का शिकार होना पड़ा था। सिद्धती साहित्य में अशोक के एक पुत्र कुम्भन का उल्लेख है, जिसने खोतान में एक स्वतंत्र भारतीय उपनिवेश की स्थापना की थी। महेन्द्र भिक्षु होकर लङ्का में बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिये चला गया था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के एक अन्य पुत्र का नाम जालीक था, जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद काश्मीर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कुमार तीवर का साहित्यिक अनुधांत में कहीं उल्लेख नहीं है। संभवतः अपने पिता से पूर्व ही वह स्वर्गवासी हो गया था।

वायुपुराण के अनुसार अशोक के बाद उसके लड़के कुनाल ने राज्य प्राप्त किया। इसी का उपनाम सुयश था। विष्वरक्षिता के कपटलेख पर आश्रित अशोक की दंतमुद्रा से अंकित राजाशा से वह अंधा कर दिया गया था। संभवतः इसीलिये वह राज्यकार्य स्वयं नहीं कर सकता था। अशोक के समय में भी

चक्रराज के पद पर कुनाल का पुत्र संप्रति (संपदि) नियुक्त था और वहीं शासनकार्य संभालता था। कुनाल के समय में भी राज्य की बागडोर संप्रति के ही हाथ में रही। यही कारण है, कि कुल्ल धर्मों में अशोक के बाद संप्रति को ही मौर्यसम्राट् लिखा गया है। कुनाल का नाम बीच में छोड़ दिया गया है।

कुनाल के शासनकाल में ही विराल भागध साम्राज्य टुकड़ों में विभक्त होना शुरू हो गया। काश्मीर पाटलीपुत्र की अधीनता से मुक्त हो गया, और वहाँ अशोक के एक अन्य पुत्र जालौक ने अपना पृथक् राज्य कायम किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के शासन के अंतिम दिनों में ही यवन लोगों ने साम्राज्य पर आक्रमण करने शुरू कर दिये थे। इनका मुकाबला करने के लिये अशोक ने जालौक को नियत किया था। जालौक यवन लोगों को परास्त करने में तो सफल हुआ, पर जिस शक्तिशाली सेना की सहायता से साम्राज्य के पश्चिमोत्तर प्रदेश में उसने अपना पृथक् राज्य कायम कर लिया। यह बात राजतरंगिणी के निम्नलिखित वर्णन से बलीभाँति स्पष्ट हो जाती है—'क्योंकि देश में स्लेच्छ लोग छा गये थे, अतः उनके विनाश के लिये राजा अशोक ने भूतेश को प्रसन्न करने के लिये एक पुत्ररत्न को प्राप्त किया। इसका नाम जालौक था। स्लेच्छों से जब सारी बसुधा आक्रांत हो गई थी, तो जालौक ने उन्हें बाहर निकाल कर भूमंडल को शुद्ध किया और अन्य अनेक देशों को भी विजय किया।'

कल्हण का यह वृत्तान्त स्पष्ट रूप से सूचित करता है, कि अशोक के समय में ही स्लेच्छों व यवनों (ग्रीकों) के आक्रमण शुरू हो गये थे, और उनका मुकाबला करने के लिये जालौक की नियुक्ति हुई थी। सीधे से यह काश्मीर तथा समीपवर्ती

प्रदेशों पर स्वतंत्ररूप से राज्य करने लगा। राजतरंगिणी के अनुसार काश्मीर में अशोक के बाद जालीक ही राजा हुआ।

काश्मीर की तरह आंध्र भी कुनाल के समय में स्वतंत्र हो गया। मौर्यों से पूर्व आंध्र देश मागध साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। सम्भवतः विदुसार ने इसे जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया था। मौर्यों के राज्य में भी आंध्र की स्थिति अधीनस्थ राज्य की थी। अशोक का मजबूत हाथ हटते ही आंध्र देश स्वतंत्र हो गया और वहाँ एक नये वंश का प्रारंभ हुआ, जो मगध में बड़ा शक्तिशाली और प्रसिद्ध हुआ। आंध्र और समीपवर्ती दक्षिण के प्रदेशों में इस नये वंश का संस्थापक सोमुक था, जिसने २३० ई० पू० के लगभग मौर्यों की अधीनता से स्वतंत्रता प्राप्त की थी।

(२) राजा बंधुपालित दशरथ

कुनाल ने २३२ ई० पू० से २२४ ई० पू० तक कुल आठ साल तक राज्य किया। उसके बाद उसका बड़ा लड़का दशरथ राजगद्दी पर बैठा। एक पुराण के अनुसार कुनाल के उत्तराधिकारी का नाम बंधुपालित था। सम्भवतः बंधुपालित दशरथ का ही विशेषण है। ऐसा प्रतीत होता है, कि दशरथ के शासनकाल में भी शासन की वागडोर संप्रति के ही हाथ में रही संप्रति और दशरथ भाई थे। संप्रति अशोक और कुनाल के समयों में पुषराज के रूप में शासन का संचालन करता रहा था। अब भी शासनसूत्र इसी अनुभवी और योग्य शासक के हाथ में रहा। शायद इसी लिये दशरथ को बंधुपालित विशेषण दिया गया था।

राजा दशरथ के तीन गुहालेख प्राप्त हुए हैं। ये गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ी की कृत्रिम गुहाओं में उत्कीर्ण हैं। ये

गुहामंदिर दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान दिये थे, और इन गुहाओं में उसका यही दान उत्कीर्ण किया गया है।

दशरथ के समय में भी मागध साम्राज्य का पतन जारी रहा। कलिंग इसी काल में स्वतंत्र हुआ। कलिंग के राजा श्री खारवेल के हाथीगुफा शिलालेख से कलिंग देश की प्राचीन इतिहास संबंधी अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। खारवेल शुंगवंशी पुष्यमित्र का समकालीन था, और वह १७३ ई० पू० में कलिंग के राज्यासिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। उससे पहले कलिंग में दो और स्वतंत्र राजा हो चुके थे। अतः यह अनुमान करना सर्वथा उचित है, कि कलिंग २२३ ई० पू० के लगभग मौर्यों के शासन से विमुक्त हुआ था। कलिंग को अशोक के समय में ही अधीन किया गया। उसे फिर से स्वतंत्र कराने वाले और पुरुष का नाम चैत्रराज था। वह मेलवंश का था। अशोक द्वारा राज्यों से स्थापित हुई कलिंग की विजय देर तक स्थिर नहीं रह सकी।

(३) राजा संप्रति (चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय)

मौर्यवंश के इतिहास में संप्रति का महत्त्व भी चंद्रगुप्त और अशोक के ही समान है। दशरथ की मृत्यु के बाद वह स्वयं पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इससे पहले वह मुदीर्य समय तक मागध साम्राज्य का कर्णधार रह चुका था। अशोक के समय में वह चैत्रराज था। उसी ने अपने अधिकार से अशोक को राजकोष से बौद्धसंघ को दान करने का निवेदन कर दिया था। कुनाल और दशरथ के समय में भी शासनसूत्र उसी के हाथ में रहा। यही कारण है, कि अनेक प्राचीन ग्रंथों में संप्रति को ही अशोक का उत्तराधिकारी लिखा

मया है। २३१ ई० पू० में दशरथ के बाद संप्रति स्वयं मगध का सम्राट् बना।

जैन साहित्य में संप्रति का बड़ी स्थान है, जो बौद्ध साहित्य में अशोक का है। जैन अनुभूति के अनुसार सम्राट् संप्रति जैनधर्म का अनुयायी था और उसने अपने धर्म का प्रसार करने के लिये बहुत उद्योग किया था। परिशिष्ट पर्व में लिखा है, कि एक बार रात्रि के समय संप्रति के मन में यह विचार पैदा हुआ कि अनार्य देशों में भी जैनधर्म का प्रसार हो और उनमें जैन साधुस्वच्छंदरूप से विचरगु कर सकें। इसके लिये उसने इन अनार्य देशों में धर्मप्रचार के लिये जैन साधुओं को भेजा। साधु लोगों ने संप्रति के राजकीय प्रभाव से शीघ्र ही इन्हें जैनधर्म और ध्याहार का अनुयायी बना लिया। इसी वद्देश्य से संप्रति ने बहुत से लोकोपकारी कार्य भी किये। रात्रीयों को सुप्त भोजन बाँटने के लिये अनेक दानशालायें खुलवाई गईं। इन लोकोपकारी कार्यों से भी जैनधर्म के प्रसार में बहुत सहायता मिली। संप्रति ने अन्तर्ग देशों में जैन प्रचारक भेजे थे, इसका उल्लेख अन्य ग्रंथों में भी है। एक जैन पुस्तक में लिखा है कि इस कार्य के लिये संप्रति ने अपनी सेना के योद्धाओं को साधुओं के वेष में प्रचार के लिये भेजा था। एक ग्रंथ में उन देशों में से कतिपय के नाम भी दिये हैं, जिनमें संप्रति ने जैनधर्म का प्रचार किया था। ये नाम आंध्र, द्रविड, महाराष्ट्र, कुडुवा आदि हैं। इन्हें प्रत्यंत (सीमावर्ती पड़ोसी राज्य) कहा गया है। आंध्र व महाराष्ट्र अशोक के 'विजित' (साध्याज्य) के अंतर्गत थे, पर संप्रति के समय में वे 'प्रत्यंत' हो गये थे।

अनेक जैन ग्रंथों में अशोक के पौत्र और कुर्नाल के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त लिखा है। संभवतः चंद्रगुप्त संप्रति का ही

बिहड़ (उपनाम) था। संप्रति को हम चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार संप्रति (चंद्रगुप्त द्वितीय) के शासनकाल में एक बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। यह चारह साल तक रहा। संप्रति ने राज्य छोड़कर मुनिग्रन्थ ले लिया और दक्षिण में जाकर अंत में उपवास द्वारा प्राणत्याग किया। भद्रबाहुचरित्र के अनुसार यह कथा इस प्रकार है—

अश्वतिदेश में चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। एक बार राजा चंद्रगुप्त को रात में सोते हुए भावी अनिष्ट फल के सूचक सोलह स्वप्न दिखाई दिए। प्रातःकाल होते ही राजा को भद्रबाहु स्वामी के आगमन का समाचार मिला। यह स्वामी उज्जैनी से बाहर एक सुन्दर उद्यान में ठहरे हुए थे। वनपाल ने आकर खबर दी कि मुनिग्रन्थ के अभ्रगी आचार्य भद्रबाहु अपने मुनिसंघों के साथ पधारें हुए हैं। यह ज्ञान कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय भद्रबाहु को बुला भेजा और अपने स्वप्नों का फल पूछा। स्वप्नों का फल ज्ञात होने पर राजा ने जैनधर्म को दीक्षा ले ली और अपने गुरु भद्रबाहु की सेवा में दत्तचित्त होकर तप्यर हो गया। कुछ समय बाद आचार्य भद्रबाहु सेठ जिनकास के घर गया। इस घर में एक अकेला बालक पालने पर मूक रहा था। यद्यपि इसकी आयु केवल साठ दिन की थी, तथापि उसने भद्रबाहु को देखकर 'जाओ-जाओ' ऐसा बचन बोलना शुरू किया। इसे सुनते ही त्रिकालेश आचार्य समझ गया कि शीघ्र ही चारह वर्ष का पौर दुर्भिक्ष पड़ने वाला है। अतएव उन्होंने अपने ५०० मुनिगणों को लेकर दक्षिण देश में जाने का निश्चय किया। दक्षिण में पहुँच कर भद्रबाहु को शीघ्र ही ज्ञात हो गया, कि उनकी आयु बहुत कम रह गई है। अतः वे अपने स्थान पर बिराताआचार्य को तिष्ठ कर स्वयं एकांत में रह कर अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा

करने लगे। राजा चंद्रगुप्त अज्ञ मुनि हो चुका था और अपने गुरु के साथ ही दक्षिण में आ गया था। वह आचार्य भद्रबाहु की सेवा में अंतिम समय तक रहा। यद्यपि भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को अपने पास रहने से बहुत मना किया, पर उसने एक न मानी। भद्रबाहु की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त इसी गुरुगुहा में रहता रहा और अंत में उसने अनशन द्वारा प्राणत्याग किया।

जैन-साहित्य के बहुत से ग्रंथों में यह कथा थोड़े-बहुत भेद से पाई जाती है। इसकी पुष्टि अबगापेलगोला (मैसूर) में प्राप्त संस्कृत व कन्नड़ी भाषा के अनेक शिलालेखों से भी होती है। इन शिलालेखों को प्रकाशित करते हुए भोज्य राइन ने लिखा है, कि इस स्थानों पर जैनों की आषाढी अंतिम श्रुत-केवली भद्रबाहु द्वारा हुई। भद्रबाहु की मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी। अंतिम समय में मीरे चंद्रगुप्त भी इसकी सेवा में तटपर रहा था। अबगापेलगोला में दो पर्वत हैं, जिनमें से छोटे का नाम चंद्रगिरि है। स्थानीय अनुभूति के अनुसार यह नाम चंद्रगुप्त नाम के एक महात्मा के नाम पर पड़ा था। इसी पर्वत पर एक गुफा को भद्रबाहु न्वागी की गुफा कहते हैं। वहाँ एक मठ भी है, जिसे चंद्रगुप्तबन्ति कहा जाता है। इसमें संदिह नहीं कि राजा संप्रति (चंद्रगुप्त द्वितीय) जैन मुनि होकर अपने गुरु के साथ दक्षिण में अबगापेलगोला चला गया था उसका अंतिम जीवन वहीं व्यतीत हुआ था, और वहीं उसने जैन मुनियों की परिपाटी से प्राणत्याग किया था।

जिन प्रभासूरि के अनुसार सम्राट् संप्रति ने बहुत से जैन-मठों का भी निर्माण कराया था। ये मठ अनार्य देशों में भी बनबाधे गये थे। निःसंदिह, जैनधर्म के भारत में दूर-दूर तक फैलने का श्रेय राजा संप्रति को ही है। उसी के समय में जैन-

धर्म के लिये वह प्रवर्तित हुआ जो पहले अशोक ने बौद्ध धर्म के लिये किया था।

(४) राजा शालिशुक

२०७ ई० पू० में राजा संप्रति के राज्यत्याग के बाद शालिशुक पाटलीपुत्र की राजगद्दी पर बैठा। उसने कुल एक साल तक राज्य किया। पर मौर्यवंश के इतिहास में शालिशुक के शासन का यह एक साल बड़े महत्त्व का है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित विशाल मागध साम्राज्य का वास्तविक पतन इसी साल में हुआ। शालिशुक के शासनकाल के संबंध में बुद्धगार्भ्य संहिता के युगपुराण से बहुत सी आवश्यक बातें ज्ञात होती हैं। पहली बात यह है, कि जैन मुनि बन कर जब संप्रति ने राजगद्दी छोड़ दी, तो राजा कौत बने इस प्रश्न को लेकर गृहकलह हुआ। शालिशुक संप्रति का पुत्र था। पर प्रतीत होता है, कि उसका कोई बड़ा भाई भी था। राजसिंहासन पर वास्तविक अधिकार उसी का था। परंतु शालिशुक ने उसका धात करके स्वयं राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। बारह वर्ष के पोर दुर्भिक्ष से पहले ही देश को घोर विपत्ति का सामना करना पड़ रहा था। अब इस कलह से और भी दुर्दशा हो गई। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस गृहकलह के समय में भी मागध साम्राज्य का उत्तरपश्चिमी प्रदेश खूबक हो गया। काश्मीर में पहले ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अब सिंध नदी से परे के प्रदेश, जिनमें अफगानिस्तान, गांधार और हीरात भी शामिल थे, साम्राज्य से खूबक हो गये। इन में पुषसेन नाम के एक व्यक्ति ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। पुषसेन भी मौर्यकाल का था और संभवतः संप्रति का ही अन्यतम पुत्र था। मोक्ष लेखकों ने इसी को सोकागनेन वा सुभागेनेन लिखा

है। संभवतः सुभागसेन पहले गांधार देश का कुमार (प्रांतीय शासक) था। पर संप्रति के अंतकाल की अस्थवस्था से लाभ उठा कर स्वतंत्र हो गया था। तिव्वती बौद्ध अनुभूति में संप्रति का उत्तराभिषारी इसी को लिखा है।

राजतरंगिणी के अनुसार काश्मीर का राजा जालोक (अशोक का पुत्र) एक बड़ा विजेता था। उसने कान्यकुब्ज तक विजय की थी। राजतरंगिणी के अनुसार जालोक ने बहुत दीर्घ समय तक शासन किया था। अभी उसे राजगद्दी पर बैठे केवल २६ वर्ष हुए थे। कोई आश्चर्य नहीं, कि शालिशुक के समय के गृहकलह से लाभ उठाकर उसे राज्यविस्तार का अवसर मिल गया हो, और उसने कान्यकुब्ज तक आक्रमण कर विजय प्राप्त की हो।

संप्रति के बाद पारस्परिक गृहकलह के कारण मौर्य साम्राज्य बहुत शिथिल हो गया था। पाटलीपुत्र का केंद्रीय शासन व्यवस्थित और नियमित नहीं था। यद्यपि शालिशुक को गृहकलह में सफलता हुई, पर उसकी स्थिति सुरक्षित नहीं थी। संभवतः राजघराने के पड़बंध निरंतर जारी थे और शालिशुक भी हत्या में उनका अंत हुआ, शालिशुक ने केवल एक ही साल राज्य किया। इसी से यह सूचित होता है, कि गृहकलह में सफलता के बाद भी उसे भेन नहीं मिली। अपने एक साल के शासन में शालिशुक ने प्रजा पर बड़े अत्याचार किये। उसने राष्ट्र का मर्दन कर डाला। जनता उससे तंग आ गई। मौर्य वंश के द्वाभ में इससे और भी सहायता मिली।

अब तक मौर्य सम्राट अशोक की धम्मविजय की नीति का अनुसरण करते रहे थे। संभवतः दशरथ और संप्रति ने भी 'धम्म' के लिये प्रयाप्त प्रयत्न किया था। शालिशुक ने अपने पूर्वजों की नीति को नाम के लिये जारी रखा, पर उसका वृक्ष-योग करके उसे नाशकारी बना दिया। गाम्बैसंहिता में इस

राजा को 'धर्म का डोंग करने वाला' और 'अधार्मिक' कहा है, और यह भी लिखा है, कि इस मूर्ख ने धर्मविजय को स्थापित करने का यत्न किया है। 'विजय' नाम धार्मिकम्' में जो व्यंग्य है, उसे संस्कृत के ज्ञाता भलीभाँति समझ सकते हैं। शक्तिशुक ने धर्मविजय की नीति का दुरुपयोग करके अशांति और अव्यवस्था को और भी बढ़ा दिया। इस राजा के राष्ट्रमर्दन तथा धर्मविजय के डोंग ने मागध साम्राज्य को कितनी हानि पहुँचाई होगी, इसका अनुमान कर सकना कठिन नहीं है।

इसी शक्तिशुक के एक साल के शासनकाल में यवनों ने फिर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किये। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन यवन राजा सेल्यूकस की मृत्यु २८० ई० पू० में हुई थी। उसके बाद उसका लड़का एंटीओकस सीरिया की राजगद्दी पर बैठा था। २६१ ई० पू० में उसकी मृत्यु हुई। फिर एंटीओकस द्वितीय पिथोलस राजा बना, जो अशोक का समकालीन था। उसके शासनकाल में बैक्ट्रिया और पार्थिया सौरियन साम्राज्य से पूर्वकृ हो गये। बैक्ट्रिया में डायोडोरस प्रथम ने २५० ई० पू० में तथा पार्थिया में असेकस ने २४८ ई० पू० में अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। बैक्ट्रिया में डायोडोरस प्रथम के बाद डायोडोरस द्वितीय (२४५ ई० पू०) और यूरीडामीस (२३२ ई० पू०) राजा हुए। यूरीडामीस के समय में सीरिया के सम्राट् एंटीओकस दामेट ने बैक्ट्रिया पर आक्रमण करने शुरू किये। सीरिया और बैक्ट्रिया के इन युद्धों का अंत २०८ ई० पू० में हुआ। एंटीओकस ने बैक्ट्रिया की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया।

इसी समय एंटीओकस दामेट ने अपनी शक्तिशाली यवन सेना के साथ हिन्दुस्तान पर्वत पार कर भारत पर आक्रमण किया। गांधार के राजा मुभागसेन के साथ उसके युद्ध हुए। पर शीघ्र ही दोनों राजाओं में संधि हो गई।

सुभागसेन के साथ संधि करके यवन सेनाओं ने भारत में आगे बढ़कर आक्रमण किये। इस समय पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर शालिशुक विराजमान था, जिसने अपने बड़े भाई को मार कर राज्य प्राप्त किया था। गार्ग्यसंहिता के अनुसार यवनों ने न केवल मथुरा, पांचाल और साकेत को हस्तगत किया, पर मागध साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र या पुष्पपुर पर भी हमला किया। इन आक्रमणों से सारे देश में अव्यवस्था मच गई। सारी प्रजा व्याकुल हो गई। पर ये यवन देर तक भारत के मध्यदेश में नहीं ठहर पाये। उनमें परस्पर गृहकलह शुरू हो गये और इन अपने अंदर उठे हुए युद्धों के कारण यवनों को शीघ्र ही भारत छोड़ देना पड़ा।

इस प्रकार यवन लोग तो भारत से चले गये पर भारत में मौर्यशासन की जड़ें हिल गईं। आपस के कलह के कारण मौर्यों का शासन पहले ही निर्बल हो चुका था, अब यवनों के आक्रमण से उसकी अवस्था और भी बिगड़ गई। गार्ग्यसंहिता के अनुसार, इसके बाद भारत में सात राजा राज्य करने लगे, या मागध साम्राज्य सात राज्यों में विभक्त हो गया। गांधार, कारभीर, कलिंग और आंध्र—ये चार राज्य इस समय तक मागध साम्राज्य से पूबक हो चुके थे। अब संभवतः उत्तराखण्ड में दो अन्य राज्य भी मागध की शक्ति के मग्नावशेष पर कायम हुए।

(५) मौर्यवंश का अंत

शालिशुक के बाद राजा देववर्मा पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा। उसने २०६ ई० पू० से १६३ ई० पू० तक राज्य किया। यवनों के आक्रमण उसके समय में भी जारी रहे। २०० ई० पू० में घेक्ट्रिया के राजा डेमेट्रियस (दिमित्र, जो यूथी-डोमोस का पुत्र था) ने भारत पर आक्रमण किया और उत्तराखण्ड के कुछ प्रदेश पर यवन राज्य स्थापित कर लिया।

देवबर्म के बाद शतधनुष मगध का राजा बना। उसके शासनकाल १३६ ई० पू० से १६१ ई० पू० तक था। उसके शासनकाल में पश्चिमोत्तर भारत में यवनों ने अपना शासन अच्छे तरह से स्थापित कर लिया था। डेमेट्रियस बड़ा प्रतापी राजा हुआ है। उसका भारतीय राज्य काफ़ी विस्तृत था। उसने अफ़ग़ानिस्तान और भारत में अपने नाम से अनेक नये नगर स्थापित किये थे। प्राचीन आर्कोशिया में 'डेमेट्रियस पोलिस' नाम का एक नगर था। पतंजलिद्वारा महाभारत के अनुसार सौवीर देश में 'दात्तामित्रि' नाम का एक नगर विद्यमान था। यह दात्तामित्रि नगर डेमेट्रियस के नाम पर ही बसा था।

संभवतः विदर्भ देश शतधनुष के समय में ही मागध साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ। कालिदास विरवि० मालविकाग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग से पूर्व विदर्भ में यज्ञसेन नाम का स्वतंत्र राजा राज्य करता था। वह शतधनुष के इसी शासनकाल में स्वतंत्र हो गया था। बहुत से प्राचीन गणराज्य भी इस काल में फिर से स्वतंत्र हो गये थे।

१६१ ई० पू० में शतधनुष के बाद बृहद्रथ मगध का राजा बना। यह शतधनुष का भाई था। बृहद्रथ मौर्यवंश का अंतिम राजा था। इसके समय में मगध में फिर एक बार राज्यक्रांति हुई। बृहद्रथ का प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। शक्तिशाली मागध सेना उसी के अधीन थी। इस सेना की सहायता से पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या करके पाटलीपुत्र के राजविहासन पर स्वयं अधिकार कर लिया। रिपुंजय, बालक आदि विद्वानों ने पुराने मागध सम्राटों के विरुद्ध उनके सेनापतियों ने इसी प्रकार से विद्रोह किया था। मगध में सेना की ही प्रधान शक्ति थी। अलापी और विरखविल्यात मौर्यवंश का अंत भी सेना द्वारा ही किया गया। मौर्यवंश के शासन का अंत १८५ ई० पू० में हुआ।

(६) मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण

अशोक के बाद शक्तिशाली मगध साम्राज्य में शिथिलता के चिह्न पाए जाने लगे थे। शालिशुक के समय में वह सर्वथा दिग्भ्रम-भिन्न हो गया था। इसके क्या कारण हैं? पहला कारण अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्ति है। केन्द्रोभाव और अकेन्द्रोभाव की प्रवृत्तियों में भारत में सदा से संघर्ष होता आया है। एक तरफ जहाँ अजातशत्रु, महापद्मनन्द और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी सम्राट् सारे भारत को एकलव्य शासन में लाने का उद्योग करते रहे, वहाँ दूसरी तरफ पुराने जनपदों और गणराज्यों में अपने पृथक् स्वयं कायम रखने की प्रवृत्ति भी विद्यमान रही। पुराने युग में भी इस देश में बहुत सी जातियाँ, अनेक भाषायें और विभिन्न कानून व व्यवहार विद्यमान थे। विविध जनपदों में अपनी पृथक् सत्ता की अनुभूति बहुत प्रबल थी। परिणाम यह था, कि ये सदा एक केन्द्रीभूत साम्राज्य के विकृत विद्रोह कर अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर लेने के लिये तत्पर रहते थे। सम्राट् की शक्ति के उतरा या भी निर्बल होने पर विदेशी आक्रमण, दुर्भिक्ष या ऐसे ही किसी भी कारण के उत्पन्न हो जाने पर ये अकेन्द्रोभाव की प्रवृत्तियाँ प्रबल हो उठती थीं। मौर्य साम्राज्य के पतन का भी यही प्रधान कारण था।

मगध के सम्राटों ने विविध जनपदों व गणराज्यों के अपने धर्म, व्यवहार, कानून और चरित्र को नष्ट करने का उद्योग नहीं किया। कौटिल्य जैसे नीतिकारों ने यही प्रतिपादित किया था, कि राजा इन सब के व्यवहार और चरित्र को न केवल नष्ट न करे, पर उन्हें उसमें स्थापित रखे, अपने कानून का भी इस ढंग से निर्माण करे, कि इन के कानून से उसका विरोध न

हो। इस नीति का स्वाभाविक रूप से यह परिणाम हुआ, कि विविध जनपदों और गणराज्यों में अपनी पृथक् सत्ता की अनुभूति पूर्ण प्रबलता के साथ कायम रही। मौर्यों की शक्ति के क्षीण होने पर ये राज्य फिर स्वतंत्र हो गये। यही नीति शुंगों, कण्वों और आंध्रों की रही। गुप्तों ने भी इसी नीति का अनुसरण किया। इसी कारण मालव, लिच्छवि, यौधेय आदि गणराज्य और कलिंग, आंध्र आदि जनपद मगध के महत्त्वाकांक्षी सज्जानों से बार-बार परास्त हो कर भी फिर-फिर स्वतंत्र होते रहे।

मौर्य राजाओं की धर्मविजय की नीति ने भी उनकी राजनीतिक शक्ति के निर्बल होने में सहायता दी। अशोक ने जिस वन्य-उदात्त विचारसरणी से इस नीति का अनुसरण किया था, उसके निर्बल उत्तराधिकारी उसका सर्वांग में प्रयोग नहीं कर सके। राजा संप्रति ने सैनिकों को भी साधुओं के वस्त्र पहना कर उनसे अपने प्रिय धर्म का प्रचार कराया। राजा शालिशुक धर्मविजय का ढोंग करता था। मगध साम्राज्य की सत्ता ही उसकी अदम्य सेना पर आविर्भूत थी। कंबोज से बंग तक और कारबीर से आंध्र देश तक विस्तीर्ण मगध साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रखने वाली शक्ति उसकी सेना ही थी। जब इस सेना के सैनिकों ने साधुओं के पीतवस्त्र धारण कर धर्मप्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया, तो वह वन्यों और लोच्छ्यों का राज्य से कैसे मुक्तबलता कर सकते थे? धर्मविजय की नीति से भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति को विदेशों में विस्तीर्ण होने में चाहे कितनी ही सहायता क्यों न मिली हो, पर मगध की सैनिक शक्ति को उसने अवश्य निर्बल किया। यही कारण है, कि भविष्य के विचारकों ने अशोक शालिशुक आदि का मज्जाक उड़ाते हुए 'देवानां प्रिय' शब्द का अर्थ ही मूर्ख कर डाला। उन्होंने यह भी लिखा कि राजाओं का काम

सिर मँडवा कर धर्मवित्तन करना नहीं है, पर दण्ड (प्रचण्ड राजशक्ति) का धारण करना है। भारत में यह कहावत सी हो गई कि जो ब्राह्मण असंतुष्ट हो, वह नष्ट हो जाता है, और जो राजा संतुष्ट रहे, वह नष्ट हो जाता है। मगध के ये मौर्य राजा जित प्रकार अपनी राजशक्ति से संतुष्ट हो, पहले भाषक और बाद में अमरुत होकर, बौद्ध संघ के लिये अपना सर्वस्व निष्काश करके देने के लिये तैयार हो गये थे, वह भारत की प्राचीन राजनीति के सर्वथा विरुद्ध था, और इसीलिये उनके इस कृत्य ने उनकी शक्ति के सींग होने में अवरुधमेव सहायता की। अकेन्द्राभाष की बलवती प्रवृत्तियाँ, जनपदों व गणराज्यों में अपनी पृथक् अनुभूति, और धर्मविजय की नीति का पुरुरूपयोग — ये तीन कारण थे, जिनसे शक्तिशाली विशाल मौर्य साम्राज्य नष्ट हो गया।

(७) धर्मविजय की नीति

एतिहासिकों ने सम्राट् अशोक को संसार के सब से बड़े महापुरुषों में गिना है। निःसन्देह, अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच कर उसने उस सत्य को अनुभव किया, जिसके समझने को आज भी संसार को आवश्यकता है। शास्त्रों द्वारा विजय में लाखों मनुष्यों की हत्या होती है, लाखों स्त्रियाँ किरवा और बच्चे अनाथ होते हैं। ऐसी विजय स्थिर नहीं रहती। ये सत्य हैं, जिन्हें कलिगविजय के बाद अशोक ने अनुभव किया। इसके स्थान पर, यदि धर्म द्वारा नये नये देशों की विजय की जाय, तो उससे खून की एक बूँद भी गिराये बिना, जहाँ अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार होता है, वहाँ ऐसी विजय स्थिर भी रहती है। अशोक ने इसी धर्मविजय के लिये प्रयत्न किया और उसे अपने उद्देश्य में सफलता भी हुई। चोट, पाँच,

लंका, यवन राज्य आदि सब भारतीय भाषा, धर्म, सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव में आ गये, और भारत के उस गौरव का प्रारंभ हुआ, जो संसार के इतिहास में वस्तुतः अद्वितीय है। सिकंदर और सीजर जैसे विजेताओं का शस्त्रों द्वारा विजित प्रदेशों में वह प्रभाव नहीं हुआ, जो अशोक का धर्म द्वारा जीते हुए देशों में हुआ। सिकंदर का विशाल साम्राज्य उसकी मृत्यु के साथ ही खंड-खंड हो गया। पर अशोक का धर्मसाम्राज्य सदियों तक कायम रहा। अब तक भी उसके अवरोध जीवित-जागृत रूप में विद्यमान हैं। भारत में ही मगध की सेनाओं से जिस साम्राज्य की स्थापना की गई थी, वह एक सदी से भी कम समय में लीन होने लग गया, पर धर्म द्वारा स्थापित साम्राज्य की सदियों तक उन्नति और समृद्धि ही होती रही।

क्या अच्छा होता, यदि वे धर्मविजयी भीम सम्राट् सैनिक-बल की भी उपेक्षा न करते। भारत का यह आदर्श 'वह ब्रह्म-शक्ति है, और वह ज्ञानशक्ति। शास्त्र और शास्त्र, दोनों के उपयोग से हम अपना उत्कर्ष करते हैं' वस्तुतः अस्वतंत्र क्रियात्मक आदर्श है। यदि अंतियोक, तुरुमय आदि यवन राजाओं के राज्य में धर्म द्वारा विजय की स्थापना करते हुए भीम राजा शास्त्र-बल की भी वृद्धि करते रहते, तो अशोक के अंतिम काल में ही यवनों के आक्रमण भारत पर न प्रारंभ हो सकते, और शालि-शुक के समय में मथुरा, साकेत आदि को जीतते हुए यवन लोग पाटलीपुत्र तक न आ जाते।

नवाँ अध्याय

मौर्यकालीन कृतिपाँ

(१) पाटलीपुत्र नगरी

मगध के मौर्य सम्राटों की राजधानी पाटलीपुत्र एक बहुत ही विशाल नगरी थी। सीरिया के राजा सैल्यूकस निकेटर का राजदूत मैगस्थनीज ३०३ ई० पू० में वहाँ आया था और कई साल तक पाटलीपुत्र में रहा था। उसने अपने यात्रा-विवरण में इस नगरी का जो वर्णन किया था, उसमें से कुछ बातें उल्लेखयोग्य हैं। उसके अनुसार "भारतवर्ष में जो सभ से बड़ा नगर है, वह प्रेसिआई (प्राच्य देश) में पालीवांधा (पाटलीपुत्र) कहलाता था। वह गंगा और परेन्नाबोअस सोन । नदियों के तट पर स्थित है। गंगा सब नदियों में बड़ी है, पर परेन्नाबोअस संभवतः, भारत में तीसरे नंबर की नदी है। भारत की नदियों में वहापि इसका नंबर तीसरा है, पर अन्य देशों की बड़ी से बड़ी नदी से भी यह बड़ी है। इस नगर की तस्वी लम्बाई में २० स्टेडिया और चौड़ाई में १४ स्टेडिया तक फैली हुई है। (एक मील = ४१ स्टेडिया)। यह नगरी समानान्तर चतुर्भुज की शकल में बनी है। इसके चारों तरफ लकड़ी की एक प्राचीर (दीवार) है, जिसके बीच में तीर छोड़ने के लिये बहुत से छेद बने हैं। दीवार के साथ चारों तरफ एक खाई है, जो रण के निमित्त और शहर का मैला बहाने के काम आती है। यह खाई गहराई में ४४ फीट और चौड़ाई में ६०० फीट है। शहर के चारों ओर की प्राचीर २७० बुजों से सुशोभित है और उसमें ६४ द्वार बने हैं।

हथारों धर्म धीत जाने पर अब इस वैभवशाली पाटलीपुत्र को कोई इमारत विद्यमान नहीं है। पर पिछले दिनों में जो खुदाई पाटलीपुत्र में हुई है, उसमें मौर्यकाल के अनेक अवशेष उपलब्ध हुए हैं। प्राचीन पाटलीपुत्र नगर वर्तमान समय में गंगा और सोन नदियों के सुबिस्तृत घाट के नीचे दब गया है। बाँकोपुर रेलवेस्टेशन, ईस्टइंडियन रेलवे तथा व्यासपास की कस्बियों ने भी इस प्राचीन नगरी के बहुत से भाग को अपने नीचे छिपा रखा है। ईस्टइंडियन रेलवे के दक्षिण में कुमराहार नाम के गाँव के समीप प्राचीन पाटलीपुत्र के बहुत से अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस अनुभूति के अनुसार इस स्थान के नीचे पुराने जमाने के अनेक राजमासाद बने हुए हैं। इस अनश्रुति में बहुत कुछ सच्चाई भी है। कुमराहार गाँव के उत्तर में कण्डू और चनन नाम के तालाबों के बीच में एक अशोककालीन स्तम्भ के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। वह स्तम्भ बलुग प्रत्यर का बना हुआ है, और इस पर बड़ा सुन्दर वक्रलेप किया गया है। मूल दूरी में इसका व्यास तीन फीट था। इसी स्थान पर लकड़ी की बनी हुई एक पुरानी दीवार के भी अवशेष मिले हैं। अनुमान किया जाता है, कि ये पाटलीपुत्र की उसी प्राचीर के अवशेष हैं, जिसका उल्लेख मैगस्थनीज ने अपने यात्रावर्णन में किया था। लकड़ी का दीवार के कुछ अवशेष मौर्य नहरों के भी माने जाते हैं।

(२) अशोक के स्तूप

प्राचीन अनुभूति के अनुसार सम्राट अशोक ने बहुत से स्तूपों व विहारों का निर्माण कराया था। विविध ग्रंथों में इनकी संख्या चौरासी लाख लिखी है। समय के प्रभाव से अब अशोक की प्रायः सभी कृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं। पर अब से

बहुत समय पहले, चीनी यात्रियों ने इनका अवलोकन कर इनका वर्णन लिखा था। पाँचवीं सदी के शुरू में चीनी यात्री फाह्यान भारत में आया था। इसने अपनी आँखों से अशोक की अनेक कृतियों को देखा था। यद्यपि इसके समय में अशोक को मरे सात सौ साल के लगभग हो चुके थे, पर इतने समय बाद भी उसकी कृतियाँ अच्छी दूरी में विद्यमान थीं। फाह्यान ने लिखा है—'पुष्पपुर (पाटलीपुत्र) राजा अशोक की की राजधानी था। नगर में अभी तक अशोक का राजभासाद और सभाभवन है। सब असुरों के बनाये हुए हैं। पत्थर चुन कर दीवारें और द्वार बनाये गये हैं। उन पर सुंदर लुढ़ाई और पक्कीकारी है। इस लोक के लोग उन्हें नहीं बना सकते। अब तक नये के समान हैं।'

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युनत्सांग सातवीं सदी में भारत आया था। उसने अपने यात्रा-विवरण में अशोक के बनवाये हुए बहुत से स्तूपों का वर्णन किया है, जिसे उसने अपनी आँखों से देखा था। तक्षशिला में उसने अशोक के बनवाये हुए तीन स्तूप देखे। जिनमें से प्रत्येक सौ-सौ फुट ऊँचा था। नगर-द्वार के स्तूप की ऊँचाई ३०० फीट थी। इसी तरह मथुरा, वानेसर, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कौशांबी, आवस्ती, धीनगर, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बनारस, वैशाली, गया, काशीलिपी आदि नगर में उसने बहुत से स्तूप देखे, जो अशोक ने बनवाये थे, और जो ऊँचाई में ७०, १००, २०० या ३०० फीट तक थे। पाटलीपुत्र में उसने अशोक का राजमहल भी देखा, पर अब तक वह भग्न दशा में आ चुका था। ह्युनत्सांग फाह्यान के प्रायः दो सौ वर्ष बाद पाटलीपुत्र गया था। इस अरसे में अशोक का महल खंडहर हो चुका था। गुप्तसाम्राज्य के क्षीय होने पर पाटलीपुत्र की जो दुर्दशा हो गई थी, उसमें संभवतः प्राचीन इमारतों

को रक्षा का यथोचित प्रबंध न रहा हो, और इसीलिये गुप्तसांग के समय तक नीं सौ साल पुराना अशोक का राजप्रासाद खंड-हर हो गया हो। इस चीनी यात्री ने पाटलीपुत्र में अशोक के समय का एक बहुत ऊंचा स्तंभ भी देखा, जहाँ अशोक ने बौद्धगिरिक की अध्यक्षता में नरकागृह का निर्माण कराया था। काश्मीर में गुप्तसांग ने अशोक के वनबापे हुए बहुत से नृपों और संधारामों को देखा था, जिनका उल्लेख कन्हय की राज-वर्णिका में भी किया गया है।

(३) सारनाथ

अशोक की अनेक कृतियाँ बनारस के समीप सारनाथ से उपलब्ध हुई हैं। इनमें से मुख्य ये हैं—

क. प्रस्तर-स्तंभ—इस पर अशोक की एक धम्मलिपि उत्कीर्ण है। यह स्तंभ बहुत ही सुंदर है। इसके सिर पर चार सिंह-मूर्तियाँ हैं, जो मूर्तिनिर्माण-कला की दृष्टि से अद्वितीय हैं। किसी प्राणियों की इतनी सजीव मूर्तियाँ अन्यत्र कहीं भी नहीं बनीं। मूर्तिकला की दृष्टि से इनमें कोई भी न्यूनता व दोष नहीं है। पहले इन मूर्तियों की आँखें मण्डित थीं, अब उनमें मण्डित नहीं हैं, पर पहले वहाँ मण्डित होने से चिह्न अभी तक विद्यमान हैं। सिंह की चार मूर्तियों के नीचे चार चक्र हैं। चक्रों के बीच में हाथी, साँड़, अश्व और शेर अंकित हैं। इन चक्रों तथा प्राणियों को चलती हुई दशा में बनाया गया है। इनके नीचे का अंश एक विशाल धंटे की तरह है। स्तंभ तथा उत्तका शीर्ष भाग बलुए पत्थर का है, जिसके ऊपर एक बज्रलेप है। यह लेप बहुत ही चिकना, चमकदार तथा सुंदर है। यह बज्रलेप दो हजार से भी अधिक साल बीत जाने पर भी अब तक स्थिर रह सका है, यह सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है। अनेक ऐतिहासिकों के मत में यह स्तंभ भारतीय

शिल्प का सब से उत्तम उदाहरण है। इससे बढ़िया शिल्प का कब कहीं नमूना अब तक भारत में उपलब्ध नहीं हुआ।

ख. पाषाणवेष्टनी—सारनाथ में ही अशोक के समय की बनी हुई एक पाषाणवेष्टनी (रेक्तिग) उपलब्ध हुई है। यह सारनाथ के बौद्ध विहार के प्रधान मंदिर के दक्षिण भाग वाले गृह में ईंट के एक छोटे स्तूप के चारों ओर लगी हुई निकली है। यह सारी की सारी एक ही पत्थर की बनी हुई है। बीच में कहीं भी जोड़ नहीं है। सारी पाषाणवेष्टनी बहुत ही सुंदर तथा चिकनी है। इसे बनाने का खर्च 'सवहिका' नाम के किसी व्यक्ति ने दिया था। इसका नाम वेष्टनी पर उकीरें हैं।

ग. स्तूप - अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप के कुछ चिह्न सारनाथ की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। ये अशोक के प्रस्तरस्तंभ के समीप ही हैं। अब से कुछ साल पूर्व तक यह स्तूप विश्रमान था, पर सन् १७६३-६४ में कोशी के राजा चेतसिंह ने अपने दीवान बाबू जगतसिंह के नाम से जगतगंज मुहल्ला बनवाने के लिये इस स्तूप को तुड़वा कर इस के ईंट, पत्थर आदि भंगवा लिये थे। बाबू जगतसिंह के नाम से ही इस स्तूप के पुराने स्थान को जगतसिंह स्तूप कहा जाता है। इसकी खुदाई के समय में प्राचीन समय की अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई थीं।

(४) सर्षी

मौर्यकाल की कृतियों में सर्षी का स्तूप बहुत महत्त्वपूर्ण है। यहाँ का मुख्य स्तूप मौर्यकाल का या उससे भी पहले का है। यह स्तूप बहुत बड़ा है। आधार के समीप इसका व्यास १०० फीट है। इसकी पूर्णावस्था में इसकी ऊँचाई ७७ फीट के लगभग थी। वर्तमान समय में इसका ऊपर का कुछ भाग टूट गया प्रतीव

होता है। स्तूप लाल रंग के बलुप पत्थर का बना है। यह अर्ध-मंडलाकार (अर्ध) रूप में बना हुआ है, और इसके चारों तरफ एक ऊँची मेधि है, जो प्राचीन समय में प्रदक्षिणापथ का काम देवी थी। इस प्रदक्षिणापथ तक पहुँचने के लिये स्तूप के दक्षिणी भाग में एक दोहरी सोपान है। संसृष्ट स्तूप के चारों ओर भूमि के समतल के साथ एक अन्य प्रदक्षिणापथ है, जो कि पत्थर से बनी हुई पाषाणखेप्टनी से परिवेष्टित है। यह खेप्टनी बहुत ही सादे ढंग की है, और किसी तरह की पक्कीकारी आदि से सजित नहीं है। यह चार खतुफ्कोख अक्षोष्ठों में विभक्त है, जिन्हें कि चार सुंदर द्वार एक दूसरे से पृथक् करते हैं। चारों द्वारों पर नानाविध मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्रों तथा सजित पक्कीकारी से युक्त तोरण हैं। इनमें बौद्धधर्म की अनेक गान्धारियों को व्यक्त किया गया है।

अनेक ऐतिहासिकों का विचार है, कि सांची का यह विशाल स्तूप अशोक के समय का बना हुआ नहीं है। यह उससे लगभग एक सदी पीछे बना था। अशोक के समय में इंटों का एक सादा स्तूप था, जिसे बढ़ा कर बाद में वर्तमान रूप दिया गया।

सांची के भग्नावशेषों में सम्राट् अशोक के समय की एक अन्य कृति उपलब्ध हुई है। स्तूप के दक्षिणी द्वार पर एक स्तंभ स्तंभ के अवशेष मिले हैं। विश्वास किया जाता है, कि असल में यह स्तंभ ४२ फीट ऊँचा था। इसके शीर्षभाग पर भी सारनाथ के स्तंभ के सदृश सिंहों की मूर्तियाँ हैं। वर्तमान समय में ये मूर्तियाँ भग्नावस्था हो गई हैं, पर अपनी भग्नावस्था में भी ये अशोककाल की कला की उत्कृष्टता का स्मरण दिलाती हैं। इस स्तंभ पर अशोक का एक लेख भी उत्कीर्ण है। संभवतः सांची का यह स्तंभ भी अपने असली रूप में सारनाथ के स्तंभ के ही सदृश था।

(५) बरहुत

यह स्थान इलाहाबाद से ६५ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर, बेंदेलखंड की नागौद रियासत में है। यहाँ पर भी अशोक के समय की अनेक कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं। मर एलिकजैडर का निधम ने सन् १८७३ में इस स्थान का पहले-पहल पता लगाया था। उस समय यहाँ एक विशाल स्तूप के अवशेष विद्यमान थे, जो कि इँटों का बना हुआ था और जिसका व्यास ६८ फीट का था। स्तूप के चारों तरफ एक सुंदर पाषाणवेष्टनी थी, जिस पर विविध बौद्ध गाथायें चित्रों के रूप में खचित की गई थीं। पाषाणवेष्टनी की ऊँचाई सात फीट से भी अधिक थी। साँची स्तूप के समान यह पाषाणवेष्टनी चार चतुष्कोण प्रकोष्ठों में विभक्त थी और प्रकोष्ठों के तोरणों से युक्त सुंदर द्वार थे। पाषाणवेष्टनी के ऊपर जो चित्र उल्कीर्ण हैं, उनमें ज्ञातक पंथों की कथाओं की प्रधानता है, और ये उल्कीर्ण चित्र मौर्यकाल की कला के अत्युत्कृष्ट उदाहरण हैं।

बरहुत के स्तूप में सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे आले बने हुए थे। उत्सव के अवसरों पर इनमें दीपक जलाये जाते थे। वर्तमान समय में यह स्तूप प्रायः नष्ट हो चुका है, और इसकी पाषाणवेष्टनी के बहुत से खंड कलकत्ता म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह ध्यान में रखना चाहिये, कि बरहुत के सब अवशेष मौर्यकाल के नहीं हैं। उनमें से कुछ शंग काल के तथा उसके भी बाद के हैं।

सारनाथ, साँची और बरहुत की पाषाणवेष्टनियों के सदृश ही अन्य वेष्टनियों और भी कई स्थानों से उपलब्ध हुई हैं। बोधगया में प्राप्त एक वेष्टनी के अवशेषों को अशोक के समय का समझा जाया है। प्राचीन पाटलीपुत्र के अवशेषों में भी कम

से कम तीन इस प्रकार की पाषाणवेष्टनियों के खंड प्राप्त हुए हैं, जो मौर्यकाल के हैं। साँची के समीप ही भीलसा के पास बेसनगर नामक स्थान पर इसी प्रकार की पाषाणवेष्टनी प्राप्त हुई है। इस पर भी नानाविध चित्र उत्कीर्ण हैं। इसे भी मौर्यकाल का माना जाता है। ये पाषाणवेष्टनियाँ कला की दृष्टि से बड़े महत्त्व की हैं। ये प्रायः एक पत्थर की ही बनी हुई हैं, और इनमें कहीं भी जोड़ नहीं है।

(६) वज्रशिला

उत्तरापथ की इस प्राचीन राजधानी के स्थान पर जो खुदाई पिछले दिनों में हुई है, उसमें बहुत सी पुरानी कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं। इनमें से केवल दो कृतियाँ मौर्यकाल की हैं। ये दोनों आभूषण हैं। वज्रशिला क्षेत्र के अंतर्गत भिड़ नामक स्थान से ये आभूषण प्राप्त हुए थे। मौर्यकाल के ये आभूषण बहुत ही सुंदर हैं। ये प्रकाश रत्नों से जटिल हैं, और सोने के बने हुए हैं।

नीलो यात्री ह्युनत्सांग ने वज्रशिला में जिस कुनाल स्तूप का अवलोकन किया था, वह भी अब वहाँ खुदाई में मिल गया है। पर अनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि वह स्तूप मौर्यकाल के बाद का है। जिस स्थान पर अशोक की दंतमुद्रा से अंकित कपटलेख के अनुसार कुनाल को अंश किया गया था, वहाँ के पुराने स्तूप को बड़ा कर बाद में बहुत विराल स्तूप का निर्माण किया गया। ह्युनत्सांग ने उसी स्तूप को देखा था, और वज्रशिला में अब जिस स्तूप के अवशेष मिले हैं, वह भी बाद का ही बना हुआ है।

(७) मौर्यकालीन मूर्तियाँ व अन्य अवशेष

मौर्यकाल की सब से प्रसिद्ध मूर्ति आगरा और मथुरा के

बीच में परस्वम नामक गाँव से मिली है। यह सात फीट ऊँची है, और भूरे बलुए परस्वर की बनी है। ऊपर बहुत ही सद्दर बजावट है। दुर्भाग्य से मूर्ति का मुँह टूट गया है और नुजायें भग्न हो गई हैं। मूर्ति के व्यक्ति की जो पोशाक बनाई गई है, उसमें मौर्यकालीन पहरावे का भलीभाँति अनुमान किया जा सकता है। यह मूर्ति अब मथुरा के न्यूजियम में विद्यमान है।

मौर्यकाल की एक अन्य मूर्ति बेसनगर से मिली है। यह मूर्ति किसी स्त्री की है। इसकी भी नुजायें टूटी हुई हैं और मुख निगड़ा हुआ है। मूर्ति की ऊँचाई ६ फीट ७ इंच है।

पटना और दीदरगंज से भी दो अन्य मूर्तियाँ मिली हैं, जो मौर्यकाल की मानी जाती हैं। ये परस्वम से प्राप्त मूर्ति से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं। कुछ ऐतिहासिकों ने इन्हें मौर्यों से भी पहले के शैशुना कालक का माना है।

अशोक के ऐसे स्तंभों का उल्लेख पहले हो चुका है, जिन पर उसके लेख उत्कीर्ण हैं। पर अशोक द्वारा स्थापित कराये हुए कुछ ऐसे स्तंभ भी मिले हैं, जिन पर कोई भी लेख नहीं है। ऐसा एक स्तंभ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बन्नीरा नामक स्थान पर मिला है। यह स्तंभ ऊँचाई में ४४ फीट २ इंच है। सारा स्तंभ एक ही पत्थर का बना है। यह बजन में चालीस टन के लगभग है, और इसके शिखर पर सिंह की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति बनाई है। ऐसा ही एक अन्य स्तंभ बिहार के चंपारन जिले में रामपुरवा नामक स्थान पर मिला है। इसके शिखर पर वृषभ की सुंदर मूर्ति है।

मौर्य काल के गुहाभवनों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। ये राजा अशोक और राजा दशरथ के समय के हैं। इनमें से सब से बड़ा गोपिका गुहाभवन है, जिसे दशरथ ने आजीवनक संप्रदान के साधुओं को दान किया था। इसकी लंबाई ४६

फीट ५ इंच, चौड़ाई १३ फीट २ इंच और ऊँचाई १० फीट ६ इंच है। पहला काट कर गुहामंदिर बनाने की कला ने भारत में धार्मिक चल कर बहुत उन्नति की। अजंठा और पञ्जोरा के गुहामंदिर इस कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। पर इसका प्रारंभ मौर्यकाल की गुहाओं से ही हुआ था।

दसवाँ अध्याय

मौर्यकाल की शासनव्यवस्था

(१) कौटिलीय अर्थशास्त्र

दसवीं सदी के प्रारंभ में मैसूर के प्रसिद्ध विद्वान श्री राम-शास्त्री ने आचार्य चाणक्य द्वारा विरचित अर्थशास्त्र को प्रकाशित किया । प्राचीन भारत में क्या शासनव्यवस्था थी, पुराने समय में भारतीयों के राजनीतिशास्त्र-संबंधी क्या विचार थे, उस समय के क्या कानून, व्यवहार व रिवाज थे, आर्थिक दशा क्या थी, इत्यादि सभ बातों का परिज्ञान प्राप्त करने के लिये यह ग्रंथ एक अमूल्य भंडार के समान है । इस ग्रंथरत्न की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान मंत्री और गुरु चाणक्य ने की, इसी लिये उसमें लिखा है—“जिसने बड़े अमर्ष के साथ शास्त्र का, शास्त्र का और नंदराज के हाथ में गई हुई पृथिवी का उद्धार किया, उसी ने इस शास्त्र की रचना की।” एक अन्य जगह लिखा गया है—‘सर्व शास्त्रों का अनुक्रम करके और प्रयोग समझकर कौटिल्य ने नरेन्द्र के लिये यह शासन की विधि (व्यवस्था) बनाई।’

पाटलीपुत्र के नंदराजाओं का विनाश कर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, यह हम पहले लिख चुके हैं । उसी चाणक्य ने नरेन्द्र चंद्रगुप्त के लिये शासनविधि का प्रतिपादन करने के निमित्त इस ग्रंथ की रचना की । चाणक्य के अनेक नाम थे । एक पुरानी पुस्तक के अनुसार वात्स्यायन, महानाग, कुटिल, चाणक्य, द्रमिष्ठ, पञ्जिलस्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल, आठ नाम इस आचार्य के थे । पुरानी अनेक पुस्तकों में अर्थ-

शास्त्र के कर्तारूप में चाणक्य का उल्लेख किया गया है। कामन्दकीविसार में चाणक्य द्वारा विरचित अर्थशास्त्र की खोज है। बृहो कवि ने दशकुमारचरित में आचार्य विष्णुगुप्त (चाणक्य) द्वारा बनाये गये ६००० श्लोकों वाले अर्थशास्त्र की बात लिखी है। पंचतंत्र, नीतिशास्त्रामृत आदि पुस्तकों में भी अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध पंडित इस आचार्य का उल्लेख आता है। टीकाकार माझिनाथ ने अपनी टीकाओं में 'इति कौटिल्यः' लिख कर अर्थशास्त्र से उद्धरण दिये हैं।

पेतिहासिकों में इस बात पर बहुत विवाद रहा है, कि अर्थशास्त्र की रचना किसी एक विद्वान द्वारा हुई या वह एक संप्रदाय में धीरे-धीरे बहुत समय तक विकसित होता रहा। क्या यह मौर्ययुग में चाणक्य द्वारा बनाया गया या बाद में चाणक्य के भवत्वों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति ने इसकी रचना की? हमें इस विवाद में यहाँ पड़ने की आवश्यकता नहीं। अब प्रायः विद्वानों ने यह स्वीकृत कर लिया है, कि कौटिलीय अर्थशास्त्र मौर्यकाल की ही रचना है, और उसका निर्माण आचार्य चाणक्य द्वारा नरेन्द्र चंद्रगुप्त के शासन की 'विधि' के रूप में ही हुआ था। यदि इसके कुछ अंशों को बाद का भी बना हुआ माना जाय, तो भी इसमें तो कोई संदेह नहीं, कि इस ग्रंथ से हमें मौर्यकाल की शासनव्यवस्था, आर्थिक दशा और सामाजिक व्यवहार के संबंध में बहुत सी ज्ञातव्य बातें मालूम हो जाती हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम मौर्यकालीन भारत के विषय में जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वह प्राचीन भारत के किसी अन्य काल के संबंध में किसी भी अन्य साधन से प्राप्त नहीं की जा सकती।

(२) साम्राज्य का शासन

मौर्यों के समय में मगध का साम्राज्य बहुत विस्तृत हो चुका

था। यद्यपि संपूर्ण साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र थी, पर वहाँ से कंबोज, बंग और आंध्र तक विस्तृत साम्राज्य का शासन सुचारु रूप से नहीं किया जा सकता था। अतः शासन की दृष्टि में मौर्यों के अधीन संपूर्ण 'विजित' को पाँच भागों में बाँटा गया था, जिनकी राजधानियाँ क्रमशः पाटलीपुत्र, तोसाली, उज्जैनी, तक्षशिला और सुवर्णगिरि थीं। इन राजधानियों को निगाह में रख कर हम यह सहज में अनुमान कर सकते हैं कि विशाल मौर्य साम्राज्य पाँच चक्रों में विभक्त था। ये चक्र (प्रांत या सूबे) निम्नलिखित थे—(१) उत्तरापथ, जिसमें कंबोज, गांधार, काश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब आदि के प्रदेश अंतर्गत थे। इस की राजधानी तक्षशिला थी। (२) पश्चिम चक्र—इसमें काठियावाड़-गुजरात से लगाकर राजपूताना, मालवा आदि के सब प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। (३) दक्षिण-आपथ—विन्ध्यचल के नीचे का सारा प्रदेश इस चक्र में था, राजधानी सुवर्णगिरि थी। (४) कलिंग—अशोक ने अपने नये जीते हुए प्रदेश को एक बृहद् चक्र बनाया था, जिसकी राजधानी तोसाली थी। (५) मध्यदेश—इसमें वर्तमान बिहार संयुक्तप्रांत और बंगाल सम्मिलित थे। इसकी राजधानी पाटलीपुत्र थी। इन पाँचों चक्रों का शासन करने के लिये प्रायः राजकुल के व्यक्तियों को नियत किया जाता था, जिन्हें कुमार कहते थे। कुमार महामात्यों की सहायता से अपने-अपने चक्र का शासन करते थे। अशोक और कुनाल राजा बनने से पूर्व उज्जैनी, तक्षशिला आदि में 'कुमार' रह चुके थे। इन पाँच चक्रों के नीचे फिर अनेक छोटे शासनकेंद्र भी थे, जिनमें 'कुमार' के अधीन महामात्य शासन करते थे। उदाहरण के लिये तोसाली के अधीन सम्राट में, पाटलीपुत्र के अधीन कौशांबी में और सुवर्णगिरि के अधीन इक्षिला में महामात्य रहते थे। उज्जैनी के अधीन

सुराष्ट्र का एक पृथक् प्रदेश था, जिसका शासक चंद्रगुप्त के समय में वैश्य पुण्यगुप्त था। अशोक के समय में वहाँ का शासन यवन सुपात्य के अधीन था। मागध सम्राट की ओर से जो आज्ञायें प्रचारित की जाती थीं, वे चकों के 'कुमारों' के महामात्यों के नाम ही होती थीं। यही कारण है, कि दक्षिणापथ में इस्लाम के महामात्यों के नाम अशोक ने जो आदेश भेजे, वे सुवर्णगिरि के कुमार व आर्यपुत्र के द्वारा भेजे। इसी प्रकार कलिंग में समापा के महामात्यों को चोसाला के कुमार को माकृत ही आज्ञा भेजी गई। पर मध्यदेश (राजधानी पाटलीपुत्र) के चक्र पर किसी कुमार की नियुक्ति नहीं होती थी, उसका शासन सीधा सम्राट के अधीन था। अतः उसके अंतर्गत कौशांबी के महामात्यों को अशोक ने सीधे ही अपने आदेश दिये थे।

चकों के शासन के लिये कुमार की सहायतायें जो महामात्य नियुक्त होते थे उन्हें शासन-संबंधी बहुत अधिकार रहते थे। अतएव अशोक ने चकों के शासकों के नाम जो आज्ञायें प्रकाशित कीं, उन्हें केवल कुमार या आर्यपुत्र के नाम से नहीं भेजा गया, अपितु कुमार और महामात्य—दोनों के नाम से प्रेषित किया गया। इसी प्रकार जब कुमार भी अपने अधीनस्थ महामात्यों को कोई आज्ञा भेजते थे, तो उन्हें वे अपने नाम से नहीं। अपितु महामात्य सहित कुमार के नाम से भेजते थे।

सीर्य साम्राज्य के पहले पाँच बड़े विभाग थे, और फिर वे चक्र अनेक मंडलों में विभक्त थे। प्रत्येक मंडल में बहुत से जनपद होते थे। संभवतः, ये जनपद प्राचीन युग के जनपदों के प्रतिनिधि थे। शासन की दृष्टि से फिर जनपदों के विविध विभाग होते थे, जिन्हें कौटलीय अर्थशास्त्र में स्थानीय, डोस-सुख, स्वाधेष्टिक, संप्रहण और धाम कहा गया है। शासन की सबसे छोटी इकाई धाम थी। दस धामों के समूह को संप्रहण

कहते थे। बीस संधहसों (या २०० ग्रामों) से एक स्वार्धटिक बनता था। दो स्वार्धटिकों (या ४०० ग्रामों) से एक द्रोणमुख और दो द्रोणमुखों (८०० ग्रामों) से एक स्थानीय बनता था। संभवतः स्थानीय, द्रोणमुख और स्वार्धटिक शासन की दृष्टि से एक ही विभाग को सूचित करते हैं। जनपद शासन के लिये जिन विभागों में विभक्त होता था, उन्हें स्थानीय (संभवतः, वर्तमान समय का ग्राम) कहते थे। स्थानीय के हिस्सों को संधहस कहते थे। एक संधहस में प्रायः इस ग्राम रहते थे। स्थानीय में लगभग २०० ग्राम हुआ करते थे। पर कुछ स्थानीय आकार में छोटे होते थे, या कुछ प्रदेशों में आबादी घनी न होने के कारण 'स्थानीय' में गाँवों की संख्या कम रहती थी। ऐसे ही स्थानों को द्रोणमुख या स्वार्धटिक कहा गया था।

ग्राम का शासक ग्रामिक, संधहस का गोप और स्थानीय का स्थानिक कहलाता था। संपूर्ण जनपद के शासक को समाहर्ता कहते थे। समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते थे, जो चक्रों के अंतर्गत विविध मंडलों का शासन करने के लिये केंद्रीय सरकार की ओर से नियुक्त होते थे। इन मंडलमहामात्यों के ऊपर कुमार और उसके शासक महामात्य रहते थे। सब से ऊपर पाटलीपुत्र का मौर्य सम्राट् था।

सम्राट् की शासनकार्य में सहायता करने के लिये एक मंत्रिपरिषद् होती थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र में इस मंत्रिपरिषद् का विस्तार से बर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेखों में भी उसकी परिषद् का बार-बार उल्लेख है। चक्रों के शासक कुमार भी जिन महामात्यों की सहायता से शासनकार्य करते थे, उनकी एक परिषद् ही रहती थी। केंद्रीय सरकार की ओर से जो राजकर्मचारी साम्राज्य में शासन के विविध पदों पर नियुक्त थे, उन्हें 'पुरुष' कहते थे। ये पुरुष उत्तम, मध्यम और छोटे—इन तीन दर्जों के

होते थे। जनपदों के समूहों (मंडलों) के ऊपर शासन करने वाले महामात्यों की संज्ञा संभवतः प्रादेशिक या प्रदेशीय थी। उनके अधीन जनपदों के शासक समाहर्ता कहलाते थे। निःसंदेह, ये उत्तम 'पुरुष' होते थे। इनके अधीन 'युक्त' आदि विविध कर्मचारी मध्यम व हीन दर्जे में रखे जाते थे।

जनपदों के शासन का संचालन करने के लिये जहाँ केंद्रीय सरकार की तरफ से समाहर्ता नियत थे, वहाँ जनपदों की अपना आंतरिक स्वतंत्रता भी अचूक रूप से कायम थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र में चार-चार इस बात पर जोर दिया गया है, कि जनपदों, नगरों वा ग्रामों के धर्म, चरित्र और व्यवहार को अचूक रखा जाय। इसका अभिप्राय यह हुआ, कि इनमें अपना स्वामीय शासन पुरानों परंपरा के अनुसार जारी था। सब जनपदों में एक ही प्रकार की स्वामीय स्वतंत्रता नहीं थी। हम जानते हैं, कि मगध साम्राज्य के विकास से पूर्व कुछ जनपदों में गणशासन और कुछ में राजाओं का शासन था। उनके व्यवहार और धर्म अलग-अलग थे। जब वे मगध के साम्राज्यवाद के शिकार हो गये, तो भी उनमें अपनी पुरानों परंपरा के अनुसार स्वामीय शासन जारी रहा। पर ग्रामों में पुरानी ग्रामसभा (पंचायत) और नगरों में नगरसभा (पीर सभा) के अधिकार कायम रहे। ग्रामों के समूहों जनपदों में भी जनपदसभा की सत्ता विद्यमान रही। पर केंद्रीय सरकार की तरफ से भी विविध कर्मों को एकत्र करने तथा शासन का संचालन करने के लिये 'पुरुष' नियुक्त होते रहे।

मौर्य साम्राज्य के शासन का यही स्थूल ढाँचा है। अब हम इसका अधिक विस्तार से विवरण करेंगे।

(३) विजिगीषु रामर्षि सम्राट्

विविध जनपदों और गणराज्यों को जीतकर जिस विशाल मागध साम्राज्य का निर्माण हुआ था, उसका केन्द्र राजा या सम्राट् था। चाणक्य के अनुसार राज्य के सात अंगों में सेबल दो ही की मुख्यता है, राजा और देश की। प्राचीन परंपरा के अनुसार राज्य के सात अंग होते थे—राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। पुराने युग में जब छोटे-छोटे जनपद होते थे, उनमें एक ही जन का निवास होता था, तो राजा की उनमें विशेष महत्ता नहीं होती थी। इसीलिये आचार्य भारद्वाज की दृष्टि में राजा की अपेक्षा अमात्य को अधिक महत्ता थी। अन्य आचार्यों की दृष्टि में अमात्य की अपेक्षा भी जनपद का या दुर्ग व कोश आदि का महत्त्व अधिक था। एक जन के निवासस्थान, प्राचीन काल के जनपदों में राजा की अपेक्षा अन्य अंगों व तत्त्वों की प्रमुखता सर्वथा स्वाभाविक थी। जनपदों को जीतकर जिन साम्राज्यों का निर्माण हो रहा था, उनका केन्द्र राजा ही था, वे एक महाप्रतापी महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति की ही कृति थे। वही ने कोष, सेना, दुर्ग आदि का संगठन कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। कौटिल्य के शब्दों में 'मंत्रि, पुरोहित आदि भूत्ववर्ग की और राज्य के विविध अध्यक्षों व अमात्यों की नियुक्ति राजा ही करता है। राजपुरुषों में, कोष व जनता में यदि कोई विपत्ति आ जाय, तो उसका प्रतीकार राजा द्वारा ही होता है। इनकी उन्नति भी राजा के हाथ में है। यदि अमात्य ठीक न हो, तो राजा इन्हें हटा कर नये अमात्यों को नियुक्ति करता है। पूज्य लोगों की पूजा कर व दुष्ट लोगों का दमन कर राजा ही सब का कल्याण करता है। यदि राजा संपन्न हो, तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी संपन्न होती है। राजा

का जो शील हो, वही शील प्रजा का भी होता है। यदि राजा वधमी व अस्थानशील हो, तो प्रजा भी अस्थानशील होती है। यदि राजा प्रमादा हो, तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अतः राज्य में कूटस्थानीय (केंद्रीभूत) राजा ही है।

जब साम्राज्यों में राजा का इतना महत्व है, तो राजा को भी एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिये। कोई साधारण पुरुष राज्य का कूटस्थानीय नहीं हो सकता। चाणक्य के अनुसार राजा में निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं। वह ऊँचे कुल का हो, उसमें वैबी बुद्धि और वैबी शक्ति हो, वृद्ध (Elders) जनों की बात को सुनने वाला हो, धार्मिक हो, सत्य भाषण करने वाला हो, परस्पर विरोधी बातें न करे, कृतज्ञ हो, उसका लक्ष्य बहुत ऊँचा हो, उसमें उत्साह अत्यधिक हो दीर्घसूत्री न हो, सामंत राजाओं को अपने धरा में रखने में समर्थ हो, उसकी बुद्धि दृढ़ हो, उसकी परिषद् छोटी न हो और वह विनय (नियंत्रण) का पालन करने वाला हो। इन के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से गुणों का चाणक्य ने विस्तार से वर्णन किया है, जो राजा में आवश्यक होने चाहिये। राजा की बुद्धि बहुत तीव्र होनी चाहिये। स्मरण-शक्ति, बुद्धि, और बल की उसमें अतिशयता होनी चाहिये। वह अत्यंत उग्र, अपने ऊपर काय रखने वाला, सब शिल्पों में निपुण, सब दोषों से रहित और दूरदर्शी होना चाहिये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चपलता आदि पर उसे पूरा काय होना चाहिये।

चाणक्य इस पाठ को भली-भाँति समझता था, कि इस प्रकार का आदर्श पुरुष सुगमता से नहीं मिल सकता। पर शिक्षा और विनय से ये गुण उत्पन्न किये जा सकते हैं। यदि एक कुलीन और हौनहार व्यक्ति को बचपन से ही उचित शिक्षा दी जाय, तो उसे एक आदर्श राजा बनने के लिये तैयार किया जा सकता है। चाणक्य ने उस शिक्षा और विनय का विस्तार से वर्णन

किया है, जो वचपन और युवावस्था में राजा को दी जानी चाहिये। राजा के लिये आवश्यक है, कि वह काम, क्रोध, लोभ मोह, मद और हर्ष—इन छः पापुओं को परास्त कर अपनी इंद्रियों पर पूर्णतया विजय करे। उसके समय का एक-एक क्षण काम में लगा हो। दिन में तो उसे बिलकुल ही विश्राम नहीं करना चाहिये। रात को भी उसे तीन घण्टे से अधिक सोने की आवश्यकता नहीं। रात और दिन में उसके सारे समय का पूरा कार्य-कर्म चाणक्य ने दिया है। भोग-विलास, नाच-रंग आदि के लिये कोई भी समय इसमें नहीं दिया गया। चाणक्य का राजा एक राजर्षि है, जो सर्वगुणसंपन्न आदर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा है। वह संपूर्ण जनपदों को विजय कर अपने अधीन करने के लिये प्रयत्नशील है। चातुरंत साम्राज्य की कल्पना को उसे कार्यरूप में परिणत करना है। उसका मतलब है कि 'सारी पृथिवी एक देश है। उसमें हिमालय से लेकर समुद्रपर्यन्त सीधी रेखा खींचने से जो एक हजार योजन लम्बा प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती राजा का क्षेत्र है।' हिमालय से समुद्र तक फैली हुई एक हजार योजन लम्बी जो यह भारत भूमि (देश) है, वह सब एक चक्रवर्ती राजा के अधीन-होनी चाहिये, इस स्वप्न को जिस व्यक्ति को 'कूटस्थानीय' होकर पूरा करना हो, वह यदि सर्वगुणसंपन्न न हो, राजर्षि का जीवन न व्यतीत करे, और काम-क्रोध आदि रात्रियों का शिकार हो, तो वह कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है? अतः कौटिलीय अर्थ-शास्त्र के विजिगीषु राजा को पूर्ण पुरुष हो कर राजर्षि का जीवन व्यतीत करते हुए अपना कार्य करना चाहिये।

मगध ने जिस प्रकार के साम्राज्य का विकास किया था, उसकी सफलता के लिये अवश्य ही राजा को अनुपम शक्तिशाली और गुणसंपन्न होना चाहिये था। निःसंदेह, मगध साम्राज्य

के शासन में राजा ही 'कूटस्थानीय' होता था। वही कारण है, कि यदि कोई राजा निर्बल या अयोग्य हुआ, तो उसके विरुद्ध विद्रोह उठ खड़े होते थे, और साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगती थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर आचार्य चाणक्य ने राजा के वैयक्तिक गुणों पर अत्यधिक बल दिया है।

कूटस्थानीय एकराट्ट राजा की वैयक्तिक रक्षा इस युग में एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। गुप्त राजाओं से राजा की रक्षा करने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र में बड़े विस्तार से उपायों का वर्णन किया गया है। अपने शयनागार में राजमहिषी के पास जाने हुए भी राजा निश्चित नहीं हो सकता था। शीघ्रा के नीचे कोई शत्रु तो नहीं छिपा है, कहीं रानी ने ही अपने केशों में या पखों में कोई अस्त्र या विष तो नहीं छिपा लिया है, इन सब बातों का भलीभाँति ध्यान रखा जाता था।

(४) मंत्रिपरिषद्

आचार्य चाणक्य के अनुसार राजवृत्ति तीन प्रकार की होती है—प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय। जो अपने सामने हो, वह प्रत्यक्ष है। जो दूसरे बतावे, वह परोक्ष है। किये हुए कर्म से, बिना किये का अंदाज करना अनुमेय कहलाता है। सब काम एक साथ नहीं होते। राजकर्म बहुत से होते हैं और बहुत से स्थानों पर होते हैं। अतः एक राजा सारे राजकर्म अपने आप नहीं कर सकता। इस लिये उसे अमात्यों की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है। इसीलिये वह भी आवश्यक है, कि मंत्री नियुक्त किये जाँय, जो परोक्ष और अनुमेय राजकर्मों के संबंध में राजा को परामर्श देते रहें। राज्यकार्य सहायता के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। एक बहिये से राजा की माफ़ी नहीं चल सकती, इस लिये राजा मन्त्रियों की नियुक्ति करे, और उनकी समझति को

सुने। अच्छी बड़ी मंत्रिपरिषद् को रखना राजा के अपने लाभ के लिये है, इससे उसकी अपनी 'मंत्रशक्ति' बढ़ती है। परिषद् में कितने मंत्री हों, इस विषय में विविध आचार्यों के विविध मत थे। मानव, चाहेभस्व, श्रीशानस आदि राजशास्त्र के संप्रदायों के मत में मंत्रिपरिषद् में कमशः बारह, सोलह और बीस मंत्री होने चाहिये। पर चाणक्य किसी निश्चित संख्या के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था, कि जितनी सामर्थ्य हो, जितनी आवश्यकता हो, उतने ही मंत्रीपरिषद् में रख लिये जाय।

मंत्रिपरिषद् का कार्य सर्वथा गुप्त हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। चाणक्य के अनुसार इसके लिये ऐसा स्थान चुनना चाहिये, जहाँ पक्षियों तक की भी दृष्टि न पड़े, जहाँ से कोई भी बात बाहर का आदमी न सुन सके। सुनते हैं, कि शुक, सारिका, कुरो आदि जीव-जन्तुओं तक से मंत्र का भेद सुलभ गया। इसलिये मंत्ररक्षा का पूरा प्रबंध किये बिना इस कार्य में कभी प्रवृत्त न हो। यदि कोई मंत्र का भेद खोले, तो उसे जान से मार दे।

बहुत गुप्त बातों पर राजा मंत्रिपरिषद् में सलाह नहीं करते थे, वे एक-एक मंत्री से अलग-अलग परामर्श करते थे, और इस संबन्ध में चाणक्य का यह आदेश था, कि जिस बात पर सलाह लेनी हो, उससे उलट्टी बात इशारे से पूछी जाय, ताकि किसी मंत्री को यह न भाखूम पड़े कि राजा के मन में क्या योजना है, और यह वस्तुतः किस बात पर सलाह लेना चाहता है।

बड़ी मंत्रिपरिषद् के अतिरिक्त एक छोटी उपसमिति भी होती थी, जिसमें तीन या चार खास मंत्री रहते थे। इसे 'मंत्रिणः' कहा जाता था। जल्दरी मामलों पर इसकी सलाह ली जाती थी। राजा प्रायः अपने 'मंत्रिणः' और 'मंत्रिपरिषद्' के परामर्श से ही राज्यकार्य का संचालन करता था। यह भलीभाँति

समझता था, कि मंत्रसिद्धि अकेले से कभी नहीं हो सकती। जो बात मालूम नहीं है, उसे मालूम करना, जो मालूम है, उसका निश्चय करना, जिस बात में दुविधा है, उसके संशय को सफ़ट करना, और जो बात केवल आंशिक रूप से मालूम है, उसे पूर्णता में जानना, यह सब कुछ मंत्रिपरिषद् में मंत्र द्वारा ही हो सकता है। अतः जो लोग बुद्धिबृद्ध हों, उन्हें सचिव या मंत्री बनाकर उनसे सलाह लेनी चाहिये। मंत्रिपरिषद् में जो बात भूविषट (अधिक संख्या के) कहें, उसी के अनुसार कार्य करना उचित है। पर यदि राजा को भूविषट की बात 'कार्यसिद्धिकर' प्रतीत न हो, तो उसे उचित है, कि वह उसी सलाह को माने, जो उसकी दृष्टि में कार्यसिद्धिकर हो। जो मंत्री उपस्थित न हों, उनकी सम्मति पत्र द्वारा भी ली जाय। मंत्रिपरिषद् में केवल ऐसे ही व्यक्तियों को नियत किया जाय, जो 'सर्वोपना शुद्ध' हों, अर्थात् सब प्रकार से परीक्षा करके जिनके विषय में यह निश्चय हो जाय, कि वे सब प्रकार के दोषों। निर्बलताओं से विरहित हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मौर्यकाल में मगध के राजा राज्यकार्य में परामर्श लेने के लिये मंत्रिपरिषद् रखते थे। अशोक के शिलालेखों में जिसे 'परिषा' कहा है, वही फौदलीय अर्थशास्त्र की मंत्रिपरिषद् है। पर इस परिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति न तो निर्वाचन से होती थी और न इसके कोई कुल-कमानुगत सदस्य होते थे। परिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति राजा अपनी स्वेच्छा से करता था। जिन अमात्यों व अन्य व्यक्तियों को वह 'सर्वोपना शुद्ध' पाता था, उनमें से कुछ को आवश्यकतानुसार मंत्रिपरिषद् में नियुक्त कर लेता था। प्रायः राजा मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करता था, पर यदि वह उनके मत को कार्यसिद्धिकर न समझे, तो अपनी इच्छा-

नुसार भी कार्य कर सकता था। मागध साम्राज्य में केंद्रीभूत कूट-स्थानोच्च स्थिति राजा की ही थी। देश और प्रजा की उन्नति या अवनति उसी के हाथ में थी, अतः उसके मार्ग में मंत्रिपरिषद् बाधा नहीं डाल सकती थी। पर यदि राजा कुपथगामी हो जाय, राज्यकार्य की सर्वथा उपेक्षा कर ऐसे कार्यों में लग जाय, जिनसे प्रजा का अहित हो, तो प्रकृतियों (मंत्रियों और अमात्यों) को यह अधिकार अवरुध था, कि वे उसके विरुद्ध उठ खड़े हों और उसे बलान् ठीक मार्ग पर जाने का प्रयत्न करें। भारत की यह प्राचीन परंपरा थी। पुराने जनपदों में सभा, समिति या पौर-जानपद राजा को सन्मार्ग पर स्थिर रखने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। मागध साम्राज्य की मंत्रिपरिषद् तथापि राजा की अपनी कृति थी, तथापि वह प्राचीन परिपाटी के अनुसार राजा को सुपथ पर जाने के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करती थी। यही कारण है, कि जब अशोक ने बौद्ध संप्रदाय को अनुचित रूप से राज्यकोश से दान देने का विचार किया, तो यवराज संप्रति द्वारा अमात्यों ने उसे रुकवा दिया।

(५) जनता का शासन

पर यदि मागध साम्राज्य के शासन में कूटस्थानीय राजा का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था, और उसकी मंत्रिपरिषद् की इसी तरह से उसकी अपनी नियत की हुई सभा होती थी, तो क्या मागध राजाओं का शासन सर्वथा निरंकुश और श्वेच्छाचारी था ? क्या उस समय की जनता शासन में जरा भी हस्त नहीं रखती थी ? यह ठीक है, कि अपने बाहुबल और सैन्यशक्ति से विशाल साम्राज्य का निर्माण करने वाले मागध सम्राटों पर अंकुश रखने वाली कोई अन्य सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, और वे राजा ठीक प्रकार से प्रजा का पालन करें, इस बात की प्रेरणा

करने वाली शक्ति उनको अपनी योग्यता, अपनी महानुभावता और अपनी सर्वगुणसंपन्नता के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं थी, पर मगध साम्राज्य के शासन में जनता का बहुत बड़ा हाथ था। मगध साम्राज्य ने जिन विविध जनपदों को अपने अधीन किया था, उनके व्यवहार, धर्म और चरित्र सभी अलग-अलग थे। वे अपना शासन बहुत कुछ स्वयं ही करते थे। इस युग के शिल्पी और व्यवसायी जिन श्रेणियों में संगठित थे, वे अपना शासन स्वयं करती थीं। नगरों की प्रीरसभायें व्यापारियों के पूज और निगम तथा ग्रामों की ग्रामसभायें अपने आंतरिक मामलों में अब भी पूर्ण स्वतंत्र थीं। राजा लोग देश के प्राचीन परंपरागत राजधर्म का पालन करते थे, और अपने व्यवहार का निरन्तर उसी के अनुसार करते थे। यह धर्म और व्यवहार सनातन थे, राजा की स्वैच्छा पर निर्भर नहीं थे। इन्हीं सब का परिणाम था, कि पाटलीपुत्र में विजगीषु राजर्षि राजाओं के रहते हुए भी जनता अपना शासन अपने आप करती थी। इन सब बातों पर जरा अधिक विस्तार से प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

(क) जनपदों का शासन—मगध के साम्राज्यवाद ने धीरे-धीरे भारत के सभी पुराने जनपदों को अपने अधीन कर लिया था। पर इन जनपदों की पहले अपनी सभायें होती थीं, जिन्हें प्रीर जानपद कहते थे। जनपद की राजधानी की सभा को प्रीर और शेष प्रदेश की सभा को जानपद कहा जाता था। प्रत्येक जनपद के अपने धर्म, व्यवहार और चरित्र भी होते थे। मगध के सम्राटों ने इन विविध जनपदों को जीतकर इनकी आंतरिक स्वतंत्रता को कायम रखा। कौटिलीय अर्थशास्त्र में एक प्रकरण है, जिसका नाम 'लब्ध प्रथमनम्' है। इसमें यह वर्णन किया गया है, कि नये जीते हुए प्रदेश के साथ क्या व्यवहार किया जाय,

वसमें किस प्रकार शांति स्थापित की जाय। इसके अनुसार नये नीते हुए प्रदेश में राजा अपने को जनता का प्रिय बनाने का प्रयत्न करे। जनता के विरुद्ध आचरण करने वाले का विश्वास नहीं बन सकता, अतः राजा उनके समान ही अपना शील, वैश, भाषा और आचार बना ले। देश के देवताओं, समाजों, उत्सवों और विहारों का आदर करे। उनके धर्म, व्यवहार आदि का दल्लंघन न करे।

सब जनपदों के साथ एक सा चरताव नहीं किया जाता था, पुराने गणराज्य मगध के साम्राज्यविस्तार के मार्ग में घोर रुकावट थे। आचार्य चाणक्य की इनके संबंध में नीति यह थी, कि इन सब को दमन करके 'एकराज' की स्थापना की जाय। संघ या गणराज्यों को बरा में करने के लिये चाणक्य ने साम, दाम, दंड, भेद—सब प्रकार के उपायों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। इन उपायों में से बहुत से ऐसे भी हैं, जिन्हें नैतिक दृष्टि से शायद उचित न समझा जाय। शराव, चूत, फूट आदि सब प्रकार के उपायों का अवलंबन करके संपराज्यों का सर्वथा अंत कर दिया जाय, यही चाणक्य को अभिप्रेत था। पुराने बज्जि, शाक्य आदि गणों ने बढ़ते हुए साम्राज्यवाद के मार्ग में किस प्रकार रुकावटें उपस्थिति की थीं, उसी को दृष्टि में रखते हुए चाणक्य को गणराज्यों की सत्ता थिलकुल भी पसंद नहीं थी और उसने उनके संबंध में 'एकराज' नीति का उपदेश किया था। पर इन प्रकार के घोर उपायों से संघों को नष्ट करने के बाद भी उनके धर्म, व्यवहार और चरित्र का आदर किया जाता था, और इनमें पृथक् होने की अनुमति विश्वमान रहती थी। इसी कारण मगध के साम्राज्यवादी सम्राट् गणों वा संघों का पृथक्-पृथक् कभी विनाश नहीं कर सके, और उनकी शक्ति के शिथिल होते ही थे फिर से स्वतंत्र हो गये।

जनपदों का शासन करने के लिये सम्राट् की तरफ से सम्राट् नामक राजपुरुष की नियुक्ति होती थी। पर यह जनपद के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। पर आंतरिक स्वशासन की दृष्टि से सब जनपदों की स्थिति एक समान नहीं थी। मौर्यों से पहले भी अश्वति, कोशल, वत्स आदि के राजाओं ने बहुत से जनपदों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। मगध के भी शिशुनाक, नंद आदि वंशों के राजा अपने साम्राज्य का बहुत कुछ विस्तार करने में सफल हुए थे। इनमें से अनेक राजा 'अधार्मिक' भी थे, और उन्होंने प्राचीन आर्यमर्यादा के विपरीत अपने जीते हुए जनपदों की आंतरिक स्वतंत्रता का भी विनाश किया था। जो जनपद देर से मगध साम्राज्य के अधीन थे, उनकी अपेक्षा नये जीते हुए जनपदों का पूर्वक उपस्थित अधिक सुरक्षित था। यही कारण है, कि मौर्य साम्राज्य की शक्ति के शिथिल होने पर सब से पहले यही कलिंग, आंध्र आदि जनपद मगध की अधीनता से विमुक्त हो गये।

(ख) नगरों का शासन—मौर्यकाल में नगरों में स्थानीय स्वशासन की क्या दशा थी, इसका सबसे अच्छा परिचय मैगस्थनीज के यात्राविवरण से मिलता है। मैगस्थनीज ने पाटलीपुत्र के नगरशासन का विस्तार से वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलीपुत्र की नगर सभा छः उपसमितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उपसमिति के पाँच-पाँच सदस्य होते थे। इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित थे।

पहली उपसमिति का कार्य औद्योगिक तथा शिल्पसंबंधी कार्यों का निरीक्षण करना था। मजदूरी की दर निर्धारित करना तथा इस बात पर विशेष ध्यान देना कि शिल्पी लोग शुद्ध तथा पक्का माल काम में लाते हैं, और मजदूरों के कार्य का समय तय करना इसी उपसमिति का कार्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय

में शिल्पी लोगों का समाज में बड़ा आदर था। प्रत्येक शिल्पी राष्ट्र की सेवा में नियुक्त माना जाता था। यही कारण है, कि यदि कोई मनुष्य किसी शिल्पी के ऐसे अंग को विकल कर दे, जिससे कि उसके हस्तकीराल में न्यूनता आ जावे, तो उसे मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था थी।

दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियों का सत्कार करना था। इस समय जो काम विदेशों के दूतमंडल करते हैं, उनमें से अनेक कार्य यह समिति किया करती थी। जो विदेशी पाटली-पुत्र में आवें उन पर यह उपसमिति बड़ी निगाह रखती थी। साथ में, विदेशियों के निवास, सुरक्षा और समय-समय पर औषधोपचार का कार्य भी इस उपसमिति के सुपुर्द था। यदि किसी विदेशी की पाटलीपुत्र में मृत्यु हो गई, तो उसे उस देश के रिवाज के अनुसार दफनाने का प्रबंध भी इसी की तरफ से होता था। मृत परदेशी की जायदाद व संपत्ति का प्रबंध भी यही उपसमिति करती थी।

तीसरी उपसमिति का काम मर्दमशुमारी करना होता था। मृत्यु और जन्म की सूची रखना इसी उपसमिति का कार्य था। कर लगाने के लिये यह सूची बड़ी उपयोगी होती थी।

चौथी उपसमिति ऋण-विक्रय के नियमों का निर्धारण करती थी। भार और माप के परिमाणों को निश्चित करना, व्यापारी अथवा उनका शुद्धता के साथ-साथ और सही-सही उपयोग करते हैं, इसका निरीक्षण करना इस उपसमिति का कार्य था। व्यापारी लोग जब किसी खास वस्तु को बेचने की अनुमति प्राप्त करना चाहते थे, तो इसी उपसमिति के पास आवेदनपत्र भेजते थे। ऐसी अनुमति देते समय यह उपसमिति अतिरिक्त धर भी वसूल करती थी।

पाँचवीं उपसमिति व्यापारियों पर इस बात के लिये कड़ा

निराकरण रखती थी, कि वे लोग नई और पुरानी वस्तुओं को मिला कर तो नहीं बेचते। नई और पुरानी चीजों को मिलाकर बेचना नियम के विरुद्ध था। इसको भङ्ग करने पर सजा दी जाती थी। यह नियम इस लिये बनाया गया था, क्योंकि पुरानी वस्तुओं का बाजार में बेचना कुछ विरोध व्यवस्थाओं को छोड़ कर सर्वथा निषिद्ध था।

छठवीं उपसमिति का कार्य कव-विक्रय पर टैक्स वसूल करना होता था। उस समय में यह नियम था, कि जो कोई वस्तु जिस कीमत पर बेची जाय, उसका दसवां भाग कर रूप में नगरसभा को दिया जाय। इस कर को न देने से कड़े दण्ड की व्यवस्था थी।

इस प्रकार छः उपसमितियों के पृथक्-पृथक् कार्यों का उल्लेख कर मैगस्थनीज ने लिखा है, कि "ये कार्य हैं, जो उपसमितियाँ पृथक् रूप से करती हैं। पर सामूहिक रूप में, जहाँ उपसमितियों को अपने-अपने विशेष कार्यों का खयाल करना होता है, वहाँ वे सब मिलकर सार्वजनिक या सर्वसाधारण हित के कार्यों पर भी ध्यान देती हैं। यथा, सार्वजनिक इमारतों को सुरक्षित रखना, उनकी मरम्मत का खयाल रखना, कौमियों को नियंत्रित करना, बाजार, बंदरगाह और मंदिरों पर ध्यान देना।"

मैगस्थनीज के इन विवरण से स्पष्ट है, कि मौर्य चंद्रगुप्त के शासन में पाटलीपुत्र का शासन तीस नागरिकों की एक सभा के हाथ में था। सभच्चव, यही प्रचीन पौरसभा थी। इस प्रकार की पौरसभायें वत्सशिला, उज्जैन आदि अन्य नगरियों में भी विद्यमान थीं। जब उत्तरापथ के विद्रोह को शांत करने के लिये कुमार कुनाल वत्सशिला गया था, तो वहाँ के 'पौर' ने उसका स्वागत किया था। अशोक के शिलालेखों में भी ऐसे निर्देश विद्यमान हैं, जिनसे सूचित होता है, कि उस समय के बड़े

नगरों में पौर सभा विद्यमान थी। जिस प्रकार मागध साम्राज्य के अंतर्गत विविध जनपदों में अपने परंपरागत धर्म, व्यवहार और चरित्र विद्यमान थे, उसी प्रकार पुरों व नगरों में भी थे। यही कारण है, कि नगरों के निवासी अपने नगरों के शासन में पर्याप्त अधिकार रखते थे।

(ग) ग्रामों का शासन—जनपदों में बहुत से ग्राम सम्मिलित होते थे, और प्रत्येक ग्राम शासन की दृष्टि से अपनी पृथक् व स्वतंत्र सत्ता रखता था। कौटलीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें इन ग्रामसंस्थाओं के संबंध में बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। प्रत्येक ग्राम का शासक पृथक्-पृथक् होता था, जिसे ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक ग्राम के अन्य निवासियों के साथ मिल कर अपराधियों को दंड देता था, और किसी व्यक्ति को ग्राम से बहिष्कृत भी कर सकता था। ग्राम की अपनी सार्वजनिक निधि भी होती थी। जो जुर्माने ग्रामिक द्वारा किये जाते थे, वे इसी निधि में जमा होते थे। ग्राम की तरफ से सार्वजनिक हित के अनेक कार्यों की व्यवस्था होती थी। लोगों के मनोरंजन के लिये विविध नमाशों (प्रेक्षाओं) की व्यवस्था की जाती थी, जिसमें सब ग्रामवासियों को हिस्सा बटाना होता था। जो लोग अपने सार्वजनिक कर्तव्य की उपेक्षा करते थे, उन पर जुर्माना किया जाता था। इससे यह सूचित होता है, कि ग्राम का अपना एक पृथक् संगठन भी उस युग में विद्यमान था। यह ग्रामसंस्था न्याय का भी कार्य करती थी। ग्राम सभाओं में बनाये गये नियम साम्राज्य के न्यायालयों में मान्य होते थे। अक्षुपटल के अभ्युदय के कामों में से एक यह भी था, कि वह ग्रामसंघ के धर्म, व्यवहार, चरित्र, संस्थान आदि को निबंध पुस्तकस्थ (रजिष्टर्ड) करे।

भारत की इन्हीं ग्रामसंस्थाओं के कारण वहाँ के निवासियों

की वास्तविक स्वतंत्रता सदा सुरक्षित रही है। इस देश की सर्वसाधारण जनता का बड़ा भाग सदा से ग्रामों में बसता रहा है। ग्राम के लोग अपने सुख व हित की अपने संघ में स्वयं व्यवस्था करते थे, अपने लिये स्वयं नियम बनाते थे और अपने मनोरंजन का भी स्वयं ही प्रबंध करते थे। इस दशा में साम्राज्य के अधिपति की निरंकुशता या एक सत्ता का उन पर विशेष असर नहीं होता था।

(घ) व्यवसायियों की श्रेणियाँ—मौर्यकाल के व्यवसायी और शिल्पी भाँगीयों (Guilds) में संगठित थे। ये श्रेणियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थीं, और अपने संघ में सम्मिलित शिल्पियों के जीवन व कार्य पर पूरा नियंत्रण रखती थीं। इनके नियम, व्यवहार और चरित्र आदि को भी राजा की सुरक्ष से स्वीकृत किया जाता था।

(ङ) धर्म और व्यवहार—मगध के मौर्य सम्राट् अपने साम्राज्य पर अपनी स्वेच्छा और निरंकुशता से शासन न कर धर्म और व्यवहार के अनुसार राज्य करते थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, कि जो राजा धर्म, व्यवहार, संस्था और न्याय के अनुसार अनुरासन करता है, वह चातुरंत पृथिवी को विजित कर लेता है। चाणक्य के विजगीषु के लिये यह आवश्यक है, कि वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजा न हो, अपितु धर्म, व्यवहार आदि के अनुसार ही शासन करे। अर्थशास्त्र में यह विचार विद्यमान है, कि राजा जनता से जो बड़वाँ भाग कर के रूप में लेता है, वह उसका एक प्रकार का वेतन है। इसके बदले में वह प्रजा के योग-श्रेम का संपादन करता है। राजा को धर्म और न्याय के अनुसार शासन करना है, यह विचार प्राचीन समय में इतना प्रबल था, कि आचार्य चाणक्य ने यह व्यवस्था की है कि यदि राजा किसी निरपराधी को दंड

वे दे, तो राजा को उससे तीस गुना दंड दिया जाय। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मौर्यकाल का राजा देश के कानून के अनुसार चलता था, और उसका शासन स्वेच्छाचारी न हो कर मर्यादित होता था।

जिस कानून के अनुसार वह शासन करता था उसके चार अंग होते थे धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। इनमें से पहिला पहले का वाक्य होता था। अभिप्राय यह है, कि यदि व्यवहार या चरित्र का राजशासन (राजा की आज्ञा) से विरोध हो, तो उसमें राजाता व्यवहार या चरित्र को काट देगी। धर्म के कानून थे जो सत्य पर आश्रित शाश्वत नियम हैं। व्यवहार का मिश्रण साक्षियों द्वारा किया जाता था। जो कानून पुराने समय से चले आते थे, उन्हें व्यवहार काते थे। कौन से नियम पुराने समय से चले आते हैं, इसका निर्णय साक्षियों द्वारा ही हो सकता था। चरित्र के कानून थे जो आम, धेनु, भेड़, आदि विविध समूहों में प्रचलित थे। इन सब से ऊपर राजा की आज्ञा थी पर मौर्यकाल के कानून में धर्म, व्यवहार और चरित्र की सुनिश्चित स्थिति का होना इस बात का प्रमाण है, कि राजा लोग अपने शासन में उन्हें काफ़ी महत्त्व देते थे और जनता की इच्छा या चरित्र की वे सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकते थे।

मगध के एकराट राजाओं को अपार शक्ति के बावजूद भी जनता की स्वतंत्रता ऊपर बख़्ते किये गये विविध रूपों में सुरक्षित थी, और मौर्य युग के भारतीय अनेक प्रकार से अपने साथ संबंध रखने वाले विषयों का संचालन स्वयं करते थे।

(६) केंद्रीय शासन का संगठन

कौटिलीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह भली-भाँति ज्ञात

होता है, कि भौतिककाल में विशाल मागध साम्राज्य का केंद्रीय संगठन किस प्रकार का था। शासन के विविध महकमों 'तीर्थ' कहलाने थे। इनकी संख्या अठारह होती थी। प्रत्येक तीर्थ एक महामात्य के अधीन रहता था। इन अठारह महामात्यों और उनके विविध कार्यों का संक्षेप से उल्लेख करना अत्यंत उपयोगी है:—

१. मंत्री और पुरोहित—ये दो अलग-अलग पद थे, पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आचार्य चाणक्य मंत्री और पुरोहित दोनों थे। बाद में राजागुप्त जैसे प्रतापी अमात्य भी संभवतः मंत्री और पुरोहित दोनों पदों पर रहे। कौटिलीय व्यवस्था में इन दोनों पदों का उल्लेख प्रायः साथ-साथ आया है। राजा इन्हीं के साथ मिलकर अन्य राजकर्मचारियों के शीघ्र-शीघ्र की परीक्षा लेता था, प्रजा की सम्मति जानने के लिये गुप्तचरों की नियत करता था, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति और परराष्ट्र-नीति का संचालन करता था। शिक्षा का कार्य भी इन्हीं के अधीन रहता था। राज्य के अन्य विभागों पर भी मंत्री और पुरोहित का निरीक्षण रहता था। राजा इन्हीं के परामर्श से अपने राज्यकार्य का संचालन करता था।

२. समाहर्ता—विविध जनपदों के शासन के लिये नियुक्त राजपुरुष को जहाँ समाहर्ता कहते थे, वहाँ सारे जनपदों के शासन का संचालन करने वाला विभाग (तीर्थ) भी समाहर्ता नामक अमात्य के अधीन था। राजकीय करों का एकत्रित करना इस विभाग का सर्वप्रधान कार्य था। समाहर्ता के अधीन अनेक अभ्यक्त होते थे, जो अपने-अपने विभाग के राजकीय करों को एकत्र करते थे, और व्यापार व्यवसाय आदि का संचालन करते थे। ऐसे कुछ अभ्यक्त निम्नलिखित हैं:—

(क) शुल्काध्यक्ष—विविध प्रकार के व्यापार से संबंध रखने वाले अनेकविध शुल्कों (करों) को एकत्र करना इसका कार्य था।

(ख) पौतषाध्यक्ष—तील और माप के परिमाणों पर नियंत्रण रखने वाले राजपुरुषों को पौतषाध्यक्ष कहते थे। इन परिमाणों को ठीक न रखने से यह जुर्माना वसूल करता था।

(ग) मानाध्यक्ष—देश और काल को मापने के विविध साधनों का नियंत्रण राज्य के अधीन था। यह कार्य मानाध्यक्ष के अधिकार में होता था।

(घ) सूत्राध्यक्ष—राज्य की तरफ से अनेक व्यवसाय बलांगे जाते थे। विद्यवा, विकलांग मनुष्य, अनाथ लड़की, भिखारी, राज्य के ऊँदों, वेश्याओं को वृद्ध माताएँ, वृद्ध राजदासी, देवदासी आदि के पालन-पोषण के लिये राज्य को ओर से उन्हें काम दिया जाता था। इन कार्यों में सूत्र काटना, कपड़ा बनाना, कपड़ा बुनना और रस्सी बनाना मुख्य थे। यह सब कार्य सूत्राध्यक्ष के हाथ में होता था।

(ङ) सीताध्यक्ष—कृषि-विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते थे। वह न केवल देश में कृषि की उन्नति पर ही ध्यान देता था, अपितु राजकीय भूमि पर दास, मजदूर आदि से खेती भी कराता था।

(च) सुराध्यक्ष—शराब का निर्माण तथा प्रयोग राज्य द्वारा नियंत्रित था। सुराध्यक्ष शराब बनवाता था, उसे विक्रवाने का प्रबंध करता था तथा उसके प्रयोग का नियंत्रण करता था।

(छ) सूनाध्यक्ष—इसका कार्य वृक्षइस्त्रानों का नियंत्रण था। वृक्षइस्त्रानों के संबंध में अनेक प्रकार के नियम होते थे। अनेक-विध पशुओं और पक्षियों की हत्या निषिद्ध थी। सूनाध्यक्ष न केवल देश के विविध वृक्षइस्त्रानों का नियंत्रण करता था, अपितु राजकीय सूना का सब प्रबंध भी करता था।

(ज) गणिकाध्यक्ष—गौरवकाल में बेशकाओं का प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से भी किया जाता था। संध, सामंत आदि को बरा में लाने के लिये गणिकायें प्रयुक्त की जाती थीं। अतः बहुत सी बेशकाएँ राज्य की ओर से भी रखी जाती थीं। इनके वेतन आदि सब निश्चित होते थे। राजा के स्नान, मर्दन, छत्रधारण, शिचिका, पीठिका, रथ आदि में साथ चलने आदि के लिये राज्य की ओर से बेशकाओं को रखा जाता था। यह सब विभाग गणिकाध्यक्ष के अधीन था। स्वतंत्र बेशकाओं का संपूर्ण प्रबंध तथा निरीक्षण भी इसी विभाग के कार्य थे।

(झ) मुद्राध्यक्ष—देश से बाहर जाने या जाने के लिये राजकीय मुद्रा प्राप्त करना आवश्यक होता था। यह कार्य मुद्राध्यक्ष के अधीन था।

(ञ) विवीताध्यक्ष—गोचर भूमियों का प्रबंध इस विभाग का कार्य था। चौर तथा हिंसक जंतु चरागाहों को मुक्तसात न पहुँचावे, वह प्रबंध करना जहाँ पशुओं के पीने का जल न उपलब्ध हो, वहाँ उसका प्रबंध करना और तालाब तथा कुएँ बनवाना इसी विभाग के कार्य थे। जंगल की सड़की धो दीख रखना, व्यापारियों के माल की रक्षा करना, काफिलों को डाकुओं से बचाना तथा शत्रुओं के हमलों की सूचना राजा को देना, यह सब कार्य विवीताध्यक्ष के सुपुर्द थे।

(ट) नावध्यक्ष—जलमार्गों का सब प्रबंध नावध्यक्ष के अधीन था। छोटी बड़ी नहरियाँ, समुद्रतटों तथा महासमुद्रों को पार करने वाली नौकाओं या जहाजों का बड़ी प्रबंध करता था। जलमार्ग से यात्रा करने पर क्या किराया लगे, वह सब नावध्यक्ष द्वारा ही तय होता था।

(ठ) गोऽध्यक्ष—राजकीय बाय तथा सैनिक दृष्टि से राज्य की ओर से गौशर्मा तथा अन्य उपयोगी पशुशर्मा की उत्पत्ति का विशेष

प्रयत्न होता था। राज्य की ओर से बड़ी-बड़ी गोशालायें भी होती थीं। यह सब प्रबंध गोज्यव्यय के अधीन था।

(ड) अरवाभ्यञ्ज—सैनिक दृष्टि से उस समय घोड़ों का बड़ा महत्त्व था। उनके पालन, नसल में उन्नति आदि पर राज्य की ओर से बहुत ध्यान दिया जाता था। घोड़ों को युद्ध के लिये तैयार करने के वास्ते अनेक प्रकार की कबायद कराई जाती थी। ये सब कार्य अरवाभ्यञ्ज के अधीन थे।

(द) हस्त्यभ्यञ्ज—यह जंगलों से हाथियों को पकड़वाने, हस्तिबन्तों की रक्षा करने तथा हाथियों के पालन और सैनिक दृष्टि से उन्हें तैयार करने पर ध्यान देता था। इसी तरह ऊट, खच्चर, भैंस, बकरी आदि के लिये भी पूवक उपायभाग थे।

(ए) कुष्याभ्यञ्ज—कुष्य पदार्थों का अभिप्राय शाक, महुआ, तिल, शीशम, खैर, शिरोष, देवदार, कन्धा, राल, ओषधि आदि से है। ये सब पदार्थ जंगलों में पैदा होते थे। कुष्याभ्यञ्ज का कार्य यह था, कि वह जंगलों में उत्पन्न होने वाले विविध पदार्थों को एकत्र कराके उन्हें कारखानों में भेज दे, ताकि वहाँ कल्पे माल को तैयार माल के रूप में परिवर्तित किया जा सके। कुष्याभ्यञ्ज के अधीन द्रव्यपाल और वनपाल नाम के कर्मचारी और होते थे, जो जंगलों से कुष्य द्रव्यों को एकत्र कराने तथा जंगलों की रक्षा का कार्य करते थे।

(व) पर्याभ्यञ्ज—यह न केवल स्वदेशी और विदेशी व्यापार का नियंत्रण करता था, अपितु राज्य द्वारा अधिकृत व निर्मित पदार्थों का बेचने का भी प्रबंध करता था।

(घ) लक्षणाभ्यञ्ज—संपूर्ण मुद्रापद्धति (करेंसों) इसके अधीन थी। मौर्ययुग का प्रधान सिक्का पण्ड कहलाता था, जो चाँदी का बना होता था। पण्ड के अतिरिक्त अर्धपण्ड, पादपण्ड तथा अष्टभागपण्ड नाम के सिक्के भी होते थे।

(द) आकराध्यक्ष—मौर्यकाल में आकरों (खानों) से वास्तुशिल्पों व अन्य बहुमूल्य पदार्थों को निकालने का कार्य बहुत उन्नत था। यह सब कार्य आकराध्यक्ष के अधीन रहता था। उसके नीचे अन्य अनेक उपाध्यक्ष होते थे, जिनमें लोहाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, खन्यध्यक्ष और सुवर्णाध्यक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

(ध) देवताध्यक्ष—विविध देवताओं व उनके मंदिरों का प्रबंध इसके अधीन रहता था।

(न) सौवर्णिक—एकसाल के अध्यक्ष को सौवर्णिक कहते थे।

ये बीस अध्यक्ष समाहर्ता के विभाग के अधीन होते थे। समाहर्ता राज्य का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थिति होता था, और जनपदों के शासन का संचालन बहुत कुछ उसके हाथ में रहता था।

३. सन्निधाता—राजकीय कोष का विभाग सन्निधाता के हाथ में रहता था। राजकीय आय और व्यय का हिसाब रखना और उसके संबंध में नीति का निर्धारण करना सन्निधाता का ही कार्य था। चाणक्य ने लिखा है—'सन्निधाता को सैकड़ों वर्ष की बाहरी तथा अंदरूनी आय-व्यय का परिज्ञान होना चाहिये, जिससे कि वह बिना किसी संकोच या धवराहट के सुरंत व्यवशेष (नेट इन्कम या सरजस) को बता सके।'

सन्निधाता के अधीन भी अनेक उपविभाग थे। चाणक्य ने उनका परिगणन इस प्रकार किया है—कोषगृह, पश्यगृह, कोष्ठागार, कुप्यगृह, आयुधागार और बंधनागार। कोषगृह के उपाध्यक्ष को कोषाध्यक्ष बरते थे। वह कोषगृह में सब प्रकार के रत्नों तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह करता था। चाणक्य के अनुसार 'कोषाध्यक्ष का कर्त्तव्य है, कि वह रत्नों के मूल्य, प्रमाण, लक्षण, जाति, रूप, प्रयोग, संशोधन, देश तथा काल के अनुसार उनका घिसना या नष्ट होना, मिलावट, हानि का प्रत्युपाय आदि बातों का परिज्ञान रखे।' पश्यगृह में राजकीय

पदार्थ (विज्ञेय पदार्थ) एकत्र किये जाते थे । राज्य की सरक से अनेक व्यवसायों का संचालन होता था, उनसे तैयार किये गये पदार्थ मन्त्रिघाता के अधीन पर्यगृह में भेज दिये जाते थे । कोष्ठागार में वे पदार्थ संगृहीत किये जाते थे, जिनकी राज्य को आवश्यकता रहती थी । सेना, राजपुरुष आदि के खर्च के लिये राज्य की ओर से जो माल खरीदा जाता था, भव्य बनाया जाता था या बदले में प्राप्त किया जाता था, वह सब कोष्ठागार में रखा जाता था । कुप्यगृह में कुप्य पदार्थ एकत्र होते थे । आभुषागार में सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का संग्रह रहता था । बंधनागार (जेलखाना) का विभाग भी मन्त्रिघाता के अधीन था । चाणक्य के अनुसार बंधनागार के सब कमरे सब ओर से सुरक्षित बनाये जाने चाहिये और स्त्री-पुरुष के रहने के लिये कमरे पूर्व-पृष्ठक बने होने चाहिये ।

४. सेनापति :- वह युद्धविभाग का महामात्य होता था । चाणक्य के अनुसार सेनापति संपूर्ण बलविद्या तथा अस्त्र-शास्त्रविद्या में पारंगत हो । हाथी, घोड़े तथा रथ के संचालन में समर्थ हो । वह चतुरंग (पदाति, अश्व, रथ, हस्ति) सेना के कार्य तथा स्वान का निरीक्षण करे । अपनी भूमि (मोरचा), युद्ध का समय, शत्रु की सेना, सुदृढ़ व्यूह का भेदन, टूटे हुए व्यूह का फिर से निर्माण एकत्रित सेना को वितर-वितर करना, वितर-वितर हुई सेना का संहार करना, किले को तोड़ना, युद्ध-यात्रा का समय आदि बातों का हर समय ध्यान रखे ।

५. वधराज :- राजा की मृत्यु के बाद वहाँ युवराज राज-राही का उत्तराधिकारी होता था, वहाँ राजा के जीवनकाल में भी वह शासन में हाथ बटाता था । उसका तीर्थ (विभाग) अलग था, और शासनसंबंधी अनेक अधिकार उसे प्राप्त रहते थे । राजा की अनुपस्थिति में वह शुभपाल (रीजेंट) का

कार्य करता था। वह सब कार्यों में राजा का हाथ बटाता और सहायता करता था।

६. प्रदेष्टा - मौर्यकाल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे, धर्मस्थीय और कंटकशोधन। इनके भेद पर हम बाद में प्रकाश दालेंगे। कंटकशोधन न्यायालयों के न्यायाधीश को प्रदेष्टा करते थे। विविध अपराधों और राजपुरुषों का नियंत्रण करना, ये वेईमानों, चोरी, रिश्वत आदि से पृथक् रहें, इसका ध्यान रखना भी प्रदेष्टा का कार्य था।

७. नायक—सेना के मुख्य संचालक को नायक कहते थे। सेनापति सैन्य विभाग का महामात्य होता था, पर नायक सेना का युद्धक्षेत्र में संचालन करता था। स्कंधाचार (शास्त्री) तैयार कराने का काम इसी के हाथ में था। युद्ध का अवसर आने पर विविध सैनिकों को क्या-क्या काम दिया जाय, सेना की उपह-रचना आदि कैसे की जाय - इन सब बातों का नियंत्रण नायक ही करता था।

८. व्यावहारिक—धर्मस्थीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को व्यावहारिक कहते थे। सारा न्यायविभाग व्यावहारिक के ही अधीन था।

९. कार्यांतिक—मौर्यकाल में राज्य की ओर से अनेक कारखानों का संचालन होता था। खानों, जंगलों, खेतों आदि से एकत्रित कच्चे माल को भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिये तैयार करने के लिये राज्य की ओर से जो विविध कारखाने थे, उनका संचालन कार्यांतिक के अधीन था। चाणक्य ने लिखा है, 'खानों से जो धातुएँ निकलें, उन्हें अपने-अपने कारखानों में भेज दिया जाय। जो माल तैयार हो, उसे बेचने का प्रबंध एक स्थान पर किया जाय। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले

क्रेता, विक्रेता तथा कर्ता (पक्का माल तैयार करने वाला) को दंड दिया जाय ।

१०. मंत्रिपरिषद् अध्यक्ष—राजा को सलाह देने के लिये मंत्रिपरिषद् होती थी, यह हम पहले लिख चुके हैं । उसका एक पृथक् विभाग होता था, जिसके अध्यक्ष की गिनती राज्य के प्रधान अठारह तीर्थों में की जाती थी ।

११. दंडपाल—सेना के दो महामात्यों, सेनापति और नायक का वल्लेख ऊपर हो चुका है । दंडपाल भी सेना के साथ ही संबंध रखता था । इसका विशेष कार्य सेना की सब आवश्यकताओं को पूरा करना और उसके लिये सब प्रबंध करना होता था ।

१२. अंतपाल—मागध साम्राज्य में सीमांत प्रदेशों का बड़ा महत्त्व था । सीमा की रक्षा के लिये बहुत से दुर्ग उस समय बनाये जाते थे । विदेशी सेना जब आक्रमण करके अपने राज्य की सीमा को लौंघने लगे, तो ये दुर्ग के बचाव के लिये बड़े उपयोगी होते थे । सीमाप्रदेश के रास्तों पर भी जगह-जगह छावनी डाली जाती थी । यह सब कार्य अंतपाल के सुपुर्क था । सीमाप्रांत में ऐसी भी अनेक जातियों को बसावा जाया था, जिन्हें लड़ाई में ही आनंद आता था और जिनका पेशा ही युद्ध करना होता था । इन्हें भूमि, दान और भेद से अपने पक्ष में रखा जाता था । शत्रु के आक्रमण करने पर ये सब जातियाँ उसका मुकाबला करने के लिये उठ खड़ी होती थीं । इनकी व्यवस्था भी अंतपाल के ही हाथ में थी ।

१३. दुर्गपाल—जिस प्रकार सीमा प्रदेशों के दुर्ग अंतपाल के अधीन थे, वैसे ही साम्राज्य के अंतर्बर्ती दुर्ग दुर्गपाल के अधिकार में रहते थे । उस युग में बड़े-बड़े नगर दुर्ग के रूप में ही बसे होते थे । पाटलीपुत्र के चारों ओर भी प्राचीर और खाई

थी। यही दशा अन्य बड़े नगरों की थी। इन सब की दुर्ग रूप में व्यवस्था दुर्गपाल के हाथ में होती थी।

१५. नागरक—जैसे जनपदों का शासन समाहता के अधीन था, वैसे ही पुरों या नगरों के शासन का सर्वोच्च अधिकारी नागरक होता। विशेषतया, राजधानी का शासन नागरक के हाथ में रहता था। साम्राज्य में राजधानी की विशेष महत्ता होती थी। पाटलीपुत्र उस युग में संसार का सबसे बड़ा नगर था। रोम और एथन्स की जनसंख्या का विस्तार पाटलीपुत्र की अपेक्षा बहुत कम था। ६ मील लंबे और ११ मील चौड़े इस विशाल नगर का प्रबंध एक पृथक मातामान्य के अधीन हो, यह उचित ही था।

१५. प्रशास्ता—वाणिक्य के अनुसार 'राजकीय लिखित आज्ञाओं पर शासन आश्रित होता है। संधि और विवाद का मूल राजकीय आज्ञायें ही हैं।' इन सब आज्ञाओं (राजशासन) को लिपिबद्ध करने के लिये एक पृथक् विभाग था, जिसके प्रधान अधिकारी को प्रशास्ता कहते थे। राज्य के अन्य सब विभागों का रिकार्ड रखना भी इसी का काम था। उसके अधीन जो विशाल कार्यालय होता था उसे 'अक्षपटल' कहते थे। राजकीय कर्मचारियों के वेतन, नौकरी की शर्तें, विविध देश, जनपद, ग्राम, धर्म आदि के धर्म, व्यवहार व चरित्र आदि का इस्तेमाल, खानों, कारखानों आदि के कार्य का हिसाब—ये सब अक्षपटल में भलीभाँति 'निबंध पुस्तक' किये जाते थे।

१६. दीवारिक—यह राजप्रासाद का प्रधान पदाधिकारी होता था। मागध साम्राज्य के कूटस्थानीय राजा का राजप्रासाद एक अत्यंत विशाल चौड थी, जिसमें हजारों की संख्या में स्त्री-पुरुष रहते थे। इन सब का प्रबंध करना, अंत:पुर के गुप्त आंतरिक राज्यों से राज्य की रक्षा करना दीवारिक का कार्य था।

१७. आंतर्वेशिक - राजा की निजी अंगरक्षक सेना के अश्वज को आंतर्वेशिक कहते थे। अंतःपुर के अंदर भी आंतर्वेशिक के बिरबरत सैनिक राजा की रक्षा के लिये सदा तत्पर रहते थे। जिस समय भी राजा रानी से मिलता था, वहाँ वह अकेला होता था। पर उस समय भी वह भलीभाँति देख लिया जाता था, कि रानी के शयनागार में कोई अन्य व्यक्ति शो छिपा हुआ नहीं है। वह परिचारिकायें रानी की भी अच्छी तरह बलाशी ले लेती थीं। वह सब प्रबंध आंतर्वेशिक के अधीन था।

१८. आटविक - भागध साम्राज्य की सेना में आटविक पल का बड़ा महत्व था। इसका उल्लेख अनेक बार पहले हो चुका है। भागध सम्राटों ने अपनी शक्ति के विस्तार में इन आटविक सेनाओं का भलीभाँति उपयोग किया था। इन्हीं के प्रधान राजकर्मचारों को आटविक या अटविपाल कहते थे और वह राज्य के अठारह वीथों में से एक माना जाता था।

(७) न्यायव्यवस्था

विशाल भागध साम्राज्य में न्याय के लिये अनेकविध न्यायालय होते थे। सब से छोटा न्यायालय ग्रामसंस्था (ग्रामसंघ) का होता था, जिसमें ग्राम के निवासी अपने मामलों का स्वयं निपटारा करते थे। इसके ऊपर संपहस का, फिर द्रोणमुख का और फिर जनपदसंघ के न्यायालय होते थे। इनके ऊपर पाटलीपुत्र में विद्यमान धर्मस्थाय और कंटकरोचन न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर राजा होता था, जो अनेक न्यायाधीशों की सहायता से किसी भी मामले का अंतिम निर्णय करने का अधिकार रखता था।

ग्रामसंघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त बीच के सब

न्यायालय धर्मस्थीय और कंटकरोधन, इन दो भागों में विभक्त रहते थे। धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाधीश धर्मस्थ या आचार्यारिक कहलाते थे और कंटकरोधन के प्रदेष्टा, इन दोनों प्रकार के न्यायालयों में कित-कित बातों के मामलों का फैसला होता था, इसकी विस्तृत सूची कौटिलीय अर्थशास्त्र में दी गई है। धर्मस्थीय में प्रधानतया निम्नलिखित मामले पेश होते थे—दो व्यक्तियों या व्यक्तिसमूहों के आपस के व्यवहार के मामले। आपस में जो 'समय' या कंट्रैक्ट हुआ हो, उस के मामले। स्वामी और भृत्य के झगड़े। दासों के झगड़े। श्रम को चुकाने के मामले। धन को अमानत पर रखने से पैदा हुए झगड़े। क्रय-विक्रय संबंधी मामले। दिए हुए दान को फिर ओटाने या प्रतिज्ञात दान को न देने का मामला। डाका चोरी या लूट के मुकदमे, किसी पर हमला करने का मामला। गाली, कुबचन या मानहानि के मामले। जुए संबंधी झगड़े। मलिकवत के सिवा ही किसी संपत्ति को घेब देना। मलिकवत संबंधी विवाद। सीमा संबंधी झगड़े। इमारतों के बनाने के कारण उत्पन्न मामले। चरागाहों, खेतों और मार्गों को क्षति पहुंचाने के मामले। पति-पत्नी संबंधी मुकदमे। सोधन संबंधी विवाद। संपत्ति के बटवारे और उत्तराधिकार संबंधी झगड़े। सहयोग, कंपनी तथा साझे के मामले। विविध दफ्तारों पैदा करने के मामले। न्यायालय में स्वीकृत निर्णयोंबधि संबंधी विवाद और विविध मामले।

कंटकरोधन न्यायालयों में निम्नलिखित मामले पेश होते थे—शिल्पियों व कारीगरों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा। व्यापारियों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा। राष्ट्रीय व सार्वजनिक आपत्तियों के निराकरण संबंधी मामले। विषम विमल्ल उपायों से आजीविका चलाने वाले लोगों की गिरफ्तारी। अपने गुणधरों द्वारा अपराधियों को पकड़ना। शक होने पर

या वस्तुतः अपराध करने पर गिरफ्तारी। मृत देह की परीक्षा कर मृत्यु के कारण का पता लगाना। अपराध का पता करने के लिये विविध भौतिक के प्रदर्शनों तथा शारीरिक कष्टों का प्रयोग। सरकार के संपूर्ण विभागों की रक्षा। अंग काटने की सजा मिलने पर उसके बदले में जुमाना देने के आवेदनपत्र। शारीरिक कष्ट के साथ या उसके बिना मृत्युदंड देने का निर्णय, कन्या पर बलात्कार और न्याय का उल्लंघन करने पर दंड देना।

ऊपर की सूचियों से स्पष्ट है, कि धर्मस्थीय न्यायालयों में व्यक्तियों के आपस के मुकदमे पेश होते थे। इसके विपरीत कंटकशोधन न्यायालयों में वे मुकदमे उपस्थित किये जाते थे, जिनका संबंध राज्य से होता था। कंटकशोधन का अभिप्राय ही यह है कि राज्य के कंटकों (काँटों) को दूर किया जाय।

न्यायालयों में मुकदमे किस प्रकार किये जाते थे, इस विषय पर भी अधशास्त्र में विस्तार से प्रकाश दाना गया है। जब निर्णय के लिये कोई मुकदमा जाता था, तो निम्नलिखित बातें दर्ज की जाती थी—

१. ठीक तारीख।
२. अपराध का स्वरूप।
३. घटनास्थल।
४. यदि अरण का मुकदमा है, तो अरण की मात्रा।
५. घादी और प्रतिवादी दोनों का देश, धाम, जाति, गोत्र, नाम और पेशा।
६. दोनों पक्षों की बुक्तियों तथा प्रत्युक्तियों का पूरा-पूरा विवरण।

इस संबंध में साक्षी, विरह आदि सब बातों का चासुक्ष्म ने विस्तार से उल्लेख किया है।

(८) राजकीय आय-व्यय

कीटलोय अधशास्त्र में राजकीय आय के निम्नलिखित साधनों का विस्तार से वर्णन किया है—

१. दुर्ग—नगरों से जो विविध आमदनी मगध साम्राज्य को होती थी, उसे दुर्ग कहा जाता था। दुर्गों की आमदनी के विविध साधन निम्नलिखित थे:—(क) शुल्क—चुंगी। (ख) पौतब—मौल और माप के साधनों को प्रमाणित करने से प्राप्त कर। (ग) दरद—जुरमाना। (घ) नागरिक—जेलखानों से आय। (ङ) मुद्रा-पट्टाव की आय। (च) मुद्रा—नगरप्रवेश के समय मुद्रा (सरकारी पास) लेने से होने वाली आमदनी। (छ) सुरा—शराब के ठेकों की आय। (ज) सूना—वृचक्षुण्णों की आमदनी। (झ) सूत्र—राज्य की ओर से अनाथ, रोगी, विकलांग आदि व्यक्तियों से काम कराया जाता था, उसको आमदनी। (ञ) तैल—तैल के व्यवसाय पर राज्य कर लेता था, उसकी आय। (ट) पृत—घों के कारोबार से वसूल होने वाला कर। (ठ) नमक—नमक बनाने पर लगाया गया कर। (ड) सौर्वाशिक—गुनारों से वसूल होने वाला कर। (ड) पद्वसंख्या—राजकीय पद्व का बिक्री से होने वाली आय। (ण) बेरवा—बेरवाओं की आय तथा स्वतंत्र व्यवसाय करने वाली बेरवाओं से कर। (त) मूत्—जुप की आय। (थ) वास्तुक—अचल संपत्ति से वसूल किया जाने वाला कर तथा जागदाद बिक्री के समय लिया जाने वाला कर। (द) कारीगरों तथा शिल्पियों को बस्तियों से वसूल होने वाला कर। (ध) देवतालय—धर्ममंदिरों से प्राप्त होने वाली आमदनी का अंश। (न) द्वार—नगर के द्वार से आने या जाने वाले माल पर लिया हुआ कर। (प) बाहिरकादंब—मत्स्य धनी लोगों से लिया जाने वाला अतिरिक्त कर।

२. राष्ट्र—देहात या जंगल से जो आमदनी राज्य की होती थी, उसे राष्ट्र कहते थे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आमदनियाँ होती थी— (क) सीता—राज्य की अपनी जमीनों से होने वाली आमदनी। (ख) भाग—जिन जंगलों पर राज्य का स्वामित्व नहीं था, उनसे वसूल किया जाने वाला अंश। (ग) बलि—तीर्थस्थान आदि धार्मिक स्थानों पर लगा हुआ विशेष कर। (घ) बणिक्—देहात के व्यापार पर लगा जाने वाला कर। (ङ) नदी पालस्वर—नदियों पर बने हुए पुलों पर से पार उतरने पर लिया जाने वाला कर। (च) नाव—नौक से नदी पार करने पर लिया जाने वाला कर। (छ) पट्टन—कसबों का कर। (ज) चिबीत—बरागाहों के कर। (झ) बर्तनी—सड़कों के कर। (ञ) चोररज्जु—हथकड़ियों से प्राप्त होने वाली आमदनी।

३. खनि—मौर्ययुग में खानों राज्य की संपत्ति होती थी। सोना, चाँदी, हीरा, गण्डि, मुत्त, मृगा, शंख, लोहा, नमक, पत्थर तथा अन्य अनेक प्रकार की खानों से राज्यकाय की बहुत आमदनी होती थी।

४. सेतु—पुष्पों और फूलों के उद्यान, शाक के खेत और मूलों (मूली, शलगम, कंद आदि) के खेतों से जो आय होती थी, उसे सेतु कहते थे।

५. वन—जंगलों पर उस युग में राज्य का अधिकार होता था। जंगलों से राज्य को अनेक प्रकार की आय थी।

६. व्रज—गाय, घोड़ा, भैंस, इकरी आदि पशुओं से होने वाली आय को व्रज कहते थे। उस काल में राज्य की अपनी पशुशालायें भी होती थीं।

७. बणिक्पथ—बणिक्पथ दो प्रकार के होते थे, स्थलपथ और जलपथ। इनसे होने वाली आय बणिक्पथ कहलाती थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र में राजकीय आय के ये सात साधन

वर्षित हैं। यदि व्यावहारिक राजस्वशास्त्र के अनुसार मौर्यकाल के राज्य की आय का हम अनुशीलन करना चाहें, तो इस प्रकार कर सकते हैं—

१. भूमिकर जमीन से राज्य की आमदनी दो प्रकार से होती थी, सीवा और भाग। राज्य को अपनी जमीनों में जो आमदनी होती थी, उसे सीवा कहते थे। जो जगहों पर राज्य की अपनी संपत्ति नहीं थी, उनसे 'भाग' वसूल किया जाता था। जो किसान सर्वथा स्वतंत्ररूप से खेती करते थे, जो सिंचाई का प्रबंध भी अपने आप करते थे, उनसे जगहों के उत्तम या निकृष्ट होने के अनुसार, कुल उपज का $\frac{1}{3}$ या $\frac{2}{3}$ भाग भूमिकर रूप में लिया जाता था। जो किसान सिंचाई के लिये सरकार से जल लेते थे, उनसे भूमिकर को दूर और थी। जिन जगहों की सिंचाई कूप आदि से हाथ द्वारा पानी खींच कर होती थी, उनसे उपज का $\frac{2}{3}$ भाग लिया जाता था। जिनको चरस, रहट आदि द्वारा पानी खींच कर सिंचने के लिये दिया जाता था, उनसे उपज का $\frac{1}{3}$ भाग लिया जाता था। जहाँ सिंचाई पंप, वाक्-यंत्र आदि द्वारा होती थी, उनसे $\frac{1}{3}$ भाग लेने का नियम था। नदी या नहर से सिंचाई होने की दशा में भूमिकर को मात्र उपज का चौथाई भाग होती थी।

यदि कोई किसान तालाब या पक्के मकान को नये सिरे से बनाये, तो उसे पाँच साल के लिये भूमिकर से मुक्त कर दिया जाता था। टूटे-फूटे तालाब या मकान का सुधार करने पर चार वर्ष तक और बने हुए का बढ़ाने से तीन साल तक भूमिकर नहीं लिया जाता था।

२. लटकर मौर्यकाल में लटकर दो प्रकार के होते थे, निष्काम्य (निर्वात कर) और गोरोप (आयात कर)। आयात माल पर कर की मात्रा प्रायः २० फीसदी थी। इनके

कपड़े, मलमल, रेशम, लोहा, पारा आदि अनेक पदार्थों पर कर की दर १० फी सदी थी। कुछ पदार्थों पर कर की मात्रा २, ३, ७ और १६ फी सदी भी होती थी, पर साधारण नियम २० फी सदी का ही था। कुछ देशों के साथ आयात कर के संबंध में रिवाजत भी की जाती थी। इस 'देशोपकार' कहते थे। चाणक्य ने लिखा है—'देश और जाति के चरित्र के अनुसार नये और पुराने माल पर कर स्थापित करें। अन्य देशों के उपकार करने पर शुल्क को बढ़ा दें।' जिन व्यवसायों पर राज्य का एकाधिकार था, उनके बाहर से आने पर अतिरिक्त कर (वैधरस) भी लिया जाता था। उदाहरण के लिये यदि नमक को विदेश से मँगाना हो, तो १६ फी सदी आयात कर लिया जाता था। उसके अतिरिक्त उतना वैधरस (हरजाना या अतिरिक्त कर) भी देना पड़ता था, जितना कि विदेशी नमक के आने से नमक के राजकीय व्यवसाय को हानि पहुँची हो। इसी तरह तेल, शराब आदि राज्याधिकृत वस्तुओं के आयात पर भी हरजाना देना होता था। इस आयात कर का उद्देश्य राजकीय आमदनी को बढ़ाना ही था। विदेशी व्यापार के संबंध में आचार्य चाणक्य की नीति यह थी—'विदेशी माल को अप्रुग्रह से स्वदेश में प्रवेश कराया जाय। इसके लिये नाविकों तथा विदेशी माल के व्यापारियों को लाभ के ऊपर लिये जाने वाला कर माफ़ कर दिया जाय।'

निर्वात माल पर भी कर लिया जाता था, यह तो कौटलीय अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है, पर इस कर की दर क्या थी, इस संबंध में कोई सूचना चाणक्य ने नहीं दी। अपने देश के माल को बाहर भेजने के संबंध में अर्थशास्त्र के जिम्नलिखित वाक्य महत्त्व के हैं—'जल मार्ग से विदेश में माल को भेजने से पहले, मार्गस्थ, भोजनव्यय, विनिमय में आने वाले विदेशी माल

की कीमत तथा परिमाण, यात्राकाल, भयप्रतीकार के पन्था में हुआ व्यय, बंदरगाहों के रिबाउ, निर्यात आदि का पता लगावे। भिन्न-भिन्न देशों के नियमों को जान कर जिन देशों में माल भेजने से लाभ समझे, वहाँ माल भेजा जावे। जहाँ हानि की संभावना हो, वहाँ से दूर रहे।' इसी प्रकार परदेश में व्यापार के लिये, पर्यय एवं प्रतिपर्यय (निर्यात माल और उसके बदले में आने वाला माल) के मूल्य में से चुंगी, सड़क-कर गाड़ी का खर्च, दुर्ग का कर, नौका के भाड़े का खर्च आदि घटा कर शुद्ध लाभ का अनुमान करे। यदि इस ढंग से लाभ न मालूम पड़े, तो यह देखे कि अपने देश को बाजार के बदले में कोई ऐसा वस्तु विदेश से मंगाए जा सकती है या नहीं जिसमें लाभ रहे। इसमें संदेह नहीं, कि आचार्य चाणक्य विदेशी व्यापार को उत्तम मानते थे, और उसकी वृद्धि में देश का लाभ समझते थे।

३. बिक्री पर कर—मौर्यकाल में बिक्री पर चुंगी लेने की व्यवस्था थी। चाणक्य ने लिखा है कि उत्पत्तिस्थान पर कोई भी पदार्थ बेचा नहीं जा सकता। कोई भी वस्तु चुंगी से न बच सके इसलिये यह नियम बनाया गया था। जो इस नियम का उल्लंघन करते थे, उन पर भारी जुर्माना किया जाता था। इन जुर्मानों की मात्रा बहुत अधिक होती थी। खानों से खनिज पदार्थ खरीदने पर ६०० पण, और खेत से अनाज माल लेने पर १२ पण जुर्माने की व्यवस्था थी। सब माल पहले शुल्काध्यक्ष के पास लाया जाता था। चुंगी दे देने के बाद उस पर 'अभिज्ञान मुद्रा' लगाई जाती थी। उसके बाद ही माल की बिक्री हो सकती थी, पहले नहीं।

चुंगी की मात्रा के संबंध में यह विवरण उद्धृत करने योग्य

हि—'नाप कर बेचे जाने वाले पदार्थों पर $6\frac{1}{2}$ फी सदी, सौल कर बेचे जाने वाले पदार्थों पर ५ फी सदी और गिन कर बेचे जाने वाले पदार्थों पर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत शुल्क लिया जाता था।'

४. प्रत्यक्ष कर—मौर्ययुग में जो विविध प्रत्यक्ष कर लगाये जाते थे, उनमें से कुछ ये हैं।

(क) सौल और नाप के परिमासों पर—इन पर चार भाषक कर लिया जाता था। प्रामाणिक बट्टों वा नाप के साधनों को काम में न लाने पर दंड के रूप में २५-२ पण जुर्माना लिया जाता था।

(ख) जुआरियों पर—जुआ खेलने की अनुमति लेने पर कर देना पड़ता था, और जो धन जुए में जाता था, उसका ५ फी सदी राज्य ले लेता था।

(ग) रूप से आजीविका चलाने वाली वेश्याओं से दैनिक आमदनी का दृगना प्रतिशत रूप में लिया जाता था। इसी तरह के कर नट, नाटक करने वाले, रस्सी पर नाचने वाले, गायक, बादक, नर्तक व अन्य वमाशा करने वालों से भी वसूल करने का नियम था। पर यदि वे लोग विदेशी हों, तो इनसे पाँच पण अतिरिक्त कर भी लिया जाता था।

(घ) धोषी, सुतार व इसी तरह के अन्य शिल्पियों पर अनेक कर लगाये गये थे। इन्हें अपना व्यवसाय चलाने के लिये एक प्रकार का लाइसेंस लेना होता था।

५. राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसायों से आय—राज्य का जिन व्यवसायों पर पूरा आधिपत्य था, उनमें खाने, जंगल, नमक का उत्पत्ति और अन्न-शुद्ध का कारोबार मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त शराब का निर्माण भी राज्य के ही अधीन था। इन सब से राज्य का अच्छा आमदनी होती थी। अनेक व्यापारों पर भी राज्य का स्वस्व उस युग में होता था। राज्य की ओर

से जो पदार्थ बिक्री के लिये तैयार होते थे, उनको बिक्री भी वह स्वयं करता था।

६. जुरमानों से आय—मीरकाल में अनेक अपराधों के लिये बंड के रूप में जुरमाना लिखा जाता था। इनका बड़े विस्तार से धर्मन कौटिलीय अर्थशास्त्र में उपलब्ध होता है।

७. विविध—मुद्रापद्धति पूर्णतया राज्य के हाथ में होती थी। रूप्य, पण आदि सिक्के टंकसाल में बनते थे। जो व्यक्ति चाहे अपनी बात ले जाकर टंकसाल में सिक्के इलवा सकता था। पर इसके लिये १३ $\frac{1}{2}$ फी सदी प्रीमियम देना पड़ता था। जो कोई सरकारी टंकसाल में निवमानुसार सिक्के न बनवा कर स्वयं बनाता था, उस पर २५ पण जुरमाना होता था। सरीस और अशक्त व्यक्तियों के गुजारे का प्रबंध राज्य करता था, पर इस तरह के लोगों से सूत कठाने, कपड़ा बुनने, रस्ती बटने आदि के काम भी लिये जाते थे। राज्य को इनसे भी कुछ आमदनी होती थी।

इन सब के अतिरिक्त आपत्काल में संपत्ति पर अनेक प्रकार के कर लगाये जाते थे। अर्थशास्त्र में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। सोना-चाँदी, मखि-मुक्ता आदि का व्यापार करने वाले धनी लोगों से ऐसे अवसर पर उनकी आमदनी का २० फी सदी कर में ले लिया जाता था। अन्य प्रकार के व्यापारियों व व्यवसायियों से भी ऐसे अवसरों पर विशेष कर की व्यवस्था थी जिसकी मात्रा २० फी सदी से ५ फी सदी तक होती थी। मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं से भी ऐसे अवसरों पर उपहार और दान लिये जाते थे। जनता से अनुरोध किया जाता था, कि ऐसे अवसर पर उदारता के साथ राज्य को धन दे। इसके लिये दानियों का अनेक प्रकार से सम्मान भी किया जाता था।

राज्य को विविध करों से जो आमदनी होती थी, उसके व्यवहार संबंध में भी बहुत सी उपयोगी बातें कौटिलीय ग्रंथ शास्त्र में ज्ञात होती हैं। वहाँ इनका भी संक्षेप से उल्लेख करना उपयोगी है।

१. राजकर्मचारियों के वेतन—अर्थशास्त्र में विविध राजकर्मचारियों के वेतनों को दर पूरी तरह दी गई है। इसमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति जैसे बड़े पदाधिकारियों का वेतन ५००० पण मासिक दिया गया है। प्रशास्ता, समाहर्ता और आंतर्देशिक सट्टा कर्मचारियों का २००० पण मासिक; नायक, व्यावहारिक, आंतपाल आदि का १००० पण मासिक; अरज-मुल्य, रथमुल्य आदि का ६६० पण मासिक; विविध व्ययों का ३३० पण मासिक; पदाति सैनिक, लेखक, संस्थापक आदि का ५२ पण मासिक और अन्य छोटे-छोटे कर्मचारियों को ५ पण मासिक वेतन मिलता था। इनके अतिरिक्त, यदि किसी राजसेवक की राजसेवा करते हुए मृत्यु हो जाती थी, तो उसके पुत्र और स्त्री को कुछ वेतन मिलता रहता था। साथ ही, उसके बालक, वृद्ध तथा व्याधिपोहित संबंधियों के साथ अनेक प्रकार के अनुग्रह प्रदर्शित किये जाते थे।

२. सैनिक व्यवहार—सेना के विविध सिपाहियों व आफीसरो को किस दर से वेतन मिलता था इसका पूरा विवरण अर्थशास्त्र में दिया गया है। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में ६ लाख पदाति, तीस हज़ार अस्वारोही, ६००० हाथी और २००० रथ थे। यदि अर्थशास्त्र में लिखे दर से इन्हें वेतन दिया जाता हो, तो केवल वेतनों में ही ३६½ करोड़ पण प्रतिवर्ष खर्च हो जाता था। इसमें संदेह नहीं, कि मागध साम्राज्य में सैनिक व्यवहार की मात्रा बहुत अधिक होती थी।

३. शिक्षा—मौर्यकाल में जो व्यवहार राज्य की तरफ से

शिक्षा के लिये किया जाता था उसे देवपूजा कहते थे। अर्थ-शास्त्र के अध्ययन से प्रतीत होता है, कि अनेक शिक्षणालयों का संचालन राज्य की तरफ से भी होता था, और इनके शिक्षकों को राजा की तरफ से वेतन मिलता था। इसे वृत्ति या वृत्ति न कह कर 'पूजा वेतन' (आनरेरियम) कहते थे।

४. दान—बालक, वृद्ध, व्याधिपीडित, आपत्तिग्रस्त और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों का भरण-पोषण राज्य की तरफ से होता था। इस खर्च को दान कहते थे।

५. सहायता—सरकार की ओर से अनेक कर्तव्यों में अनेकविध लोगों की सहायता की जाती थी। मैगनस्वनीज के अनुसार शिल्पी लोगों को राज्यकोष से अनेक प्रकार में सहायता दी जाती थी। इसी तरह, कृषकों को भी विशेष दशाओं में राज्य की ओर से सहायता प्राप्त होती थी। उन्हें समय-समय पर न केवल करों से ही मुक्त किया जाता था, पर राज्यकोष से धन भी दिया जाता था।

६. सार्वजनिक आमोद-प्रमोद—इस विभाग में वे पुण्य-स्थान, उद्यान, चिडियाघर आदि अंतर्गत हैं, जिनका निर्माण राज्य की तरफ से किया जाता था। राज्य की ओर से पशु, पक्षी, साँप आदि जन्तुओं के बहुत से 'घाट' बनवाये जाते थे, जिनका उद्देश्य जनता का मनोरंजन था।

७. सार्वजनिक हित के कार्य—इस संबंध में हम अगले अध्यायों में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। मौर्यकाल में जनता की स्वास्थ्यरक्षा, चिकित्सालय आदि का राज्य की तरफ से प्रबंध किया जाता था। दुर्भिक्ष, आग, महामारी आदि आपत्तियों से भी जनता की रक्षा की जाती थी। जहाँ जल की कमी हो, वहाँ कुएँ, तट्टाग आदि बनवाने का विशेष ध्यान रखा जाता था।

इन सब में राज्य को बहुत खर्च पड़ता था और आमदनी का काम हिस्सा इन कार्यों में व्यय हो जाता था।

८. राजा का वैयक्तिक खर्च—मौर्यकाल में राजा का वैयक्तिक खर्च भी कम नहीं था। अंतःपुर बहुत शानदार और विहाल बनाये जाते थे। सैकड़ों दौवारिक और हजारों आंतरिक सैनिक हमेशा राजमहल में विश्राम रहते थे। राजा बहुत शान के साथ रहता था। उसके निजी ठाट-बाट में भी बहुत अधिक व्यय होता था। केवल महानस (रसोई) का खर्च इतना अधिक था, कि चाणक्य ने व्यय के विभागों में इसका प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया है। राजप्रासाद की अपनी सूना (बनइखाना) प्रयुक्त होती थी। राजमहल और अन्तःपुर के निवासी स्त्री-पुरुषों की संख्या हजारों में पहुँचती थी।

राजा के परिवार के विविध व्यक्तियों को राजकोष से मासिक वेतन दिया जाता था। इसकी दर भी बहुत अधिक होती थी। युवराज, राजमाता और राजमहिषी को चार-चार हजार पण मासिक और कुमार वा कुमारमाता को एक-एक हजार पण मासिक वेतन मिलता था। यह उनकी अपनी निजी आमदनी थी, जिसे वे स्वच्छा से खर्च कर सकते थे।

(६) मनुष्यगरी

मौर्यकाल में मनुष्यगणना के संबंध में संक्षेप से निर्देश पत्ते किया जा चुका है। पर उस विषय में कुछ अधिक विस्तार से लिखना आवश्यक है। मौर्ययुग में मनुष्यगणना प्रतिवर्ष होती थी। इसके लिये सरकार का एक स्थिर विभाग होता था, जो सदा मनुष्यों की संख्या अपनी निबंधपुस्तकों में दर्ज रखता था केवल मनुष्यों की ही गणना नहीं होती थी, अपितु पशु व जंतु भी गिने जाते थे। समाहर्ता और नागरक की

सरक से यह कार्य गोप नाम के राजपुरुष (जो प्रायः दस ग्रामों के शासक होते थे) किया करते थे। ये राजपुरुष प्रत्येक ग्राम की निबंधपुस्तक में निम्नलिखित बातें दर्ज करते थे -

- (१) गाँव में चारों बरों के कितने-कितने खादमी हैं।
- (२) कितने किसान हैं।
- (३) कितने गोरक्षक या ग्वाले हैं।
- (४) कितने सौदागर हैं।
- (५) कितने कारीगर हैं।
- (६) कितने नौकर हैं।
- (७) कितने दास हैं।
- (८) कितने दो पैरों वाले जन्तु हैं।
- (९) कितने चीपाये हैं।
- (१०) गाँव में कुल धन कितना है।
- (११) गाँव से कितनी बेगार मिल सकती है।
- (१२) गाँव की चुंगी की आमदनी कितनी है।
- (१३) गाँव के जुरमानों द्वारा कितनी आमदनी होती है।
- (१४) कितने मकान हैं, जिनसे कर मिलता है।
- (१५) ग्राम के निवासियों में कितने पुरुष, कितनी स्त्रियाँ कितने बुद्ध और कितने बालक हैं।
- (१६) कितने घर हैं, जिनसे कर नहीं मिलता।
- (१७) निवासियों के चरित्र किस तरह के हैं।
- (१८) उनके पैसे क्वा-क्वा हैं।
- (१९) आमदनी कितनी-कितनी है।
- (२०) उनका खर्च कितना-कितना है।

महंमशुमारी राजस्टर में दर्ज होने वाली इन बीस बातों को पढ़ कर यह भलीभाँति समझा जा सकता है कि मौर्यकाल में मनुष्यगणना कितनी पूर्णता के साथ होती थी। मैगस्थनीज

ने भी मनुष्यगणना के संबंध में इस प्रकार निर्देश किया है— 'वीसरा वर्ग उन लोगों का है, जो जन्म और मृत्यु का पता लगाते तथा उसका हिसाब रखते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य केवल यही नहीं है, कि इससे कर वसूल करने में सहायता मिलती है, पर असली अभीष्ट बात यह है कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, किसी के जन्म या मृत्यु की बात राज्य-दृष्टि से बच न सके।'

(१०) गुप्तचर विभाग

बिजिरीपु मागध सम्राटों के लिये गुप्तचर विभाग को उन्नत करना परम आवश्यक था। चारुकाप्य ने इस विभाग का बड़े विस्तार के साथ वर्धन किया है। मुख्यतया निम्नलिखित प्रयोजनों से गुप्तचरों का प्रयोग होता था—

१. अमात्यों पर निरीक्षण रखने के लिये, अमात्य पद पर फौजदारी के ही व्यक्ति नियत किये जाते थे, जिनकी पहले गुप्तचरों द्वारा पूरी तरह परीक्षा ले ली जाती थी। पुरोहित, सेनापति आदि सब महामात्यों की परीक्षा के लिये अनेकविध उपाय कौटिलीय कार्यशास्त्र में लिखे हैं। नियुक्ति के बाद भी अमात्यों के 'शौच' और 'अशौच' का पता गुप्तचर लोग लगाते रहते थे। बड़े-बड़े अमात्यों के अतिरिक्त राज्य के सब छोटे-बड़े कर्मचारियों पर गुप्तचरों की निगरानी रहती थी।

२. पौर और जानपद लोगों की भावनाओं का पता लगाने के लिये भी गुप्तचर नियत किये जाते थे। जनता में किस बात में असंतोष है, लोग राजा को परमंद करते हैं या नहीं, देश के धनी-मानी प्रभावशाली लोगों के क्या विचार हैं, अधीनस्थ सामंतों का क्या रुख है इन सब बातों का पता लेकर गुप्तचर लोग राज्य को सूचना भेजते रहते थे।

३. गुप्तचर लोग विदेशों में भी काम करते थे। पिछोसी शत्रु देश व विदेशी राष्ट्रों की नति, विचार, भाव आदि का पता करने के लिये गुप्तचर सदा सचेष्ट रहते थे। जिस देश को अपने अधीन करना होता था, उसमें बहुत से गुप्तचर नाना-विध बेश बनाकर भेज दिये जाते थे। ये शत्रुओं में परस्पर फूट डालने तथा सब गुप्त भेदों का पता लगाने के कार्य में तत्पर रहते थे। इस विभाग के गुप्तचरों के कुछ भेद ये होते थे—

- (क) कापटिक द्वात्र—विद्यार्थी के बेश में दूसरे के मर्म को जानने के लिये नियुक्त गुप्तचर।
- (ख) उदास्थित—सन्ध्यासी या वैरागी के बेश में प्रज्ञा और सदाचार से युक्त गुप्तचर।
- (ग) गृह्यातिक—किसान व अन्य सीधे-सादे-गृहस्थी के बेश में प्रज्ञा और सदाचार से युक्त गुप्तचर।
- (घ) वैदेहक—सौदागर के बेश में प्रज्ञा और सदाचार से युक्त गुप्तचर।
- (ङ) तापस—मुंड या जटिल तपस्वी साधु के बेश में गुप्तचर।

इनके अतिरिक्त, 'रसोइया', 'स्नापक' (स्नान कराने वाला), 'विस्तर' (खिलाने वाला), 'नाई', 'प्रसादक', 'पानी भरने वाला', 'रसद' आदि का बेश बनाकर तथा बेश के अनुसार ही कार्य करते हुए प्रज्ञा और सदाचार से युक्त उच्चशिक्षित गुप्तचर लोग विदेशों में अपना कार्य करते रहते थे। कुबड़ा, गिराल, मूक, (गंगा) बधिर, जह आदि होने का बहाना करके भी बहुत से गुप्तचर दूसरों के मर्म का पता लगाने में प्रयत्नशील रहते थे। स्त्रियाँ, बेशगारों आदि भी इस विभाग में नियुक्त होती थीं। बहुत से गुप्तचर निरसमंगे बनकर अपना कार्य करते थे।

गुप्तचर-विभाग के केंद्र अनेक स्थानों पर होते थे। इन

केंद्री को 'संस्था' कहते थे। गुप्तचर लोग जिस किसी रहस्य का पता लगाने थे, उसे अपने साथ संबद्ध 'संस्था' में पहुँचा देते थे। वहाँ से वह बात उपयुक्त राजकर्मचारी के पास पहुँच जाती थी। इसके लिये गुप्तलिपि का प्रयोग किया जाता था। विविध बातों को सूचित करने के लिये प्रयुक्त संज्ञायें बनी हुई थीं। इस गुप्तलिपि में लिखकर संदेश को बधास्थान पहुँचा दिया जाता था। विविध संस्थाओं को आपस में एक दूसरे का हाल नहीं मालूम हो सकता था। गुप्तचर लोग भी स्वयं 'संस्था' को नहीं जानते थे। संस्था और गुप्तचरों के बीच मध्यस्थ का कार्य गुप्त चेश वाली स्त्रियाँ करती थीं। ये स्त्रियाँ दासी, कुशोलवा, शिल्पकारिका, भिन्दुकी आदि नानाविध रूप बनाकर गुप्तचरों के संदेशों को 'संस्था' तक पहुँचाती थीं। संदेश को पहुँचाने के लिये केवल गुप्तलिपि का ही प्रयोग नहीं होया था, अपितु अन्य अनेक साधन भी काम में लाये जाते थे। इन काम के लिये बाजे, गीत आदि के संकेत बनाये हुए थे। साथ ही शंख दूदुभी आदि की संज्ञायें बनी हुई थीं। खास तरह से गाने या बजाने से खास अभिप्राय का प्रहस होता था। धुने, आग आदि के संकेतों से भी संदेश भेजे जाते थे।

साम्राज्यवाद के उस युग में गुप्तचर-विभाग की बहुत ही महत्ता थी।

(११) डाकप्रबंध

कोटलीय अर्थशास्त्र में कुल निर्देश ऐसे आते हैं, जिनसे उस समय के डाकप्रबंध पर प्रकाश पड़ता है। उस समय संदेश भेजने के लिये कवचरों का प्रयोग किया जाता था। कपोलों के गले में पत्र लटका कर उन्हें उड़ा दिया जाता था। सूत्र संधे हुए कवचर डीक स्थान पर ही पत्र पहुँचाने में समर्थ होते थे।

जिस भागध साम्राज्य में सहकों, सराय आदि का समुचित प्रबंध था, वहाँ झुगल काल के समान इन सरायों का उपयोग हाक पहुँचाने के लिये भी किया जाता था या नहीं, इस विषय में कोई निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र में इसमें उपलब्ध नहीं होता।

(१२) राजशक्ति पर जनता का प्रभाव

मौर्यकाल की शासनव्यवस्था के प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व राजशक्ति पर कुछ ऐसे प्रभावों का उल्लेख करना आवश्यक है, जिनकी उपेक्षा शक्तिशाली से शक्तिशाली सम्राट् भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार का एक प्रभाव बाह्यज अभियों का था। यद्यपि वे लोग नगर से बाहर जंगलों में निवास करते थे, पर देश की घटनाओं और नीति पर उनकी सदा दृष्टि रहती थी। जब वे देखते थे कि राजा कुमार्ग में प्रवृत्त हो रहा है, तो उसका विरोध करना उनका कर्तव्य हो जाता था। इसी लिये चाणक्य ने लिखा है 'यदि ठीक तरह शासन न किया जाय या राजनीति में काम, क्रोध और अज्ञान था जाय, तो वानप्रस्थ और परिव्राजक लोग भी कुपित हो जाते हैं।' ये वानप्रस्थ बाह्यज बहुत सादगी और सरीखी के साथ जंगलों में निवास किया करते थे। राज्य पर इनका प्रभाव बहुत अधिक होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से कुछ पूर्व ही जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसकी भेंट ऐसे अनेक नीतिज्ञ बाह्यजों से हुई थी। ये बाह्यज सिकंदर के विरुद्ध भारतीय राजाओं को उभार रहे थे। एक बार एक ऐसे बाह्यज ने सिकंदर से पूछा—'तुम क्यों इस राजा को मेरे विरुद्ध भड़काते हो?' बाह्यज ने उत्तर दिया—'मैं चाहता हूँ, कि यदि वह जीवे, तो सम्मानपूर्वक जीवे, नहीं तो सम्मानपूर्वक मर जाय।' कहा

जाता है, कि एक अन्य आक्रमण सन्ध्यासी सिकंदर के पास आया और बोला—'तुम्हारा राज्य तो एक सूखी हुई खाल की तरह है, जिसका कोई गुरुवाकेंद्र नहीं होता। जब सिकंदर राज्य के एक पार्श्व पर खड़ा होता है, तो दूसरा पार्श्व विद्रोह कर देता है।' तक्षशिला के एक बुद्ध दंडी को सिकंदर के सम्मुख यह डर दिखाकर बुलाने की कोशिश की गई कि 'सिकंदर तो दुनिया के भौतिक शक्ति का पुत्र है, यदि तुम उसके सामने नहीं आओगे, तो वह तुम्हारा सिर भड़ से अलग कर देगा।' यह सुनकर दंडी ने उपेक्षाजनक हंसी हँस कर उत्तर दिया 'मैं भी शक्ति का उसी तरह पुत्र हूँ, जिस तरह सिकंदर। मैं अपने देश भारत से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, जो माता की तरह मेरा पालन करती है।' उस दंडी ने व्यंग से यह भी कहा—'यदि सिकंदर गंगा के पार के प्रदेश में जायगा, तो (नंद की सेना) उसे विश्वास दिला देगी, कि वह अभी सारे संसार का स्वामी नहीं बना है।

इसमें कोई संदेह नहीं, कि ऐसे आक्रमणों को निर्भीक शक्ति का राज्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। राजा की अनीति को रोकने में ये बहुत सहायक होते थे। राजाओं के कुमारागामी हो जाने पर जब तपस्वी आक्रमण कुपित हो जाते थे, तब स्थिति को संभालना कठिन हो जाता था। नंद के शक्तिशाली बंरा का पवन आचार्य चाणक्य के कोप में ही हुआ था, वह नंद की अनीति को देख कर उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था।

आक्रमण तपस्वियों के कोप की अपेक्षा भी जनता का कोप अधिक भयंकर माना जाता था। आचार्य चाणक्य ने लिखा है—'जनता का कोप सब कोपों से बड़ कर है।' चाणक्य भी-मूर्ति समझता था, कि 'चाहे राजा न भी हो, पर यदि जनता की

अवस्था उत्तम हो, तो राज्य अच्छी तरह चल सकता है। राज्य के संबंध में यह परंपरागत सिद्धांत गौरवकाल में भी मान्य समझा जाता था कि 'प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। हितकारक बात वह नहीं है, जो राजा को अच्छी लगती है। हितकारक बात तो वह है, जो प्रजा को प्रिय लगती है।'

ग्यास्हवाँ अथ्याय

धौर्यकाल का आर्यिक जीवन

(१) कृषि

धौर्यकाल में भी भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था । मैगस्थनीज ने लिखा है, 'दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो संख्या में सबसे अधिक हैं । युद्ध करने तथा अन्य राजकीय कर्तव्यों से मुक्त होने के कारण वे अपना सारा समय खेती में लगाते हैं । किसानों की अवस्था उस समय बहुत संतोषजनक थी, भारतवर्ष में वर्षा की प्रचुरता के कारण दो फसलें साल में हो सकती थी और किसान लोग नानाविध अन्नों तथा अन्य पदार्थों को उत्पन्न कर सकते थे । इस विषय में मैगस्थनीज के निम्नलिखित उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं—

'भूमि का अधिक भाग सिंचाई में है । अतएव वसमें एक साल के भीतर दो दो फसलें पैदा होती हैं ।'

यहां के लोग निर्बाह की सब सामग्री बहुतायत में पाकर प्रायः मामूली डोल-डोल से अधिक होते हैं, और अपने गर्वलि हाव-भाव के लिये प्रसिद्ध हैं ।

'भूमि पशुओं के निर्बाहयोग्य तथा अन्य स्वाद्य पदार्थों को प्रदान करती है । अतः यह माना जाता है कि भारतवर्ष में अकाल कभी नहीं पड़ा है, और खाने की वस्तुओं की महंगा भी साधारणतया कभी नहीं हुई है । चूंकि वहाँ साल में दो बार वर्षा होती है, एक जाड़े में, जब कि गेहूँ की बुआई होती है और दूसरी गरमी के दौरान में, जब कि तिल और ज्वार के बीने

का उपयुक्त समय होता है, अतः भारत के किसान प्रायः सदा साल में दो फसलें काटते हैं। यदि उनमें से एक फसल कुल धिगड़ भी जाती है, तो लोगों को दूसरी फसल का पूरा विश्वास रहता है। इसके अतिरिक्त, एक साथ होने वाले फल और मूल जो दलदलों में उगते हैं, और भिन्न-भिन्न मिट्टान के होते हैं, मनुष्यों को प्रचुर खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं। बात यह है, कि देश के प्रायः समस्त मैदानों में ऐसी नमी रहती है, जो सम-भाव से उमीन को उपजाऊ बना देती है, चाहे यह नमी नदियाँ द्वारा प्राप्त हुई हो, चाहे मौसम अतु की वर्षा के जल द्वारा। यह वर्षा प्रत्येक साल एक नियत समय पर आश्चर्यजनक नियमितता के साथ बरसा करती है। कड़ी गरमी फलों और मूलों का को, विशेषतया कसेरू को पकाती है।

इतने पर भी भारतवासियों में बहुत सी ऐसी प्रजातें हैं, जो वहाँ अकाल पड़ने की भावना को रोकने में सहायता देती हैं। दूसरी जातियों में युद्ध के समय भूमि को नष्ट करने और इस प्रकार उसे परती व ऊसर कर डालने की चाल है। पर इसके विहङ्ग भारतवासियों में, जो कुपक समाज का परिवार व अल्पमय मानते हैं, भूमि जोतने वाले किसी प्रकार के बच की आशाका से विचलित नहीं होते, चाहे उनके पड़ोस में युद्ध क्यों न हो रहा हो। दोनों पक्ष के लड़ने वाले युद्ध के समय एक दूसरे का संहार करते हैं, परन्तु जो लोग खेतों में जागे हुए हैं, उन्हें पुष्पवत्ता निर्भिन्न अपना काम करने देते हैं। साथ ही न वे शत्रु देश का आग्रे से सत्यान्तारा करते हैं, और न उनके पेट काटते हैं।

मौर्यकालीन भारत में किसानों को देश के संबंध में कीट-लीय अर्थशास्त्र में भी बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। चाणक्य ने निम्नलिखित फसलों के नाम दिये हैं—

वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाने वाली वस्तुएँ—साली, मीहि, कोटुब (तीन प्रकार के चावल), तिल, प्रियंगु, बरक (मोठ) आदि। वर्षा ऋतु के मध्य में बोई जाने वाली वस्तुएँ—मूँग, उड़द, शैब्य आदि। वर्षा की समाप्ति के बाद बोई जाने वाली वस्तुएँ—कुरुम्म, मसूर, कुलुत्थ, जौ, गेहूँ, चना, अलसी, सरसों आदि। इनके अतिरिक्त ईल, कपास, नानाविध शाक-भाजियों के नाम तथा उनकी खेती के संबंध में चाणक्य ने बल्लेख किया है। इनमें मटर, आलू, ककड़ी, सहजन, तरबूज और खरबूजे के नाम आये हैं। ईश्वर के विषय में चाणक्य ने लिखा है कि इसकी खेती में बहुत सी गाथाएँ पड़ती हैं, और बहुत श्रम होता है। अंगूरों तथा उनसे किशमिरा बनाने का निर्देश भी अर्थशास्त्र में विद्यमान है। फलों में आम, अनार, आंबला, लिम्बू, बर, फासला, अंगूर, जामुन, कटहल आदि के नाम दिये गये हैं।

मौर्यकाल में भी खेती के लिये हल और बैलों का प्रयोग होता था। भूमि को खूब अच्छी तरह हल चलाकर तैयार किया जाता था। फिर उसमें नानाविध खादों को डाल कर भूमि की उपजशक्ति को बढ़ाया जाता था। खाद के लिये गोबर इट्टी और राख का प्रयोग होता था। बोने से पहले बीज को अनेक अवस्थाओं में रखा जाता था। चाणक्य से लिखा है—'बोने से पहले धान को सात रात तक ओस तथा धूप में रखना चाहिये। हल आदि कोशीधानों (फलियों) को तीन रात तक पाले तथा घाम में रखना चाहिये। मन्ना आदि के (जिनकी राखों को बीज के रूप में बोया जाता हो) बीज को, जहाँ से काटा गया हो, उस स्थान पर धो, मधु, सूकर को चर्बी और गोबर को मिला कर लगाना चाहिये। कंदों के छेदों पर मधु और धी को मिलाकर लगाना चाहिये। विनीतों को गोबर में मल लेना

चाहिये।" खाद के विषय में चाणक्य ने लिखा है—“जब बाँसुर निकल आवें, तो उन पर कड़वां मड़लियों के खूब घांटीक कुंटे हुए चूने की डालना चाहिये तथा स्तुहि (दूधूर) के दूध से सींचना चाहिये।

सिंचाई के लिये जो विविध साधन मौसमकाल में प्रचलित थे उनका भी संक्षेप से उल्लेख करना उपयोगी है। (१) हस्त प्रावर्त्तिमम्—पानी को किसी गढ़े में एकत्र कर फिर हाथ द्वारा सिंचाई करना। या डोल, चरस आदि की सहायता से कुएँ से पानी निकाल कर सिंचाई करना (२) श्कंध प्रावर्त्तिमम्—कंधों की सहायता से पानी निकाल कर सिंचाई करना। रूट, या चरस को जब बेल सींचते हैं, तो उनके कंधों से पानी निकालने के कारण इस प्रकार की सिंचाई को 'श्कंधप्रावर्त्तिमम्' कहते थे। (३) स्रोतयंत्र प्रावर्त्तिमम्—वायु द्वारा (पवन चक्की से) लींचे हुए पानी को स्रोतयंत्र प्रावर्त्तिमम् कहते थे। (४) नदीसरस्तटाक कुपोद्घाटम्—नदी, सर, तटाक और कूप द्वारा सिंचाई करना। (५) सेतुबंध—बोध (डाम) बना कर उससे नहरें व नालियाँ निकाल कर उनसे सिंचाई करना।

बर्षों के अतिरिक्त इन विविध साधनों से सिंचाई का प्रबंध होने का परिमाण यह था, कि मौसमकाल में ज़मीन बहुत ज्यादा सूखती थी और प्रभूत परिमाण में अन्न उत्पन्न होता था।

(२) व्यवसाय

मनुस्मृतियों ने भारत के विविध व्यवसायों और कारीगरों के संबंध में बर्णन करते हुए लिखा है, कि वे कला कौशल में भी बड़े निपुण हैं, जैसा कि ऐसे मनुष्यों से आशा की जा सकती है, जो स्वच्छ वायु से साँस लेते हैं, और अत्युत्तम जल का पान करते हैं।" आर्थिक मुसुम्भ भारतीयों में मिल-भिन्न व्यव-

भावों से आजीविका कमाने वाले लोग हैं। कई उमीन जोतते हैं, कई व्यापारी हैं, कई सिपाही हैं।

पाटलीपुत्र अर्थशास्त्र में उस युग के व्यवसायों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। भारत में मुख्य-मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित थे—

१. तंतुबाय—भीयंकाल में सब से मुख्य व्यवसायी तंतुबाय या जुलाहे थे। ये रुई, रेशम, सन, ऊन आदि के अनेक-विध कपड़े तैयार करते थे। सूत चरखों पर काटा जाता था, खट्टा पर उसकी बुनाई होती थी। सूत बँडिया, मध्यम या अटिया है, इसे जाँच कर उसकी कीमत दी जाती थी। कपड़े बुनने के लिये कारखाने (कमान्त) होते थे। इनमें बहुत से जुलाहे एक साथ खड्डियों पर काम करते थे। राज्य की तरफ से इन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था। चाणक्य ने लिखा है, कि गेह और मास्य के दान तथा अन्य प्रकार के अनुग्रहों से इन्हें प्रोत्साहित करे। जुलाहे बस बनाते समय यदि सूत को चुरा लें, तो उन्हें दंड की व्यवस्था थी। यह दंड विविध बखों के लिये भिन्न-भिन्न था।

ऊनी कपड़ों में कंबलों का वर्णन अर्थशास्त्र में बड़े विस्तार के साथ किया गया है। वहाँ लिखा है—'भेड़ की ऊन से बने हुए कंबल खेत, शुद्ध लाल तथा केमल की तरह लाल—इन तीन रंगों के होते हैं। इन्हें चार तरह से बनाया जा सकता है—(क) खचित (बड़े हुए सूत से बुनकर)। (ख) धानाखित (भिन्न-भिन्न रंग के ऊन से बुनकर)। (ग) खंड संपाल्य (पट्टियाँ जोड़ कर)। (घ) तंतुविच्छिन्न (ऊन से ताना-बाना एक कर के फिर बुनकर)।' ऊनी कंबल दस तरह के होते थे। कौपचक (मोटा कंबल), कुलमितिक (सिर पर धारण करने के लिये प्रयुक्त होने वाला), सीमितिक (पैल के ऊपर

डाला जाने वाला) नुरगास्तरण (बोड़े पर डाला जाने वाला), बर्गीक (रंगविरंगी), तलिच्छक (बिस्तर पर बिछाया जाने वाला), वरवाख (घोट के लिये प्रयुक्त होने वाला), परिस्तोव (बड़े आकार का विशेष कंबल), समंतभद्रक (हाथी की भुजा), आविक (घारीक ऊन का कंबल) ।

भेड़ के अतिरिक्त अन्य पशुओं के बालों के भी विविध बख बनते थे । अर्धशास्त्र में ऐसे छः प्रकार के बखों का उल्लेख किया है, संपुटिका, लंबरा, कटवानक, प्रावरक और शत-लिका । किस देश में कौन सा कपड़ा अच्छा बनता है, इस संबंध में अर्धशास्त्र का निम्नलिखित उद्धरण बड़े महत्त्व का है—'जो कपड़ा बंगदेश में बनता है, वह श्वेत और चिकना होता है । पुंजु देश का कपड़ा काला और मणि की तरह चिकना होता है । सुवर्णकुण्ड्य देश का कपड़ा सूर्य की तरह रंग वाला और मणि के समान चिकना होता है । इसे मिला कर के बुना जाता है । इसे एक समान सीधा रख कर और उलटा-देवा रख कर, दोनों तरह से बुना जाता है । काशी तथा पुंजु देश के बने हुए सन के कपड़े भी बहुत उत्तम होते हैं । मगध, पुंजु और सुवर्णकुण्ड्य देशों में विविध बखों के पत्तों व झाल के रेशों से भी कपड़े बनाये जाते हैं । मगाल की मलमल सौर्यकाल में भी प्रसिद्ध थी । मैगस्थनीज ने भी लिखा है, कि भारतीय लोग घारीक मलमल के कपड़े पहनते हैं । इस देश के पहरावे के विषय में ग्रीक यात्री का यह वाक्य उल्लेख-योग्य है—'वे मलमल के फूलदार कपड़े पहनते हैं, सिर पर पगड़ी बांधते हैं और जमकीले रंगों में रंगे हुए बखों का प्रयोग करते हैं ।'

इन्द्र-व्यवसाय के साथ संबंध रखने वाले धोषी, रंगरेज, वरजियों का उल्लेख भी अर्धशास्त्र में हुआ है । साथ ही, रस्मी

और कच्चे बनाने वाले व्यवसायियों का भी वर्णन है।

२. खानों में पाया करने वाले व्यवसायी— मैगस्थनीज ने भारत की खानों के विषय में यह लिखा है कि भारत की भूमि तो अपने ऊपर हर प्रकार के फल तथा कुचिजन्य पदार्थ उपजाती ही है, पर उसके गर्भ में भी सब प्रकार की धातुओं की अनभिन्नत खानें हैं। इस देश में सोना और चाँदी बहुत होता है। ताम्र और लोहा भी कम नहीं होता। जस्ता और अन्य धातुएँ भी होती हैं। इनका व्यवहार आभूषण, लड़ाई के हथियार तथा साज आदि बनाने के निमित्त होता है। चाणक्य ने अर्धराश्र में खानों के व्यवसाय का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस विभाग के अध्यक्ष को 'आकराभ्यक्ष' कहते थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिये वह आवश्यक था, कि वह ताम्र आदि धातुओं की विद्या में पूर्णतया दक्ष हो, पारा निकालने की विद्या को जानता हो, और मणि-मणिष्य आदि रत्नों की पहचान रखता हो। आकराभ्यक्ष के अधीन कर्मचारी पहले विविध धातुओं की खानों का पता लगाते थे। कच्ची धातु की परीक्षा उसके भार, रंग, गेज, गंध और स्वाद द्वारा की जाती थी। खान का पता लगाने के संबंध में चाणक्य ने लिखा है, कि पहाड़ों के गड्ढों, गुफाओं, तराइयों तथा छिपे हुए छेदों से नानाविध द्रव बहने रहते हैं। यदि इस द्रव का रंग जामुन, आम, ताल फल, पको हुई हरिद्रा, हड़दाल, शहद, सिमरफ, ठोठा या मोर के पंख के समान हो, उसमें काँच के सदृश चिकनाहट हो, वह पारदर्शक और भारी हो, तो समझना चाहिये, कि वह सोने की कच्ची धातु के साथ मिलाकर निकल रहा है। यदि द्रव को पानी में डालते ही वह तेल की तरह संपूर्ण सतह को व्याप्त कर ले, सब गर्द और मैल को इकट्ठा कर ले, तो समझना चाहिये, कि वह ताम्र और चाँदी की

धातु से मिश्रित है। इसी तरह से अन्य धातुओं की खानों की भी पहचान की गई है।

कच्ची धातु से शुद्ध धातु कैसे तैयार की जाय, धातु को कैसे नरम और लचकदार बनाया जाय और उसमें विशेष-विशेष प्रकार के गुण कैसे उत्पन्न किये जाय, इन सब बातों का विवरण कौटिलीय अर्थशास्त्र में दिया गया है। विविध धातुओं के व्यवसाय के लिये पृथक्-पृथक् अप्यन्त होते थे, जो 'आकराप्यन्त' के अर्धीन अपना कार्य करते थे।

खानों पर राज्य का स्वत्व माना जाता था। उनका संचालन राज्य की तरफ से ही होता था। पर लोगों को किराये पर भी खानें दे दी जाती थीं। जितनी कुल उत्पत्ति हो, उसमें से अपना हिस्सा भी राज्य तय कर लेता था। खानों को वेच भी दिया जाता था।

३. नमक का व्यवसाय—संवर्णाष्यन्त की अर्धीनता में नमक के व्यवसाय का संचालन होता था। नमक बनाने व बेचने के लिये राज्य की अनुमति आवश्यक थी। नमक बनाने में मुख्यतया समुद्रजल का ही प्रयोग होता था।

४. समुद्र से रत्न आदि निकालने का व्यवसाय—इस व्यवसाय के अप्यन्त को 'सम्यप्यन्त' कहते थे। समुद्र में रत्न, मांस, मुष्क आदि विविध पदार्थों को निकालवाने तथा उन्हें शुद्ध करवाने तथा उनकी विविध वस्तुएं बनवाने का कार्य सम्यप्यन्त के अर्धीन होता था। अर्थशास्त्र में अनेकविध मांस, रत्न, मुष्क, आदि के भेद तथा उनकी पहचान लिखी गई है।

५. सुनार, सोता, चाँदी आदि बहुमूल्य धातुओं को शुद्ध कर उनसे आभूषण बनाने का कार्य सुनार लोग करते थे। सुनारों को सहायता के लिये ध्यापक (भट्टों में दवा देने वाले) पांशुवाचक (मर्द माफ करने वाले) आदि अनेक कारीगर

होते थे। अर्थशास्त्र में बहुत प्रकार के हारों व अन्य आभूषणों का उल्लेख पाया जाता है।

६. वैद्य—चिकित्सा का काम करने वालों का पृथक् व्यवसाय था। ये चिकित्सक भिषक (साधारण वैद्य) जांगलीविद् (विष चिकित्सक), गर्भव्याधि संस्था: (गर्भ की बीमारियों को ठीक करने वाले), और सूतिका चिकित्सक (संतान उत्पन्न कराने वाले), चार प्रकार के होते थे। वैद्यों के व्यवसाय पर भी राज्य का पुरा नियंत्रण था। इस संबंध में चाणक्य के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं:—(क) सरकार को सूचना दिने बिना ही यदि चिकित्सक लोग ऐसे रोगी का इलाज करने लगें, जिनकी मृत्यु की संभावना हो, तो उन्हें 'पूर्व साहस दंड' दिया जाय। (ख) यदि किसी बिपत्ति के कारण इलाज भली-भाँति न किया जा सके, तो चिकित्सक को 'मध्यमदंड' दिया जाय। (ग) यदि इलाज के प्रदे चिकित्सक उपेक्षा करे, रोगी पर समुचित ध्यान न दे और इस कारण रोग बढ़ जाय, तो चिकित्सक पर 'दंडपारुष्य' का अपराध लगाया जाय।

७. शराव का व्यवसाय—यद्यपि मौर्यसम्राज ने लिखा है, कि भारवाच लोग पत्तों के अतिरिक्त कभी मदिरा नहीं पीते, पर अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि मौर्यकाल में शराव का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था। राज्य का इसके लिये भी एक पृथक् विभाग था जिसके अध्यक्ष को 'सुराध्यक्ष' कहते थे। अर्थशास्त्र में मेदक, प्रसन्न, आसव, अरिष्ट, मैरेय और मधु छः प्रकार की शराव का उल्लेख कर इनके निर्माण की विधि भी लिखी है।

८. वृचइत्यागे—भांसमत्तस्य का बहुत प्रचार होने के कारण मौर्यकाल में वृचइों का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था। यह 'सुनाध्यक्ष' नामक अधिकारी द्वारा नियंत्रित होता था।

६. चमड़े का व्यवसाय—बूचकसानों में मारे गये तथा जंगल, खेत आदि में मरे हुए पशुओं की खालों का उपयोग अनेक प्रकार से मौर्यकाल में किया जाता था। खाल को अनेक प्रकार के मुलायम चमड़ों में परिवर्तित करने का शिल्प उस समय बहुत उन्नत था। अर्धशास्त्र में बहुत तरह के चमड़ों का वर्णन है, जिनमें से कुछ तो इतने दृक्छुट होते थे, कि उनकी गगना रत्नों में की गई है।

१०. वर्तनों का व्यवसाय—अर्धशास्त्र में चार प्रकार के वर्तनों का उल्लेख है: धातु, मिट्टी, पेंत और खाल से बने हुए। चारों प्रकार के वर्तनों को बनाने वाले अलग-अलग शिल्पी होते थे, जो अनेक प्रकार के वर्तन तैयार करते थे।

११. जंगलों के साथ संबंध रखने वाले व्यवसाय—अर्धशास्त्र में जंगलों में होने वाले उन वृक्षों का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है, जिनकी लकड़ी विभिन्न प्रकार के कामों में आती है। इन में तारदाह (सोस पक्षा लकड़ी वाले), मांस, लवण, रेशेदार पीपे, कागज बनाने के काम आने वाले वृक्ष आदि अनेक प्रकारों का वर्णन है। जंगल से विभिन्न प्रकार के वृक्षों को काटना, उन्हें फिर विभिन्न उपयोगों में आना—यह सब व्यवसाय उस समय अतीर्णता उत्पन्न था। लकड़हारे, धड़ई आदि अनेक शिल्पी इन कार्यों में लगे हुए थे।

१२. लुहार—लोहे से जहाँ जेतों व अन्य शिल्पों के ताना-बिधा उपकरण तैयार किये जाते थे, वहाँ अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण भी प्रधानतया लोहे से ही होता था। 'आयुधामाराध्वज' की अधीनता में हथियार बनाने का बहुत बड़ा महकमा उस समय होता था, जिसमें सैकड़ों प्रकार के छोटे-बड़े हथियार तैयार किये जाते थे। यह शिल्प उस समय में बहुत ही उन्नत था।

१३. जहाज और नौकायें बनाने वाले—मौर्यकाल में भारत

के जलमार्गों व समुद्र में अनेक प्रकार के छोटे-बड़े जहाज चलते थे । उन सब को भारत में ही बनाया जाता था ।

१४. मनोरंजन करने वाले—इनमें नट, नर्तक, गायक, वादक, कुशीलव आदि अनेक प्रकार के शिल्पी सम्मिलित थे ।

१५. खाना पकाने वाले—इनके भी अनेक भेद थे । चावल, दाल पकाने वाले, मांस भोजन बनाने, रोटी सेकने वाले, हलवाई आदि अनेक प्रकार के पायकों का उल्लेख आणक्य ने किया है ।

१६. शौण्डिक—शराब बेचने वाले ।

१७. बेशरार्य—इनके दो मुख्य भेद थे, गणिका और रूपा-जिवा । गणिकार्यें प्रायः राजा व अन्य धनी व्यक्तियों की सेवा का कार्य करती थीं । इनका कार्य राजा के छत्र, चामर, इतर-दान, पंखा, पालकी, पीठिका, रथ आदि के साथ रह कर राजा की शोभा को बढ़ाना होता था । रूपाजीवा बेशरार्य स्वतंत्र पैसा करती थीं ।

१८. गंचपय्या—तुरंगधर्यों बनाने और बेचने वाले ।

१९. मालपय्या—मालार्यें बनाने और बेचने वाले ।

२०. गोरतक—खाले ।

२१. कर्मकर—मजदूर ।

२२. तालाबचारा—बाड़े बनाने वाले ।

२३. राज—मकान बनाने वाले । ये विविध इमारतों व दुर्गों का निर्माण करते थे ।

२४. मणिकारु—विविध रत्नों, मणियों व हीरे आदि को काट व तराश कर उनके आभूषण बनाने का कार्य ये शिल्पी करते थे ।

२५. देवताकारु—विविध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाना इनका काम होता था ।

(३) व्यापार

कृषि और वायवसायों के समान व्यापार भी मौर्यकाल में बहुत उन्नत था। याम के छोटे-छोटे सौदागरों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक उस काल में विद्यमान थीं। गाँवों के सौदागर व्यापार के साथ-साथ खेती व अन्य छोटे-छोटे काम भी अपनी आजीविका के लिये किया करते थे। देहात में माल की बिक्री के लिये मंडियाँ भी लगती थीं। ये मंडियाँ जल और स्थल-मार्गों के नाकों पर लगाई जाती थीं। शहरों के व्यापारियों के संबन्ध में अनेकविध नियमों का उल्लेख आचार्य चाणक्य ने किया है। इन नियमों का मुख्य प्रयोजन यह था, कि माल में मिनाघट न हो सके। इस विषय में अर्थशास्त्र के निम्न-लिखित नियम उल्लेखनीय हैं—

‘जो घटिया माल को बढ़िया बता कर बेचता हो, जिस स्थान का वह माल हो उससे भिन्न किसी अन्य स्थान का बता कर बेचता हो, मिलावटी माल को असली बताता हो, जिस माल का सौदा किया गया हो, देने समय उसे बदल कर दूसरा माल रख देता हो, तो उस व्यापारी पर न केवल ३५ पण जुर्माना किया जाय, अपितु उसमें क्षतिपूर्ति भी कराई जाय।’

यदि कोई दूकानदार तराजू और बट्टों को ठीक न रख कर जनता को ठगता था, तो उस पर भी जुर्माना किया जाता था। पर थोड़े से करक पर ध्यान नहीं दिया जाता था। परिमाणी और द्रोण भर चीज के तोलने पर यदि आधे पल का करक हो, तो उसे उपेक्षणीय समझा जाता था। पर इससे अधिक करक होने पर दूकानदार को १२ पण दंड मिलता था। यदि कमी अधिक हो, तो दंड और अधिक किया जा सकता था।

यदि वराज के दोष के कारण सोलने में १ कर्प का करक पड़े, तो उसे माफ कर दिया जाता था। पर इससे अधिक कमी होने पर दंड मिलता था। २ कर्प से अधिक कमी होने पर दंड की मात्रा ६ पण होती थी। अधिक कमी होने पर इसी अनुपात से जुर्माना बढ़ता जाता था।

शहरों में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के बाजार अलग-अलग होते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में जिस आदर्श नगर का चित्र उपस्थित किया गया है, उसमें मोंस, चावल, रोटी, मिठाई आदि भोज्य पदार्थों की दुकानों के लिये पृथक् व्यवस्था की है, वहाँ सुगंधित तैल, माला, फूल, बस्त्र आदि की दुकानों के लिये अलग जगह रखी गई है। शहरों में जहाँ बड़ी-बड़ी दुकानें होती थीं, वहाँ फेरी वालों की भी कमी न थी। फेरी वाले घूम-घूम कर माल बेचते थे।

मौर्यकाल में भी व्यापारी लोग मुनाफा उठाने के लिये अनेक अनुचित उपायों का प्रयोग किया करते थे। कमी-कमी के माल को रोक कर घाम बढ़ा देते थे, या परस्पर पका करके माल की अधिक कीमत पर बेचने का निश्चय कर लेते थे। आचार्य चाणक्य की सम्मति में ये बातें अनुचित थीं। इसी लिये उन्होंने ऐसा करने वालों के लिये १००० पण जुर्माना की व्यवस्था की थी।

दुकानदार लोग कितना मुनाफा लें, इस पर भी राज्य की तरफ से नियंत्रण होता था। आम चीजों पर लागत से पांच सदी अधिक मुनाफा लिया जा सकता था। विदेशी माल पर १० की सदी मुनाफा लेने की अनुमति थी। इसमें ६ की सदी मुनाफा लेने पर १०० पण से २०० पण तक के क्रय-विक्रय पर ५ पण जुर्माना किया जा सकता था। ६ की सदी से और अधिक अनुचित मुनाफा लेने पर जुर्माने की मात्रा इसी अनुपात से बढ़ा दी जाती थी।

जब बाजार में माल बहुत था जाता था, और इस कारण कीमत गिरनी शुरू हो जाती थी, तो उसे एक स्थान पर एकत्र कर, या मुद्राबन्दा रोक कर कृत्रिम उपायों से कीमत का कुछ रोक दिया जाता था। साम्प्रदायिक को यह अभीष्ट नहीं था, कि व्यापार में लाभ न हो। उनका सिद्धांत तो यह था, कि चाहे लाभ कितना होता हो, पर यदि वह प्रजा के लिये हानिकारक है, तो उसे रोक दिया जाय।

व्यापारियों की दुकानों पर माल को तोलने या मापने के लिये अनेक व्यक्ति होते थे। अर्थशास्त्र में इन्हें क्रमशः 'धरक' और 'मापक' लिखा गया है। यदि तोलने व मापने हुए वे लोग चेड़मानी करते थे, तो इन्हें भी कठोर दंड दिया जाता था।

मौर्यकाल में भारत का आंतरिक व्यापार बहुत उन्नत था। यह व्यापार जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्गों से किया जाता था। इन मार्गों का उल्लेख हम अगले प्रकरण में करेंगे। भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न-भिन्न वस्तुएँ प्रसिद्ध थीं। स्वाभाविक रूप से व्यापारी लोग इन प्रसिद्ध वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचते थे। हिमालय के अतिरिक्त 'द्वादशघाम', 'आरोह', 'बाहुलष' आदि स्थानों के अनेकविध चमड़े बहुत प्रसिद्ध थे। इसी तरह कोशल, काश्मीर, बिर्भा, कलिंग आदि के हीरे, ताम्रपर्णी, पाण्ड्य, केरल आदि के मोती, मालेयकूट आदि पर्वतों की मणियाँ उस समय सारे भारत में प्रसिद्ध थीं। नेपाल के कंबल, बंग देश के श्वेत और गहरी कपड़े (मलमल) कारी तथा पुण्ड्र देश के सनियाँ कपड़े और मगध तथा सुबर्ण-कुण्ड के रेसी हर बुच्चों के रेसों से बने वस्त्र उस समय सारे भारत में प्रसिद्ध थे। मौर्यकाल के लौहागर व्यापार के लिये बड़े-बड़े कारिगरे (सार्थ) बना कर सभ जगह आया जाता करते थे। जब कोई कारिगरे माल लेकर किसी शहर में पहुँचता था, तो

शुलकाशाला (नेंगीपर) के चार पाँच आदमी सार्ववाद (काफिले का नेता) के पास जाकर पूछते थे—'तुम कौन हो ? कहाँ के हो ? तुम्हारे पास कितना और क्या माल है ? पहली मुहर तुम्हारे माल पर कहाँ लगी थी ?' इन काफिलों की रक्षा का भार राज्य पर होता था। उस समय के मार्ग भयंकर जंगलों में से होकर गुजरते थे, जिनमें जंगली हिंस्र पशुओं के अतिरिक्त चोर डाकू व आटविक लोग भी रहते थे। मौर्यकाल का शासन इतना व्यवस्थित था, कि काफिलों को अपनी रक्षा के लिये स्वयं राज्य धारण करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। राजसार्थ में चलने वाले प्रत्येक व्यापारी से १/२ पण मार्गकर (बर्तनी) लेता था। इसके बदले में उसकी भी जान की रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य ले लेता था। इसी तरह माल पर अलग कर था। एक सूर वाले पशु पर लदे माल पर १ पण, अन्य पशुओं के लिये ३/४ पण, छोटे पशुओं पर १/४ पण और सिर पर उठाये हुए माल पर १ माष कर लिया जाता था। इन करों के बदले में सरकार का यह कर्तव्य था, कि यदि व्यापारी का माल मार्ग में लुट जाय, तो उसे राज्य को सुरक्ष से हरजाना दिया जाय।

मौर्यकाल में विदेशी व्यापार भी बहुत उन्नत था। भारत की पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा उत्तरपूर्वी सीमायें अनेक देशों के साथ झूठी थीं। उनके साथ भारत का व्यापारिक संबंध विशाल था। स्थलमार्ग से जाने वाले बड़े-बड़े काफिले इन पड़ोसी राष्ट्रों में व्यापार के लिये आया जाया करते थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र में विदेशी काफिलों का भी उल्लेख किया गया है, जो व्यापार के लिये भारत में आया करते थे।

विदेशी व्यापार जहाँ नुशकी के रास्ते से होता था, वहीं समुद्र द्वारा भी बड़ी-बड़ी नौकायें व्यापार की वस्तुओं को उठाने का काम करती थीं। महासमुद्रों में जाने वाले जहाजों को

'संगत्या नाव' और 'प्रचरत्' कहते थे; कौटलीय व्यवसाय में चीन तथा ईरान की व्यापारी वस्तुओं का उल्लेख है। चाणक्य ने लिखा है—'रिशम और चीनपट्ट, जो चीन देश में उत्पन्न होते हैं, श्रेष्ठ समझे जाते हैं।' इसी तरह मुक्तियों की विविध किस्मों का उल्लेख करते हुए चाणक्य ने कार्दमिक भी मुक्तियों का एक भेद बतलाया है। ईरान की फर्स नदी में उत्पन्न हुए मोतियों को कार्दमिक कहते थे।

मौर्यकाल में भारत का पश्चिमी देशों से भा-समुद्र के मार्ग से व्यापार प्रारंभ हो चुका था। यह व्यापार मुख्यतया मिथ के साथ में था। सिकंदर के साम्राज्य के पतन के बाद मिथ का राजा टालमी हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। उस समय में मिथ की राजधानी अलेक्जेंड्रिया चिद्री व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र थी। अलेक्जेंड्रिया से कुछ दूरी पर फेरॉस नामी द्वीप में टालमी ने एक विशाल प्रकाशस्तंभ का निर्माण कराया। यह संसार के सात आश्चर्यों में गिना जाता था। अशोक के समकालीन मिथ के राजा टालमी किलेडेलक्स ने भारत आदि पूर्वी देशों के साथ मिथ के व्यापार को बढ़ाने के लिये आर्सिनोए से लालसागर तक एक नहर बनवाने का संकल्प किया था। इस नहर को १५० फीट चौड़ा और ४५ फीट गहरा बनाया जा रहा था। इस नहर का उद्देश्य बड़ी था कि भारतीय माल को अलेक्जेंड्रिया पहुँचाने के लिये स्थल पर न उतारना पड़े, और लालसागर से इस कृत्रिम नहर के रास्ते जहाज नील नदी होकर सीधे अलेक्जेंड्रिया पहुँच जायें। दुर्भाग्यवश, यह नहर पूरी नहीं हो सकी। पर मिथ के साथ भारत का व्यापार जारी रहा। इसी प्रयोजन से टालमी ने लालसागर के तट पर एक नये बंदरगाह की स्थापना की, जिसका नाम बरनिस था। यहाँ से सुन्धी के रास्ते अलेक्जेंड्रिया तैयत चीन भीजती थी।

पर था। इस रास्ते पर माल को उठाने का काम काफिलों द्वारा होता था।

(४) आने-जाने के साधन

गौरवकाल में आने-जाने के मार्ग दो प्रकार के थे, जलमार्ग और स्थलमार्ग। दोनों प्रकार के मार्गों से विविध प्रकार के साधनों द्वारा यात्रा की जाती थी। चाणक्य की सम्मति में जलमार्गों की अपेक्षा स्थलमार्ग अधिक अच्छे होते हैं। उसने लिखा है—'पुराने आचार्यों की सम्मति है, कि जलमार्ग और स्थलमार्ग में जलमार्ग अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि जलमार्ग द्वारा परिश्रम कम पड़ता है, और खर्च भी कम होता है। साथ ही जलमार्ग द्वारा व्यापार में मुनाफा भी खूब होता है। परचाणक्य का मत है कि स्थलमार्ग ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जलमार्ग में खतरा बहुत है। जलमार्ग सदा प्रयुक्त नहीं हो सकते और फिर उनमें आर्शका भी बनी रहती है।'

जलमार्गों का महकमा 'नावाध्यक्ष' के अधीन रहता था। अर्थशास्त्र के अनुसार जलमार्गों के निम्नलिखित भेद होते थे—

१. कुल्या—देश के अंतर्गत नदियों, नहरों तथा अन्य प्रकार के जलमार्गों को कुल्या रहते थे।

२. कूलपथ—समुद्र के तट के साथ-साथ जो छोटे-बड़े जहाजों से व्यापार होता था, उसे कूलपथ कहते थे। चाणक्य की सम्मति में कुल्या और कूलपथों में तुलना करने पर कूलपथ अधिक अच्छे पाये जाते हैं, क्योंकि उनमें व्यापार अधिक हो सकता है। वे कुल्यापथ की तरह अस्थिर व अनिश्चित नहीं होते। नदियाँ व नहरें सूख जाती हैं, व्यापार के अयोग्य हो जाती हैं, पर समुद्रतट नहीं।

३. संयान पथ—महासमुद्रों के जलमार्गों को संयानपथ कहा जाता था।

जलमार्गों द्वारा प्रयुक्त होने वाली विविध नौकाओं का अभ्यंशाक्ष में उल्लेख किया गया है ।

१. संघात्यः नाव — बड़े-बड़े जहाज — ये महामानरी में व्यापार के लिये जाया करते थे । जिस समय ये जहाज किसी बंदरगाह (नेत्र) पर पहुँचते थे, तो इनसे शुल्क लिया जाता था ।

२. प्रबहण — समुद्रों में जाने वाले व्यापारी जहाजों को प्रबहण कहते थे । प्रबहणों का प्रबंध करने के लिये एक पृथक् अमात्य का उल्लेख अभ्यंशाक्ष में किया है ।

३. शंखमुक्ताप्रतिष्ठाः नावः — समुद्र से शंख, मोती आदि एकत्र करने वाली नौकाएँ ।

४. महामाचः — बड़ी नदियों में चलने वाली बड़ी-बड़ी नौकाएँ ।

५. आपननाविकाधिष्ठिता नौः — नियुक्त नाविकों द्वारा अधिष्ठित राजकीय नौकाएँ । ये नौकाएँ राजा के अपने सैनिकों के लिये काम आती थीं ।

६. लुट्टका नावः — नदियों में चलने वाली छोटी-छोटी नौकाएँ ।

७. स्वतरणानि — लोगों की निजी नौकाएँ ।

८. हिंसिकाः — सामुद्रिक डाकुओं के जहाज । मीनकाल में भी सामुद्रिक डाकुओं की सत्ता थी, जो व्यापारी जहाजों पर हमले कर उन्हें लूट लिया करते थे । चाणक्य ने इनके संबंध में एक ही नीति प्रगाई है । यह यह कि इन्हें नष्ट कर दिया जाय ।

विभिन्न प्रकार की इन नौकाओं के अतिरिक्त नदियों व नालों में पार उतरने के लिये काष्ठ संघात (लकड़ी के सली-परी का वेड़ा), वेगुसंघात (बांसों का वेड़ा), अलावु / तुम्बों का वेड़ा), चर्मकरण्ड (खाल से गड़ा हुआ एक बड़ा टोकरा), दृवि (खाल का हवा से भरा हुआ बैला), मव (छोटी डोंगी), गण्डिका (पशु विशेष को हवा से भरी हुई खाल) और वेणिका

(सरकशों का वेड़ा) का भी प्रयोग होता था। बुद्ध के लिये भी इन विविध वेदों का प्रयोग किया जाता था।

जहाजों और नौकाओं की सुरक्षा के लिये राज्य की ओर से बहुत ध्यान दिया जाता था। जलमार्गों में नौकेक प्रकार के जहाज होते हैं, इस लिये उनसे बचाने के लिये राज्य की ओर से नौकेक प्रकार की व्यवस्थाएँ की जाती थीं। आषाढ़ से कार्तिक तक, चौमासे में केशव से ही नौकाएँ प्रयुक्त हो सकती थीं, जिनके पामे राज्य की ओर से प्रमाणपत्र होता था। चाणक्य ने लिखा है—इस काल में केवल उन्हीं नौकाओं को चलाने दिया जाना, जिनमें शासक नियामक, सूचरश्मिवाहक, उत्सवक आदि सब कर्मचारी मुचक रूप से व्यवस्थित हों; और जो आकार में काफी बड़ी हों।

नौकाओं व जहाजों की सुरक्षा का अतीमांति प्रबंध होते हुए भी जब कोई जहाज विपत्ति में फँस जाता था, तो उसके साथ बहुत अनुग्रह का व्यवहार किया जाता था। चाणक्य ने लिखा है, 'गुफान के कारण आहत हुआ कोई जहाज जग बंदरगाह पर पहुँचे, तो उस पर बंदरगाह का अध्यक्ष पिता के समान अनुग्रह करे।' यदि जहाज का माल पानी के कारण लगरा हो गया हो, तो उसको शुल्क से मुक्त कर दिया जाता था, या केवल आधा शुल्क लिया जाता था।

विशाल सामर्थ्य साम्राज्य में स्थलमार्गों (सड़कों) का एक जाल सा बिछा हुआ था। पाटलीपुत्र का केंद्र बनाकर उत्तर, दक्षिणा पूर्व, पश्चिम, सब दिशाओं में सड़कें जाती थीं। मार्गों का प्रबंध राज्य के एक पथक विभाग के अधीन था। प्रति आधकोस के बाद सड़कों पर दूरी सूचक प्रस्तर लगे रहते थे। जहाँ एक से अधिक मार्ग विभक्त होते थे, वहाँ प्रत्येक मार्ग की दिशा का प्रदर्शन करने वाले चिह्न लगे रहते थे। उत्तर

पश्चिमी सीमाप्रदेश की राजधानी को घाटलीपुत्र से मिलाने वाली एक १२०० कोस लम्बी सड़क थी। उस समय का कोस २०२२½ गज का होता था।

व्यापार के चार मार्ग पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों दिशाओं में गये थे। चाणक्य ने इन व्यापारिक मार्गों का विचारवत् की दृष्टि से तुलना की है। उसने लिखा है— 'पुराने आचार्यों के अनुसार स्वतन्त्र मार्गों में हैमवत्पथ (उत्तरदिशा में हिमालय की तरफ जाने वाली सड़क) दक्षिण पथ (दक्षिण दिशा में जाने वाली सड़कें से अच्छा है। क्योंकि उसीके द्वारा हाथी, घोड़े, गंधक, हथीदाँत, चमड़ा, चाँदी, सोने आदि बहुमूल्य पदार्थों का व्यापार होता है। पर फौटल्य इस सम्मति से सहमत नहीं हैं। कंबल, चमड़ा, घोड़ा तथा इसी तरह के कुछ व्यापारिक पदार्थों के अतिरिक्त रत्न, बज्र, मणि, मोती, सोना आदि दक्षिणपथ से ही आते हैं। दक्षिणपथ में भी वह मार्ग सभ से महत्त्व का है, जो आनों में से गुजरता है, जिस पर आना-जाना बहुत रहता है, और जिस पर परिश्रम कम पड़ता है।' निःसंदेह, इस विषय में चाणक्य की सम्मति ही ठीक थी। पुराने छोटे जनपदों के युग में उत्तर की तरफ जाने वाले हैमवत्पथों का चाहे कितना ही महत्त्व रहा हो, पर आसमुद्र द्वितीय मार्ग सागराण्डों के समय में दक्षिण की तरफ जाने वाले बलिहूपथों का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। सोने, चाँदी, मोती आदि के अतिरिक्त विदेशी सामुद्रिक व्यापार भी इन्हीं मार्गों से होता था। व्यापार के अतिरिक्त इन मार्गों का राजनीतिक महत्त्व भी था। चाणक्य ने लिखा है— 'राज्य पर आक्रमण करने के आधार बलिहूपथ ही हैं। बलिहूपथों में ही गुप्तचरों का आना-जाना, राज्य, कब्र, घोड़े, गाड़ी आदि का कर्षविक्रय किया जाता है।' दक्षिण की तरफ मार्ग साधारण

का विस्तार करने वाले मौर्य सम्राटों के समय में वज्रिल के राज्यों का महत्त्व अथवा ही बहुत अधिक था।

मौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार स्थलमार्गों के निम्नलिखित भेद होते थे—(१) राजमार्ग—यह ३२ फीट चौड़ा होता था। (२) रथ्या—ये भी ३२ फीट चौड़े होते थे। (३) रथपथ—ये १२ फीट चौड़े होते थे। (४) पशुपथ—ये ८ फीट चौड़े होते थे। (५) महापशुपथ—इनकी चौड़ाई १० फीट होती थी। (६) बुद्ध पशुपथ—ये ४ फीट चौड़े होते थे। इनके अतिरिक्त, पादपथ (पगडंडी), मनुष्यपथ (पैदल का रास्ता), सरोष्ट्रपथ, चक्रपथ और अंतपथ का भी अर्थशास्त्र में विधान है, पर इनकी चौड़ाई का कोई निर्देश नहीं किया गया है। ये सब सड़कों शहर के अन्दर की हैं पर जनपदों की विविध सड़कों के विषय में भी अर्थशास्त्र से बहुत कुछ परिचय मिलता है। जनपद की सड़कें निम्नलिखित होती थीं—

(१) राष्ट्रपथ—यह ३२ फीट चौड़ा होता था। राजधानी से विविध प्रदेशों व जनपदों की तरफ जो बड़े-बड़े मार्ग गये थे, उन्हें राष्ट्रपथ कहते थे। (२) त्रिवीतपथ त्रिविध चरागाहों की तरफ जो रास्ते जाते थे, वे त्रिवीतपथ कहलाते थे। इनकी भी चौड़ाई ३२ फीट होती थी। (३) द्रोणमुखपथ—चार सौ ग्रामों के बीच में एक दुर्ग (दीवारों से परिबेष्टित नगर) बनाया जाता था। ऐसे दुर्ग द्रोणमुख कहलाते थे। साम्राज्य में ऐसे बहुत से द्रोणमुख दुर्ग थे। इन्हें आपस में मिलाने वाली सड़कें भी ३२ फीट चौड़ी होती थीं। (४) स्थानीय पथ—जिस प्रकार चार सौ ग्रामों के बीच में द्रोणमुख होता था, वैसे ही आठ सौ ग्रामों के बीच में 'स्थानीय' होता था। इसकी सड़क भी ३२ फीट चौड़ी होती थी। (५) सत्रोनीयपथ—ये सड़कें ६४ फीट चौड़ी होती थीं। ये मार्ग उन स्थानों पर होते थे, जहाँ जाना-जाना शक्य

हैं। राष्ट्रपथ ही उहाँ अधिक चौड़े कर दिये जाते थे, सयोनियमय कहलाते थे। (६) ऋषुपथ—झाबनियों की सड़कों का नाम ऋषुपथ था। ये भी चौड़ाई में ३५ फीट होती थीं। (७) रमरानपथ। (८) धामपथ। (९) धनपथ। (१०) हस्तिचेत्रपथ। (११) सेतुपथ—बड़े बाँधों और पुतों से गुजरने वाली सड़कें सेतुपथ कहलाती थीं।

बड़े-बड़े किलों की सड़कों के विषय में भी चामुण्ड्य ने लिखा है। (१) रथचर्या संचार—लड़ाई के रथों के लिये विशेष सड़कें थीं, जो चपटे और मजबूत पत्थरों से बनाई जाती थीं। अर्थशास्त्र के अनुसार सड़कों में 'लकड़ी न लगाई जाय, क्योंकि लकड़ों में जगिन ज्विप कर वास करती है।' (२) प्रवोली—दो अट्टालकों या बुजों के बीच के मार्ग को प्रवोली कहते थे। (३) देवपथ—मंदिर की तरफ आने वाले मार्ग (४) चारुर्वा—बढ़ = फीट चौड़ी किले के अंदर की एक खास सड़क होती थी।

कौटलीय अर्थशास्त्र में स्थलमार्गों पर चलने वाले अनेक-विध चारों का भी वर्णन मिलता है। इनका भी उल्लेख कर देना उपयोगी है। (१) पारिवानिक रथ—साधारण प्रयोग के रथ। (२) सांभामिक रथ—लड़ाई के लिये इस्तेमाल होने वाले रथ। (३) सरपुराभियानिक—शत्रुओं के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिये उपयोगी रथ। (४) वैयानिक रथ—ऐसे रथ जिनका प्रयोग सैनिक शिक्षा में किया जाय। (५) देवरथ। (६) पुष्परथ। (७) लघुयान। (८) गोलिगयान—बैलगाड़ी। (९) शकट (१०) शिविका पालकी। (११) पाठिका—डोली। इनके अतिरिक्त सवारी के लिये हाथी, घोड़ा उंट आदि का भी अर्थशास्त्र में उल्लेख है।

(५) तोल और माप के परिमाण

तोल और माप आदि के जिन परिमाणों की शुद्धता के लिये मौर्यकाल में इनका ध्यान दिया जाता था उनके संबंध में भी यहाँ बिबरण देना आवश्यक है। तोल के लिये निम्नलिखित बड़े काम आते थे:—

५ रत्नी = एक माषक (सुवर्णमाप) = वर्तमान समय का $\frac{1}{2}$ मासा
 १६ माषक = एक कर्ष (सुवर्ण) = वर्तमान समय का $\frac{1}{2}$ तोला
 ४ कर्ष = एक पल = वर्तमान समय का $2\frac{1}{2}$ तोला
 ॥ या आधी छटाँक

१० सुवर्ण ($\frac{1}{2}$ छटाँक), २० सुवर्ण ($\frac{1}{2}$ छटाँक), २० सुवर्ण ($\frac{1}{2}$ छटाँक), ४० सुवर्ण ($\frac{1}{2}$ छटाँक), और १०० सुवर्ण ($\frac{1}{2}$ छटाँक) के बड़े उस समय प्रचलित थे। इसी तरह, १ पल ($2\frac{1}{2}$ तोला), १० पल ($2\frac{1}{2}$ छटाँक), २० पल (10 छटाँक) के, ४० पल (20 छटाँक) और १०० पल (3 सेर 2 छटाँक) के बड़े मौर्यकाल में प्रयुक्त होते थे।

अधिक धातु के माल को तोलने के लिये ये बड़े प्रचलित थे—
 १२६ कर्ष (200 माषक) = १ कुडुम्ब = वर्तमान समय का लगभग 2 छटाँक

४ कुडुम्ब = १ प्रस्थ = २ छटाँक
 १५ प्रस्थ = १ आदक = २ सेर
 १५ आदक = १ द्रोण = २ सेर
 १५ द्रोण = १ बारी = ६ मन 2 सेर
 १५ बारी = १ वट्ट = २ मन
 १५ वट्ट = १ कुम्भ = ४ मन

बड़े लोहे या पत्थर के होते थे। इनके बनाने में मगध और मंगल देशों का लोहा प्रधानतया प्रयोग में लाया जाता था।

जागृक्य के अनुसार चट्टे बनाने में ऐसी धातु या अन्य पदार्थ इस्तेमाल करने चाहिये, जो गीले होने से खराब न हों, और गरमी से भी जिन पर असर न पड़े।

माप के लिये निम्नलिखित परिमाण अर्धशास्त्र में लिखे गये हैं-

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| आठ परमाणु | = | एक विप्रट्ट |
| आठ विप्रट्ट | = | एक लिच्छा |
| आठ लिच्छा | = | एक सूकामध्य |
| आठ सूकामध्य | = | एक यवमध्य |
| आठ यवमध्य | = | एक अंगुल |
| चार अंगुल | = | एक धनुर्ध |
| आठ अंगुल | = | एक धनुर्मूट्टि |
| चारह अंगुल | = | एक विलस्ति |
| दो विलस्ति | = | एक धरणि |
| ४२ अंगुल | = | एक किरकु |
| २४ अंगुल | = | एक व्याम |
| १०८ अंगुल | = | एक गार्हपत्य या धनु |
| १६२ अंगुल | = | एक धंड |
| १० धंड | = | एक रघनु |
| १००० धनु | = | एक गोदत वा कोश |
| ४ गोदत | = | एक योजन |

इस परिमाण में १ अंगुल वर्तमान समय के $\frac{1}{4}$ इंच के बराबर है, और इस हिसाब से १ गोदत वा कोश २२५० गज के और एक योजन $३\frac{1}{4}$ मील के बराबर है।

अंगुल के जितने छोटे छोटे हिस्सों को मापने के परिमाण अर्धशास्त्र में दिये हैं, उनमें सूचित होता है, कि उस समय में चीजों की लम्बाई वही बारीकी से नापी जाती थी। माप का सब से छोटा मान परमाणु इंच के लगभग बालीस हजारवें

हिस्से के बराबर था। इस संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि से जो सूक्ष्म हिसाब उस समय लगाया जाता था, उसका इससे भली-भाँति परिचय मिल जाता है। दिन और रात्रि का हिसाब लगाने में इन सूक्ष्म मापों का विशेष रूप में प्रयोग किया जाता था।

तौल के परिमाणों का विभाग पौतत्राध्यक्ष के अधीन होता था; और माप के परिमाण मानाध्यक्ष के अधीन रहते थे। ये दोनों अमात्य तौल और माप की व्यवस्था वहाँ पारीकी के साथ मौर्यकाल में प्रतिपादित करते थे।

(६) मुद्रापद्धति

मौर्यकाल के कोई सिक्के अभी तक उपलब्ध नहीं हुए। पर कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से उस समय की मुद्रापद्धति के संबंध में अनेक उपयोगी निर्देश प्राप्त होते हैं, मौर्यकाल में मुद्रापद्धति के संचालन के लिये एक पृथक् अमात्य होता था, जिसे 'लक्षणाध्यक्ष' कहते थे। एकसाल का प्रचालन अधिकारी 'सीवर्णिक' कहलाता था, अर्थशास्त्र में दो प्रकार के सिक्के लिखे हैं—

१. कोषप्रवेश्य—ये मुख्य सिक्के होते थे, वर्तमान परिमाणों में इन्हें 'लीगल टेंडर' कहा जा सकता है। राजकीय कर तथा क्रय-विक्रय के लिये इन्हीं को प्रामाणिक माना जाता था।

२. व्यापहारिक—इनकी कीमत कोषप्रवेश्य सिक्कों पर ही आश्रित थी। ये साधारण लेन देन के काम आते थे। वर्तमान परिभाषा में इन्हें 'टाकनमनी' कह सकते हैं।

सिक्के अनेक मूल्यों के होते थे, चाँदी के सिक्कों में चार भाग चाँदा, एक भाग त्रपु, सोसा या अन्य धातु और नी माग-गुड चाँदी रहती थी। इस सिक्के को पण या रूपयण कहते थे। पण के अतिरिक्त, वर्तमान अठन्नी, चवन्नी व दुबन्नी के समान

अर्धपण्य, पादपण्य और अष्टभागपण्य सिक्के भी प्रयोग में आते थे। चाँदी के पण्यों व अर्धपण्य आदि के अतिरिक्त, चाँदे के सिक्के भी प्रचलित थे जिन्हें 'साम्राज्य' या 'मापक' कहते थे। इसके भी भाग, अर्धमापक, काकणों ($\frac{1}{2}$ मापक) और अर्ध-काकणों ($\frac{1}{4}$ मापक) होते थे। चाँदे और चाँदी के अतिरिक्त संभवतः सोने का भी एक सिक्का उस युग में प्रचलित था। इसे मुद्रण कहते थे इसका भार $\frac{1}{2}$ तोले होता था।

जो नागरिक चाहे, धातु जे जाकर सौवर्णिक के पास से सिक्के बनवा सकता था। प्रत्येक सिक्के पर बनवाई के तीर पर एक काकणों ली जाती थी। सिक्कों के बदले में सोना चाँदी भी खुले तीर पर लिया जा सकता था। "पर वे सिक्के 'कीमती और परिशील्य' नहीं होने चाहिये, इनका भार ठीक हो, काल द्वारा या अन्य किसी कारण से वे हलके न हो गये हों।"

सिक्कों के अतिरिक्त कीमत चुकाने के कुछ अन्य साधन भी सौर्यकाल में प्रचलित थे। ऐसे एक साधन 'आदेश' का वर्तमान आणक्य ने किया है। राजदर की टफेट से किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति को कीमत चुकाने की आज्ञा का नाम 'आदेश' है। वर्तमान समय में इसी को हुंडी कहते हैं।

(७) सूद के नियम

सौर्यकाल में सूद पर रुपया देने की प्रथा चिद्यमान थी। उधार व ऋण को बहुत महत्त्व की बात माना जाता था। इसी लिये आणक्य ने लिखा है, कि धनिक (उस्तमर्षी) और धारणिक (अधमर्षी) के संबंध पर राज्य का कल्याण आश्रित है। अर्थशास्त्र में सूद की जो दरें लिखी गई हैं वे वर्तमान काल की दृष्टि से बहुत अधिक हैं। उस रूपमें वे लिये, जिसके हुनने का डर नहीं होता था, जिसे भली-भाँति सुरक्षित समझा जाता था,

१२ रु० प्रतिवर्ष प्रतिशत सूद देना होता था। यह दर कम से कम थी। ब्याजकर्म ने इसे कानून से अनुमत लिखा है। पर व्यवहार में सुरक्षिता का कमी के अनुसार सूद की दर इससे बहुत अधिक भी होती थी। साधारणतया, ५ प्रतिशत प्रतिमास या ६० फी सदी की दर से रुपया उधार मिलता था। जहाँ खतरा अधिक था, वहाँ सूद की दर इससे भी बहुत अधिक होती थी। व्यापार के लिये जंगल में जाने वाले व्यापारियों को १० फी सदी प्रतिमास के हिसाब से सूद देना होता था। समुद्र पर जाने वाले व्यापारियों को २० फी सदी मासिक के हिसाब से सूद देने पर रुपया मिलता था, क्योंकि उसमें रुपये के डूबने का खतरा बहुत अधिक रहता था। इन व्यापारियों को जहाँ भयंकर खतरे का सामना करना होता था, वहाँ उन्हें मुनाफा भी बहुत मिलता था। इसीलिये वे इतना सूद दे सकते थे। इससे अधिक सूद का दर नहीं बढ़ सकती थी। इससे अधिक सूद लेने पर कड़े दंड की व्यवस्था थी।

कज्रशर या धारणिक के मर जाने पर उसका लड़का कर्ज के लिये उत्तरदायी माना जाता था। यदि यह धारणिक के कोई संतान न हो तो जो भी उसको संरक्षित का उत्तराधिकारी हो, वही उसका देनगी को अदा करता था। यदि जगु किसी अमानत के आधार पर लिया गया हो तो उस अमानत के माल को बेचकर रुपया चुका लिया जाता था।

यदि धनिक दस साल तक अपने भ्रत की कोई परवाह न करे, उसे बसूल करने का प्रयत्न न करे, तो उस पर उसका कोई हक नहीं रह जाता था। पर इस नियम के कुछ अपवाद भी थे। नावांशित, अत्यंत बूढ़, रोगी, आपक्षिप्रस्त, देश से बहिष्कृत या देश के बाहर गये हुए धनिक दस साल बीत जाने पर भी जगु बसूल करने के हकदार रहते थे। इसी तरह राज्याभिन्न

(राजनैतिक अव्यवस्था) के समय में भी भनिकाँ पर दस साल का नियम लागू नहीं होता था।

निम्नलिखित व्यक्ति सूद से मुक्त थे। इनको ज़रों पर सूद नहीं देना होता था -

१. जो दीर्घ सत्र या किसी बड़े अनुष्ठान में लगा हो।
२. जो बहुत समय से रोगी हो।
३. जो किसी शिद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो।
४. जो नाबालिग हो।
५. जिसके पास अपने पालनपोषण के लिये धन न हो।

यदि किसी कर्षदार ने दो भिन्न-भिन्न भनिकाँ से ऋण लिया हो, तो वह लेने के क्रम से ही ऋण को चुकाता था। न्यायालय में भी इस क्रम को ही स्वीकार किया जाता था।

(८) दासप्रथा

सैगस्थनीज ने लिखा है, कि 'भारतवर्ष के विषय में यह ध्यान देने योग्य बात है, कि समस्त भारतीय स्वतंत्र हैं, उनमें से एक भी दास नहीं है। लेकिन इमोनियम्स और भारतवासी यहाँ तक तो एक दूसरे से मिलते हैं। पर लेकिन इमोनियम्स लोगों में हेलाँट लोगों की दासों की तरह रखा जाता है। ये हेलाँट लोग नीचे दर्जे का परिश्रम करते हैं। पर भारतीय लोग बिदेसियों तक को दास नहीं बनाते, अपने देशवासियों की तो बात ही क्या है ?'

इस प्रकार स्पष्ट है, कि ग्रीक लेखकों के अनुसार भारत में दासप्रथा का सर्वथा अभाव था। पर कौटलीय अर्थशास्त्र से इस बात की पुष्टि नहीं होती। संभवतः, ग्रीक लोगों की दृष्टि में जो दासप्रथा थी, वह भारत में नहीं थी। यहाँ दासों के साथ सवना कड़ा तथा भयंकर व्यवहार नहीं किया जाता था, जैसा

कि प्रोस व रोम में होता था। पर इस देश में दासप्रथा का अभाव नहीं था। प्रोक लेखकों में ही आनिस्मिथिस के अनुसार यह बात (दासप्रथा का अभाव) केवल उसी प्रदेश के संबंध में ठीक है, जहाँ सूसिकेनस (मुचुर्ग) राज्य था। यह राज्य सिकन्दर के आक्रमण के समय सिंध में था। वहाँ यदि अपना दासों का सर्वथा अभाव हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। अर्थशास्त्र के अनुशीलन से दासप्रथा के संबंध में जो बातें ज्ञात होती हैं, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

१. उस समय जन्म से ही बहुत से दास होते थे। उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता था।

२. म्नेच्छ (आर्यभिन्न) लोग अपने बच्चों व अन्य संबंधियों को दास की भाँति बेच सकते थे। पर आर्यों में यह प्रथा नहीं थी, उन्हें अपने संबंधियों को बेचने पर कठोर दंड मिलता था।

३. साधारणतया, आर्य दास नहीं बन सकता था। पर कुछ अवस्थाओं में आर्य भी थोड़े समय के लिये दास हो सकता था। (क) अपने परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिये यदि अपने को बेचना आवश्यक हो। (ख) जुरमानों का दंड अदा करने के लिये। ग) यदि राज-दंड दास बनने का मिला हो। (घ) यदि युद्ध में लौटकर दास बनाया गया हो।

४. दासों से बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था। उनसे मुरदा उठवाना, मूत्र, विष्ठा, वा जूठा उठवाना निषिद्ध था। वे नंगे नहीं रखे जा सकते थे। उन्हें पीटना वा गाली देना भी मना था।

५. दास लोग स्वामी के कर्षण को सुकसान न पहुँचाने हुए

अपनी अलग कमाई कर सकते थे। अरने माता-पिता से प्राप्त संपत्ति पर भी दासों का अधिकार होता था।

६. कीमत चुका कर दास जोग फिर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे।

७. बिना वारंट के दासों को जैद में नहीं डाला जा सकता था ऐसा करने पर स्वामी को दंड मिलता था।

८. दास स्त्रियों व लड़कियों के साथ अनाचार नहीं किया जा सकता था। यदि दास किसी स्त्री से अनाचार करे, तो फिर वह दास नहीं रह जाती थी। स्वामी का उस पर अधिकार नहीं रहता था।

९. आर्य दास की संज्ञान दास नहीं होती थी। वह आर्य ही मानी जाती थी।

१०. कीमत चुकाने पर जन्म के दास भी स्वतंत्र हो सकते थे। स्वतंत्र होने के लिये दास जोग अलग कमाई करते थे। खेती जोग भी कीमत चुका कर दास को स्वतंत्र करा सकते थे।

इन विविध नियमों के कारण भारत में दासप्रथा का रूप मीस व राम की दासप्रथा से बहुत भिन्न था। इसी कारण मैग-स्थनीय को यहाँ इस प्रथा का संबंध अभाव अनुभव हुआ था।

दुर्गों का स्वरूप

मैगस्थनीय के अनुसार पाटलीपुत्र नगर कितना विराल और किस प्रकार का था, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। कीटलीय अवतराम में एक आदर्श नगर का चित्र खींचा गया है। अपने समय के वास्तविक नगरों को दृष्टि में रख कर ही इस कल्पित नगर की रूपरेखा बनाई गई है। आणक्य के अनुसार नगर के चारों ओर छः छः कीट की दूरी पर तीन साइपों बनी होनी चाहिये। इनकी चौड़ाई कम से ८५, ७२ और ६०

फ्रीट हो। इसी तरह खाइयों की गहराई कमरा: ४२, ३६, और ३० फ्रीट या ६३, ५४, और ४४ फ्रीट हो। इन खाइयों की दीवारें पत्थर या ईंट की बनी हुई हों। इनमें पानी भरा हो और मगर, मच्छ आदि हिंस्र जंतु रखे हुए हों। सबसे अंदर की खाई से २४ फ्रीट दूर भीतर की तरफ ३६ फ्रीट ऊंची और ७२ फ्रीट चौड़ी प्राचीर (बंध या शहरपनाह) हो। इस दीवार के ऊपर १२ हाथ से २४ हाथ तक चौड़ी दूसरी दीवार (प्रकार) बनाई जाय। इस तरह शहर को चारों ओर से दुर्ग या किले की तरह बनाया जाय। इस दीवार में १२ मुख्य दरवाजे हों, और अंदर तीन राजपथ (३२ फ्रीट चौड़े) पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले और तीन राजपथ पश्चिम से दक्षिण की ओर जाने वाले बनाये जायें। शहर के नवें हिस्से में, मध्यभाग से उत्तर की ओर, चारों बर्यों के लोगों के मकानों के बीच में राजा के लिये महल बनाया जाय। राजमहल के पूर्वोत्तर भाग में आचार्य और पुरोहित के मकान, पूजा का स्थान, जल का भंडार तथा मंत्रियों के निवास के लिये भवनों का निर्माण हो। पूर्वदक्षिण भाग में भोजनालय, हस्तिशाला और कौष्ठागार रहें। पूर्व में सुरांचित पदार्थ, माल्य, धान्य, तथा रस के दुकानदार, मुख्य शिल्पी तथा जपिय सौम्य बसाये जायें। इसी तरह शहर के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न लोगों के लिये स्थान निश्चित रहें। पूजामंदिर, रमरान आदि के लिये भी पृथक् निश्चित स्थान रहें।

मौर्यकाल में गाँव का क्षेत्रफल प्रायः एक कोस से दो कोस तक होता था, और उनमें १०० से लेकर ४०० तक परिवार निवास करते थे। गाँवों की जनता प्रायः सेठी से अपना निवाह करती थी। गाँवों की सीमा को निश्चित करने के लिये प्रायः नदी, पहाड़, जंगल, पेड़, गुहा, सेतुबंध, सिखल, बड़, शिखल

आदि का प्रयोग किया जाता था। खेती की जमीन से घुबक गोबर भूमि अलग रहती थी। इस पर गाँव के पशु स्वच्छन्द रूप से चर सकते थे। कुबकों के अतिरिक्त, गड़रिये, भाले, कारीगर, सौदागर आदि अनेक पेटे वाले लोग भी गाँवों में निवास करते थे।

(६) सार्वजनिक कष्टों का निवारण

सौर्यकाल से दुर्भिक्ष, अग्नि, बाढ़ आदि सार्वजनिक कष्टों के निवारण के लिये अनेकविध उपायों का अनुसरण किया जाता था। दुर्भिक्ष को निवृत्त के लिये नहरों तथा सिंचाई के अन्य साधनों का निर्माण किया जाता था। भूमि को 'दिश-भारका' की जगह 'अदेवमातृका' बनाने का प्रयत्न होता था। पर सिंचाई का मलीभक्ति प्रबंध होने हुए भी यदि कभी दुर्भिक्ष पड़ जाय, तो उसके निवारण के लिये वह व्यवस्था थी कि कोष्ठागार में संचित अन्न को लोगों में वितरण कर दिया जाय। उस युग में कोष्ठागार में सदा प्रभूत परिमाण में अन्न एकत्र रहता था। दुर्भिक्ष के समय इस पूर्वसंचित अन्न का उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य उपायों का उल्लेख आसुक्व ने किया है -

१. दुर्गत कर्म-दुर्भिक्ष के निवारण के लिये विपद्ग्रस्त लोगों को सहायता के लिये राज्य की ओर से अनेकविध कार्यों को प्रारंभ किया जाता था। इनसे गरीब लोगों को काम मिलता था, और उससे वे भोज्य पदार्थ खरीद कर स्वर्पूर्ति कर सकते थे। ऐसे कार्यों को 'दुर्गत कर्म' कहते थे।

२. भक्षानुमह - भोजन को अनुमह या कम कीमत से बेचने को 'भक्षानुमह' कहते थे। दुर्भिक्ष-पोकियों के लिये राज्य की ओर से सस्ते भोजन का प्रबंध रहता था।

३. देशनिक्षेप—देश की अमानत पर या राज्य की सत्ता पर उबार लेना। दुर्भिक्ष के निवारण के लिये राष्ट्र की तरफ से ऋण लिया जाता था, जिसे 'देशनिक्षेप' कहते थे।

४. मित्रों की सहायता—मित्र राज्यों से सहायता की याचना की जाती थी।

५. कर्शन—धनी लोगों से जोर डाल कर धन लेना। दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिये जो निधि खोली जाती थी, उसमें मित्र देश जहाँ सहायता करते थे, वहाँ अपने देश के लोगों से भी चंदा लिया जाता था। धनी लोगों पर इस चंदा के लिये जोर भी डाला जाता था, इसीलिये उसे 'कर्शन' कहते थे।

६. वमन—राज्यकोप का प्रयोग। ऐसे अवसरों पर राजा अपने कोप का उद्धारतापूर्वक वमन करने में संकोच नहीं करता था।

आंग्र की आपत्ति से ग्राम व नगर निवासियों की रक्षा करने के लिये राज्य की तरफ से यह प्रबंध था कि गाँव के लोग भोजन घर के बाहर बनायें। यदि उनके पास 'दशमूली संग्रह' मौजूद हो, तो भोजन मकान के अंदर भी बनाया जा सकता था। वही व्यवस्था शहरों के लिये भी थी। दशमूली संग्रह में ये दस उपकरण सम्मिलित थे—(१) पंचघटकः—जल से भरे पाँच बड़े। (२) कुम्भ—जल से भरा एक बहुत बड़ा बटका। (३) द्रोणी—जल से भरा लकड़ी का बना एक बड़ा हीजा। (४) निधेगो—सीढ़ी। (५) परशु—कुल्हाड़ी। (६) शूष—सूप। (७) अंकुरा—जलती लकड़ियों को गिराने के लिये एक अंकुश। (८) कच-रस्से और रस्सियाँ। (९) महसी-मकान से बस्तुएँ बाहर निकालने के लिये टोकरी। (१०) इति चमड़े का थैला। ये सभी बस्तुएँ आग बुझाने में सहायक होती थीं। गौरवकाल में प्रायः मकान लकड़ी के बने होते थे। इसलिये भोजन

के लिये भी यह उचित था, कि यदि वे दस चीजें पास न हों तो भोजन बाहर चलाया जाय।

ऐसे उपाय भी किये जाते थे, जिनसे आग लगने की संभावना कम रहे। (१) ऐसी व्यवसायी जिन्हें आग से काम करना होता है, शहर में पृथक् पृथक् स्थान पर बसाये जाते थे। (२) घूस और चटोई के मकान नहीं बनने दिये जाते थे। (३) गरमी के मौसम में दिन में दोपहर के समय आग लगाने की मनाई थी।

आग से रक्षा के लिये मार्गों, चौगाहों तथा अन्य महत्त्व के स्थानों पर जल से भरे हुए हथारों भरवन रखे रहते थे। सब लोगों के लिये आवश्यक था, कि आग बुझाने में सहयोग दें। जो कोई इसमें प्रमाद करते थे, उन पर जुर्माना होता था। आग लगाने वालों का पता लिखा जाता था और अपराधियों की कड़ा दंड मिलता था। यदि किसी से भूल में या प्रमादवश आग लग जाय, तो उसे १४ पण जुर्माने की सजा थी। जान-बूझकर आग लगाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। अग्नि से रक्षा के लिये अनेक आभिव्यक्तिक क्रियाओं का वर्णन भी आचार्य चाणक्य ने किया है। इस प्रकार के सामाजिक व्यवहार भी बनाये जाते थे, जिनके प्रयोग से मकान में आग लगने का डर नहीं रहता। चाणक्य ने लिखा है—'दाहिने से बाईं ओर मानुष अग्नि यदि अंतपुर के चारों ओर घुमाई जाय, तो उसमें अग्नि नहीं लग सकती। यदि बिजली की राख को ओले के पाली तथा मट्टी से सात कर हीचारी पर लीपा जाय, तो वहाँ कोई दूसरी आग नहीं लग सकती।'

आकस्मिक बाढ़ से बचने के लिये मीठकाल में नौकायें तथा तथा अन्य साधन तैयार रखे जाते थे। जिन लोगों के पास नौकायें, तमनें, नून्ये, डोंगियाँ आदि होती थीं, उनका कर्तव्य

होता था कि वे बाढ़पीड़ितों को पूरी सहायता करें। इस कार्य में शिथिलता दिखाने पर १२ पक्ष जुरमाना किया जाता था। बाढ़ के भय को दूर करने के लिये अनेक धार्मिक क्रियायें भी की जाती थीं। चाणक्य ने लिखा है—'घर्षों' में नदी की पूजा को ज्ञान भाषावेद तथा योगविद्या के ज्ञानने वाले घृष्टि के विरुद्ध प्रयोग करें। घर्षों के रुक जाने पर शचीनाथ, गंगा, पर्वत तथा महाकश्यप की पूजा की जाय।'



बाल यागी

पाटली पुत्र से प्राप्त पकी हुई मिट्टी का स्तंभ

पटना संग्रहालय

तीसरी से पहली शती ई० पू०

वारुहवाँ अत्र्याय

मौर्यकालीन समाज और सभ्यता

(१) भारतीय समाज के विविध वर्ग

मौर्यशासकों के अनुसार भारत की संपूर्ण वस्ती सात वर्गों में बँटी हुई थी। यद्यत् यज्ञी का यह वर्गीन उस समय के समाज पर बहुत अरुद्धा प्रकाश डालता है। अतः हम उसे यहाँ उद्धृत करते हैं—

भारतवर्ष की सारी आबादी सात जातियों (वर्गों) में बँटी है। पहली जाति दार्शनिकों के समुदाय से बनी है, जो यद्यपि संख्या की दृष्टि से अन्य जातियों की अपेक्षा कम है, तथापि प्रतिष्ठा में उन सब से श्रेष्ठ है। दार्शनिक लोग सभी सार्वजनिक कर्तव्यों से मुक्त हैं, इस लिये न तो किसी के दास हैं और न किसी के स्वामी हैं। गृहस्थ लोगों के द्वारा ये वलि-प्रदान करने तथा मृतकों का श्राद्ध करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि ये देवताओं के बहुत प्रिय हैं और परलोक संबंधी बातों में बहुत निपुण हैं। इन क्रियाओं के बदले में वे बहुमूल्य दान पाते हैं। भारत के लोगों को इनसे बहुत लाभ पहुँचता है। साल के प्रारंभ में जब ये लोग एकत्र होते हैं, तो अनामृष्टि, शीत, आँधी, रोग आदि की पहले से ही सूचना दे देते हैं। इसी तरह की अन्य बहुत सी बातों को भी ये पहले से ही बता देते हैं, जिनसे कि सर्व-साधारण को बहुत लाभ पहुँचता है। इस प्रकार राजा और प्रजा—दोनों भविष्य को पहले से ही जानकर उसका प्रबंध

कर सकते हैं। जो वस्तु आवश्यकता के समय काम आवेगी, उसका पहले से ही प्रबंध करने में वे कभी नहीं चूकते। जो दार्शनिक अपनी भविष्यवाणी में भूल करता है, उसको निंदा के सिवाय अन्य कोई दंड नहीं मिलता। भविष्यवाणी अशुद्ध होने की दशा में फिर दार्शनिक जीवन भर मौन अवलंबन कर लेता है।

दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो दूसरों से संख्या में बहुत अधिक हैं। वे राजा को भूमिकर देते हैं। किसान लोग स्वयं अपनी खियों और बच्चों के साथ देहात में रहते हैं, और नगरों में जाने से बिलकुल बचते हैं।

तीसरी जाति के अंतर्गत अहोर, गड़रिये तथा सब प्रकार के चरवाहे हैं, जो न नगरों में बसते हैं और न ग्रामों में, बल्कि वे डेरों में रहते हैं। शिकार तथा पशुओं को जाल आदि में फँसा कर वे देश को हानिकर पक्षियों और जंगली पशुओं से मुक्त करते हैं। वे अपने इस कार्य में बड़े उत्साह के साथ लगे रहते हैं। इसी लिये वे भारत को उन विपत्तियों से, जो कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में विद्यमान हैं—जैसे सब प्रकार के जंगली जंतु और किसानों के बोये हुए बीजों का खा जाने वाले पक्षी—मुक्त करते हैं।

चौथी जाति कारीगर लोगों की है। इनमें कुछ कवच बनाने वाले हैं, और कुछ उन विविध उपकरणों (औजारों) को बनाते हैं, जिनका किसान तथा अन्य व्यवसायी लोग उपयोग करते हैं।

पाँचवीं जाति सैनिकों की है। यह भोजीभाँति संगठित तथा युद्ध के लिये सुसज्जित रहती है। संख्या में इसका दूसरा स्थान है। शांति के समय वह आलस्य और आनन्द-प्रमोद में

मस्त रहती है। सारी सेना, योद्धा सैनिक, युद्ध के घोड़े-हाथी सब का राजकीय खर्च से पालन होता है।

छठवाँ जाति में निरीक्षक लोग हैं। इनका काम यह है कि जो कुछ भारतवर्ष में होता है, उसकी खोज तथा देख-भाल करते रहें और राजा को, तथा जहाँ राजा न हो वहाँ अन्य किसी राजकीय शासक को, इसकी सूचना देते रहें।

सातवाँ जाति सभासदों तथा अन्य शासनकर्ताओं की है। ये लोग राज्यकार्य की देख-भाल करते हैं। संख्या की दृष्टि से यह जाति सब से छोटी है, पर अपने चरित्र तथा बुद्धि के कारण सब से प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा के मंत्रोगण, राज्य के कोषाध्यक्ष और न्यायकर्ता लिखे जाते हैं। सेना के नायक व मुख्य शासक लोग प्रायः इसी जाति के होते हैं।

मैगस्थनीज द्वारा बख्शित भारतीय समाज के इन सात वर्गों को हम क्रमशः ब्राह्मण-अभ्युक्त, कृषक, गोपाल-श्वगणिक-बागुरिक मार्गयुक्त, कारु-शिल्पि-वैदेहक, भट, प्रतिवेदक-अक्षय-धार्मिक और मंत्रि-महामात्र-अमात्य कह सकते हैं। ये सात कोई धृष्य जातियाँ नहीं थीं। यद्यपि यात्री मैगस्थनीज ने भारत के समाज की जो दशा देखी, उसके अनुसार उसने ये सात वर्ग वहाँ पाये।

(२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति

मौर्यकाल में बहुविवाह की प्रथा विद्यमान थी। मैगस्थनीज ने लिखा है—'वे बहुत सी स्त्रियों से विवाह करते हैं।' विवाहित स्त्रियों के अतिरिक्त अनेक स्त्रियों को केवल आमोद-प्रमोद के लिये भी घर में रखा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार कुछ को तो वे दत्तचित्त सहस्रमिस्रिणी बनाने के लिये विवाह करके लाते हैं, और कुछ को केवल आनन्द के हेतु वना पर को लड़कों से भर देने के लिये। कौटिलीय अर्थशास्त्र से भी यह

वात पुष्ट होती है। वहाँ लिखा है—'पुरुष कितनी ही स्त्रियों से विवाह कर सकता है, स्त्रियाँ संतान उत्पन्न करने के लिये ही हैं।

अर्थशास्त्र में धर्मानुकूल चार प्रकार के विवाह लिखे हैं, ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष और दैव। ब्राह्म विवाह में कन्या को आभूषण आदि से सजा कर दिया जाता था। प्राजापत्य विवाह में वर-वधु के लिये परस्पर मिल कर धर्मचर्या का पालन ही पर्याप्त समझा जाता था। आर्ष विवाह में कन्यापन्न की ओर से गौओं की एक जोड़ी वरपन्न को दी जाती थी। दैव विवाह में यज्ञवेदी के सम्मुख अग्निज की स्वीकृति ही पर्याप्त मानी जाती थी।

इन के अतिरिक्त चार प्रकार के विवाह और होते थे। आमुर विवाह में दहेज देकर लड़की का विवाह किया जाता था। कन्या और वर के परस्पर मुक्त प्रेम से जो विवाह हो जाय, उसे गान्धर्व कहते थे। जिस विवाह में कन्या को जबरदस्ती छीन कर ले जाया जाय, उसे राक्षस कहते थे। सोई हुई या अन्य प्रकार से बेमुश्किल कन्या को जबरदस्ती उठा ले जाकर जो विवाह कर लिया जाय, वह पैशाच कहलाता था। विवाह की ये आठों रीतियाँ मौर्यकाल में प्रचलित थीं।

मौर्य युग में दहेज प्रथा की सत्ता विशेषरूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि दहेज (शुल्क) लेकर किये गये विवाह को आमुर नाम दिया गया है, पर उस समय में यह अच्छी तरह प्रचलित था। इसीलिये चाणक्य को दहेज के संबंध में बहुत से नियम बनाने की आवश्यकता हुई थी। शुल्क (दहेज) पर वर के माता-पिता का अधिकार होता था। दोनों के अभाव में ही वधु दहेज की अधिकारिणी हो सकती थी। पति के मरने पर स्त्री को दहेज का बचा हुआ भाग मिल जाता था।

पुरुष और स्त्री, दोनों को इस युग में पुनर्विवाह का अधिकार था। पुरुषों के पुनर्विवाह के संबंध में ये नियम दिये गये हैं—यदि किसी स्त्री के आठ साल तक बच्चा न हो, या जिस के कोई पुरुष संतान न हो, या जो बंध्या हो, उसका पति पुनर्विवाह से पूर्व आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री के मृत बच्चा पैदा हो, तो दस साल तक प्रतीक्षा करे। केवल लड़कियाँ ही उत्पन्न हों, तो बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे। इसके बाद पुत्र की इच्छा होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। स्त्री के मर जाने पर तो पुनर्विवाह हो ही सकता था।

पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी पुनर्विवाह का अधिकार था। पति के मरने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह करना चाहे, तो उसे अपने स्वसुर तथा पतिपुत्र के अन्य संबंधियों द्वारा प्राप्त धन वापस देना होता था। परंतु यदि पुनर्विवाह स्वसुर की अनुमति से हो, तो स्त्री इस धन को अपने पास रख सकती थी। पति की मृत्यु के अतिरिक्त भी कुछ अवस्थाओं में स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार था। 'यदि किसी स्त्री के कोई सन्तान न हो और उसका पति विदेश गया हुआ हो, तो वह एक साल तक प्रतीक्षा करे। यदि उसके कोई संतान न हो, तो अधिक समय तक प्रतीक्षा करे। यदि पति स्त्री के लिये भरण-पोषण का प्रबंध कर गया हो, तो दुगने समय तक प्रतीक्षा को जाय' यदि पति विद्याध्ययन के लिये विदेश गया हो, तो संतानरहित स्त्री दस वर्ष और संतान सहित स्त्री बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे, यह नियम था।

मौर्यकाल में निवोग की प्रथा भी प्रचलित थी। यदि कोई राजपुरुष विदेश गया हुआ हो, तो उसकी स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। पर वह किसी और पुरुष से बच्चा उत्पन्न कर सकती थी। चाणक्य ने लिखा है कि शूद्र प्रकर अपने

वंश की रक्षा के लिये संतान उत्पन्न कर लेना बदनामी का कारण नहीं होना चाहिये।

मौर्यकाल में तलाक की प्रथा भी विद्यमान थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र में तलाक के लिये 'मोक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री और पुरुष, दोनों को ही तलाक का अधिकार था। इस विषय में अर्थशास्त्र के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं—

'यदि कोई पति बुरे आचार का है, परदेश गया हुआ है, राज्य का द्वेषी है या यदि कोई पति खूनी है, पतित है या नपुंसक है, तो स्त्री उसका त्याग कर सकती है।

'पति से घृणा करती हुई स्त्री, उस (पति) की इच्छा के बिना तलाक नहीं दे सकती। इसी तरह स्त्री से घृणा करता हुआ पति, इस (स्त्री) की इच्छा के बिना तलाक नहीं दे सकता। पर पारस्परिक घृणा से तलाक हो सकता है।

'यदि स्त्री से तंग आकर पुरुष उनको तलाक देना चाहे, तो सो भन स्त्री की ओर से उसे मिला है, वह उसे लौटा दिया जाय। परन्तु यदि स्त्री पति से तंग आकर तलाक देना चाहे तो इसका भन उसे न लौटाया जाय।'

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये, कि पहले प्रकार के चार 'धर्मानुकूल' विवाहों में तलाक नहीं हो सकता था। तलाक केवल पिछले चार विवाहों में ही विहित था।

मैगस्थनीज तथा कौटिल्य—दोनों के ग्रंथों के अनुरीतन से ज्ञात होता है, कि मौर्यकाल ने स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊँची नहीं थी। मैगस्थनीज ने स्त्रियों के खरीदने व बेचने की बात लिखी है, उसके अनुसार एक जोड़ा बैल लेकर पुरुष स्त्रियों को खरीद लेते थे। इसी तरह राजा लोग अपने साथ रखने के लिये बहुत स्त्री स्त्रियों को उनके माता पिता से खरीद लेते थे। वर्तमान अर्थ में स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। उन्हें प्रायः पति की आज्ञा

में और घर के भीतर ही रहना होता था। इस विषय में अर्थशास्त्र के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं—'वतरे को छोड़ कर यदि किसी अन्य कारण से कोई स्त्री अपने पति के घर से बाहर जाय, तो उस पर छः पण जुरमाना किया जाय। यदि वह पति की आज्ञा के विरुद्ध घर से बाहर जाय, तो बारह पण जुरमाना किया जाय, यदि स्त्री पड़ोसी के घर से परे चली जाय, तो उस पर छः पण जुरमाना किया जाय। मौर्यकाल में स्त्रियाँ प्रायः परदे में रहती थीं। अर्थशास्त्र में स्त्रियों को 'न निकलने वाली' कहा गया है।

(३) धार्मिक विश्वास

चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यज्ञों में पशुहिंसा, बलिदान तथा श्राद्ध-प्रचलित थे। मैगस्थनीज ने लिखा है—'यज्ञ व श्राद्ध में कोई मुकुट धारण नहीं करता। वे बलि के पशु को छुरी धसा कर नहीं मारते, अपितु गला घोट कर मारते हैं, जिससे देवता की भेंट खंडित वस्तु न करके पूरी वस्तु की जाय।

'एक प्रयोजन जिस के लिये राजा अपना महत्त छोड़ता है, बलि प्रदान करना है। पर गृहस्थ लोगों द्वारा ये दार्शनिक बलि प्रदान करने तथा मृतकों का श्राद्ध करने के लिये नियत किये जाते हैं।'

मैगस्थनीज के उदाहरणों से स्पष्ट है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पशुबलि की प्रथा भलीभाँति प्रचलित थी। बौद्ध और जैन धर्मों का इस समय काफी प्रचार हो रहा था, पर अभी यज्ञों में पशुबलि देने की प्रथा नष्ट नहीं हुई थी। आगे चलकर अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार विशेष रूप से हुआ, और तब पशुहिंसा, और 'समाजों' में पशुओं के इन्द्रियुद्धों को बंद करने का प्रयत्न किया गया। कौटिलीय अर्थशास्त्र में यज्ञों के विविध

अनुष्ठानों तथा अग्निष्ठी आदि यज्ञकर्ताओं का अनेक स्थानों पर उल्लेख आया है।

अथशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौर्यकाल में अनेकविध संप्रदाय विद्यमान थे। वहाँ लिखा है—'नगर के मध्य में आपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, वैजयन्त, इनके कोण्ड और शिव, वैश्वानर, अरिष और श्रीमदिरा के घर बनाये जायें। इन कोण्डों और गृहों में यथास्थान देवताओं का अनुष्ठान = स्थावर रूप में वर्तमान देवता, की स्थापना की जाय। भिन्न-भिन्न दिशाओं में यथास्थान दिग्देवताओं (दिशा के देवताओं) की स्थापना की जाय।'

स्पष्ट है, कि मौर्यकाल में भिन्न-भिन्न देवताओं की पूजा प्रचलित थी, और उसके लिये अलग-अलग मंदिर बने होते थे। देवताओं की मूर्ति बनाने का शिल्प उस समय उन्नति पर था, यह कार्य करने वाले 'देवताकार' कहलाते थे। नगर के द्वारों के नाम ब्रह्मा, इन्द्र, यम आदि के नाम से रखे जाते थे। तीर्थयात्रा का भी उस समय रिवाज था। तीर्थों में यात्रा पर एकत्रित लोगों से 'तीर्थकर' लिया जाता था। विविध संप्रदायों के लिये 'पापंड' शब्द व्यवहार में आता था। अशोक के शिलालेखों में संप्रदायों को पापंड कहा गया है। संभवतः विविध धर्मों के अनुयायी भिक्षुओं के मठों या आस्त्राहों के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था। चाणक्य की इनसे जरा भी सहानुभूति नहीं थी। उसके विचार सांसारिक उत्कर्ष, समृद्धि और गृहस्थ की उरुचता के पक्षपाती थे। संसार से विरक्त होकर 'पापंडों' में शामिल होना उसके आदर्शों के प्रतिकूल था। इसीलिये उसने व्यवस्था की थी, कि पापंडों को शहर से बाहर दमशान के परे चांडालों की बस्ती के पास जगह दी जाय। शहरों से बाहर रहते हुए, सुवर्ण या सुवर्णमुद्रा न रखकर, ये खुले बस सकते थे। पर यह

ध्यान रखा जाता था, कि एक पापंड से दूसरे पापंड को बाधा न पहुँचे।

देवताओं और धर्ममंदिरों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनके प्रति किसी तरह का कुवाक्य बोलने पर कड़े दंड की व्यवस्था थी। लोग तंत्र-मंत्र पर विश्वास रखते थे। मंत्र की साधना से अभिलषित फल की सिद्धि होती है, यह बात सर्वसाधारण में मान्य थी। उस युग में अनेक लोग धर्म के विविध ढोंग बनाकर जनता को ठगा भी करते थे। इसीलिये आचार्य चाणक्य ने अपनी कुटिल नीति का अनुसरण करते हुए राज्यों पर काबू करने के उपायों का वर्णन करते हुए लिखा है कि मंड या जटिल के वेश में गुप्तचर बहुत से चेलों को साथ लेकर नगर के समीप आकर बैठ जायें। पृष्ठने पर बतायें कि हम पर्वत की गुहा में रहने वाले हैं और हमारी आयु ४०० वर्ष की है। शिष्य लोग मूल, फल आदि लेने के लिये शहर में जाकर अमात्यों और राजकुल के लोगों को महात्मा जी के दर्शनों के लिये प्रेरित करें। जब राजा दर्शनों के लिये आये तो उसे पुराने राजा और देश के संबंध में इधर-उधर की बातें बतलाए और कहें कि 'सौ-सौ साल बाद आग में प्रवेश कर मैं फिर बालक बन जाता हूँ। अब मैं आपके सम्मुख चौथी बार आग में प्रवेश करूँगा। आप अवश्य ही देखने आइये, जो इच्छा हो, तीन बार माँग लो।' इस प्रकार अपना विश्वास जमाकर गुप्तचर अपने कार्य की सिद्धि करते थे।

यह नहीं समझना चाहिये, कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत में अन्य धर्मों का लोप होकर केवल बौद्ध धर्म का ही प्रचार हो गया था। प्राचीन यज्ञप्रधान वैदिक धर्म, विविध देवी-देवताओं की पूजा, अनेक पापंड आदि उस युग में विद्यमान थे। अरौक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में बहुत बढ़ गया, पर

अन्य संप्रदाय भी कायम थे। भक्तिप्रधान वैष्णव या भागवत धर्म का अंकुर भी इस युग में भलीभाँति पल्लवित हो रहा था। आगे चल कर यह भारत का प्रमुख धर्म हो गया। मैगस्थनीज ने लिखा है कि शूरसेन देश में कृष्ण की पूजा विशेष रूप से प्रचलित थी। राजपूताना में चित्तौड़ के समीप प्राचीन माध्यमिका नगरी के भग्नावशेषों के समीप घोसुंडी नामक गाँव में मौर्यकाल का एक शिलालेख मिला है, जिसमें संकर्यक्ष और वासुदेव की पूजा के लिये दान देने की बात उल्लेख्य है। इससे सूचित होता है, कि भागवत धर्म का मौर्यकाल में प्रचार शूरसेन देश से बाहर भी राजपूताना तक उस समय में हो चुका था।

(४) भारतीयों का भोजन और पान

मैगस्थनीज ने लिखा है—'जब भारतीय लोग भोजन के लिये बैठते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने भेष रहती है, जो कि विपाई की शकल की होती है। इनके ऊपर एक सोने का प्याला रखा जाता है, जिसमें सब से पहले चावल परोसे जाते हैं। वे इस तरह उबले हुए होते हैं, जैसे जौ हो। इसके बाद अन्य बहुत से पकाए परोसे जाते हैं, जो भारतीय सामग्रियों के अनुसार तैयार किये जाते हैं।' एक अन्य स्थान पर इस यवन यात्री ने लिखा है—'वे सदैव अकेले में भोजन करते हैं। वे कोई ऐसा नियत समय नहीं रखते, जब कि इकट्ठे मिल कर भोजन किया जाय। जिस समय जिसकी इच्छा होती है, वह तभी भोजन कर लेता है।'

सोने के प्याले में तो राजकुल के व उच्च राजकर्मचारी ही भोजन करते होंगे, जिससे मिलने का सीरियन सम्राट के राजदूत को प्रायः अवसर मिलता रहता होगा, पर मैगस्थनीज के इस बिबरन से भोजन के संबंध में भारतीयों की परिपाटी का अचरय परिचय मिल जाता है।

मौर्यकाल के भारतीय स्वादु भोजन बनाने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। राजा की जो महानस (रसोई) होती थी, उसके विषय में चाणक्य ने लिखा है कि तरह-तरह के सुस्वादु भोजन तैयार कराये जायें। भिन्न-भिन्न वस्तुओं को पकाने के लिये अलग-अलग पाचक होते थे। साधारण बाजार में भी अनेकविध भोज्य पदार्थों के अलग-अलग विक्रेता होते थे। मांस-भोजन का उस समय बहुत रिवाज था। उस युग में बहुत से पशु, पक्षी, मछली आदि जंतुओं को भोजन के लिये मारा ब बेचा जाता था। मांस को सुखा कर रखा जाता था। विविध भोज्य पदार्थों को बनाने वालों में से कुछ के नाम निम्न-लिखित हैं -

१. पकात्र परयाः—पकात्र बेचने वाले।
२. मांस परयाः—मांस बेचने वाले।
३. पक मांसिकाः—मांस पका कर बेचने वाले।
४. औदनिकाः—चावल, दाल पका कर बेचने वाले।
५. शौरिडकाः—शराब बेचने वाले।
६. आपूयिकाः—रोटी बना कर बेचने वाले।

अशोक के प्रयत्नों से प्राचीन भारत में मांस का उपयोग कुछ कम आबरव हुआ, पर बौद्धधर्म को स्वीकार करने के बाद भी अशोक के महानस में मांस बनना और उसके लिये पशु-हत्या जारी रही थी। यही दशा बौद्धधर्म के अन्य अनुयायियों की भी थी।

शराब का प्रचार भी मौर्ययुग में बहुत था। शराब के बेचने तथा पीने के लिये बड़ी-बड़ी दुकानें होती थीं, जिनमें अलग-अलग कमरे बने होते थे। प्रत्येक कमरे में सोने के लिये अलग-अलग विस्तरे बिछे होते थे। साथ ही, बैठने के लिये अनेक-विध आसन, सुगंधि, फूल, माला, जल तथा आराम की अन्य

वस्तुएँ सुसज्जित रहती थीं। इन सुन्दर सुसज्जित कमरों में विदेशी तथा भारतीय लोग शराब का आनन्द उठाते थे। शराब-गृहों में दूकानदार लोग केवल शराब ही नहीं देते थे, अपितु अपने माहकों के भोग के लिये सुन्दर रूप वाली दासियों व बेशरियों भी पेश करते थे।

शराब केवल शराबखानों में ही पी जा सकती थी। बाहर ले जाकर उसे पीने की अनुमति नहीं मिलती थी। केवल वे ही लोग अपने घरों में शराब ले जा सकते थे, जो भलीभाँति सब के जाने-बूझे हों, और जिनके चरित्र की पवित्रता बलीभाँति ज्ञात हो। आचार्य चाणक्य अनुभव करते थे कि शराब एक हानिकारक वस्तु है। उनकी सम्मति में शराब के सेवन से यह भय सदा बना रहता था, कि काम में लगे हुए सभी लोग प्रमाद में न फँस जायें, अर्थ लोग मर्यादा का भंग न करने लगे और तीक्ष्ण प्रकृति के लोग अज्यवस्था न मचा दें। इसीलिये यह नियम किा गया था कि लोगों के चरित्र तथा आचार को देख कर $\frac{1}{2}$ कुटुम्ब, $\frac{1}{3}$ कुटुम्ब, $\frac{1}{4}$ कुटुम्ब, $\frac{1}{5}$ प्रस्थ तथा $\frac{1}{6}$ प्रस्थ से अधिक शराब किसी को न दी जाय। संभवतः, इसी नियम का यह परिणाम था, कि शराब का सेवन भारत में बहुत मर्यादित था, और मैगस्थनीज यह लिख सका था, कि भारतीय लोग मदिरा नहीं पीते। उसके अनुसार मदिरा का सेवन केवल यहाँ में ही होता था।

(५) आमोद-प्रमोद

अर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि सौर्यकाल में बहुत से ऐसे लोग भी थे, जिनका पंशा लोगों का आमोद-प्रमोद करना तथा तमाशे दिखाना होता था। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर तमाशे दिखाने हुए घूमते रहते थे। अर्थ-

शास्त्र में ऐसे नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्जीवन (तरह-तरह की बोलियाँ बोलकर आजीविका कमाने वाले), कुशीलब, अक्षक (रस्सी पर नाचने वाले), सौभिक (मदारी) और चारखों का उल्लेख किया गया है। ये सब शहर या गाँव के बाहर तमाशे दिखाया करते थे। प्रेक्षा (तमाशा) के लिये इन्हें लाइ-संस लेना पड़ता था, और इसके लिये राज्य को पाँच पस दिने जाते थे। अनेक बार तमाशे का प्रबंध ग्राम की तरफ से होता था। इस दशा में ग्राम के सब निवासी उसमें अपनी तरफ से हिस्सा डालते थे। जो हिस्सा न डाले, उसे प्रेक्षा में शामिल होने का अधिकार नहीं होता था। आचार्य चाणक्य की सम्मति में नट, नर्तक आदि तमाशाई लोग गाँव के कार्यों में बिना डालने वाले होते हैं, अतः उन्हें वहाँ खुली झूट नहीं देनी चाहिये। प्रेक्षाओं उतनी ही होनी चाहिये, जिनसे कि ग्राम के लोगों का अपने कार्यों में हानि न पहुँचे।

शिकार खेलने का उस समय बहुत रिवाज था। मेगस्थनीज ने लिखा है—'जब राजा शिकार के लिये राजप्रसाद से निकलता है, तो स्त्रियों की भीड़ उसे घेरे रहती है। उनके घेरे के बाहर बरछे डाले रहते हैं। मार्ग का बिन्दु रस्सों से डाला जाता है। इन रस्सों के भीतर जाना खो या पुरुष सत्र के लिये सूर्य को निर्मंत्रण देना है। डोल और माँक लेकर आदमी इस झूल के आगे-आगे चलते हैं। राजा घेरों के भीतर से शिकार खेलता है, और चबूतरे से तीर चलाता है। उसके झगल में दो या तीन हाथियारबंद स्त्रियाँ खड़ी होती हैं। यदि वह खुले मैदान में शिकार करता है, तो वह हाथी को पीठ से तीर चलाता है। स्त्रियों में कुछ तो रथ के भीतर रहती हैं, कुछ घोड़ों पर और कुछ हाथियों पर। वे हर प्रकार के राखों से सुसज्जित रहती हैं, मानों वे किसी चढ़ाई पर जा रही हों।' केवल आमोद्-प्रमोद्

के लिये मौर्य सम्राट् जो शिकारयात्रा करते थे, यह उसी का वर्णन है। उस युग में शिकार के लिये पृथक् रूप से वन सुरक्षित रखे जाते थे। राजा के विहार के लिये ऐसे जंगल भी होते थे, जिनके चारों ओर खाई खुदी रहती थी, और जिनमें प्रवेश के लिये केवल एक ही द्वार होता था। इनमें शिकार के लिये पशु पाले जाते थे, राजा इनमें स्वच्छंदरूप से शिकार खेल सकता था।

विविध 'समाजों' में पशुओं की लड़ाई और मल्लयुद्ध देखने का भी जनता को बड़ा शौक था। अशोक को ये समाज पसंद नहीं थे, उन्हें उसने बंद कर दिया था।

(६) रीति-रिवाज और स्वभाव

मौर्यकालीन भारतीयों के रीतिरिवाजों के संबंध में यूनानी लेखकों के कुछ विवरण उद्धृत करने योग्य हैं। हम उन्हें यहाँ उल्लिखित करना उपयोगी समझते हैं—

'भारतीय लोग किष्कायत के साथ रहते हैं, विशेषतः उस समय जब की वे कैम्प में हों। वे अनियन्त्रित भीड़ को नापसंद करते हैं। इसीलिये वे हमेशा व्यवस्था बनाये रखते हैं।'

'भारतीय लोग अपने चाल-चलन में सीधे और भित्तव्ययी होने के कारण बड़े सुख से रहते हैं।'

'उनके कानून और व्यवहार की सरलता इससे अच्छी तरह प्रमाणित होता है, कि वे न्यायालय में बहुत कम जाते हैं। उनमें गिरवी और धरोहर के अभियोग नहीं होते और न वे मुहर वा गवाह की जरूरत रखते हैं। वे एक दूसरे के पास धरोहर रखकर आपस में विरवास करते हैं। अपने घर व संपत्ति को वे प्रायः अरक्षित अवस्था में ही छोड़ देते हैं। ये बातें सूचित करती हैं, कि उनके भाव उदार वा उत्कृष्ट हैं।'

‘उममें व्यायाम करने की सर्वप्रिय रीति संघर्षण है। यह कई प्रकार से किया जाता है पर संघर्षण प्रायः चिकने आच-
नूस के बेलनों का त्वचा पर फेर कर होता है।’

‘उनके समाधिस्थल सादे होते हैं, मृतक के ऊपर उठाई हुई
बंदी नीची होती है।’

‘अपने चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल वे बारीकी
और नकासत के प्रेमी होते हैं। उनके वस्त्रों पर सोने का काम
किया रहता है। वे (वस्त्र) मूल्यवान् रत्नों से विभूषित रहते
हैं। वे लाग अत्यंत सुंदर मलमल के बन हुए फूलदार कपड़े
पहनते हैं। सबक लोग उनके पीछे-पीछे छाया लगाय चलते हैं।
वे सौंदर्य का बड़ा ध्यान रखते हैं, और अपने स्वरूप को संबा-
रने में कोई उपाय उठा नहीं रखते।’

‘सच्चाई और सदाचार, दोनों की वे समान रूप से प्रतिष्ठा
करते हैं। इससे दुष्टों को वे तब तक विरोध स्वत्व नहीं देते,
जब तक वे अधिक उत्कृष्ट सदाचारी न हों।’

‘भारतवासी मृतक क लिये कोई स्मारक नहीं उठाते, बरन्
उस सत्यशालवा का, जिसे मनुष्यों ने अपने जीवन में दिख-
लाया है तथा उन गीतों को, जिनमें उनको प्रशंसा वर्णित रहती
है, मरने के बाद उनके स्मारक को बनाये रखने के लिये पर्वोत्स
समझते हैं।’

‘चोरी बहुत कम होती है, मैगस्थनीज कहता है कि उन
लोगों ने, जो चंद्रगुप्त क डेरें में थे, जिसके भीतर चार लाख
मनुष्य पड़े थे, देखा कि चोरी जिसकी इसला किसी एक दिन
ह्यती थी, वह २०० द्राचमी के मूल्य से अधिक को नहीं होती
थी, और यह ऐसे लोगों के बीच जिनके पास लिपिबद्ध कानून
नहीं, बरन् जो लिखने से अनभिज्ञ हैं, और जिन्हें जीवन के
समस्त कार्यों में स्पृति ही पर भरोसा करना पड़ता है।’

‘भारतवासियों में विदेशियों तक के लिये कर्मचारी नियुक्त होते हैं, जिनका काम यह देखना होता है कि किसी विदेशी को हानि न पहुँचने पावे। यदि उन (विदेशियों) में से कोई रोग-ग्रस्त हो जाता है, तो वे उसकी चिकित्सा के निमित्त वैद्य भेजते हैं तथा और प्रकार से भी उसकी रक्षा करते हैं। यदि वह विदेशी मर जाता है, तो उसे दफना देते हैं और जो संपत्ति वह पीछे छोड़ता है, उसे उसके संबंधियों को दे देते हैं। न्यायाधीश लोग भी उन मामलों का, जो विदेशियों से संबंध रखते हैं, बड़े ध्यान से फैसला करते हैं और उन लोगों के साथ बड़ी कड़ाई का बरताव करते हैं, जो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं।’

‘भूमि जोतने वाले, चाहे उनके पड़ोस में युद्ध हो रहा हो, तो भी किसी प्रकार के भय की आशंका से विचलित नहीं होते। दोनों के लड़ने वाले युद्ध के समय एक दूसरे का संहार करते हैं, परंतु जो लोग स्वतंत्रता में लगे हुए रहते हैं, उन्हें पूर्णतया निर्विघ्न अपना कार्य करने देते हैं। इस के अतिरिक्त, न तो वे शत्रु के देश का आप्र में सत्यानाश करते हैं, और न उनके पैरु काटते हैं।’


‘आचार्य लोग दरान के ज्ञान को स्त्रियों को नहीं बताते। उन्हें भय रहता है कहीं वे दुश्चरित्र न हो जायें। नियंत्रण किये गये रहस्यों में से किसी की खोज न दें, अथवा यदि वे कहीं उत्तम दार्शनिक हो जायें, तो उन्हें छोड़ न दें।’

(७) शिक्षणालय

मौर्यकाल में शिक्षा का कार्य आचार्य, पुरोहित, श्रोत्रिय आदि करते थे। उन्हें राज्य की ओर से सहायता दी जाती थी, उन्हें इतनी भूमि दे दी जाती थी, कि वे उसकी आमदनी से, निरिच्छत होकर अध्यापनकार्य में व्याप्त रहें। इस तरह की भूमि को



चामर-माहिषी
पटना संग्रहालय
तीसरी शती ई० पू०



'ब्रह्मदेय' कहते थे। इससे कोई कर आदि नहीं लिया जाता था। स्वतंत्र रूप से अध्यापन करने वाले इन ब्राह्मणों के अतिरिक्त इस युग में अनेक ऐसे शिक्षाकेंद्र भी थे, जिनमें बहुत से आचार्य शिक्षण का कार्य करते थे। मौर्यकाल का ऐसा सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जहाँ आचार्य चाणक्य नीतिशास्त्र का अध्यापन करते थे।

तक्षशिला में शिक्षा का क्या ढंग था, इस विषय में एक जातक कथा को यहाँ उद्धृत करना बहुत उपयोगी है। "एक बार की बात है, कि बनारस के राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कुमार ब्रह्मदत्त रखा गया। पुराने समय में राजा लोगों में यह प्रथा थी, कि चाहे उनके अपने शहर में कोई प्रसिद्ध अध्यापक विद्यमान हो, तो भी अपने कुमारों को दूर देशों में शिक्षा पूर्ण करने के लिये भेजना उपयोगी समझते थे। इससे वे यह लाभ समझते थे, कि कुमार अभिमान और दुर्गम को बश में करना सीखेंगे, गरमी और सरदी का सहन करेंगे, साथ ही दुनिया के रीति-रिवाजों से भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राजा ब्रह्मदत्त ने भी यही किया। उसने अपने कुमार को बुला कर, जिसकी आयु अब सोलह वर्ष की हो चुकी थी, उसे एकतलक जूते, पत्तों का छाता और एक हजार कार्षा-पण्य देकर कहा—"जात ! तक्षशिला जाओ, और विद्या का अध्यास करो।" कुमार ने उत्तर दिया—'बहुत अच्छा'। माता-पिता से बिदा लेकर वह समय पर तक्षशिला पहुँच गया। वहाँ जाकर उद्यने आचार्य का घर पूछा। आचार्य विद्यार्थियों के सम्मुख अपना व्याख्यान समाप्त कर चुके थे और अपने घर के द्वार पर घूम रहे थे। आचार्य को देखते ही कुमार ने अपने जूते उतार दिये, छाता बंद कर दिया और सम्मानपूर्वक वंदना करके स्वका हो गया। आचार्य ने देखा कि वह भया हुआ है,

अतः उसके भोजन का प्रबंध कर उसे आराम करने का आदेश दिया। भोजन करके कुमार ने कुछ देर विश्राम किया और फिर आचार्य के सम्मुख सम्मानपूर्वक प्रणाम करके खड़ा हो गया। आचार्य ने पूछा—‘तब ! तुम कहाँ से आए हो ?’ ‘वाराणसी से।’ ‘तुम किसके पुत्र हो ?’ ‘मैं वाराणसी के राजा का पुत्र हूँ।’ ‘तुम यहाँ किस लिये आये हो ?’ ‘विशाध्ययन के लिये’ ‘बहुत ठीक। क्या तुम आचार्य के लिये उपयुक्त फीस लाये हो, या शिक्षा के बदले सेवा की इच्छा रखते हो ?’ ‘मैं आचार्य के लिये उपयुक्त फीस लाया हूँ।’ यह कह कर उसने एक हज़ार कार्पासों की धैली आचार्य के चरणों में रख दी। दो तरह के अति-वासी आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले ‘धम्मन्तेवासिक’, जो दिन में आचार्य का काम करते थे, और रात को शिक्षा प्राप्त करते थे। दूसरे ‘आचारिय भागदावक’ जो आचार्य के घर में ज्येष्ठ पुत्र की तरह रहते थे और सारा समय विशाध्ययन में व्यतीत करते थे। क्योंकि कुमार ब्रह्मदत्त आचरयक फीस लाया था, और वह आचार्य के घर पर ही रहता था, अतः उसे नियमपूर्वक शिक्षा दी गई। इस प्रकार ब्रह्मदत्त ने शिक्षा समाप्त की।”

उच्चशिक्षा में अनेक संसारप्रसिद्ध आचार्य शिक्षादान का कार्य करते थे। एक आचार्य के पास प्रायः ५०० विद्यार्थी पढ़ते थे। संभवतः, यह कल्पना अनुचित नहीं है, कि उच्चशिक्षा में अनेक कालिज्र थे, जिनमें से प्रत्येक में ५०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इन कालिज्रों के प्रधान को आचार्य कहते थे, जो प्रायः ‘संसार प्रसिद्ध’ उपाधि होता था। एक जावक के अनुसार एक आचार्य के पास एक-एक राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अनेक राजकुमारों के जो नाम भी दिये गये हैं। न केवल राजकुमार, पर ब्राह्मण और

कृत्रिम भारत भर से वृक्षशिला में विद्या प्राप्त करने के लिये आते थे। नीच जातियों के लोग वृक्षशिला के 'संसार प्रसिद्ध, आचार्यों' से लाभ नहीं उठा सकते थे। इसी लिये एक जातिक में खांडाल की कथा लिखी है, जिसने वंश बदल कर वृक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी।

इस शिक्षाकेंद्र में तीनों वेद, अष्टादश विद्या, विविध शिल्प, धनुर्विद्या, इस्तिविद्या, मंत्रविद्या, सब प्राणियों की बेलियों को समझने की विद्या और चिकित्साशास्त्र की विशेष रूप से शिक्षा ही जाती थी। शैशुनाग, और मौर्यकाल के अनेक प्रसिद्ध पुरुषों ने वृक्षशिला में ही शिक्षा पाई थी। राजा विविस्वार का राजवंश जीवक वृक्षशिला का ही प्रसिद्ध आचार्य था। मागध सम्राट अजातशत्रु के समकालीन कोशल के राजा प्रसेनजित् ने वृक्षशिला में ही शिक्षा ग्रहण की थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त भी वृक्षशिला में ही विद्याप्ययन के लिये गया था। संभवतः वहीं उसकी राजनीति शास्त्र के 'संसार-प्रसिद्ध' आचार्य चाणक्य से भेंट हुई थी। इसी भेंट का परिणाम हुआ, कि मौर्यवंश का शासन पाटलीपुत्र में स्थापित हुआ और नदों की शक्ति का अंत हुआ।

मौर्यकाल में काशी भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केंद्र था। वृक्षशिला में पढ़े हुए अनेक आचार्यों ने वहाँ शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया, और धीरे-धीरे वह भी एक प्रसिद्ध विद्या-पीठ हो गया।

तेरहवाँ अध्याय

शुंग और कण्व वंश

(१) मगध में फिर राज्यकांति

२१० ई० पू० के लगभग मौर्यवंश की शक्ति लीख पड़ने लगी थी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत सुदूरवर्ती जनपदों में विद्रोह प्रारंभ हो गये थे। कलिंग, आंध्र और महाराष्ट्र मगध के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतंत्र हो गये थे। उत्तरपश्चिमी भारत पर यवनों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे और इन विदेशियों ने अपने अनेक राज्य वहाँ स्थापित कर लिये थे। मौर्यवंश के अंतिम राजा निर्बल और विलासी थे। उनके लिये यह संभव नहीं था, कि मगध साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन कर सकें।

मौर्यवंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। उसके प्रधान सेनापति का नाम पुष्यमित्र था। एक बार उसने सारी सेना को एकत्र कर उसके प्रदर्शन की व्यवस्था की। सम्राट् बृहद्रथ को भी इस प्रदर्शन के अक्षर पर निर्मंत्रित किया गया गया। सब सेना अपने सेनापति पुष्यमित्र के साथ थी। सब के सामने ही बृहद्रथ को क्रूल कर दिया गया, और मगध के विशाल साम्राज्य का अधिपति पुष्यमित्र बन गया।

बृहद्रथ को 'प्रतिज्ञादुर्बल' कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है, कि प्राचीन परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक के समय राजा लोग जो प्रतिज्ञा करते थे, उसके पालन में वह दुबल था। सेना और प्रजा, सब उससे असंतुष्ट थीं। यही

कारण है, कि सब के देखते-देखते ही उसका घात हो गया और बिना किसी बाधा के पुष्यमित्र का पदच्युत सफल हो गया।

बृहद्रथ को कुत्ल कर पुष्यमित्र का राजा होना ठीक उसी प्रकार की घटना है, जैसी कि अश्विनी भट्टिय के राजा बालक को मार राजगद्दी पर अधिकार करने की थी। अमात्य पुलिक ने भी इसी प्रकार रिपुजय को मार कर सेना की सहायता से राज्य प्राप्त किया था। महापद्मनंद भी इसी तरह से मगध के राजसिंहासन का स्वामी हुआ था। मगध साम्राज्य की शक्ति उसकी सुसंगठित सेना पर निर्भर थी। जिसके हाथ में सेना थी, वह सुगमता से राजगद्दी पर भी अधिकार जमा सकता था। जिस सैनिकविद्रोह से मौर्यवंश का अंत हुआ वह १५५ ई० पू० हुआ था।

(२) शुंग पुष्यमित्र

मगध साम्राज्य की नीख होती हुई शक्ति पुष्यमित्र के प्रयत्न से फिर पुनः संजीवित हुई। आस-पास के जनपदों को जीत कर उसने फिर मगध के अधीन किया। विदर्भ (बरार) के प्रदेश में उस समय यज्ञसेन का शासन था। शुरु में यह मौर्यों की तरफ से वहाँ का शासन करने के लिये नियुक्त हुआ था। पर मौर्य सत्ताओं की निर्बलता से लाभ उठा कर वह स्वतंत्र हो गया था। जनता उससे संतुष्ट नहीं थी। अभी राज्य में उसकी जड़ बलीभाँति नहीं जम पाई थी। इसी बीच में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण कर दिया और विदर्भ को फिर मगध साम्राज्य की अधीनता में ले आया।

कलिंग के राजा शारवेल से पुष्यमित्र के कई युद्ध हुए। मौर्यवंश की अवनति के समय कलिंग स्वतंत्र हो गया था। इस समय वहाँ का राजा शारवेल था। यह बड़ा शक्तिशाली

सम्राट् हुआ है। दूर-दूर तक आक्रमण कर इसने भारत के बहुत से प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। अपने शासन के चारहवें वर्ष में उसने मगध पर आक्रमण किया। अब से पीने लोग सौ वर्ष पूर्व मागध राजा नन्द कलिंग से जिन महावीर को जो मूर्ति विजयोपहार के रूप में पाटलीपुत्र ले गया था, खारवेल उस अपने देश वापस ले गया। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उस समय में प्रायः सारा कलिंग देश जैन मत को मानता था। खारवेल की सेना के हाथी पाटलीपुत्र के मुगांग प्रासाद तक पहुँच गये। पुष्यमित्र को खारवेल के सम्मुख घुरी तरह नीचा देखना पड़ा। पर खारवेल मगध में टिका नहीं। अपने देश के सदियों पुराने अपमान का बदला लेकर वह कलिंग वापस लौट आया। मगध से बहुत से धन, रत्न, मणि-मणिक्व आदि को भी वह अपने साथ ले गया।

खारवेल से इस प्रकार अपमानित होने के बाद भी पुष्य-मित्र ने हिम्मत नहीं हारी। इस समय उत्तरपश्चिमी भारत में यवनों के हमले निरन्तर जारी थे। मौर्यवंश के शासन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध यवन आक्रांता दिमित्र ने मथुरा और अयोध्या से आगे बढ़ कर ठेठ मगध तक हमला बोल दिया था। पर इन यवनों को मगध की शक्ति को नष्ट करने में सफलता नहीं हुई। यवनों से मगध की रक्षा करने का प्रधान श्रेय पुष्यमित्र को ही है। उसने न केवल मगध में यवनों को परास्त किया, अपितु कोशल (अयोध्या) और मथुरा आदि से उन्हें निकाल कर दूर खदेड़ दिया। उसके साम्राज्य की सीमा पश्चिम में कम से कम शाकल (स्यालकोट) तक अवश्य थी। बंगाल के समुद्रतट से पश्चिम में स्यालकोट तक और हिमालय से लगा कर इच्छिण में नर्मदा नदी तक सम्राट् पुष्यमित्र का एकछत्र साम्राज्य था। कलिंगराज खारवेल ने मगध को परास्त करके भी उसे

स्थिररूप से अपने अधीन करने का प्रयत्न नहीं किया था। लार-वेल ने अपनी शक्ति का विस्तार मुख्यतः कर्लिंग के दक्षिण व पश्चिम की ओर किया था। उत्तरी भारत में अब भी मगध का अखंड साम्राज्य स्थापित था।

पुष्यमित्र ने दो बार राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किये। राजा जनमेजय के बाद भारत के किसी राजा ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया था। अब पुष्यमित्र ने इस प्राचीन यज्ञ का पुनरुद्धार किया। अश्वमेध में दिग्विजय के उपलक्ष में घोड़े की बलि दी जाती थी। अहिंसाप्रधान बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से इस यज्ञ की प्रथा बिलकुल विलुप्त सी हो गई थी। अब पुष्यमित्र ने इसे पुनः संजीवित किया। पतञ्जलि मुनि पुष्यमित्र के इन अश्वमेधों में प्रधान पुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि के प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था, जो संस्कृत व्याकरण के सब से प्रसिद्ध और प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है। पतञ्जलि विदिशा के निवासी थे। प्राचीन प्रथा के अनुसार अश्वमेध से पूर्व एक घोड़ा छोड़ा गया। उसकी देख-रेख के लिये पुष्यमित्र का पौत्र वसुमित्र नियत हुआ। इस घोड़े को सिंधु नदी के दाहिने तट पर यवनों ने पकड़ने की कोशिश की। घोर युद्ध के बाद यवनों का पराभव हुआ, और मेघ अश्व को सकुशल पाटलीपुत्र वापस लाया गया। अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती साम्राट् विश्व-विजय के उपलक्ष में किया करते थे। सिंधु नदी तक यवनों को खदेड़ कर प्रायः संपूर्ण उत्तरी भारत में मगध साम्राज्य की पुनः स्थापना की स्मृति में ही पुष्यमित्र ने इस यज्ञ की आयोजना की थी।

शुंग लोग मूलतः विदिशा के रहने वाले थे। मौर्यवंश की समाप्ति से पूर्व ही पुष्यमित्र का पुत्र अग्रिमित्र वहाँ का शासक था अंतिम मौर्य सम्राट् बृहद्रथ के समय में मगध सेनाओं का

सेनापति पुष्यमित्र था, और अग्निमित्र बिदिशा का शासक। जब पुष्यमित्र मगध का सम्राट बन गया, तब भी अग्निमित्र बिदिशा का शासन करता रहा। प्रचीत होता है, कि अग्निमित्र की अपने पिता से कुछ अनबन थी। इसी लिये अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर उपस्थित होने के लिये उसे विशेष प्रेरणा की आवश्यकता हुई थी। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्र में इसी शृंगवंशी अग्निमित्र का एक कथानक संकलित है।

पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने ३६ वर्ष तक (१८५ ई० पू० से १४६ ई० पू० तक) राज्य किया।

(३) पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी

शृंग वंश के कुल दस राजा हुए। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र राजगरी पर बैठा। उसने कुल आठ वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद वसुज्येष्ठ ने सात वर्ष और फिर वसुमित्र ने दस वर्ष राज्य किया। ये दोनों अग्निमित्र के पुत्र थे। वसुज्येष्ठ का वसुमित्र ने दस वर्ष राज्य किया। ये दोनों अग्निमित्र के पुत्र थे। वसुज्येष्ठ का दूसरा नाम ज्येष्ठमित्र था, इसके कुछ सिक्के भी आजकल उपलब्ध होते हैं। वसुमित्र के बाद कमराः आर्द्रक, पुलिंदक घोष और वज्रमित्र मगध के सिंहासन पर बैठे। इन सब ने मिलकर बीस वर्ष तक राज्य किया। इनके संबंध की कोई भी घटना इस समय ज्ञात नहीं है। वज्रमित्र के बाद भागभद्र राजा बना। इसके समय की एक बात उल्लेखनीय है। उस समय उत्तरपश्चिमी भारत में अनेक यवनराज्य स्थापित हो चुके थे। इनमें से एक वक्षिशला का यवन राज्य था, जहाँ अब अंधिआलिकदस राज्य काठा था। उसने शृंग राजा भागभद्र के पास बिदिशा में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम

हेलिउदोर था। इस दूत ने वहाँ भगवान् वासुदेव का एक गरुडम्बज बनवाया था। इस स्तम्भ पर प्राकृत भाषा में एक लेख खुदा हुआ है, जो निम्न प्रकार है - देवी के देव वासुदेव का यह गरुडम्बज, महाराज अंतलिकित के वहाँ से राजा काशीपुत्र भागवतु प्राता के, जो अपने राज्य के चौदहवें वर्ष में वर्तमान है, पास आये हुए सच्चशिला के निवामी दिव्य के पुत्र योनदूत भागवतु हेलिउदोर ने वहाँ बनवाया।

भारत के यवन आक्रांता इस काल में किस प्रकार भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे, इस पर इस स्तम्भ-लेख से बड़ा अनुपम प्रकाश पड़ता है। योनदूत हेलिउदोर ने भागवत वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिये गरुडम्बज का निर्माण कराया था। उस समय के हिंदू धर्म में श्लेच्छ यवनों को अपने अंदर हृष्य कर लेने की शक्ति विश्वमान थी। भागवतु ने कुल ३२ वर्ष राज्य किया। उसके बाद देवभूति राजा बना। यह बड़ा बिलासी था। इसके समय में फिर मगध में राज्यक्रांति हुई। उसके अमात्य वासुदेव कश्यप ने उसके विरुद्ध षडयंत्र किया और देवभूति को कत्ल कर स्वयं मगध के राजसिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। शुंग वंश का प्रारंभ इसी प्रकार के षडयंत्र में हुआ था। उसका अंत भी इसी प्रकार हुआ।

पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी मगध साम्राज्य को अक्षय्य बना रखने में समर्थ नहीं रहे। पुष्यमित्र के समय में मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी तक थी। पर उसके बाद शीघ्र ही यवनों के आक्रमण फिर प्रारंभ हो गये। उत्तर-पश्चिमी भारत में अनेक नये यवनराज्यों की स्थापना हुई और उस समय की राजनीतिक उधल-पुधल से लाभ उठाकर पंजाब के प्राचीन गणराज्यों ने भी फिर सिर उठा लिया।

परिणाम यह हुआ, कि इन शुंग सम्राटों के शासन काल में मागध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मथुरा तक ही रह गई। मथुरा के पश्चिम में पहले मीथेय, आग्नेय, मालव आदि गणों के स्वतंत्र राज्य थे, और उनके और अधिक पश्चिम में अनेक यवन राज्य। पर मथुरा व यमुना से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक शुंगों का एकच्छत्र शासन था। खारवेल के बाद कलिंग राज्य भी निर्बल पड़ गया था। यद्यपि मागध ने उसे जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया, पर खारवेल के उत्तराधिकारियों से मागध सम्राटों को कोई भय नहीं था। दक्षिण में शुंगों का मागध साम्राज्य नर्मदा तक विस्तृत था। बिदिशा और अवंति के प्रदेश अभी मागध साम्राज्य के ही अंतर्गत थे।

यद्यपि शुंगों के शासनकाल में मागध साम्राज्य का विस्तार मौर्यकाल से बहुत कम था, पर अब भी वह भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति थी। उत्तरी भारत में तो वही एकमात्र प्रबल सत्ता थी।

पुराणों के अनुसार शुंगों ने कुल ११२ वर्ष तक राज्य किया। १८५ ई० पू० से शुरू करके ६३ ई० पू० तक उनका शासनकाल रहा।

(४) कृषक वंश

अंतिम शुंग राजा देवभूति के विरुद्ध षड्यंत्र कर उसके अमात्य बामुदेव ने मागध के राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया था। अपने स्वामी की हत्या करके बामुदेव ने जिस साम्राज्य को प्राप्त किया था, वह एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का अंशवशेष ही था। कारण यह कि इस समय भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को लाँच कर शक आक्रांता बड़े वेग से

भारत पर आक्रमण कर रहे थे। उत्तर-पश्चिमो भारत के बवन्तराज्यों और पंजाब के गखुराज्यों को पददलित कर इन शकों ने मथुरा और विदिशा को भी अपने अधीन कर लिया था। मथुरा और विदिशा की रक्षा करने में मगध के शंग व कण्व सम्राट् असमर्थ थे। शकों के हमलों से न केवल मगध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद ही साम्राज्य से बाहर निकल गये थे, पर मगध के समीपवर्ती प्रदेशों में भी अन्व-वत्सा मन्च गई थी। वासुदेव और उसके उत्तराधिकारी केवल स्थानीय राजाओं को हैसियत रखते थे। उनका राज्य पाटली-पुत्र और उसके समीप के प्रदेशों तक ही सीमित था। शुंगों का भी पूर्णतया उच्छेद करने में वे समर्थ नहीं हुए थे। मगध साम्राज्य के स्वसावशेष पर कहीं कण्व और कहीं शंग राज्य कर रहे थे।

कण्ववंश के कुल चार राजा हुए: वासुदेव, भूमिभित्र, नारा-यण और सुशर्मा। इन चारों ने कुल मिलाकर ४४ वर्ष तक राज्य किया। इनका शासनकाल ६३ ई० पू० से २८ ईस्वी तक समझा जा सकता है।

पुराणों में इन कण्व या काण्वायन राजाओं को शंग-भृत्य के नाम से कहा गया है। यह तो स्पष्ट ही है, कि वासुदेव कण्व शंग राजा देवभृति का अमात्य था। पर चारों कण्व राजाओं को शंगभृत्य कहने का अभिप्राय शायद यह है कि नाम को इनके समय में भी शंगवंशी राजा ही सिंहासन पर विराजमान थे, यद्यपि सारी शक्ति इन भृत्यों के हाथ में थी। संभवतः इसीलिये कण्वों के बाद जब आंध्रों के मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लेने का उल्लेख आता है, तो यह लिखा गया है कि उन्होंने कण्व और शंग—दोनों को परास्त कर शक्ति प्राप्त की।

(५) शकों का भारतभ्रमण

जिन शक आकांताओं के आक्रमणों से मागध साम्राज्य क्षिप्त-भिन्न हो गया था, उनके इतिहास पर संक्षेप से यहाँ प्रकाश डालना परम उपयोगी है।

शक लोगों का मूल निवास सीर नदी की घाटी में था। दूसरी सदी ई० पू० में उन पर उत्तरपूर्व की तरफ से युइशि लोगों ने आक्रमण किया। युइशि लोग तिब्बत के उत्तरपश्चिम में तकला मकान की मरुभूमि के दक्षिण में रहते थे। वे बड़े बीर और योद्धा लोग थे। इस समय उन पर हूणों के हमले बड़े वेग से हो रहे थे। हूण जाति उत्तरी चीन की रहने वाली थी। यह एक भयंकर उर्द्व जाति थी, जो अपने चारों तरफ बसे हुए अन्य लोगों पर निरंतर हमले करती रहती थी। लूट-मार ही इनका पेशा था। हूण लोग इस समय पश्चिम की तरफ एक प्रचंड आंधी के समान बढ़ रहे थे। वन्हीं की एक शाखा ने युइशियों पर हमला किया। युइशि परास्त हुए। उनके राजा को बुद्धक्षेत्र में मृत्यु हुई। विधवा रानी के नेतृत्व में युइशि लोग अपने प्राचीन जनपद को छोड़कर आगे बढ़ने को विवश हुए। सीर नदी के प्रदेश में शक लोग रहते थे। युइशि ने उन पर हमला कर दिया। शक लोग उनका सामना नहीं कर सके। विवश होकर उन्हें भी अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा और उनके विविध जन (कबीले) विविध दिशाओं में तितर-बितर होने लगे। हूणों ने युइशियों को डकेला और युइशियों ने शकों को। हूणों की बढ़ने युइशियों के प्रदेश को आकांत कर दिया और शकों के प्रदेश पर युइशि आ गये। सीर की घाटी से निकल कर शक लोगों ने कपिसा देश की ओर प्रस्थान किया। चारों ओर से लूट-मार करते हुए वे दक्षिणपश्चिम में हेरात की ओर गये।

यह सब प्रदेश उस समय पार्थियन (पार्थिय) साम्राज्य के अंतर्गत था। पार्थियन साम्राज्य उस समय बड़ा शक्तिशाली था। सारा ईरान (पारस) देश पार्थियन लोगों के अधीन था। यवन साम्राज्य के विकृत विद्रोह कर लगभग २४८ ई० पू० में इस पार्थियन राज्य की स्थापना हुई थी। अब शकों के हमलों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिये पार्थियन राजाओं को उत्कट प्रयत्न की आवश्यकता हुई। पार्थियन राजा फ्राबत द्वितीय १२८ ई० पू० में शकों से लड़ता हुआ मारा गया। उसके उत्तराधिकारी राजा अर्तवान के समय में शकों ने पार्थियन साम्राज्य में घुसकर उसे बुरी तरह लूटा।

अर्तवान के बाद मिथ्रदात द्वितीय पार्थिया का राजा बना। वह बड़ा शक्तिशाली वीर योद्धा था। शकों के आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा में उसे पूरी सफलता हुई। मिथ्रदात की शक्ति से बिचर होकर शकों का प्रवाह पश्चिम की तरफ से हट कर दक्षिणपूर्व की तरफ हो गया। परिणाम यह हुआ, कि भारत पर शकों के हमले प्रारंभ हुए। शक लोगों ने सिंधु की पश्चिमी सीमा को लाँच कर भारत में प्रवेश किया, और अपने वे प्रचंड आक्रमण शुरू किये, जिनके कारण मागध साम्राज्य की शक्ति जड़ से हिल गई। शकों के भारत में प्रवेश का समय १२३ ई० पू० के लगभग है। इस समय पाटलीपुत्र में शंगवंश का राज्य था। प्रतापी पुष्यमित्र की मृत्यु हो चुकी थी और उस का वंशज आद्रक या पुलिंदक मागध साम्राज्य का स्वामी था। मगध के ये राजा निर्बल थे। शकों की बाढ़ को रोक सकना इनकी शक्ति में नहीं था।

भारत के जिस प्रदेश में शकों ने पहले पहल प्रवेश किया, वह इस समय मागध साम्राज्य से बाहर था। उत्तरपश्चिमी भारत में उस समय अनेक छोटे-छोटे यवन राजा राज्य कर

रहे थे। वे सब शकों से परास्त हो गये। सिंध में शकों का अबाधित शासन स्थापित हो गया। सिंधु नदी के तट पर स्थित मीन नगर को शकों ने अपनी राजधानी बनाया। भारत में यह पहला शक राज्य था। इस समय से सिंध शकों का शक्तिशाली केंद्र बन गया। वहीं से वे भारत के अन्य प्रदेशों में फैलने लगे। एक जैन अनुश्रुति के अनुसार भारत में शकों को बुलाने का श्रेय आचार्य कालक को है। वह जैन आचार्य उज्जैन के रहने वाले थे, वहाँ के राजा गर्दभिल्ल के अत्याचारों से तंग आकर वे सुदूर पश्चिम में पार्थियन साम्राज्य में चले गये, और जब वहाँ के शक्तिशाली सम्राट मिथ्रदात द्वितीय की उग्र नीति के कारण परेशानी अनुभव कर रहे थे, तब उन्हें भारत आने के लिये प्रेरित किया। आचार्य कालक के साथ ये शक सरदार अपनी सेनाओं को लेकर सिंध में प्रविष्ट हुए, और वहाँ उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। गर्दभिल्ल संभवतः एक ऐसा राजा था जिसने मागध साम्राज्य की निर्बलता से फायदा उठा कर उज्जैन तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था।

सिंध के बाद शकों ने काठियावाड़ पर आक्रमण किया। वहाँ यवनों का शासन नहीं था। वहाँ अनेक छोटे-छोटे गणराज्य विद्यमान थे, जिनमें सब से मुख्य वृष्णि और कुकुर थे। कृष्ण के नेतृत्व में वृष्णि लोग मधुरा छोड़ कर सुदूर दारिका में जा बसे थे। उनका वहाँ का वृष्णिगण इस समय तक भी विद्यमान था। काठियावाड़ के गणराज्य शकों का मुकाबला नहीं कर सके। वे सब परास्त हो गये, और काठियावाड़ तथा दक्षिणी गुजरात शकों के अधिकार में चले गये। अग्रे शकों ने उज्जैनी पर हमला किया। १०० ई० पू० के लगभग प्रचीन अर्जुन जनपद भी शकों की अधीनता में चला गया।

उज्जैनी का शासन करने के लिये मीन नगर (मिथ) के शक सम्राट् ने अपना एक चत्रप (प्रांतीय शासक) नियत किया, जिसका नाम नहपान था यह नहपान एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करता था, और इसके बहुत से सिक्के व शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। पर इसने अपने को सर्वत्र चत्रप ही लिखा है, और निःसंदेह यह शक सम्राट् की अधीनता स्वीकार करता था।

उज्जैन को अधीन कर लेने के बाद शकों ने मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा उस समय मागध साम्राज्य के अंगगत था, पर पाटलीपुत्र के निर्बल शुंग राजा शकों का सामना नहीं कर सके। मथुरा उनके हाथ से निकल गया। वहाँ का शासन करने के लिये दूसरे चत्रप की नियुक्ति हुई। जिस प्रकार उज्जैनी के शक चत्रप प्रायः स्वतंत्ररूप से शासन करते थे, और उनका एक पृथक् बंश चल गया था, वैसे ही मथुरा में हुआ। वहाँ का पहला चत्रप हगमाश था। मथुरा से शकों ने पंजाब की तरफ अपना राज्य बढ़ाया। वहाँ के विविध गणराज्यों व यवन राजाओं को परास्त कर उन्होंने प्रायः सम्पूर्ण पूर्वी पंजाब को अपने अधीन कर लिया। वे केवल पूर्वी पंजाब से संतुष्ट नहीं हुए। कुछ समय बाद ही पश्चिमी पंजाब और उससे आगे सुदूर पश्चिम में, गांधार देश में भी शकों की सत्ता स्थापित हो गई। गांधार और पंजाब के सब यवन राज्य और विविध गण, सब शकों की बाद में बह गये। मद्र, केकय और गांधार के सब प्राचीन जनपद अब शकों की अधीनता में आ गये।

शकों के इन हमलों से मागध साम्राज्य विलकुल छिन्न-भिन्न हो गया था। मथुरा पहले ही उनके हाथ में चला गया था। अब शक चत्रपों ने बिदिशा को भी जीत लिया। उज्जैन बहुत पहले मागध साम्राज्य से निकल चुका था, अब वहाँ भी शक्ति-

शाली शक चक्रप राज्य कर रहे थे और मागध साम्राज्य के सीमांतों पर उनके निरंतर हमले हो रहे थे। पाटलीपुत्र के शुंगवंशी और बाद में कण्ववंशी राजा शकों के सम्मुख खरने को असह्य अनुभव करते थे। इसी समय सातवाहनों के रूप में भारत में एक ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने न केवल शकों से भारत स्वतंत्र किया, अपितु पाटलीपुत्र के निर्बल राजाओं का अंत कर फिर से भारत में एक शक्तिशाली सार्वभौम सत्ता की स्थापना की। निर्बल कण्व राजाओं से पाटलीपुत्र को जीत कर फिर एक बार इन सातवाहनों ने मागध साम्राज्य का उत्कर्ष किया। सातवाहन राजाओं की शक्ति के सामने शक लोग नहीं ठहर सके और लगभग आधी सदी के उत्कर्ष के बाद ही उनकी शक्ति भारत में क्षीण पड़ गई।

राजनीतिक शक्ति के नष्ट हो जाने के बाद भी शक लोग भारत में ही बने रहे। वे आर्य जाति की ही एक शाखा थे। प्राचीन ग्रीक, रोमन और ईरानी लोगों के समान वे भी विशाल आर्य जाति के एक अंग थे, सो देर से सीर नदी की घाटी में बसे हुए थे, और अब परिस्थितियों में बिबरा होकर भारत में प्रविष्ट हुए थे। भारत में आकर उन्होंने यहाँ की भाषा, धर्म सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। विभिन्न शकों ने भारत के वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन आदि धर्मों का ग्रहण किया, और भारतीय समाज के ही एक अंग बन गये। उज्जैनी और मथुरा के शक चक्रपों के जो बहुत से शिलालेख इस समय उपलब्ध हुए हैं, उनसे यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है, कि भारत में आकर शक लोगों ने भारतीय धर्मों को स्वीकार कर लिया था, और थोड़े ही समय में वे भारतीय आर्यों में घुलमिल गये थे।

चौदहवाँ अध्याय

मगध के सातवाहन और कुशाण राजा

(१) सातवाहनों का अभ्युदय

मौर्य सम्राटों की शक्ति के क्षीण होने पर मगध साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में जो अनेक राजवंश स्वतंत्र हो गये थे, उनमें सातवाहन वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस वंश का मूल अभिजन कर्नाटक के बेल्लारि जिले में था। जाति से वर्णसंकर ब्राह्मण थे। माता की ओर से इनका संबंध नाग या आंध्र लोगों से था। वही कारण है, कि पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्रवंश कहा गया है।

सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिमुक था। उसकी राजधानी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान या पैठन थी। नासिक तथा उसके समीप के प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित थे। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बना। कृष्ण के बाद उसका पुत्र सातकर्ण राजा हुआ। उसने महाराष्ट्र के प्र एक मुख्य सरदार की कन्या नागनिका के साथ विवाह किया। इससे उसकी सत्ता महाराष्ट्र में बहुत बढ़ गई। सातकर्ण बड़ा शक्तिशाली राजा था। धीरे-धीरे वह सारे महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्वामी हो गया। पश्चिमी घाट के सब प्रदेश व कांकरा के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकर्ण ने अपनी विजयों के उपलक्ष में दो बार अश्वमेध यज्ञ किये। सातकर्ण मगधराज शुंग पुष्यमित्र और कलिंगराज खारवेल का समकालीन था। जिस प्रकार शुंग पुष्यमित्र ने उत्तरापथ में अनेक

विजय कर अरबमें भेज दिये थे, उसी प्रकार सातकर्णियों ने दक्षिणापथ के सब प्रदेशों को जीत कर अरबमें भेज यहाँ का आधिपत्य किया था। खारबेल के साथ भी उसके अनेक युद्ध हुए थे।

सातकर्णियों के उत्तराधिकारियों के विषय में लगभग एक शताब्दि तक केवल राजाओं के नाम ही पाये जाते हैं। ये राजा बहुत शक्तिशाली नहीं थे। इनका राज्य दक्षिणापथ तक ही सीमित था। दक्षिणापथ में भी शक लोग इन पर लगातार हमले कर रहे थे। जिस समय उज्जैनी में अपना अधिकार स्थापित कर शक लोगों ने चारों तरफ आक्रमण करने शुरू किये, तो महाराष्ट्र का यह सातवाहन राज्य भी उनसे न बच सका। कोंकण और महाराष्ट्र का उत्तर-पश्चिमी भाग सातवाहनों के हाथ से निकल कर शकों के हाथ में चला गया। सातवाहन राजाओं की शक्ति और भी क्षीण तथा सीमित रह गई।

(२) गौतमीपुत्र सातकर्ण

पर इसी समय में सातवाहन वंश में एक ऐसे वीर पुरुष का अभ्युदय हुआ, जिसने न केवल अपने राजवंश की क्षीण होती हुई शक्ति को पुनरुज्जीवित किया, पर साथ ही शकों को भारत से परास्त कर उनकी राजसत्ता का अंत कर दिया। इस वीर का नाम गौतमीपुत्र सातकर्ण था। इसने जिन प्रदेशों को जीत कर फिर से अपने अधीन किया था, उनमें अश्मक, मूलक, कुकुर, सुराष्ट्र, अनूप, विदर्भ, आकर और अर्वाटि विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। अश्मक बौद्धकाल के सोलह महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी पोतन या पोतलि थी। मूलक उसके ठीक उत्तर में था। कुकुर देश प्राचीन समय में एक संघ-राज्य था, और उसकी स्थिति काठियावाड़ के समीप थी। अनूप का प्रदेश नर्मदा नदी की घाटी में था। आकर से विदिशा के

प्रदेशों का ग्रहण होता था। इन सब प्रदेशों को विजय कर लेने से गौतमीपुत्र सातकर्षि काठियावाड़ (सुराष्ट्र) से विदिशा (वर्तमान म्वालिजर राज्य में) तक संपूर्ण गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यभारत का स्वामी हो गया था। उज्जैनी के शक क्षत्रपों को परास्त कर उनके सहारात वंश का उसने अंत कर दिया था। अबन्ति, विदिशा, अरमक, चिदमं आदि जिन प्रदेशों पर उसने विजय प्राप्त की थी, वे सब पहले शक क्षत्रपों के अधीन थे। शकों को परास्त करके ही वह इन प्रदेशों का स्वामी हुआ था। शकों को अबन्ति विदिशा आदि से निकाल देना इतनी बड़ी घटना थी, कि गौतमीपुत्र सातकर्षि इतिहास में 'शकारि' कहलाया, और विक्रमादित्य की गौरवपूर्व उपाधि से विभूषित हुआ। इस वीर राजा का शासनकाल ईसा से पूर्व पहली शताब्दि के मध्य में था। भारतीय दंतकथाओं का प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य, जिसके नामसे विक्रम संवत् २७ ई० पू० में प्रारंभ हुआ था, यही सातकर्षि था।

गौतमीपुत्र सातकर्षि के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले बहुत से शिलालेख व सिक्के वर्तमान ऐतिहासिक खोज द्वारा उपलब्ध हुए हैं। इनमें से एक लेख सातकर्षि की माता गौतमी बालभो का उल्लेख कराया हुआ है। यह राजमाता अपने पौत्र वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि के शासनकाल में भी ज्ञात थी, और अपने पौत्र के शासन के १६ वें वर्ष में उसने यह लेख प्रकाशित कराया था। इस लेख के अनुसार विश्वाचल, पारियात्र (पश्चिमी विन्ध्य), सन्न, मलय, कच्छवन (सहपुड़ा) और कण्डुगिरि (कान्हेरि) पर्वत गौतमीपुत्र सातकर्षि के राज्य के अंतर्गत थे। इनके अतिरिक्त उड़ीसा का महेन्द्र पर्वत भी सातकर्षि के साम्राज्य में था। इसका अभिप्राय यह हुआ, कि खारवेल के वंशजों के राज्य में अब कलिंग नहीं रह गया था। भारत के पूर्वी

समुद्रतट पर स्थित इस कलिंग देश को भी सातवाहन वंश ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था। यही कारण है, कि राजमाता गौतमी के इस शिलालेख के अनुसार सातकर्णिके घोड़ों ने पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व—तीनों समुद्रों का पानी पिया था। पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व तीनों समुद्रों के बीच का संपूर्ण दक्षिणी भारत सातवाहन साम्राज्य के अधीन था। कलिंग के साथ ही आंध्र देश भी सातकर्णिके ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था।

गौतमीपुत्र सातकर्णिके के साथ संबंध रखने वाली एक जैन अनुभूति का भी यहाँ उल्लेख करना उपयोगी है। भरुकच्छ का राजा नहवाण कोष का बड़ा धनी था। दूसरी तरफ प्रतिष्ठान का राजा सालवाहन सेवा का धनी था। सालवाहन ने नहवाण पर चढ़ाई की, किंतु दो वर्ष तक उसकी पुरी को घेरे रहने पर भी वह उसे जीत नहीं सका। भरुकच्छ के पास कोष की कमी नहीं थी, इसलिये वे घिर कर भी अपना काम चलाते रहे। अब सालवाहन ने कूटनीति का आश्रय लिया, जिस प्रकार राजा अजातशत्रु ने चालाकी से अपने अमात्य वर्षकार को बज्रिसंध में भेज दिया था, इसी प्रकार सालवाहन ने अपने एक अमात्य को उससे रुष्ट होने का नाट्य कर उसे निकाल दिया। वह अमात्य भरुकच्छ गया और धीरे-धीरे नहवाण का अमात्य बन गया। उसकी प्रेरणा से नहवाण ने अपना बहुत धन देवमंदिर, तालाब, बाघड़ी आदि बनवाने तथा अन्य दान-पुण्य में खर्च कर दिया। अब जब सालवाहन ने भरुकच्छ पर चढ़ाई की, तो नहवाण का कोष खाली था। वह परास्त हो गया और भरुकच्छ भी सालवाहन साम्राज्य में शामिल हो गया।

जैन अनुभूति के कालकाचार्य-कथानक के अनुसार जिस राजा विक्रमादित्य ने शकों का संहार किया था वह प्रतिष्ठान

का रहने वाला था। सातवाहन वंश के राजा प्रतिष्ठान के ही रहने वाले थे। वहीं से उनके राजवंश का उदगम हुआ था। इसमें संदेह नहीं, कि प्रसिद्ध शकारि विक्रमादित्य और सातवाहनवंशी गौतमीपुत्र सातकर्णिक एक ही थे, और इस परम प्रतापी राजा ने लगभग ६६ ई० पू० से ४४ ई० पू० तक, कुल ४५ वर्ष तक राज्य किया था।

(३) मामध सम्राट् वासिष्ठीपुत्र श्री पुलुमायि

गौतमीपुत्र सातकर्णिक के बाद उसका लड़का वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि सातवाहन साम्राज्य का स्वामी बना। संपूर्ण मध्य तथा दक्षिणी भारत सातकर्णिक के समय में ही सातवाहनों के अधीन हो चुका था। सुदूर दक्षिण में चोल देश पर भी सातवाहन राजा अपना अधिकार कर चुके थे। उनके सिक्के सुदूर दक्षिण में भी बहुत स्थानों पर मिले हैं। चोल मंडल के तट से राजा पुलुमायि के जो सिक्के मिले हैं, उन पर दो मस्तूल वाले जहाज का चित्र बना है। इससे स्पष्ट है, कि सुदूर दक्षिण में जारी करने के लिये जो सिक्के पुलुमायि ने बनवाये थे, वे उसकी सामुद्रिक शक्ति को भी सूचित करते थे। कलिंग से लगाकर चोलमंडल तक का समुद्रतट जीत लेने से सातवाहन राजाओं का सामुद्रिक वेड़े पर भी अधिकार हो गया था, और इसी लिये ये जहाज के चित्र वाले सिक्के विशेष रूप से प्रचलित किये गये थे। इसी समय में भारत के लोग समुद्र पार करके अपने उपनिवेशों की स्थापना करने में तत्पर थे। इस विषय पर हम बंधास्थान प्रकाश डालेंगे।

राजा पुलुमायि के समय की सबसे प्रसिद्ध घटना उसकी मगधविजय है। इस समय में पाटलीपुत्र में कण्ववंश के राजाओं का राज्य था। ये राजा निबल और शक्तिहीन थे।

अंतिम कुरुवराजा का नाम सुरामा था। उसका शासनकाल ३८ ई० पू० से २८ ई० पू० तक था। सम्राट् पुलुमायि ने २८ ई० पू० में इस पर आक्रमण किया और पाटलीपुत्र पर अपना अधिकार कर लिया। मगध के समृद्ध पर निर्बल राजा दिम्बिजयी सातवाहन आक्रांता के सामने न ठहर सके। इस समय से उत्तरी भारत पर भी सातवाहन वंश का आधिपत्य हो गया। मगध की पुरानी सैनिक शक्ति अब क्षीण हो गई थी। शकों से बार-बार परास्त होकर मगध साम्राज्य अब बलहीन सा हो गया था। जिन वीर सातवाहनों ने इन शकों को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उनकी सैनिक शक्ति के सामने ठहर सकना मगध के निर्बल राजाओं के लिये संभव नहीं था।

अब सातवाहन राजा प्रतिष्ठान के सम्राट् होने के साथ-साथ पाटलीपुत्र व मगध के भी सम्राट् हो गये। यही कारण है कि पुराणों में इन सातवाहनों व आंध्र राजाओं का वर्णन मौर्य शुक और कुरु वंशों के सिलसिले में, उनके बाद पाटलीपुत्र के सम्राटों के रूप में किया गया है। अब सातवाहन राजा प्रायः सारे भारत के एकत्रुज सम्राट् बन गये थे। उनकी यह स्थिति लगभग एक सदी तक कायम रही। गौतमीपुत्र सातकर्णिक विक्रमादित्य ने जिस साम्राज्यविस्तार का प्रारंभ किया था, उसे उसके पुत्र वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि ने पूरा किया। इन सातवाहन राजाओं ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। प्रतिष्ठान से प्रारंभ कर, अब वे उज्जैनी से अपने विशाल साम्राज्य का शासन करते थे। पाटलीपुत्र की श्री इस समय उज्जैनी के सम्मुख फीकी पड़ गई थी। सम्राट् पुलुमायि का शासन काल ४४ ई० पू० से २ ई० पू० तक था।

(४) मगध के अन्य सातवाहन राजा

पुलुमायि के बाद कृष्ण द्वितीय सातवाहन साम्राज्य का

स्वामी हुआ। इसने कुल २५ वर्ष तक (= ई० पू० से १६ ई० पू० तक) राज्य किया। इसके बाद हाल राजा हुआ। प्राकृत भाषा के साहित्य में इस राजा हाल का बड़ा महत्त्व है। वह प्राकृत भाषा का उत्कृष्ट कवि था, और अनेक कवि व लेखक उसके आश्रय में रहते थे। हाल की लिखी हुई गाथासप्तशती प्राकृत भाषा का एक प्रसिद्ध पुस्तक है। राजा हाल का दरबार साहित्य और संस्कृति का बड़ा आश्रयस्थान था। इस के संरक्षण और प्रोत्साहन से प्राकृत साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ 'बृहत्कथा' भी इसी समय के लगभग लिखा गया।

हाल के बाद क्रमशः पत्तलक, पुरिकसेन, स्याति और स्कंद-स्याति सातबाहन साम्राज्य के राजा हुए। इन चारों का कुल शासककाल ५१ वर्ष था। राजा हालने १६ ई० से २१ तक चार साल राज्य किया था। स्कंद स्याति के शासन का अंत ७२ ई० में हुआ। इन राजाओं के समय की कोई ऐतिहासिक घटना हमें ज्ञात नहीं है। पर इतना निश्चित है, कि इनके समय में सातबाहन साम्राज्य अजुएण्ड रूप में बना रहा। स्कंदस्याति के बाद महेन्द्र सातकर्णिक राजा बना। इसी महेन्द्र को मंचर के नाम से पेरिसस में सूचित किया गया है। प्राचीन पाश्चात्य संसार के इस भौगोलिक यात्रामंडल में भरुकण्ड के बंदरगाह से शुरू करके मंचर द्वारा शासित आर्यदेश का उल्लेख किया गया है।

महेन्द्र सातकर्णिक के बाद कुन्वल सातकर्णिक (७५ ई० से ८३ ई० तक) राजा बना। इसके समय में फिर विदेशियों के आक्रमण भारत में प्रारंभ हो गये। जिन युद्धि लोनों के आक्रमणों से, शक लोग सीर नदी की घाटी के अपने पुराने निवास-स्थान को छोड़ कर आगे बढ़ने के लिये विवश हुए थे, वे ही

कालांतर में हिंदुकुश के पश्चिम में प्राचीन कंबोज जनपद में बस गये थे। वहाँ के यवन निवासियों के संपर्क से युद्धि लोग भी धीरे-धीरे सभ्य हो गये थे और उन्नति के मार्ग पर बढ़ने लगे थे। जिस समय राजा वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि ने कण्व वंश का चतुर्ष्व मगध पर विजय की, लगभग उसी समय इन युद्धियों में एक वीर पुरुष का उत्कर्ष हुआ, जिसका नाम कुराण था। इस समय तक युद्धियों के पाँच छोटे-छोटे जनपद थे। कुराण ने उन सब को जीत कर एक सूत्र में संगठित किया और युद्धियों के एक शक्तिशाली राज्य की नींव डाली। युद्धियों को संगठित करके ही कुराण संतुष्ट नहीं हुआ, धीरे-धीरे उसने अफगानिस्तान और तक्षिला तक गांधार राज्य को भी जीत कर अपने अधीन कर लिया।

कुराण के बाद उसका पुत्र विम युद्धि साम्राज्य का स्वामी बना। वह ३५ ईस्वी के लगभग राजगद्दी पर बैठ था। उसने युद्धि साम्राज्य को और विस्तृत किया। पंजाब को अपने अधीन कर उसने मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा परास्त हो गया। उत्तर-पश्चिमी भारत सातवाहनों के साम्राज्य से निकल कर युद्धि या कुराण साम्राज्य के अधीन हो गया। विम ने यह राज्य-विस्तार उस समय में किया, जब कि उज्जैनी के राजसिंहासन पर राजा हाल के उत्तराधिकारी, जिनके हमें केवल नाम ही उपलब्ध होते हैं, विराजमान थे। संभवतः ये राजा इतने प्रतापी नहीं थे, कि विम की प्रतापी सेनाओं का सामना कर सकते। परिणाम यह हुआ कि सातव हन साम्राज्य का क्षय और कुराणों के उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ। विम स्वयं हिंदुकुश के उत्तर-पश्चिम में कंबोज देश में रहता था, भारत के जीते हुए प्रदेश में उसके सत्रप राज्य करते थे।

युद्धि लोग शकों से मित्र थे। पर भारत की प्राचीन ऐतिहा-

स्तिक अनुभूति में उन्हें स्थूलरूप से शक ही कह दिया गया है। सातवाहन राजाओं ने देर तक 'शकों' के इन नवीन आक्रमणों को सहन नहीं किया। शीघ्र ही उनमें एक द्वितीय विक्रमादित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने कि इन अभिनव शकों को परास्त कर दूसरी बार शकारि की उपाधि ग्रहण की। इस प्रतापशाली राजा का नाम कुन्तल सातकर्णिक था। इसने मुलवान के समीप युद्धिशि राजा चिम की सेनाओं को परास्त कर एक बार फिर सातवाहन साम्राज्य का गौरव बढ़ाया।

विक्रमादित्य द्वितीय बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसका रानी का नाम मलयवती था। वाल्म्यायन के कामसूत्र में उसका उल्लेख आता है। कुन्तल सातकर्णिक (विक्रमादित्य द्वितीय) के राज-दरवार में गुणाड्य नाम का प्रसिद्ध लेखक व कवि रहता था, जिसने कि प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत्कथा लिखा था। सातवाहन राजा प्राकृत भाषा बोलते थे, पर कुन्तल सातकर्णिक की रानी मलयवती की भाषा संस्कृत थी। राजा सातकर्णिक उसे भलीभाँति समझ नहीं सकता था। परिणाम यह हुआ, कि उसने संस्कृत सीखनी प्रारंभ की, और उसके अमात्य सर्ववर्मा ने सरल रीति से संस्कृत सिखाने के लिये कावन्त्र व्याकरण की रचना की। इस व्याकरण से राजा विक्रमादित्य इतना प्रसन्न हुआ, कि उसने पुररधार के रूप में भरुकच्छ प्रदेश का शासन सर्ववर्मा को दे दिया।

गुणाड्यलिखित बृहत्कथा इस समय उपलब्ध नहीं होती पर सोमदेव द्वारा किया हुआ उसका संस्कृत रूपांतर कथासरित्सागर इस समय प्राप्त है। यह बृहत्कथा का अचरानुवाद न होकर साररूप से अनुवाद है। कथासरित्सागर प्राचीन संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत्न है, जिसमें प्राचीन समय की बहुत सी कथाएँ संगृहीत हैं। बृहत्कथा के आधार पर लिखा

हुआ एक और ग्रंथ जेमेट्रिविरचित बृहत्कथामंजरी भी इस समय उपलब्ध है। बृहत्कथा का एक तामिल अनुवाद दक्षिण भारत में भी मिलता है। कथासरित्सागर और बृहत्कथामंजरी के लेखक काश्मीर के निवासी थे, और उनमें से सोमदेव ने अपना ग्रंथ काश्मीर की रानी सूर्यमती की प्रेरणा से लिखा था। इस प्रकार सातवाहन सम्राट् के आश्रय में कवि गुप्ताह्व द्वारा लिखी गई बृहत्कथा उत्तर में काश्मीर से लगाकर दक्षिण में तामिल संस्कृति के केंद्र मदुरा तक प्रचलित हो गई। यह सातवाहन साम्राज्य के वैभव का ही परिणाम था, कि उसके केंद्र में लिखी गई इस बृहत्कथा की कीर्ति सारे भारत में विस्तीर्ण हो गई।

गुप्ताह्व रचित बृहत्कथा के आधार पर लिखे गये संस्कृत ग्रंथ कथासरित्सागर के अनुसार विक्रमादित्य द्वितीय का साम्राज्य संपूर्ण दक्षिण, काठियावाड़, मध्यदेश, बंग, अंग, और कर्नाटक तक विस्तृत था, तथा उत्तर के सब राजा, यहाँ तक कि काश्मीर के राजा भी, उसके करद थे। अनेक दुर्गों को जीत कर स्लेच्छों (शक व युद्धि) का उसने संहार किया था। स्लेच्छों के संहार के बाद उज्जैनी में एक बड़ा उत्सव किया गया, जिसमें गौड़, कर्नाटक, लाट, काश्मीर, सिंध आदि के अधीनस्थ राजा सम्मिलित हुए। विक्रमादित्य का एक बहुत शानदार तुलस निकलना, जिसमें इन सब राजाओं ने भाग लिया।

इस प्रकार कुंतल सातकर्षि एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। युद्धियों को परास्त कर उसने प्रायः सारे भारत में एक अखंड साम्राज्य कायम रखा।

कुंतल सातकर्षि के बाद सुंदर सातकर्षि ने एक वर्ष और फिर वासिष्ठीपुत्र पुलोमायि द्वितीय ने चार वर्ष तक राज्य किया। इनके शासनकाल की कोई घटना हमें ज्ञात नहीं है। संभवतः इनके समय में सातवाहन साम्राज्य की शक्ति सीधे होती आरंभ

हो गई थी और उसके दिगंत में विपत्ति के बादल फिर उमड़ने शुरू हो गये थे। इन राजाओं के बहुत थोड़े-थोड़े समय तक राज्य करने से यह भी प्रतीत होता है कि सातवाहन साम्राज्य की आंतरिक दशा भी इस समय बहुत दृढ़ नहीं रही थी।

(५) मगध से सातवाहन शासन का अंत

विक्रमादित्य द्वितीय ने शकराज विम को परास्त तो कर दिया, पर सातवाहनों की यह शक्ति देर तक कायम नहीं रही। युद्धि साम्राज्य में विम का उत्तराधिकारी कनिष्क था, वह बड़ा प्रवर्षी और महात्वाकांक्षी राजा था। उसने युद्धि शक्ति को पुनः संगठित कर सातवाहन साम्राज्य पर फिर आक्रमण किया। समीप के अन्य राजाओं से भी उसने इस कार्य में सहायता ली। खोतन के राजा विजयसिंह के पुत्र विजयकीर्ति और कुड़ अन्य राजाओं को साथ ले उसने भारत की ओर प्रस्थान किया। विक्रमादित्य द्वितीय के निर्बल उत्तराधिकारी इनका सामना नहीं कर सके। बात की बात में काश्मीर व पंजाब के प्रदेश कनिष्क के अधिकार में आ गये। किसी विशेष बाधा के बिना ही वह नई म्लेच्छ सेना साकेत (अयोध्या) तक पहुँच गई। अयोध्या से आगे बढ़ वह पाटलीपुत्र पहुँच गया। वहाँ का राजा कनिष्क की प्रबल शक्ति के सम्मुख असहाय था। वह परास्त हो गया। हरजाने के रूप में भगवान बुद्ध का कर्मवर्तु और अरवपोष नाम के बौद्ध विद्वान को साथ लेकर कनिष्क पश्चिम की वापस लौट गया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उस समय भारत के धर्म दूर-दूर तक फैल चुके थे। राजा कुराण भी बौद्ध था, और राजा विम शैव धर्म को मानने वाला था। शक और युद्धि लोग प्राचीन आर्य मर्यादा के अनुसार चाहे म्लेच्छ हों, पर उन्होंने भारतीय धर्मों की शीला महसूस कर ली थी।

अब मगध से सातवाहन साम्राज्य का अंत हो गया था। न केवल मगध, अपितु, प्रायः सारा उत्तरी भारत सातवाहनों के हाथ से निकल कर कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था। कनिष्क के सिक्के उत्तरी भारत में राँची (बिहार प्रांत में) तक से पाये गये हैं, और उसके शिलालेख पेशावर से शुरू कर मथुरा और सारनाथ तक उपलब्ध हुए हैं। इसमें संदेह नहीं, कि ये सब प्रदेश अब कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित थे। इन नये जीते हुए प्रदेशों का शासन करने के लिये कनिष्क ने दो चक्रप नियत किये, मथुरा में खरपल्लान और पाटलीपुत्र में वनस्पर। पौगणिक अनुभूति के अनुसार आंध्र सातवाहनों के बाद मगध में वनस्पर का शासन हुआ था। यह वनस्पर कनिष्क द्वारा नियत चक्रप ही था।

उत्तरी भारत पर कनिष्क का आक्रमण ६० ई० के लगभग हुआ था। इस समय से मगध तथा उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों से सातवाहनों का राज्य समाप्त हो गया। यह वंश इसके बाद भी देर तक दक्षिणापथ में राज्य करता रहा। सातवाहन राजाओं के कुशाख व युशिरा सम्राटों से बाद में भी बहुत से युद्ध हुए। पर ये मगध पर फिर कभी अपना अधिकार स्थापित करने में समर्थ नहीं हुए।

(६) नया पुष्पपुर

पाटलीपुत्र को जीत कर कनिष्क ने अपने अधीन कर लिया था। अपने प्राचीन गौरव के कारण यही नगरी कनिष्क के विराजित साम्राज्य की राजधानी होनी चाहिये थी। पाटलीपुत्र का राजा ही भारत भर का सम्राट् होना था। पर चीन की सीमा तक विस्तृत कनिष्क के साम्राज्य के लिये पाटलीपुत्र उपयुक्त राजधानी नहीं थी। अब: उसने नये कुसुमपुर (पाटलीपुत्र)

की स्थापना की, और उसे पुष्पपुर नाम दिया। वहीं आजकल का पेशावर है।

पुष्पपुर में कनिष्क ने बहुत सी इमारतें बनवाईं। इनमें सब से मुख्य एक स्तूप था, जो चार सौ फुट ऊँचा था। इसमें तेरह मंजिलें थीं। जब प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युएनत्सांग महाराज हर्षवर्धन के समय (सातवीं सदी) भारतभ्रमण को आया था, तो इस विशाल स्तूप को देख कर आश्चर्य में आगया था। कुसुमपुर के मुकाबले में कनिष्क ने पुष्पपुर को विद्या, धर्म तथा संस्कृति का भी केंद्र बनाया। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् अरबशोष को वह पाटलीपुत्र से ले ही आया था। बहुत से अन्य विद्वान भी इसके राजद्वार में आश्रय पाये हुए थे। इनमें आचार्य चरक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह अपने समय का सबसे बड़ा वैद्य था, और इसकी लिखी चरकसंहिता आज तक भी आयुर्वेद के ग्रंथों में परम उत्कृष्ट गिनी जाती है।

बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय महायान का विकास मुख्य तौर पर कनिष्क के समय में ही हुआ। बौद्ध धर्म के इतिहास में अशोक के बाद कनिष्क का नाम सबसे प्रमुख है। उसने अशोक के समान ही बौद्ध धर्म की सेवा करने तथा उसे देश-देशांतरों में फैलाने के लिये विशेष उद्योग किया। उसने सैकड़ों स्तूप, चैत्य और विहारों का निर्माण कराया। उसी के आश्रय में बौद्ध धर्म की चौथी महासभा (समिति) कारमौर की राजधानी श्रीनगर के समीप कुण्डलवन विहार में हुई। इसमें १०० विद्वान भिक्शु एकत्रित हुए। आचार्य अरबशोष, बज्जनेके गुरु पारव तथा बसुमित्र ने इस महासभा में प्रमुख भाग लिया। इस महासभा में बौद्ध त्रिपिटक का 'महाविभाषा' नाम का भाष्य तैयार किया गया। उसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण कराया गया और इस संपूर्ण विशाल ग्रंथ को ताम्रपत्र पर लिख कर एक स्तूप के आधार

में स्थापित किया गया। दुर्भाग्य ने ताक्षपत्रों पर लिगे इस विशाल ग्रंथ का अभी तक पता उपलब्ध नहीं हुआ है, यद्यपि चीन में इसका चीनी अनुवाद मिल चुका है। महायान संप्रदाय की यह प्रामाणिक पुस्तक है। भारत के उत्तरी देशों में इसी महायान संप्रदाय का प्रचार हुआ था।

कनिष्क के उत्तराधिकारी चासिष्क, हुबिष्क, कनिष्क द्वितीय और वामुदेव थे। इनके समय में कुशाण व युइशि साम्राज्य प्रायः अक्षय्य बना रहा। इन सम्राटों के सातबाहन राजाओं से प्रायः युद्ध होते रहे, पर दक्षिण में अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम रखने में सातबाहन राजा सफल रहे। कुशाण देश के अंतिम राजा वामुदेव ने १५२ ई० से १७६ ई० तक राज्य किया। पाटलीपुत्र इन सम्राटों के समय में अपना गौरवपूर्ण पद खो चुका था, उसकी स्थिति एक प्रांतीय नगर की सी रह गई थी, जहाँ कुशाणों द्वारा नियुक्त उग्रप शासन करते थे। बनस्पत के बाद पाटलीपुत्र के उग्रप कौन नियुक्त हुए, इसका परिचय हमें नहीं है।

इस समय पाटलीपुत्र (कुसुमपुर) का गौरवपूर्ण स्थान पुष्पपुर न ले लिया था, जो न केवल राजनीतिक शक्ति का, अपितु विद्या, धर्म और संस्कृति का भी सर्वप्रधान केंद्र था। सारे कुशाण शासन में, पहली और दूसरी शताब्दियों में, पाटलीपुत्र की स्थिति पेशावर के समुख हीन बनी रही। पर कुशाण साम्राज्य के पतन के साथ ही पाटलीपुत्र ने अपने विलुप्त गौरव को फिर प्राप्त कर लिया।

पन्द्रहवाँ अध्याय

भारतशिव और वाकाटक राज

(१) कुशास सास्राज्य का पतन

हम पहले लिख चुके हैं कि ६० ई० के लगभग कुशासवंशी सम्राट कनिष्क ने लगभग सारे उत्तरी भारत को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। पाटलीपुत्र भी इस समय सातवाहन वंश के राजान पर कुशासों के हाथ में चला गया था। कुशास साम्राज्य की राजधानी पुष्पपुर (पेशावर) थी, और पाटलीपुत्र पर शासन करने के लिये क्षत्रप बनस्पर नियुक्त किया गया था। एक पुरानी अनुश्रुति के अनुसार नपुंसकों की सी आकृतिवाले पर बुद्ध में विष्णु के समान बली इस महासत्त्व चिरवस्फूर्ति (बनस्पर) ने सब राजाओं का उत्सादन कर कैबर्न, पंचकान पुलिन्द, बडव, आदि दूसरे नीच वर्णों को पार्थिव बनाया। अधिकारी प्रजा को उसने ब्राह्मणों का विरोधी बना दिया। क्षत्र को उखाड़ कर उसने नया क्षत्र बनाया और जाह्नवी तीर पर देवी और पितरों का भलीभाँति तर्पण कर सन्यास ले शरीर छोड़ स्वर्ग को सिधारा। इस अनुश्रुति के अनुसार बनस्पर बड़ा पतंगी शासक था। पुराने क्षत्रियों और ब्राह्मणों के लिये यह स्वाभाविक था, कि वे उसका आदर न करते। वह नपुंसकों की सी शकल वाला (संभवतः, मंगोल खून के कारण दाढ़ी मूँह से रहित) स्लेच्छ यदि ब्राह्मणों और क्षत्रियों की सद्भावना न प्राप्त कर सका हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है। पर कैबर्न आदि नीचे समझे जाने वाले लोगों को राज्यपद (पार्थिव

बना) देकर उसने नया चतुर (शासक वर्ग) उत्पन्न कर दिया, और जनता में ब्राह्मणों के लिये अत्रिदा उत्पन्न कर दी। यह स्वयं भारतीय धर्मपरम्परा का अनुयायी हो गया था, जैसा कि उस काल के सभी शक, यवन, युद्धि आदि स्लेच्छ लोगों की प्रवृत्ति थी। इसी लिये आर्यमर्यादा का अनुसरण करते हुए अंत में संन्यास ले उसने शरीर का त्याग किया था।

वनस्पत के बाद जो व्यक्ति पाटलीपुत्र के महासत्रप बने, उनके नाम हमें ज्ञात नहीं है। पर इसमें संदेह नहीं, कि लगभग एक शताब्दी तक वनस्पत के उत्तराधिकारी महासत्रप पाटलीपुत्र की राजधानी बना कर उत्तरी भारत में राज्य करते रहे, कुशाणों का संघर्ष सातवाहन राजाओं के साथ चलता रहा, पर उत्तरी भारत में उनका शासन निर्विघ्न रूप से जारी रहा। इस कुशाण साम्राज्य की सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक थी।

पर दूसरी सदी ईस्वी के अंत होते-होते कुशाण साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। कुशाणों के शासन को उत्तरी भारत से नष्ट करने का श्रेय दो शक्तियों को है, एक तो यौधेय आदि गणराज्यों को और दूसरा काँतिपुरी के नाग भारशिव राजाओं को। कुशाण साम्राज्य के विकास से पूर्व ही, मागध सम्राटों की निबलता से लाभ उठाकर यौधेय गण ने अपनी स्वाधीनता कायम कर ली थी। पर कनिष्क ने उन्हें अपने अधीन किया और इनका प्रदेश कुशाण साम्राज्य के अंतर्गत हो गया। हर दूसरी सदी ईस्वी के मध्य भाग में यौधेयों ने फिर अपना सिर उठा किया। पर वे अपनी स्वतंत्रता को देर तक कायम नहीं रख सके। शक महासत्रप रुद्रदामन ने उन्हें परास्त किया। रुद्रदामन ने बड़े अभिमान के साथ अपने एक शिलालेख में यह लिखा है कि किस प्रकार उसने सब क्षत्रियों में बलशाली यौधेयों को परास्त किया था। पर कुछ ही समय के बाद यौधेय

लोगों ने फिर विद्रोह का भंडा खड़ा किया। दूसरी सदी के समाप्त होने से पूर्व ही वे फिर स्वतंत्र हो गये। कुशाखों की शक्ति के मुकाबले में स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना सुगम बात नहीं थी। कुशाखों का साम्राज्य चरख से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। महाजनयन रुद्रदामन उन्हीं की ओर से नियुक्त शासक था। इतने शक्तिशाली साम्राज्य को परास्त कर देना एक गणराज्य के लिये बड़े अभिमान का बात थी। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने नये सिक्के प्रचलित किये, जिन पर 'यौषेयगणस्य जय' उत्कीर्ण कराया गया। इन सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्र भी दिया गया। कार्तिकेय देवताओं का सेनापति माना गया है। यौषेयों ने जो विजय प्राप्त की थी, वह देवताओं के ही योग्य थी। जनता का विश्वास था, कि यौषेयों का चित्रण का एक मंत्र आता है, इसी लिये उनके लिये 'विजयमंत्र धरा-साम' यह विशेषण दिया गया है। बिना किसी विशेष मंत्र या जादू के केवल शासकत्व से इतने शक्तिशाली कुशाख साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर के स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जा सकती थी। कुशाखों के विरुद्ध इस विद्रोह में कुण्डिद आर्जुनायन आदि अन्य गणराज्यों ने भी यौषेयों का साथ दिया था। वे सब गण इस समय स्वतंत्र हो गये थे, और संभवतः, उन्होंने यौषेयों के साथ मिल कर एक संघ बना लिया था। उत्तर में अंबाला और देहरादून से प्रारंभ कर उत्तरी राजपूताना तक इस संघ का राज्य था। इन गणों का स्वतंत्र शासन चौथी सदी तक प्रारंभ तक कायम रहा। लगभग डेढ़ सदी तक ये शक्तिशाली गण बड़ी शान के साथ कायम रहे। इनके प्रमुख महाराज—महा-सेनापति कहलाते थे, और उसे संपूरा गण निर्वाचित करता था।

जिस प्रकार पूर्वी पंजाब में यौषेयों ने कुशाख साम्राज्य का अंत किया, वैसे ही वर्तमान संयुक्तप्रान्त, म्बालिचर और पूर्व

के प्रदेशों में भारशिव राजाओं द्वारा कुराखों की शक्ति की इतिभी हुई। कुछ समय और पीछे तीसरी सदी के उत्तरार्ध में पाटलीपुत्र से भी कुराख चतुर्षों के शासन का अंत संभवतः इन्होंने भारशिव नागों द्वारा किया गया।

(२) भारशिव बंस

मागध साम्राज्य के निर्बल हो जाने पर भारत के विविध प्रदेशों में जो अनेक राजवंश स्वतन्त्र हो गये थे, उनमें बिदिशा का नागवंश भी एक था। बाद में वह वंश पहले शकों की और फिर कुराखों की अधीनता में खला गया। अब यौधेयों द्वारा कुराखों के विरुद्ध विद्रोह करने से जो अज्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठा कर नागों ने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। ग्वालियर के समीप पद्मावती की उन्होंने अपना केंद्र बनाया; और वहाँ से बढ़ते-बढ़ते कौशांबी से मथुरा तक के सारे प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रदेश में उस समय कुराखों का राज्य था। उन्हें परास्त कर नाग राजाओं ने अपने स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। बाद में नाग लोग पूर्व की तरफ और आगे बढ़े। मिर्जापुर जिले में विद्यमान कांतिपुरी को उन्होंने राजधानी बना लिया और गंगा नदी के साथ-साथ के प्रदेश को बहुत दूर तक विजय कर लिया।

ये नाग राजा शिव धर्म की मानने वाले थे। इनके किसी पमुख्य राजा ने शिव को प्रसन्न करने के लिये धार्मिक अनुष्ठान करते हुए शिवलिंग को अपने सिर पर धारण किया था, इसीलिये भारशिव कहलाने लगे थे। इसमें संदेह नहीं कि शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिये ये राजा मिशान के रूप में शिवलिंग को सिर पर रखते थे। इस प्रकार की एक मूर्ति भी उपलब्ध हुई है, जो इन अनुष्ठान की पुष्टि

करती है। नवनाग (दूसरी सदी के मध्य में) से भवनाग (तीसरी सदी के अंत में) तक इनके कुल सात राजा हुए जिन्होंने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में काशी में दस बार अश्वमेध यज्ञ किया। संभवतः इन्हीं दस वंशों की स्मृति काशी के दशाश्वमेध पाट के रूप में अब भी सुरक्षित है। भारतशिव राजाओं का स.स्राज्य पश्चिम में मथुरा से पूर्व में काशी से भी कुछ परे तक अवश्य विस्तृत था। इस सारे प्रदेश में बहुत से स्थातों पर इसके सिक्के पाये जाते हैं। गंगा-यमुना के प्रदेश का कुशाण शासन से उद्धार करने के कारण गंगा-यमुना को ही इन्होंने अपना राजचिन्ह बनाया था। गंगा-यमुना के जल में अपना राज्याभिषेक कर इन राजाओं ने बहुत काल बाद इन पवित्र नदियों के गौरव का पुनरुद्धार किया था।

भारतशिव राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा खीरसेन था। कुशाणों को परास्त कर अश्वमेध यज्ञों का संपादन उसी ने किया था। संयुक्तप्रांत के फर्रुखाबाद जिले में एक शिलालेख भी मिला है, जिसमें इस प्रतापी राजा का उल्लेख है। संभवतः इसने एक नये संज्ञान का भी प्रारंभ किया था।

गंगा-यमुना के प्रदेश के कुशाण शासन से विमुक्त हो जाने के बाद भी कुछ समय तक पाटलीपुत्र पर महासत्रप वनत्पर के उत्तराधिकारियों का शासन जारी रहा। वनत्पर के बेटे को पुराणों में मुरुखड वंश कहा है। इस मुरुखड वंश में कुल १३ राजा या सत्रप हुए, जिन्होंने पाटलीपुत्र पर राज्य किया। २४५ ई० के लगभग कप्तान उपनिवेश का एक राजदूत पाटलीपुत्र में आया था। उस समय वहाँ मुलुन (मुरुखड) राजा का शासन था। पाटलीपुत्र के इस मुलुन राजा ने सुशिदेश के चार योद्धों के साथ अपने राजदूत को कप्तान भेजा था। मुरुखड शब्द का अर्थ स्वामी या शासक है। यह सत्रप के सदस्य ही

शासक अर्थ में प्रयुक्त होता है। पाटलीपुत्र के ये कुरासों अथवा गुरुएड ही कहलाते थे।

२७८ ई० के लगभग पाटलीपुत्र से भी कुरासों का शासन समाप्त हुआ। इसका अर्थ बाकाटक वंश के प्रवर्तक विष्णुशक्ति को है। पर इस समय तक बाकाटक लोग भारशिवों के सामन्त थे। भारशिव राजाओं की प्रेरणा से ही विष्णुशक्ति ने पाटलीपुत्र से गुरुएड शासकों का उच्छेद कर उसे कांतिपुर के साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया था। समय को जीत लेने के बाद भारशिवों ने और अधिक पूर्व की तरफ भी अपनी शक्ति का विस्तार किया। अंग देश का राजधानी चंपा भी बाद में उनकी अधीनता में आ गई। वायुपुराण के अनुसार नगराज्यों ने चंपापुरी पर भी राज्य किया था।

पर समय और चंपा के भारशिव लोग हर एक शासन नहीं कर सके। जिस प्रकार पूर्वी बंगाल में वीथिय आर्जुनायन आदि गण स्वतंत्र हो गये थे, वैसे ही उत्तरी बिहार में इस काल को अल्पवस्था में लाभ उठा कर लिच्छवि गण ने फिर से अपनी स्वतंत्र सभा स्थापित कर ली थी। वीथियों के सहरी लिच्छवि गण भी इस समय बड़ा शक्तिशाली हो गया था। कुछ समय पीछे लिच्छवियों ने पाटलीपुत्र को जीत कर अपने अधीन कर लिया। पुराणों में मूलतः के साथ पाटलीपुत्र के शासकों में वृषलों को भी परिगणित किया गया है। संभवतः ये वृषल अत्यन्त लिच्छवि ही थे। अत्यन्त भौषों को विशाम्बदन ने वृषल कहा है। उसी प्रकार अत्यन्त लिच्छवियों को पुराणों के इस प्रकार में वृषल कह कर निर्दिष्ट किया गया है।

(३) बाकाटक वंश

हम ऊपर लिख चुके हैं कि बाकाटक विष्णुशक्ति भार-

शिव नागों का सामंत था। उसके पुत्र का नाम प्रवरसेन था। भारतिय राजा भवनाग की इकलौती लड़की प्रवरसेन के पुत्र गौतमीपुत्र को स्वाही थी। इस विवाह से गौतमीपुत्र के जो पुत्र हुआ, उसका नाम रुद्रसेन था। क्योंकि भवनाग के कोई पत्र नहीं था, अतः उसका उत्तराधिकारी उसका हीहित रुद्रसेन ही था। गौतमीपुत्र की मृत्यु प्रवरसेन के जीवनकाल में ही हो गई थी अतः रुद्रसेन जहाँ अपने पितामह के राज्य का उत्तराधिकारी था, वहाँ साथ ही अपने नाना का बिनाल साम्राज्य भी उसी के हाथ में आया था। धीरे-धीरे भारतिय और बाकाटक राज्यों का शासन एक हो गया। रुद्रसेन के संरक्षक रूप में प्रवरसेन ने बाकाटक और भारतिय दोनों बरों के राज्यों के शासनसूत्र को अपने हाथ में ले लिया।

यह प्रवरसेन बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ है। इसने चारों दिशाओं में दिग्विजय कर के चार बार अरबमेघ पद किये, और बाजसमेय यह करके सम्राट् का गौरवमेघ पद प्राप्त किया। प्रवरसेन की बिजयों का मुख्य क्षेत्र मालवा, गुजरात और काठियावाड़ था। बंगाल और उत्तरी भारत से कुशाणों का शासन इस समय तक समाप्त हो चुका था। पर गुजरात, काठियावाड़ में अभी तक भी कुशाणों के महाप्रथप राज्य कर रहे थे। प्रवरसेन ने इनका अंत किया। यही उसके शासनकाल की सब से महत्वपूर्ण घटना है। गुजरात और काठियावाड़ के महाप्रथपों को प्रवरसेन ने चौथी सदी के प्रारंभ में परास्त किया था।

३३५ ई० के लगभग प्रवरसेन की मृत्यु के बाद उसका पोता रुद्रसेन बाकाटक राजगरी पर बैठा। अपने नाना भारतिय भवनाग की इसे बड़ी सहायता थी। प्रवरसेन के तीन अन्य पुत्र भी थे जो उसके राज्य में प्रांतीय शासकों के रूप में शासन

करते थे। संभवतः प्रथमसेन की मृत्यु के बाद इन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया। पर भवनाग की सहायता से रुद्रसेन अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में सफल हुआ। भवनाग की मृत्यु के बाद रुद्रसेन भारशिव राज्य का भी स्वामी हो गया। वर्तमान संयुक्त-प्रान्त, मध्यभारत, मालवा, दक्षिण, गुजरात और काठियावाड़—ये सब प्रदेश इस समय वाकाटक साम्राज्य में सम्मिलित थे। पर रुद्रसेन के शासन-काल के अंतिम भाग में गुजरात काठियावाड़ में फिर एक महाक्षत्रपों का राज्य हो गया। रुद्रदामन द्वितीय ने वहाँ फिर से एक कुशाण शासन की स्थापना की और स्वयं महाक्षत्रप रूप में शासन करना प्रारंभ किया। संभवतः अपने नाचाओं के साथ संघर्ष करने के कारण वाकाटक राजा रुद्रसेन की शक्ति कमजोर पड़ गई थी, और वह गुजरात काठियावाड़ जैसे सुदूरवर्ती प्रदेश को अपनी अधीनता में नहीं रख सका था।

रुद्रसेन के बाद शूरोसेन ३६० से ३८५ ई० तक वाकाटक राजा बना। इसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय था। उस समय पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राट अपनी शक्ति का विस्तार करने में व्याप्त थे। गुप्त सम्राटों की यह प्रवृत्ति इच्छा थी कि गुजरात काठियावाड़ से एक महाक्षत्रपों के शासन का अंत कर भारत को कुशाण आधिपत्य से सर्वथा मुक्त कर दिया जाय। वाकाटक राजा इस कार्य में उनके सहायक हो सकते थे। क्योंकि इनके राज्यकी सीमाएँ एक महाक्षत्रपों के राज्य से मिलती थीं। वाकाटक राजा इस समय तक किसी न किसी रूप में गुप्त सम्राटों की अज्ञेयता स्वकार कर चुके थे, यद्यपि शक्तिशाली सामंतों के रूप में अपने राज्य पर उनका पूरा अधिकार था। शकों का पराभव कराने में वाकाटकों को पूरी सहायता प्राप्त करने के लिए गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय ने यह उपयोगी समझा, कि

उनके साथ और भी पनिष्ठ मैत्री का संबंध स्थापित किया जाये। संभवतः इसीलिये उसने अपनी कन्या प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। इस राजा की मृत्यु केवल पाँच वर्ष शासन करने के बाद ३६० ई० के लगभग हो गई थी, और उसके पुत्रों की आयु बहुत छोटी होने के कारण शासनसूत्र प्रभावती गुप्ता ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया था।

इन बाकाटक राजाओं के संबंध में अधिक लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। इस समय पाटलीपुत्र में जिस शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का विकास हो रहा था, उसके प्रताप के सम्मुख इन बाकाटकों की शक्ति विलकुल मंद पड़ गई थी, और ये गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत अधीनस्थ राजाओं के रूप में रह गये थे।

(४) पाटलीपुत्र में कौमुदी महोत्सव

भारतशिव राजाओं के शासनकाल में बाकाटक विभ्रशक्ति ने मगध और अंग को जीत लिया था। पर शोग्र ही शक्तिशाली लिच्छवि गण ने पाटलीपुत्र को जीत कर अपने अधीन कर लिया। प्रतीत ऐसा होता है, कि लिच्छवि लोग भी वर तक वहाँ स्थिर नहीं रहे। कुछ ही समय बाद मगध के किसी प्राचीन राजवंश ने पाटलीपुत्र को लिच्छवियों से स्वतंत्र किया। कौमुदी महोत्सव नाम का एक संस्कृत नाटक इस विषय पर बड़ा उत्तम प्रकारा बालता है। वस्तुतः, यह नाटक इसी काल के मागध इतिहास के एक कथानक को सन्मुख रख कर लिखा गया है।

मगध में सुंदरवर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। यह मागध वंश का था, अर्थात् मगध के ही किसी प्राचीन राजकुल के साथ इसका संबंध था। सुंदरवर्मा का कोई पुत्र नहीं था। अतः उसने चंद्रसेन नाम के एक कुमार को अपना कृतक

पुत्र बना लिया था। पर वृद्धावस्था में सुन्दर वर्मा के एक पुत्र उत्पन्न हो गया, जिसका नाम कल्याणवर्मा रखा गया। अब मागध राज्य का उत्तराधिकारी यह कल्याणवर्मा हो गया, और चंडसेन का राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं रहा। उसे यह बात बहुत बुरी मालूम हुई, और उसने लिच्छविगण की सहायता से मागध पर आक्रमण किया। लड़ाई में सुन्दरवर्मा मारा गया, और बालक कल्याणवर्मा को प्राणरक्षा करने के लिये उसके अमात्य उसे पाटलीपुत्र से पंथा के जंगलों में ले गये। चंडसेन ने पाटलीपुत्र को जीत लिया और अपने को वद्वेषित किया। उधर कल्याणवर्मा का प्रधानामात्य मंत्रगुप्त और सेनापति कुञ्जरक पुराने मागध कुल का राज्यपुत्र स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहे। शीघ्र ही उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता हुई। राजा चंडसेन शहर और पुलिंद लोगों के विद्रोह को शांत करने के लिये पाटलीपुत्र से बाहर गया हुआ था। इस विद्रोह को खड़ा करने का श्रेय भी नीतिनिपुण मंत्रगुप्त को ही था। अक्सर पाते ही सेनापति कुञ्जरक की सेनाओं ने पाटलीपुत्र पर हमला कर दिया। सारा जनता ने मागध कुल के शासन के पुनः स्थापित होने पर हर्ष प्रगट किया। इसी खुशी में कौमुदीमहोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ पाटलीपुत्र में मनाया गया। चंडसेन ने कल्याणवर्मा को परास्त करने के लिये पुनः प्रयत्न किया पर उसे सफलता नहीं हुई। संभवतः इन्हीं युद्धों में उसकी मृत्यु भी हो गई।

कौमुदीमहोत्सव में इस चंडसेन को 'कारस्कर' कहा गया है। कई ऐतिहासिकों ने चंडसेन को गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चन्द्रगुप्त के साथ मिलाने की कोशिश की है। पर चंडसेन और चन्द्रगुप्त में कोई समता नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह कारस्कर चंडसेन उन चीर युद्धों में से था, जो चन्द्रगुप्त

महाकुम्भ के बंश के गच्छ होने पर मगध तथा उत्तरी भारत को तत्कालीन अल्पवस्था से लाभ उठा कर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे। संभवतः चंडसेन इसका विशेषण है, और इसका असली नाम कारस्कर है। यदि यह वनस्कर के वंशजों में से कोई हो, तो भी आश्चर्य नहीं। इसकी वीरता ने आकृष्ट होकर संतानहीन सुन्दरबमों ने इसे अपना 'कृतक' पुत्र बनाया था, पर इसने अपने स्वामी के विरुद्ध ही विद्रोह कर उसका पाठ किया।

इस काल का पाटलीपुत्र का इतिहास बहुत अस्पष्ट है। पर इतना निश्चित है कि कुराण साम्राज्य के शिथिल होने पर वहाँ कोई भी शक्तिशाली राज्य काफ़ी समय तक स्थापन नहीं हो सका। कुछ देर तक पाटलीपुत्र भारशिव-बाकाटकों के हाथ में रहा, फिर उसे लिच्छवियों ने जीत लिया, फिर वहाँ एक पुराने मगध कुल ने कुछ समय तक शासन किया, फिर चंडसेन कारस्कर ने वहाँ की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। इस कार्य में लिच्छवियों ने उसकी सहायता की। सुन्दरबमों के नाश कुल ने ही लिच्छवियों के शासन का पाटलीपुत्र से अंत किया था। अतः ये स्वाभाविक रूप से कारस्कर के उस पदच्युत में सहायक थे, जो सुन्दरबमों के विरुद्ध किया गया था। पर चंडसेन कारस्कर भी देर तक पाटलीपुत्र में राज्य नहीं कर सका। नीति-निपुण मंत्रगुप्त ने एक बार फिर प्राचीन मगध कुल के नायक कल्याणबमों को पाटलीपुत्र की राजगद्दी पर बिठाया।

पर शीघ्र ही पाटलीपुत्र की इस अराजक दशा का अंत हो गया। मगध के पड़ोस में ही एक ऐसे नये राजवंश का अभ्युदय हुआ, जिसने न केवल पाटलीपुत्र में एक स्थिर शासन की स्थापना की, अपितु मगध साम्राज्य को प्राचीन गौरव का पुनरुद्धार किया। इस वंश का नाम गुप्तवंश था।

मौलहर्वाँ अध्याय

मौर्याँकरकालीन भारत का राजनीतिक और आर्थिक जीवन

(१) गम्भ राज्यों का पुनरुत्थान

मगध साम्राज्य की शक्ति निर्बल होने पर जहाँ भारत के अनेक प्रदेशों में शक्तिशाली वीर पुरुषों ने स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना की, वहाँ कई पुराने गणराज्य फिर स्वतंत्र हो गये। प्राचीन भारत में बहुत से गणराज्य थे। मगध के शक्तिशाली सम्राटों ने इनको जीतकर अपने अधीन कर लिया था। पर इनकी विविध जनपदों में प्रत्येक सत्ता अब भी विद्यमान थी। विविध कुलों, गणों और जनपदों के स्थानीय धर्म और व्यवहार को मगध सम्राटों ने अनुसरण रखा था। परिणाम यह हुआ, कि जब मगध की शक्ति कमजोर हुई, तो अनेक गम्भ राज्य फिर से स्वतंत्र हो गये। इनमें सबसे मुख्य यौधेय गण था। यमुना और सतलज के बीच के प्रदेश में इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सिफंदर ने सतलज नदी को पार करके इन्हें परास्त नहीं किया था। मगध के राजा इन्हें जीतकर अपनी अधीनता में लाने में सफल हुए थे। पर अचसत पाते ही ये अब स्वतंत्र हो गये। यौधेय के अतिरिक्त कुलिंद (अंबाला, सहारनपुर और वेहाराइन के प्रदेश में), राजन्य (होशियारपुर के दक्षिण में), अश्विन्वर (चाँगड़ा में) और आर्जुनायन (उत्तरी राजपुताना में) गण भी इस समय फिर उठ खड़े हुए। पुष्यमित्र शुंग के समय तक मगध की शक्ति काफ़ी प्रबल थी, पर उसके बाद शुंगों का राज्य पश्चिम में मथुरा तक ही सीमित

रह गया था। मद्रास के पश्चिम में प्रायः सारे पूर्वी व दक्षिणी पंजाब में अब गणराज्यों का पुनरुत्थान हो गया था। महापद्म नंद और मौर्यों से पहले के से पंजाब के बहुत से गणराज्य अब फिर नहीं उठे। क्षत्रिय, आर्य, आभेय, रोहितक आदि गण अब फिर से स्वतंत्रता प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए। कई सदियों तक मागध सम्राटों की अधीनता में रहते हुए इन बातीशलोपजीवि गणों ने अपनी राजोपजीविका को विलकुल छोड़ दिया था। अब वे केवल बातों (धृति, पशुपालन और बाण्यत्व) में ही व्यापृत हो गये थे। वे धीरे-धीरे पृथक् जातियों के रूप में परिवर्तित हो रहे थे।

पंजाब के दो शक्तिशाली गण, मालवा और शिवि ने अपने पुराने जनपदों को छोड़कर दक्षिणपूर्व की तरफ प्रस्थान कर दिया था। उन्हें स्वतंत्रता इसनी अधिक प्रिय थी, कि उन्होंने मध्यपंजाब के इरे भरे प्रदेश में पराधीन रहने के स्थान पर सुदूर राजस्थान की मरुभूमि में जाकर बसना पसंद किया। मातृत्व लोग पहले वर्तमान जयपुर रियासत में दक्षिण प्रदेश में जा बसे, और फिर वहाँ से भाँ और आगे बढ़ उज्जैन के समीप उस प्रदेश में चले गये, जो आज तक भी उनके नाम से मालवा कहलाता है। इसी तरह शिवि लोग उदयपुर में चित्तौड़ के पास जा बसे। वहाँ उन्होंने मध्यमिका नगरी का स्थापना की। वहाँ इनके अनेक सिक्के उपलब्ध हुए हैं।

मागध साम्राज्य के पतनकाल में भारत के राजनीतिक जीवन में इन गणराज्यों ने बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। जब शक आक्रांताओं ने भारत में प्रवेश कर प्राचीन आर्योंजन को ठरक बढ़ना प्रारंभ किया तो पहले उन्हें इन्हीं से लड़ना पड़ा। इन्हें परास्त किये बिना वे मगध के उस निर्भय साम्राज्य तक नहीं पहुँच सकते थे, जिस पर पुष्यमित्र के शक्तिहीन उत्तरा-

धिकारियों का शासन था। इन्हीं की शक्ति के कारण मागध साम्राज्य के निर्बल राजा अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम रख सके। मागध साम्राज्य की रक्षा के लिये इन्होंने बालक काम किया। शकों को परास्त करने का ध्येय उहाँ अजैनी और प्रतिष्ठान के सातबाहन सम्राटों को है, वहाँ मालवगण ने भी इस विषय में बड़ा काम किया। मालवगण की सहायता और सहयोग से ही गौतमीपुत्र सातकर्ण ने शकों का उन्मूलन किया था। शकों के पराभव के बाद मालवगण की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने इस समय के अपने जो सिक्के जारी किये, उन पर 'मालवानां जय' और 'मालवगणस्य जय' के लेख उत्कीर्ण हैं। इनमें शकों के उधर प्राप्त की हुई इसी विजय की स्मृति अंकित है। इसी महत्त्वपूर्ण घटना की यादगार में एक नये संबन्ध का प्रारंभ किया गया, जो आजकल विक्रम संबन्ध के नाम से सारे उत्तरी भारत में प्रयुक्त होता है। यह संबन्ध मालवगण की स्थिति या विजय के उपलक्ष्य में ५७ ई० पू० में प्रारंभ किया गया था। इन अनेक प्राचीन शिलालेखों में 'मालवगणसाम्नात' कहा गया है। यही विक्रम संबन्ध भी कहलाया, क्योंकि शकों को पराजय का ध्येय सातबाहन सम्राट् चिकमादित्य (गौतमीपुत्र सातकर्ण) को भी उठना ही था, जितना कि मालवगण को गणराज्यों के नष्ट हो जाने पर इस संबन्ध के एक प्राचीन गणराज्य के साथ संबंध होने की स्मृति तो लुप्त हो गई, और इसका नाम सम्राट् विक्रम के साथ ही जुड़ा रह गया।

शकों के बाद कुराण सम्राटों ने इन गणों की शक्ति को फिर नष्ट किया। पर सब तरह से आघात-प्रतिघात सहते हुए भी वे गणराज्य गुप्तों और उनके बाद तक भी जीवित रहे। साम्राज्यवाद के जरा भी निर्बल हो आते ही वे लोग फिर से स्वतंत्र हो जाते थे। मौर्योत्तर काल की राजनीतिक दशा को

भलोभाति समझने के लिये गखुराज्यों की सत्ता को हाथ में रखना परम उपयोगी है।

(२) राज्यशासन

मार्वात्तर युग के राज्यों में शासन का प्रकार वही रहा, जो मौर्यकाल में था। मागध सम्राट् इस समय में भी एकच्छत्र शासक थे। पर बंगाल की खाड़ी से आगा कर मलुरा तक विस्तीर्ण (पुष्यमित्र के बाद के शंग काल में) साम्राज्य में बहुत से जनपद अंतर्गत थे। अनेक जनपदों में अपने पृथक् राजा भी थे, जिनकी स्थिति शंग सम्राटों के सदृश थी। इस प्रकार के दो सामंतों, अहिच्छत्र के इंद्रमित्र और मलुरा के ब्रह्ममित्र, का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इनके अपने-अपने भिक्षु भी उपलब्ध होते हैं। साम्राज्य के अंतर्गत इन जनपदों का शासन प्राचीन परंपरा के अनुसार होता था। जनपद के धर्म, कानून, व्यवहार और आचार को मागध सम्राट न केवल अनुसरण करते थे, पर उनका भलोभाति अनुसरण किया जाके इसका भी पूरा ध्यान रखते थे। पर इन जनपदों में मागध सम्राट् कर या बालि वसूल करने थे। जनपदों का शासन बहुत पुराने समयों से पौर और जानपद सभाओं द्वारा होता चला आता था। प्रत्येक जनपद का एक केंद्रीय नगर होता था, जिसे पुर कहते थे। यह नगरे जनपद के जीवन का केंद्रस्वरूप होता था। इसके अध्यायुक्तों की सभा को पौर कहते थे। जनपद के अन्य निवासियों के अध्यायी जानपद सभा में एकत्र होते थे। विविध जनपदों में ये सभाएं अब तक भी जातिवत् थीं। यही कारण है कि शक हर्षद्वारा ने अपने शिलालेख में 'पौरजानपद' का उल्लेख किया है। इसी प्रकार कर्लिंग चक्रवर्ती नारदेव ने भी पौर जानपदों के साथ-साथ अपने अनुपदों को अपने हाथों-

गुम्फा के प्रतिष्ठित शिलालेख में उत्कीर्ण कराया है। जनपदों के अतिरिक्त 'देशों' के संबंधों का भी उल्लेख स्मृति-ग्रंथों में आया है। राजा को इनके भी चरित्र, व्यवहार और धर्म को स्वीकार करना चाहिये। अभिप्राय यह है, कि मागध साम्राज्य शासन की दृष्टि से एक इकाई नहीं था, वह जनपदों और देशों के अनेक विभागों में विभक्त था। प्रत्येक विभाग के अपने धर्म, चरित्र, व्यवहार आदि थे। मागध सम्राट् उन्हें स्वीकार करते थे।

इस काल के सम्राट् एकतंत्र अधरथ थे, पर वे परंपरागत राजधर्म के अनुसार ही शासन करने का प्रवृत्त करते थे। राजा के संबंध में मनुस्मृति का सिद्धांत यह था कि अराजक देश में सब तरफ से पीड़ा होने के कारण जनता की रक्षा के लिये प्रभु ने राजा को सृष्टि की। उसके निर्माण के लिये इंद्र, वायु, पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, ब्रह्मण, चंद्रमा और धरती - सबकी भाग्यें ली गईं। क्योंकि राजा देवताओं की भांजी से बना है। इस लिये उसका सौत्र सब मनुष्यों से अधिक है।

पर जिस प्रकार राजा ईश्वरीय है, देवताओं की भांजी से बना है, वैसे ही 'दंड' भी ईश्वरीय है। मनुस्मृति के अनुसार दंड ही असली राजा है, वही नेता है, वही शासन करने वाला है। दंड सब प्रजा का शासन करता है। दंड ही उसकी रक्षा करता है, सबके सौते हुए दंड ही जागता है, दंड की ही बुद्धिमान धर्म ज्ञानवे हैं। दंड का अभिप्राय राजधर्म से है, जो परंपरागत धर्म और व्यवहार चले आते हैं, वही दंड है। वही वस्तुतः देवी है। इसीलिये यदि राजा भलीभाँति इस दंड का प्रमाणन करे, तब तो वह उन्नति करता है, अन्यथा कामात्मा, विषयी और लुब्ध राजा दंड से ही मारा जाता है, दंड का दंडा तंड है। धर्म से विचलित राजा का वह दंड-

बांधव सहित मार डालता है। इस प्रकार मनु के अनुसार चातुर्विक शके वंश की है, न कि राजा की। राजा के लिये उचित यही है, कि वह परंपरागत राजधर्म के अनुसार न्याय-युक्त शासन करे। पर यह वही राजा कर सकता है, जो विषया-सक्त न हो। जिसकी बुद्धि निरिच्छ और क्रियाशील हो। जो मूढ़ और लुब्ध न हो, और जिसको अरुंइ सहायकी (मंत्रियों व अमात्यों) का साहाय्य प्राप्त हो।

मनु के विचार ठीक वैसे ही हैं, जैसे कि आचार्य चातुर्विक ने अपने पूर्व पुत्र ऋषितुल्य राजा के संबंध में प्रगट किये हैं। मनु ने एक अन्य स्थान पर लिखा है, कि जो राजा मोह या बेपरवाही से अपने राष्ट्र को सनाता है, वह सीघ्र ही रक्ष से च्युत हो जाता है और अपने बंधु-बांधवों सहित जीवन से हाथ धो बैठता है। जिन शरीर के कर्षण से प्राणियों के प्राण क्षीण हो जाते हैं, इसी प्रकार राष्ट्र के कर्षण से राजाओं के प्राण भी क्षीण हो जाते हैं। जिस राजा के देहत हुए चातुर्विक पुकारती प्रजा को दण्डु लोग फकड़ते हैं, वह मरा हुआ है, जीवित नहीं है।

मनु के इन संदर्भों में मौर्यों के बाद के निर्वंश राजाओं के समय की दशा का कैसा सुन्दर आभास है। आचार्यिक राजाओं के विरुद्ध जाति कर के बार-बार उन्हें पदच्युत किया गया। शक और कुशास्य सहरा दण्डुओं के द्वारा सीखती-पुकारती भारताच प्रजा विपद्ग्रस्त हो रही थी। उसकी रक्षा करने में असमर्थ पिछले शुंग व कण्व राजा मरे हुए थे, जीवित नहीं थे।

शासनकार्य में राजा को सहायता करने के लिये मंत्रिपरिषद् इस युग में भी विश्वमान थी। मनु के अनुसार सात या आठ सचिव होने चाहिये, जिनमें कि राज्य के अनेक कार्य के

विषय में परामर्श लेना चाहिये। इनके अतिरिक्त, अमात्य आब-
 श्यकता के अनुसार रखे जा सकते हैं। महाभारत के अनुसार
 भी मंत्रियों की संख्या आठ होनी चाहिये। उनके अतिरिक्त
 अमात्य ४७ होने चाहियें, जिनमें ४ नायाग, १८ ज्ञानिय, २१
 वैश्य, ३ शूद्र और १ सुत हो। इस युग में राजवशासन में शूद्रों
 को भी स्थान मिल गया था, इस संबंध के यह निर्देश महत्त्व-
 पूर्ण है। मालविकाग्निमित्र के अनुसार राजा अग्निमित्र (शुंग
 वंशी) युद्ध और संधि की प्रत्येक बात में अमात्य परिषद से
 परामर्श करता था।

(३) आर्थिक जीवन

मौर्य युग के समान इस काल में भी आर्थिक जीवन का
 आधार 'श्रेणियों' था। शिल्पी लोग श्रेणियों (Guilds) में संग-
 ठित होते थे, और इसी प्रकार व्यापारी भी। इस युग के अनेक
 शिलालेखों में इन श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, और उनसे
 श्रेणियों के आर्थिक जीवन पर बड़ा असर प्रकाश पड़ता है।
 ऐसे लेखों में नासिक के गुहामंदिर में उत्कीर्ण शक उपबन्धित
 का यह लेख विशेष महत्त्व का और उल्लेखयोग्य है—

मिर्द्र ! बपालोसद्वं धर्म में, वैशाख मास में राजा चहुरात
 सुव्रत महाराज के जामाता दीनोकरपुत्र उपबन्धित ने यह गुहामंदिर
 चातुर्दिश संघ के अर्पण किया, और उसने अक्षयनीवी तीन
 हजार पण चातुर्दिश संघ को दिये, जो इस गुहा में रहने वाले
 का चिह्नटिक (कपड़े का सूत्रा) और कुराणमुल (विशेष
 महीनों में मासिक वृत्ति) होगा। और ये कार्याण्य गोवर्धन
 में रहने वाली श्रेणियों के पास जमा किये गये, कोलिकों के
 निकाय में दो हजार, एक कोसदी मूद्र पर; दूसरे कोलिक निकाय



राजगढ़ की विशाल दीवार के अवशेष



के पास एक हजार, पौन फी सदी सूद पर। और ये कार्षापण लौटाये नहीं जावेंगे। केवल उनका सूद लिया जायगा। इनमें से जो एक फी सदी पर दो हजार कार्षापण रखाने गये हैं, उनसे मेरे गुहामंदिर में रहने वाले बीस भिक्षुओं में से प्रत्येक को बारह चोबर दिये जावेंगे। और जो पौन फीसदी पर एक हजार कार्षापण हैं, उनसे कुरान मूल्य का खर्च चलेगा। कापुर प्रदेश में गाँव चिखलपट्ट के नारियल के ८००० पीट भी दिये गये। यह सब निगमसभा में सुनाया गया, और फलकवार (लेखा रखने के दफ्तर) में चरित्र के अनुसार निबद्ध किया गया।

इस लेख से यह स्पष्ट है, कि कोलिक (जुलाहे) आदि व्यवसायियों का संगठन श्रेणियों के रूप में था। ये श्रेणियाँ जहाँ अपने व्यवसाय को संगठित रूप में संचालन करती थीं, वहाँ दूसरे लोगों का रूपया भी धरोहर के रूप में रखकर वसूली पर सूद देती थीं। उनकी स्थिति समाज में इतनी ऊँची और सम्माननास्पद थी, कि उनके पास ऐसा रूपया भी जमा करा दिया जाता था, जिसे फिर लौटाया न जावे, जिसका केवल सूद ही सभा के लिये किसी धर्मकार्य में जमावा रहे। यही कार्य आज-कल ट्रस्टी के रूप में बैंक करते हैं। उसके सूद की दर एक फीसदी और पौन फीसदी (संभवतः, मासिक) होती थी, और नगरसभा (निगम) में इस प्रकार की धरोहर को धारणवा निबद्ध (रजिस्टर्ड) कराया जाता था, वह भी इस लेख से स्पष्ट हो जाता है।

श्रेणियों का इसी प्रकार का उल्लेख अन्य अनेक शिलालेखों में भी उपलब्ध होता है। श्रेणियों के पास केवल रूपया ही नहीं जमा किया जाता था, अपितु उनको भूमि भी धरोहर के रूप में दी जाती थी, जिसकी आय को वे आदिष्ट धर्मकार्य

प्रयुक्त करती थीं। शिल्पियों की देखियों का वर्गों कीटिक्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति व अन्य सभी प्राचीन राजशास्त्र संबंधी साहित्य में विद्यमान है, पर उनके कार्यों का ऐसा सजीव चित्र इन गुहाल्लेखों से ही प्राप्त होता है।

शिल्पियों के समान व्यापारी भी पूर्णों व निकायों में संगठित होते थे। उनके धर्म, व्यवहार और चरित्र को भी राज्य में स्वीकार किया जाता था। स्मृतियों में जस जसे देने के नियमों का विस्तार से वर्णन है। किस प्रकार श्रमणों को तैयार किया जाय, कैसे उसके सारांशों, कैसे प्रतिभू (जामिन) बने, कैसे कोई वस्तु आधि (रहन) रखी जाय, और कैसे इन सब के करस (कागज) तैयार किये जायें, इन सब के नियमों का विवरण यह सूचित करता है, कि उस युग में वाणिज्य-व्यापार भलीभाँति वृद्धि कर चुका था। केंद्रीय अर्थशास्त्र में जैसे संभूष समुत्थान का उल्लेख है, वैसे ही स्मृतियों में भी है। अधिक लाभ के लिए व्यापारी लोग मिलकर वस्तुओं को बाजार में रोक लिया करते थे, और इस उपाय से अधिक नफा उठाने में सफल होते थे। एक स्मृति के अनुसार केवल व्यापारी ही नहीं, अपितु किसान, मजदूर और अतिवृद्ध भी इस उपाय का आश्रय लिया करते थे।

विदेशी व्यापार को भी इस युग में श्रेष्ठ उन्नति हुई। मौर्य वंश के निर्धूल होने पर जो यवन राज्य उत्तरपश्चिमी भारत में कायम हो गये थे, उनके कारण भारत का पश्चिमी संसार से संबंध और भी अधिक दृढ़ हो गया था। भारत के पश्चिमी समुद्र तट से व्यापारी लोग अरब और मिला जाकर व्यापार किया करते थे। उन दिनों मिस्र को राजधानी अलक्जण्डरिया बिधा, व्यापार और संस्कृति का बड़ी भारी केंद्र थी। भारतीय व्यापारी वहाँ तक पहुँचते थे। लाल सागर और नील नदी के बीच रास्ते पर

एक भारतीय व्यापारी का घीक भाषा में लिखा हुआ एक हिलालेख भी उपलब्ध हुआ है। इस व्यापारी का नाम सोकोन था, जो शायद शोभन का घीक रूपान्तर है।

दूसरी सदी ई० पू० में एक घटना ऐसी हुई, जिसके कारण मित्र और भारत का व्यापारिक संबंध और भी अधिक बढ़ गया। भारत से एक व्यापारी अपने साथियों के साथ समुद्रवात्रा को गया था। वह समुद्र का मार्ग भूल गया, और महानों तक जहाज पर ही इधर-उधर भटकता रहा। उसके साथ साथी एक-एक कर के भूख से मर गये। वह भी लहरों के साथ बहता हुआ, मित्र के निकटवर्ती समुद्र में जा पहुँचा, जहाँ मित्र के राजकर्मचारियों ने उसे आश्रय दिया। इस भारतीय व्यापारी की सहायता और मार्गप्रदर्शन से मित्र के लोगों ने जहाज पर सौधे भात आना-जाना प्रारंभ किया, और इन दोनों देशों में व्यापारिक संबंध और भी बढ़ हो गया। इस युग के भारतीय व्यापारी मित्र से भी बहुत आगे यूरोप में व्यापार के लिए आया-जाया करते थे। प्राचीन रोमन अनुभूति के अनुसार, गाल (वर्तमान फ्रांस) के प्रदेश में, एल्ब नदी के मुहाने पर कुछ भारतीय व्यापारी जहाज भटक जाने के कारण पहुँच गये थे। अटलांटिक महासमुद्र तक भारतीय व्यापारियों का पहुँच जाना बड़े महत्त्व की बात है। यह घटना पहली सदी ई० पू० की है। रोमन साम्राज्य के साथ इस व्यापारिक संबंध का ही यह परिणाम है, कि हजारों, राजलक्ष्मी, कन्नौज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चुनार आदि के बाजारों में वर्तमान युग तक प्राचीन रोमन सिक्के उपलब्ध हुए हैं। अनेक स्तूपों की खुदाई में भारतीय राजाओं के सिक्कों के साथ-साथ रोमन सिक्के भी मिलते हैं, जो इस बात का उत्कृष्ट प्रमाण है, कि भारत और रोम का व्यापारिक संबंध इस युग में बड़ा घनिष्ठ

था। भारत से समुद्र के रास्ते हाथीदाँत का सामान, मोती, वैदर्भ, कालीमिर्च, लौह, अन्न्य मसाले, मुगंधियाँ, औषधियाँ, रेशमी ऊँर सूती कपड़े बड़ी मात्रा में रोम भेजे जाते थे। रोम में मिर्च-मसालों के लिये एक गोदाम बना हुआ था, जिसमें भारत से यह माल लाकर जमा किया जाता था। रोम में काली मिर्च बहुत महंगी बिकती थी। उसका मूल्य दो दोनारों का एक सेर था। एक रोमन लेखक ने लिखा है, कि भारतीय माल रोम में आकर सीसुनो कोमव पर बिकता है, उसके द्वारा भारत रोम से हर साल छः लाख के लगभग सुवर्ण मुद्राएँ लौंच ले जाता है। एक अन्य रोमन लेखक ने लिखा है, कि रोमन स्त्रियाँ हवा की जाली की तरह, बारीक बुनी हुई भारतीय मालमल को पहन कर अपना सौंदर्य प्रदर्शित करती हैं। रोम और भारत के इस सामुद्रिक व्यापार का सब से बड़ा केंद्र केरल प्रदेश में था। इसीलिए वहाँ कई स्थानों पर खुदाई में रोमन सिक्के बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं।

गिन्न और रोम की अपेक्षा परमा, जावा, सुमात्रा, चंपा और चीन आदि के साथ भारत का विदेशी व्यापार और भी अधिक था। इन सुदूरबर्ती देशों को बड़े-बड़े जहाज माल भर कर जाया करते थे। उस युग के संसार में तीन साम्राज्य सब से अधिक शक्तिशाली थे, रोमन, भारतीय और चीनी। भारत इन तीनों के बीच में पड़ता था। वही कारण है, कि इसका रोम और चीन दोनों के साथ व्यापारिक संबंध था। चीन और रोम का पारस्परिक व्यापार भी उस समय भारत के व्यापारियों द्वारा ही किया जाता था।

(४) बृहत्तर भारत का विकास

सीधे युग में भारत से बाहर भारतीय उपनिवेशों का

विस्तार प्रारंभ हुआ था। इन उपनिवेशों के दो क्षेत्र थे, पूर्व में सुवर्णभूमि और उत्तर-पश्चिम में हिंदुकुश और पामीर की पर्वतमालाओं के पार तुर्किस्तान में। अरबों की धर्मविजय की नीति के कारण भारतीय भिक्षु किस प्रकार इन सुदूर देशों में गये, और वहाँ जाकर न केवल वहाँ के निवासियों को आर्यमार्ग का अनुयायी बनाया, पर वहाँ अनेक भारतीय वस्तुओं भी बसाई, वह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। इस युग में भारतीय उपनिवेशों के विस्तार की यह प्रक्रिया जारी रही। विशेषतया, भारत के पूर्व में बरमा से सुदूर चीन तक हिंद महासागर में जो बहुत से छोटे-बड़े द्वीप व प्रायद्वीप हैं, वे सब इस युग में भारतीय वस्तुओं से ढक गये। इस युग के इतिहास की यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह प्रक्रिया गुप्त साम्राज्य के समय में और उसके कुछ बाद तक भी जारी रही। हम भारतीय उपनिवेशों के विस्तार का विशेष विवरण गुप्तकाल के इतिहास में देंगे, पर यहाँ यह निर्देश कर देना उचित है, कि इन उपनिवेशों का भीमणेश इसी युग में हुआ था। भारत के जिन जनपदों से जाकर लोग इन द्वीपों में बसते थे, वे अपने नये नगरों के नाम माहभूमि के अपने पुराने नगरों व देशों के नाम पर ही रखते थे। बंग देश से गये लोगों ने सुमात्रा के दक्षिणपूर्वी सिरे पर नये बंग द्वीप की स्थापना की, वही अब बंका कहलाता है। इसी तरह आपुनिक युग की स्थलभ्रमों में नये तलशिला का निर्माण किया गया। सबद्वीप (जावा) में बस कर भारतीयों ने वहाँ की सबसे बड़ी नदी को सरयू नाम दिया। और अधिक पूर्व में चंपा की स्थापना की गई। अंग जनपद को राजधानी का नाम चंपा था, उसी के नाम से भारतीयों के इस नये उपनिवेश का नाम चंपा रखा गया। धीरे-धीरे चंपा की शक्ति

बहुत बड़ी। बहुत से समीपवर्ती प्रदेशों को जीतकर चंपा के साम्राज्य का विकास हुआ। उसके विविध प्रांतों के नाम कौठार, पांडुरंग, अमरावती, विजय आदि थे। चंपा साम्राज्य की राजधानी इंद्रपुर थी। चंपा के पश्चिम में एक और उपनिवेश था, जिसमें आजकल के कंबोडिया (कंबोड) और स्याम प्रदेश सम्मिलित थे। यह एक शक्तिशाली भारतीय उपनिवेश था, चीनी लोग इसे फूनाम कहते थे। इस राज्य की स्थापना कौहिन्य नाम के एक ब्राह्मण ने की थी, जिसने उस देश में जाकर एक नागी (उस देश की मूल निवासिनी) स्त्री से विवाह किया था। इस स्त्री का नाम सोमा था। उसी के नाम से फूनाम का राजवंश सोमवंश कहलाता था। इन सब प्रदेशों में आजकल आर्यमन्दिरों, मठों, विहारों और स्तूपों के अवशेष बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि के शिलालेख भी इनमें बड़ी मात्रा में मिले हैं।

वर्तमान आसाम की मणिपुर रिगासत के पूर्व से शुरू करके तानकिन खाड़ी तक के विशाल भूखंड में, जहाँ अब वरमा, स्याम, मलाया और इंडोचायना के राज्य हैं, चीरे-चीरे भारतीय लोग अपने उपनिवेश बसा रहे थे। वरमा को पुराने जमाने में सुवर्णभूमि कहा जाता था। सबसे पहले वे भारतीय बस्तिवां बसाई गईं। मगध, वंग और वंग के लोग साक्षरलिपि बंदरगाह से सुवर्णभूमि के लिये जाया करते थे। अराकान में यह अनुभूति है, कि वहाँ का पहला राजा बनारस से आया था। संभवतः उसने अपने नाम से उसके एक प्रदेश का नाम रामवती रखा था। वही अब रान्धी कहलाता है। अराकान में ही पुराने समय में एक नगरी थी, जिसका नाम वैशाली था। इसी तरह दक्षिणी वरमा में भी विविध भारतीय बस्तिवां बसाई गई थीं। आजकल का लब्धो प्रदेश पुराने जमाने में

मालवा कहलाता था, और उसके पूर्वी भाग को दशार्ण कहते थे ।

यह ध्यान में रखना चाहिये, कि विदेशों में पहले-पहल इन भारतीय उपनिवेशों को बसाने वाले वाले लोग शैव थे । आगे चलकर इन प्रदेशों में बौद्धधर्म का प्रचार हुआ, पर बीड़ों में भी पहले शैव लोगों ने इन देशों को आषाढ़ किया था । उस समय के भारत में अपूर्व जोबनीशक्ति थी । भारतीय लोग बहुत बड़ी संख्या में विदेश जाते थे, व्यापार के लिये भी और वस्तुयों बसाने के लिये भी । इन वस्तुयों का ही यह परिणाम हुआ, कि धीरे-धीरे पूर्व में सुदूर चीन तक और पश्चिम में ब्रह्म नदी की घाटियों तक बृहन्नर भारत का विस्तार हुआ ।

सत्रहवां अध्याय

भीमोत्तरकाल का साहित्य, धर्म और समाज

(१) साहित्य

भीमोत्तरा के बाद पाटलीपुत्र में शुंग, कण्व, अंध सातवाहन और कुशाण राजाओं का राज्य रहा। इस काल का राजनीतिक इतिहास अविकल रूप में उपलब्ध नहीं होता। पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध की राज्यशक्ति निर्बल होती गई, और भारत को राजनीतिक शक्ति का केन्द्र पहले उज्जैन और बाद में पुष्यपुर (पैसावर) बन गया। भारत भर में इस समय कोई एकच्छत्र सम्राट् स्थिर रूप से नहीं रहा। यवन, शक और कुशाणों के आक्रमणों से देश में बहुत कुछ अव्यवस्था मची रही।

पर इस भीमोत्तर युग की सभ्यता और संस्कृति के संबंध में इस काल के साहित्य से हमें बहुत कुछ परिचय मिलता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के बहुत से ग्रंथों का इस काल में ही संकलन हुआ। बौद्ध और जैन साहित्य के भी बहुत से ग्रंथों इसी समय में बने। इन सब के अनुरीलन से इस समय की जनता के जीवन पर बड़ा उत्तम प्रकाश पड़ता है।

पर पहले इस साहित्य का संक्षेप से परिचय देना आवश्यक है। पतंजलि मुनि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। उन्होंने वाशिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा, इसमें शुंगकालीन भारत की दशा के संबंध में बड़े सुंदर निर्देश मिलते

हैं। महाभाष्य एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें पाणिनीय व्याकरण की बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है।

स्मृति ग्रंथों का निर्माण शुंग काल में प्रारंभ हुआ। सब से प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। उसका निर्माण १२० ई० पू० के लगभग हुआ था। इसका प्रवक्ता आचार्य भृगु था। नारदस्मृति के अनुसार सुमति भार्गव ने इस स्मृति का प्रवचन किया था। प्राचीन भारत में विचारकों के अनेक संप्रदाय थे। किसी बड़े आचार्य द्वारा जो विचारधारा प्रारंभ होती थी, उसके शिष्य उसी का विकास करते जाते थे, और एक पूरक संप्रदाय (नया धार्मिक मत नहीं, अपितु विचार-संप्रदाय) सा बन जाता था। इसी प्रकार का एक संप्रदाय मानव था। कौटिलीय अर्थशास्त्र और कामन्दक नीतिसार में इस मानव संप्रदाय का उल्लेख है, और इसके अनेक मत उद्धृत किये गये हैं। इसी संप्रदाय में आगे चल कर मनु के एक परंपरागत शिष्य आचार्य सुमति भार्गव ने मनुस्मृति की रचना की और उसमें परम्परागत मानव संप्रदाय के विचारों का संग्रह किया। अपने समय की परिस्थितियों का भी इन विचारों पर प्रभाव पड़ा, और इसीलिये मनुस्मृति के अनुशीलन से हमें शुंगकाल की समाजिक दशा का बलीभाँति परिचय मिल जाता है।

मनुस्मृतिके बाद विष्णु स्मृति की रचना हुई। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति बनी, जिसका निर्माणकाल १२० ई० पञ्चांग के लगभग है। इसके बाद भी अनेक आचार्य नई स्मृतियाँ बनाते रहे। स्मृतियों के निर्माण की यह प्रक्रिया गुप्त सभ्यता के काल में और उसके बाद भी जारी रही। पर मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति का भारतीय स्मृतिग्रंथों में जो महत्त्व है, वह अन्य किसी स्मृति को प्राप्त नहीं हुआ। इन दोनों ग्रंथों के अनुशीलन से हमें शुंग और सातवाहन राजाओं के समय के मर-

तीय जीवन का बड़ा उत्तम परिचय प्राप्त कर सकते हैं।

महाभारत और रामायण के वर्तमान रूप भी प्रधानतया इसी काल में संकलित हुए। महाभारत प्राचीन भारतीय साहित्य का सबसे विशाल और महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। प्राचीन इतिहासिक अनुभूति, धर्म, काम और मोक्ष संबंधी विचार, राजधर्म, और पुरातन गाथाओं का जैसा उत्तम संग्रह इस ग्रंथ में है वह अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। महाभारत मौर्यकाल से भी पहले विद्यमान थे, पर उसके नये-नये संस्करण निरंतर होते जाते थे और विविध आचार्य उसमें लगातार वृद्धि करते जाते थे। शंग और सातवाहन राजाओं के समय में उसमें बहुत कुछ वृद्धि हुई, और उसके बहुत से संदर्भ निःसंदेह इस काल की दशा पर प्रकाश डालते हैं।

इस काल में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में अनेक काव्य और नाटकों का निर्माण हुआ। संस्कृत का सुप्रसिद्ध कवि भारव वंश के समय में हुआ। वह मगध का रहने वाला था। उसके लिये प्रतिष्ठा बोगंधरायण आदि नाटक संस्कृत साहित्य में अग्रणीय स्थान रखते हैं। उन्हें कालिदास और जयभूति के नाटकों के समकक्ष माना जाता है। आचार्य अश्वघोष कर्मिक का समकालीन था। उसने बुद्धचरितम् नाम का महाकाव्य और अनेक नाटक लिखे। प्रसिद्ध नाटक सूत्रकटिक का लेखक कवि शूद्रक भी सातवाहन वंश के शासनकाल में हुआ। नाट्यशास्त्र का लेखक भरतमुनि और कामसूत्र का रचयिता आचार्य वात्स्यायन भी इसी काल में हुआ।

प्राकृत साहित्य के भी अनेक ग्रंथ इस समय में बने। सातवाहन राजा प्राकृत भाषा के बड़े संरक्षक थे, यह हम पहले लिख चुके हैं। राजा शाल स्वयं बड़ा उत्तम कवि और लेखक था। गुप्ताह्व जैसा प्राकृत का सर्वोत्कृष्ट कवि इसी काल में हुआ

या । संस्कृत साहित्य के समान प्राकृतसाहित्य भी बड़ा उन्नत था ।

बौद्ध और जैन साहित्य का भी इस काल में बड़ा विकास हुआ । सत्राष्टकनिष्क के संरक्षण में जिस महानाथ्यसंप्रदाय का विकास हुआ था उसका बहुत सा साहित्य इसी समय में बना । त्रिपिटक के महाविभाष्य का उल्लेख इन पहले कर चुके हैं । बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान् अरवधोष, पार्श्व और वसुभिन्न इसी समय में हुए । आचार्य नागार्जुन ने इसी समय में महायान धर्म के अनेक सूत्रों (सूक्तों) की रचना की । जैन साहित्य का भी इस काल में पर्याप्त विकास हुआ । पहले छः सवकेषु (पूर्णज्ञानी) आचार्यों के बाद सात दशपूर्वी आचार्य हुए, जिनमें से अंतिम ब्रह्मस्वामी का समय ७० ई० के लगभग था । इन आचार्यों द्वारा जैन साहित्य का निरंतर विकास हो रहा था । ब्रह्मस्वामी के शिष्य का नाम आर्यरञ्जित था । उसने जैन सूत्रों को अंग, इपांग आदि चार भागों में विभक्त किया था ।

प्राचीन भारत के षड्दर्शनों का उनके वर्तमान रूप में संकलन भी इसी काल में हुआ । सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, ये छः दर्शन भारतीय विचार तथा चरित्र-चिंतन के स्तंभ रूप हैं । इन विचारधाराओं का प्रारंभ तो अत्यंत प्राचीन काल में हो चुका था, तत्त्वदर्शी आचार्यों द्वारा जो विचारसंप्रदाय प्रारंभ किये गये थे, उनमें शिष्यपरंपरा द्वारा चरित्रचिंतन बहुत पुराने समय से चला आ रहा था । पर षड्दर्शनों का जो रूप वर्तमान समय में उपलब्ध है, उसका निर्माण इसी मौर्योत्तर काल में हुआ ।

वैशक और ज्योतिष शास्त्र ने भी इस काल में बहुत उन्नतिकी । चरकसंहिता का लेखक आचार्य चरक कनिष्क का समकालीन था । नागार्जुन भी उत्कृष्ट चिकित्सक था । प्रसिद्ध वैशक धंध मुख्यतः जिस रूप में आजकल मिलता है, वह नागार्जुन द्वारा ही

संपादित हुआ था। प्राचीन भारतीय इतिहास में नागार्जुन का बड़ा महत्त्व है। यह महापुरुष केवल बौद्ध ही नहीं था, अपितु सिद्ध रसायन शास्त्र, जोहरशास्त्र और रसायन विज्ञान का बड़ा पंडित था। उसने जनन विज्ञान पर भी एक ग्रंथ लिखा। आगे चलकर यह बौद्ध ग्रंथ का प्रमुख बना। बौद्ध पंडित के रूप में भी उसने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें माध्यमिक सूत्र-कृति विशेषरूप से उल्लेखनीय है। अश्वघोष के बाद महायान संप्रदाय का बही नेता बना था।

ज्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक गर्गसंहिता इसी समय में लिखी गई। इसके रचयिता गर्गाचार्य थे। उन्होंने यवन लोगों के आक्रमणों का इस तरह उल्लेख किया है, जैसे कि ये घटनाएँ उनके अपने समय में हुईं। स्पष्ट यही है, कि इस ग्रंथ के कुछ अंश ही इस समय में प्राप्त होते हैं। पूरा ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका। आचार्य बराहनिहिर द्वारा ज्योतिष-शास्त्र संबंधी जिन सिद्धांतों का संग्रह आगे चल कर गुप्तकाल में पञ्चसिद्धांतिका ग्रंथ में किया गया, उनका विकास व प्रतिपादन इस मौर्योत्तर काल में ही प्रारंभ हो गया था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि यद्यपि यह काल राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, विद्रोह और अशांति का था पर साहित्य ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में इस समय में भी निरंतर वृद्धि हो रही थी। इस विशाल साहित्य में इस समय के सामाजिक जीवन, धर्म, सभ्यता, संस्कृति और आधिकारों के सर्वत्र में जो अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं, उनका संक्षेप से यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है।

(२) वैदिक धर्म का उस्थान

मौर्योत्तर काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना भारत में बौद्ध

धर्म का हास और सनातन वैदिक धर्म का पुनरुद्धान है। अशोक ने धर्म विजय की जिम जीवनपूर्व नीति का अवलंबन किया था, निर्बल हाथों में यह नाराकारिणी भी हो सकती थी। आखिर, विशाल मागध साम्राज्य का आधार उसकी सैनिक-शक्ति ही थी। सेना से ही अधीनस्थ जनपदों, नष्टोभूत गणराज्यों और विविध सामंत सरदारों को एक साम्राज्य के अधीन रखा जा सकता था। अशोक के समय में यह मागध सेना (मौर्य, भूत और भूमिबल) अद्भुतरूप में विशाल थी। कलिंग के शक्तिशाली जनपद को इसीलिये वह अपने अधीन कर सका था। यद्यपि अशोक स्वयं अस्त्रों द्वारा विजय को अपेक्षा धर्म द्वारा स्थापित की गई विजय को अधिक महत्त्व देने लगा था, पर उसके समय में मागध सेना शक्तिहीन नहीं हुई थी। पर जब उसके उत्तराधिकारी भी निरंतर इसी प्रकार साम्राज्य की अपेक्षा धर्मविजय को महत्त्व देने रहे, तो यह स्वाभाविक था कि मागध साम्राज्य की सेना शक्तिहीन होने लगे। इसीलिये अंतिम मौर्य सम्राटों के समय में यवनों के आक्रमण प्रारंभ हो गये, और मागध सेना उनकी बाढ़ को नहीं रोक सकी। अशोक की धर्मविजय की नीति उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों में असफल और बदनाम हो गई। सर्वसाधारण जनता में उससे बहुत असंतोष था। इसीलिये एक प्राचीन संस्कार ने कहा था, राजाओं का काम शत्रुओं का दमन व प्रजा का धानन करना है, मिर मुड़ाकर चैन से बैठना नहीं। यह स्वाभाविक था, कि मौर्य राजाओं की इस असफल नीति से जनता में बौद्धधर्म के प्रति भी असंतोष का भाव उत्पन्न होने लगे। भिद्भुसंप इस समय बड़ा ऐश्वर्यशाली हो गया था। सर्वत्र विशाल वैभव संपन्न विहारों की स्थापना हो गई थी, जिनमें बौद्ध भिद्भु बड़े आराम के साथ निवास करते थे। मनुष्यमात्र की सेवा करने वाले,

प्राणिमात्र का हित संपादन करनेवाले, भिक्षापुत्रि से दैनिक भोजन करने वाले और निरंतर घूम-घूम कर जनता को कल्याण-मार्ग का उपदेश करने वाले बौद्ध भिक्षुओं का स्वान्त्र्य अथ सन्नाती के आक्षेप में सब प्रकार का सुख भोगने वाले भिक्षुओं ने खो लिया था। सर्वसाधारण जनता के हृदय में भिक्षुओं के प्रति जो आदर था, यदि उसमें न्यूनता आने लगे, तो इसमें आक्षेप ही क्या है? इसी का परिणाम यह हुआ, कि भारत में बौद्ध धर्म के प्रतिकूल एक प्रतिक्रिया का प्रारंभ हुआ और लोगों की दृष्टि उस प्राचीन सनातन धर्म की ओर आकृष्ट हुई, जो शत्रुओं को परास्त कर सर्वत्र दिग्विजय कर अश्वमेध यज्ञ का विधान करता था। यही कारण है, कि सेनानी पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को भार जघ राजसिंसाहन प्राप्त किया, तो मागध साम्राज्य के शत्रुओं के विरुद्ध उसने तलवार उठाई और फिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। सातवाहन राजा सातकणि ने भी इसी काल में दो बार अश्वमेध यज्ञ किये थे। इस समय अश्वमेध यज्ञ करने की एक प्रवृत्ति सो उत्पन्न हो गई थी और इस प्रवृत्ति के पीछे प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने की प्रबल भावना काम कर रही थी।

एक बौद्ध अनुसूत के अनुसार रांग सन्नात् पुष्यमित्र ने तलवार के घल से भी बौद्ध लोगों का दमन किया था। उसने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करा दिया था, और अनेक स्तूपों व विहारों का गिरवा दिया था। इस वर्णन में चाहे अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो, पर इसमें संदेह नहीं, कि शुंगकालीन भारत में बौद्धों के विरुद्ध एक खतरनाक प्रतिक्रिया हो रही थी।

पर बौद्धधर्म का यह हास केवल मागध और उसके समीप-वर्ती प्रदेशों तक ही सीमित था। सुदूर उत्तर-पश्चिम में बौद्ध

भिक्षु अब भी प्राचीन आर्यों का पालन करते हुए प्राणमाल का कल्याण करने की आशा में हिन्दुस्तान और पामीर की पर्वतमालाओं को लाँघते हुए आगे बढ़ रहे थे। शक, युद्धि और मृग्य जातियों में आष्टांगिक आर्यमार्ग का संदेश पहुँचाने के लिये वे भारी उद्योग कर रहे थे। इस प्रकार लंबा, बरभा और उससे भी परे के प्रदेशों में बौद्धभिक्षुओं का आर्यमार्ग फैलाने का प्रयत्न जारी था। इन सब प्रदेशों में बौद्धभिक्षु एक नई सभ्यता, एक ऊँचे धर्म और एक परिष्कृत संस्कृति के संदेशवाहक बनकर परिभ्रमण कर रहे थे। इन सब स्थानों में बौद्धधर्म का उत्कर्ष इस काल में भी जारी रहा। पर वैभव-शाली मौर्य सम्राटों का संरक्षण पाकर भगवत् तथा उत्तरी भारत के अन्य जनपदों में बौद्धभिक्षु कुछ निरचेष्ट से हो गये थे। उनके बिहारों में अपार पतन था। जब अशोक और अनासपिडक जैसे धर्मियों ने अपना कोटि-कोटि धन इन बौद्ध-बिहारों के अर्पण कर दिया हो, तो यदि उनमें पतन का प्रारंभ हो जावे और वे सुख-समृद्धि के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो जावें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यही कारण है, कि पुष्यमित्र ने बिहारों के धन-वैभव को अपना शिकार बनाया, और बौद्धभिक्षुओं का हत्या करने में भी संकोच नहीं किया।

शुभकाल में जिस वैदिक धर्म का पुनरुदयान हुआ वह प्राचीन वैदिक धर्म से बहुत कुछ भिन्न था। बौद्ध और जैन धर्मों ने जिन विचारधाराओं का प्रसार किया था, वे अन्य धर्मावलम्बियों के विचारों पर प्रभाव न डालतीं, यह संभव नहीं था। इनमें बौद्ध विचारों का असर इस काल के दूरानों और धार्मिक विरवाओं पर स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। बौद्ध व जैन सृष्टि के कर्ता रूप में किसी ईश्वर को नहीं मानते

धे। सांख्य दर्शन में भी किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्थान नहीं है। योगदर्शन भी सृष्टि के निर्माण के लिये किसी ईश्वर का आवश्यकता नहीं समझता। बौद्धों का ब्रह्म सृष्टि का उत्पादन कारण है, निमित्त कारण नहीं। जिस मिट्टी से घट बनता है, घट मिट्टी का ही एक रूप है, घट मिट्टी से भिन्न कुछ नहीं है, ऐसे ही सृष्टि ब्रह्म से बनी है, सृष्टि ब्रह्म का ही एक रूप है। सृष्टि ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता नहीं रहती। वैदिक षड्दर्शनों में से तीन के ईश्वर संबंधी विचार बौद्ध विचारों के कितने समीप हैं। प्राचीन वैदिक ईश्वर से इनकी विचारप्रणाली में भारी भेद है। बौद्ध और जैन लोग लोकोत्तर पुरुषों में विश्वास करते थे। बोधिसत्त्व और तीर्थंकर परम पूर्ण पुरुष थे, जो सत्य-ज्ञान के भंडार, पूर्ण ज्ञानी और बुद्ध कहलाते थे। सांख्यों ने इसी विचारसरणी का अनुसरण कर कपिल को लोकोत्तर ज्ञानी माना। योग ने जिस ईश्वर का प्रतिपादन किया, वह केवल 'सब से बड़ा ज्ञानी' है। ईश्वर की सत्ता के लिये उसकी केवल एक युक्ति है, 'निरतिशय सर्वज्ञ बीजम्'। हमें ज्ञान के बारे में अतिशयता नजर आती है; एक व्यक्ति दूसरे से अधिक ज्ञान रखता है। कोई अन्य-उससे भी अधिक ज्ञान रखता है। ऐसे ही विचार करते-करते कई ऐसी सत्ता होंगी, जिससे अधिक ज्ञानवान कोई नहीं होगा, जो सर्वज्ञ होगा, वही ईश्वर है। ऐसा व्यक्ति बुद्ध भी हो सकता है, धर्ममान महावीर भी, कपिल भी, भोक्तृणा भी या अन्य कोई भी। बौद्ध और जैन ऐसे ही भगवान् को मानते थे। योगशास्त्र पर इन संप्रदायों के विचारों का असर कितना प्रत्यक्ष है।

प्राचीन वैदिक धर्म में प्रकृति की विविध शक्तियों के रूप में

ईश्वर की पूजा की जाती थी। इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि उस धर्म के प्रधान देवता थे। पर अधुना उनका स्थान ले लिया उन महापुरुषों ने, जिनका कि सर्वसाधारण में अपने लोकोत्तर गुणों के कारण अनुपम आदर था। शृंगकाल में जिस सनातन धर्म का पुनरुद्धार हुआ, उसके उपास्य देव वासुदेव, संकर्षण और शिव थे। बौद्ध और जैन धर्मों में जो स्थान बोधिसत्वों और तार्थकरों का था, वही इस सनातन धर्म में इन महापुरुषों का हुआ। बुद्ध और महावीर सर्वज्ञ थे, पूर्ण पुरुष थे। उनके गुणों को प्रत्येक मनुष्य जान सकता था, उनके चरित्र का अनुशीलन कर शिक्षा ग्रहण कर सकता था, उनकी मूर्ति के सम्मुख बैठ कर उनका साक्षात्कार कर सकता था। अब प्राचीन परिपाटी का अनुसरण कर अश्वमेध यज्ञ का पुनरुद्धार करने वाले शृंगों और सातवाहनों के धर्म में भी संकर्षण और वासुदेव पूर्ण पुरुष थे, पूर्णज्ञानी थे और उनकी मूर्तियाँ दर्शना के लिये विद्यमान थीं। इस काल के धार्मिक नेताओं ने प्राचीन महापुरुषों में देवत्व की कल्पना कर उनको बुद्ध और महावीर के समकक्ष बना दिया। निर्गुण और निराकार ईश्वर के स्थान पर सगुण अवतार ग्रहण करने वाले ईश्वर की कल्पना हुई। इन अवतारों की मूर्तियाँ बनने लगीं और उन्हें मादरा में प्रतिष्ठापित कर उनकी पूजा प्रारंभ हुई। प्राचीन वैदिक धर्म में यज्ञों के कर्मकांड की प्रधानता थी। कुण्ड में अग्नि की प्रतिष्ठा कर विविध देवताओं का वाहन किया जाता था, और पशु, अन्न समिधा आदि की आहुति देकर इन देवताओं को संतुष्ट किया जाता था। पर बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से जब एक बार यज्ञों की परिपाटी मद्द पड़ गई तो उसका इस युग में भी पूर्णतया पुनरुत्थान नहीं हुआ। उपलक्ष्य के रूप में अश्वमेधयज्ञ चाहे किये भी जाने लगे हैं, पर सर्वसाधारण

में यज्ञों का पुनः प्रचलन नहीं हुआ। यज्ञों का स्थान इस समय मूर्तिपूजा ने लिया। शंग युग में जिस प्राचीन सनातन धर्म का पुनरुद्धार हुआ, वह शुद्ध वैदिक नहीं था। उसे पौराणिक कहानी कहना अधिक उपयुक्त होगा।

इस नये पौराणिक धर्म की दो प्रधान शाखायें थीं, भागवत और शैव। शूरसेन जनपद के साखत लोगों में देर से वामुदेव कृष्ण की पूजा चली आ रही थी। पुराने युग में कृष्ण शूरसेन देश के मदापुरा और नेता हुए थे। कृष्ण जहाँ अंधक वृष्णि संघ के प्रमुख थे, वहाँ बड़े विचारक, दार्शनिक और धर्मोपदेशक भी थे। कुरुक्षेत्र के रथक्षेत्र में अपने निकट संबंधियों को युद्ध के लिये सम्मुख खड़ा देना जब अर्जुन दुविधा में पड़ गया था, तो कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। उन्हीं के उपदेश से अर्जुन में बल आया, और वह कर्तव्यपालन के लिये तत्पर हुआ। बुद्धावस्था में कृष्ण योगी हो गये थे, और अथर्व वृष्णि संघ का नेतृत्व छोड़ उन्होंने मुनियों का जीवन व्यताव किया था। जिन प्रकार वर्धमान महावीर दाहक गण में उत्पन्न हुए और गौतम बुद्ध शाक्यगण में उसी प्रकार कृष्ण अंधक वृष्णि गण में प्रादुर्भूत हुये थे। उनके अपने गण में गीता की विचारधारा उसी समय से प्रचलित थी। शूरसेन-वासी न केवल कृष्ण की शिक्षायों को मानते थे, पर साथ ही उन्हें भी लोकोत्तर पुरुष के रूप में पूजते थे। अब जब कि बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से सनातन आर्य धर्मोवलंबी लोग भी लोकेतर सर्वज्ञ पुरुषों में, ईश्वरीय शक्ति का आभास देखने के लिये उद्यत थे, कृष्ण की पूजा का लोकप्रिय हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। सात्वतों का यह भागवत धर्म अब सर्वत्र फैलाने लगा। निःसंदेह कृष्ण लोकोत्तर पुरुष थे। उनका जीवन आदर्श था, उनकी शिक्षायें अपूर्व थीं। यदि उनमें

ईश्वरीय भावना करके, उन्हें ईश्वर का अवतार मान के, उनके रूप में सगुण परमेश्वर की पूजा की प्रवृत्ति प्रारंभ हो, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कृष्ण को बुद्ध और महावीर के समकक्ष रखा जा सकता था। बुद्ध और महावीर के रूप में जिस प्रकार के पुरुषों की पूजा का जनता को सदियों से अभ्यास था, कृष्ण का इस युग का रूप उसी के अनुकूल था। धीरे-धीरे कृष्ण को वैदिक विष्णु का अवतार माना जाने लगा, और उनके संबंध में बहुत सी गाथाओं का प्रारंभ हुआ। श्रीमद्भक्तगीता इस भागवत संप्रदाय का मुख्य धर्मग्रंथ था। महाभारत और भागवत पुराण में कृष्ण के देवी रूप और महात्म्य के साथ संबंध रखनेवाली बहुत सी कथाएँ संगृहीत हैं।

शैव संप्रदाय का प्रवर्तक लंकुलीशु था। उसे शिव का अवतार माना जाता था और वह दक्षिणी गुजरात में उत्पन्न हुआ था। उसके चार शिष्यों ने शैवों की चार शाखाओं का प्रारंभ किया, जिन में से पक्षिपत शाखा आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। शैव लोग शिव की मूर्ति बना कर उसकी पूजा करते थे। शिव त्रिशूल धारण करते और नंदी की सवारी करते थे।

वैष्णव (भागवत) और शैव संप्रदायों के अतिरिक्त भी अन्य कितने ही संप्रदाय इस काल में प्रचलित हुए। ईरान से जो शक लोग भारत में आये थे, वे ईरानी लोगों की अग्नि-पूजा और सूर्यपूजा से भलीभाँति परिचित थे। इन्हीं के संपर्क से भारत में सूर्य के मंदिर बने। मूलस्थानपुर (मुलतान) का सूर्यमंदिर भारत में सब से प्राचीन है। इसके पुजारी भी शाकद्वीप (शकस्थान) के ब्राह्मण नियत किए गये। सूर्य की उपासना वैदिक काल में भी होती थी। पर उस समय सूर्य के मंदिर नहीं होते थे। सूर्य प्रकृति की एक प्रकाशमान शक्ति थी,

जिसमें भगवान् के प्रकाशमान रूप का बोध होता था। पर अब सूर्य की मूर्ति बनाई गई, जो बोधिसत्त्वों और तीर्थंकरों की मूर्तियों के समान हाथ, पैर, मिर वाली मनुष्य रूप थी। वेद के अन्य देवताओं, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, स्कन्द, नारायण, काली आदि सब की इस समय में मूर्तियाँ बनीं और मंदिर स्थापित हुए।

भारत के प्राचीन आर्यधर्म में यह एक महान् परिवर्तन था। आर्यों के पुराने जनों का धर्म बड़ा सरल था। प्रकृति की शक्तियों की देवताओं के रूप में पूजा करना, यज्ञकुंड में आहुतियाँ देकर इन देवताओं को तृप्त करना, यही प्राचीन धर्म का सार है। पर मगध के साम्राज्यवाद के विस्तार के साथ भारत के जन-समाज में प्राचीन आर्य जनों की अपेक्षा आर्य-भिन्न जातियों का महत्त्व निरंतर बढ़ने लगा था। जिन सैनिकों ने मगध के साम्राज्य को हिंदुकुश या उससे भी परे तक फैला दिया था, प्रधानतया वे आर्य-भिन्न लोगों की सेनायें ही थीं। उन्हीं में से 'भृत' सैनिक भरती किये गये थे, उन्हीं की आटविक या बनेचर सेनाओं का सहयोग लिया गया था, और उन्हीं की सैनिक श्रेणियों को अपने पक्ष में कर के मगध सम्राटों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया था। इन आर्य-भिन्न लोगों का धार्मिक अनुष्ठान दूसरा था। इनके देवी-देवता भिन्न थे। इनके उपास्य देवों का महात्म्य, शक्ति और गाथाएँ दूसरी थीं। फिर, यवन, शक और मुद्गसि लोग जो भारत में बहुत अंदर तक हथारों-लाखों की संख्या में घुस आये थे, उनके देवी-देवता और धार्मिक विश्वास भी प्राचीन आर्यों से भिन्न थे। मौर्यों के पतनकाल में वैदिक धर्म के पुनर्स्थान की जो लहर शुरू हुई, उसमें इन सब लोगों की धार्मिक परंपराओं के साथ वैदिक धर्म का समन्वय किया गया। मूलस्थानपुर का

सूर्यमंदिर शकों की धार्मिक परंपरा के साथ वैदिक देवता सूर्य के समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरण है। शूरसेन जनपद में प्रचलित भागवत धर्म शुद्ध धर्म था। पर शूरसेन के पड़ोस में प्रबल आभीर जाति का निवास था। ये लोग बनेचर थे और पशुपालन इन का मुख्य पेशा था। इनके देवता का नाम गोपाल था। गोपाल गौओं को चराने वाला, बाँसुरी बजा कर सब गौओं को इकट्ठा करने वाला और दूध-दही का शौकीन था। पशुपालन आभीरों के जीवन का वह आदर्शरूप था। यवन और शकों के आक्रमण के समय में जब आभीरों और सात्वतों का मेल हुआ, तब इनके धर्म में भी समन्वय हुआ। सात्वतों का वामुदेव कृष्ण अब गौओं को चराने वाला, बाँसुरी बजाने वाला और दूध, मक्खन का शौकीन गोपाल कृष्ण बन गया।

शिव के साथ अब बहुत से विचित्र-विचित्र शकलों वाले गणों को जोड़ दिया गया। ये गण आदिबिकों जातियों के विविध देवता थे। जब आदिबिकों का आर्यों के साथ निकट संपर्क हुआ, तो उनके देवताओं का भी आर्य शिव से निकट संपर्क होना स्वाभाविक था। त्रिशूलधारी शिव नंदी बैलके साथ चलता था, उसकी शक्ति अनंत थी, उसकी उपासना से अभीष्ट फल की प्राप्ति की जा सकती थी। आदिबिकों या बनेचरों के देवता उसके 'गण' रूप में साथ-साथ रहते थे। बोधिसत्त्वों या तीर्थंकरों से उसकी महिमा और शक्ति किस प्रकार कम थी।

इस प्रकार इस युग में आर्यों के प्राचीन वैदिक धर्म का एक नया संस्करण हुआ। बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से इस नये पौराणिक आर्य धर्म के उपास्य देव अमूर्त न होकर मूर्त थे। मनुष्य की आकृति में उनके दर्शन किए जा सकते थे। वे अनंत शक्तिशाली सर्वज्ञ और महामहिमामय थे। उनकी

उपासना करके यथेष्ट फल की प्राप्ति की जा सकती थी। यज्ञों का महत्त्व इस समय कम हो गया था।

इस नई धार्मिक लहर में अपूर्व जीवनी शक्ति थी। कितने ही शक, यवन और युइशि राजाओं ने भारत में आकर इस पौराणिक धर्म को अपनाया। यदि बौद्ध लोग दूर-दूर देशों में जा कर अपने धर्म का प्रसार कर सकते थे और विदेशी म्लेच्छ लोगों को अपने धर्म में दीक्षित कर सकते थे, तो इस नवीन आर्य धर्म में भी यही शक्ति विद्यमान थी। यवन हेरिउदोर ने भागवत धर्म को अपना कर बामुदेव में अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिये विदिशा में एक गुरुद्वज का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध युइशि सम्राट् विम कफस शैव धर्म का अनुयायी था। कनिष्क यद्यपि बौद्ध था, पर उसके बहुत से ऐसे सिक्के भी पाये गये हैं, जिन पर शिव, स्कंद और वायु के चित्र हैं। इससे प्रतीत होता है, कि कनिष्क भी इस नये शक्तिसंपन्न आर्य धर्म का आदर करता था। युइशि वंश का अंतिम राजा बामुदेव शैव धर्म का अनुयायी था। उसके सिक्कों पर त्रिशूल-धारी शिव की नवी संहित प्रतिमा उत्कीर्ण है।

नये धार्मिक पुनरुत्थान के इस युग में आर्य धर्म के पुरोहित व अग्रणी ब्राह्मण लोग भी प्रारंभिक बौद्धकाल के भिक्षुओं के समान अधिक क्रियाशील हो गये थे। संभवतः उनके संघ भी इस समय में संगठित हो गये थे, जिनमें हत्तारों की संख्या में ब्राह्मण लोग मनुष्य जाति का कल्याण करने के उद्देश्य से निवास करते थे। यही कारण है, कि शक और सातवाहन राजाओं के दातों का जहाँ उल्लेख है, वहाँ हत्तारों ब्राह्मणों को गोषे व अन्य संरक्षित दी गई, इस प्रकार का वर्णन आता है।

(३) जाति भेद का विकास

प्राचीन आर्य बहुत से जनों में बँटे हुए थे। जन के सघ

लोगों को 'विशः' कहा जाता था। शुरु में उन में कोई वर्ग या जातियाँ नहीं थीं। सारे आर्यजन खेती, पशुपालन आदि से अपना निर्वाह करते थे। युद्ध के अवसर पर सब लोग हथियार उठा कर लड़ने के लिये प्रवृत्त हो जाते और धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर स्वयं सब कर्मकांड का अनुसरण करते। पर जब जन एक निश्चित प्रदेश में बस कर जनपद बन गये, तब उन्हें युद्ध की आवश्यकता अधिक अनुभव होने लगी। आर्यों को उन अनाथ जातियों से निरंतर युद्ध करना होता था, जिन्हें परास्त कर वे अपने जनपद बसा रहे थे। विविध जनपदों में आपस का भी संघर्ष जारी था। परिणाम यह हुआ, कि एक ऐसी विशेष श्रेणी बनने लगी, जिसका कार्य केवल युद्ध करना था, जो जनपद की 'रज' से रक्षा करने में प्रवृत्त हुई। इस प्रकार धीरे-धीरे एक क्षत्रिय वर्ग का विकास हुआ। इसी तरह जब यज्ञों के कर्मकांड व्यादा जटिल होने लगे, ऐहजोकिह और पारलौकिक सुख के लिये विविध अनुष्ठानों का प्रारंभ हुआ, तो ऐसे लोगों का भी पृथक् विकास होने लगा जो इन धार्मिक विधि-विधानों में अधिक निपुणता रखते थे। ये लोग ब्राह्मण कहलाये। साधारण विशः से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वर्ग पृथक् होने लग गये। जो आर्य-भिन्न लोग आर्य जनपदों में बसे रह गये थे, वे आर्यों की सेवा करके ही अपनी आजीविका कमा सकते थे। कृषि, शिल्प, व्यापार आदि ऊचे पेशे वे नहीं कर पाते थे। उनकी खमीन, उनकीपूँजी—सब आर्य विशः के हाथ में चली गई थी। ये लोग शुद्र कहलाये। इस प्रकार प्रत्येक आर्य जनपद की जनता को मोटे तौर पर चार वर्गों में बाँटा जा सकता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र वर्गों का यह विभाग शुद्ध और कर्म के ही आधार पर था, और इसका विकास सामाजिक उन्नति की विशेष परिस्थितियों के कारण ही हुआ था।

पर आर्य लोग अ्यों-अ्यों पूर्व की तरफ को बढ़ते गये, उनके जनपदों में आर्य-भिन्न लोगों की संख्या अधिकाधिक होती गई। पंजाब और गंगा-यमुना की घाटियों में विद्यमान आर्य जनपदों में अनार्य लोगों की संख्या बहुत कम थी। शुद्र रूप में उन्हें सुगमता से अपने समाज का ही एक अंग बनाया जा सकता था। पर पूर्व और दक्षिण में आगे बढ़ने पर आर्यों को एक नई परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मगध, अंग, वंग, कलिंग और अवंति जैसे जनपदों में अनार्य लोग बहुत बढ़ी संख्या में थे। उनका न अड़ से उन्मूलन किया जा सकता था और न उन्हें आगे-आगे खदेड़ा जा सकता था। उनकी सैनिक शक्ति भी कम नहीं थी। वे अच्छे वीर योद्धा थे, और संख्या में बहुत अधिक थे। पूर्व और दक्षिण में बहुत दूर तक आगे बढ़ जाने वाले आर्य विजेताओं ने विवशा होकर इन अनार्यों की स्त्रियों से विवाहसंबंध भी स्थापित किये थे। आर्य स्त्रियों पर्याप्त संख्या में आर्य विजेताओं के साथ इतनी दूर तक नहीं आ सकी थीं। परिणाम यह हुआ, कि अनेक वर्णसंकर जातियों का विकास हुआ। मगध और उसके समीपवर्ती जनपदों में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में जिन नवीन धार्मिक आंदोलनों का प्रारंभ हुआ था, उनके वर्णभेद और जातिभेद संबंधी विचार इसी नई परिस्थिति के परिणाम थे। ब्राह्मण व किसी विशेष श्रेणी की उत्कृष्टता की बात उन्हें समझ नहीं आती थी। वहाँ जो सैनिक लोग थे, वे भी शुद्ध आर्य क्षत्रिय न होकर ब्रह्मचर्य व ब्राह्मणों को भी प्राचीन ग्रंथों में वर्णसंकर गिना गया है। बलिष्ठ, मज्ज, मिच्छर व आदि सब ब्राह्मण ही थे। पूर्व और दक्षिण के इन जनपदों में न केवल क्षत्रिय ही, पर ब्राह्मण भी वर्णसंकर थे। सातव जिन राजा जाति से ब्राह्मण समझे जाते थे, पर उनमें आध्र खून विद्यमान था। जब मगध साम्राज्य

का विकास हुआ, और भगध की अनार्य प्रधान सेनाओं ने सारे भारत को जीत लिया, तो प्राचीन आर्य जनों के शुद्ध ब्राह्मणों व क्षत्रियों की उत्कृष्टता कैसे कायम रह सकती थी। बौद्ध और जैन ब्राह्मण व क्षत्रियों की उत्कृष्टता को नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में कोई व्यक्ति अपने गुणों व चरित्र से ही ऊँचा होता था जन्म या जाति से नहीं। मागध साम्राज्य के विकास की नई परिस्थितियों में यह सिद्धांत कितना समयानुकूल था।

अब शक, यवन, युइशि लोगों के आक्रमणों से एक और नई परिस्थिति उत्पन्न हुई। इन विजेताओं ने भारत के बहुत बड़े भाग को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। ये उत्कट योद्धा थे। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग भारत के विविध जनपदों में विजेता के रूप में बस गये थे। इनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बहुत ऊँची थी। बौद्ध और जैन विचारधारा के अनुसार इनसे सामाजिक जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती थी। भारत में आकर इन्होंने बौद्ध या जैन धर्म को अपना शुरु कर दिया था। जाति-पाति व वर्णभेद के विचारों से शून्य इन धर्मों के लिए इन स्लेख विजेताओं को अपने समाज का अंग बना लेना विशेष कठिन नहीं था।

पर सनातन आर्य धर्म के पुनरुत्थान के इस काल में इस नई परिस्थिति का सामना चातुर्वर्ण्य में विश्वास रखने वाले पौराणिक धर्मावलंबियों ने किस प्रकार किया? चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत प्राचीन आर्य धर्म की एक विशेषता थी। बौद्धों के समय में उसका सर्वथा परित्याग कर सकना संभव नहीं था। पर इन शक्तिशाली आर्य-भिन्न योद्धाओं, यवनों, शकों व अन्य बहुत सों जातियों को चातुर्वर्ण्य में किस प्रकार स्थान दिया जाता? किस प्रकार ऐसी व्यवस्था की जाती, कि इस युग की नई भावना

से चालुवंश के सिद्धांत पुनः अनुप्राणित हो जाया ? वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के नेताओं ने इस संबंध में जिस नीति का अनुसरण किया, वह बड़े महत्व की है। उन्होंने कहा यवन, शक, पारस, पल्हव, कांबोज, द्रविड, पौण्ड्रक, आदि ये सब जातियाँ मूलतः क्षत्रिय थीं, पर ब्राह्मणों का संपर्क न रहने से वे वृषलत्व (म्लेच्छत्व) को प्राप्त हो गईं। पर अब जब इन्हें फिर ब्राह्मणों का संपर्क मिला, इन्होंने वैदिक संप्रदायों को अपनाया, तो इन्हें क्षत्रिय क्यों न समझ लिया जाता। भारत में जा शक, पल्हव, यवन आदि आये, वे सब इस समय क्षत्रियों में शामिल कर लिये गये। हमारे पुरखाओं को यह युक्ति कितनी सुन्दर थी ! जो ये म्लेच्छ आकांक्षा भारत पर आक्रमण कर यहाँ अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने में सफल हुए थे, वे सब मनु के इस सिद्धांत के अनुसार क्षत्रियवर्ग में शामिल हो गये। ब्राह्मणों के पुनः संपर्क ने अब उन्होंने वासुदेव कृष्ण और शिव की उपासना प्रारंभ कर दी थी, उनमें वृषलत्व कुछ शेष नहीं रहा था। इसी तरह इन विदेशी म्लेच्छों के पुरोहित ब्राह्मणवर्ग में सम्मिलित कर लिये गये, क्योंकि उन्होंने भी प्राचीन आर्य विचारधारा को अपना लिया था। मुलतान के सूर्यमंदिर में शाकद्वीप (शकस्थान) के 'ब्राह्मणों' को पुजारी के रूप में नियत करना इसका स्पष्ट उदाहरण है।

मगध, अर्चति, अंग आदि जनपदों में आर्य अपनी रक्तशुद्धि को कायम रखने में समर्थ नहीं हुए थे। उन्होंने आर्य-भिक्ष जातियों के साथ रक्तसंबंध स्थापित किये थे। इन्हें इस काल में व्रात्य और वर्णसंकर कहा गया। मनुस्मृति के अनुसार भूर्जकंटक और आर्षत्व व्रात्य ब्राह्मणों की संतान थे, और मल्ल, मल्ल, व तिल्लवियों की उत्पत्ति व्रात्य क्षत्रियों से हुई थी। कारुष और सात्वत व्रात्य वैश्यों की संतति थे। वैश्य

और क्षत्रिय के सम्मिश्रण से मागध और वैश्य व ब्राह्मण के सम्मिश्रण से वैदेह लोगों का विकास हुआ था। मनु के इस मत में कोई सचाई हो या न हो, पर इस वैदिक पुनरुत्थान युग के विचारक इस तथ्य को दृष्टि में ला रहे थे कि मागध, वैदेह, आंवंत्य, लिच्छवि, सात्वत आदि लोग शुद्र आर्य नहीं हैं, पर समाज में उनका बड़ा महत्व है। उन्हें वे ब्राह्म्य, ब्राह्मण, ब्राह्म्य क्षत्रिय, ब्राह्म्य वैश्य व वर्णसंक' बताकर चातुर्वर्ण्य के दायरे में शामिल करने का प्रयत्न कर रहे थे।

इस समय के विचारकों ने एक और सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपने कर्म से शुद्र ब्राह्मण बन जाता है, और ब्राह्मण शुद्र। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने कर्म से ही होते हैं। युग की परिस्थितियों के अनुसार यह सिद्धांत कितना क्रियात्मक और समयानुकूल था। जब राक्ष, यवन और कुशाख जैसी म्लेच्छ जातियाँ आर्यक्षत्रियों को परास्त कर राज्य करने में व्यापृत थीं, शुद्रजाति में उत्पन्न हुए बौद्धभिक्षु जनता के धर्मगुरु बने हुए थे, तब यदि कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण्य का प्रतिपादन किया जावे, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

पर यहाँ यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है, कि बर्ष और जाति दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। किसी भी आर्य 'जन' में चारों बर्ष हो सकते थे। गुण और कर्म के अनुसार किसी भी मानवसमूह को इन चार बर्षों में रखा जा सकता है। जब प्राचीन विचारकों को एक छोटे से आर्य जनपद के क्षेत्र से निकल कर विशाल भारत के जनसमाज में इस चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ा, तो उन्हें नई विभिन्न परिस्थितियों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं। पर इस युग के भारत में बहुत सी जातियों का पृथक्-पृथक् रूप में विकास हो रहा था। वर्तमान

भारत में खत्री, अरोड़ा, रत्वोगी, कोली, मुरई आदि जो सैकड़ों जातियाँ पाई जाती हैं, उन्हें किसी वर्ग में सम्मिलित करना सुगम नहीं है। कोली और मुरई शूद्रों में शामिल किये जाने से मतराज करते हैं। पर खत्रिय लग उन्हें खत्रिय मानने को तैयार नहीं हैं। वही बात और बहुत सी जातियों के संबंध में कही जा सकती है।

वास्तविकता यह है कि प्राचीन भारत में जो सैकड़ों छोटे-बड़े गणराज्य थे, वे ही इस युग में धीरे-धीरे जातियों का रूप धारण करने लगे। प्राचीन गणराज्य दो प्रकार के थे, वार्ता-शास्त्रोपजीवि और राजशाब्दोपजीवि। 'वार्ता' का अभिप्राय कृषि, पशुपालन और वासिष्ठ्य से है। कुछ गण जहाँ कृषि, पशुपालन और वासिष्ठ्य करके जीवननिर्वाह करते, वहाँ राक्ष भी धारण करते थे। कंबोज, खत्रिय और श्रेण्य गण इसी प्रकार के थे। लिच्छवि, वज्जि, कुकुर, कुह, पंचाल आदि गण राजशाब्दोपजीवि थे। इन में प्रत्येक कुल का नेता राजा कहलाता था, और अपने राजत्व का इन्हें बड़ा अभिमान था। प्रत्येक गण में एक-एक 'जन' का अभिजन था। इन जनों को अपने वंश की उच्चता और रक्त को शुद्धता का बड़ा गर्व था। कोसल-राज प्रसेनजित् के प्रयत्न करने पर भी शाक्यगण के राजा अपनी कुमारी को उसके साथ विवाह में देने के लिये तैयार नहीं हुए थे। अब मगध के साम्राज्यविस्तार के साथ इन गणों की राजनीतिक स्वतंत्रता का अंत हो गया था। मगध सम्राटों ने गणों को नष्ट करने तथा उनकी स्वतंत्रता को मिट्टी में मिला देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। परिणाम यह हुआ कि गणराज्य समाप्त हो गये। पर मगध सम्राटों की नीति यह थी, कि वे गणों के कुछ धर्मों को नष्ट न करें। इन गणराज्यों में जो अपने रीतिरिवाज व स्थानीय कानून प्रचलित थे, उन्हें

मागध सम्राटों ने न केवल स्वीकार ही किया था, पर उन्हें साम्राज्य के कानून का एक अंग मान लिया था। यही कारण है, कि इन विविध स्थानीय कानूनों को राजकीय राज्यों में राज्यों (निबंध पुस्तक) करने की व्यवस्था की गई थी। भारत के प्राचीन आचार्यों ने 'स्वधर्म' के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया है। जैसे प्रत्येक मनुष्य को 'स्वधर्म' का पालन करना चाहिए, वैसे ही साम्राज्य के प्रत्येक अंग, ग्राम, कुल, गण और जनपद को भी 'स्वधर्म' में दृढ़ रहना चाहिये। जिसके जो अपने व्यवहार, रीतिरिवाज व कानून है, उनका उसे उल्लंघन नहीं करना चाहिये। यदि कोई उनका उल्लंघन करे, तो राजा का कर्तव्य है, कि उसे दण्ड दे और 'स्वधर्म' पर दृढ़ रहने के लिये बाधित करे।

प्राचीन सम्राटों की इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि राजनीतिक स्वाधीनता के नष्ट हो जाने पर भी लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्वाधीनता कायम रही। उनके लोग अपने स्थानीय धर्म, व्यवहार व कानून का पहले के समान ही पालन करते रहे। इसी से वे धीरे-धीरे जाति व विराट्टी के रूप में परिणत हो गये। प्राचीन योरप में भी भारत के ही समान गणराज्य थे। पर वहाँ जब गणसाम्राज्यवाद का विकास हुआ, तो वहाँ के रोमन सम्राटों ने गणराज्यों की न केवल राजनीतिक सत्ता को ही नष्ट किया, पर साथ ही उनके धर्म, व्यवहार, कानून और रीतिरिवाज का भी अंत किया। रोमन सम्राट अपने सारे साम्राज्य में एक रोमन कानून जारी रखने के लिये उत्सुक रहते थे। भारतीय सम्राटों के समान वे सदिष्णुता की नीति के पक्षपाती नहीं थे। यही कारण है, कि योरप के गणराज्य भारत के महश जाति विराट्टियों में परिवर्तित नहीं हो सके। भारत में गणराज्यों के जाति विराट्टियों के रूप में

विकसित होने का परिणाम यह हुआ कि इतिहास के उस युग में जब संसार में कहीं भी लोकसत्तात्मक शासन की सत्ता नहीं रही, सब जगह एकछद्म सत्ताओं का राज्य हुआ, यहाँ भारत में साधारण जनता अपना शासन स्वयं करती रही, अपने साथ संबंध रखने वाले मामलों का निर्णय अपनी चिरादरी की पंचायत में स्वयं करती रही। राजनीतिक दृष्टि से परतंत्र हो जाने के बाद भी सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उनका गण्य बाद में भी जीवित रहा।

वर्तमान समय की बहुत सी जातियों की उत्पत्ति प्राचीन गणराज्यों में हुई जा सकती है। पंजाब के आरट्ट और क्षत्रिय (क्सेथोई) गण इस समय के अरोड़े और खत्री जातियों में बदल गये। कौटलीय अर्थशास्त्र का श्रेष्ठि गण इस समय के सैनियों के रूप में अब भी जीवित है। बौद्ध काल के पिप्पलिवन के मोरिय इस समय भी मोरई जाति के रूप में विद्यमान हैं। प्राचीन रोहितक गण इस समय के रस्तोगियों, कस्तगियों व रोहतगियों के रूप में, आप्रेवगण अप्बालों के रूप में, कंबोज गण कंबो जाति के रूप में, कोलिय गण कोरी जाति के रूप में और अर्जुजनावन गण अरावन जाति के रूप में इस समय भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण पेश किये जा सकते हैं, पर हमारे विषय को स्पष्ट करने के लिये ये ही पर्याप्त हैं।

भारत की बहुत सी वर्तमान जातियों में यह किंबदंती चली आती है, कि उनका उद्भव किसी प्राचीन राजा से हुआ है। वे किसी राजा की संतान हैं, और किसी समय उनका भी पृथिवी पर राज्य था। ये किंबदंतियाँ इसी सत्य पर अधिष्ठ हैं, कि किसी समय ये जातियाँ स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में विद्यमान थीं और ये इन गणराज्यों की ही उत्तराधिकारी हैं। जो

गण्य वार्ताशोपजीवि थे, उनकी शोपजीविता को इस युग में आवश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि वे शक्तिशाली सभाओं की अधीनता व संरक्षण में आ गये थे। अब वे केवल वार्तापजीवि रह गये, और मुख्यकर्मानुसार वर्णविभाग करने पर उनकी गलना चेश्यां में की जाने लगी। अग्रवाल, रस्तोगी आदि सभी ऐसी ही वैश्य जातियाँ हैं। किसी समय रोहितक और आपेय गण्यों ने सिकंदर की सेनाओं का डट कर मुकाबला किया था पर अब उन में उत्तराधिकारी केवल वार्तापजीवि ही रह गये हैं।

गण्यों की जातियों के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का प्रारंभ होना इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। सात्वतो और कारुषों को तरह चाहे उस समय के स्मृतिकार उन्हें ब्राह्म्य वैश्य कहें और चाहे लिच्छवि और मल्लों की तरह ब्राह्म्य क्षत्रिय, पर महत्त्व की बात यह है, कि प्राचीन समय के स्वतंत्र गण्य इस समय जातियों के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो गये थे।

शुद्ध आर्य जनपदों में जो चारों वर्णों का भेद था, वह भी बहुत कुछ कर्म के ऊपर आश्रित था। वर्ण पूर्णतया जातिभेद को सूचित नहीं करते थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह इस युग में जारी थे। ऊँचे वर्ण के लोग अपने से नीचे वर्ण की स्त्रियों के साथ विवाह कर सकते थे। इसी तरह, ऊँचे वर्ण की स्त्रियों का निचले वर्ण के पुरुष के साथ विवाह भी असाधारण बात नहीं थी। इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति में हिस्सा भी मिल सकता था। पुराने समय के ब्राह्मणों के बहुत से वंशज ऐसे कार्यों में भी लगे हुए थे, जो तुच्छ और नीचे कर्म समझे जाते थे। मनुस्मृति में ऐसे ब्राह्मणों की सूची दी गई है, जिन्हें आह्न में नहीं बुलाना चाहिये। इस सूची में से कुछ को यहाँ उद्धृत करना उपयोगी है। चिकित्सक, पुजारी, मांस बेचने वाले, बुरे प्रकार का व्यापार करने वाले, राजा के

हरकारे का काम करने वाले, सूदखोर, पशुपालक, नट नर्तक, तेली, शराबी, विष बेचने वाले, नुष और चाण बनाने वाले, जुबारी, हाथी, बैल, घोड़े और उँटा को साधने वाले, भिखारी, कुत्तों को पालने वाले, चात्र पालनेवाले, भिखारी, कृषि-जीवी, मेड़ों और भैंसों का राजद्वार करनेवाले और मुर्दा ढोने वाले—ये तथा अन्य इसा प्रकार के कर्म करनेवाले बहुत से ब्राह्मण मनुस्मृति में ऐसे गिनाये गये हैं, जिन्हें ब्राह्म के अवसर पर नहीं बुलाना चाहिये। इससे प्रतीत होता है, कि इस मौर्य-समय युग में ब्राह्मण वर्ण के लोग केवल विद्या पढ़ने पढ़ाने और यज्ञ करने कराने में ही व्यापृत नहीं रहते थे, अपितु अनेक प्रकार के मुच्छ तथा नीच कर्मों द्वारा भी अजीविका चलाते थे। आर्य जनपदों में चार्मिक अनुष्ठानों तथा विधि-विधानों के विरोध होने के कारण जिस पृथक् ब्राह्मण श्रेणि या वर्ण का विकास हुआ था, उसके वंशज अब सब प्रकार के ऊँच-नीच कर्मों द्वारा अपना पेट पालने लगे थे। पर वे असली ब्राह्मण नहीं हैं, यह भावना इस काल में विश्वमान थी। शाक्य इसी-लिये आगे चलकर भारत में नाथ, माली, महाब्राह्मण भिखारी, नट, वैद्य, योगी आदि जिन विविध जातियों का विकास हुआ, वे ब्राह्मणों का गौरवमय पद नहीं पा सकीं। यद्यपि वे अब तक भी अपने को ब्राह्मण ही समझती हैं, और अपने को ब्राह्मण वर्ण का होने का दावा हलक़े तौर पर करती रही हैं।

आर्यों के अधीन जो बहुत से आर्य-भिन्न शूद्र व दास लोग थे, वे सेवा द्वारा ही अपना पेट पालते थे। पर सेवा का मतलब घरेलू नौकरी से नहीं है। आर्य गृहपतियों के अधीन चर्मकार, तंतुवाय, शिल्पी, लुहार आदि विविध प्रकार का कार्य करनेवाले सब तरह के दास रहते थे। धीरे-धीरे इनकी भी पृथक् जातियाँ बनने लगीं। दासों व शूद्रों का अपना कोश

स्वाधीन जीवन तो था ही नहीं। उनका कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहपतियों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही था। इनमें यदि कोई भेद था, तो केवल पेशे व कर्म का था। अन्यथा शूद्र रूप में इन सबको स्थित एक थी। चमार, जुलाहे, लुहार, शिल्पकार आदि जो बहुत सी छोटी समझी जाने वाली जातियाँ इस समय भारत में हैं, उनका विकास इसी प्रकार हुआ। ये जातियाँ पंजाब में बहुत कम संख्या में हैं, क्योंकि वहाँ के आर्य जनपदों में आर्यभिन्न लोगों की संख्या बहुत कम थी। शूद्र व दास इससे अधिक संख्या में ही ही कैसे सकते थे? पर पूर्व व दक्षिण के आर्यशासित जनपदों में ये जातियाँ बहुत अधिक थीं, इसीलिये इनमें नीच समझी जाने वाली जातियाँ अब भी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। वर्तमान समय की अशुद्ध व नीच जातियाँ प्राचीन भारत के दासों की ही उत्तराधिकारी हैं।

स्नान-पान के संबंध में विशेष विचार इस युग में नहीं था। पतञ्जलि के महाभाष्य के अनुसार कुछ जातियाँ ऐसी थीं, जो पात्र से निरवसित थीं, अर्थात् उनके बरतनों में आर्य लोग भोजन नहीं करते थे, और न उन्हें अपने बरतनों में स्त्रिलाते थे। पर शकों और यवनों की गिनती इन पात्र निरवसित लोगों में नहीं थी। केवल चांडाल, निपाद् आदि बहुत नीचा समझी जाने वाली जातियों से ही यह व्यवहार किया जाता था।

(४) भिक्षु जीवन के विरुद्ध भावना

आत्ममध्यवस्था आर्य जीवन और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ अवस्था होना चाहिये। जो विद्वान हों, ब्राह्मण हों, उन्हें वानप्रस्थ के बाद संन्यासी होकर जनता की सेवा करनी चाहिये। संन्यासी को अपने भरण-पोषण के लिये गृहस्थों पर निर्भर रहना

होता है, इसीलिये केवल उन्हीं लोगों को इस आश्रम में प्रवेश का अधिकार है, जो स्वयंमुच जननेवा जैसे पवित्र और देव्य जत्र का पालन करने के योग्य हों। पर बौद्ध और जैन संप्रदायों में भिक्षु बनने के लिये इस आर्द्रा का पालन नहीं किया जाता था। इनमें संदेह नहीं, कि शुरु में भिक्षुसंघ का संगठन मनुष्य मात्र के कल्याण और सब प्राणियों के हितसाधन के लिये किया गया था। अपने आर्षमार्ग के प्रचार के लिये भी महात्मा बुद्ध ने लोगों को भिक्षु बनने की प्रेरणा की थी। पर इसका दुरु-पयोग सुगमता से हो सकता था। धीरे-धीरे बहुत बड़ी संख्या में युवा और बुढ़, माझाग, सत्विन, वैश्य, और शुद्ध सब प्रकार के लोग भिक्षु बनने लगे। उन्हें अपनी आजीविका के लिये स्वयं परिश्रम करने की कोई आवश्यकता न थी। धनी और राजा लोग इनके पालन के लिये धन को पानी की तरह बहाते थे। समाज के लिये इस प्रकार के लोगों की एक बहुत बड़ी श्रेणी बड़े खतरे की बात थी। राजा अशोक से पहले भी आचार्य चाणक्य ने इस खतरे को अनुभव किया था। उसने व्यवस्था की थी, कि भिक्षु या परिव्राजक होने के लिये राज्य का अनुमति लेना आवश्यक होना चाहिये। जिन लोगों ने अपने परिवार के पनि सब कर्तव्यों का पालन कर लिया हो, जो संतान की उत्पत्ति के योग्य हों, उन्हीं को विशेष दशा में भिक्षु बनने की अनुमति साकार द्वारा मिलनी चाहिये।

अब इस मीर्योत्तर काल के विचारकों ने भी इसी विचार-धारा का अनुसरण किया। गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में उंचा है, उसीसे सब वर्णों व आश्रमों का पालन होता है, इस विचार पर इस समय बहुत जोर दिया जाने लगा। मनु ने कहा, जैसे वायु का आश्रय पाकर सब जंतु जीते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ का आश्रय पाकर सब आश्रमों का गुजारा चलता है। क्योंकि

अन्य तीन आश्रमों का गृहस्थ ही प्रतिदिन ज्ञान और अन्न से पोषण करता है, इसलिये वादी आश्रम सब में व्येष्ट है। इसी विचार को महाभारत के शांति पर्व में इस प्रकार प्रकट किया गया, कि जैसे नदी नाले सब अंत में समुद्र में ही जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों का आश्रय गृहस्थ ही है। मनु के अनुसार, एक आश्रम से क्रमशः दूसरे में प्रवेश कर, यज्ञासमय होम-इवन आदि अनुष्ठानों को संपादित कर पूर्ण जितेंद्रिय हो, बाद में परित्राजक होना चाहिये। पितृश्रद्धा, श्रुति-श्रद्धा और देवश्रद्धा, तीनों को चुका कर तब मोक्ष की ओर मन लगाना चाहिये। तीन श्रद्धाओं को चुकाये बिना मोक्ष के लिये प्रयत्न करने वाले का पतन होता है। ब्रह्मचर्य में वेद बिना पड़े, गृहस्थ में संतान बिना उत्पन्न किये और ज्ञानप्रस्थ में यज्ञानुष्ठान किये बिना जो सीधा मोक्ष के लिये दौड़ता है, वह भीषे की तरफ को ही गिरता है। हर एक मनुष्य को भिक्षु या मुनि बन कर निर्वाण या केतवोपद के लिये प्रयत्न करने लगे जाने के विरुद्ध इससे चढ़कर युक्ति और क्या हो सकती है ? यह स्पष्टरूप से उस प्रतिक्रिया को सूचित करता है, जो इस युग में भिक्षु जीवन के विरुद्ध बल पकड़ रही थी।

महाभारत के शांतिपर्व में कथा आती है, कि महाभारत युद्ध के बाद अपने गुरुजनों तथा संघु-बांधवों का सत्य देखकर युधिष्ठिर के मन में बड़ी चिन्ता हुई। उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह राजपाट छोड़कर संन्यास के लिये तैयार हो गया। इस पर इनके भाई उसे समझाने लगे। इस प्रकरण में महाभारतकार ने भीम के मुख से भिक्षु जीवन के विरुद्ध अपने विचारों को मवाक के रूप में प्रकट किया है। वह कहता है, जब कोई आफत आ पड़े, मनुष्य बूढ़ा हो जाये, या शत्रुओं से उसकी दुर्गति हो जाय, तभी संन्यास ले लेना चाहिये। मीन धारण

करके, केवल अपना पेट भरने हुए, धर्म का डोंग रचकर मनुष्य नीचे ही गिर सकता है। धर्मला आदमी, जिसे पुत्र-पौत्रों का भरण-पोषण न करना हो, देवताओं, ऋषियों, अतिथियों व पितरों का पालन न करना हो, जंगल में सुख से रह सकता है। जंगलों में रहने वाले न तो वे मृग स्वर्ग को पाते हैं, न सुखर और न पत्तों। यदि संन्यास में कोई सिद्धि पा सके, तो पहाड़ और वृक्ष सुरंग ही सिद्धि पा सें। भीम की ये युक्तियाँ उस समय के भिक्षुओं के जीवन का कितनी सुंदरता से उपहास करती हैं।

फिर अर्जुन ने कुछ वापसी और पत्ती बने हुए इन्द्र का एक पुरातन इतिहास सुनाकर कहा—जंगलों में इस तरह सुख से जीवन बिताया जा सकता है, यह सोच कर कुछ अजात-रथशु (बिना दाढ़ी मूँह के) डिज पर चार छोड़ कर संन्यासी हो गये थे।

स्त्रियों के भिक्षुनी बनने के तो ये विचारक और भी खिलाफ थे। श्रोक से पहले ही इस संबंध में नीतिकारों की भावना बड़ी उग्ररूप में इस बात के विरुद्ध थी। स्त्रियों का प्रजापत काय संवानीत्ववि द्वारा समाज की जनसंख्या बढ़ाना है, नीतिकार इस बात पर बड़ा जोर देते थे। इसलिये उनका भिक्षुनी बन कर विहारों में बैठ जाना उन्हें सझ नहीं था। भिक्षुनी व प्रव्रजिता स्त्रियों को इस युग में बहुत नीची दृष्टि से देखा जाने लगा था।

वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में धर्म का नेतृत्व जिन ब्राह्मणों के हाथ में आया था, वे संन्यासी व भिक्षु बने बिना ही, गृहस्थ रहते हुए अपने कर्तव्यों का संपादन करते थे। भिक्षु जीवन सबसे उच्च है, गृहस्थ लोग सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्षसाधन नहीं कर सकते, यह विचार बौद्धों और जैनो में बहुत जोर पकड़े हुए था। इस समय इसके विरुद्ध

प्रतिक्रिया हुई। गृहस्वात्मन सबसे उत्तम और महत्त्वपूर्ण है, गृहस्व रहते हुए ही मनुष्य धर्म और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर सकता है, इस भावना का इस युग में फिर उदय हुआ।

(५) विवाह संबंधी नियम

सौर्य युग में तलाक की प्रथा प्रचलित थी। कौटिलीय आर्ष-शास्त्र में तलाक से लिये 'मोक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री और पुरुष, दोनों वास-वास व्यवस्थाओं में तलाक कर सकते थे। पर इस युग में यह प्रथा कमजोर पड़ गई थी। मनु-स्मृति के अनुसार पुरुष स्त्री का त्याग कर सकता है, पर त्याग हो जाने से बाद भी वह पति की माया बना रहेगा। पति से त्यागी जाने पर स्त्री को यह अधिकार नहीं है, कि वह दूसरा विवाह कर सके। दूसरी तरफ स्त्री को यह अधिकार नहीं, कि वह पति का त्याग कर सके। स्त्री यदि रोगिली हो, तो उससे अनुमति लेकर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था।

नियोग की प्रथा इस समय में भी जारी थी। संतान न होने की दशा में देवर से या किसी अन्य सपिण्ड व्यक्ति के साथ नियोग किया जा सकता था। मनु की विधवा विवाह परमद नहीं था। वर्यारि कुल व्यवस्थाओं में स्त्रियों के पुनर्विवाह का विधान किया गया है, पर मनु का मतव्य नहीं था, कि स्त्री का दूसरा विवाह नहीं होना चाहिये।

यह स्पष्ट है, कि स्त्रियों की स्थिति इस युग में मौखिक काल की अपेक्षा अधिक हीन थी। आगे चलकर स्मृतिकार स्त्रियों की स्थिति को और भी हीन करते गये। परित्याग वह हुआ, कि वैदिक काल की स्त्रियों और बाद की स्त्रियों की स्थिति में भेद निरंतर पड़ता ही चला गया। बौद्ध लोगों में भिक्षुस्त्रियों ने

जो अपने पूर्वक संघ बनाये थे, उनमें अत्याचार की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। स्वयं महात्मा बुद्ध को इस बात का भय था। भिक्षुओं के अत्याचार को देखकर ही शायद इन स्मृतिकारों में यह प्रवृत्ति हुई थी, कि स्त्रियों की स्वाधीनता को कम करते जायें, और आर्य स्त्रियों को उनके पतिव्रतों का अधिक से अधिक बंधन बनाते जायें।

(६) अहिंसावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया

बौद्ध और जैन धर्मों ने अहिंसा पर बहुत बल दिया था। किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिये, मांस भक्षण नहीं करना चाहिये और प्राणिमात्र की रक्षा के लिये सदा तत्पर रहना चाहिये, ये इन धर्मों के सिद्धांत थे। यज्ञों में पशुबलि के विरुद्ध इन्होंने प्रबल आवाज उठाई थी। अशोक जैसे राजाओं ने अपने जीवन में अहिंसा के आदर्श का पालन कर अपनी प्रजा को भी इसी का उपदेश दिया था।

पर अन्तर्गत यज्ञ के पुनरुत्थान के इस युग में अहिंसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। महाभारत में एक संदर्भ आता है, जिसमें 'जीवो जीवस्य भोजनम्' के सिद्धांत का बड़ी सुंदर रीति से प्रतिपादन किया गया है। हम प्रकृति में देखते हैं, कि एक जीव को दूसरा जीव खाता है। उसे अन्व जीव खाता है। सैकड़ों इस प्रकार के दृष्टांत देखकर महाभारतकार कहता है, कि जीव ही जीव का भोजन है। निर्जीव पदार्थों को खाकर कोई जीव प्राणधारण नहीं कर सकता, अतः यह प्रकृति का ही नियम है, कि जीव जीव को खाकर जीवित रहे। फिर हिंसा में क्या दोष है ?

मनुस्मृति में भी मांस भक्षण का विधान है। मनु महाराज कहते हैं, जाइयों को यज्ञ के लिये प्रशस्त सुगों और पक्षियों को

मानना चाहिये। पुराने समय में भी चर्ही प्रथा थी। बलशेष मांस को स्वर्ण खाना चाहिये। समानारव की बुद्धि को भी मनु ने दोहराया है। पलापति ने जो कुछ स्वाधर और गंगम रखा है, सब प्राणियों का अन्न भोजन है। चरों के अन्न अधर है। दाढ़ वालों के अन्न बिना दाढ़ के घायी है, हाथ वालों के अन्न हस्तान प्राणी है, और शूरी के अन्न भीरु है। खाने योग्य प्राणियों को खाने से खानेवाला दूषित नहीं होता। विद्याला ने ही खाने वाले और खाने योग्य प्राणी बताया है।

पर अहिंसा के संबंध में बौद्ध और जैन धर्मों का इस युग के स्मृतिकारों व विचारकों पर कोई प्रभाव न हो, यह बात नहीं है। मनुस्मृति व इस युग के अन्य ग्रंथों में ब्रह्म हिंसा का विरोध किया गया है। ब्रह्म में हिंसा करने से पाप नहीं लगता। विद्विही हिंसा हिंसा न भवति' यह विचार इस समय में फिर प्रबल हुआ। पर ब्रह्म के बिना, अकारण हिंसा तुरी बात है। यह स्मृतियों को भी अभिप्रेत था।

बौद्ध विचारों का ही यह प्रभाव था, कि मांस भक्षण संबंधी अपने विचारों को मनु ने इस प्रकार प्रकट किया कि मांस भक्षण में दोष तो कोई नहीं, आखिर यह जंतुओं की न्यायाधिक प्रवृत्ति है, पर यदि इसको न खाया जाए तो बड़ा उत्तम फल होता है। मांस भक्षण इस युग में बहुत अच्छा समझा जाता ही, सो बात नहीं थी। एक अन्य स्थान पर मनु ने लिखा है—प्राणियों को हिंसा किये बिना मांस प्राप्त नहीं होता, और प्राणियों का धन करना कोई अच्छी बात नहीं अतः मांस नहीं खाना चाहिये। इसका अभिप्राय यही है, कि प्राचीन सनातन धर्म के मुनिकल्पान के इस युग में यज्ञों में पशुहिंसा करने, शाद आदि धार्मिक अनुष्ठानों में मांस का भक्षण करने और बलशेष रूप से मांस को खाने का तो स्मृतिकार प्रतिपादन कर

रहे थे, पर व्यवहृत हिंसा के विरुद्ध जो भावना बौद्ध काल में उत्पन्न हुई थी, उसका प्रभाव अभी शेष था। यह प्रभाव भारतीय धर्म पर सदा के लिये स्थिर सा हो गया। भागवत वेदगुह्य धर्म के अनुयायी बौद्धों और जैनों के समान ही अहिंसावादी थे। यज्ञों में प्राचीन परिपाटी के अनुसार एक विशेष अनुष्ठान के रूप में हिंसा कर लेना दूसरी बात है, वस्तुतः वह वैदिकी हिंसा हिंसा ही नहीं है। पर अन्वय पशुओं को मारना भारत में फिर अच्छा नहीं समझा गया।

बौद्धों के अहिंसावाद का ही यह प्रभाव था, कि मनु ने समाह्वय को रोकने का आदेश दिया। समाह्वय वे उत्सव थे, जिनमें पशुओं को लड़ाया जाता था। भारतीय लोग बहुत बड़ी संख्या में एक स्थल मैदान में इकट्ठे होते थे, और वहाँ पशुओं की लड़ाई कराई जाती थी। भैंस, भेड़ें और यहाँ तक कि मुर्गा और बटेरों को भी लड़ाया जाता था। लोग ये लड़ाइयाँ देख कर बड़े प्रसन्न होते थे। वात्स्यायन के कामसूत्र में इनका उल्लेख आता है। पहले जमाने में इन्हीं का 'समाह्वय' कहा जाता था। राजा अशोक ने इस प्रकार के समाह्वयों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। मनु को भी ये पसन्द नहीं थे। क्योंकि उनमें भी व्यवहृत हिंसा होती थी। //

(७) दास प्रथा का हास

मौर्य काल में भारत में दास प्रथा प्रचलित थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र में दास संबंधी कानूनों का विस्तार से वर्णन किया गया है। दासों का वात्स्यायना क्रय-विक्रय होता था। प्रतीत होता है, कि इस मौर्योत्तर युग में इस प्रथा का हास होना शुरू हो गया था। स्मृति ग्रंथों में दासों के क्रय-विक्रय या उनके साथ संबंध रखने वाले कानूनों का कोई विशद विवरण उपलब्ध

नहीं होता। शूद्र इस समय में भी थे। पर शूद्र और दास में भेद है। शूद्र का कय-विकय नहीं होता था, और न वह कर्ष चुका कर मुक्ति प्राप्त कर सकता था।

ऐसा प्रतीत होता है, कि मौर्यों के पतन के बाद की उथल-पुथल के कारण जो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसने भारत में दास प्रथा का हास कर दिया। इस उथल-पुथल के युग में कोई भी धीर साहसी पुरुष समाज के अग्रे बढ़ सकता था। ऊँच-नीच की पुरानी बाधाएँ शिथिल हो रही थीं। इस दशा में यदि दास प्रथा भी अपने पुराने रूप में कायम न रह सके हो, तो आश्चर्य की क्या बात है।

(६) वास्तु और मूर्तिकला

इस मौर्योत्तर युग की बहुत सी मूर्तियाँ, गुहामंदिर और स्तूप इस समय उपलब्ध होते हैं, जिनसे हम समय की वास्तु और मूर्तिकला पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। भारत का प्रसिद्ध स्तूप, जिसके तोरण और जंगलों के अवशेष कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित रखे हैं, शुंग काल में बना था। इसके एक तोरण पर यह उत्कीर्ण है, कि वह स्तूप शुंगों के राज्य में बना था। बोधगया के मंदिर के चारों ओर भी एक जंगली इस युग में बना। उस पर अहिच्छत्र के राजा इन्द्रमित्र और मथुरा के राजा ब्रह्ममित्र की रानियों के नाम उत्कीर्ण हैं। ये दोनों राजा शुंगों के सामंत थे। इससे यह सूचित होता है कि बोधगया के प्रसिद्ध मंदिर के अनेक प्राचीन अंश भी शुंग काल की कृति थे। साँची के प्राचीन स्तूप के अनेक अंश भी इस काल में बने। वहाँ के बड़े स्तूप के दक्षिणी तोरण पर राजा सातकर्षि का नाम उत्कीर्ण है। भारत, साँची, बोधगया आदि के ये प्राचीन विशाल स्तूप बहुत काले समय में

धीरे-धीरे बनते रहे। उनके निर्माण का प्रारम्भ मौर्य काल में ही हो गया था, पर शंग और सातवाहन राजाओं के समय में उनमें निरन्तर वृद्धि होती चली गई, और जिन विविध दानियों के दान से जो जो अंश समय पर बनते गये, उनका नाम बहुधा उन पर कर्षोर्ष भी कर दिया गया।

इस युग के बहुत से गुहामंदिर उड़ीसा और महाराष्ट्र में विद्यमान हैं। पहाड़ को काट कर उसके अंदर से विशाल मंदिर, बिहार या चैत्य खोद गये हैं। ऊपर से देखने पर ये पहाड़ ही प्रतीत होते हैं। पर द्वार से अंदर जाने पर विशाल भवन दिखाई पड़ते हैं, जिनमें पहाड़ को गुहा को काट-काट कर वाक्रायज्ञ सुंदर भवनों के रूप में बनाया गया है। उड़ीसा के ये गुहामंदिर सब जैनों के हैं। इनमें हाथीगुम्फा का गुहामंदिर सबसे प्रसिद्ध है, वही कलिंग चक्रवर्ती खारवेल का सुप्रसिद्ध शिलालेख पाया गया है। हाथीगुम्फा के अतिरिक्त मंचापुरी गुम्फा, रानीगुम्फा, गणेशगुम्फा, जयविजय गुम्फा, अजफापुरी गुम्फा आदि और भी कितने ही गुहामंदिर उड़ीसा में पाये गये हैं। मंचापुरी गुम्फा में खारवेल की रानी का तथा राजा बभ्रुवर्ष श्री का लेख पाया गया है। वह समस्त खारवेल का कोई वंशज था। राम गढ़ में सीतादेवी नाम से एक गुहामंदिर उपलब्ध हुआ है, जिसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं था। वह एक प्रेक्षागार था, और यही कारण है, कि उसकी दीवार पर किसी रामक कवि का एक छंद खुदा हुआ है। सातवाहन के पदोन्नत में ही जौली-मारु का गुहामंदिर है, जो प्राचीनकाल में बहग देवता का मंदिर था।

महाराष्ट्र के गुहामंदिरों में अजंठा की गुफाएँ सब से प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। इनमें भी गुहा सं० १० सब से पुरानी समझी जाती है। अजंठा के ये गुहामंदिर भारतीय वास्तुकला

और चित्रकला के अनुपम उदाहरण हैं। पहाड़ों को काट कर बनाये गये विशाल गुहामंदिरों की दीवारों पर इतने सुंदर रंगीन चित्र बनाये गये हैं, कि हज़ारों साल बीत जाने पर भी वे अपने आकर्षण में उरा भी कम नहीं हुए। अजंता की इन प्रसिद्ध गुहाओं का निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ था। अजंता के अतिरिक्त, महाराष्ट्र में वेडसा, नासिक, काले, जुजर फोडाने आदि अनेक स्थानों पर इस काल के गुहामंदिर विश्रमान हैं। नासिक के एक गुहामंदिर में एक लेख है, जिसके अनुसार उसे सातवाहन कुल में राजा कण्ह के समय उसके महामात्र ने बनवाया था। राजा कण्ह सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक का भाई था, और उसके बाद प्रतिष्ठान का राजा बना था। इसका समय तीसरी सदी ई० पू० में था, और यह स्पष्ट है, कि नासिक का यह गुहामंदिर तीसरी सदी ई० पू० में ही बना था। वेडसा और काले के प्रसिद्ध गुहामंदिर इसकी सन के शुरु होने से पूर्व ही बन चुके थे। सातवाहन राजाओं को गुहानिर्माण का बड़ा शौक था। उन्हींके शासनकाल में महाराष्ट्र की ये विशाल गुहायें निर्मित हुईं। मौर्य युग में भी गुहामंदिर बनने प्रारंभ हो गये थे। पर वे अधिक विशाल नहीं होते थे। बिहार की बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में, मौर्य सम्राट अशोक और पृथरय के समय के जो गुहामंदिर हैं, वे बहुत छोटे छोटे हैं। पर सातवाहन राजाओं की प्रेरणा और संरक्षण से मौर्योत्तर युग में जो गुहामंदिर बने, वे बहुत ही विशाल हैं। वे तो पूरे बौद्ध बिहार हैं, जिन्हे भूमि के ऊपर लकड़ी, पत्थर या ईद से बनाने के बजाय पहाड़ काट कर गुहा को अंदर से खोद कर बना दिया गया है।

इस काल की मूर्तियाँ भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होती हैं। भारहुत और सचिी के स्तूपों के जंगलों और खोरखों में

पत्थर काट-काट कर बहुत सी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। गुहा मंदिरों की दीवारों पर भी खोद कर बनाई गई मूर्तियाँ पाई जाती हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ संबंध रखने वाली घटनाओं को मूर्ति बना कर अनेक स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है।

मूर्तिकला की दृष्टि से इस युग की प्रधान घटना गांधारी शैली का प्रारंभ है। यवनों ने गांधार में जो अपने राज्य कायम किये थे, उनके कारण यूनानी लोगों और भारतीयों का परस्पर संबंध बहुत पतित हो गया था। वह स्वाभाविक था, कि यूनानी (ग्रीक) कला का भारतीय कला पर असर पड़े। गांधार के ये यवन, शक और युद्धि राजा बाद में बौद्ध व अन्य भारतीय धर्मों के अनुयायी हो गये थे। भारतीय भाषा और संस्कृति को उन्होंने बहुत अंशों में अपना लिया था। इसलिये यूनानी और भारतीय मूर्तिकलाओं के सम्मिश्रण से तिस अपूर्व सुंदर मूर्तिकला का प्रारंभ हुआ, उसे गांधारी शैली कहते हैं। इस शैली को मूर्तियाँ बहुत सुन्दर व परिमार्जित हैं। धीरे धीरे यह शैली गांधार से मथुरा आदि होती हुई मुद्र आदि में अमरावती तक पहुँच गई। भारत में दूर-दूर तक इस शैली की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं।

गांधार शैली का प्रारंभ पेशावर से हुआ था। इस प्रदेश पर यवनों का प्रभाव बहुत अधिक था। मौर्यों के पतन के समय से अशकानिल्लान और गांधार के प्रदेश यवनों के शासन में आ गये थे, और यवनों की शक्ति के लोप होने पर भी यहाँ शक और कुराण सहस्र विदेशियों का राज्य रहा था। ये विदेशी श्रेष्ठ उन पश्चिमीय देशों से भारत में प्रविष्ट हुए थे, जहाँ यवनों (ग्रीकों) की भाषा, सभ्यता और कला का बहुत प्राधान्य था। ग्रीक लोग मूर्ति निर्माण कला में बहुत प्रवीण थे।

इसको उनकी अपनी पृथक् शैली थी। गांधार देश में होने वाले भूरे रंग के पत्थरों का गांधार शैली की मूर्तियों में प्रयोग होता था। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का मुख्य तत्त्व निष्पत्ति थी। पर महायान के अनुयायी भक्ति और उपासना पर बल देते थे। इसके लिये बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। पेशावर के कारीगरों ने हजारों की संख्या में मूर्तियाँ बनाईं, और धीरे-धीरे ये सारे भारत में फैल गईं। गजन प्रभाव के होते हुए भी इन मूर्तियों पर भारतीय आध्यात्मिकता की गहरी छाप है। बुद्ध के सुलसंछल पर एक अनुपम तेज प्रदर्शित किया जाता है, जिसको अनुभूति निर्वोच्य की भावना से ही हो सकती है। गांधार शैली की बहुत सी मूर्तियाँ काले सलेटी पत्थर की भी हैं।

पेशावर से यह कला मथुरा में गई। इस युग में मथुरा मूर्तिकला का सब से बड़ा केन्द्र था। कनिष्क का साम्राज्य बलु नदी से पाटलीपुत्र तक विस्तृत था। मथुरा इस विशाल साम्राज्य के मध्य में था, कुशाखों के सुत्रप यहाँ शासन करते थे। यहाँ की मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनाई गईं हैं, जो आगरा के समीप प्रभूत परिमाण में उपलब्ध होता था। मथुरा की कला पर गांधार शैली का प्रभाव अवश्य है, पर उसे पूर्णतया गांधार शैली की नकल नहीं कहा जा सकता। इसमें सन्देह नहीं, कि मथुरा के आर्य शिल्पियों ने पेशावर की रचनाओं को दृष्टि में रख कर एक मौलिक शैली का विकास किया था, जो बाल और आभ्यन्तर दोनों दृष्टियों से शुद्ध आर्य प्रतिमा को भलो-भाँति प्रगट करती थी। भारतीय कल्पना में एक परमयोगी के मुख पर जो दैवी भावना होनी चाहिये, उसकी वृत्ति किस प्रकार अतिसूक्ष्म होनी चाहिये और उपासक के हृदय में अपने उपास्य देव का कैसा लोकोत्तर रूप होना चाहिये—इस सबको

पत्थर की मूर्ति में उतार कर मथुरा के नए शिल्पी चिर बरा के भागी हुए हैं।

इस काल में मथुरा में जो मूर्तियाँ बनीं, वे अनेक प्रकार की थीं। प्राचीन भारत में यह परिपाटी थी, कि प्रत्येक राजवंश अपना एक 'देवकुल' स्थापित करता था। इसमें वृत्त राजाओं की मूर्तियाँ रखी रहती थीं। शैशुनाग वंश के राजाओं की मूर्तियाँ ऐसे ही देवकाल के लिये मथुरा में बनी थीं, क्योंकि यह नगर बहुत पुराने समय से मूर्तिकला का प्रसिद्ध केंद्र बना आ रहा था। इस युग में कुशास राजाओं की मूर्तियाँ भी मथुरा में बनीं। ऐसी अनेक मूर्तियाँ अब भी उपलब्ध होती हैं। खेद की बात है, कि वे सभी प्रायः बर्हिद्वित बरा में हैं। इनमें सम्राट् कनिष्क की मूर्ति विशेष महत्त्व की है, उसकी पोशाक में लम्बा कोट और पायजामा है, और इसका आधार बड़ा विशाल है।

मथुरा में बनी इस युग की एक मूर्ति इस समय कारी के कलामखन में सुरक्षित है। यह मूर्ति एक स्त्री की है, जो असाधिका का काम करती थी। इसका मुल गंभीर, प्रसन्न व सुन्दर है। नेत्रों में विमल चंचलता है। सब अंग अत्यंत अत्यंत सुन्दर हैं, और खड़े होने का अंग बहुत सरल और अकृत्रिम है। उसके दायें हाथ में शृंगारदान है, जिसमें सुगंधित जल रखा जाता था। बायें हाथ में एक पिटारी है, जिसका दकना कुल सुजा हुआ है, और एक पुष्पमाला थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। यह स्त्री शृंगार की सामग्री लेकर किसी रानी व अन्य सम्पन्न महिला का शृंगार करने के लिये प्रस्थान करने की उद्यत है। मथुरा में इस प्रकार की मूर्तियाँ उपासना के लिये नहीं, अपितु सजावट के लिये बनती थीं।

बौद्ध धर्म के साथ संबंध रखने वाली मूर्तियाँ तो मथुरा में

हजारों को संख्या में बनती थीं। वे अथ मथुरा में तथा अल्प स्थानों पर बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध होती हैं। मथुरा की यह कला कुशाग्रों के बाद भी निरंतर उन्नति करती रही। गुप्तों के समय में इसका पूर्ण विकास हुआ और इसने वे उपलब्ध रत्न उत्पन्न किये, जिनके लिये कोई भी जाति व देश सदा के लिये अभिमान कर सकता है। गुप्तों के समय तक मथुरा की मूर्तिकला से गांधार शैली का प्रभाव विनाकुल हट गया था और वह बुद्ध आर्य रूप में आ गई थी।

मूर्तिकला के अतिरिक्त चित्रकला की भी इस युग में अच्छी उन्नति हुई। अजंता की गुहाओं में सर्वा और दूसरी गुहा के चित्र इस युग की कृतियाँ हैं। इनमें भगवान् बुद्ध की जीवनी की अनेक घटनायें व जातक कथाओं के अनेक कथानक चित्र रूप में चित्रित हैं। इस कला का भी सर्वोत्तम विकास गुप्त काल में हुआ। हम उस पर बधास्थान प्रकारा जाते हैं।

अठारहवाँ अध्याय पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राट् (१) गुप्तवंश का प्रारंभ

गुप्तकुल भारत के प्राचीन राजकुलों में से एक था। मौर्य चन्द्रगुप्त ने गिरनार के प्रदेश में शासन के रूप में जिस राष्ट्रीय (प्रांत का शासक) की नियुक्ति की थी, उसका नाम वैश्य पुष्य गुप्त था। शुंगकाल के प्रसिद्ध भारहुत स्तंभ लेख में एक राजन विशदेव का उल्लेख है, जो गोप्तिपुत्र (गुप्तकुल की स्त्री का पुत्र) था। अन्य बहुत से शिलालेखों में भी इसी प्रकार के 'गोप्तिपुत्र' व्यक्तियों का उल्लेख है, जो राज्यों में विविध उच्च पदों पर नियुक्त थे। इसी गुप्त कुल के एक बीर पुरुष श्री गुप्त ने उस वंश का प्रारंभ किया, जिसने आगे चल कर भारत के बहुत बड़े हिस्से में मागध साम्राज्य का फिर से विस्तार किया।

कुशाण साम्राज्य के पतन के समय उत्तरी भारत में जो अठव्वन्धा उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठा कर बहुत से प्रान्तीय शासक व सामंत राजा स्वतंत्र हो गये थे। संभवतः इसी प्रकार का एक व्यक्ति यह श्री गुप्त था। उसने मगध के कुछ पूर्व में, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार नालंदा से प्रायः चालीस योजन पूर्व की तरफ, अपने राज्य का विस्तार किया था। अपनी शक्ति को स्थापित कर लेने के कारण उसने महाराज की पदवी धारण की। संभवतः, यह अच्युत शक्तिशाली और समृद्ध राजा था। चीनी बौद्ध यात्रियों के निवास के लिए इसने मृगशिक्रावन के समीप एक विहार का निर्माण कराया था और उसका खर्च चलाने के लिये चौबीस गाँठ प्रदान किये

थे। गुप्त लोग स्वयं बौद्ध नहीं थे, पर क्योंकि बौद्ध धर्मस्थानों का दर्शन करने के लिये बहुत से चीनी यात्री इस समय भारत में आने लगे थे, अतः यदि महाराजा श्रीगुप्त ने उनके आगम के लिये यह माहत्वपूर्ण दान किया हो तो यह सर्वथा संभव है। दो मुद्रायें ऐसी मिली हैं, जिनमें से एक पर 'शुतस्य' और दूसरी पर 'श्रीगुप्तस्य' लिखा है। संभवतः ये इसी महाराज श्रीगुप्त की थीं।

श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी महाराज घटोत्कच था। कुछ मुद्रायें ऐसी मिली हैं, जिन पर 'श्री घटोत्कच गुप्तस्य' या केवल 'घट' लिखा है। अनेक ऐतिहासिक इन्हें इसी महाराज का घटोत्कच की मानते हैं।

घटोत्कच के बाद महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम हुए। गुप्त वंश के पहले दो राजा केवल महाराजा कहे गये हैं। पर चंद्रगुप्त को महाराजाधिराज कहा गया है। इस से प्रतीत होता है, उसके समय में गुप्तवंश की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। प्राचीन समय में महाराजा विशेषण तो अचीनस्थ सामंत राजाओं के लिये भी प्रयुक्त होता था। पर महाराजाधिराज केवल ऐसे ही राजाओं के लिये प्रयोग किया जाता था, जो पूर्णतया स्वाधीन व शक्तिराजा शासक हों। प्रतीत होता है, कि अपने पूर्वजों के पूर्वी भारत में स्थित छोटे से राज्य को चंद्रगुप्त ने बहुत बढ़ा लिया था, और अनेक प्रदेशों को जीत कर महाराजाधिराज की पदवी ग्रहण की थी।

पाटलीपुत्र निश्चय ही चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया था। कल्याणवर्मा के उत्तराधिकारियों को जीतकर मगध तथा पश्चिम में संयुक्त प्रांत के बहुत से प्रदेशों को जीतकर चंद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था। इन्हीं विजयों और राज्यविस्तार की स्मृति में चंद्रगुप्त ने एक नया

संबन्ध बनाया था, जो गुप्त संवत् के नाम से ईतिहास में बसि ड है। मगध के उत्तर में लिच्छवियों का जो शक्तिशाली गणराज्य था, चंद्रगुप्त ने उसके साथ मैत्री और सहयोग का संबंध स्थापित किया था। कुशाण काल से इस प्रदेश की सब से प्रबल भारतीय शक्ति लिच्छवियों की ही थी। उन्होंने स्वयं भी कुछ समय तक पाटलीपुत्र को अपने अधिकार में रखा था, और उन्हीं की सहायता से अण्डसेन कर्स्फर ने सुंदरवर्मा को परास्त किया था। लिच्छवियों का सहयोग प्राप्त किये बिना चंद्रगुप्त के लिये अपने राज्य का विस्तार कर सकना संभव नहीं था। इस सहयोग और मैत्री भाव को स्थिर करने के लिये चंद्रगुप्त ने लिच्छवि कुमारी कुमारदेवी के साथ विवाह किया, और अन्य राजियों के अनेक पुत्र होते हुए भी लिच्छवि वीरिच (कुमारदेवी के पुत्र) समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ऐसा प्रतीत होता है, कि लिच्छवि गण में इस काल में राजा वंशक्रमानुगत हो गये थे। मगध राज्यों के ईतिहास में यह कोई अनहोनी बात नहीं है। कुमारदेवी लिच्छवि राजा की पुत्री और उत्तराधिकारिणी थी। इसीलिये चंद्रगुप्त के साथ विवाह हो जाने के बाद गुप्त राज्य और लिच्छविगण मिलकर एक हो गये थे। चंद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसका और कुमारदेवी का चित्र एक साथ दिया गया है। इन सिक्कों पर 'चंद्रगुप्त तथा श्री कुमारदेवी' दोनों का नाम भी एक साथ लिखा है। तथा सिक्कों की दूसरी तरफ 'लिच्छविगण' शब्द भी इस्कीर्ण है। इससे यह नतीजा निकलता है, कि लिच्छविगण और गुप्त वंश का पारस्परिक विवाह संबंध बड़े महत्त्व का था। इसके कारण इन दोनों का सम्बन्ध मिल कर एक हो गया था, और चंद्रगुप्त तथा श्री कुमारदेवी का सम्मिलित शासन इन प्रदेशों पर माना जाता था।

योगुप्त के वंशजों का शासन किस प्रदेश पर स्थापित हो गया था, इस संबंध में पुराणों में लिखा है, कि गंगा के साथ-साथ प्रयाग तक व मगध तथा अयोध्या में इन्होंने राज्य किया। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा किया था, अतः पुराणों का यह निर्देश उसके पूर्वजों के विषय में ही है। संभवतः, महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम बंगाल से प्रारंभ कर पश्चिम में अयोध्या और प्रयाग तक के विशाल प्रदेश का स्वामी था, और लिच्छवियों के सहयोग से ही इस पर अधापित रूप से शासन करता रहा था। इस प्रतापी गुप्त सम्राट् का शासनकाल ३१५ से ३२८ ईस्वी तक था।

(२) सम्राट् समुद्रगुप्त

चंद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे। पर गुण और वीरता में समुद्रगुप्त सबसे बड़ा-बड़ा था। लिच्छवि कुमारी भी कुमारदेवी का पुत्र होने के कारण भी उसका विशेष महत्व था। चंद्रगुप्त ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी चुना, और अपने इस निर्णय को राजसभा बुला कर सब सभ्यों के सम्मुख उद्घोषित किया। यह करते हुए प्रसन्नता के कारण उसके सारे शरीर में रोमांच हो आया था, और आँसुओं में आँसू आ गये, थे। उसने सबके सामने समुद्रगुप्त को गले लगाया, और कहा—तुम सचमुच आर्य ही और अथ राज्य का पालन करो। इस निर्णय से राजसभा में एकत्र हुए सब सभ्यों को परम प्रसन्नता हुई।

संभवतः चंद्रगुप्त ने अपने जीवनकाल में ही समुद्रगुप्त को राज्यभार सँभलवा दिया था। प्राचीन आर्य राजाओं की यही परंपरा थी। काण्विदास ने इसी काल के राजाओं की दृष्टि में रक्ष कर लिखा था, बुढ़ापे में वे मुनिवृत्ति ग्रहण करते हैं। चंद्रगुप्त के इस निर्णय से और लोगों को चाहिए

कितनी ही खुशी हुई ही, पर उसके अन्य पुत्र इनसे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने समुद्रगुप्त के विरुद्ध विद्रोह किया। इनका नेता चाप था। प्रतीत होता है, कि उन्हें अपने विद्रोह में सफलता भी हुई। चाप के नाम के कुछ सोने के सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। इनमें गुप्तकाल के अन्य सोने के सिक्कों की अपेक्षा सोने की मात्रा बहुत कम है। इससे अनुमान होता है, कि भाइयों को इस कलह में राज्यकोष के ऊपर बुरा असर पड़ा था, सब जगह अभावस्था मच गई थी और इसी लिये चाप ने अपने सिक्कों में सोने की मात्रा को कम कर दिया था।

पर चाप देर तक समुद्रगुप्त का मुकाबला नहीं कर सका। समुद्रगुप्त अनुपम वीर था। उसने शीघ्र ही भाइयों के इस विद्रोह को शांत कर दिया, और पाटलीपुत्र के सिंहासन पर दृढ़ता के साथ अपना अधिकार जमा लिया। चाप ने एक साल के लगभग राज्य किया।

गृहकलह को शांत कर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिये संघर्ष प्रारंभ किया। इस विजययात्रा का चरम प्रयाग में अशोक मौर्य के प्राचीन स्तंभ पर चढ़े सुन्दर ढंग से उत्कीर्ण है। सबसे पहले आर्यावर्त के तीन राजाओं को जीत कर अपने अधीन किया गया। इनके नाम ये हैं, अहिर्बुध्न्य का राजा अच्युत, भारशिव पद्मावती का राजा नागसेन और राजा कोटकजित्त। संभवतः अच्युत और नागसेन भारशिव वंश के साथ संबंध रखने वाले राजा थे। यद्यपि भारशिव नामों की शक्ति का पहले ही पतन हो चुका था, पर कुछ प्रदेशों में इनके छोटे-छोटे राजा अब भी राज्य कर रहे थे। गुप्तों के उत्कर्ष के समय इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम जैसे शक्तिशाली राजा को अधीनता में सामंत्व की स्थिति स्वीकार कर ली थी। पर समुद्रगुप्त और उसके भाइयों को गृहकलह से लाभ उठा कर वे

अब फिर स्वतंत्र हो गये थे। यही दशा कोट कुल के राजा की थी, जिसका नाम प्रयाग के स्तंभ के शिलालेख में मिल गया है। सब से पूर्व, समुद्रगुप्त ने इन तीनों राजाओं को जीत कर अपने अधीन किया, और इन विजयों के बाद बड़ी शान के साथ पुष्पपुर (पाटलीपुत्र) में पुनः प्रवेश किया।

आर्यावर्त में अपनी शक्ति को भलीभाँति स्थापित कर समुद्रगुप्त ने दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान किया। इस विजय यात्रा में उसने कुल चारह राजाओं को जीत कर अपने अधीन किया। जिस क्रम से इनको जीता गया था, उसी के अनुसार इनका उल्लेख भी शिलालेख में किया गया है। ये राजा निम्नलिखित थे:—

(१) कोशल का महेंद्र। यहाँ कोशल का अभिप्राय दक्षिण कोशल से है, जिसमें वर्तमान समय के मध्यप्रान्त के विलासपुर, रायपुर और संबलपुर जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी धांपुर (वर्तमान सिरपुर) थी। दक्षिण कोशल से उत्तर की ओर का सब प्रदेश गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत था, और अश्वपुत्र तथा नागसेन की पराजय के बाद उसमें व्यवस्था स्थापित हो गई थी। आर्यावर्त में पराजित हुए नागसेन की राजधानी भ्वालियर रियासत में पनाबती थी। अब दक्षिण की तरफ विजययात्रा करते हुए सबसे पहले दक्षिण कोशल का ही स्वतंत्र राज्य पड़ता था। इसके राजा महेंद्र को जीत कर समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया।

(२) महाकांतार का व्याघ्रराज। महाकोशल के दक्षिण पूर्व में महाकांतार जंगली प्रदेश था। इसी स्थान में आजकल गोंडवाना के सघन जंगल हैं। यहाँ का राजा व्याघ्रराज उच्चकल वंश का था, और शक्तिशाली नाकाटक सम्राट्

प्रवरसेन का सामंत था। समुद्रगुप्त ने उषाव्रराज को परास्त कर अपने अधीन कर लिया।

(३) कौरलका मंत्रराज। महाकाव्य के बाद कौरल राज्य की बारी आई। यह राज्य दक्षिणी मध्यभाग के सोनपुर प्रदेश के आसपास था।

(४) पिष्टपुर का महेंद्रगिरि, मद्रास प्रांत के गोदावरी जिले में स्थित वर्तमान पीठापुरम् ही प्राचीन समय में पिष्टपुर कहलाता था। वहाँ के राजा महेंद्रगिरि को भी परास्त कर के अपने अधीन किया गया।

(५) कोट्टू का राजा स्वामिदत्त। कोट्टू का राज्य गंजाम जिले में था, उसी को आजकल कोट्टूर कहते हैं।

(६) ऐरयडपल्ल का दमन। ऐरयडपल्ल का राज्य कलिंग के दक्षिण में था। इसकी स्थापति पिष्टपुर और कोट्टू के पड़ोस में ही थी।

(७) काञ्ची का विष्णुगोप। काञ्ची का अभिप्राय दक्षिणी भारत के काञ्चीवरम से है। मद्रास प्रांत के उत्तरा जिलों और कलिंग को जीतकर समुद्रगुप्त ने सुदूर दक्षिण में काञ्चीवरम पर आक्रमण किया और उसे जीत कर अपने अधीन किया।

(८) अवमुक्त का नीलराज। यह राज्य काञ्ची के ही समीप में था। एक ऐतिहासिक ने इसे अवा प्रदेश के साथ में मिलाया है।

(९) चेन्नो का हस्तिवर्मन। यह राज्य कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में श्लोक के समीप में था।

(१०) पाल्लक का उग्रसेन। यह राज्य भी कृष्णा नदी के समीप नेल्लार जिले में था।

(११) देवराष्ट्र का कुबेर। काञ्ची, चेन्नो और अवमुक्त

राज्यों के शासक पल्लव वंश के थे। संभवतः उन सब को सम्मिलित शक्ति को समुद्रगुप्त ने एक साथ ही परास्त किया था। देवराज का राष्ट्र दक्षिण से उत्तर की ओर लौटने हुए मार्ग में ध्याया था। अनेक ऐतिहासिकों के अनुसार यह वर्तमान महाराष्ट्र के ही किसी प्रदेश का नाम था। बहुतांश के मत में इसकी स्थिति भारत के पूर्वी समुद्रतट पर थी।

(१२) कौस्थलपुर का धनञ्जय। यह राज्य उत्तरी आर्कोट जिले में था। इसकी स्मृति कुट्टूर के रूप में अब भी सुरक्षित है, जो पोल्ट के समीप की एक बस्ती है।

दक्षिणी भारत के इन विविध राज्यों को जीत कर समुद्रगुप्त वापस लौट आया। दक्षिण में वह काञ्ची से नीचे नहीं गया था। इन राजाओं को केवल परास्त ही किया गया था। उनका जड़ से उच्छेद नहीं हुआ था। समुद्रगुप्त ने इस विजययात्रा में प्राचीन आर्य मर्यादा का पूर्णतया पालन किया था। प्रयाग की समुद्रगुप्त प्रशास्ति के अनुसार इन राजाओं को हराकर पहले कैद कर लिया गया था, और फिर अब अनुग्रह करके उन्हें मुक्त कर दिया गया था। इससे समुद्रगुप्त का प्रताप और महानुभावना, दोनों में बहुत वृद्धि हो गई थी।

ऐसा प्रतीत होता है, कि जब समुद्रगुप्त विजयनाथा के लिये दक्षिण गया हुआ था, उत्तरी भारत (आर्वावर्त) के अधीनस्थ राजाओं ने फिर विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। उन्हें फिर दुबारा जीता गया। इस बार समुद्रगुप्त उनसे अधीनता स्वीकार कराके ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु उनको जड़ से उखाड़ दिया। इस प्रकार जड़ से उखाड़े हुए राजाओं के नाम ये हैं। रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्मा, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युतनदी और बलवर्मा। इनमें से नागसेन और

अच्युत के साथ पहले भी समुद्रगुप्त के युद्ध हो चुके थे। उन्हीं को परास्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने घूमघाम के साथ पाटलीपुत्र (पुष्पपुर) में प्रवेश किया था। अब ये राजा फिर स्वतंत्र हो गये थे, और इस बार समुद्रगुप्त ने इनका समूहोन्मूलन करके इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। रुद्रदेव वाकाटकवंशी प्रसिद्ध राजा रुद्रसेन प्रथम था। मतिश की एक मुद्रा बुलंदशहर के समीप मिली है। इसका राज्य संभवतः इसी प्रदेश में था। नागदत्त और गणपतिनाम के नामों से यह सूचित होता है, कि वे भारशिव नागों के वंश के थे, और उनके छोटे-छोटे राज्य आर्यावर्त में ही विद्यमान थे। गणपतिनाम के कुत्र सिक्के वेसनगर में उपलब्ध भी हुए हैं। चंद्रवर्मा पुष्करसु का राजा था। दक्षिणी राजपूताना में भिसुनिया की एक चट्टान पर उसका शिलालेख भी मिला है। संभवतः बलवर्मा कीटकुलज नृपति था, जिसे पहली बार भी समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। ये सब आर्यावर्तों राजा अब की बार पूर्णरूप से गुप्त सम्राट् द्वारा परास्त हुए, और इनके प्रदेश पूरी तरह गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिये गये।

आटविक राजाओं के साथ समुद्रगुप्त ने प्राचीन मौर्यनीति का प्रयोग किया। कीटलोय अभ्रशास्त्र के अनुसार आटविक राजाओं को अपना सहयोगी और सहायक बनाने का उद्योग करना चाहिये। आटविक सेनायें युद्ध के लिये बहुत उपयोगी होती थीं। समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को अपना 'परिचारक' ना लिया था।

इसके बाद समुद्रगुप्त को युद्धों की आवश्यकता नहीं हुई। इन विजयों से उसकी धाक ऐसी बैठ गई थी, कि अन्य प्रत्यंत (सोना प्रांतों में वर्तमान) नृपतियों तथा यौधेय, मालव आदि गणराज्यों ने स्वयमेव उसकी अधीनता स्वीकृत कर ली थी।

ये सब कर देकर, आज्ञाओं का पालन कर, प्रणाम कर तथा राजदरबार में उपस्थित होकर सम्राट् समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकृत करते थे। इस प्रकार करव बनकर रहने वाले प्रत्यंत राज्यों के नाम ये हैं। (१) समतत या वजिणी पूर्वी बंगाल (२) कामरूप या आसाम (३) नेपाल (४) देवाक या आसाम का नोर्गाम प्रदेश (५) कर्ह पुर या कर्मायू और गङ्गाजल के पार्वत्य प्रदेश। निःसन्देह, गुप्त साम्राज्य के ये सब प्रत्यंत या सीमा प्रदेश में स्थित राज्य थे, और इन्होंने युद्ध के बिना ही सम्राट् समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था।

इसी प्रकार त्रिन गणराज्यों ने गुप्त सम्राट् की अधीनता को स्वीकार किया, ये निम्नलिखित हैं। मालव, आर्जुनावन, यौधेय, माद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानीक, काक और खर-परिक। इनमें से मालव, आर्जुनावन, यौधेय, माद्रक और आभीर प्रसिद्ध गण राज्य हैं। कुशाण साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया था, और धीरे-धीरे अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। अब समुद्रगुप्त ने इन्हें अपने अधीन कर लिया, पर उसने इन्हें जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न नहीं किया। वह केवल कर, प्रणाम, राजदरबार में उपस्थिति तथा आज्ञाबर्तिता से ही संतुष्ट हो गया। इन गण राज्यों ने भी इतने शक्तिशाली सम्राट् की अधीनता स्वीकार कर अपनी प्रयत्न सत्ता को बनाये रखा। प्रार्जुन, काक, सनकानीक और खरपरिक छोटे-छोटे गण राज्य थे, विदिशा के समीपवर्ती प्रदेश में स्थित थे। इनका अधिक परेक्षा इस समय उपलब्ध नहीं होता है।

दक्षिण और पश्चिम के अन्य बहुत से राजा भी सम्राट् चंद्रगुप्त के प्रभाव में थे, ये उसे आदरसूचक उपहार आदि भेज कर संतुष्ट रखते थे। इस प्रकार के दो राजाओं का तो

समुद्रगुप्त प्रशस्ति में उल्लेख भी किया गया है। ये दो दैवपुत्र शाह शाहानुशाहि शक गुरुवृद्ध और सैहलक हैं। शाहानुशाहि शक से कुशाण सम्राट् का अभिप्राय है। भारत में इन कुशाणों को शक गुरुवृद्ध नाम से कहा जाता था। सिंहल के राजा को सैहलक लिखा गया है। इन शक्तिशाली राजाओं के समुद्रगुप्त का आदर करने का प्रकार भी प्रयाग की प्रशस्ति में स्पष्ट लिखा है। ये राजा आत्मनिवेदन, कन्योपायन, दान, गरुडभुज से अंकित आज्ञापत्रों के ग्रहण आदि उपायों से सम्राट् समुद्रगुप्त को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते थे। आत्मनिवेदन का अभिप्राय है, अपनी सेवाओं को सम्राट् के लिये अर्पित करना। कन्योपायन का अर्थ है, कन्या विवाह में देना। राजा लोग किसी शक्तिशाली सम्राट् से मैत्री संबंध बनाये रखने के लिये इस उपाय का प्रायः प्रयोग किया करते थे। संभवतः सिंहल और कुशाण राजाओं ने भी समुद्रगुप्त को अपनी कन्यायें विवाह में प्रदान की थीं। दान का मतलब भेट उपहार से है। सम्राट् चंद्रगुप्त से ये राजा शासन (आज्ञापत्र) भी ग्रहण करते थे। इन सब उपायों से वे महाप्रतापी गुप्त सम्राट् को संतुष्ट रखते थे, और उसके कोप से बचे रहते थे। इस प्रकार पश्चिम में गांधार से लगा कर पूर्व में आसाम तक और दक्षिण में सिंहल (लंका) द्वीप से शुरू कर उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद तक, सर्वत्र समुद्रगुप्त का डंका बज रहा था। आर्घावर्त के प्रदेश सीधे उसके शासन में थे, दक्षिण के राजा उसके अनुग्रह से अपनी सत्ता कायम किये हुए थे। सीमा प्रदेशों के जनपद और गण राज्य उसकी आक्रामकता से बचे थे और सुदूरस्थ राजा भेट उपहार से तथा अपनी सेवायें समर्पण कर उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित किये हुए थे। प्रयाग की प्रशस्ति में गुप्त सम्राट् की इस अनुपम शक्ति को

फिजने सुंदर शब्दों में यह कह कर प्रकट किया है, कि दुनियाँ-भर में कोई उसका 'प्रतिरथ' (खिलाफ़ खड़ा हो सकने वाला) नहीं था, क्षारी घरणी को उसने एक प्रकार से अपने बाहुबल) से बाँध सा रखा था।

समुद्रगुप्त ने अनेक विनष्टप्राय जनपदों के नष्ट हो गये राजवंशों का पुनरुद्धार भी किया था। इस कार्य से सारे भूखण्ड में उसका यश फैल गया था। वह साम्राज्यवाद के प्राचीन धर्म-आदर्शों का अनुयायी था। मगध के आर्यमिश्र शुद्रप्राय राजाओं ने विविध राजकुलों को नष्ट कर एकता होने की जो प्रवृत्ति शुरू की थी, वह उसे अनुकरणीय नहीं प्रतीत होती थी। इसलिये उसने न केवल जीते हुए राजाओं को अपने-अपने जनपदों में कायम रखा था, पर अनेक विनष्ट राजवंशों को भी (फिर से स्थापित किया था। केवल आर्जुनवंश के उन्हीं राजाओं का उसने जड़ से उच्छेद किया था, जो बार-बार उसको शक्ति के विरुद्ध विद्रोह करने में तत्पर थे। संभवतः उनके भी राजवंशों का उसने नष्ट नहीं किया था। यही कारण है, कि बाका-टक राजा रुद्रसेन या रुद्रदेव के विनष्ट हो जाने के बाद या उसको बंटा काल्यम रहा था, और उसके बाद भी अनेक बाका-टक राजाओं ने अपने प्रदेश में शासन किया था।

सारे भारत में एकच्छत्र, अबाधित शासन स्थापित कर अपनी दिग्विजय की समाप्ति के बाद, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। शिलालेखों में उसे 'विरोत्तन अश्वमेधवा हता' (देर से न हुए अश्वमेध को फिर से प्रारंभ करने वाला) और 'अनेकाश्वमेधवाजो' (अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला) कहा गया है। इन अश्वमेधों में केवल एक पुरानो पार्ष्णी का ही अनुसरण नहीं किया था, अपितु इस अवसर से लाभ उठाकर कृष्ण, दीन, अनाथ और आतुर लोगों का भरपूर सहायता

देकर उनके उद्धार का भी प्रयत्न किया था। प्रयाग की प्रशस्ति में इसका बहुत स्पष्ट संकेत है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों में यज्ञीय अश्व का भी चित्र दिया गया है। ये सिक्के अश्वमेध यज्ञ के उपलक्ष में ही जारी किये गये थे। इन सिक्कों में एक तरफ जहाँ यज्ञीय अश्व का चित्र है, वहाँ दूसरी तरफ अश्वमेध की भावना को बड़े ही सुन्दर शब्दों में प्रकट किया गया है। 'राजाधिराजः पृथिवीमवाजित्य दिवं जयति अप्रतिवार्यवीर्यः' राजाधिराज पृथिवी को जीत कर अथ स्वर्ग को जय कर रहा है, उसकी शक्ति और तेज अप्रतिम हैं। समुद्रगुप्त पृथिवी को तो जीत चुका था, अब बड़े दान, अनाथ, आतुर लोगों को अश्वमेध यज्ञ के निमित्त से सहायता कर स्वर्ग प्राप्ति के लिये मार्ग साफ कर रहा था। समुद्रगुप्त यज्ञ की भावना के तह तक पहुँच गया था।

सम्राट् समुद्रगुप्त के वैयक्तिक गुणों और चरित्र के संबंध में प्रयाग की प्रशस्ति में बड़े सुन्दर संदर्भ पाये जाते हैं। इस प्रशस्ति को महादण्ड नायक ध्रुवभृति के पुत्र, संविधिमहिक महादण्डनायक हरिषेण ने तैयार किया था। हरिषेण समुद्रगुप्त का एक उच्च राजकर्मचारी था। उसने अपने को भट्टारक पाद समुद्रगुप्त का दास और 'समीप रहने के अनुग्रह से जिसकी बुद्धि का विकास हो गया हो' ऐसा कहा है। वह स्पष्ट है, कि अपने स्वामी की प्रशंसा में कुमारामात्य हरिषेण ने बहुत उदारता से काम लिया है। पर सम्राट् समुद्रगुप्त की दृष्टि में जो गुण बहुत उत्कृष्ट थे जिन्हें वह आदर्श समझता था, और जिनसे अपने जीवन में काना बह अभीष्ट समझता था, उन्हीं का तो हरिषेण प्रशस्ति लिखते हुए वर्णन किया होगा। हम यहाँ हरिषेण के शब्दों में ही समुद्रगुप्त के वैयक्तिक चरित्र को उल्लिखित करते हैं।

उसका मन विद्वानों के सत्संग मुख का व्यवसनी था। उसके जीवन में सरस्वती (सत्काव्य) और लक्ष्मी (श्री) का अविरोध था। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उसका काव्य ऐसा था, कि कवियों की बुद्धि के विभव का भी उससे विकास होता था। कौन सा ऐसा गुण है, जो उसमें नहीं था ? सैकड़ों मुलकों में विजय प्राप्त करने की उसमें अपूर्व क्षमता थी। अपनी भुजाओं का पराक्रम ही उसका सब से उत्तम साथी था। परशु, बाण, शंख, शक्ति आदि अस्त्रों के सैकड़ों पावों से उसका सारा शरीर सुरोभित था। उसको नाति यह थी, कि साधु का हृदय और असाधु का प्रलय हो। उसका हृदय इतना कोमल था, कि भक्ति और भुक्त जाति मात्र से वरामें आ जाता था। उसने लाखों गाँवों दान में दी थी। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और संगीत कला के ज्ञान और प्रयोग से उसने ऐसे काव्य की सृष्टि की थी, कि सब लोग कविराज का कर उसकी प्रतिष्ठा करते थे।

कुमारामात्य हरिषेण के इस वर्णन से सम्राट् समुद्रगुप्त के वैयक्तिक गुणों का कितना उत्तम परिचय हमें प्राप्त हो जाता है ! इसमें संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त जहाँ अनुपम वीर था, वहाँ कविता, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं में भी वह बड़ा प्रवीण था। यह बात उनके सिद्धांतों के अनुशासन से भी भली-भाँति ज्ञात हो जाती है। समुद्रगुप्त के सात प्रकार के सिक्के इस समय में मिलते हैं। उनमें से पाँच प्रकार के सिक्के ऐसे हैं, जो उसके जीवन के विविध पहलुओं पर बड़ा अच्छा प्रकाश डालते हैं। पहले प्रकार के सिक्कों में उसका जो चित्र है, उसमें वह युद्ध की पोशाक पहने हुए है। उसके बाँचे हाथ में धनुष है, और दाँये हाथ में बाण। सिक्के के दूसरी तरफ लिखा है—'समरशत विजित विजयी जिहारि पराजितो दिव जयति'

सैकड़ों बुद्धों द्वारा विजय का प्रसार कर, सब राज्यों को परास्त कर, अब स्वर्ग को विजय करता है। दूसरे प्रकार के सिद्धों में उसका जो चित्र है, उसमें वह एक परशु लिये सजा है। इन सिद्धों पर लिखा है—इतान्तु (यम) का परशु लिये हुए अपराजित विजयी की जय हो। तीसरे प्रकार के सिद्धों पर उसका जो चित्र है, उसमें उसके मिर पर उच्छोष है, और वह एक सिद्ध के साथ बुद्ध कर उसे शाय से मारता हुआ दिखाया गया है। ये तीन प्रकार के सिद्धों समुद्रगुप्त के वीर रूप को ध्वजित करते हैं। पर इनके अतिरिक्त उसके बहुत से सिद्धों जैसे भी हैं, जिनमें वह आसन पर आराम में बैठा हुआ बीणा बजाता हुआ प्रदर्शित किया गया है। इन सिद्धों पर समुद्रगुप्त का केवल नाम ही दिया है, उसके संबंध में कोई उक्ति नहीं लिखी गई है। अश्वमेध के उपलक्ष में जो सिद्धों उसने प्रचारित किये थे, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसमें सन्देह नहीं, कि जहाँ समुद्रगुप्त भारी और शोभा था, वहाँ संगीत, कविता सहस्र कोमल गुणों की भी उसे में कहीं नहीं थी।

समुद्रगुप्त के इतिहास की कुछ अन्य बातें भी उल्लेख योग्य हैं। इस काल में सोलोन (सिहल) का राजा मेघवर्ण था। उसके शासनकाल में दो बौद्ध भिक्षु बोधगया में तीर्थयात्रा के लिये आये थे। वहाँ उनके रहने के लिये समुचित प्रवन्ध नहीं था। जब वे अपने देश की वापस गये, तो उन्होंने इस विषय में राजा मेघवर्ण से शिकायत की। मेघवर्ण ने निश्चय किया कि बोधगया में एक बौद्ध विहार सोलोनो ब्राह्मिणों के लिये बनवा दिया जाय। इसकी अनुमति प्राप्त करने के लिये उसने एक दृढमण्डल समुद्रगुप्त की सेवा में भेजा। समुद्रगुप्त ने बड़ी प्रसन्नता से इस कार्य के लिये अपनी अनुमति दे दी, और राजा मेघवर्ण ने बोधिवृक्ष के उत्तर में एक विशाल विहार का

निर्मात्र कर दिया। जिस समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वान्त्संग बोधगया की यात्रा के लिये आया था, वहाँ एक हजार के रूप में सिद्धु निवास करते थे।

सम्राट् समुद्रगुप्त को अनेक रानिवाँ गीं, पर पदरानी (अप्रमहिषा पट्ट महादेवी) का पद देवदेवी को प्राप्त था। इसी से प्रसिद्ध गुप्त सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। पचास वर्ष के लगभग शासन करके ३०८ ई० में समुद्रगुप्त स्वर्ग को सिधारे।

(३) सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

प्राचीन काव्यग्रंथों से ऐसा पता चलता है, कि समुद्रगुप्त के सबसे बड़े लड़के का नाम रामगुप्त था, और पिता की मृत्यु के बाद पहले-बहुत बड़ी राज्यसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। रामगुप्त बड़ा निर्बल, कामी तथा नपुंसक व्यक्ति था। उसका विवाह प्रुबदेवी के साथ में हुआ। पर पति के नपुंसक तथा निर्बल होने के कारण वह उससे जरा भी संतुष्ट न थी। रामगुप्त की निर्बलता से लाभ उठा कर साम्राज्य के अनेक सामंतों ने विद्रोह का फुँडा खड़ा कर दिया। विशेष-तया, शाहानुशाह शक मुकुंड राघव, जो समुद्रगुप्त की शक्ति के कारण कात्मनिषेधन, भेट उपहार, कन्योपासन आदि उपायों से उसे संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे, अब रामगुप्त की कमजोरी से लाभ उठाकर उदंड हो गये और उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। हिमालय की उपत्यका में युद्ध हुआ, जिसमें रामगुप्त हार गया। एक पहलू ही दुर्ग में गप्त सेनाएँ धिर गईं, और नपुंसक रामगुप्त ने शक राज का सेवा में संधि के लिये वाचना की। जो संधि की शर्तें शक राज की तरफ से पेश की गईं, उनमें से एक यह थी, कि पट्ट महा-

देवी ध्रुवदेवी को शकरराज के सुपुत्र कर दिया जाय। नपुंसक रामगुप्त इससे लिये भी तैयार हो गया। पर उसका छोटा भाई वीर चंद्रगुप्त इसको न सह सका। उसने स्वयं ध्रुवदेवी का स्त्री रूप धारण किया। अन्य बहुत से सैनिकों को भी परिचारिका रूप में स्त्री वेश पहिनाया गया। शक राज के अन्तःपुर में पहुँच कर स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त ने शकरराज का घात कर दिया। इसके बाद निर्बल रामगुप्त को भी मार कर चंद्रगुप्त ने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया, और अपनी भाभी ध्रुवदेवी के साथ विवाह किया। ध्रुवदेवी चंद्रगुप्त द्वितीय की पट्ट महारानी बनी।

इस कथा के निर्देश न केवल प्राचीन काव्य साहित्य में, अपितु शिलालेखों में भी उपलब्ध होते हैं। प्राचीन समय में यह कथा इतनी लोकप्रिय थी, कि प्रसिद्ध कवि विरामदत्त ने भी इस कथा को लेकर 'देवी चंद्रगुप्तम्' नाम का एक नाटक लिखा। अरब लेखकों ने भी इस कथा को लेकर पुस्तकें लिखीं। बाद में अरबी के आधार पर फारसी में भी इस कथानक को लिखा गया। बारहवीं सदी में अब्दुल हसन अली नाम के एक लेखक ने इस कथा को 'मजमलुतवारीक' नामक पुस्तक में लिखा। यह पुस्तक इस समय भी उपलब्ध होती है। संस्कृत काव्य, शिलालेख और विदेशी साहित्य सर्वत्र इस कथानक की उपलब्धि के कारण यह मानना होगा, कि यह सच्ची ऐतिहासिक अनुभूति पर आधारित है, और समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद एक दो वर्ष तक वस्तुतः उसके बलहीन पुत्र रामगुप्त ने राज्य किया था।

राजगद्दी पर आरूढ़ होने के बाद चंद्रगुप्त के सम्मुख दो कार्य मुख्य थे, रामगुप्त के समय में उत्पन्न हुई अत्यव्यवस्था को दूर करना और उन म्लेच्छ शकों का सम्मूलन

करता, जिन्होंने न केवल गुप्त भी के अपहरण का प्रयत्न किया था, पर जिन्होंने गुप्त कुलवधु की तरफ भी दृष्टि उठाई थी। चंद्रगुप्त के सम्राट् बनने पर शीघ्र ही साम्राज्य में व्यवस्था कायम हो गई। वह अपने पिता का योग्य और अनुरूप पुत्र था। अपनी राज्यशक्ति को बढ़ कर उसने शकों के विनाश के लिये युद्धों का प्रारंभ किया।

शकों की शक्ति के इस समय दो बड़े केंद्र थे। काठियावाड़ गुजरात के शक महासत्रप और गांधार कंबोज के कुशाण। शक महासत्रप शाहानुशाहि कुराण राजा के ही प्रांतीय शासक थे, यद्यपि उनकी स्थिति स्वतंत्र राजाओं के समान थी। भारतीय साहित्य में कुशाण राजाओं को भी शक गुरुवड (शक स्वामी या शकों के स्वामी) शब्द से कहा गया है। पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने काठियावाड़ गुजरात के शक महासत्रपों के साथ युद्ध किया। उस समय महासत्रप स्वामी सिद्धसेन इन शकों का स्वामी था। चंद्रगुप्त द्वारा वह परास्त हुआ, और गुजरात काठियावाड़ के प्रदेश भी गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित हो गये।

शकों की पराजय में बाकाटकों से बड़ी सहायता मिली। बाकाटकों का इजिप्त में शक्तिशाली राज्य था, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। समुद्रगुप्त ने वहाँ के राजा रुद्रदेव को रुद्रसेन का परास्त किया था, पर अधीनस्थ रूप में बाकाटक राज्य अब भी विद्यमान था। बाकाटक राजा बड़े प्रतापी थे, और उनकी अधीनता में अन्य बहुत से सामंत राजा थे। बाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था। प्रभावती गुप्ता की माता का नाम कुबेरनागा था, जो स्वयं नागवंश की

दिया थी। संभवतः, कुमेरनागा चंद्रगुप्त द्वितीय की बड़ी रानी थी। ध्रुवदेवी के साथ उसका विवाह बाद में हुआ था।

वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ गुप्त राजकुमारी का विवाह हो जाने से गुप्तों और वाकाटकों में बड़ी मैत्री और घनिष्टता हो गई थी। कुछ समय बाद, तीस वर्ष की आयु में ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे-छोटे थे। अतः राज्यशासन प्रभावती गुप्ता ने अपने हाथों में लिया और वह वाकाटक राज्य की स्वामिनी बन गई। इस प्रकार उसने ३६० ईस्वी से ४१० ई० के लगभग तक राज्य किया। अपने प्रतापी पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरा साहाय्य और सहयोग प्रभावती गुप्ता को प्राप्त था। चंद्रगुप्त के निरीक्षण में ही एक प्रकार से इस समय वाकाटक राज्य का संचालन हो रहा था। अतः जब, चंद्रगुप्त ने महानुत्तरप शकस्वामी सिंहासेन पर आक्रमण किया, तो वाकाटक राज्य की संपूर्ण शक्ति उसकी वशवर्तिनी थी। वाकाटक राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, कि शकों को परास्त करने के लिये उसका सहयोग आवश्यक था।

गुजरात काठियावाड़ के शकों का उच्छेद कर उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कर लेना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सब से महत्वपूर्ण घटना है। इसी कारण वह भी 'शकारि' और 'विक्रमादित्य' कहलाया। कई सदी पहले इसी प्रकार शकों का उच्छेद कर सातवाहन सम्राट् गोवर्धपुत्र भी सातवाहणों ने 'शकारि' और 'विक्रमादित्य' की उपाधि ग्रहण की थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी एक बार फिर उसी गौरव को प्राप्त किया। अरब सागर तक विस्तृत गुप्त साम्राज्य के लिये, विशेषतया नये जीते हुए प्रदेशों पर मलामाँति शासन करने के लिये, पाटलीपुत्र बहुत दूर पड़ता था। इसलिये

चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनो को दूसरी राजधानी बनाया, और एक बार फिर इस नगरी का उत्कर्ष हुआ।

गुजरात काठियावाड़ के शक महारजपूतों के अतिरिक्त गांधार कंबोज के शक मुरुखों (कुशाणों) का भी चंद्रगुप्त ने संहार किया था। दिल्ली के समीप महलों में लाहे का एक विष्णुध्वज (स्तंभ) है, जिस पर चंद्र नाम के एक प्रतापी एकराट् का लेख उत्कीर्ण है। प्रायः ऐतिहासिकों का मत है, कि यह लेख गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। इस लेख में चंद्र की विजयों का वर्णन करने हुए कहा है, कि उसने सिंधु के सप्तमुखों (प्राचीन सप्तसिंध देश की सात नदियाँ) को पार कर के घाहिक (बल्ख) देश तक युद्ध में विजय प्राप्त की थी। पंजाब की सात नदियाँ (यमुना, सतलुज, व्यास, रावी, चनाब, जेहलम और सिन्ध, इन सात नदियों का प्रदेश प्राचीन समय में सप्तसिंधव कहलाता था, अब यही पंजाब का प्रांत है।) के बाद के प्रदेश में उस समय शक मुरुखों का राज्य था। संभवतः इन्हीं शक मुरुखों ने भ्रुवदेवी पर हाथ डठाने का दुःसाहस किया था। अब भ्रुवदेवा और उसके पति चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रताप ने बल्य तक इन शक मुरुखों का उच्छेद किया, और गुप्त साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा को सुदूर बंजु नदी तक पहुँचा दिया।

महरीली के इसी स्तंभ लेख में यह भी लिखा है, कि बंगाल में मुकाबला करने के लिये इकट्ठे हुए अनेक राजाओं को भी चंद्र ने परास्त किया था। संभव है, कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय काठियावाड़ गुजरात के शकों का परास्त करने में व्याप्त था, बंगाल के कुछ पुराने राजकुलों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया हो, और उसे बंगाल जाकर भी अपनी तलवार का प्रताप दिखाने की आवश्यकता हुई हो।

चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा को पहुँच गया था। दक्षिणी भारत के जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया था, वे अब भी कट्टर रूप से चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे। शक महासत्तवों और गांधार कंबोज के शक मुकुण्डों के परास्त हो जाने से गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अरब सागर तक और हिंदुकुश के पार बंजु नदी तक हो गया था।

चंद्रगुप्त की उपाधि केवल विक्रमादित्य ही नहीं थी। शिला-लोखों में उसे सिंहविक्रम, सिंहचंद्र, साहसाङ्ग, विक्रमाङ्ग, देवराज आदि अनेक उपाधियों से विभूषित किया है। उसके भी अनेक प्रकार के सिक्के मिलते हैं। शक महासत्तवों को जीतने के बाद उसने उनके प्रदेश में जो सिक्के चलाये थे, वे पुराने शक सिकों के नमूने के थे। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत में उनके जो बहुत से सिक्के मिले हैं वे कुशाण नमूने के हैं। चंद्रगुप्त की वीरता उसके सिकों द्वारा भी प्रकट होती है। उसे भी सिकों पर सिंह के साथ लड़ता हुआ प्रदर्शित किया गया है, और यह वाक्य दिया गया है—'क्षितिमवजित्य सुचरितैः दिष जयति विक्रमादित्यः' पृथिवी का विजय करके अब विक्रमादित्य अपने सुकार्यों से स्वर्ग को जीत रहा है।

अपने पिता के समान चंद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। शकों का विजय के बाद सारे भारत में अपना अजुलत साम्राज्य स्थापित कर वह वस्तुतः इसका अधिकारी हो गया था। उसका शासनकाल ३७८ से ४१४ ईस्वी के लगभग तक था।

(४) सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य

चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका लड़का कुमारगुप्त राजगढ़ी पर बैठा। यह पट्टमहादेवी भुवदेवी का पुत्र था।

इसके शासनकाल में विशाल गुप्त साम्राज्य अजुगुण रूप में कायम रहा। बल्लभ से बंगाल की खाड़ी तक इसका अबाधित शासन था। सब राजा, सामंत, गण और प्रत्यंतवर्ती जन-पद कुमारगुप्त के वशवर्ती थे। गुप्त वंश की शक्ति इस समय अपनी चरम सीमा को पहुँची हुई थी। कुमारगुप्त को विद्रोही राजाओं को वश में लाने के लिये कोई युद्ध नहीं करने पड़े। उसके शासनकाल में विस्तृत गुप्त साम्राज्य में सर्वत्र शांति विराजती थी। इसी लिये विद्या, धन, कला आदि की समृद्धि की दृष्टि से यह काल वस्तुतः भारतीय इतिहास का सुवर्ण युग था।

अपने पिता और पितामह का अनुसरण करते हुए कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। इसके उपलक्ष्य में उसने जो सिक्के जारी किये थे, उनमें एक तरफ 'अश्वमेध महेंद्र' लिखा है, और दूसरी तरफ यज्ञीय अश्व का चित्र है। कुमारगुप्त ने यह अश्वमेध किसी नई विजययात्रा के उपलक्ष्य में नहीं किया। गुप्त साम्राज्य इस युद्ध में अपने गौरव के शिखर पर था। कोई सामंत या राजा उसके विरुद्ध साहस दिखाने की हिम्मत तो नहीं करता, यही देखने के लिये पुरानी परिपाटी के अनुसार यज्ञीय अश्व छोड़ा गया था, जिसे रोकने या पकड़ने का साहस किसी राजशक्ति ने नहीं किया था। सारे साम्राज्य में अपनी शक्ति के इस प्रत्यक्ष प्रमाण को प्राप्त करने के बाद अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था।

कुमारगुप्त ने कुल ४० वर्ष राज्य किया। उसके राज्यकाल के अंतिम भाग में मध्य भारत में नर्मदा नदी के समीप पुष्यमित्र नाम की एक जाति ने गुप्त साम्राज्य की शक्ति के विरुद्ध एक भयंकर विद्रोह खड़ा किया। ये पुष्यमित्र लोग कौन थे, इस विषय में बहुत विवाद है, पर यह एक प्राचीन

जाति थी, जिसका उल्लेख पुराणों में भी आता है। पुष्यमित्रों को कुमार स्कंदगुप्त ने परास्त किया और इस प्रयत्न में उसे कुछ रातों जमीन पर सोकर भी बितानी पड़ी थी।

साम्राट् कुमारगुप्त के भी बहुत से सिस्के प्राप्त होते हैं। उसका शासनकाल ४१४ से ४४४ ईस्वी के लगभग था।

(५) सम्राट् स्कंदगुप्त

कुमारगुप्त की पटरानी का नाम महादेवी अनंतदेवी था। उसका पुत्र पुष्यगुप्त था। स्कंदगुप्त की माता संभवतः पटरानी या महादेवी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद राजगद्दी के संबंध में कुछ मगडा हुआ, और अपनी वीरता तथा अन्य गुणों के कारण स्कंदगुप्त ही गुप्त साम्राज्य का स्वामी बना। अपने पिता के शासनकाल में ही पुष्यमित्रों को परास्त कर इसने अपनी अपूर्व प्रतिभा और वीरता का परिचय दिया था। पुष्यमित्रों का विद्रोह इतना भयंकर रूप धारण कर चुका था कि गुप्तकुल की लक्ष्मी विचलित हो गई थी और उसे पुनः स्थापित करने के लिये स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से शत्रुओं का नाश कर उसे फिर प्रतिष्ठापित किया। जिस प्रकार शत्रुओं को परास्त कर कृष्ण अपनी माता देवकी के पास गया था, वैसे ही स्कंदगुप्त भी शत्रुओं को नष्ट कर अपनी माता के पास गया। इस अवसर पर इसकी माता की आँसु में आँसू मलक रहे थे। राजवंश ने स्वयं ही स्कंदगुप्त को स्वामी के रूप में वरस किया था। संभवतः बड़ा लड़का होने से राजगद्दी पर अधिकार तो पुरुगुप्त का था, पर शक्ति और वीरता के कारण राज्यभी स्वयं ही स्कंदगुप्त के पास आ गई थी।

स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना गुणों

की पराजय है। हूण लोग बड़े भयंकर योद्धा थे। उन्हीं के आक्रमणों के कारण युइशि लोग अपने प्राचीन निवासस्थान को छोड़ कर शकस्थान की ओर बढ़ने को बाध्य हुए थे। और युइशियों से खदेड़े जाकर शक लोग ईरान और भारत की तरफ आ गये थे। हूणों के हमलों का ही परिणाम था कि शक और युइशि लोग भारत में प्रविष्ट हुए थे। उधर सुदूर पश्चिम में इन्हीं हूणों के आक्रमण के कारण विशाल रोमन साम्राज्य क्षिप्त-भिन्न हो गये थे। हूण राजा एट्टिला के अत्याचारों और बर्बरता के कारण पारचात्य संसार में ब्राहि-ब्राहि मच गई थी। अब इन हूणों की एक शाखा ने हिंदुकुश के पार के भारतीय प्रदेश पर हमला किया, और कंबोज जनपद को जीतकर गांधार में प्रविष्ट होना प्रारंभ किया। ये सब प्रदेश उस समय गुप्त साम्राज्य की अधीनता में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके शक मुरुगुड राजाओं को परास्त कर अपने अधीन किया था। हूणों की इस वाद का मुकाबिला करके गुप्त साम्राज्य की रक्षा करना स्कंदगुप्त के राज्यकाल की सबसे बड़ी पटना है। उसके शिलालेखों में हूणों की पराजय का बड़े सुंदर शब्दों में उल्लेख है। एक स्तंभ लेख के अनुसार स्कंदगुप्त की हूणों से इतनी उबर्दस्त मुठभेड़ हुई, कि सारी पृथिवी काँप उठी। अंत में स्कंदगुप्त की विजय हुई, और उसके कारण उसकी अमल शत्रु कौर्ति कुमारी अंतरीप तक सारे भारत में मनुष्यों द्वारा गाई जाने लगी। और इसी लिये वह संपूर्ण गुप्त वंश में 'एक वीर' गिना जाने लगा। बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्तपरिपुच्छा के अनुसार हूणों के साथ इस युद्ध में गुप्त सेना की संख्या दो लाख थी। हूणों की सेना तीन लाख थी। तब भी विकट और बर्बर हूण योद्धाओं के मुकाबिले में गुप्त सेना की विजय हुई। स्कंदगुप्त के समयमें हूण

जोग गांधार से आगे नहीं बढ़ सके। गुप्त साम्राज्य का वैभव उसके काल में भी अजुबान रूप से बना रहा। स्कंदगुप्त के समय के सोने के सिक्के कम पाये गये हैं। उनमें सोने की मात्रा भी पहले गुप्तकालीन सिक्कों के मुकाबिले में कम है। इससे अनुमान किया जाता है, कि हूणों के साथ युद्धों के कारण गुप्त साम्राज्य का राज्यकोष बहुत कुछ खोया हो गया था, और इसी लिये सिक्कों में सोने की मात्रा कम कर दी गई थी।

स्कंदगुप्त के समय में सुराष्ट्र (काठियावाड़) का प्रांतीय शासक पर्यादत्त था। इसने गिरिनार की प्राचीन सुदर्शन मील की फिर से मरम्मत कराई थी। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, इस मील का निर्माण सम्राट् चद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। तब सुराष्ट्र का शासक वैश्य पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त ही इस मील का निर्माता था। बाद में अशोक के समय में प्रांतीय शासक यवन तथासक ने और फिर महासत्रप रुद्रवामा ने इस मील का पुनरुद्धार कराया था। गुप्त काल में यह मील फिर खराब हो गई थी। गरमौ में इसमें जल कम हो जाता था, और इससे निकाली गई नहरें सूख जाती थीं। अब स्कंदगुप्त के आदेश से पर्यादत्त ने इस मील का फिर जीर्णोद्धार किया। उसके राज्य के पहले ही साल में इस मील का बाँध टूट गया था, और प्रजा को बड़ा कष्ट हो गया था। स्कंदगुप्त ने उदा-रता के साथ इस बाँध पर खर्च किया। पर्यादत्त का पुत्र चक्र-पालित भी इस प्रदेश में राज्य सेवा में नियुक्त था। उसने मील के तट पर विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण कराया।

स्कंदगुप्त ने किसी नये प्रदेश को जीत कर गुप्त साम्राज्य का अधिक विस्तार नहीं किया। संभवतः, इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। गुप्त सम्राट् 'आसमुद्रचितीरा' थे। उसका सब से बड़ा कर्तृत्व यही है, कि गुप्त साम्राज्य में शांति बनी रही। पुष्य

मित्रों के सहस्र प्रबल आभ्यन्तर शत्रु परास्त किये गये और हूणों जैसे प्रबल बाह्य आक्रांतकों के आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा की गई।

स्कंदगुप्त की मृत्यु ४६७ ईस्वी में हुई।

(६) गुप्त साम्राज्य का ह्रास

स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का ह्रास प्रारंभ हो गया। उसके कोई संतान नहीं थी, अब उसकी मृत्यु के बाद पुरुगुप्त सम्राट् बना। यह स्कंदगुप्त का भाई था, और कुमारगुप्त की पट्ट महारानी का पुत्र था। इस समय तक यह बूढ़ा हो चुका था, जैसे भी इसका व्यक्तित्व निर्बल था। यही कारण है, कि कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद राजर्षिलक्ष्मी ने इतकी जगद पर स्कंदगुप्त को अपने स्वामी के रूप में वरण किया था। अब पुरुगुप्त के राजगद्दी पर बैठते ही गुप्त साम्राज्य में अव्यवस्था प्रारंभ हो गई। हूणों के आक्रमणों से पहले ही गुप्त साम्राज्य को बर्धस्त चोटें लगी थीं, अब बाकाटक वंश ने फिर उठाय। यह वंश किसी समय में बड़ा शक्तिशाली रह चुका था। समुद्रगुप्त ने इसे परास्त कर गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत किया था। पर अपने प्रदेश में बाकाटक राजा शक्तिशाली सामंतों के रूप में विद्यमान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का बाकाटक राजा से विवाह कर इनके साथ मैत्री तथा अनिष्ट संबंध कायम किया था। हूणों के आक्रमणों के समय इन्होंने फिर अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और प्रतापी स्कंदगुप्त के मरते ही बाकाटक राजा नरेन्द्रसेन ने अपने को स्वतंत्र उद्घोषित कर दिया। एक दिग्गजेव से सूचित होता है, कि नरेन्द्रसेन ने अपने वंश की हूणी हुई शक्ति का पुनरुद्धार किया था। समुद्रगुप्त के समय से बाकाटक लोगों की राज्य

श्री बसुन्तः चीण हो गई थी, अब नरेंद्रसेन ने उसे फिर रक्ति प्रदान की, और धीरे-धीरे न केवल संपूर्ण मालवा पर अपितु इच्छिण कोराल पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार स्कंदगुप्त के निर्वल भाई पुरुगुप्त के शासन में बाकाटक राज्य फिर से स्वतंत्र हो गया। पुरुगुप्त बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यही कारण है, कि प्राचीन लेखों में उसके नाम के साथ 'परम भागवत' विशेषण नहीं दिया जाता।

पुरुगुप्त के बाद उसका लड़का नरसिंहगुप्त राजा बना। उसकी माता का नाम चत्सदेवी था। उसके बौद्ध पिता ने एक बौद्ध आचार्य को उसकी शिक्षा के लिये नियत किया था। नरसिंहगुप्त ने अपने नाम के साथ बालादित्य उपाधि प्रयुक्त की थी। उसके सिक्कों पर एक तरफ उसका चित्र है, और 'नर' लिखा है। सिक्के की दूसरी तरफ 'बालादित्य' लिखा गया है। आचार्य बसुवंशु की शिक्षाओं के कारण नरसिंहगुप्त भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में भी गुप्त साम्राज्य का ह्रास जारी रहा। पुरुगुप्त और नरसिंहगुप्त दोनों का राज्यकाल ४६० से ४७३ ईस्वी तक है।

इसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। यह अन्य गुप्त सम्राटों के समान वैष्णवधर्म का अनुयायी था, और इस भी 'परम भागवत' करके लिखा गया है। इसने कुल चार वर्ष राज्य किया। ४७७ ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। सम्राट् स्कंदगुप्त के बाद दस वर्षों में गुप्तवंश के तीन राजा हुए। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि यह काल अव्यवस्था और अशांति का था पर अपने चार वर्ष के शासनकाल में ही कुमारगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कुछ महत्त्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त कर ली थीं। उसने मुख्यतया बाकाटक राजा से युद्ध

किये, और मातङ्ग के प्रदेश को जीतकर फिर अपने साम्राज्य में मिला लिया। बाह्यदलों का यत्न अब फिर चील होने लगी।

कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुधगुप्त गुप्त सम्राट् बना। इसके समय के अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। उनसे प्रतीत होता है, कि यह एक शक्तिशाली राजा था, और इसके द्वारा नियुक्त प्रांतीय शासक बंगाल से लगाकर मालवा तक शासन करते थे। धर्म से यह बौद्ध था, और नालंदा के बौद्ध विहार की वृद्धि के लिये इसने बहुत प्रयत्न किया था। बुधगुप्त कुमारगुप्त द्वितीय का पुत्र नहीं था। अनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि यह स्कन्दगुप्त और पुरुगुप्त का छोटा भाई था। ४६५ ईस्वी में इसके शासनकाल का अंत हुआ।

बुधगुप्त के बाद वैश्यागुप्त पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा। इसने ४६५ से ४७७ ईस्वी तक राज्य किया। इसके सिक्के कोल आदि में चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों के सदृश हैं। सिक्कों पर एक ओर वैश्यागुप्त का चित्र है, जिसमें बाएँ हाथ में धनुष और दाएँ हाथ में बाण लिया हुआ है। राजा के चित्र के एक ओर गरुडस्तंभ है, और दूसरी ओर वैश्या लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर कमलासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है। साथ ही वैश्या की उपाधि द्वादशादित्य उक्तोगुह है। वैश्या के सिक्कों में सोने की मात्रा का फिर बढ़ जाना यह सूचित करता है, कि इसका काल समृद्धि का था, और संभवतः, इसे मुद्रों में अधिक रुपया लुप्त करने की आवश्यकता नहीं हुई थी।

(७) हूणों के आक्रमण

बुधगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य को बागडोर भानुगुप्त

बालादित्य के हाथ में आई। इसके समय में हूणों के आक्रमण भारत में फिर प्रारंभ हो गये। स्कंदगुप्त से परास्त होकर हूण लोग गांधार तक रुक गये थे। उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न लगभग तीस वर्ष तक उन्होंने नहीं किया। पर इस बीच में उन्होंने गांधार में अपनी शक्ति को भलीभाँति दृढ़ कर लिया था। इस समय उनका राजा तोरमाण था। यह बड़ा शक्तिशाली योद्धा था। इसकी राजधानी सिंध नदी के समीप में थी। इसने फिर हूण सेनाओं को साथ ले भारत पर आक्रमण शुरू किये। कुछ ही समय में यह पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ मालवा तक पहुँच गया। पर इस समय गुप्त साम्राज्य का अधिपति मानुगुप्त बालादित्य था। अपने पूर्वज स्कंदगुप्त के समान उसने फिर एक बार हूणों को परास्त किया। तोरमाण बहुत थोड़े समय तक भारत के इस प्रदेश पर अधिकार रख सका। इस बीच में उसने जो सिक्के जारी किये थे, उनमें से कुछ मध्यभारत में अनेक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं।

तोरमाण के बाद हूणों का नेता मिहिरगुप्त बना। इसने फिर पूर्व की तरफ आगे बढ़कर मध्यभारत पर आक्रमण किया। पर इस समय उसका मुकाबला करने के लिये एक और प्रबल शक्ति उठ खड़ी हुई, जिसका नाम यशोधर्मा था। मालवा में बहुत पहले समय से एक वंश का राज्य था, जो पहले चाकाटकों के सामंत थे, और बाद में गुप्तों के सामंत होकर राज्य करते थे। इस वंश में इस समय यशोधर्मा राजा था। हूण लोगों के आक्रमण मालवा पर हो रहे थे। अतः यहाँ के पुराने राजाओं को उनका सामना करने की आवश्यकता हुई थी। यशोधर्मा ने बड़ी वीरता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया, और हूणों के विरुद्ध जो लड़ाई शुरू हुई, उसका नेतृत्व कर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। मध्यभारत के राज-

नीतिक आकारों में उसका अभ्युदय धूमकेतु के समान अकस्मात् ही हुआ। इस समय हूणों के आक्रमणों के कारण मध्य-भारत में जो उबल-पुबल मची हुई थी, उसका लाभ उठाकर कोई भी महारजाकांक्षी चोर, व्यक्ति अपनी शक्ति को बढ़ा सकता था। यशोधर्मा ने इस अवसर का पूरी तरह उपयोग किया, और मध्यभारत की सारी सैनिक शक्ति का संगठन कर मिहिरगुल को युद्ध में परास्त किया। उसने बड़े अभिमान के साथ अपने एक शिलालेख में लिखा है, कि मिहिरगुल ने उसके पैरों में सिर रख कर और विविध उपहार देकर उसकी पूजा की थी। इसमें सन्देह नहीं, कि मिहिरगुल को परास्त करने में यशोधर्मा की पूरी सफलता प्राप्त हुई थी। हूणों को परास्त करने के लिये जो भारी सैनिक शक्ति यशोधर्मा ने संगठित की थी, उसका उपयोग उसने अन्य प्रदेशों को जीतने के लिये भी किया। कुछ समय के लिये वह भारत का सबसे बड़ा प्रतापी राजा हो गया। सब जगह उसका प्रभाव स्थापित हो गया, गुप्त राजा उसके अभ्युदय की ओर पड़े गये। संभवतः, इसीलिये उसकी प्रशस्ति में लिखा गया है, कि ब्रह्मपुत्र से महान् पर्वत तक और हिमालय से पश्चमी पर्वोधि तक, सब जगह के राजा सामंत के रूप में उसके आगे सिर झुकाते थे। इसमें संदेह नहीं, कि हूणों को परास्त करने के कारण भारत के बहुत बड़े हिस्से में उसका ऐसा ही प्रभाव कुछ समय के लिये कायम हो गया था।

यशोधर्मा ने मिहिरगुल को २३० ईस्वी के लगभग परास्त किया था। जिस प्रकार अकस्मात् उसका अभ्युदय हुआ था, वैसे ही अकस्मात् उसका अंत भी हो गया। संभवतः, अपनी वैयक्तिक वीरता के कारण जो गौरवपूर्ण स्थान उसने प्राप्त किया था, उसकी मृत्यु के साथ उसका भी अंत हो गया। यशोधर्मा

कोई स्थिर साम्राज्य नहीं बना सका। थोड़े समय के लिये चमक कर यह सितारा अपना कोई स्थिर प्रभाव उत्पन्न किये बिना ही अस्त हो गया। गुप्त सम्राट् फिर पहले के समान अपने विस्तृत पर शिथिल साम्राज्य का शासन करने लगे।

यशोधर्मा की मृत्यु के बाद मिहिरगुप्त ने फिर भिर उठाया। साकल (मियालकोट) को अपनी राजधानी से आगे बढ़ उसने फिर आर्यावर्त पर आक्रमण प्रारंभ कर दिये। गुप्त साम्राज्य का स्वामी अब भी सम्राट् बालादित्य था, जिसने राजगद्दी पर बैठते ही ४१० ईस्वी के लगभग हूण राजा तोरमाण को परास्त किया था। वह बौद्ध धर्म का पट्टर अनुयायी था। ऊपर मिहिरगुप्त बौद्धों का शत्रु उन पर भयंकर अत्याचार करता था। जब उसने देखा कि मिहिरगुप्त साकल से आगे बढ़ रहा है, तो एक भारी सेना लेकर बालादित्य ने उसका मुकाबला किया। पंजाब की किसी नदी (संभवतः चनाब) के किसी टापू में घनघोर युद्ध हुआ, और एक बार फिर मिहिरगुप्त की पराजय हुई।

गुप्त साम्राज्य की सेनाओं से परास्त होकर मिहिरगुप्त ने आर्यावर्त में आगे बढ़ सकने की आशा छोड़ दी, और उत्तर में काश्मीर पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा को मार कर वह स्वयं काश्मीर का राजा बन गया, वहाँ उसने बहुत से स्तूपों व स्मारकों को नष्ट किया, और जनता पर घोर अत्याचार किये। इस प्रकार काश्मीर और गांधार के प्रदेशों पर हूणों का अधिकार स्थापित हो गया। परन्तु भारत में आगे नहीं बढ़ सके। हूणों को अंतिम रूप से भारत से खदेड़ने का श्रेय सम्राट् बालादित्य को ही है।

पर हूणों के निरंतर आक्रमणों और यशोधर्मा की विजयों के कारण गुप्त साम्राज्य में शिथिलता आने लगी थी। यशोधर्मा ने हूणों को परास्त करने के लिये तो बड़ा गौरवपूर्ण कार्य किया, पर

जिस संगठन ने सारे उत्तरी भारत को एक शासनसूत्र में बाँधा हुआ था, उसको बिलकुल निर्बल बना दिया। यदि वह गुप्तों के ध्वजावशेष पर एक नये शक्तिशाली राजवंश और साम्राज्य को स्थापित कर सकता, तो कोई हानि नहीं थी। विशाल मगध साम्राज्य का आधिपत्य गुप्तवंश के हाथ से निकल कर यशोधर्मा के वंश के पास आ जाता। पर यशोधर्मा यह तो नहीं कर सका, उसकी विजयों का स्थिर परिणाम केवल यह हुआ, कि गुप्त साम्राज्य की शक्ति ढीली हो गई, और विविध सामंत, अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेने की भावना प्रबल हो गई। यही कारण है कि सम्राट् बालादित्य के बाद गुप्त साम्राज्य क्षिप्त-भिन्न हो गया और भारत में बहुत से राजवंश स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगे। मुगल सम्राट् औरंगजेब के बाद जिस प्रकार निजाम, विविध नवाब, राजपूत राजा, मराठे सरदार आदि अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिये उत्पन्न हो गये थे, वैसे ही अब बालादित्य के बाद में हुआ। हाँ, मगध के आस-पास के प्रदेश में गुप्त वंश का शासन जारी रहा। पर पाटलीपुत्र के इन गुप्त राजाओं की शक्ति बहुत हीन थी। तीन सदियों के लगभग गुप्त सम्राटों के शासन में पाटलीपुत्र और ने जो मगध विराजत साम्राज्य बनाया था, उसका अब अंत हो गया था।

बालादित्य के निर्बल उत्तराधिकारियों के विषय में विशेष रूप से हमें यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्नीसवाँ अध्याय

विज्ञान, धर्म और साहित्य

(१) साहित्य और विज्ञान

मौर्योत्तर काल में संस्कृत साहित्य के विकास को जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, गुप्त काल में वह उत्थिति की चरम सीमा तक पहुँच गई। भास, शूद्रक सहस्र कवियों ने संस्कृत में नाटक और काव्य की जिस परंपरा को प्रारंभ किया था, अब कालिदास और विशाखदत्त जैसे कवियों ने उसे पूर्णता तक पहुँचा दिया। संस्कृत का सबसे बड़ा कवि कालिदास गुप्त सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। एक शिलालेख से सूचित होना है, कि विक्रमादित्य ने उसे कुतला नरेश ककुत्स्थवर्मन के पास राजदूत के रूप में भेजा था। एक साहित्यिक अनुश्रुति के अनुसार कालिदास ने वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वारा लिखित सेतुबंध काव्य का परिष्कार किया था। यह राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही हुआ था।

महाकवि कालिदास के लिये हृण, धनुसंहार, मालविकाग्निमित्र, कुमारसंभव, मेघदूत, शकुंतला और रघुवंश काव्य इस समय उपलब्ध होते हैं। निःसंदेह, ये ग्रंथ संस्कृत साहित्य के सबसे उत्कृष्ट रत्न हैं। आज, प्रसाद आदि गुप्तों और उपमा आदि अलंकारों की दृष्टि से संस्कृत का अन्य कोई भी काव्य इनका मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक संस्कृत भाषा का अश्वयन जारी रहेगा, कालिदास का नाम भी संसार में अमर रहेगा। यह कहना जरा भी अतिशयोक्ति करना नहीं है, कि कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि है। उसकी कृतियाँ इतिहास और

साहित्य में सदा खमर रहेंगी। रघुवंश में रघु की विभिन्नजन्म का जो वर्णन किया गया है, उसमें समुद्रगुप्त की वितपयात्रा का निरास के सम्मुख थी। उसके प्रबंधों पर गुप्त काल की समृद्धि और गौरव का स्पष्ट आभास है।

मुद्राराक्षस का लेखक विशालदत्त भी गुप्त काल में चौथी सदी में हुआ था। नद को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार पाटलीपुत्र की राजगद्दी पर अपना अधिकार जमाया, इस कालानुक्रम को विशालदत्त ने बड़े सुंदर रूप में इस नाटक में वर्णित किया है। मुद्राराक्षस की संस्कृत नाटकों में अद्वितीय स्थिति है। मागध परंपरा के अनुसार राजतोषि के शौच-पेथों का जो वर्णन इस नाटक में है, वह संस्कृत साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। मुद्राराक्षस के भारत वाक्य में विशालदत्त ने स्तोत्रों में आकांत हुई पृथिवी की रक्षा करने के लिये 'बंधुभूत्य' चंद्रगुप्त का आवाहन किया है। इस भारत-वाक्य में शक और कुशाणों के उस प्रचंड आक्रमण की ओर इशारा है, जो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद राजगण्डक के समक में हुआ था। इन स्तोत्रों आकांक्षाओं ने मागध सेनाओं को परास्त कर पट्टमहादेवी प्रुषदेवी तक पर आख उठाई थी। पर अपने बड़े भाई के सेवक के रूप में चंद्रगुप्त ने शक कुशाणों को परास्त कर भारत भूमि की रक्षा की थी। इस प्रकार स्तोत्रों का भारत को सवाता संद हुआ। इसी विशालदत्त ने 'देवी चंद्रगुप्तम्' की रचना की थी, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और प्रुषदेवी के कथानक का बड़े विस्तार रूप से वर्णन किया गया है।

किरातार्जुनीय का लेखक महाकवि भारवि और भट्टिकाव्य का रचयिता भट्टी भी गुप्त वंश के जातिम काल में उठी सदी में हुए। इन दोनों महाकवियों के काव्य

संस्कृत साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। रानो द्रौपदी के मुख से राजनीति का जी ओजस्वी वर्णन किरातार्जुनीय में मिलता है, उसका उदाहरण संस्कृत साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। भट्टिकाव्य में व्याकरण के कठिन नियमों को श्लोकों के उदाहरणों से जिस प्रकार सरल रीति से समझाया गया है, वह भी वस्तुतः अनुपम है।

अन्य अनेक कवि भी इस युग में हुए, जिनमें से भाट्टगुप्त, सौमिल्ल और कुलपुत्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके उत्कृष्ट काव्यों के निर्देश तो हमें मिलते हैं पर दुर्भाग्यवशात् इनका रचा हुआ कोई काव्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ।

गुप्त काल के शिलालेख भी काव्य के उत्तम उदाहरण हैं। प्रयाग के अशोककालीन स्तंभ पर जॉ. समुद्रगुप्त प्रशस्ति कुमारामात्य महादंडनायक हरियेख ने उत्कीर्ण कराई थी, वह कविता की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि की है। यदि हरियेखरचित कोई काव्य भी हमें उपलब्ध हो सकता, तो वह संस्कृत के बहुत उत्तम काव्यों में गिना जाता। यशोधर्म की प्रशस्ति भी कविता की दृष्टि से बहुत उत्तम है। उसे बसुल नाम के कवि ने लिखा था। इसी तरह 'रविशांति, वत्समट्टि और कुञ्ज आदि कवियों द्वारा लिखी गई अन्य अनेक प्रशस्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो सब गुप्त काल की हैं। इनके अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि काव्य की शैली गुप्त काल में बहुत उन्नत और परिष्कृत हो गई थी।

ऐतिहासिकों के अनुसार संस्कृत के प्रसिद्ध नीतिकथा ग्रंथ पंचतंत्र का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। पंचतंत्र की कथाएँ बहुत पुरानी हैं, उनमें से बहुतों का संबंध तो महाजनपद काल की राजनीतिक घटनाओं से है। कोशल, मगध और

बुद्धि आदि जनपदों के राजाओं का स्थान पशुओं ने ले लिया है, और मनोरंजक रीति से पुरानी ऐतिहासिक कथाओं को लिख दिया गया है। ये कथाएँ ख्रिस्तकाल से परंपरागत रूप में भारत में प्रचलित थीं। गुप्त काल में उन्होंने वाक्यायदा एक ग्रंथ का रूप धारण कर लिया है। ५०० ईस्वी से पहले ही इसका पहलवी भाषा में अनुवाद हो चुका था। ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, इंग्लिश और संसार की सभी पुरानी भाषाओं में इसके अनुवाद सोलहवीं सदी से पहले हो हो चुके थे। इस समय पचास से भी अधिक संसार की विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद पाये जाते हैं। थोड़े बहुत रूपान्तर से २०० से अधिक ग्रंथ इसके आधार पर लिखे जा चुके हैं।

व्याकरण और कोष संबंधी भी अनेक ग्रंथ इस काल में बने। चंद्रगोमिन नाम के एक बौद्ध पंडित ने चांद्र व्याकरण लिखा। पाणिनि के व्याकरण में वैदिक प्रयोगों को भी सिद्धियाँ थीं। इसमें उन्हें निकाल दिया गया। इस व्याकरण की पद्धति पाणिनि से भिन्न है। बौद्धों में इसका बहुत प्रचार हुआ। महायान संमदाय के सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गये थे। गंधार और उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में बौद्धों की भाषा संस्कृत ही थी। वे इस चांद्र व्याकरण का अध्ययन करते थे। संस्कृत का मूल चांद्र व्याकरण अब नहीं मिलता। पर तिब्बती भाषा में उसका जो अनुवाद हुआ था, वह पिछले दिनों में विद्वानों के सम्मुख उपस्थित हुआ है। प्रसिद्ध कोषकार अमरसिंह भी इसी काल में हुआ। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसका लिखा हुआ अमरकोष संस्कृत के विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय है। अमरसिंह की गणना भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में की जाती है।

स्मृति-ग्रंथों में मनुस्मृति, विष्णुस्मृति और ब्राह्मवल्क्यस्मृति का निर्माण गुप्त काल से पहले ही चुका था। अब नारदस्मृति, कात्यायनस्मृति और बृहस्पतिस्मृति का निर्माण हुआ। नीति-ग्रंथों में कामन्दक नीतिसार इसी काल की रचना है।

गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों को भी इस काल में बहुत उन्नति हुई। आर्यभट्ट और ब्रह्मिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी इसी युग में हुए थे। ब्रह्मिहिर की गणना भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नक्षत्रों से की गई है। गणित शास्त्र में दशमलव का सिद्धांत बड़े महत्व का है। गुप्त काल तक यह सिद्धांत भारत में विकसित हो चुका था। रोमन लोग इससे सर्वथा अपरिचित थे। यूरोप के लोगों को ग्यारहवीं सदी तक इसका ज्ञान नहीं था। वही कारण है, कि गणित को वहाँ अधिक उन्नति नहीं हो सकी। अरब लोग पहले-पहल इस सिद्धांत को यूरोप में ले गये। पर अरबों ने इसे भारत से सीखा था। इब्न वाशिफ (नवीं सदी), अलमसूदी (दसवीं सदी) और अलबरूनी (ग्यारहवीं सदी) जैसे अरब लेखकों ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है, कि दशमलव का सिद्धांत हिंदुओं ने आविष्कृत किया था, और अरबों ने इसे उन्हीं से सीखा था। आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभटीयम् में इसका स्पष्टतया उल्लेख है। यह ग्रंथ गुप्त काल में पाँचवीं सदी में लिखा गया था। पर भारतीय लोग पाँचवीं सदी से पहले इस सिद्धांत से परिचित थे। पेशावर के समीप चकशाली नाम के गाँव में एक बहुत पुराना हस्तलिखित ग्रंथ मिला है। यह ग्रंथ गणित विषय पर है। इसकी भाषा के आधार पर यह निश्चित किया गया है, कि यह ग्रंथ चौथी सदी का है। इसमें न केवल दशमलव के सिद्धांत का स्पष्टरूप से प्रतिपादन है, अपितु गणित के अष्टौ उच्च स्तंभों का उल्लेख है। इसके अनुशीलन से प्रतीत होता है, कि गुप्तकालीन भारत

में गणित विज्ञान अच्छी उन्नति कर चुका था। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीयम् भी गणित के संबंध में उस युग के ज्ञान को भलीभाँति प्रकट करता है। यह ग्रंथ खास पाटलीपुत्र में लिखा गया था, और इसमें अंकगणित, अलजबरा और ज्योमेट्री, सब के अनेक सिद्धांतों व सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है।

ज्योतिष विषय पर पहला ग्रंथ इस युग में वैशिष्ट सिद्धांत लिखा गया। इसका काल ३०० ईस्वी माना जाता है। इससे पहले भारत में एक साल में ३६६ दिन माने जाते थे। पर वैशिष्ट सिद्धांत में यह प्रतिपादन किया गया है, कि एक साल में ३६६ दिन न होकर ३६५-२५११ दिन होते हैं। गुप्त काल में दिनगणना के विषय में भारतीय लोग सत्य के बहुत समीप तक पहुँच गये थे। ३२० ईस्वी में पौलिश सिद्धांत लिखा गया। इसमें सूर्यमहस और चंद्रमहस के नियमों का भलीभाँति प्रतिपादन किया गया है। पौलिश सिद्धांत के कुछ वर्षों बाद ४०० ई० में रोमक सिद्धांत लिखा गया। संभवतः, यह रोमन लोगों के ज्योतिष ज्ञान के आधार पर लिखा गया था। भारत और रोम का उस समय घनिष्ट संबंध था। इस ग्रंथ में २२५० वर्ष का एक युग माना गया है। यह ग्रीक और रोमन ज्योतिष के अनुसार ही है। आचार्य बराहमिहिर ने ज्योतिष के संबंध में जो ग्रंथ लिखे, उनके नाम ये हैं— पंच सिद्धांतिका, बृहज्जातक, बृहत्संहिता और लघुजातक। इनमें से पहिले दो का अनुवाद अलजरूनी ने अरबी भाषा में किया था। बराहमिहिर की पुस्तकों में फलित ज्योतिष का बड़े विस्तार से प्रतिपादन किया गया है।

पर गुप्त काल के वैज्ञानिकों में सबसे बड़ा आर्यभट्ट था। इस विख्यात ज्योतिषी का जन्म पाँचवीं सदी में पाटलीपुत्र में हुआ था। जब उसकी आयु केवल २३ वर्ष की थी, तभी उसने अपने

प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभटीयम् को रचना की थी। उस युग में अलेग्जेंड्रिया ज्योतिष के अध्ययन का बड़ा केंद्र था। मिश्र के राजाओं को संरक्षता में वहाँ ग्रीक ज्योतिषी नई खोज में निरंतर लगे रहते थे। पाश्चात्य संसार ने ज्योतिष के क्षेत्र में जो उन्नति की थी, आर्य भट्ट को उससे पूरा-पूरा परिचय था। उसने भारतीय और पाश्चात्य, सब विज्ञानों का भलीभाँति अनुशीलन किया था, और उन सबका भलीभाँति मंथन करके, सत्य को असत्य से अलग करने और सत्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिये अपना ग्रंथ लिखा था। सूर्य और चंद्र का ग्रहण राहु और केतु नाम के राक्षसों से प्रसने की वजह से नहीं होता, अपितु जब चंद्रमा सूर्य और पृथिवी में बीच में या पृथिवी की छाया में आ जाता है, तब चंद्रग्रहण होता है, इस सिद्धांत का आर्यभट्ट ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। पृथिवी अपने व्यास के चारों तरफ घूमती है, दिन और रात क्यों छोटे बड़े होते रहते हैं, भिन्न-भिन्न नक्षत्रों और ग्रहों की गति किस प्रकार से रहती है—इस प्रकार के बहुत से विषयों पर ठीक-ठीक सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं। वर्ष में कितने दिन होते हैं, इस विषय में आधुनिक ज्योतिषियों का मत यह है, कि ३६५-२५६३६०४ दिन का वर्ष होता है। आर्यभट्ट की गणना के अनुसार साल में ३६५-२५८६८०४ दिन होते थे। आर्यभट्ट की गणना वर्तमान ज्योतिषियों की गणना के बहुत समीप है। प्राचीन ग्रीक ज्योतिषी भी इस संबंध में सत्य के इतने समीप नहीं पहुँचे थे।

ज्योतिष में आर्यभट्ट के अनेक शिष्य थे। इनमें निःशंक, पांडुरंग स्वामी और लाटदेव के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भी लाटदेव आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसे

'सर्वसिद्धांत गुरु' सम्माना जाता था। उसने पीलिशा और रोमक सिद्धांतों की व्युत्पत्ति बड़े सुन्दर रूप से की थी।

इसो काल का ज्योतिष संबंधी एक और ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, इसका नाम है सूर्यसिद्धांत। इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। भारतीय ज्योतिषी इसे बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं, और इसमें संदेह नहीं, कि इसकी रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी।

भारत के प्राचीन विद्वान् विदेशियों से विद्याप्रदय में कोई संकोच नहीं करते थे। अलेग्जेंड्रिया में ग्रीक पंडितों द्वारा ज्योतिष की जो उन्नति हो रही थी, गुप्त काल के भारतीय ज्योतिषी इससे भली-भाँति परिचित थे। वे उनकी विद्या का आदर भी भली-भाँति करते थे। यही कारण है कि बराह मिहिर ने लिखा है, कि यद्यपि यवन (ग्रीक) लोग न्लेच्छ हैं, पर वे ज्योतिष विद्या में बड़े प्रवीण हैं, अतः उन्हें आपियों के समान ही आदर देना चाहिये। भारतीय पंडितों की इसी बुद्धि का परिणाम था, कि यहाँ उन्होंने स्वयं खोज और चिंतन द्वारा ज्योतिष के अनेक सिद्धांतों का आविष्कार किया, वहाँ उन्होंने ग्रीक लोगों से भी बहुत कुछ सीखा। अनेक आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में भारतीय ज्योतिष के केंद्र, हारिज, लिप्त आदि अनेक शब्द ग्रीक भाषा से लिये गये हैं। रोमक सिद्धांत पंथ से भारतीय ज्योतिष पर पार्श्वस्थ प्रभाव स्पष्ट दृष्टि-गोचर होता है। अतः यदि कुछ पारिभाषिक शब्द प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने ग्रीक से लिये हों, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। पर यह श्वास रखना चाहिये, कि गुप्त काल की भारतीय ज्योतिष अलेग्जेंड्रिया की ग्रीक ज्योतिष की अपेक्षा बहुत कालो उन्नत थी।

आयुर्वेद के क्षेत्र में भी गुप्त काल में अच्छी उन्नति हुई।

चरक और सुश्रुत की रचना गुप्त काल से पहले ही हो चुकी थी। पर छठी सदी के शुरु में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वाग्भट्ट ने अष्टांग संग्रह की रचना की। यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इसमें सूचित होता है, कि चरक और सुश्रुत ने जिस चिकित्सा प्रणाली का प्रारंभ किया था, वह इस काल में निरंतर उन्नति करती रही। प्राचीन साहित्यिक अनुभूति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में विद्यमान नवरत्नों में धन्वन्तरि भी एक था। धन्वन्तरि आयुर्वेद का मुख्य आचार्य माना जाता है, और वैद्य लोग उसे अपने विज्ञान का देवता सा मानते हैं। यह कहना बहुत कठिन है, कि आयुर्वेद का वह प्रथम प्रधान आचार्य गुप्त काल में हुआ। संभवतः, इस नाम का कोई अन्य वैद्य चंद्रगुप्त द्वितीय के भवरत्नों में होगा, पर उसका लिखा कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं होता है। गुप्त काल की एक अन्य चिकित्सासंबंधी पुस्तिका पूर्वी तुर्किस्तान में मिली है। इसका नाम 'नाबनीतकम्' है। इसे श्रीयुक्त बाबर ने सन् १५६० में तुर्किस्तान के पुराने खंडहरों में से प्राप्त किया था। यह छोटा सा ग्रंथ चरक, सुश्रुत, हारीद, जातुकर्ण, चारपाणि और पाराहार संहिता आदि के आधार पर लिखा गया है। इनमें से अनेक ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं होते, पर नाबनीतकम् में उनके आधार पर जो तुल्य (प्रयोग) लिखे हैं, वे भारत से बाहर तुर्किस्तान में मिल गये हैं।

हस्त्युपवेद नाम से भी एक ग्रंथ गुप्त काल में लिखा गया था। इसका रचयिता पालकाप्य नाम का एक पशुचिकित्सक था। यह एक विराल ग्रंथ है, जिसमें १६० अध्याय हैं। हाथियों के रोग, उनके निदान और चिकित्सा का इसमें विस्तृत वर्णन है। प्राचीन भारत की सैन्यशक्ति में हाथियों का बड़ा महत्त्व

था। अतः उनकी चिकित्सा के संबंध में इतने ज्ञान का विकास हो जाना बिलकुल स्वाभाविक बात थी।

रसायन विज्ञान में भी गुप्त काल में बहुत उन्नति हुई। दुर्भाग्यवश, रसायन विद्या के इस काल के कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते। पर इस विद्या ने गुप्त काल में किस हद तक उन्नति कर ली थी, इसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली के समीप, महरीली में प्राप्त लौह स्तंभ है। यह स्तंभ २४ फीट ऊंचा और १५० मन के लगभग भारी है। इतना भारी और बड़ा लौह स्तंभ किस प्रकार तैयार किया गया, यह एक भारी समस्या है। लोहे को गरम करके चोट देकर इतना विशाल स्तंभ कभी भी तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गरम करने से जो आंच पैदा होगी, उसके कारण इतनी दूर तक कोई आग्नी खड़ा नहीं हो सकेगा, कि चोट देकर उसे एक निश्चित आकृति का बनाया जा सके। दूसरा उरीका यह हो सकता है, कि इस आट को ढाल कर बनाया जाये। यदि गुप्त काल के भारतीय शिल्पी इतनी बड़ी लोहे की आट को ढाल सकते थे, तो निस्संदेह वे अतु विज्ञान और शिल्प व्यवसाय में बहुत ही अधिक उन्नति कर चुके थे। इस लौह स्तंभ में एक आश्चर्य की बात यह है, कि १६०० वर्ष के लगभग जीत जाने पर भी इस पर जंग का नाम- निशान नहीं है। यह स्तंभ इतने दीर्घ काल से वर्षा, आंधी, गरमी, सरदी सब सहता रहा है, पर बानी या अतु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोहे को किस प्रकार ऐसा बनाया गया, कि इस पर जंग भी न लगे, वह एक ऐसा रहस्य है, जिसे वर्तमान वैज्ञानिक भी नहीं समझ सके हैं। विज्ञान ने गुप्त काल में कैसी उन्नति की थी, इसका यह ज्वलंत उदाहरण है।

चराहमिहिर कृत बुधसंहिता में गणित और ज्योतिष के

अतिरिक्त अन्व बहुत से विषयों का भी प्रतिपादन किया गया है। तलवारों को किस प्रकार तीक्ष्ण बनाया जावे, सोने व रत्नों के आभूषण कैसे तैयार किये जावें, मुक्ता वैद्य रत्न आदि की क्या पहचान है, कुल किस प्रकार मौसम से भिन्न दूसरे समय में भी फल दे सकते हैं, पोड़े हाथी कुरो आदि में अन्धे या चुरे की पहचान कैसे की जाय, मंदिर राजप्रासाद आदि कैसे बनाये जावें, भूमि में नीचे कहाँ जल की धारा है इसे कैसे जाना जाय, बादलों के कितने प्रकार होते हैं, और वर्षा या मौसम के भविष्य का पता कैसे लगाया जाय आदि सब विषयों पर वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ में विचार किया है। इससे प्रकट होता है, कि गुप्त काल के विचारक इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में व्यापृत थे।

(२) दार्शनिक साहित्य

षड्दशानों का निर्माण मौर्योत्तर काल में हो चुका था, यह हम परल प्रदर्शित कर चुके हैं। पर दार्शनिक विचारों का विकास गुप्त काल में जारी रहा। मीमांसा पर शबरभाष्य ३०० ई० के लगभग लिखा गया था। इसकी स्थिति बरी है, जो कि पतंजलि के महाभाष्य की पाणिनीय व्याकरण के साथ है। शबरभाष्य में केवल याज्ञिक अनुष्ठानों का ही प्रतिपादन नहीं किया गया, अपितु आत्मा, परमात्मा, मुक्ति आदि दार्शनिक विषयों की भी विस्तार से भीमांसा की गई है। मीमांसा सूत्रों में जिन विचारों को सूक्ष्म रूप से प्रकट किया गया था, शबर भाष्य में उनकी का बहुत विकास किया गया है। उपवर्ष नाम के एक और दार्शनिक तीसरी सदी के प्रारंभ में हुआ जिसके क उद्गम शबर ने किये हैं। सांख्य दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ सांख्यकारिका चौथी सदी के शुरू में लिखा गया था, जिसका

लेखक ईश्वरकृष्ण हैं। सांख्य दर्शन तो मौर्योत्तर युग में बन चुका था, पर इस गुप्त काल में वह और विकसित हुआ, और ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में उसे एक अत्यंत सुन्दर रूप दे दिया। योगसूत्रों पर भी इस युग में व्यासभाष्य लिखा गया यह माना जाता है, कि योग सूत्रों का रचयिता महर्षि षतजलि था, पर उनकी विशद रूप से व्याख्या आचार्य व्यास ने की। योग के इस व्यासभाष्य का रचनाकाल तीसरी सदी के अंत में माना गया है।

न्यायसूत्रों पर भी इस युग में वात्स्यायन भाष्य लिखा गया। इस भाष्य में बौद्धों के भाष्यमिक संप्रदाय योगाचार संप्रदाय के विविध मंतव्यों का खंडन किया गया है। बौद्धों के इन संप्रदायों का विकास गुप्तकाल से पहले ही चुका था, अतः यह स्पष्ट है, कि उनके मंतव्यों का खंडन करने वाला वह वात्स्यायनभाष्य गुप्त काल की ही कृति है। वैशेषिक दर्शन के पुराने सूत्र को विशद व्याख्या करने के लिये आचार्य प्रशास्तपाद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी युग में लिखा। यह पदार्थ धर्म संप्रथ ग्रंथ वैशेषिक दर्शन का एक अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है।

बौद्धों के भी दार्शनिक साहित्य का इस युग में बहुत विकास हुआ। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में विभक्त हो गया था, महायान और हीनयान। महायान का प्रचार मुख्यतया गांधार, कंबोज और उत्तर के अन्य प्रदेशों में हुआ। हीनयान का केन्द्र लंका था। बरमा, सिचाम, कंबोडिया और पूर्वी एशिया के अन्य प्रदेशों में भी इसी का प्रचार हुआ। महायान और हीनयान, दोनों में इस समय में बहुत से दार्शनिक विचारों का विकास हो रहा था। प्राचीन बौद्ध और वैशेषिक धर्म के पुनरुत्थान के कारण विविध धार्मिक विचारों में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था, उसने दार्शनिक विचारों के

विकास में बहुत सहायता दी। इस युग में बौद्धों और अन्य धर्मावलंबियों में प्रायः शास्त्रार्थ हुआ करते थे। दोनों तरफ के विद्वान पंडित अपने-अपने मंतकों को तर्क और युक्ति से प्रतिपादन करने में तत्पर थे। इसी लिये इस काल में दार्शनिक साहित्य लूब उभरत हुआ।

पाँचवीं सदी के प्रारंभ में बुद्धघोष नाम का एक बड़ा विद्वान हुआ। यह मागध का रहने वाला था। वैदिक धर्म का परित्याग कर इस पंडित ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और लंका में अनुराधपुर के विहार को अपना कार्यक्षेत्र निश्चित किया। इसकी कृतियों में सबसे प्रसिद्ध विमुद्धिमग्ग (विशुद्धिमार्ग) है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है, कि शील, समाधि और प्रज्ञा से मनुष्य किस प्रकार निर्वाणपद को प्राप्त कर सकता है। त्रिपिटकों पर भी बुद्धघोष ने भाष्य लिखे। हीनयान संप्रदाय की उन्नति में बुद्धघोष का बड़ा हाथ है। उसके कुछ समय बाद बुद्धदत्त नाम के मागध पंडित ने लंका जाकर अभिघम्मावतार, रूपारूप विभाग और विनय विनिश्चय नाम के ग्रंथ लिखे। हीनयान के धार्मिक व दार्शनिक साहित्य में इन दो मागध पंडितों के ग्रंथों का बहुत ऊँचा स्थान है।

गुप्त काल में काश्मीर, गांधार और कांबोज में भी हीनयान धर्म का प्रचार हुआ। लंका के अनेक बौद्ध भिक्षु इस युग में भारत आये, और उन्होंने अपने सिद्धांतों का वहाँ प्रचार किया। उत्तर-पश्चिमी भारत में वसुबंधु नाम का प्रकांड बौद्ध पंडित इसी युग में हुआ, जिसके लिखे ग्रंथ अभिघर्मकोरा में बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों को इतने सुन्दर रूप में प्रतिपादित किया गया है, कि बौद्धों के सभी संप्रदाय उसे प्रामाणिक रूप में स्वीकार करते हैं। पर उत्तर-पश्चिमी भारत में मुख्यतया महायान का ही प्रचार रहा। इसके भी दो मुख्य

संप्रदाय थे, माध्यमिक और योगाचार। माध्यमिक संप्रदाय का प्रवर्तक नागार्जुन था। उसका प्रमुख शिष्य आर्यदेव था, जिसने तीसरी सदी में चतुःशतक नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ लिखा। महायान संप्रदाय के दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मसूत्रिका प्रज्ञापारमिता और प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्र भी इसी सदी में लिखे गये। योगाचार संप्रदाय का प्रवर्तक मैत्रेयनाथ दूसरी सदी के अंत में हुआ था। पर इस संप्रदाय के दार्शनिक विचारों का विकास गुप्तकाल में ही हुआ। योगाचार संप्रदाय के विकास में आचार्य असंग का बड़ा हाथ है। बुद्धधर्म के समान यह भी पहले वैदिक धर्म का अनुयायी था, पर बाद में बौद्ध हो गया था। इसने तीसरी सदी के अंत में महायान संप्रदाय, योगाचार भूमिशाल और महायान सूत्रालंकार नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। असंग प्रकांड पंडित था। भारतीय दर्शनशास्त्र का उसने बहुत उत्तम ज्ञान था। बौद्धों में दार्शनिक विचारों के विकास का बहुत कुछ श्रेय असंग और उसके भाई वसुबंधु को है। वसुबंधु ने जहाँ अभिधर्मकोश लिखा, जो सब बौद्धों को समानरूप से मान्य था, वहाँ अनेक दार्शनिक ग्रंथों की भी रचना की। विज्ञानवाद का वही बड़ा प्रवर्तक हुआ। इस बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार मिथ्या है। सत्य सत्ता केवल 'विज्ञान' है। अन्य सब पदार्थ शशबुद्ध व वन्ध्यापुत्र के समान मिथ्या हैं। जलनी हुई लकड़ी को सुमाने से जैसे आग का चक्कर सा नकार आता है, पर वस्तुतः उसकी कोई सत्ता नहीं होती, ऐसे ही संसार में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, उसको वस्तुतः कोई सत्ता नहीं है। यह विचारधारा वैश्वत के अद्वैतवाद में बहुत कुछ मिलती-जुलती है। वसुबंधु ने विशाखिका और त्रिशतिका ग्रंथों में इसी विज्ञानवाद का मुचाक रूप से प्रतिपादन किया है। उसने अपने अन्य ग्रंथों में मान्य, योग, वैश्व-

पिक और मोमांसा दर्शनों के सिद्धांतों का भी खंडन किया है। अमंग और बसुबंधु बड़े भारी पंडित थे, और बौद्ध दर्शन के विकास में उनका बहुत बड़ा भाग है। बौद्धों के पृथक् तर्कशास्त्र का प्रारंभ भी बसुबंधु द्वारा ही हुआ, पर बौद्ध तर्कशास्त्र के विकास का प्रधान अथ आचार्य दिङ्नाग को है। दिङ्नाग गुप्त काल में चौथी सदी के अंत में हुआ था। उसने न्याय और तर्कशास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें लिखीं। दुर्भाग्यवश ये इस समय उपलब्ध नहीं होतीं, यद्यपि उनके अनेक उद्धरण उद्योतकर और कुमार बभ्रु सहस्र सनातनधर्मी पंडितों ने अपने ग्रंथों में दिये हैं। दिङ्नाग की एक पुस्तक न्यायमुख्य चीनी और तिब्बती भाषाओं में मिली है। पर संस्कृत में अभी तक उसका कोई ग्रंथ नहीं मिला। दिङ्नाग का शिष्य शंकराचार्य था, जिसने न्यायप्रवेश नामक पुस्तक पाँचवीं सदी के शुरु में लिखी। यह इस समय संस्कृत में उपलब्ध है।

उन धर्म के भी अनेक उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ इस युग में लिखे गये। पुराने जैन धर्मग्रंथों पर अनेक भाष्य इस समय लिखे गये, जिन्हें निर्बुक्ति और चूर्णिक कहते हैं। इस समय के जैन भाष्यकारों में भद्रबाहु द्वितीय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने बहुत से प्राचीन ग्रंथों पर तिर्बुक्त लिख कर न केवल उनके आराय को अधिक स्पष्ट किया, अपितु नवीं शताब्दी में दार्शनिक विचारों को भी प्रगट किया। जैनों के सब प्राचीन ग्रंथ प्राकृत भाषा में थे। पर गुप्तकाल में संस्कृत का पुनरुत्थान हुआ था। पौराणिक धर्म के लेखकों ने तो इस युग में संस्कृत में अपने सब ग्रंथ लिखे ही थे, पर बौद्ध धर्म में भी महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गये। इस युग में जैनों में भी संस्कृत में अपनी पुस्तकों का लिखना शुरु हुआ।

आचार्य उमास्वाति ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तन्व्यायाधिगमसूत्र और सिद्धसेन ने अपना न्यायावतार संस्कृत में ही लिखा ।

(३) धार्मिक दशा

मीर्यात्तर युग में प्राचीन वैदिक धर्म के पुनरुद्धार की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, गुप्तकाल में उसने और भी जोर पकड़ा । प्रायः सभी गुप्त सम्राट् भागवत वैष्णव धर्म के अनुयायी थे । पर अहिंसावादप्रधान वैष्णव धर्म को मानते हुए भी उन्होंने प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ किये । महा-भारत, मनुस्मृति और भीर्मांसासूत्रों में यज्ञों की उपबोधिता पर बहुत बल दिया गया है । इस काल के आर्य पंडित वैदिक धर्म का पुनः प्रचार करने में व्यापृत थे । यही कारण है, कि यज्ञों की परिपाटी इस युग में फिर से शुरु हो गई थी । न केवल गुप्त सम्राटों ने, अपितु इस युग के अन्य अनेक राजाओं ने भी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था । दक्षिणी भारत में शालंकायन वंश के राजा विजयदेव वर्मन और त्रैकूटक वंश के राजा दहसेन ने इसी काल में अश्वमेध यज्ञ किये । केवल अश्वमेध ही नहीं, अग्निष्टोम, वाजपेय, वाजसनेय, बृहस्पति-सव आदि प्राचीन वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का भी इस युग में उल्लेख आता है । इन यज्ञों के अवसर पर जो भूष बनाये गये थे, उनमें से भी अनेकों के अवशेष वर्तमान समय में उपलब्ध हुए हैं । न केवल बड़े-बड़े सम्राट्, अपितु विविध सामंत राजा भी इस युग में विविध यज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर थे । षोडश धर्म के प्रवृत्त होने के समय में इन यज्ञों की परिपाटी बहुत कुछ नष्ट हो गई थी । यही कारण है, कि शैशुनाक, नद और नीर्य राजाओं ने इन प्राचीन यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया था । यज्ञों से कोई लाभ नहीं है, यह विचार उस समय प्रचल

हो गया था। पर वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में अब यह परिघाटी फिर प्रारंभ हुई। यज्ञों को निमित्त बनाकर मनुष्य दीन, अनाथ, आतुर और दुखी लोगों की बहुत सहायता कर सका है, यह विचार इस समय बहुत जोर पकड़ गया था। संभवतः, इसीलिये समुद्रगुप्त ने लिखा था, कि पृथिवी का जय करने बाद अब वह अपने सुकर्मों से स्वर्ग की विजय करने में तत्पर है।

पुराने वैदिक धर्म में परिवर्तन होकर जिन नये पौराणिक संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, उन पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। भागवत और शैव धर्म इस युग में बहुत जोर पकड़ रहे थे। शुभ सम्राट् वैष्णव (भागवत) धर्म के अनुयायी थे। उनके संरक्षण के कारण इस धर्म की बहुत उन्नति हुई। इस युग में बहुत से वैष्णव मंदिरों का निर्माण हुआ। अनेक शिलालेखों में भक्त धर्मप्राण लोगों द्वारा बनवाये गये विष्णु मंदिरों और विष्णुश्वजों का उल्लेख है। विष्णु के इस अवतारों में से बराह और कृष्ण का पूजा इस समय अधिक प्रचलित था। अनुश्रुति के अनुसार बराह ने प्रलय के समय नष्ट होयी पृथिवी का उद्धार किया था। दस्युओं और मोक्षियों के आक्रमणों से भारतभूमि में जो एक प्रकार का प्रलय सा उपस्थित हो गया था, उसका निराकरण करने वाले सम्राटों के इस शासनकाल में यदि भगवान् के बराहावतार की विशेष रूप से पूजा हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। राम को भगवान् विष्णु का अवतार मानकर पूजा करने की प्रवृत्ति इस समय तक प्रचलित नहीं हुई थी। कृष्ण की पूजा का उल्लेख इस युग में बहुत से शिलालेखों में पाया जाता है। पर राम की पूजा के संबंध में ऐसा कोई निर्देश इस युग के अवशेषों में उपलब्ध नहीं होता। पर राम के परम धायन चरित्र के कारण

उनमें भगवान् के अंश का विचार इस समय में विकसित होना प्रारंभ हो गया था। कालोदास ने इस का निर्देश किया है। पर राम की पूजा भारत में छठी सदी के बाद शुरू हुई।

गुप्त काल में बहुत से शिव मंदिरों का भी निर्माण हुआ। गुप्त सम्राटों के शिलालेखों में दो अमात्या का उल्लेख आता है, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके नाम शाय और पृथ्वीपेक्ष हैं। इन्होंने अपने नाम को अमर करने के लिये शिव के मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्तों के पहले के भार-शिव और वाकाटक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त काल में भी वाकाटक, मौर्यक, कदम्ब और परिव्राजक वंशों के राजा मुख्यतया शैव धर्म का अनुसरण करते थे। हूणराजा मिहिरगुल ने भी शैव धर्म ग्रहण किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि वैष्णव धर्म के साथ-साथ शैव धर्म भी गुप्त काल में काफी प्रचलित था। शैव मंदिरों में जहाँ शिवलिंग की स्थापना का जाती थी, वहाँ जटाजूटधारी, सर्प, गंगा और चंद्रमा से युक्त शिव की मानवी मूर्ति को भी प्रतिष्ठापित किया जाता था। शैव राजाओं के सिक्कों पर प्रायः त्रिशूल और नंदों के चित्र अंकित रहते हैं।

मौर्योत्तर काल में सूर्य के भी मंदिरों की स्थापना शुरू हुई थी। ऐसा पहला मंदिर संभवतः मुलतान में बना था। पर गुप्त काल में मालवा, म्वालिचर, इन्दीर और कर्णेलकांड भी सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। इससे सूचित होता है, कि विष्णु पूजा भी इस युग में अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही थी।

सनातन वैदिक धर्म के पुनरुद्धार से बौद्ध और जैन धर्मों का जोर कुछ कम अवश्य हो गया था, पर अभी भारत में उनका काफी प्रचार था। काश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान

के प्रदेशों में प्रायः सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जब चीनी यात्री फाह्यान भारत में यात्रा के लिये आया, तो उसने देखा कि इन प्रदेशों में हजारों बौद्ध विहार विद्यमान थे, जिनमें लाखों की संख्या में भिक्षु लोग निवास करते थे। वर्तमान संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल और मध्यभारत में भी बौद्ध धर्म बहुत समृद्ध दशा में था। फाह्यान के अनुसार कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वैशाली, सहस्र पुरानी नगरियाँ अब बहुत कुछ जीम्बू दशा में थीं। पर इसका कारण बौद्ध धर्म का ज्य नहीं था। भारत के राजनीतिक जीवन में पुराने गणराज्यों और जनपदों का स्थान अब शक्तिशाली मागध साम्राज्य ने ले लिया था। अब भारत की वैभवशाली नगरियाँ पाटलीपुत्र, पुष्पपुर और उज्जैनी थीं। पर मथुरा, कौरावती, कलिया (कुसी नगर) और सारनाथ में अब भी बौद्ध विहार बड़ी समृद्ध दशा में विद्यमान थे। अजन्ता, एल्वोरा, कन्देरी, जुझार आदि क गुहामंदिरों में अब भी बौद्ध भिक्षु हजारों की संख्या में रहते थे। खास मगध में ही, नालन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध विहार के अनुपम गौरव का प्रारंभ गुप्त काल में ही हुआ था। इस युग में आंध्रदेश बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र था। उस आचार्य नागार्जुन ने अपना प्रधान कार्यक्षेत्र चुना था, और शिष्य परंपरा के प्रयत्नों के कारण वह प्रदेश बौद्ध धर्म का गढ़ सा बन गया था। नागार्जुनी कोण्ड नाम का बड़ा समृद्ध विहार वहाँ विद्यमान था, जिसमें हजारों की संख्या में भिक्षु लोग निवास करते थे। इस वैभवपूर्ण विहार के भग्नावशेष अब तक भी विद्यमान हैं। काशी और वल्लभी में भी बड़े-बड़े विहार इस काल में विद्यमान थे, जो बौद्ध दर्शन धर्म और शिक्षा के बड़े केन्द्र माने जाते थे। इनमें भिक्षुओं को भोजन, वस्त्र आदि सब जनता को वरक से दिये जाते थे।

राजा और प्रजा, सब इनकी सहायता के लिये उदारता के साथ दान देते थे। वैष्णव और शैव धर्मों के प्रचार के बावजूद भी गुप्तकाल में बौद्ध धर्म पर्याप्त उन्नत और बिस्तीर्ण था।

जैन धर्म के इतिहास में भी गुप्त काल का बहुत महत्व है। इस समय तक जैनों में दो मुख्य संप्रदाय हो चुके थे, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर संप्रदाय की दो प्रसिद्ध महासभायें गुप्त काल में ही हुईं। पहली महासभा वल्लभी में ३१३ ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नागार्जुन (जैन नागार्जुन, बौद्ध नागार्जुन नहीं) थे। दूसरी महासभा भी वल्लभी में ही ४२३ ईस्वी में आचार्य जमालमण के सभापतित्व में की गई। इन महासभायों में यह निश्चय किया गया, कि जैन धर्म के मान्य ग्रंथों के शुद्ध पाठ कौन से हैं, और जैनों के कौन से सिद्धांत प्रामाणिक हैं। श्वेतांबर संप्रदाय मुख्यतया पश्चिमी भारत में प्रचलित था। वल्लभी और मथुरा इसके सर्वप्रधान केन्द्र थे। दिगंबर संप्रदाय का प्रचार प्रधानतया पूर्वी भारत में था, और बंगाल की पुण्ड्रवर्धन नगरी इस काल में उनका केन्द्र थी। दक्षिणी भारत में भी दिगंबर सम्प्रदाय का ही प्रचार था। मैसूर और कर्नाटक के निवासी प्रायः जैन धर्म के ही अनुयायी थे। सुदूर दक्षिण में तामिल लोगों में भी इस समय तक जैन धर्म काफ़ी फैल चुका था। पल्लव और पांड्य वंशों के अनेक राजाओं ने भी जैनधर्म को स्वीकार किया था। तामिल भाषा में जैन धर्म की बहुत सी पुस्तकें इस काल में लिखी गईं। तामिल संस्कृति का सर्वप्रधान केन्द्र मदुरा था। वहाँ के 'संगमों' में तामिल काव्य और साहित्य का बहुत उत्तम विकास हुआ था। ४७० ईस्वी में जैन लोगों ने मदुरा में एक विशेष 'संगम' का आयोजन किया। इसका अध्यक्ष आचार्य वज्रनदी था। जैनधर्म के तामिल ग्रंथों के निर्माण में

इस संगम ने महत्त्व का कार्य किया। दक्षिणी आरकोट जिले की पाटलकापुरी में जैनों का एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहाँ मुनि सर्वज्ञदा ने ४५८ ईस्वी में लोकाविर्भंग नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। जैनदर्शन का भी विकास गुप्त काल में हुआ। आचार्य सिद्धसेन ने न्यायचार्वाकी रचना कर उस तकप्रणाली का प्रारंभ किया, जिसके कारण अपि चलकर जैन पंडित दर्शन और न्याय में अन्य संप्रदायों के समकक्ष हो गये।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि गुप्त काल में पौराणिक आर्य धर्म, बौद्ध धर्म, और जैन धर्म साथ-साथ भारत में फल-फूल रहे थे। तीन मुख्य धर्मों और उनके बहुत से संप्रदायों व मतमतान्तों के एक साथ रहते हुए भी इस काल में सांप्रदायिक विद्वेष का अभाव था। सब मतों के आचार्यों व पंडित आपस में शास्त्रार्थों में व्यापृत थे। अपने ग्रंथों में वे जहाँ एक दूसरे का युक्ति व तर्क से खंडन करते थे, वहाँ पंडित मंडलियों और जनसाधारण के समक्ष भी उनमें शास्त्रार्थ व वादविवाद होते रहते थे। पर इनके कारण जनता में भाूमिक विद्वेष उत्पन्न नहीं होता था। इस काल के राजा धर्म के मामले में सहिष्णु थे। सम्राट् समुद्रगुप्त परम भागवत थे, वे वैष्णवधर्म के अनुयायी थे। पर उन्होंने अपने राजकुमारों की शिक्षा के लिये आचार्य वसुबंधु को नियत किया था, जो अपने समय का प्रख्यात बौद्ध विद्वान् था। एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न धर्म के अनुयायी हो सकते थे। राजा शान्तमूल स्वयं वैदिक धर्म का माननेवाला था, पर उसकी बहन, लक्ष्मिणी और पुत्रवधुएं बौद्ध धर्म को मानती थीं। गुप्तवंश में ही कई सम्राट् बौद्ध हुए। पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त और बुधगुप्त धर्म की दृष्टि से बौद्ध थे। सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम का बड़ा लड़का पुरुगुप्त बौद्ध था, और छोटा लड़का स्कंदगुप्त परम भागवत

था। यह इस युग की धार्मिक सहिष्णुता का उच्चतम उदाहरण है। दान के अवसर पर राजा लोग सब संप्रदायों को दृष्टि में रखते थे। सम्राट् वैज्यगुप्त स्वयं शैव था, पर उसने महायान संप्रदाय के वैचर्निक संघ को उदारतापूर्वक दान दिया था। नालंदा के प्रसिद्ध बौद्ध विहार के वैभव का सूत्रपात वैष्णवधर्मा-से बल्लबी गुप्त सम्राटों के दान से ही हुआ था। उच्च राजकीय कर्मचारियों को नियुक्त करते समय भी धर्मभेद को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। वैष्णव गुप्त सम्राटों के कितने ही उच्च राजकर्मचारी बौद्ध थे। वे बौद्ध कर्मचारी अपने धर्म का स्वतंत्रता के साथ अनुसरण करते थे, और अपनी अद्वानुसार बौद्ध विहारों और चैत्यों को सहायता देते थे।

सनातन पौराणिक धर्म के विविध संप्रदायों में भी इसी प्रकार सौमनस्य की भावना विद्यमान थी। प्राचीन आर्य धर्म के इतिहास में यह युग समन्वय का था। शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा आदि देवी-देवता एक ही भगवान् के विविध रूप हैं, यह स्मार्त भावना इस काल में प्रारंभ हो गई थी। साधारण आर्य गृहस्थ सब मंदिरों को, सब देवी-देवताओं को और सब धर्माचार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखता था।

पर बौद्ध और जैन धर्म, सनातन पौराणिक धर्म से इस युग में पृथक् होते जा रहे थे। मौर्योत्तर काल में बौद्ध भिक्षुओं और जैन मुनियों के प्रति अद्वान की जो भावना सर्वसाधारण भारतीय जनता में थी, वह अब क्षीण हो रही थी। इसका कारण यह है, कि पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान के युग में जो प्रचल धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे, उन्होंने जनता में बौद्धों और जैनों के प्रति विरोध की भावना को बहुत कुछ प्रवर्धित कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर जो अत्याचार किये, वे इसी भावना के परिणाम थे। अब समय के साथ-

साथ विषमियों का वह विरोध मंद पड़ गया था, पर वे लोग पौराणिक हिंदुओं से पृथक् हैं, यह अनुमति जनता में भली-भाँति उद्बुद्ध हो गई थी।

बीसवाँ अध्याय

गुप्त साम्राज्य की शासन-व्यवस्था

(१) साम्राज्य का स्वरूप

मौर्यवंश के शासनकाल के संबंध में जैसा परिचय कौटिलीय अर्थशास्त्र से मिलता है, वैसा परिचय गुप्तों के शासन के संबंध में किसी ग्रंथ से नहीं मिलता। मैगस्थनीज जैसा विदेशी यात्री भी इस काल में कोई नहीं आया। चीनी यात्री फाह्यान पाँचवीं सदी के शुरू में भारतयात्रा के लिये आया था। वह पाटलीपुत्र में भी रहा। उसके भ्रमणकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन था। भारत के बहुत बड़े प्रदेश में उसका साम्राज्य विस्तृत था। फाह्यान पेशावर से बंगाल की खाड़ी तक सर्वत्र गया, पर उसे राज्य, शासन, आर्थिक दशा आदि बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म के तीर्थस्थानों के दर्शन तथा धार्मिक ग्रंथों के अनुशीलन के लिये ही वह इस देश में आया था। उसने भारत के प्रतापी सम्राट् तक का नाम अपने यात्रा-विवरण में नहीं लिखा। इसीलिये उसके विवरण से हमें गुप्त साम्राज्य के शासन का कुछ भी परिचय नहीं मिलता। पर फाह्यान के निम्नलिखित वाक्य गुप्तकाल के शासन की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिये पर्याप्त हैं—

“प्रजा प्रभूत शीर सुखी है। न्यवहार की लिखा पट्टी और पंचासत कुल्ल नहीं है। वे राजा को भूमि जोतते हैं, और उसका अंश देते हैं। जहाँ चाहे रहें। राजा न भाग्यदण्ड देता

है, न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधी को अवस्था के अनु-
सार उत्तम साहस या मध्यम साहस का अर्थदंड (जुर्माना)
दिया जाता है। बार-बार दस्युकर्म करने पर दण्डित करछेद
किया जाता है। राजा के प्रतीहार और सहचर वेतनभोगी
होते हैं। सारे देस में सिवाय चाण्डाल के कोई अधिवासी न
जो बहिष्कार करता है, न मद्य पीता है, और न महसुन खीता
है। दस्यु को चाण्डाल कहते हैं, वे नगर के बाहर रहते हैं और
नगर में जब आते हैं, तो सूचना के लिये लकड़ी बजाते चलते
हैं, कि लोग जान जायें और बच कर चलें, कहीं उनसे छुन
जायें। जनपद में सूअर और मुर्गी नहीं पालते, न जीवित
पशु बेचते हैं, न कहीं मूतागार (बूचड़खाने) और मद्य की
दुकानें हैं। क्रय-विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार है। केवल
चाण्डाल मछली मारते, मृगया करने और मांस बेचते हैं।”

फाइयान जिन लोगों के साथ रहा था, उनका जीवन सच-
सुच ऐसा ही था। पर मांस, मद्य, आदि का सेवन सर्वसाधारण
जनता में था या नहीं, इस विषय में बारीकी से परिचय प्राप्त
करने का अवसर फाइयान को नहीं मिला। बौद्ध, जैन और
वैष्णव धर्मों के प्रचार के कारण भारत का सामाजिक और
वैयक्तिक जीवन उस युग में निःसन्देह बहुत ऊँचा था। राज्य-
शासन की उत्कृष्टता के विषय में फाइयान के निर्देश वस्तुतः
बड़े महत्व के हैं। फाइयान भारत में हजारों मील तक भ्रमण
करता रहा। पर उसे कहीं भी चोर, डाकू व दस्युओं से सामना
नहीं करना पड़ा। लगभग दो सदी बाद जब ह्युनस्तानग भारत-
यात्रा को आया तो कई जगह उस पर डाकूओं ने हमले किये।
उस समय भारत के किसी एक प्रतापी राजवंश का शासन नहीं
था। राजनीतिक अव्यवस्था के कारण देस में शान्ति नहीं रह
गई थी। पर फाइयान के समय में प्रतापी गुप्त सम्राटों का

शासन था, सब जगह शान्ति विराज रही थी। यही कारण है, कि क्राइयान ने देश को सुखी और समृद्ध पाया।

कौटलीय अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ और मैगस्थनीज जैसे विदेशी यात्री के अभाव में भी हमारे पास अनेक ऐसे साधन हैं, जिनसे हम गुप्त साम्राज्य के शासन के संबंध में बहुत ही उपयोगी बातें जान सकते हैं। गुप्त सम्राटों के जो बहुत से शिलालेख व सिक्के मिले हैं, वे इस युग के शासन के विषय में बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं। गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत सब प्रदेशों पर गुप्त सम्राटों का सीधा शासन नहीं था उनके अधीन अनेक महाराजा, राजा व गणराज्य थे, जो अपने आंतरिक शासन में स्वतंत्र थे। सामंतों को उनके राज्य व शक्ति के अनुसार महाराजा व राजा कहते थे। सब सामंतों की स्थिति भी एक समान नहीं थी। आर्यावर्त या मध्यदेश के सामंत गुप्त-सम्राटों के अधिक प्रभाव में थे। सुदूरवर्ती सामंत प्रायः स्वतंत्र स्थिति रखते थे, यद्यपि वे गुप्त सम्राटों की अधीनता को स्वीकार करते थे। वही दशा गणराज्यों की थी। शासन की दृष्टि से हम गुप्त साम्राज्य को निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं—

१—गुप्तवंश के सम्राटों के शासन में विद्यमान प्रदेश—ये शासन की सुगमता के लिये भुक्तियों (प्रांतों व सूबों) में विभक्त थे। प्रत्येक भुक्ति में अनेक विषय व उसके भी विविध विभाग होते थे।

२—आर्यावर्त व मध्यदेश के सामंत—इनकी यद्यपि पूरक सत्ता थी, पर ये सम्राट की अधीनता में ही सब कार्य करते थे। इनकी स्थिति वर्तमान समय के रियासती राजाओं से किसी भी प्रकार अच्छी नहीं थी।

३—गणराज्य—प्राचीन वीधिय, मद्र आदि अनेक गण-

राज्य गुप्तों के शासनकाल में विद्यमान थे। वे गुप्त सम्राट् के शासन को स्वीकार करते थे।

४—अधीनस्थ राजा—दक्षिण कोशल, महाकांतार, पिष्टपुर कोट्टूर, ऐरंडपल्ल, देवराष्ट्र, अवमुक्त आदि बहुत से राज्य इस काल में पृथक् रूप से विद्यमान थे। पर उनके राजाओं ने गुप्तसम्राटों की शक्ति के सम्मुख सिर मुका दिया था।

५—सीमावर्ती राज्य—आसाम, नेपाल, समतल, कर्तपुर आदि के सीमावर्ती राज्य प्रायः स्वतंत्र सत्ता रखते थे। पर वे सब गुप्त सम्राटों को भेंट-उपहार भेजकर व उनकी आज्ञाओं का पालन कर उन्हें संतुष्ट रखते थे। ये सब गुप्त सम्राटों के दरबार में भी उपस्थित होते थे।

६—अनुकूल मित्र राज्य—सिंहलद्वीप और भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा के कुशास्य राजा गुप्त सम्राटों को भेंट, उपहार व कन्यादान आदि उपायों से मित्र बनाये रखने के लिये उत्सुक रहते थे। यद्यपि उनके राज्य गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थे, तथापि वे गुप्त सम्राटों को एक प्रकार से अपना अधिपति मानते थे। इन्हें हम अनुकूल मित्र राज्य कह सकते हैं।

(२) केंद्रीय शासन

गुप्त साम्राज्य का शासन सम्राट् में केन्द्रित था। गौरवों के समान गुप्तों ने भी अपनी वैयक्तिक शक्ति, साहस और प्रताप से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका शासन भी वे स्वयं ही 'एकराट्' रूप में करते थे। ये गुप्त राजा अपने को 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', 'परमभागवत', 'परमदेवत', 'सम्राट्', 'चक्रवर्ती' आदि विरुदों से विभूषित करते थे। विविध देवताओं और लोकपालों के अंशों से राजा शक्ति प्राप्त करता है, यह भाव उस समय बल पकड़ गया था। समुद्रगुप्त को एक शिलालेख में 'लोकधाम्नी देवस्य' भी कहा गया है।

इस लेख के अनुसार समुद्रगुप्त 'लोक नियमों के अनुष्ठान और पालन करने भर के लिये ही मनुष्य रूप था, वह संसार में रहने वाला देवता' ही था। राजाओं में यह दैवी भावना इस युग की स्मृतियों से भी प्रगट होती है। राजा देवताओं के अंश से बना होने के कारण दैवी होता है, यह भाव वाक्यवल्ग्य और नारद-स्मृतियों में विद्यमान है। कौटिलीय अर्थ-शास्त्र के समय में यह विचार था अवश्य, पर उसका प्रयोग गुप्तचर लोग सर्व-साधारण लोगों में राजा का प्रभाव उत्पन्न करने के लिये ही करते थे। पर गुप्त काल तक वह एक सर्वसम्मत प्रचलित सिद्धांत हो गया था, और शिलालेखों तक में उसका उपयोग होने लगा था।

सम्राट् को शासनकार्य में सहायता देने के लिये मंत्री या सचिव होते थे, जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। नारदस्मृति ने राज्य की एक सभा का उल्लेख किया है जिसके सभासद धर्म-शास्त्र में कुशल, अर्थ ज्ञान में प्रवीण, कुत्रीन, सत्यवादी और शत्रु व मित्र के एक दृष्टि से देखने वाले होने चाहिये। राजा अपनी राजसभा के इन सभासदों के साथ राज्यकार्य की चिन्ता करता था, और उनके परामर्श के अनुसार कार्य करता था। देश का कानून इस काल में भी परंपरागत धर्म, चरित्र और व्यवहार पर आश्रित था। जनता के कल्याण और लोकसुख को ही राजा लोग अपना उद्देश्य मानते थे, इसका परिणाम यह था, कि परमप्रतापी गुप्त सम्राट् भी स्वैच्छाचारी व निरंकुश नहीं हो सकते थे।

साम्राज्य के मुख्य-मुख्य जिम्मेवारी के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 'कुमारामात्य' कहते थे। कुमारामात्य राजघराने के भी होते थे और दूसरे लोग भी। साम्राज्य के विविध अंगों मुक्ति, विषय आदि का शासन करने के लिये जहाँ

इनकी नियुक्ति होती थी, वहाँ सेना, न्याय आदि के उक्त पदों पर पर भी ये कार्य करते थे। कुमारामात्य साम्राज्य की स्थिर सेवा में होते थे, और शासनसूत्र का संचालन इन्हीं के हाथों में रहता था।

केन्द्रीय शासन के विविध विभागों को 'अधिकरण' कहते थे। प्रत्येक अधिकरण की अपनी-अपनी मोहर (सील) होती थी। गुप्त काल के विविध शिलालेखों व मुद्रा आदि से निम्न-लिखित अधिकरणों और प्रधान राजकर्मचारियों के विषय में परिचय मिलता है—

१—महामेनापति—गुप्त सम्राट् स्वयं कुशल सेनानायक और योद्धा थे। वे दिग्विजयों व विजययात्राओं के अवसर पर स्वयं सेना का संचालन करते थे। पर उनके अधीन महामेनापति होते थे, जो साम्राज्य के विविध भागों में, विशेषतया सीमांत प्रदेशों में, सैन्यसंचालन के लिये नियत रहते थे। सेना के ये सब से बड़े पदाधिकारी 'महामेनापति' कहलाते थे।

२—महादंड नायक—महामेनापति के अधीन अनेक महादंडनायक होते थे, जो युद्ध के अवसर पर सेना का नेतृत्व करते थे। गुप्त काल की सेना के तीन प्रधान विभाग होते थे। पदाति, घोड़सवार और हाथी। युद्धों में रथों का महत्त्व इस समय तक कम होता गया था। महादंडनायकों के अधीन महारथपति, अश्वपति, महापीलुपति, पीलुपति आदि अनेक सेनानायक रहते थे। साधारण सैनिक को 'चाट' और सेना की छोटी टुकड़ी को 'चमू' कहते थे। चमू का नायक 'चमूप' कहलाता था। युद्ध के लिये परशु, शर, अंकुरा, शक्ति, तोमर, भिदिपाल, नाराच आदि अनेकविध अस्त्रों को प्रयुक्त किया जाता था।

३—रक्षुभांडागारिक—सेना से लिये रात्र प्रकार की सभ्य

(अस्त्र-शास्त्र, भोजन आदि) को जुटाने का विभाग रसभांडा-गारिक के अधीन होता था ।

४—महाबलाधिकृत—सेना, छावनी और व्यवहारात्मक विभाग महाबलाधिकृत या महाबलाधिकृत के हाथ में होता था । उसके अधीन अनेक बलाधिकृत रहते थे ।

५—दंडपाशिक—पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था । इसके नीचे खुफिया विभाग का अधिकारी 'चौरोद्वारसिक', 'दूत' आदि अनेक कर्मचारी रहते थे । पुलिस के साधारण सिपाही को भट कहते थे ।

६—महासांविधिप्रहिक—इस उच्च अधिकारी का कार्य पड़ोसी राज्यों, सामंतों और गणराज्यों के साथ संधि या विग्रह की नीति का अनुसरण करना होता था । यह सम्राट् का अत्यंत विश्वस्त कर्मचारी होता था, जो साम्राज्य की नीति का निश्चय करता था । किन् देशों पर 'आक्रमण' किया जाय, अधीनस्थ राजाओं व सामंतों से क्या व्यवहार किया जाय, ये सब बातें इसी के द्वारा तय होती थीं ।

७—विनय-स्थिति-स्थापक—मौर्यकाल में जो कार्य धर्म-महामात्र करते थे, वही गुप्तकाल में विनय-स्थिति-स्थापक करते थे । देश में धर्मनीति की स्थापना, जनता के चरित्र को उत्तम रखना, और विविध संप्रदायों में मेल-जोल रखना इन्हीं अमात्यों का कार्य था ।

८—भांडागाराधिकृत—यह कोषविभाग का अध्यक्ष होता था ।

९—महाचपटलिक—राज्य के सब आदेशों का रिकार्ड रखना इसके 'आधिकरण' (विभाग) का कार्य था । राजकीय आय-व्यय आदि में सब लेखे भी इसी अमात्य द्वारा रखे जाते थे ।

१०—सर्वाध्यक्ष—यह सम्भवतः साम्राज्य के केन्द्रीय कार्यालय का प्रधान अधिकारी होता था ।

इन मुख्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त, राज्य कर को वसूल करने का विभाग 'प्रवाधिकरण' कहलाता था । इस अधिकरण के अधीन शालिक (भूमिकर वसूल करने वाला), मौलिक (जंगलों से विविध आमदनी प्राप्त करने वाला), तलवाटक व गोप (ग्रामों के विविध कर्मचारी) आदि अनेक राजपुरुष होते थे ।

राजप्रसाद का विभाग बहुत विशाल होता था । अनेक महाप्रतीहार और प्रतीहार नाम के कर्मचारी उसके विविध कार्यों को संभालते थे । सम्राट् के प्राइवेट सेक्रेटरी को 'रहसि नियुक्त' कहते थे । अन्य अमात्यों व अध्यक्षों के भी अलग 'रहसि नियुक्त' रहते थे ।

युवराज भट्टारक और युवराज के पदों पर राजकुल के व्यक्ति ही नियत किये जाते थे । सम्राट् का बड़ा लड़का युवराज भट्टारक और अन्य लड़के युवराज कहलाते थे । शासन में इन्हें अनेक महत्त्वपूर्ण पद दिये जाते थे । यदि कोई युवराज (राजपुत्र) कुमारामात्य के रूप में कार्य करे, तो वह 'युवराज कुमारामात्य' कहलाता था । सम्राट् के निजी स्टाफ में नियुक्त कुमारामात्य 'परमभट्टारक पाटीय कुमारामात्य' कहलाते थे । इसी प्रकार युवराज भट्टारक के स्टाफ के बड़े पदाधिकारी 'युवराजभट्टारक पाटीय कुमारामात्य' कहे जाते थे । राजा के विविध पुत्र प्रान्तीय शासन व इसी प्रकार के अन्य ऊँचे राजपदों पर नियुक्त होकर शासन कार्य में सम्राट् की सहायता करते थे ।

विविध राजकर्मचारियों के नाम गुप्तकाल में बिलकुल गये हो गये थे । मौर्यकाल में सम्राट् को केवल 'राजा' कहते थे ।

बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक सदृश राजा अपने साथ 'देवानां प्रिय प्रियदर्शी' विशेषण लगाते थे। पर गुप्त सम्राट् 'महाराजा-विराज' कहलाते थे, और अपने धर्म के अनुसार 'परम भागवत' वा 'परम माहेश्वर' वा 'परम सौम्य' विशेषण लगाते थे।

पुराने मौर्यकालीन 'तीर्थों' का स्थान अब 'अधिकरणों' ने ले लिया था। उनके प्रधान कर्मचारी अब 'अधिकृत' कहाते थे, महाराज नहीं।

प्रांतीय शासन

विशाल गुप्त साम्राज्य अनेक राष्ट्रों व देशों में विभक्त था। साम्राज्य में कुल कितने देश व राष्ट्र थे, इसकी ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। पर सुराष्ट्र, मालव आदि अनेक राष्ट्रों में साम्राज्य विभक्त था। प्रत्येक राष्ट्र में अनेक 'भुक्तियों' और प्रत्येक 'भुक्ति' में अनेक 'विषय' होते थे। भुक्ति को हम वर्तमान समय की कमिश्नरी के समान समझ सकते हैं। गुप्तकालीन शिलालेखों में तीरभुक्ति (तिरहुत), पुण्ड्रवर्धन भुक्ति (दीनाजपुर, राजशाही आदि), मगध भुक्ति आदि विविध भुक्तियों का उल्लेख आता है। 'विषय' वर्तमान समय के जिलों के समान थे। प्राचीन काल के महाजनपद और जनपद अब नष्ट हो गये थे। सैकड़ों वर्षों तक मागध साम्राज्य के अधीन रहने से अपनी पृथक् सत्ता की स्मृति अब उनमें बहुत कुछ चीख हो गई थी। अब उनका स्थान भुक्तियों ने ले लिया था जिनका निर्माण शासन की सहूलियत को दृष्टि में रख कर किया जाता था।

देश वा राष्ट्र के शासक के रूप में प्रायः राजकाल के मनुष्य नियत होते थे। इन्हें युवराज कुमारामात्य कहते थे। उनके अपने-अपने महासेनापति, महादंडनायक आदि प्रधान

कर्मचारी होते थे। सुबराज कुमारामात्यों के अधीन भुक्तियों का शासक करने के लिये 'उपरिक' नियत किये जाते थे। उपरिकों की नियुक्ति सीधी साम्राट् द्वारा होती थी। इस पद पर राजकुल के कुमार भी नियत होते थे। प्रत्येक भुक्ति अनेक विषयों में विभक्त होता थी। विषय के शासक विषयपति कहलाते थे। इनकी नियुक्ति भी सम्राट् द्वारा की जाती थी।

गुप्त काल के जो लेख मिले हैं, उनमें सुराष्ट्र, मालवा, मन्दसौर और कौशांबी चार राष्ट्रों का परिचय मिलता है। सुराष्ट्र का राष्ट्रिक (राष्ट्र का शासक) समुद्रगुप्त के समय में पराजित था। मन्दसौर का शासन बंधुवर्मा के हाथ में था। इसमें संदेह नहीं कि विशाल गुप्त साम्राज्य में अन्य बहुत से राष्ट्र भी रहे होंगे, पर उनका उल्लेख ही इस काल के शिलालेखों में नहीं हुआ है।

भुक्ति के शासक को उपरिक के अतिरिक्त भोगिक, भोगपति और गोप्ता भी कहते थे। दामोदर गुप्त के समय में पुण्ड्रवर्धन भुक्ति का शासक 'उपरिकर महाराज राजपुत्र देवभट्टारक' रहा था। वह राजकुल का था। उससे पूर्व इस पद पर चिरविदित रह चुका था, जो कि राजकुल का नहीं था। इसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय-विक्रमादित्य के शासनकाल में तीरभुक्ति का शासक सम्राट् का पुत्र गोविंदगुप्त था। इन उपरिक महाराजाओं की बहुत सी मोहरें इस समय उपलब्ध होती हैं।

विषय (जिले) के शासक विषयपति को अपने कार्य में परामर्श देने के लिये एक सभा होता थी, जिसके सभासद विषय महत्तर (जिले के बड़े लोग) कहलाते थे। इनकी संख्या ३० के लगभग होती थी। नगर भेष्टी, सार्ववाह (व्यापारियों का मुखिया), प्रथम कुलिक (शिल्पियों का मुखिया) और प्रथम कायस्थ (लेखक श्रेणियों का मुखिया) इस विषयसभा में

अवश्य रहते थे। इन प्रांत के अतिरिक्त जिले में रहने वाली जनता के अन्य मुख्य लोग इस सभा में 'महत्तर' रूप में रहते थे। संभवतः, इन महत्तरों की नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं होती थी। विषयपति अपने प्रदेश के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को इस कार्य के लिये नियुक्त कर लेता था। इन महत्तरों के कारण जिले के शासन में सर्वसाधारण जनता का काफी हाथ रहता था। विषयपति को यह भलीभांति मालूम होता रहता था, कि उसके इलाके की जनता क्या सोचती और क्या चाहती है।

विषय के शासक कुमारामात्यों (विषयपतियों) का गुप्त साम्राज्य के शासन में बड़ा महत्त्व था। अपने प्रदेश की सुरक्षा, शान्ति और व्यवस्था के लिए वे ही उत्तरदायी थे। उनके अधीन राजकीय कर्मचारियों को एकत्र करने के लिए अनेक कर्मचारी रहते थे, जिन्हें युक्त, आयुक्त, नियुक्त आदि अनेक नामों से कहा जाता था। मौर्यकाल में भी जिले के इन कर्मचारियों को 'युक्त' ही कहते थे। गुप्तकाल में बड़े पदाधिकारियों के नाम बदल गये थे, पर छोटे राजपुरुषों का अब भी वही नाम था, जो कम से कम सात सदियों से भारत में प्रयुक्त होता आ रहा था। विषयपति के अधीन दंडपाशिक (पुलिस के कर्मचारी), चोरोद्धारणिक (खुफिया पुलिस), आरक्षाधिकृत (जनता के रक्षार्थ नियुक्त कर्मचारी) और दंडनायक (जिले की सेना के अधिकारी) रहते थे। न्याय का कार्य भी विषयपति की अधीनता (न्याय विभाग) के हाथ में रहता था। इस विभाग को भी बहुत सी मोहरें उपलब्ध हुई हैं। न्यायिकरस को ही 'वर्माधिकरस' और 'धर्मशासनाधिकरस' भी कहते थे।

विषय में अनेक शहर और ग्राम होते थे। शहरों के शासन के लिये 'पुरपाल' नाम का कर्मचारी होता था, जिसकी स्थिति कुमारामात्य की मानी जाती थी। पुरपाल केवल बड़े-बड़े नगरों में

ही निपुक्त होते थे। विषय के महत्तर इसे भी शासनकार्य में परामर्श देते थे। पुरों की निगम समायें अभी तक भी विद्यमान थीं, और उनके कारण जनता अपने बहुत से मामलों की व्यवस्था स्वयं ही करती थी। व्यापारियों और शिल्पियों के संघ इस काल में भी विद्यमान थे।

ग्रामों के शासन में पंचायत का बड़ा हाथ रहता था। इस युग में पंचायत को 'पंच मंडली' कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अन्यतम सेनापति अश्रकदेव ने एक ग्राम की पंच मंडली को २५ दीनारों एक विशेष प्रयोजन के लिये दी थी। इसका उल्लेख सांची के एक शिलालेख में किया गया है। गुप्तों से पूर्व ग्राम की सभा को पंच मंडली नहीं कहा जाता था। पर इस युग में भारत की उस पंचायत प्रणाली का पूरी तरह प्रारंभ हो चुका था, जो हजारों साल बीत जाने पर भी आंशिक रूप में अब तक सुरक्षित है।

(४) राजकीय कर

गुप्तकाल के लेखों के अनुरीलन से ज्ञात होता है, कि इस युग में राजकीय आय के निम्नलिखित साधन थे।

१—भागकर—खेती में प्रयुक्त होने वाली जमीन से पैदावार का निश्चित भाग राज्यकर के रूप में लिया जाता था। इस भाग की मात्रा १२ फीसदी से २५ फीसदी तक होती थी। यह भाग कर (मालगुजारी) प्रायः पैदावार की शकल में ही लिया जाता था। यदि वर्षान होने या किसी अन्य कारणसे फसल अच्छी न हो, तो भागकर की मात्रा स्वयं कम हो जाती थी, क्योंकि किसानों को वस्तुतः पैदा हुए अन्न का निश्चित हिस्सा ही मालगुजारी की शकल में देना होता था। भागकर का दूसरा नाम उन्न भी था।

२—भोगकर—भीर्यकाल में जिस पंगी को शुल्क शब्द से कहा जाता था, उसी को गुप्तकाल में भोगकर कहते थे।

३—भूतोवात प्रत्याग—बाहर से अपने देश में आने वाले और अपने देश में उत्पन्न होने वाले विविध पदार्थों पर जो कर लगता था उसे भूतोवात प्रत्याग कहते थे। गुप्तकालीन लेखों में स्थूल रूप से १८ प्रकार के करों का निर्देश किया गया है। पर इनका विवरण नहीं दिया गया। ध्रुवक रूप से तीन करों का ही उल्लेख किया गया है। इस काल की स्मृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि परंपरागत रूप से जो विविध कर मौर्य युग से चले आते थे, वे गुप्तकाल में भी वसूल किये जाते थे, यद्यपि उनके नाम और दर आदि में कुछ न कुछ अंतर इस समय में अवश्य आ गया था।

(५) अधीनस्थ राज्यों का शासन

गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो अनेक अधीनस्थ राज्य थे, उन पर सम्राट के शासन का ढंग यह था, कि छोटे सामंत विषयपति कुमारामात्यों के और बड़े सामंत भुक्ति के शासक उपरिक्त महाराज कुमारामात्यों के अधीन थे। अपने इन कुमारामात्यों द्वारा गुप्त सम्राट विविध सामंतों व अधीन राजाओं पर अपना नियंत्रण व निरीक्षण रखते थे।

इस काल में भारत में एक प्रकार की जागीरदारी प्रथा व सामंतपद्धति (फ्यूडलिज्म) का विकास हो गया था। बड़े सामंतों के अधीन छोटे सामंत और उनके भी और छोटे सामंत होते थे। सम्राट् वुधगुप्त के अधीन महाराजा सुररिमचंद्र एक बड़ा सामंत था, जिसके अधीनस्थ अन्य सामंत मातृ-विष्णु था। गुप्त सम्राटों के अधीन परिव्राजक, वैश्वकल्प और वर्मन आदि विविध वंशों के शक्तिशाली सामंत महाराज अपने-अपने राज्यों में शासन करते थे। इनकी अपनी सेनायें होती थीं। वे स्वयं अपना राजकीय कर वसूल करते थे और अपने आंतरिक मामलों में प्रायः स्वतंत्र थे। साम्राज्य के सांघि-

विप्राहिक के निरोक्षण में ये महाराज अपने शासन का स्वयं संचालन करते थे। अनेक सामंत महाराज ऐसे भी थे, जिन पर सम्राट् का नियंत्रण अधिक कठोर था, और जिन्हें राजकीय कर को वसूल करने का भी पूरा अधिकार नहीं था।

यूरोप के मध्यकालीन इतिहास में जिस प्रकार फ्यूडल सिस्टम का विकास हो गया था, वैसा ही इस युग में भारत में हमें दृष्टिगोचर होता है। मौर्यकाल में वह सामंत पद्धति विकसित नहीं हुई थी। उस काल में पुराने जनपदों की प्रथक सत्ता की स्मृति और सत्ता विद्यमान थी, पर इन जनपदों में अपने धर्म, चरित्र और व्यवहार के अङ्गुष्ण रहते हुए भी उनके प्रथक राजा और प्रथक सेनायें नहीं थीं। गुप्त काल में बड़े और छोटे सब प्रकार के सामंत थे, जो अपनी प्रथक सेनायें रखते थे। प्रतापी गुप्त सम्राटों ने इन्हें जीतकर अपने अधीन कर लिया था, पर इनकी स्वतंत्र सत्ता को नष्ट नहीं किया था।

शक, यवन, कुशाण आदि म्लेच्छों के आक्रमणों से भारत में जो अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न हो गई थी, उसी ने इस पद्धति को जन्म दिया था। पुराने मागध साम्राज्य के उच्च महामार्गों ने इस परिस्थिति से लाभ उठा कर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया और वे वंशकमानुगत रूप से अपने-अपने प्रदेश में स्वतंत्र तौर पर राज्य करने लगे थे। अव्यवस्था के युग में अनेक महत्त्वाकांक्षी शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी अपने प्रथक राज्य बना लिये थे। गुप्त सम्राटों ने इन सब राजा महाराजाओं का शत्रु नहीं किया। यही कारण है, कि उनकी शक्ति के शिथिल होते ही ये न केवल पुनः स्वतंत्र हो गये, पर परस्पर युद्धों और विजययात्राओं द्वारा अपनी शक्ति के विस्तार में लग गये। इसी का परिणाम हुआ, कि सारे उत्तरी भारत में

अव्यवस्था झा गई, और एक प्रकार का 'मात्स्य न्याय' कायम हो गया।

सौर्यों की शक्ति शिथिल होने पर पुराने जनपद पुनः स्वतंत्र हो गये थे। पर जनपदों में धर्म, व्यवहार और चरित्र की एकता रहने के कारण व्यवस्था विश्रामान थी। पर गुप्तों के निर्बल पड़ने पर जनपद स्वतंत्र नहीं हुए, अपितु सामंत महाराजा स्वतंत्र हुए, जो अपनी-अपनी सेनाओं के साथ विजययात्राओं के लिये प्रयत्नशील थे। इसीलिये तिब्बती लामा तारानाथ को यह लिखने का अवकाश मिला, कि इस काल में "हर एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपनी-अपनी जगह राजा बन बैठा।" सामंत महाराजाओं के आपस के युद्धों ने सचमुच यही मात्स्य न्याय की अवस्था उत्पन्न कर दी थी। गुप्तकाल की सामंत पद्धति का ही यह परिणाम था, कि भारत में यशोधर्मा, हर्षवर्धन जैसे 'आसमुद्र त्रिदीशि' तो बाद में भी हुए, पर वे स्थिर रूप से कोई एकराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सके। गुप्तों के साथ ही भारत भर में एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की कल्पना भी समाप्त हो गई। सामंत पद्धति का यह स्वाभाविक परिणाम हुआ।

गुप्त साम्राज्य के अधीन जो यौधेय, कुषिन्द, मालव, आर्जुनायन आदि अनेक गणराज्य थे, उनमें भी इस युग में स्वतंत्र शासन की परंपरा का हास ही रहा था। कुछ विशेष शक्तिशाली कुलों में इन गणराज्यों की राजशक्ति केन्द्रित होती जा रही थी। ये कुलीन लोग अपने को 'महाराज' और 'महामेतापति' कहते थे। अपने युग की प्रवृत्ति के प्रभाव से गणराज्य भी नहीं बन सके, और धीरे-धीरे वे भी एक प्रकार के ऐसे महाराजाओं के अधीन हो गये, जो सामंतों की ही स्थिति रखते थे।

गुप्त काल के सिक्के

गुप्त सम्राटों के बहुत से सिक्के इस समय में उपलब्ध हुए हैं। इस वंश का इतिहास ही मुख्यतया इन सिक्कों के आधार पर तैयार किया गया है। अतः उनका संक्षेप से उल्लेख करना आवश्यक है। गुप्त वंश के सिक्के पहले-पहल चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचारित किये गये थे। चंद्रगुप्त प्रथम का केवल एक ही प्रकार की सिक्का मिला है। इसके एक ओर चंद्रगुप्त मुकुट, कोट, पायजामा और आभूषण पहने खड़ा है, उसके बायें हाथ में ध्वजा और दाहिने हाथ में अंगूठी है। सामने वस्त्र और आभूषणों से सज्जित रानी कुमारदेवी है। राजा अपनी पत्नी को अंगूठी दे रहा है। इस सिक्के के बाईं ओर 'चंद्रगुप्त' और दाईं ओर 'श्री कुमारदेवी' लिखा है। सिक्के की दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र है, जो सिंह पर सवार है। लक्ष्मी के पैर के नीचे कमल है। साथ ही, नीचे 'लिच्छविगण' लिखा गया है। लिच्छविगण की सहायता से चंद्रगुप्त ने पाटलीपुत्र पर अधिकार किया था और अपने साम्राज्य की नींव डाली थी। लिच्छवि कुमारी श्री कुमारदेवी से विवाह के कारण ही उसके उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ था। इन्हींलिखे चंद्रगुप्त प्रथम के इन सिक्कों पर लिच्छवियों और कुमारदेवी को इतनी प्रधानता दी गई है। चंद्रगुप्त के ये सिक्के सोने के और सोल में १११ प्रेन हैं।

समुद्रगुप्त के सिक्के अनेक प्रकार के मिले हैं। वे सोने और ताँबे दोनों के बने हुए हैं। समुद्रगुप्त ने छः प्रकार के सोने के सिक्के प्रचारित किये थे। (१) गरुणश्वजाकित—इनमें एक तरफ मुकुट, कोट और पायजामा पहने सम्राट की खड़ी मूर्ति है। उसके बायें हाथ में ध्वजा और दाँयें हाथ में अग्नि-

कुंड में डालने के लिये आहुति दिखाई पड़ती है। कुंड के पीछे गरुडश्वज है। सम्राट् के बाँये हाथ के नीचे उसका नाम 'समुद्र' या 'समुद्रगुप्तः' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर 'समर-शत विततविजयो जितारिपुरजितो दिवं जयति' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है। यह वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित है, तथा साथ ही 'पराक्रमः' लिखा है। (२) इन सिक्कों में धनुष बाण लिये हुए सम्राट् की मूर्ति गरुडश्वज के साथ है। बाँये हाथ के नीचे सम्राट् का नाम 'समुद्र' लिखा है और चारों ओर 'अप्रतिरथो विजित्य क्षितिं सुचरितैः दिवं जयति' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है, और 'अप्रतिरथः' लिखा है। (३) इन सिक्कों में एक ओर परशु लिये सम्राट् की मूर्ति है। साथ ही दाहिनी तरफ एक छोटे बालक का चित्र है। बाँई तरफ 'समुद्र' या 'समुद्रगुप्तः' लिखा है, और चारों ओर 'कृतांतपरशुर्जयत्यजितराज जेता जितः' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है, और नीचे 'कृतांत परशुः' लिखा (४) इन सिक्कों में एक ओर धनुष बाण से सज्जित सम्राट् का चित्र है, उसे एक व्याघ्र का संहार करते हुए दिखाया गया है। सम्राट् के बाँये हाथ के नीचे 'व्याघ्र पराक्रम' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर मकर पर खड़ी, हाथ में कमल लिये गंगा देवी का चित्र है और नीचे 'राजा समुद्रगुप्त' लिखा है। (५) इन सिक्कों में एक ओर संगीत प्रेमी सम्राट् का चित्र है, जो एक पृष्ठयुक्त पर्दङ्क पर बैठा हुआ जाँघ मोड़े हुए वीणा बजा रहा है। चारों ओर 'महाराजाधिराज भी समुद्रगुप्त' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर आसन पर बैठी हुई एक देवी की मूर्ति है, और साथ में 'समुद्रगुप्तः' लिखा है। (६) ये सिक्के

अश्वमेध गज के उपलक्ष में प्रचारित किये गये थे । इनमें एक ओर यूप से बंधे हुए पक्षीय अश्व की मूर्ति है, और चारों ओर 'राजाधिराजः पृथिवीं विजित्वा दिवं जयत्याहृत वाजिमेषः' लिखा है । इसके के दूसरी ओर चँवर लिए हुए राजमहिषी का चित्र है, और 'अश्वमेधपराक्रमः' लिखा है ।

समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के भार में ११८-१२२ ग्रेन हैं । उसके दो ताँबे के भी सिक्के मिले हैं, जिन पर गरुड़ का चित्र और 'समुद्र' लिखा है ।

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सोने के सिक्के भार की दृष्टि से तीन प्रकार के हैं, १२१ ग्रेन, १२५ ग्रेन और १३२ ग्रेन । चिहनों की दृष्टि से ये पाँच प्रकार के हैं । (१) इनके एक तरफ धनुष बाण लिये हुये चंद्रगुप्त द्वितीय की खड़ी हुई मूर्ति है, और साथ में गरुड़व्यज है । दूसरी ओर कमलासन पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति है । (२) इन सिक्कों के एक ओर खड़े हुए रूप में राजा की मूर्ति है, जिसका एक हाथ तलवार की मूठ पर है और पीछे एक आमन छत्र पकड़े हुये खड़ा है । दूसरी तरफ कमल पर खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है । (३) इन सिक्कों में एक तरफ सम्राट् पर्यङ्क पर बैठा है, उसके दाँयें हाथ में कमल है, और बाँयें हाथ पर्यङ्क पर टेका हुआ है । इसके के दूसरी तरफ सिंहासन पर आसीन लक्ष्मी का चित्र है । (४) इनमें एक तरफ सम्राट् को धनुष बाण द्वारा सिंह को मारते हुये दिखाया गया है, और दूसरी तरफ सिंह पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र है । (५) इन सिक्कों में एक तरफ घोड़े पर खड़े हुये सम्राट् का चित्र है और दूसरी ओर आसन पर विराजमान देवी की मूर्ति है, जिसके हाथ में कमल है । इन सब सिक्कों पर 'महाराजाधिराज चंद्रगुप्त' 'द्विविजयवर्जित्य मुचरितेः' 'दिवं जयति'

विक्रमादित्य' 'नरेन्द्रचंद्रः प्रथितदिवं जयत्यजेयो' 'भुवि सिंह विक्रमः' 'नरेन्द्रसिंह चंद्रगुप्तः पृथिवीं जित्वा दिवं जयति' आदि अनेक प्रकार की उक्तियाँ उल्लिखित हैं।

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अनेक सिक्के चाँदी के भी मिले हैं। इनमें सम्राट के अर्धशरीर (वस्त्र) की मूर्ति है, और दूसरी तरफ गरुड़ का चित्र है। इन पर 'परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्र गुप्तस्य विक्रमादित्य' अथवा 'श्रीगुप्तकुलस्य महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त विक्रमांकस्य' लिखा है। इस सम्राट के ताँबे के बने हुये भी कुछ सिक्के मिले हैं, जिन पर गरुड़ का चित्र है।

गुप्त सम्राटों में सब से अधिक सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं, ये सिक्के भार में १२५ और १२६ ग्राम हैं। चित्रों की दृष्टि से ये ६ प्रकार के हैं। (१) इनके एक तरफ धनुष बाण लिये सम्राट का चित्र है, और दूसरी ओर कमलासन पर बैठी देवी की मूर्ति है। (२) इनके एक तरफ तलवार की मूठ पर हाथ टेके हुए सम्राट की मूर्ति है, साथ में गरुड़ध्वज भी है। दूसरी ओर कमल पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र है। (३) इनमें एक तरफ यज्ञीय अश्व है, दूसरी ओर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित राजमहिषी की मूर्ति है। (४) इनमें एक तरफ घोड़े पर सवार सम्राट का चित्र है, और दूसरी ओर हाथ में कमल का फूल लिये एक देवी बैठी है। (५) इनमें एक तरफ सिंह को मारते हुए सम्राट का चित्र है और दूसरी ओर सिंह पर विराजमान अंबिका की मूर्ति है। (६) इनमें एक तरफ धनुषबाण से व्याघ्र को मारते हुए सम्राट का चित्र है, दूसरी तरफ मोर को फल खिलाती हुई देवी की खड़ी मूर्ति है। (७) इनमें एक ओर मोर को फल खिलाते हुए सम्राट खड़ा है, और दूसरी ओर मयूर पर विराजमान आविर्देय की मूर्ति है।

(८) इनमें एक ओर बीच में एक पुरुष खड़ा है, जिसके दोनों तरफ दो स्त्रियाँ हैं। सिक्के के दूसरी तरफ एक देवी बैठी हुई है। (९) इनमें एक ओर हाथी पर सवार सम्राट का चित्र है, और दूसरी तरफ हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति है।

इन सिक्कों पर 'क्षितिपतिरजित महेंद्रः कुमारगुप्तो दिवं जयति' 'गुप्तकुलव्योमशशि जयत्यजेयो जितमहेंद्रः', 'कुमारगुप्तो विजयी सिंह महेंद्रो दिवं जयति' आदि अनेक लेख उत्कीर्ण हैं। कुमारगुप्त के चाँदी और ताँबे के भी बहुत से सिक्के उपलब्ध हुए हैं।

स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के भार में १३२ और १४४ ग्रेन के मिले हैं। ये दो प्रकार के हैं। (१) इनमें धनुष बाण धारण किये सम्राट का चित्र है, दूसरी ओर पद्मासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इनमें एक ओर सम्राट और राज-महिषी के चित्र हैं, बीच में गरुडभूज है, दूसरी ओर कमल हाथ में लिये हुए देवी की मूर्ति है। इन सिक्कों पर भी अनेक लेख उत्कीर्ण हैं। स्कंदगुप्त के भी चाँदी और ताँबे के अनेक सिक्के उपलब्ध हुए हैं।

स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में पुद्गुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, वैश्वगुप्त आदि प्रायः सभी गुप्त-सम्राटों के सिक्के मिलते हैं। इन सबमें प्रायः 'विजितावनिर-बनिपतिः कुमारगुप्तो दिवं जयति' के वजन पर लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। सम्राट का नाम बदलता जाता है, पर लेख प्रायः इसीके सदृश रहता है।

इक्कीसवाँ अध्याय

गुप्तकाल की समृद्धि और आर्थिक जीवन

(१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर

गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र थी। इसके विषय में चीनी यात्री फाह्यान ने लिखा है—'मध्यदेश में यह नगर सबसे बड़ा है। इसके निवासी सम्पन्न और समृद्धिशाली हैं। दान और सत्य में स्पर्धालु हैं। प्रतिवर्ष रथयात्रा होती है। दूसरे मास को आठवीं तिथि को यात्रा निकलती है। चार पहिये के रथ बनते हैं। यह यूप पर ठाटी जाती है, जिसमें छुरी और हंस लगे रहते हैं। यह २० हाथ ऊँचा और मूप के आकार का बनता है। ऊपर से सफेद चमकीला ऊनी कपड़ा मढ़ा जाता है। भाँति-भाँति की रंगाई होती है। देवताओं की मूर्तियाँ सोने चाँदी और स्फटिक की भव्य बनती हैं। रेशम की ध्वजा और चाँदनी लगती है। चारों कोने कलगियाँ लगती हैं। बीच में बुद्धदेव की मूर्ति होती है और पास में बोधिसत्व खड़ा किया जाता है। बीस रथ होते हैं, एक से एक सुन्दर और भङ्गीले, सब के रंग न्यारे। नियत दिन आसपास के यती और गृही इकट्ठे होते हैं। गाने-बजाने वाले साथ लेते हैं। फूल और गंध से पूजा करते हैं फिर ब्राह्मण आते हैं, और बुद्धदेव को नगर में पधारने के लिये निमंत्रण करते हैं। पारी-पारी नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें दो रात धीत जाती हैं। सारी रात दिया जलता है। गाना-बजाना होता है। पूजा होती है। जनपद-जनपद में ऐसा ही होता है।

जनपद के वैश्यों के मुखिया लोग नगर में सदावर्त और औष-
धालय स्थापित करते हैं। देश के निर्धन, अपंग, अनाथ,
विधवा, निःसंतान, लूने, लंगड़े और रोगी लोग इस स्थान पर
जाते हैं, उन्हें सब प्रकार की सहायता मिलती है; वैद्य रोगी
की चिकित्सा करते हैं। वे अनुकूल औषध और पच्य पाते हैं।
अच्छे होते हैं, सब जाते हैं।”

काइयान को बौद्ध धर्म के अनुष्ठानों व तीर्थस्थानों को
देखने के अतिरिक्त अन्य किसी काम के लिये अवकाश नहीं
था। पाटलीपुत्र आकर उसने अशोक के पुराने राजप्रासाद,
स्तूपों और विहारों को ही देखा। पर उसके विचरण से इसमें
कोई संदेह नहीं रह जाता, कि गुप्त सम्राटों के शासनकाल में
पाटलीपुत्र बहुत समृद्ध नगर था और उसके नियासी भी
सम्पन्न और समृद्धिशाली थे, रथयात्रकों में बड़े शौक से
शामिल होते थे और स्वयं दत्त खोलकर दान-पुण्य करते थे।

पाटलीपुत्र के समीप ही वैशाली गुप्तकाल का एक अत्यंत
समृद्धिशाली नगर था। गुप्त वंश के उत्कर्ष का प्रधान हेतु
लिच्छवि लोगों की सहायता थी। लिच्छवियों का प्रधान केंद्र
वैशाली में ही था। इस नगर में बहुत सी मोहरों के साँचे
मिले हैं, जिन्हें वैशाली के ‘श्रेष्ठीसार्धबाहकुलिकनिगम’
की ओर से काम में लाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि
इस विशाल नगरी के श्रेष्ठी (साहूकार), सार्धबाह (व्यापारी)
और कुलिक (शिल्पी) लोगों का एक बड़ा संघ (निगम) था,
जो अपनी मोहर से मुद्रित कर विविध व्यापारी आदेश जारी
करता था। इसी तरह की मोहरें इस काल के अन्य बहुत से
नगरों में भी मिली हैं, जिनसे सूचित होता है, कि वैशाली के
इस ‘श्रेष्ठीसार्धबाहकुलिकनिगम’ की शाखाएँ भारत के
अन्य विविध नगरों में भी व्याप्त थीं। गुप्त काल में वैशाली

बहुत वैभवपूर्ण नगरी थी और वहाँ शासन करने के लिये प्रायः राजकुल के कुमारामात्य नियत होते थे।

गुप्त काल में उज्जैनी भी बहुत समृद्ध देश में थी। गुप्त सम्राट् प्रायः वहाँ ही निवास करते थे। विशेषतया, शकों को परास्त करने के बाद जब साम्राज्य पच्छिम में गुजरात काठियावाड़ तक विस्तृत हो गया था, तब उज्जैनी ने साम्राज्य की द्वितीय राजधानी का पद प्राप्त कर लिया था। ज्योतिष के अनुशौलन का यह बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने यहीं अपनी वेधशाला बनाई थी, और देश तथा काल की भावना इसी को आधार बना कर की थी। गुप्तों के बाद भी भारतीय ज्योतिषी उज्जैनी को ही आधार बनाकर देश और काल की भावना करते रहे, और वहाँ की वेधशाला भारत भर में प्रसिद्ध रही।

गुप्त काल में मालवा का दशपुर भी एक अत्यंत समृद्ध नगर था। सम्राट् कुमारगुप्त के समय के मंदसौर में प्राप्त एक शिलालेख में इस नगर के सौंदर्य और वैभव का बड़ा उत्तम वर्णन किया गया है। इसके गगनचुम्बी सुंदर प्रासादों की माला, रमणीक वाटिकाओं की छटा, मदमत्त हाथियों की क्रीड़ा, पिञ्जरबद्ध हंसों के विलास और रमणियों के संगीत के वर्णन को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है, कि दशपुर एक बहुत ही समृद्ध नगर था। कुमारगुप्त के इस शिलालेख के रचयिता कवि बरसभट्टि ने दशपुर का वर्णन करते हुए लिखा है, 'इस नगरी में कैलाश के शिखर के समान ऊँचे मकानों की पंक्तियाँ ऐसे शोभित होती थी, मानो गगन को छूते हुए विमानों की मालाएँ हों। नगर में बहुत से उद्यान, पार्क और बालाब थे, जिनमें विविध प्रकार के पक्षी हर समय कलरब करते रहते थे।'

इनके अतिरिक्त, कौशाम्बी, मथुरा, वाराणसी, चंपा, वासु-
लिप्ति, कान्यकुब्ज आदि अन्य बहुत सी नगरियाँ भी इस काल
में संपन्न अवस्था में विद्यमान थीं। फाइयान ने इन सब की
यात्रा की थी। इनके विहारों, स्तूपों, भिड्डुओं आदि के संबंध
में तो फाइयान ने बहुत कुछ लिखा है, पर स्पेद यही है, कि
इनके वैभव, समृद्धि, आर्थिक दशा व सामाजिक जीवन के
विषय में इस चीनी यात्री ने कुछ भी विवरण नहीं दिया।

(२) चीनी यात्री फाइयान

फाइयान का उल्लेख पहले भी हो चुका है। वह चीन के
अन्यतम प्रदेश शेन से की राजधानी चांग गान का रहने वाला
था। उसके समय तक चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका
था, बहुत से लोग भिक्षु जीवन को भी स्वीकार कर चुके थे।
फाइयान बचपन से ही प्रव्रज्या ग्रहण करके बौद्ध धर्म के अध्या-
यन में अपना संपूर्ण समय व्यतीत कर रहा था। उसने
अनुमान किया, कि चीन में जो विनय पिटक हैं, वे अपूर्ण हैं।
प्रामाणिक धर्म-ग्रंथों की खोज में उसने भारतयात्रा का संकल्प
किया। चीन से चलकर भारत पहुँचने और यहाँ से अपने
देश को वापस लौटने तक उसे कुल १५ वर्ष लगे। चौथी सदी
के अंत में वह चीन से चला था, और सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय
विक्रमादित्य के शासनकाल में पाँचवीं सदी के शुरू में उसने
भारत के विविध प्रदेशों का भ्रमण किया था। उसके यात्रा-
विवरण में से हम यहाँ कुछ ऐसे प्रसंग उद्धृत करते हैं, जो
इस समय के भारत के जीवन पर प्रकाश डालते हैं।

“इस देश (शेन शेन, पूर्वी तुर्किस्तान में) के राजा का धर्म
हमारा ही है। यहाँ लगभग चार हजार से अधिक भ्रमण रहते
हैं। सब के सब हीनवान्त संप्रदाय के अनुयायी हैं। इधर के

देश के सब लोग क्या गृहस्थ और क्या भिक्षु सब भारतीय आचार और नियम का पालन करते हैं। यहाँ से पश्चिम में जिन-जिन देशों में गये, सभी में ऐसा ही पाया। सब गृहस्थांगी विरक्त भारतीय धर्मों और भारतीय भाषा का अभ्ययन करते हैं।

“खोतान जनपद सुखप्रद और संपन्न है। अधिवासी धार्मिक हैं।

‘कुफेन (काबुल) में एक सहस्र से अधिक भिक्षु हैं। सब महायान के अनुयायी हैं।

“किचा के भ्रमणों का आचार आश्चर्यजनक है, इतना विधिनिषेधात्मक कि वर्णनातीत है।

“गांधार देश के निवासी सब हीनयान के अनुयायी हैं। वज्रशिला में राजा, मंत्री और जनसाधारण सब उनकी (स्तूपों की) पूजा करते हैं। इन दोनों स्तूपों पर पुष्प और दीप चढ़ाने वालों का ताँता कभी नहीं टूटता।

“यहाँ (पुष्पपुर—पेशावर में) सात सौ से अधिक भ्रमण होंगे। जब मध्याह्न होता है, भ्रमण भिक्षापात्र लेकर निकलते हैं।

“(पेशावर से) दक्षिण दिशा में १६ योजन चलकर नगर जनपद की सीमा पर हेलो (हिह्वा) नगर में पहुँचे, वहाँ बिहार पर सोने के पत्र चढ़े हैं और सप्तरत्न जड़े हैं।

“(मथुरा को जाते हुए) मार्ग में लगावार बहुत बिहार मिले, जिनमें लाखों भ्रमण मिले। सब स्थानों में होते हुए एक जनपद में पहुँचे, जिसका नाम मथुरा था। नदी के दायें बायें किनारे तीस बिहार थे, जिनमें तीस हजार से अधिक भिक्षु थे। अब तक बौद्ध धर्म का अच्छा प्रचार है। मरुभूमि से पश्चिम भारत के सभी जनपदों के अधिपति बौद्ध धर्म के अनुयायी मिले।

भिज्जुसंघ को भिक्षा कराते समय वे अपने मुकुट उतार डालते हैं। अपने बंधुओं और अमात्यों सहित अपने हाथों से भोजन परोसते हैं। परोस कर प्रधान महासंघ (स्वविर) के आगे आसन बिछवा कर बैठ जाते हैं। संघ के सामने खाट पर बैठने का साहस नहीं करते। तथागत के समय में जो प्रथा राजाओं में भिक्षा कराने की थी, वही अब तक चली आती है।

'यहाँ से दक्षिण मध्यदेश कहलाता है। यहाँ शीत और उष्ण सम है। प्रजा प्रभूत और सुखी है। व्यवहार की लिखा-पढ़ी और पंचायत कुल नहीं है। लोग राजा की भूमि जोसते हैं और भूज का अंश देते हैं। जहाँ चाहें जायें, जहाँ चाहें रहें। राजा न प्राणदंड देता है, और न शारीरिक दंड देता है। अपराधी को अवस्थानुसार उत्तम साहस व मध्यम साहस का अर्थदण्ड दिया जाता है। बार-बार दस्युकर्म करने पर दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतीहार और सह-चर वेतनभोगी हैं। सारे देश में कोई अधिवासी न जीवहिंसा करता है, न मद्य पीता है और न लहसुन-प्याज खाता है, सिवाय चाण्डाल के। दस्यु को चाण्डाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं, और नगर में जब पैठते हैं, तो सूचना के लिये लकड़ी बजाते चलते हैं कि लोग जान जायें और बचाकर चलें, कहीं उनसे छू न जायें। जनपद में सूअर और मुर्गी नहीं पालते, न जीवित पशु बेचते हैं, न कहीं सूनामार और मद्य की दुकानें हैं। कय-विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार है। केवल चाण्डाल मछली मारते, सृगवा करने और मांस बेचते हैं।

“अमात्यों का कृत्य शुभ कर्मों से धनोपार्जन करना, सूत्र का पाठ करना और ध्यान लगाना है। आगतुक (अतिथि) भिज्जु आते हैं, तो रहने वाले (स्थायी) भिज्जु उन्हें आगे बढ़कर

लेते हैं। उनके भिक्षापात्र और वस्त्र स्वयं ले आते हैं। उन्हें पैर धोने को जल और सिर में लगाने को तेल देते हैं। विभाम ले लेने पर उनसे पूछते हैं कि कितने दिनों से प्रव्रज्या ग्रहण की है। फिर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार आवास देते हैं और यथानियम उनसे व्यवहार करते हैं।

“जब भिक्षु वार्षिकी अप्रहार पा जाते हैं, तब सेठ और ब्राह्मण लोग वस्त्र और अन्य उपस्कार बाँटते हैं। भिक्षु उन्हें लेकर यथाभाग विभक्त करते हैं। बुद्धदेव के बोधिप्राप्ति काल से ही यह रीति, आचार-व्यवहार और नियम अविच्छिन्न लगातार चले आते हैं। हिन्दु (सिंधु नदी) उतरने के स्थान से दक्षिण भारत तक और दक्षिण समुद्र तक चालीस पचास हज़ार ली तक चौरस (भूमि) है। इसमें कहीं पर्वत मरने नहीं हैं, नदी का ही जल है।

“(कान्यकुब्ज = कन्नौज) नगर गंगा के किनारे है। दो संधाराम हैं, सब हीनयान के अनुयायियों के हैं। नगर से पश्चिम सात ली पर गंगा के किनारे बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था।

“दक्षिण दिशा में चले। आठ योजन चलकर कोशल जनपद के नगर भावस्ती में पहुँचे। नगर में बहुत कम अधिवासी हैं, और जो हैं, तितर-वितर हैं। सब मिलाकर दो सौ से कुछ ही अधिक घर होंगे।

“मध्यदेश में ६६ पापंड्यों (संप्रदायों) का प्रचार है। सब लोक-परलोक का मानते हैं। उनके साधु संप हैं। वे भिक्षा करते हैं, केवल भिक्षापात्र नहीं रखते। सब नाना रूप से धर्मानुष्ठान करते हैं। मार्गों पर धर्मशालायें स्थापित की हैं। वहाँ आये गये को आवास, खाट, विस्तर, खाना-पीना मिलता है। यही भी वहाँ आते-जाते और निवास करते हैं।

“कपिलवस्तु नगर में न राजा है, न प्रजा। केवल खंडहर और उजाड़ है। कुछ भ्रमण रहते हैं, और इस घर अधिवासी हैं। कपिलवस्तु जनपद अनशून्य है। अधिवासों बहुत कम हैं। मार्ग में श्वेत हस्ती और सिंह से बचने की आवश्यकता है, बिना सावधानी के जाने योग्य नहीं है।

“राजगृह नगर के भीतर सुनसान है, कोई मनुष्य नहीं।”

“दक्षिण जनपद बड़े निराले हैं। मार्ग भयावह और दुस्तर है। कठिनाइयों को मेल कर जाने के इच्छुक सदा धन और उपहार वस्तु साथ ले जाते हैं, और जनपद के राजा को देते हैं। राजा प्रसन्न होकर रत्नक मनुष्य साथ भेजता है, जो एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक पहुँचाते और सुगम मार्ग बताते हैं।

“वासुलिप्ति नगर एक बंदरगाह है, इस जनपद में २४ संवाराम हैं। भ्रमण संघ में रहते हैं। बौद्ध धर्म का भी अच्छा प्रचार है।”

काइयान के इन उद्धरणों में भी यद्यपि बौद्ध धर्म की दशा का ही चित्रण अधिक है, पर उस समय के भारत का कुछ न कुछ निदर्शन इनसे अवश्य मिल जाता है। पाटलीपुत्र उस समय भारत का सबसे बड़ा नगर था, वहाँ के निवासी संपन्न और समृद्ध थे। काइयान वहाँ तीन साल तक रहा। बौद्ध धर्म के जिन प्रंधों का वह अध्ययन करना चाहता था, वे सब उसे यहीं मिले। पर भावस्तो, कपिलवस्तु, राजगृह आदि अनेक पुराने नगर इस समय खंडहर हो चुके थे।

(३) रहन-सहन और आमोद-प्रमोद

गुप्तकालीन भारत में श्रुत के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। गुप्तकाल के सिक्कों पर सचाटों के जो चित्र हैं, उनमें दो प्रकार की पाशाएँ हैं। कुछ तिककों पर

सस्राट् लम्बा कोट, पायजामा और सिर पर मुकुट के ढंग की टोपी पहने हुए हैं। संभवतः, यह पोशाक शीत ऋतु की थी। दूसरे सिक्कों में धोती और उत्तरीय धारण किये हुए सस्राटों के चित्र हैं। संभवतः, गरमी के मौसम में कोट और पायजामे की जगह धोती और उत्तरीय धारण किया जाता था। कुछ विद्वानों का खयाल है, कि कोट और पायजामे की पोशाक पश्चिम से भारत में आई थी। शक, यवन और कुशाण लोग जो पश्चिम की ओर से भारत में आये थे, वे यह पोशाक पहनते थे। उन्हीं के अनुकरण में भारत के बड़े लोग ये वस्त्र पहनने लगे, और गुप्तों के सिक्कों पर इस पोशाक की सत्ता पश्चिमी प्रभाव की सूचक है। पर यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती। गुप्तों के सिक्कों पर सस्राटों की जो दो प्रकार की पोशाक है, उसका कारण शीत और प्रोष्ण ऋतु ही हैं। भारत के बड़े और सर्वसाधारण लोग बहुत पुराने समय से ऋतुभेद से विविध प्रकार के वस्त्र पहनते आये हैं।

राजा लोग सिर पर मुकुट धारण करते थे, और सर्वसाधारण लोग उष्णीष (पगड़ी) पहनते थे। स्त्रियों की पोशाक साड़ी थी। पर लहंगे का भी रिवाज बहुत था। नृत्य के अवसरों पर तो मुख्यतया लहंगा ही पहना जाता था। गुप्तकाल की स्त्रियों के अनेक चित्र गुफ्तारों में उत्कीर्ण व चित्रित किए हुए मिले हैं। इनमें उनकी पोशाक साड़ी और चोली ही है। गुप्तकाल के स्त्री-पुरुष अपने शृंगार पर बड़ा ध्यान देते थे। केशों को तरह तरह से सजाते, मुख पर पराग और लाली लगाते तथा विविध प्रकार के आभूषण पहन कर अपनी सुन्दरता को बढ़ाने की तरफ उस समय के लोगों का बहुत ध्यान रहता था। गुप्तकाल के जो भी चित्र चामूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, सब में स्त्री और पुरुष दोनों के विविध अंगों में आभू-

षण्ठी की प्रचुरता है। इस युग के साहित्य में भी आभूषणों ने शरीर को अलंकृत करने का बहुत बखान आता है। सूती कपड़े तो उस समय पहने ही जाते थे, पर रेशमी और ऊनी वस्त्रों का भी रिवाज बहुत अधिक था। फ्राइयान ने कई जगह रेशमी और ऊनी कपड़ों का उल्लेख किया है। इस युग के साहित्य में भी तरह-तरह के रेशम का बखान आता है। भारत में यह युग बहुत समृद्धि और वैभव का था। अतः यदि इस काल के भारतीय भाँति-भाँति के सुन्दर वस्त्र पहनते, अपने शरीर का शृंगार करते और अपने को विविध आभूषणों से अलंकृत करने पर विशेष ध्यान देते थे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य इसी युग में लिखे थे। उनमें शृंगारप्रिय स्त्रियों के विलास का जो बखान स्थान-स्थान पर उपलब्ध होता है, उससे इस काल के रहन-सहन पर बड़ा अच्छा प्रकार पड़ता है। कालिदास ने लिखा है कि स्त्रियाँ सुगंधित द्रव्य जलाकर उनको उष्णता से अपने गीले केशों को सुखाती तथा सुगंधित करती थीं। बाल सूख जाने पर उनको विविध प्रकार से बेण्ठी बनाई जाती थी और फिर उन्हें मंदार आदि के फूलों से गंधा जाता था। अजंठा की गुफाओं में स्त्रियों के जो विविध चित्र चित्रित हैं, उनमें केशों के शृंगार को देखकर आश्चर्य होता है। यह कला गुप्तकाल में उत्पत्ति की चरम सीमा तक पहुँच गई थी।

गुप्तकाल के भारतीय आमोद-प्रमोद को भी बड़ा महत्त्व देते थे। वात्स्यायन का कामसूत्र गुप्तचरों के प्रारंभ से कुछ ही समय पूर्व बना था। उसके अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि प्राचीन भारत में पाँच प्रकार से आमोद-प्रमोद मनाया जाता था। लोग धार्मिक उत्सवों में बड़ा आनन्द लेते थे। समय-समय पर रथयात्रायें हुआ करती थीं। फ्राइयान ने बहुत से

नगरों में इस प्रकार की रथयात्रायें अपनी आँसों से देखी थीं, जिनमें हजारों नर-नारी सम्मिलित होते थे। इन अवसरों पर दीपक जलाये जाते थे, पंढियाँ बजती थीं और लोग सुरी मनाते थे। गोष्ठियों का भी उस समय बहुत रिवाज था। एक हीस्त्रियत के लोग अपनी-अपनी गोष्ठियों में एकत्र होकर नाचने गाने आदि का आनंद उठाते थे, और तरह-तरह से आमोद-प्रमोद करते थे। इकट्ठे होकर पान (शराव सेवन) का भी इस समय रिवाज था। फाइयान जिन लोगों में रहा, वे चाहे शराव न पीते हों, पर सर्वसाधारण लोगों में पान का काफी प्रचार था। बगीचों में सैर करना और तरह-तरह के खेल खेलना आमोद-प्रमोद के अन्य साधन थे। शिकार का भी उस समय काफी प्रचार था। गुप्त सम्राटों के सिक्कों में उन्हें शेर और बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। मौर्यकाल के समान गुप्तयुग में भी गणिकाओं को समाज में स्थान प्राप्त था। वे वादन, गायन तथा नृत्य में निपुणता प्राप्त कर जनता का मनोरंजन करती थीं।

(४) निर्वाह व्यवस्था

गुप्तकाल में वस्तुओं का मूल्य बहुत कम था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय के एक शिलालेख में यह उल्लेख है कि “चातुर्दश आर्य (भित्त) संघ को बारह दीनारों (सुवर्ण-मुद्रा) अक्षय-नोधि (स्थिर धरोहर) के रूप में इस लिये दी जाती हैं, कि उसके सूद से संघ में प्रविष्ट होने वाले एक मिड्डु को सदा के लिये प्रतिदिन भोजन मिलता रहे।” उस काल में सूद की दर १२ से २४ फीसदी वार्षिक तक होती थी। अजयनीधि को दशा में सूद की दर १२ फीसदी वार्षिक समझी

जा सकती है। इस हिसाब से १२ दीनारों का वार्षिक सूद १३ दीनार के लगभग होगा। अभिप्राय यह हुआ कि गुप्तकाल में १३ दीनार एक भिक्षु के साल भर के भोजन व्यय के लिये पर्याप्त थीं। १३ दीनार में १ तोले के लगभग सोना होता था। सोने का मूल्य आजकल (१९०) रुपया प्रति तोला है। पर साधारण दशा में ३० रुपया प्रति तोला रहता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के भोजन का निर्वाह ढाई रुपये मासिक में उस समय बहुत अच्छी तरह हो जाता था।

गुप्तकाल के एक अन्य लेख के अनुसार अश्रकादेव नाम के अमात्य ने एक ग्राम पंचायत के पास २५ दीनार इस उद्देश्य से जमा कराये थे, कि उनके सूद से 'यावच्छन्द्र-दिवाकरौ' सदा के लिये पाँच भिक्षुओं का भोजन व्यय दिया जाय। संभवतः ग्राम-पंचायत (पंचमंडली) अधिक ऊँची दर से सूद देती थी। यदि २५ फी सदी की दर से अमात्य अश्रकादेव का यह धन ग्राम पंचायत ने लिया हो, तो २५ दीनारों का सूद ६ दीनार के लगभग प्रतिवर्ष होगा। इस रकम से पाँच भिक्षुओं के भोजन का चर्च भलीभाँति चल सकता था। अकबर के समय में भी भारत में अन्न के मूल्य बहुत कम थे। उसके शासनकाल में भी दो या तीन रुपये मासिक में एक व्यक्ति अपना भोजन व्यय भलीभाँति चला सकता था। गुप्तकाल में भी भोज्य पदार्थों के भाव इतने सस्ते थे कि सदा या डेढ़ दीनार वार्षिक में निर्वाह अच्छी तरह चल जाता था। भावों के इतने सस्ते होने के कारण ही इस काल के विनिमय में कौड़ियों का भी व्यवहार होता था। सोने के सिक्के तो बहुत ही मूल्यवान थे। पर चाँदी और ताम्र के छोटे सिक्कों का भी बहुत चलन था, और छोटी-छोटी चीजों के विनिमय के लिये कौड़ियाँ प्रयुक्त की जाती थीं।

(५) आर्थिक जीवन

व्यवसायी और व्यापारी गुप्तकाल में भी श्रेणियों और निगमों में संगठित थे। गुप्तकाल के शिलालेखों और मोहरों से सूचित होता है, कि उस समय में न केवल श्रेणियों और सार्ववाहों के निगम थे, अपितु जुलाहे, तेली आदि विविध व्यवसायी भी अपनी-अपनी श्रेणियों में संगठित थे। जनता का इन पर पूर्ण विश्वास था। यही कारण है कि इनके पास रुपया विविध प्रयोजनों से धरोहर (अक्षयनीति रूप में या सामयिक रूप में) रखा दिया जाता था, और ये उस पर सुदृष्टि करते थे। इन निगमों व श्रेणियों का एक मुखिया व उसको परामर्श देने के लिये चार या पाँच व्यक्तियों की एक समिति रहती थी। व्यवसायियों और व्यापारियों के इन संगठनों पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ इतना लिखना ही पर्याप्त है, कि ये श्रेणियाँ और निगम गुप्तकाल में भी विद्यमान थे, और देश का आर्थिक जीवन इन्हीं में केन्द्रित था। कुमारगुप्त प्रथम के समय के एक शिलालेख में पटकारों (जुलाहों) की एक श्रेणी का उल्लेख है, जो लाट (गुजरात) देश से आकर दशपुर में बस गई थी। इसी तरह स्कंदगुप्त के एक शिलालेख में 'इंद्रपुर निवासिनी तैलिक श्रेणियों' का उल्लेख है। इसी प्रकार मृत्तिकार (कुम्हार), शिल्पकार, वणिक् आदि की भी श्रेणियों का उल्लेख इस युग के लेखों में है। अकेले वैशाली से २०४ मट्टी की मोहरें मिली हैं, जो विविध लेखों को मुद्रित करने के काम में आती थीं। ये मोहरें 'श्रेणी सार्ववाह कुलिक निगम' की हैं। उस काल में वैशाली में साहूकार, व्यापारी और शिल्पियों की श्रेणियों का यह सम्मिलित शक्ति-शाली निगम था। इसका कार्य भारत के बहुत से नगरों में

फैला हुआ था। जो पत्र इस निगम के पास आते थे, उन्हें बंद करके ऊपर से ये मोहरें लगाई जाती थीं, ताकि पत्र सुरक्षित रहे। इसका अभिप्राय यह है, कि अन्य नगरों में विद्यमान इस वैभवशाली निगम की शाखाओं के पास भी ऐसी मोहरों के साँचे थे, जिन्हें ये वैशाली के प्रधान निगम को पत्र भेजते हुए मुद्रित करने के काम लाते थे। निगम की मोहर (कामन सील) के अतिरिक्त इन पत्रों पर एक और मोहर भी लगाई जाती थी, जो संभवतः विविध नगरों में विद्यमान निगम शाखाओं के अध्यक्ष की निज् मोहर होती थी। वैशाली में प्राप्त 'श्रेष्ठी-सार्धवाह-कुलिक-निगम' की २७४ मोहरों में से ७५ के साथ ईशानदास की, ३८ के साथ मातृदास की और ३० के साथ गोमिस्वामी की मोहरें हैं। संभवतः ये व्यक्ति पाटलीपुत्र, कौशांबी आदि समृद्ध नगरों की निगमशाखा के अध्यक्ष थे, और उन्हें वैशाली के निगम के पास बहुधा पत्र भेजने की आवश्यकता रहती थी। इनके अतिरिक्त घोष, हरि-गुप्त, भवसेन आदि की भी पाँच-पाँच या छः-छः मोहरें निगम की मोहरों के साथ में मुद्रित हैं। ये अन्य निगम शाखाओं के अध्यक्ष थे। कुछ पत्रों पर निगम की मोहर के साथ 'जयत्य-नंतो भगवान्', 'जितं भगवता', 'नमः पशुपतये' सहस्र मोहरें भी हैं। संभवतः, ये इन पत्रों पर लगाई गई थीं, जो किसी मंदिर व धर्मस्थान से वैशाली के 'श्रेष्ठी-सार्धवाह-कुलिक-निगम' को भेजे गये थे। इन वैभवपूर्ण निगमों के पास धर्म-मंदिरों का रुपया अक्षयनीवि के रूप में जमा रहता था, और इसी लिये उन्हें इनके साथ पत्रव्यवहार की आवश्यकता रहती थी।

वैशाली के इस निगम के अतिरिक्त अन्यत्र भी इसी प्रकार के विविध निगम गुप्तकाल में विद्यमान थे। वर्तमान समय के बैंकों का कार्य इस काल में ये श्रेष्ठियाँ और निगम ही करते

थे। अपने मगदों का निर्णय भी वे स्वयं करते थे। उनका अपना न्यायालय होता था, जिसमें अपने धर्म, त्रिः और व्यवहार के अनुसार निर्णय किया जाता था। इनके मुखिया या प्रतिनिधि विषयवृत्ति को राजसभा के भी सभासद रहते थे। इस प्रकार स्पष्ट है, कि गुप्तकाल के आर्थिक जीवन में इन श्रेणियों व नगरों का बड़ा महत्व था।

श्रेणियाँ छोटी या बड़ी सब प्रकार की होती थीं। छोटी श्रेणियों में एक उस्ताद (आचार्य) अपने अतिवासीयों (शागिदों) के साथ व्यवसाय का संचालन करता था। कुम्हारों की श्रेणी को लीजिये। बहुत से ग्रामों व नगरों में यह श्रेणी होती थी। श्रेणि का मुखिया आचार्य कहलाता था। उसके साथ बहुत से शागिद (अतिवासी) रहते थे, जो आचार्य के घर में पुत्रों की तरह निवास करते थे। नारदस्मृति ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। वहाँ लिखा है—जिस किसी को कोई शिल्प सीखना हो, वह अपने बांधवों की अनुमति ले कर आचार्य के पास जाय और उससे समय आदि का निश्चय कर उसी के पास रहे। यदि शिल्प को जल्दी भी सीख जाय, तो भी जितने काल का फैसला कर लिया हो, उतने काल तक अवश्य ही गुरु के घर में निवास करे। आचार्य अपने अतिवासी के साथ पुत्र की तरह आचरण करे, कोई दूसरा काम उससे न ले, उसे अपने पास से भोजन देवे और उसे भलीभाँति शिल्प की शिक्षा दे। जब अतिवासी शिल्प को सीख ले, और निश्चित किया हुआ समय समाप्त हो जाय, तब आचार्य को दक्षिणा देकर और अपनी शक्ति भर उसको दक्षिणा द्वारा मान देकर फिर अपने घर लौट आवे।

नारदस्मृति के इस संदर्भ से एक छोटी श्रेणि (यथा कुम्हार श्रेणि) का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आचार्य के घर

में जो अतिवासी रहते थे, वे एक निश्चित समय तक शांतिर्हीन करने के लिए प्रतिज्ञा करते थे। उस बीच में आचार्य उनसे शिल्प संबंधी सब काम लेता था, बदले में केवल भोजन या निर्वाह खर्च देता था। एक-एक आचार्य के अधीन बहुत-बहुत से अतिवासी रहते थे। आचार्य को मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं होती थी। बाद में समय समाप्त हो जाने पर ये अतिवासी अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर सकते थे। भारत में ऐसी श्रेणियाँ मौर्यकाल से व उससे भी पहले से चली आ रही थीं। पर गुप्तयुग में अनेक व्यवसायों में छोटी-छोटी श्रेणियों का स्थान बड़े पैमाने की सुसंगठित श्रेणियों ने ले लिया था। मंदसोर की प्रशस्ति में जिस पटफार श्रेणि के जाट देश से दशपुर आकर बस जाने का उल्लेख है, उसके संबंध में यह लिखा है कि उसके बहुत से सदस्य थे, जो भिन्न-भिन्न विद्याओं में निपुण थे। वस्त्र बुनने में तो सभी दक्ष थे, पर साथ ही उनमें से अनेक उर्ध्व गान, कथा, धर्मप्रसंग, ज्योतिष, शील, विनय और युद्ध विद्या में भी प्रवीण थे। मंदसोर के लेख में दशपुर की श्रेणि के सदस्यों के गुणों का जितने विस्तार से बर्णन किया गया है, उससे सूचित होता है कि यह श्रेणि बहुत शक्तिशाली, वैभवपूर्ण और संपन्न थी। उसमें अनेक कुलों और वंशों के व्यक्ति सम्मिलित थे। ये अपनी रक्षा के लिये स्वयं शस्त्रधारण भी करते थे। इस प्रकार की बड़ी-बड़ी श्रेणियों और निगमों का विकास गुप्तकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विविध श्रेणियों व निगमों के संघ भी इस समय तक बन गये थे, जो केवल एक नगर में ही नहीं, अपितु बहुत विस्तृत क्षेत्र में अपना कार्य करते थे। ये बड़ी-बड़ी श्रेणियाँ इतनी समृद्ध थीं, कि दशपुर की संतुषाव श्रेणि ने स्वयं अपने कमाये हुए धन से एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया

था, और उसी की प्रतिष्ठा के उपलक्ष में मंदसोर की प्रशस्ति उत्कीर्ण कराई थी।

गुप्तकाल में व्यापार भी बहुत विकसित था। न केवल भारत के विविध प्रदेशों में अपितु पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के समुद्र पार के देशों के साथ इस युग में भारत का व्यापारिक संबंध विद्यमान था। पाटलीपुत्र से कौशांबी और इज्जनी होते हुए एक सड़क मड़ौच को गई थी, जो इस युग में पश्चिमी भारत का बहुत समृद्ध नगर और बंदरगाह था। वहाँ से मिस्र, रोम, फारस और अरब के साथ व्यापार होता था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तट पर ताम्रलिप्ति बहुत बड़ा बंदरगाह था। वहाँ से भारतीय व्यापारी बरमा, जावा, सुमात्रा, चीन आदि सुदूर पूर्व के देशों में व्यापार के लिये आया-जाया करते थे। काइयान ने यहीं से अपने देश के लिये प्रस्थान किया था। इस युग में हिंदमहासागर के विविध द्वीपों और सुदूर पूर्व के अनेक प्रदेशों में बृहत्तर भारत का विकास हो चुका था। भारतीयों का अपने इन उपनिवेशों के साथ घनिष्ठ संबंध था। इन उपनिवेशों में आने-जाने के लिये ताम्रलिप्ति (वर्तमान तामलुक) का बंदरगाह बहुत काम में आता था। इसके अतिरिक्त भारत के पूर्वी समुद्र तट पर कर्कूर, पंदशाली, कावेरी पट्टनम, वोंदई, कोरकई आदि अन्य भी अनेक बंदरगाह थे।

ईजिप्ट और रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार गुप्तवंश के शासन से पहले प्रारंभ हो चुका था, वह अब तक भी जारी था। रोम की शक्ति के चोखे हो जाने के बाद पूर्व में कॉन्स्टैन्टिनोपल (पुराना काइजेंटियम) पूर्वी रोमन साम्राज्य का प्रधान केन्द्र हो गया था। कॉन्स्टैन्टिनोपल के सम्राटों के शासनकाल में भी भारत के साथ पश्चिमी दुनिया का व्यापार

संबंध कायम रहा, और यवन जहाज भड़ौच तथा पश्चिमी तट के अन्य बंदरगाहों पर आते रहे। रोम की शक्ति के क्षीण होने के बाद भारत के पश्चिमी विदेशी व्यापार में अरब लोगों ने अधिक दिलचस्पी लेनी शुरू की और भारत का माल अरब व्यापारियों द्वारा ही पश्चिमी दुनिया में जाने लगा। भारत से बाहर जाने वाले माल में मोती, मणि, सुगंधि, सूती वस्त्र मसाले, नील, औषधि, हाथी दाँत आदि प्रमुख थे। इनके बदले में चाँदी, ताँबा, टिन, रेशम, काफूर, घोड़े और खजूर आदि भारत में आते थे।

गुप्तकाल के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए यह भी लिखना आवश्यक है, कि दास प्रथा इस समय भी भारत में विद्यमान थी। याज्ञवल्क्य और नारद स्मृतियों में दासों का उल्लेख है, और उनके संबंध में अनेक प्रकार के नियम दिये गये हैं। दास कई प्रकार के होते थे, युद्ध में जीते हुए, जिन्होंने अपने को स्वयं बेच दिया हो, दासों की संतान, खरीदे हुए और सजा के रूप में जिसे दास बनने का दंड मिला हो। दास लोग पृथक् कमाई करके रुपया बचा सकते थे, और उससे स्वयं अपने को खरीद कर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे। नारद स्मृति के अनुसार जब कोई दास स्वतंत्रता प्राप्त करता था, तो वह अपने कंधे पर पड़ा लेकर खड़ा होता था। उसका स्वामी इस पड़े को दास के कंधे से लेकर फोड़ देता था और फिर जल उसके सिर पर छिड़कता था। उस जल में फूल और चने पड़े रहते थे। इस प्रकार स्वतंत्र हुए दास का अभिषेचन करके उसका भूतपूर्व स्वामी तीन बार घोषणा करता था, कि अब वह स्वतंत्र व्यक्ति है।

गुप्तकालीन भारत की आर्थिक समृद्धि के सब से उत्तम

प्रमाण उस युग की मूर्तियाँ, लीहस्तंभ और इसी प्रकार के अन्य अवशेष हैं। इन पर हम एक पृथक् अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

चाईसवाँ अध्याय

गुप्तकाल की कृतियाँ और अवशेष

(२) मूर्तियाँ

शिलालेखों और सिक्कों के अतिरिक्त गुप्तकाल की बहुत सी मूर्तियाँ, मंदिर, स्तंभ वगैरान्य अवशेष इस समय उपलब्ध होते हैं। जहाँ इनसे गुप्त साम्राज्य के वैभव का परिचय मिलता है, वहाँ उस युग की कला और शिल्प का भी अच्छा ज्ञान होता है। इन पर हम संक्षेप से प्रकाश डालेंगे। इस काल की मूर्तियाँ बौद्ध, शैव, वैष्णव व जैन, सब संप्रदायों की मिलती हैं। बौद्धधर्म की मुख्य मूर्तियाँ निम्नलिखित हैं—

१. सारनाथ की बुद्ध मूर्ति—इस मूर्ति में पद्मासन बाँध कर बैठे हुए भगवान बुद्ध सारनाथ में धर्मचक्र का प्रवर्तन करते हुए दिखाये गये हैं। बुद्ध के मुखमंडल पर अपूर्व शांति, प्रभा, कोमलता और गंभीरता है। अंग-प्रत्यंग में सौकुमार्य और सौंदर्य होते हुए भी ऐहलौकिकता का सर्वथा अभाव है। ऐसा प्रतीत होता है, कि बुद्ध लोकोत्तर भावना को लिये हुए, अपने ज्ञान (बोध) को संसार को प्रदान करने के लिए ही ऐहलौकिक व्यवहार में नत्पर हैं। मूर्ति में दोनों कंधे महीन बस्त्र से ढके हुए प्रदर्शित किये गये हैं, ये बस्त्र पैरों तक हैं, और आसन के समीप पैरों से इनका भेद स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। सिर के चारों ओर सुंदर, अलंकृत प्रभामंडल है, जिसके दोनों ओर दो देवों की मूर्तियाँ बनी हैं। देवने हाथ में पत्र-पुष्प लिये हुए हैं। आसन के मध्यभाग में एक चक्र

बनाया गया है, जिसके दोनों ओर दो मृग हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला का यह मूर्ति अत्यंत सुंदर उदाहरण है।

ऐसी ही अनेक मूर्तियाँ कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इनमें सारनाथ की मूर्ति से बहुत समता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि विविध भक्तों ने बुद्ध के प्रति अपनी भद्रा को प्रदर्शित करने के लिये इन विविध मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई थी।

२. मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति—इसके मुखमंडल पर भी शांति, करुणा और आध्यात्मिक भावना का अपूर्व सम्मिश्रण है। बुद्ध निष्कंप प्रदीप के समान खड़े हैं, और उनके मुख पर एक दिवीय स्मित भी है। इस मूर्ति में बुद्ध ने जो वस्त्र पहने हैं, वह बहुत ही महीन है। उसमें से उनके शरीर का प्रत्येक अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिर के चारों ओर अलंकृत प्रभामंडल है। यह मूर्ति इस समय मथुरा के म्यूजियम में सुरक्षित है। इसी के नमूने की खड़ी हुई अन्य बहुत सी बुद्ध मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो विविध संग्रहालयों में रखी गई हैं। ये सब मथुरा की मूर्तिकला के अनुपम उदाहरण हैं।

३. ताश्र की बुद्ध मूर्ति—यह बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में सुलतानगंज से प्राप्त हुई थी, और अब इंग्लैंड में बरमिंघम के म्यूजियम में रखी है। ताश्र की बनी हुई खड़े प्रकार की यह मूर्ति साढ़े सात फीट ऊंची है। इसमें बुद्ध का स्वरूप समुद्र की तरह गंभीर, महान, पूर्ण और लोकोत्तर है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभयमुद्रा में कुल आगे बढ़ा हुआ है। मुखमंडल पर अपूर्व शांति, करुणा और दिव्य तेज है। गुप्तकाल की मूर्तियों में ताश्र की यह प्रतिभा चस्तुतः खड़ी अद्भुत और अनुपम है। घात को टाल कर इतनी सुंदर मूर्ति जो शिल्पी बना सकते थे, उनकी कला, कला और प्रतिभा की सबमुच प्रशंसा करनी पड़ती है।

गुप्तकाल में मूर्तिनिर्माण कला के तीन बड़े केन्द्र थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलीपुत्र। तीनों केन्द्रों को कुछ अपनी-अपनी विशेषतायें थीं। ऊपर लिखी तीनों मूर्तियाँ इन केन्द्रों की कला की प्रतिनिधि समझी जा सकती हैं। इन्हीं के नमूने की बहुत सी मूर्तियाँ भारत के विविध स्थानों पर पाई जाती हैं। खेद यह है, कि इनमें से अधिकांश भग्न दशा में हैं। किसी का दाँवों हाथ टूटा है, तो किसी का बाँवों। किसी का सिर टूट गया है, और किसी के कान, नाक आदि तोड़ दिये गये हैं। समय की गति और कुछ मूर्तिपूजा विरोधी संप्रदायों के कोप का ही यह परिणाम हुआ है। फिर भी, गुप्तकाल की उपलब्ध मूर्तियाँ उस युग के शिल्पकारों की योग्यता और प्रतिभा को भलीभाँति प्रदर्शित करती हैं।

भगवान् बुद्ध की संपूर्ण मूर्तियों के अतिरिक्त इस काल के बहुत से ऐसे प्रस्तर फलक भी मिलते हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं को उत्कीर्ण करके प्रदर्शित किया गया है। ऐसे बहुत से प्रस्तरखंड सारनाथ में उपलब्ध हुए हैं, जिन पर लुम्बिनीवन में महात्मा बुद्ध का जन्म, बोधिवृक्ष के नीचे बुद्ध की ज्ञानप्राप्ति, सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन और कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण आदि प्रस्तरखंड को तरास कर सुंदर रीति से चित्रित किये गये हैं। इसी तरह बुद्ध की माता का स्वप्न, कुमार सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रमण, बुद्ध का विरवरूप प्रदर्शन आदि बहुत सी अन्य घटनायें भी मूर्तियों द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। पत्थर तरास कर उसे जीवित-जागृत रूप दे देने की कला में गुप्तकाल के शिल्पी बहुत ही प्रवीण थे।

बुद्ध की मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्त्वों और बौद्ध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी इस युग में बनाई गईं। बौद्ध धर्म में इस समय तक अनेक देवताओं व बोधिसत्त्वों की पूजा

का प्रारंभ हो चुका था। उनके संबंध में बहुत सी गाथायें बन गई थीं, और प्राचीन पौराणिक गाथाओं के समान लोग उन पर विश्वास करने लगे थे। यही कारण है, कि इन गाथाओं की अनेक घटनाओं को भी मूर्तियों द्वारा अंकित किया गया और बोधिसत्त्वों की बहुत सी छोटी-बड़ी मूर्तियाँ बनाई गईं। अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, मञ्जुषी आदि की अनेक और विविध प्रकार की मूर्तियाँ इस समय में बनीं। उनमें से अनेक इस समय में उपलब्ध भी हैं।

सनातन पौराणिक धर्म के साथ संबंध रखने वाली जो बहुत सी मूर्तियाँ गुप्तकाल में की बनी हुईं अब उपलब्ध होती हैं, उनमें से विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं—

१. मध्यभारत में भेलसा के पास उदयगिरि में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाये हुए मंदिरों के बाहर पूर्णियों का उद्धार करते हुए वाराह अवतार की एक विशाल मूर्ति मिली है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रलय के जल में भग्न होती हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिये भगवान् विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया था, और पृथ्वी को ऐसे उठा लिया था, मानो वह हलका सा फूल हो। इस मूर्ति में भगवान् के इसी वाराह रूप को अंकित किया गया है। इस मूर्ति में वाराह के बाँधे पैरों के नीचे शेष की आकृति बनी हुई है, और पृथ्वी को वाराह अपने दाँटों पर उठाये हुए है। मूर्ति का शरीर मनुष्य का है, पर मुख वाराह का है।

२.—गोवर्धनचारी कृष्ण—यह मूर्ति काशी के समीप एक टीले में मिली थी, और अब सारनाथ के संग्रहालय में रखी है। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को गेड़ की तरह उठाया हुआ है।

३.—शेषशापी विष्णु—भाँसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल के एक विष्णु मंदिर में विष्णु भगवान् की एक

मूर्ति है, जो शेषनाग पर शयन करती हुई दिखाई गई है। इसमें एक और शेषराशी विष्णु हैं, जिनके नाभिकमल पर ब्रह्मा स्थित हैं। चरखों के पास लक्ष्मी बैठी हैं। ऊपर आकाश में कार्तिकेय, इन्द्र, शिव, पार्वती आदि दर्शन कर रहे हैं। विष्णु के सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार तथा हाथों में कंकण हैं। साथ ही, अन्य अनेक देवो-देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं, जिनका निर्माण पौराणिक गाथाओं के अनुसार किया गया है।

४—कौशांबी की सूर्य मूर्ति—प्राचीन भारत में सूर्य की भी मूर्ति बनाई जाती थी और उसके अनेक मंदिर विविध स्थानों पर विद्यमान थे। इरापुर में सूर्य का एक मंदिर संतुचाओं की श्रेणी ने गुप्तकाल में ही बनवाया था। कौशांबी में प्राप्त सूर्य की यह मूर्ति भी बड़ी भव्य और सुन्दर है।

५—कार्तिकेय—यह मूर्ति काशी के कलाभवन में सुरक्षित है। यह मोर पर बैठी हुई बनाई गई है, और कार्तिकेय के दोनों पैर मोर के गले में पड़े हुए हैं। इसके भी सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार तथा अन्य बहुत से आभूषण हैं। कार्तिकेय देवताओं की सेना का सेनापति था। अतः उनके हाव-भाव में गांभीर्य और पीरुप होना ही चाहिये। ये सब गुण इस मूर्ति में सुन्दरता के साथ प्रगट किये गये हैं। मोर की पंख पीछे की ओर उठी हुई है। कुमारगुप्त प्रथम के अनेक सिक्कों पर कार्तिकेय का जो चित्र है, वह मूर्ति उससे बहुत कुछ मिलती-जुलती है।

६—भरतपुर राज्य में रूपवास नामक स्थान में चार विशालकाय मूर्तियाँ विद्यमान हैं, जिनमें से एक बलदेव की है। इसकी ऊँचाई सत्ताईस फीट से भी अधिक है। दूसरी मूर्ति लक्ष्मीनारायण की है। इसकी ऊँचाई नौ फीट से कुछ ऊपर है।

७—गुप्तकाल की अनेक मूर्तियाँ शिव की भी मिली हैं। सारनाथ के संग्रहालय में लोकेश्वर शिव का एक सिर है, जिसका जटाजूट चीन की भारतीय प्रभाव से प्रभावित मूर्तियों के सदृश है। इनके अतिरिक्त गुप्तकाल के अनेक शिवलिंग व एकमुख लिंग भी इस समय प्राप्त हुए हैं। एकमुख लिंग वे हैं जिनमें लिंग के एक तरफ मनुष्य के सिर की आकृति बनी होती है। ऐसा एक एकमुख लिंगपतिमा नागाद राज्य में मिली है, जिसके सिर पर रत्नजटित मुकुट है, और जटाजूट के ऊपर अवचंद्र विद्यमान है। जलाशय पर शिव का तृतीय नेत्र भी प्रदर्शित किया गया है।

८—बंगाल के राजशाही जिले में कुम्भलीला संबंधी भी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जो गुप्तकाल की मानी जाती हैं।

बौद्ध तथा पौराणिक मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्तकाल की जैन मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। मथुरा से बर्धमान महावीर की एक मूर्ति मिली है, जो कुमारगुप्त के समय की है। इसमें महावीर पद्मासन लगाये ध्यानमग्न बैठे हैं। इसी तरह की मूर्तियाँ गोरखपुर जिले वा अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं।

भारत में मूर्तिनिर्माण की कला बहुत प्राचीन है। शैशुनाग और मौर्यवंशों के शासन समय में इस कला ने विशेष रूप से उन्नति प्रारंभ की थी। यवन और शक लोगों के संपर्क से इस कला ने और अधिक उन्नति की। भारतीय अभ्यात्म और पारथात्य भौतिकवाद ने मिल कर एक नई शैली को जन्म दिया जिसने इस देश की मूर्तियों में एक अपूर्व सौंदर्य ला दिया। गुप्तकाल की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव का सर्वथा अभाव है। वे विशुद्ध भारतीय हैं। उनकी आकृति, मुद्रा और भावभंगी पुरुषतया भारतीय होते हुए भी उनमें अनुपम सौंदर्य है। भौतिक सौंदर्य की अपेक्षा भी उनमें आंतरिक शक्ति, ओज और आभ्या-

त्मिक आनंद को जो मूलक है, वह वर्णनातीत है। मूर्तिनिर्मा-
कला की दृष्टि से गुप्तकाल वस्तुतः अद्वितीय है। इस युग की
बनी हुई मूर्तियों का भारतीय इतिहास में जो स्थान है, वह
अन्य युग की मूर्तियों को प्राप्त नहीं है।

प्रस्तर मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्तकाल में मट्टी व मसाले की
मूर्तियों का भी रिवाज था। इस युग की अनेक नकाशीदार ईंटें
पहले साँचे से ढाली जाती थीं, फिर उन पर औजार से तरह-
तरह की चित्रकारी की जाती थी। फिर सुखा कर उन्हें पका
लिया जाता था। गुप्तकाल की ये नकाशीदार ईंटें बहुत ही
सुन्दर हैं और उन पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं।
ईंटों की तरह ही नकाशीदार खम्भे तथा अन्य इमारती सामग्री
भी तैयार किये जाते थे।

गुप्तकाल की मट्टी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, वे भी बौद्ध
और पौराणिक देवी-देवताओं की हैं। इनका सौंदर्य पत्थर
की मूर्तियों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। पकी हुई ईंटों का
चूरा तथा चूना भी मूर्तियों को बनाने के लिये प्रयुक्त होता
था। इस प्रकार की बहुत सी मूर्तियाँ सारनाथ, कोशांबी,
मथुरा, राजघाट, अहिच्छत्र, आबस्ती आदि प्राचीन स्थानों से
उपलब्ध हुई हैं। मूर्तियों के अतिरिक्त इन स्थानों से मट्टी पका
कर बनाये हुये खिलौने व मट्टी के बेल, हाथी, घोड़े व अन्य
छोटे-छोटे प्राणी भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल में
यह कला बहुत उन्नत दशा में थी। यही कारण है, कि उस
काल के खंडहरों में इस प्रकार की प्रतिमाएँ बहुतायत से मिलती
हैं। मिट्टी की बनी इन छोटी-बड़ी मूर्तियों द्वारा सर्वसाधारण
जनसमाज कला और सौन्दर्य का रसास्वादन कर सकता
था। देवी-देवताओं के अतिरिक्त सब प्रकार के स्त्री-पुरुषों की
छोटी-छोटी मूर्तियाँ इस काल में बहुत बनती थीं। शक, वचन,

हृद्य आदि जो विदेशी इस काल के भारतीय समाज में प्रचुर संख्या में दिखाई देते थे, कलाकारों का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट होगा था। यही कारण है, कि इस युग की मिट्टी की छोटी-छोटी मूर्तियों में इन विदेशियों की संख्या बहुत है।

(२) प्रस्तर-स्तंभ

अशोक के समान गुप्त सम्राटों ने भी बहुत से प्रस्तर-स्तंभ बनवाये थे। ये किसी महत्वपूर्ण विजय की स्मृति में या किसी सम्राट की कीर्ति को स्थिर करने के लिये या विविध प्रदेशों की सीमा निश्चित करने के लिये और धार्मिक प्रयोजन से बनाये गये थे। गुप्तकाल के अनेक स्तंभ इस समय उपलब्ध हुये हैं। प्रयाग में स्थित अशोक के पुराने स्तंभ पर सम्राट् समुद्रगुप्त की पश्चिमी उत्कीर्ण की गई है। गोरखपुर जिले में कहीम नामक स्थान पर स्कंदगुप्त का एक प्रस्तरस्तंभ है, जिस पर इस प्रतापी सम्राट् की कीर्ति अमर रूप से उत्कीर्ण की गई है।

गुप्तकाल में भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा में श्वजस्तंभ बनाने का बहुत रिवाज था। सम्राट् बुधगुप्त के समय का, सामंत राजा मातृविष्णु व धन्य विष्णु द्वारा बनवाया हुआ ऐसा एक स्तंभ एरस में विद्यमान है। कुमारगुप्त के समय का ऐसा ही एक स्तंभ मिलसद में स्थित है, जो स्वामी यथासेन के मंदिर के स्मारक रूप में बनवाया गया था। राखीपुर जिले में भित्तरी गाँव में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसके उपलक्ष में स्थापित किया हुआ एक स्तंभ उस गाँव में अब तक विद्यमान है। इसी तरह का एक स्मृतिस्तंभ पटना जिले के बिहार नगर में है, जो सेनापति गोपराज की यादगार में खड़ा किया गया था।

मौर्यकाल के स्तंभ गोल होते थे और उन पर विकना चमकदार बज्रलेप होता था। पर गुप्तकाल के स्तंभ गोल ब विकने नहीं हैं। गुप्तों के स्तंभ अनेक कोणों से युक्त हैं। एक ही स्तंभ के विविध भागों में विविध कोण हैं। कोई स्तंभ नीचे आधार में यदि चार कोणों का है, तो बीच में आठ कोणों का है। कई स्तंभ ऐसे भी हैं, जो नीचे चार कोणों के और बीच में गोल हैं। किसी-किसी स्तंभ में ऊपर सिंह व गण्ड की मूर्ति भी हैं। प्रस्तर के अतिरिक्त लोहे का २५ फीट ऊँचा लोहे का जो विशाल स्तंभ दिल्ली के समीप महरौली में खड़ा है, वह भी गुप्तकाल का ही है। यह लौहस्तंभ संसार के आश्चर्यों में गिना जाना चाहिये। इसका निर्माण भी विष्णु-ध्वज के रूप में ही हुआ था।

(३) भवन और मंदिर

गुप्तकाल के कोई राजप्रासाद या भवन अब तक उपलब्ध नहीं हुए। पाटलीपुत्र, उज्जैनी आदि किसी भी प्राचीन नगरी में गुप्त सम्राटों व अन्य सामंत राजाओं या धनी पुरुषों के महलों के कोई खंडहर अभी तक नहीं पाये गये। पर अमरसवती, नागार्जुनी, कोंड और अर्जुता की गुफाओं में विश्वमान विविध चित्रों व प्रतिमाओं में प्राचीन राजप्रासादों को भी चित्रित किया गया है। इस काल के साहित्य में भी सुंदर प्रासादों के वर्णन हैं, जिनसे सूचित होता है, कि गुप्तकाल के भवन बहुत विशाल और मनोरम होते थे।

सौभाग्यवश, गुप्तकाल के अनेक स्तूप, चिहार, मंदिर और गुफायें अब तक भी विश्वमान हैं। यद्यपि ये मगधशा में हैं, पर इनके अवलोकन से उस युग की वास्तुकला का भलीभाँति परिचय मिल जाता है। गुप्तकाल का प्रधान धर्म पौराणिक

था। यहाँ कारण है, कि इस युग में बहुत से वैष्णव, शैव और सूर्य देवता के मंदिर बनाये गये। अब तक जो पीतामिक मंदिर गुप्तकाल के मिले हैं, उनमें सर्वप्रधान तिम्नलिखित हैं—

१. मध्य भारत की नागोद रियासत में भूमरा नामक स्थान पर प्राचीन समय का एक शिवमंदिर है। अब यह बहुत भग्न-दशा में है। इसका केवल चबूतरा और गर्भगृह ही अब सुरक्षित है। चबूतरा प्रदक्षिणापथ के काम में आता था। मंदिर के गर्भ-गृह में एकमुख शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है, यह मूर्तिकला का एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है। मंदिर के द्वार स्तंभ के दाईं ओर गंगा और बाईं ओर यमुना की मूर्तियाँ हैं। अन्य अनेक सुंदर मूर्तियाँ भी वहाँ प्रस्तर पर उत्कीर्ण हैं।

२. मध्यप्रान्त के जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर गुप्तकाल का एक मंदिर पाया गया है, जो एक ऊँचे टीले पर स्थित है। यहाँ दो मंदिर हैं, एक को छत चपटी है और दूसरे की छत पर शिखर है। चपटी छत वाला मंदिर अधिक पुराना है और पाँचवीं सदी के शुरु में बना था। इसकी चौखट आदि की कारीगरी बहुत सुंदर है।

३. अजयगढ़ राज्य में भूमरा के समीप नचना कृषना नामक स्थान पर एक पुराना पार्वती का मंदिर है। इसकी बनावट भूमरा के मंदिर के ही समान है।

४. झाँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल का एक वशावतार का मंदिर है। गुप्त युग के मंदिरों में यह सब से प्रसिद्ध और उत्कृष्ट है। एक ऊँचे चबूतरे पर बीच में मंदिर है। इसके गर्भगृह में चार द्वार हैं, जिनके प्रस्तर-स्तंभों पर बहुत सुंदर मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। अंत-शायी विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति यहाँ पर विद्यमान है, और इस मंदिर के ऊपर एक शिखर भी है। भारत के आधुनिक

मंदिरों के ऊपर शिखर अवश्य होता है। पर गुप्तकाल में गुरु-गुरु में जो मंदिर बने थे, उनकी छत चपटी होती थी, और ऊपर शिखर नहीं रहता था। गुप्तकाल के समाप्त होने से पूर्व ही मंदिरों पर शिखरों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। देवगढ़ के इस दशावतार के मंदिर का शिखर संभवतः भारत में सबसे पुराना है, और इसी कारण इस मंदिर का बहुत महत्त्व है।

३. कानपुर के समीप भिटरगाँव में गुप्तकाल का एक विशाल मंदिर अब तक विद्यमान है, जो ईंटों का बना है। ऊपर जिन मंदिरों का उल्लेख किया गया है, वे प्रस्तुर-शिलाओं द्वारा निर्मित हैं। पर भिटरगाँव का यह मंदिर ईंटों का बना है, और उसकी दीवार का बाहरी अंश मट्टी के पकाये हुए फलकों से बनाया गया है। इन फलकों पर तरह-तरह की चित्रकारी व मूर्तियाँ अंकित की हुई हैं।

६. बंबई प्रांत में बीजापुर जिले में अपहोल नामक स्थान पर एक पुराना मंदिर है, जो गुप्तकाल का है। इसके भी प्रमुख द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ हैं, और इसकी खिड़कियाँ नकाशीदार पत्थर की बनी हैं।

७. आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर दहपरबतिया नामक स्थान पर एक मंदिर भद्र दशा में मिला है, यह भी गुप्तकाल का है।

पौराणिक धर्म के साथ संबंध रखने वाले इन मंदिरों के अतिरिक्त गुप्तकाल के बौद्ध धर्म के अनेक स्तूप व विहार आजकल विद्यमान हैं। सारनाथ का धमेख स्तूप गुप्तकाल में बना था। इस के बाहरी भाग में जो प्रस्तर हैं, वे अनेक प्रकार के चित्रों व प्रतिमाओं से अंकित हैं। चित्रों के बेल व बूटे बड़े सुंदर बनाये गए हैं। सारनाथ में ही एक प्राचीन विहार के खंडहर मिलते हैं, जो गुप्तकाल का माना जाता है। इसी तरह विहार

(पटना जिला) और नालंदा में पुराने विहारों के जो बहुत से खंडहर अब दिखाई देते हैं, वे गुप्तकाल के ही हैं।

गुप्तकाल के गुहाभवनों में मिलसा के समीप की उदयगिरि की गुहा सब से महत्त्व की है। यहीं पर बिष्णु के चारों ओर अवतार की विशाल प्रतिमा खड़ी है, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। उदयगिरि की इस गुहा के द्वारस्तंभों तथा अन्य दीवारों पर भी बहुत सी प्रतिमाएँ उन्कीर्ण हैं। अजंता की विश्वविख्यात गुहाओं में से भी कम से कम तीन गुप्तकाल में बनी थीं। अजंता में छोटी-बड़ी कुल उनवीस गुहाएँ हैं। इनके दो भेद हैं, स्तूपगुहा और विहारगुहा। स्तूपगुहाओं में केवल उपासना की जाती थी। ये लंबाई में अधिक हैं, और इनके आसिरी सिरे पर एक स्तूप है, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने की जगह होती है। विहारगुहाओं में भिक्षुओं के रहने और पढ़ने-लिखने के लिये भी जगह बनाई गई है। ये सब गुहाएँ हैदराबाद (निजाम) राज्य में फरदापुर गाँव के समीप हैं। इन सबको पहाड़ काट कर बनाया गया है। बाहर से देखने पर पहाड़ ही दृष्टिगोचर होता है, पर अंदर विशाल भवन बने हैं, जिनकी रचना पत्थर काट कर की गई है। गुप्तकाल में बनी १६ नं० की गुहा ६५ फीट लंबी और इतनी ही चौड़ी है। इसमें रहने के ६ कमरे हैं, और कुल मिला कर १६ स्तंभ हैं। १७ नं० की गुहा भी आकार में इतनी ही बड़ी है।

ऊपर जिन स्तंभों, मंदिरों, स्तूपों व गुहाभवनों का उल्लेख किया गया है उनके अतिरिक्त गुप्तकाल के नगरों के भी कुछ अवशेष इस समय उपलब्ध हुए हैं। भारत के पुरातत्व विभाग ने प्राचीन नगरों के खंडहरों की अभी पूरी तरह खुदाई नहीं की है। बहुत से बड़े-बड़े खेड़े अभी उन स्थानों पर बिना छुप

हो पड़े हैं, जहाँ किसी जमाने में फलते-फूलते समृद्ध नगर विद्यमान थे। ऐसे कुछ स्थानों पर खुदाई का जो कार्य पिछले सालों में हुआ है, उससे गुप्तकाल के नगरों के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। पर अभी यह कार्य नहीं के बराबर हुआ है। आशा है, कि पुरातत्त्व विभाग के प्रयत्न से अभी अन्य बहुत से अवशेष प्राप्त हो सकेंगे।

गुप्तकाल में पाटलीपुत्र, वैशाली, पुंड्रवर्धन, कौशांबी, आहिच्छत्र, वाराणसी (सारनाथ और राजघाट), उज्जैनी, मथुरा आदि बहुत से समृद्ध नगर थे। इनके गगनचुंबी राजप्रासादों, विहारों और भवनों की जगह अब ऊँचे-ऊँचे खड़े खड़े हैं। जहाँ कहीं भी पुरातत्त्व विभाग की ओर से खुदाई हुई है, वहाँ मट्टी के बरतनों, प्रतिमाओं, ईंटों (सादी और नकाशीदार), मूर्तियों और पुरानों दीवारों के खंडहर प्रचुर मात्रा में मिले हैं। कहीं-कहीं भवनों और मंदिरों की नींव की दीवारें भी अलुण्ण रूप में प्राप्त हुई हैं। ये सब सूचित करती हैं, कि गुप्तों के समय में भारत के निवासी बड़े समृद्ध और वैभवपूर्ण थे, और वे एक सभ्य और सुसंस्कृत जीवन व्यतीत करते थे।

(४) चित्रकला

गुप्तकाल की चित्रकला के सब से उत्तम अवशेष अजंता की गुहाओं में विद्यमान हैं। ऊपर अजंता की नं० १६ और नं० १७ की जिन गुहाओं का उल्लेख हुआ है, उनकी दीवारों पर बड़े सुंदर चित्र बने हुए हैं, जो कला की दृष्टि से अनुपम हैं। नं० १६ की गुहा में चित्रित एक चित्र में रात्रि के समय कुमार सिद्धार्थ गृहत्याग कर रहे हैं। यशोधरा और उनके साथ शिशु राहुल सोया हुआ है। समीप में परिचारिकाएँ भी

गहरी नींद में सो रही हैं। सिद्धार्थ इन सब पर अंतिम दृष्टि डाल रहे हैं। उस दृष्टि में मोह-भ्रमता नहीं है, इन सब के प्रति निर्मोहबुद्धि उस दृष्टि की विशेषता है, जिसे चित्रित करने में चित्रकार को अपूर्व सफलता हुई है। १६ वीं गुहा के एक अन्य चित्र में एक मरणासन्न कुमारी का चित्र अंकित है, जिसकी रक्षा के सब प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं। मरणासन्न राजकुमारी की दशा और समीप के लोगों की विकलता को इस चित्र में बड़ी सुंदरता के साथ प्रगट किया गया है। १७ वीं गुहा में एक चित्र में माता-पुत्र का एक प्रसिद्ध चित्र है। संभवतः, यह चित्र यशोधरा का है, जो अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के अर्पण कर रही है। बुद्ध हो जाने के बाद सिद्धार्थ एक बार फिर कपिलवस्तु गये थे। जब वे भिक्षा माँगते हुए यशोधरा के घर गये, तो उसने राहुल को उनकी भेंट किया। उसी दृश्य को इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। माता यशोधरा के मुख पर जो आग्रह और विवशता का भाव है, वह सच्चमुच अनुपम है। बालक राहुल के मुख पर भी आत्मसमर्पण का भाव बड़े सुंदर रूप में अंकित है।

इसी गुहा में एक अन्य चित्र एक राजकीय जलूस का है, जिसमें बहुत से आदमी अनुपम रूप से सज-धज कर जा रहे हैं। किसी के हाथ ऊँचा छत्र है, किसी के हाथ में बजाने की शृंगी। स्त्रियों के शरीर पर सुंदर आभूषण हैं, और उनके वस्त्र इतने महीन हैं, कि सारा शरीर दिखाई पड़ता है। इस गुहा के अनेक चित्र जातक ग्रंथों के कथानकों को दृष्टि में रख कर बनाये गये हैं। वेस्तंतर जातक के अनुसार बनाये एक चित्र में एक वानप्रस्थ राजकुमार से एक वाचक ब्राह्मण उसके एकमात्र अल्पवयस्क पुत्र को माँग लेता है। बचनबद्ध राजकुमार अपने पुत्र को सहर्ष दे देता है। चित्र का ब्राह्मण बहुत लीलाकार्य है, उसके दाँव बाहर

निकले हुए हैं। तपस्वी राजकुमार बिना किसी लोभ व दुःख के अपने बालक को देने के लिये उत्थत है, और बालक का शरीर अतीव हृष्टपुष्ट और सुंदर है। एक अन्य चित्र में चार दिव्य गायक प्रदर्शित किये गये हैं, जिनकी गान में तल्लीनता देखते ही बनती है। अजन्ता की नं० १७ की गुहा में इसी तरह के बहुत से चित्र हैं, जिन्हें देखते हुए मनुष्य कभी वृत्त नहीं होता। वे दर्शक को एक कल्पनामयी मधुर दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पहुँच कर मनुष्य अपने को पूर्णतया भूल जाता है।

अजन्ता के समान ही, ग्वालियर राज्य के अमरेश खिले में वाघ नामक स्थान पर अनेक गुहामंदिर मिले हैं, जो विष्णुचल की पहाड़ियों को काट कर बनाये गये हैं। इन्हें गुप्तकाल के अंतिम भाग का माना जाता है। इनमें भी अजन्ता के समान ही, बड़ी सुंदर चित्रकारी का गर्व है। इन गुहाओं की संख्या नौ है। इनमें से चौथी गुहा रंगमहल कहती है। इस समय इसके बहुत से चित्र नष्ट हो चुके हैं, विशेषतया दृत्त के चित्र तो बिलकुल ही मिट गये हैं। इस रंगमहल तथा पाँचवीं गुहा में कुल मिला कर छः चित्र इस समय सुरक्षित हैं, जो सौंदर्य और कला की दृष्टि से अजन्ता के चित्रों से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं।

गुप्तकाल के साहित्यिक ग्रंथों में भी चित्रलेखन का अनेक स्थानों पर उल्लेख आता है। कवि विराहदत्त रचित मुद्राराक्षस में आचार्य चाणक्य द्वारा नियुक्त जिस गुप्तधर को अमात्य राक्षस की मुद्रा उपलब्ध हुई थी, वह यमराज का पट फैलाकर भिजामाँग रहा था। इस पट पर यमराज का चित्र अंकित था। अजन्ता के गुहाचित्रों में एक ऐसा भी है, जिसमें तपस्वी का एक दल चित्रपट हाथ में लिये भीख माँगता फिर रहा है। ये तपस्वी नंगे हैं, और हाथ में चित्रपट लिये हुए हैं। गुप्तकाल

में कपड़ों का एक ऐसा संग्रहालय था, जो इस तरह भिन्ना भिन्ना करता था। पर चित्र उस युग में केवल दीवारों पर ही नहीं बनाये जाते थे, अपितु कपड़े पर भी अनेक प्रकार के चित्र चित्रित किये जाते थे, यह इससे अवश्य सूचित होता है। कालिदास के काव्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है, कि उस युग में प्रेमी और प्रेयसी एक दूसरे के चित्रों को बनाते थे, और विवाह संबंध स्थिर करने से पूर्व चित्रों को भी देखा जाता था। कालिदास ने चित्र की कल्पना, तथा उन्मीलन (रंग भरना) का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया है।

गुप्तकाल में चित्रकला इतनी अधिक उन्नति कर चुकी थी, कि बृहत्तर भारत के विविध उपनिवेशों में भी अनेक गुहाचित्र व रेशमी कपड़े आदि पर बनाये हुए चित्र मिले हैं। ये सब गुप्तकाल के हैं, और उसी शैली के हैं, जो भारत में प्रचलित थी। भारत से ही चित्रकार इस काल में सुदूर देशों में गये थे और वहाँ उन्होंने अपनी कला के चमत्कार दिखाये थे।

(५) संगीत

समृद्धि और वैभव के इस काल में संगीत, अभिनय आदि का भी लोगों को बड़ा शौक था। गुप्त सम्राट् स्वयं संगीत के बड़े प्रेमी थे। इसीलिये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसे प्रतापी सम्राटों ने अपने कुछ सिक्के ऐसे भी जारी किये, जिनमें वे वीणा वा अन्य वाद्य का रसास्वादन कर रहे हैं। वाद्य के गुहामंदिरों के एक चित्र में नृत्य करने वाली दो मंडलियाँ दिखाई गई हैं। प्रथम मंडली में एक नर्तक नाच रहा है, और सात स्त्रियों ने उसे घेर रखा है। इनमें से एक स्त्री मृदङ्ग, तीन म्वाल और बाकी तीन कोई अन्य वाद्य बजा रही हैं। दूसरी मंडली में भी मध्य में एक नर्तक नाचता है, और छः स्त्रियाँ

द्विविध बाजा बजा रही हैं। सारनाथ में प्राप्त एक प्रस्तरखंड पर भी ऐसा ही दृश्य उत्कीर्ण है। इसमें नृत्य करने वाली भी स्त्री है और बाजा बजाने वाली भी अनेक स्त्रियाँ हैं। इन चित्रों को देखकर इसमें कोई संदेह नहीं रहता, कि गुप्तकाल में संगीत और नृत्य का बड़ा प्रचार था। सर्वसाधारण लोग इन कलाओं में बड़ा आनंद अनुभव करते थे।

इसी काल में कालिदास, विशाखदत्त आदि अनेक कवियों ने अपने नाटक लिखे। ये जहाँ काव्य की दृष्टि से अनुपम हैं, वहाँ अभिनयकला की दृष्टि से भी अत्यंत सुंदर और निर्दोष हैं। ये नाटक जहाँ स्वयं इस काल के संगीत और अभिनय के उत्कृष्ट प्रमाण हैं, वहाँ इनके अंदर भी नृत्य, गायन और अभिनय का जगह-जगह उल्लेख किया गया है।

तेईसवाँ अध्याय

भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों से विस्तार

(१) बृहत्तर भारत

मीयाँत्तर युग में किस प्रकार विदेशों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना का प्रारंभ हुआ था, इसका निदर्शन हम पहले कर चुके हैं। गुप्तकाल में यह प्रक्रिया पूर्ण बल से जारी रही, और परिणाम यह हुआ कि भारत से बाहर एक विशाल बृहत्तर भारत का निर्माण हो गया।

इस बृहत्तर भारत का सब से महत्वपूर्ण प्रदेश फुनान था। वहाँ के असली निवासी बिलकुल असभ्य और जंगली थे। वहाँ के स्त्री और पुरुष, सब नंगे रहते थे। जब पहले-पहल भारतीय लोग वहाँ गये, तब वहाँ सभ्यता का प्रारंभ हुआ। लोगों ने कपड़े पहनने सीखे, और वाक्यावदा वस्तियों में रहना शुरू किया। चौथी सदी के अन्तिम भाग में कौडिन्य नामक ब्राह्मण भारत से वहाँ गया। विद्या और बुद्धि के कारण फुनान के निवासियों ने, जिनमें पहले गये हुये भारतीय भी शामिल थे, उसे अपना राजा चुना। अब वहाँ वाक्यावदा भारतीय सभ्यता का प्रसार हो गया और फुनान एक भारतीय उपनिवेश बन गया। ब्राह्मण कौडिन्य वहाँ अकेला नहीं गया था, उसके साथ में अन्य बहुत से भारतीय भी थे, जो अपना देश छोड़कर सदा के लिये वहाँ बसने के लिये चले गये थे। पाँचवीं सदी के अन्तिम भाग में फुनान का राजा जयवर्मन था, जो कौडिन्य के वंशजों में से एक था। उसने ४५४ ईस्वी में

जयवर्मन को अपना राजदूत बनाकर चीनी सम्राट् के राज-दरबार में भेजा था। प्राचीन चीनी अनुश्रुति के अनुसार फुनान के निवासी शैवधर्म को मानने वाले थे, यद्यपि वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार भी धीरे-धीरे जारी था। जयवर्मन के शासनकाल में दो बौद्ध भिक्षु चीन में जाकर बस गये। वहाँ उन्होंने न केवल बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अपितु अनेक बौद्ध धर्मग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। जयवर्मन को पटरानी का नाम कुलप्रभावती था। इसके पुत्र का नाम रुद्रवर्मन था। कुलप्रभावती और रुद्रवर्मन द्वारा उत्कीर्ण कराये हुये अनेक संस्कृत शिलालेख इस समय भी फुनान में उपलब्ध होते हैं। भारत से बाहर सुदूर पूर्व में पाये गये इन संस्कृत लेखों से यह भलीभाँति ज्ञात होता है, कि गुप्तकाल में फुनान में संस्कृत का कितना प्रचार था, और यह राज्य एक प्रकार से भारत का भी एक अंग था। इन शिलालेखों से यह भी ज्ञात होता है, कि उस समय फुनान में शैव और बौद्ध धर्मों के अतिरिक्त वैष्णव धर्म का भी प्रचार था। जयवर्मा के बाद उसका लड़का रुद्रवर्मन फुनान का राजा बना। अपने शासनकाल में, ५१७ और ५३६ ईस्वी के बीच में इसने कई बार अपने दूतमंडल चीन के सम्राट् के पास भेजे। यही कारण है, कि चीन के प्राचीन ऐतिहासिक इतिवृत्त में इस राजा का वृत्तान्त काफी विस्तार से दिया गया है। इसके राज्य में सारा सिचवान और मलाया तथा लाखों प्रायद्वीप के अनेक प्रदेश सम्मिलित थे। कौशिक्य द्वारा स्थापित यह राजवंश छठवीं सदी के मध्य तक फुनान में राज्य करता रहा। बाद में कंबुज देश के शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। कंबुज राज्य वर्तमान कंबोडिया के उत्तरी प्रदेश में विद्यमान था। यह भी भारतीयों का ही एक उपनिवेश था,

और वहाँ के राजा धीरे-धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे थे।

सुदूर पूर्व में भारतीयों का दूसरा शक्तिशाली उपनिवेश चंपा था। इसकी स्थिति कंबोडिया के पूर्व में थी। वर्तमान समय में यह अनाम कहलाता है। पर उन्नीसवीं सदी के शुरु तक इसका नाम चंपा ही था। अनामोज लोगों ने इस प्रदेश पर आक्रमण करके चंपा के राजा को जीव लिया था। तब से अनाम कहलाता है। चंपा का पहला भारतीय राजा श्रीमार था। इसका समय दूसरी सदी में है। उस समय में चीनी साम्राज्य टोन्किन तक विस्तृत था। टोन्किन चंपा के ठीक उत्तर में है। चंपा के भारतीय राजा अपने सामुद्रिक वेड़े के साथ टोन्किन पर आक्रमण करते रहते थे, और अपने राज्य की सीमा को उत्तर में निरंतर बढ़ा रहे थे। श्रीमार का उल्लेख चंपा में प्राप्त एक शिलालेख में किया गया है, यह शिलालेख संस्कृत में है। चंपा भारतीयों का ही उपनिवेश था, और वहाँ की भाषा संस्कृत थी।

चीनी ऐतिहासिक इतिवृत्त से ज्ञात होता है, कि फन बेन नाम के चंपा के एक भारतीय राजा ने ३४० ईस्वी में चीन के सम्राट् के पास एक राजदूत भेजा। उसने अपने दूत से यह कहलवाया कि चीन और चंपा के बीच की सीमा होने सोन की पर्वतमाला को निश्चित कर लिया जाय। इस नई सीमा के अनुसार न्हुत नाम का उपजाऊ प्रदेश चंपा के राज्य में सम्मिलित हो जाता था। चीनी सम्राट् इसके लिये तैयार नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि ३४७ ईस्वी में फन बेन ने चीन पर आक्रमण कर दिया और न्हुत नाम को जीतकर चंपा का राज्य होने सोन पर्वतमाला तक विस्तृत हो गया। यद्यपि इस युद्ध में राजा फन बेन की मृत्यु हो गई, पर उसकी महत्वाकांक्षा और शौरता ने चंपा के राज्य का बहुत समृद्ध तथा शक्तिशाली

बना दिया। चीन और चंपा का संघर्ष राजा फन वेन के बाद भी जारी रहा। चंपा के राजा फन फो (३४६ से ३८० ई० तक) और फन हुआ (३८० से ४१३ ई० तक) के शासनकाल में चीन अपने लीये हुए प्रदेश को पुनः जीत लेने के लिये निरंतर यत्न करता रहा। यह ध्यान रखना चाहिये, कि फन वेन आदि जो नाम हमने ऊपर दिये हैं, वे चीनी इतिवृत्त के अनुसार हैं। चंपा के ये राजा भारतीय थे, संस्कृत इनको भाषा थी, और इनके नाम भी भारतीयों के ही सदृश होते थे। फन हुआ का असली नाम धर्ममहाराज भी भद्रवर्मन था। इसके अनेक शिलालेख संस्कृत में लिखे हुए चंपा में उपलब्ध हुए हैं। श्री भद्रवर्मन वेदों का परम विद्वान् महान् पंडित था। उसने शिव के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और उसमें भद्रेश्वर स्वामी शिव की मूर्ति को प्रतिष्ठा की। यह मंदिर चंपा के धर्म और संस्कृति का केंद्र बन गया, और इसकी कीर्ति बहुत देर तक कायम रही।

४२० ईस्वी के लगभग चंपा के इस प्राचीन राजवंश का अंत हो गया। नये राजवंश ने भी चीन के साथ युद्धों को जारी रखा। अंत में परेशान होकर चीन के सम्राट् ने एक बहुत बड़ी सेना चंपा पर आक्रमण करने के लिये भेजी। चीन को उस ज़बर्दस्त सेना का मुकाबला कर सकना चंपा जैसे छोटे राज्य के लिये संभव नहीं था। चंपापुरी पर चीनी सेनाओं का कब्जा हो गया और वहाँ के राजा को संधि करने के लिये विवश होना पड़ा। भेंट-उपहार लेकर चीन का सम्राट् संतुष्ट हो गया और चंपा और चीन की यह मैत्री बहुत समय तक कायम रही। चंपा के राजदूत चीनी दरबार में निरंतर रहने लगे।

मलाया प्रायद्वीप में भारतीयों के कई छोटे-छोटे राज्य इस

काल में स्थापित हुए। मलाया का कुछ प्रदेश यूनान के शक्ति-शाली राज्य के अंतर्गत था, यह हम पहले लिख चुके हैं। मलाया के अन्य राज्यों में से एक को चीनी लेखकों ने लंग किया सू लिखा है। इसकी स्थापना दूसरी सदी में हुई थी। छठवीं सदी के प्रारंभ में इस राज्य का राजा भगदत्त था, और उसने आविस्थ नाम का एक राजदूत चीनी सम्राट के पास भेजा था।

हिन्द महासागर के विविध द्वीपों में भी भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किये थे। ये सब द्वीप आज कल स्थूल रूप से ईस्ट इन्डोनीसिया कहलाते हैं। जावा का प्राचीन नाम यव-द्वीप था। दूसरी सदी तक वहाँ भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो चुकी थी। १३२ ईस्वी में जावा के राजा देववर्मान ने अपना एक दूत चीन के सम्राट के पास भेजा था। पश्चिमी जावा में संस्कृत के चार शिलालेख मिले हैं, जो छठवीं सदी के पहले के हैं। इनमें राजा पूर्णवर्मान तथा उसके पूर्वजों का वृत्तांत उल्लिखित है। इससे स्पष्ट है, कि गुप्त काल में जावा में भारतीय राजा राज्य करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान भारत से लौटता हुआ ४१४ ईस्वी के लगभग जावा पहुँचा था। जिस जहाज ने वह जावा उतरा था, उसमें २०० भारतीय व्यापारी भी उसके साथ थे। फाह्यान ने लिखा है, कि जावा में बौद्ध और वैष्णव धर्म का बहुत प्रचार है।

जावा के पहोम में वाली नाम का द्वीप है। यहाँ भी गुप्त काल में भारतीयों का उपनिवेश स्थापित हो चुका था। ४१२ ईस्वी में यहाँ के भारतीय राजा ने अपना एक दूत चीनी सम्राट के सेवा में भेजा था।

चौथी सदी में सुमात्रा में भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो गई थी। इसका नाम श्रीविजय था। गुप्त काल की समाप्ति

पर इस राज्य ने बड़ी उन्नति की। संस्कृत के बहुत से शिलालेख यहाँ उपलब्ध हुए हैं, जिनसे आखिजय के भारतीय राजाओं के वैभव का बड़ा उत्तम परिचय मिलता है। योनियों में भी चौथी सदी में भारतीय उपनिवेश स्थापित हो गया था। ४०० ईस्वी के लगभग के चार शिलालेख यहाँ मिले हैं, जिनमें राजा अश्ववर्मन के पुत्र राजा मूलवर्मन के दान-पुण्य और यज्ञों का वर्णन है। संस्कृत के ये लेख जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, वे राजा मूलवर्मन के यज्ञों में यूप के तौर पर प्रयुक्त होने के लिये बनाये गये थे। इन यज्ञों के अवसर पर अग्रकेश्वर तीर्थ में बीस हजार गौं और बहुत सा धन दान दिया गया था।

सुदूर पूर्व के ये उपनिवेश शुद्ध रूप में भारतीय थे। यदि बीच में समुद्र का व्यवधान न होता, तो इन्हें भारत का ही एक हिस्सा समझा जा सकता था। इनमें प्राप्त शिलालेखों की भाषा शुद्ध संस्कृत है। इनके राजा भारतीय आदर्शों के अनुसार शासन करते थे। उनके आचार-विचार, चरित्र और व्यवहार, सब भारतीय थे। भारत के धर्मों का इनमें पूर्णरूप से प्रचार था। शैव, वैष्णव और बौद्ध, तीनों धर्म इन उपनिवेशों में प्रचलित थे। इनमें प्राप्त शिलालेखों से ज्ञात होता है, कि भारत की पौराणिक गाथायें, देवी-देवता, सामाजिक आचार-विचार, सब इनमें उसी प्रकार प्रचलित थे, जैसे कि भारत में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, नंदी, स्कंद, महाकाल आदि की मूर्तियाँ योनियों में प्राप्त हुई हैं। मलाया प्रायद्वीप में दुर्गा, काली, गणेश, नंदी और योनि की मूर्तियाँ मिली हैं। हमारे देश के चक्र, शंख, गदा, पद्म, त्रिशूल आदि सब चिह्न जावा में मिले हैं। इन उपनिवेशों में भारत का पौराणिक धर्म पूरे जोर के साथ फैला हुआ था। गंगा की पवित्रता की भावना तक इनमें प्रचलित थी।

पर पौराणिक आर्य धर्म के साथ-साथ बौद्ध आर्यमार्ग का भी इन उपनिवेशों में विस्तार जारी था। इस संबंध में गुणवर्धन की कथा का उल्लेख करना उपयोगी है। वह कारमीर का राजकुमार था, पर बौद्ध धर्म से उसे बहुत अनुत्पन्न था। जब उसकी आयु तीस वर्ष की थी, तो कारमीर के राजा की मृत्यु हो गई, और उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार कारमीर की राजगद्दी उसके हाथ में आई। पर गुणवर्धन ने राज्य का परित्याग कर बौद्ध धर्म का प्रचार करने में अपने जीवन को लगा देने का निश्चय किया, और कारमीर के राज्य को छोड़ कर भिक्षु बन सीलोन चला गया। कुछ समय वहाँ रह कर उसने जावा को प्रस्थान किया, और वहाँ धर्म-प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। जावा की राजमाता शीघ्र ही उसके प्रभाव में आ गई और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। माता की प्रेरणा से कुछ समय बाद जावा के राजा ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसी समय कुछ विदेशी सेनाओं ने जावा पर आक्रमण किया। अहिंसा प्रधान बौद्ध-धर्म के अनुयायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिये युद्ध करना चाहिये या नहीं। इस समस्या का समाधान गुणवर्धन ने किया। उसने कहा कि दस्युओं को नष्ट करना हिंसा नहीं है, और उनसे युद्ध करना सब का धर्म है। आक्रमण करने वाली सेनाओं की पराजय हो गई, और जावा की स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रही।

अब गुणवर्धन की कीर्ति इन सब भारतीय उपनिवेशों में फैल गई थी। चीन में भी उसके ज्ञान और गुणों का धरा पहुँच गया था। चीनी भिक्षुओं ने अपने राजा से प्रार्थना की कि गुणवर्धन को चीन निमंत्रित किया जावे। भिक्षुओं का आवेदन स्वीकार कर चीन के सम्राट् ने अपना राजदूत जावा

के राजा व गुप्तवर्मन के पास भेजा और यह प्रार्थना की कि
 आचार्य चीन पधारें। गुप्तवर्मन ने यह स्वीकार कर लिया,
 और ४२१ ईस्वी में नानकिंग के बंदरगाह पर पहुँच गया।
 वह जिस जहाज पर चीन गया था, वह नंदी नाम के भारतीय
 व्यापारी का था, जो भारत का माल विक्रय के लिये चीन ले
 जा रहा था। गुप्तवर्मन के सहस्रा और भी बहुत से योग्य बौद्ध
 आचार्य इस काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये इस प्रदेश में
 कार्य कर रहे थे।

जावा, सुमात्रा, चंपा, पाली और बोर्नियो के समान मलाया
 में भी बहुत से शिलालेख, मूर्तियाँ व मंदिरों के अवशेष उपलब्ध
 हुए हैं। मलाया में गुनांग जरई पर्वत की उपत्यका में एक
 विशाल हिंदू मंदिर के खंडहर विद्यमान हैं। इसके समीप ही
 एक बौद्ध विहार के अवशेष पाये गये हैं। दोनों जगह संस्कृत
 के शिलालेख हैं, जो पाँचवीं सदी के लिखे हुए हैं। श्री बिष्णु-
 वर्मन नाम के एक प्राचीन राजा की मुद्रा भी इस प्रदेश से
 मिली है। प्राचीन स्तूप, स्तंभ और अन्य प्रकार की इमारतों
 के भी बहुत से खंडहर मलाया में मिलते हैं। चौथी पाँचवीं व
 छठवीं सदियों के जो भी शिलालेख इस देश में मिले हैं, वे सब
 संस्कृत में हैं। इनसे यह भलीभाँति सूचित होता है, कि गुप्त-
 काल में मलाया में भी भारतीयों ने अपने बहुत से उपनिवेश
 बसाये थे, और वहाँ भारतीय भाषा, धर्म, संस्कृति और
 आचार-विचार का अनुसरण किया जाता था। बरमा में भी
 इस युग में यही दशा थी। वर्तमान प्रोम के समीप श्रीसेत्र
 नाम का समृद्ध भारतीय राज्य था। अन्य अनेक छोटे-बड़े
 भारतीय उपनिवेशों में भी इस युग का बरमा आबाद था।

यह ध्यान में रखना चाहिये, कि सुदूर पूर्व के इन भारतीय
 उपनिवेशों की स्थापना किसी राजा व सत्ता की कृति नहीं

थी। जिस प्रवृत्ति से आर्य लोग भारत में दूर-दूर तक बसे थे, उसी से वे बंगाल की खाड़ी को पार कर इन प्रदेशों में आबाद हुये थे। उस समय आर्यों में उत्कट जीवनी शक्ति थी, और बल से वे विघ्न-बाधाओं की परवाह न करते हुए दूर-दूर तक जा कर बसने में उत्पन्न रहते थे। राजकुमारों और योद्धाओं की महस्वाकांक्षाएँ, व्यापारियों की धनलिप्सा और मुनियों व भिक्षुओं की धर्मसाधना इन सब प्रवृत्तियों ने मिल कर भारत के इन उपनिवेशों को जन्म दिया था। भारत के साथ इनका बहुत निकट संबंध था। धर्म प्रचारक और व्यापारी इनमें निरंतर आते-जाते रहते थे। समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी दिग्बिजेता सम्राट् इन उपनिवेशों को भी अपने चातुरंत साम्राज्य में सम्मिलित करते थे। वस्तुतः, ये उपनिवेश भारत के ही हिस्से थे। जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण में लंका तक पर अपना प्रभाव कायम किया, तो ये उपनिवेश भी उसकी राज्यशक्ति के प्रभाव में आने से न बच सके। पर भारतीय साम्राज्य में कुछ समय के लिये इनका अंतर्गत हो जाना कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व तो इस बात का है, कि सुदूर पूर्व का यह सारा एशिया इस युग में भारतीय धर्म और सभ्यता का अनुयायी था। वहाँ अपना पैर जमा कर भारतीय लोग चीन के विशाल भूखंड में अपने धर्म और व्यापार का प्रसार करने में लगे थे, और इस प्रकार एशिया का बहुत बड़ा भाग इस युग में भारतीय जीवन और संस्कृति से अनप्राणित हो रहा था।

(२) उत्तर पश्चिम का बृहत्तर भारत

उत्तर-पश्चिमी भारत के गांधार और कंबोज बौद्ध काल के सोलह महाजनपदों में सम्मिलित थे। कंबोज का अभिप्राय हिन्दूकुश पर्वत से परे पामीर के पार्वत्य प्रदेश और पदकशों

से है। यह सब प्रचीन समय में भारत के ही प्रदेश थे। पर इनसे भी परे बाल्हिक (बल्ख) से आगे बढ़ कर उत्तर और पश्चिम में एक नये बृहत्तर भारत का विकास हुआ। इसका प्रारंभ मौर्य काल में हुआ था। सम्राट् अशोक की धर्मविजय की नीति के कारण खोतान तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में किस प्रकार भारतीय उपनिवेशों का प्रारंभ हुआ, और कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। अशोक के समय में जिस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था, वह गुप्त काल में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई। इस सारे प्रदेश में अनेक भारतीय उपनिवेशों का विस्तार हुआ, जिनमें भारतीय लोग बड़ी संख्या में जाकर आबाद हुए। मूल निवासियों के साथ विवाह करके उन्होंने एक नई संकर जाति का विकास किया, जो धर्म, सभ्यता, भाषा और संस्कृति में भारतीय ही थी।

इस उत्तर-पश्चिमी बृहत्तर भारत में निम्नलिखित राजा सम्मिलित थे—(१) शैलदेश (कासगर) (२) चौकुक (यारकंद) (३) खोतन्न (खोतान) (४) चल्मद (शान शान) (५) भक्षक (पोलुकिया) (६) कुची (कुचर) (७) अग्निदेश (करसहर) और (८) कोचांग (तुरफान)। इन आठ राज्यों में खोतान और कुची सबसे मुख्य थे, और इनके भी परे के चीन व अन्य राज्यों में भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रसार में इन्होंने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया था।

चौकुक, खोतन्न, शैलदेश और चल्मद में भारतीयों की आवादी बहुत थी। इनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग जाकर आबाद हुए थे। इनका कंबोज और गांधार से व्यापार का संबंध बहुत घनिष्ठ था। व्यापार के कारण ये निरंतर भारत में आते-जते रहते थे। यहाँ की भाषा भी प्राकृत थी, जो उत्तर-पश्चिमी भारत की प्राकृत भाषा से बहुत मिलती-जुलती थी।

पहले यह भारतीय प्राकृत खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती थी। सौर्य काल में यह लिपि सारे उत्तर-पश्चिमी भारत में प्रचलित थी। अब गुप्त काल में इन उपनिवेशों में भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होने लगा था। ब्राह्मी लिपि के साथ-साथ संस्कृत भाषा का भी इन उपनिवेशों में प्रसार हुआ। यद्यपि सर्वसाधारण लोग पुरानी प्राकृत का ही प्रयोग करते पर सुशिक्षित लोग संस्कृत का अध्ययन अवश्य करते थे। चाँची सदी के अंत में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान इस प्रदेश में आया, तो यहाँ का वर्णन करते हुये उसने लिखा, कि इन प्रदेशों के निवासी धर्म और संस्कृति की दृष्टि से भारतीयों के बहुत संमीप हैं। भिक्षु लोग सब संस्कृत पढ़ते हैं, और बौद्ध धर्म को भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। वही कारण है, कि इस समय बहुत से प्राचीन संस्कृत ग्रंथ इस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अनेक ग्रंथ संस्कृत के साथ-साथ वहाँ की पुरानी स्थानीय भाषाओं में भी हैं। इन प्रदेशों की अपनी भाषाओं का परिचय पहले-पहल इन्हीं ग्रंथों से मिलता है।

गुप्त काल में खोतान किस प्रकार भारतीय धर्म और संस्कृति का बड़ा महत्त्व पूर्ण केन्द्र था, वह बात हमें प्राचीन अनुश्रुति व पुरातत्व संबंधी खबरों से ज्ञात होती है। खोतान में बौद्ध धर्म की दशा का वर्णन फाह्यान ने इस प्रकार किया है— यहाँ के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। भिक्षुओं की संख्या हजारों में है। अधिकांश भिक्षु महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं। साधारण लोग अपने-अपने घरों में निवास करते हैं। प्रत्येक घर के सामने बौद्ध स्तूप बनाये गये हैं। इनमें से कोई भी ऊँचाई में बीस फीट से कम नहीं है।

फाह्यान खोतान के गोमती बिहार में ठहरा था। इस बिहार में तीन हजार के लगभग बौद्ध भिक्षु निवास करते

थे। जब घंटों बजती थी, सब तीन हजार भिक्षु भोजन के लिये एक स्थान पर एकत्र हो जाते थे, सब के मुख पर गंभीर मुद्रा दिखाई पड़ी थी। फाइयान के अनुसार सब भिक्षु बाका-यदा बैठकर चुप रहते हुए भोजन करते हैं। भोजनपात्रों तक की खड़-खड़ नहीं सुनाई पड़ती, सब ओर शांति विराजती है। अगर भोजन पकाने वालों को कुछ करने की जरूरत होती है, तब भी उन्हें आवाज नहीं दी जाती। केवल इशारा कर दिया जाता है। फाइयान के समय में खोतान में चौदह तो बड़े बौद्ध विहार थे। उनके अतिरिक्त छोटे-छोटे विहार और भी बहुत से थे। जैसे भारत में रथयात्रा का जलूस निकलता है, वैसे ही खोतान में बौद्धों को एक बहुत बड़े रथयात्रा निकलती थी। इस अवसर पर सारे शहर को सफाई की जाती थी। मकान सजाये जाते थे। जलूस में सब से आगे गोमती बिहार के तीन हजार भिक्षु रहते थे। शहर से तीन या चार ली की दूरी पर चार पहियों वाली एक बड़ी रथ तैयार की जाती थी। इसकी ऊंचाई तीस फीट से अधिक रखी जाती थी। यह एक चलता-फिरता चैत्य सा होता था, जिसे तोरण आदि से लूब सजाया जाता था। रथ के ठीक बीच में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती थी। केंद्र की बुद्ध मूर्ति के पीछे और अगल-बगल में बोधिसत्त्वों और देवों की मूर्तियाँ रखी जाती थीं। ये सब मूर्तियाँ सोने और चाँदी की होती थीं। जब रथयात्रा का जलूस शहर के मुख्य द्वार से सौ गज की दूरी पर होता था, तो राजा उसका स्वागत करता था। इस अवसर पर वह राजकीय वेश उदार कर उपासकों के बख्त धारण करता था और नंगे पैर चलकर अपने पार्श्वचरों के साथ रथयात्रा के स्वागत के लिये प्रस्थान करता था। मूर्ति के सम्मुख आने पर राजा फूलों और सुगंधि से उसकी अर्चना करता था। इसके बाद

फाइयान ने नये राजकीय विहार का वर्णन किया है, जिसे बन कर तैयार होने में अस्सी साल लगे थे। यह २५० फीट ऊँची थी, और सोने चाँदी से इसे भली-भाँति विभूषित किया गया था। भिक्षुओं के निवास के लिये इसमें सुन्दर भवन बनाये गये थे, और दूर-दूर के राजा इसके सम्मान में बहुमूल्य भेंट और उपहार भेजा करते थे। फाइयान के इस विवरण से भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है, कि चौथी सदी में सारा खोतान बौद्ध धर्म की अनुयायी था। राजा और प्रजा, सब बुद्ध के भक्त थे। इस देश के विहार और चैत्य सब इस काल में खूब फूल-फल रहे थे। उनमें हजारों भिक्षु निवास करते थे, जो न केवल बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये तत्पर रहते थे, पर विद्या के अध्ययन और शिक्षा में भी समय को व्यतीत करते थे। खोतान के ये विहार शिक्षा के बड़े महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। संस्कृत के बहुत से बौद्ध ग्रंथ इनमें संगृहीत रहते थे। अनेक महत्त्व के ग्रंथ जो अन्यत्र नहीं मिल सकते थे, खोतान में प्राप्त हो जाते थे। यही कारण है, कि यमक्षेत्र नाम का बौद्ध विद्वान जो इस समय चीन में प्रचार का कार्य कर रहा था, ४६३ ईस्वी में महापरिनिर्वास सूत्र की खोज में खोतान आया था।

खोतान में कई स्थानों पर प्राचीन बौद्ध काल के अवशेष मिले हैं। इसमें योत्कन, राबक, दएडन ठलिक और निया मुख्य हैं। इन सब स्थानों पर जो खुदाई पिछले दिनों में हुई है, इससे बौद्ध विहारों और चैत्यों के बहुत से खण्डहर, मूर्तियों और प्रतिमाओं के अवशेष तथा बहुत से हस्तलिखित ग्रंथ व चित्र उपलब्ध हुए हैं। खोतान में आठवीं सदी के अंत तक भारतीय संस्कृति और धर्म का खूब प्रचार रहा। बाद में इस्लाम के प्रवेश ने इस भारतीय उपनिवेश के स्वरूप को ही बिलकुल बदल दिया। चीन में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ,

उसका प्रधान श्रेय खोतान के ही बौद्ध भिक्षुओं को है। उसी के आधार से भिक्षु लोग चीन में दूर-दूर तक गये, और धीरे-धीरे सारे चीन को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाने में सफल हुए। गुप्त काल में खोतान का यह भारतीय उपनिवेश बहुत ही समृद्ध दशा में था। गांधार कंबोज के कुशास राजा भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पर जब गुप्त सम्राटों ने इन कुशासों को अपना अधीनस्थ राजा बना लिया, तब तो भारत और खोतान का संबंध और भी घनिष्ठ हो गया।

खोतान की तरह कुचो का राज्य भी भारतीय संस्कृति का बड़ा केंद्र था। वहाँ के निवासियों में भी भारतीयों की संख्या बहुत थी। चौथी सदी के शुरू तक यह सारा प्रदेश बौद्ध धर्म का अनुयायी हो चुका था, और प्राचीन चीनी अनुभूति के अनुसार इसमें बौद्ध विहारों और चैत्यों की संख्या दस हजार तक पहुँच चुकी थी। चीन के प्राचीन इतिवृत्त के अनुसार कुचो के राज्य में बहुत से विहार थे। ये बहुत ही सुंदर और विशाल बने हुए थे। राजप्रासाद में भी बुद्ध की मूर्तियों की उसी तरह प्रचुरता थी, जैसे किसी विहार में होती है। तामू के विहार में १७० भिक्षु रहते थे। पर्वत के ऊपर बने हुए चेली के विहार में ५० भिक्षुओं का निवास था। राजा ने जो नया विहार बनवाया है, उसे किएन मू कहते हैं। उसमें ६० भिक्षु रहते हैं। वेनसू के राजकीय विहार में भिक्षुओं की संख्या ६० है। ये चारों विहार बुद्ध स्वामी नाम के आचार्य द्वारा संचालित हो रहे थे। कोई भिक्षु एक स्थान पर तीन महीने से अधिक समय तक नहीं रह पाता था। बुद्ध स्वामी के निरीक्षण में तीन अन्य विहार थे, जिनमें कमरा: १८०, ५० और ३० भिक्षु रहते थे। इनमें से एक विहार में केवल भिक्षुनियाँ ही रहती थीं। ये भिक्षुनियाँ प्रायः राजपरानों की थीं। पामीर के प्रदेश में जो विविध

भारतीय उपनिवेश थे, उन्हीं के राजकुलों की कुमारियाँ भिक्षुव्रत लेकर इन विहारों में रहती थीं, और बौद्ध धर्म का बड़ी तत्परता के साथ पालन करती थीं।

कुची के राजाओं के नाम भी भारतीय थे। वहाँ के कुछ राजाओं के नाम स्वर्णदेव, हरदेव, सुवर्णपुष्प और हरिपुष्प हैं, जो इस राज्य का भारतीय संस्कृति के गढ़ होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। कुची में जो सुदाई पिछले दिनों में हुई है, उसमें बिहारों और यैत्य के बहुत से अवशेष मिले हैं। इसमें संदेह नहीं कि खोतान के समान कुची भी भारत का एक समृद्ध तथा वैभवशाली उपनिवेश था।

इस प्रसंग में आचार्य कुमारजीव का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। उसके पिता का नाम कुमारायन था। वह भारत के एक राजकुल में उत्पन्न हुआ था, पर अन्य अनेक राजकुमारों की तरह वह भी युवावस्था में ही बौद्ध भिक्षु बन गया था। भिक्षु होकर वह कुची पहुँचा। वहाँ के राजा ने उसका बड़े समारोह से स्वागत किया और उसकी विद्या तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उसे राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। पर कुमारायन देर तक भिक्षु नहीं रह सका। कुची के राजा की बहन जीवा उस पर मोहित हो गई, और अंत में दोनों का विवाह हो गया। इनके दो संतान हुईं, कुमारजीव और पुष्पदेव। जब कुमारजीव को आवु केवल सात वर्ष की थी, तो उसकी माता जीवा भिक्षुनी हो गई, और अपने योग्य तथा होनठार पुत्र को लेकर भारत आई। भारत आने में उसका उद्देश्य यह था, कि कुमारजीव को बौद्ध धर्म की ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जावे। अनेक प्रदेशों का भ्रमण करने के बाद जीवा कारमीर आई। वहाँ उन दिनों वसुदत्त नाम का बौद्ध आचार्य बड़ा प्रसिद्ध था। वह कारमीर के राजा का भाई था, और

अपने पांडित्य के लिये उसका नाम दूर-दूर तक फैला हुआ था। बंधुवत्त के चरणों में बैठ कर कुमारजीव ने सब बौद्ध आगम को पढ़ा, और धीरे-धीरे एक प्रकांड पंडित हो गया। काश्मीर में विद्याग्रहण करने के बाद कुमारजीव शैल देश (कासगर) जाया, और वहाँ उसने चारों वेदों, वेदांगों, दर्शन और ज्योतिष आदि का अध्ययन किया। उस समकालीन देश प्राचीन वैदिक धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। इसीलिये कुमारजीव ने वैदिक साहित्य का वहाँ जाकर अध्ययन किया था। शैल देश से वह चोक्कुक (धारकंद) गया और वहाँ नागार्जुन, धार्यदेव आदि प्रसिद्ध आचार्यों के ग्रंथों का अनुरीक्षण किया। इसके बाद उसने चोक्कुक में महायान संप्रदाय में चाक्रायदा प्रवेश किया। इस प्रकार बौद्ध और वैदिक साहित्य का पूर्ण पंडित होकर वह कुची वापस लौटा। अपनी मातृभूमि में उसने अध्यापन का कार्य शुरू किया। उसकी विद्वता की कीर्ति सुन कर दूर-दूर से विद्यार्थी उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिये आने लगे और थोड़े ही समय के कुची विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।

पर कुमारजीव देर तक कुची में नहीं रह सका। ३८३ ईस्वी के लगभग कुची पर चीन ने आक्रमण किया। चीन की विशाल शक्ति का मुकाबला कर सकना कुची जैसे छोटे से राज्य के लिये संभव नहीं था। फिर भी वहाँ के राजा ने वीरता के साथ युद्ध किया, पर अंत में कुची पर चीन का अधिकार हो गया। जो बहुत से कैदी कुची से चीन ले जाये गये, उनमें कुमारजीव भी एक था। पर सूर्य देर तक बादलों में नहीं छिपा रह सकता। कुमारजीव की विद्या की ख्याति चीन में सर्वत्र फैल गई, और वहाँ के सम्राट् ने उसे अपने राजदरबार में आमंत्रित किया। ४०१ ई० में कुमारजीव चीन की राजधानी में पहुँचा। वहाँ

उसका बड़ा सत्कार हुआ। वह संस्कृत और चीनी का अनुपम विद्वान् था। शास्त्रों में उसकी अपरिहत गति थी। अतः उसे वह कार्य सुपुर्ण किया गया, कि संस्कृत के प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करे। इस कार्य में उसकी सहायता के लिये अन्य बहुत से विद्वान् नियत कर दिये गये। दस वर्ष के लगभग समय में उसने १०६ संस्कृत ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया। महायान संप्रदाय का चीन में प्रसार कुमारजीव द्वारा ही हुआ। उसके पांडित्य की कीर्ति सारे चीन में फैली हुई थी। उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिये दूर-दूर से चीनी विद्यार्थी और भिक्षु उसकी सेवा में पहुँचते थे।

अपने कार्य में सहायता करने के लिये कुमारजीव ने बहुत से विद्वानों को भारत से चीन बुलाया। वह भारत में शिक्षा ग्रहण कर चुका था। काश्मीर के बौद्ध पंडितों से उसका घनिष्ठ परिचय था। उसके अनुरोध से जो भारतीय विद्वान् चीन गये, उनमें पुष्यत्रात, बुद्धयश, गौतम संघदेव, धर्मयश, गुप्तवर्मन, गुप्तभद्र और बुद्धवर्मन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। चीन में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, उसमें ये सब कुमारजीव के सहयोगी थे। चीन में इन विद्वानों का बड़ा ऊँचा स्थान है। ये सब वहाँ धर्मगुरु और धर्माचार्य के रूप में माने जाते हैं। इन्हीं के साहस, पांडित्य और लगन का वह परिणाम हुआ, कि धीरे-धीरे सारा चीन बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। आज चीन में जो सैकड़ों बौद्ध ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, यह इन्हीं विद्वानों की कृति का परिणाम है। इनमें से बहुत से अब अपने संस्कृत के मूलरूप में नहीं मिलते, पर चीनी अनुवाद के रूप में वे चीन में मिलते हैं। अब उनका फिर से संस्कृत रूपांतर किया जा रहा है।

कुमारजीव के निमंत्रण पर जो विद्वान् चीन गये थे, उनके

अतिरिक्त भी अनेक बौद्ध पंडित इस काल में भारत से चीन गये। ये सब चीन में ही बस गये, वहीं इनकी मृत्यु भी हुई। पर इन्होंने भारत के धर्म और संस्कृति को बहुत दूर-दूर तक फैला दिया। इनके द्वारा स्थापित धर्म विजय आज तक भी कायम है। शकों द्वारा जो विजययात्रा गुप्तसम्राटों ने की थी, उसका प्रभाव नष्ट हुए तो सदियों बीत चुकी है। पर इन पंडितों की विजययात्रा का प्रभाव हजारों साल बीत जाने पर भी अब तक अद्भुत रूप से विद्यमान है।

आचार्य कुमारजीव की मृत्यु ४१२ ईस्वी में चीन में ही हुई। भारत के इन उपनिवेशों में केवल भारतीय धर्म का ही प्रसार नहीं हुआ, पर वहाँ की वास्तुकला, संगीत, मूर्तिनिर्माणा-कला आदि का भी इनमें खूब प्रचार हुआ था। खेतान और कुची में जो भग्नावशेष अब मिले हैं, उनमें की मूर्तियों में गांधारी शैली का स्पष्ट प्रभाव है। वहाँ के विहार, चैत्य आदि भी भारतीय वास्तुकला के अनुसार बनाये गये थे। गुप्तकाल में प्राकृत की जगह संस्कृत का उत्कर्ष हुआ था। इन उपनिवेशों में भी संस्कृत और ब्राह्मी लिपि ही इस युग में जोर पकड़ गई थी।

(३) हूणों का भारतीय बनना

गुप्तकाल में भारतीय धर्मों में अद्वितीय जीवन्ती शक्ति थी। न केवल बौद्ध, अपितु जैन, वैष्णव, शैव व अन्य धर्मों में भी उस समय तक यह शक्ति विद्यमान थी, कि विदेशियों वा म्लेच्छों को अपने धर्म में दीक्षित कर उन्हें भारतीय समाज का ही एक अंग बना लें। यवन, शक और कुशास लोग किस प्रकार भारत में आकर भारतीय बन गये, वहाँ के धर्म, भाषा, सभ्यता और चरित्र को ग्रहण कर कैसे वह वहाँ के जनसमाज में घुल-मिल गये, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं।

गुप्त काल में जो हूण भारत में आकांता के रूप में प्रविष्ट हुए, जिन्होंने शुरू में बड़ी बर्बरता प्रदर्शित की, वे भी बाद में पूण्यतया भारतीय समाज के अंग बन गये। हूण राजा मिहिर-गुल ने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक शिलालेख में लिखा है, कि स्वागु शिव के अतिरिक्त किसी के सम्मुख बह मिर नहीं झुकाता था। उसके जो सिक्के मिले हैं, उन पर त्रिशूल और नंदी के चिह्न अंकित किये गये हैं, और 'जयतु बुधः' यह उकीर्ण किया गया है।

उस समय के भारत की इस प्रवृत्ति को पुराणों में बड़े सुंदर रूप में वर्णित किया गया है। शक, यवन, हूण आदि जातियों को गिना कर पुराणकार ने भक्ति के आवेश में आकर कहा है, वे और अन्य जो भी पापयोनि जातियाँ हैं, वे सब जिस विष्णु के संपर्क में आकर शुद्ध हो जाती हैं, उस प्रभुविष्णु विष्णु को नमस्कार हो। भगवान् विष्णु की यह पतितपावनी शक्ति भारत में गुप्त काल तक कायम थी। मुसलिम धर्म के बाद यह शक्ति नष्ट हो गई, और उस समय के भारतीय अरब और तुर्क आकांताओं को अपने में नहीं मिला सके।

शैव और बौद्ध धर्म को स्वीकार करके हूण लोग भारतीय समाज के ही अंग बन गये। इस समय यह बताना बहुत कठिन है, कि शक, यवन, युइशि और हूण आकांताओं के वर्तमान प्रतिनिधि कौन लोग हैं। वे सब जातियाँ बहुत बड़ी संख्या में भारत में प्रविष्ट हुई थीं। पर इनके उत्तराधिकारियों की हिन्दू समाज में कोई प्रवृत्ति नहीं है। वस्तुतः वे हिन्दू समाज ही में विलकुल ही घुलमिल गई, और हिंदुओं की विविध जातियों में गिनी जाने लगीं। जहाँ भारत की वर्तमान अनेक जातियाँ पुराने गणराज्यों की प्रतिनिधि हैं, वहाँ अनेक इन म्लेच्छ आकांताओं का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। पर इस

समय वे राज्यों के अंतर्गत हैं, उनमें पाप या पापयोनिपन कुछ भी शेष नहीं है।

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बात और लिखना आवश्यक है। जहाँ भारतीयों ने सुदूर पूर्व में व पामीर के उत्तर-पश्चिम में अपनी बस्तियाँ बसाई थीं, वहाँ प्राचीन सीरिया और मैसेपोटामिया में भी उनके छोटे-छोटे उपनिवेश विद्यमान थे। यूफ्रेटिस नदी के तट पर उनके दो बड़े मंदिर थे, जिन्हें सेन्ट ग्रेगरी के नेतृत्व में ईसाइयों ने नष्ट किया था। यह घटना ३०४ ईस्वी की है। जब ईसाइयों ने अपने धर्म-प्रसार के जोश में इन मंदिरों पर आक्रमण किया, तो भारतीय लोग बड़ी वीरता के साथ उनसे लड़े। पर ईसाई उनकी अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में थे। भारतीयों को उनसे परास्त होना पड़ा। मैसेपोटामिया के दो प्राचीन भारतीय मंदिर नष्ट कर दिए गये, और इस प्रदेश की भारतीय बस्ती भी बहुत कुछ छिन्न-भिन्न हो गई। पर गुप्त काल में भारतीयों ने इतनी दूर पच्छिम में भी अपनी बस्तियाँ कायम की थीं, यह ऐतिहासिक तथ्य है।

चौबीसवाँ अध्याय

पाटलीपुत्र के वैभव का अंत

(१) मौखरि वंश का अभ्युदय

यशोधर्मा की विजयों के बाद गुप्त साम्राज्य बहुत कुछ शिथिल हो गया था। इस समय जिन राजवंशों ने भारत के विविध प्रदेशों में अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ किया उनमें मौखरि वंश मुख्य है। यह वंश बहुत प्राचीन था। शुंगकाल में भी इसकी सत्ता के प्रमाण मिलते हैं। इस वंश का मूल स्थान मगध में था। कर्द्व वंश के संस्थापक मयूर शर्मा के एक शिलालेख के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौखरि लोगों का मगध में राज्य भी रह चुका था। कर्द्व वंश का प्रारंभ तीसरी सदी में हुआ था, उस वंश के पहले राजा तीसरी सदी के अंत में और चौथी सदी के शुरू में राज्य करते थे। यदि उनके समय में मगध में मौखरि वंश का शासन था, तो यह अनुमान युक्तिसंगत होगा, कि गुप्त वंश के शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छविविणय की सहायता से जिस मगध कुल का उच्छेद कर पाटलीपुत्र पर अधिकार जमाया था, वह मौखरि वंश ही था। कौमुदी महोत्सव नाटक में सुंदरधर्मा और कल्याणवर्मा के नाम के मगध राजाओं का वर्णन है जिनके विरुद्ध चंडसेन कारस्कर ने बह्वंत्र किया था। संभवतः ये राजा मौखरि वंश के ही थे, जिन्होंने कुशाण साम्राज्य के पतनकाल की अव्यवस्था से लाभ उठा कर मगध में अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया था। गुप्तों के उत्कर्ष के कारण ये

साधारण सामंतों की स्थिति में रह गये। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत गया के समीपवर्ती प्रदेश में मौखरियों का राज्य था, जो गुप्त सम्राटों की अधीनता स्वीकार करते थे, और उनके करदाता सामंत थे। इस वंश के तीन राजाओं के नाम बराबर और नागार्जुनों पहाड़ियों के गुहामंदिरों में उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होते हैं। ये राजा यज्ञवर्मा, शार्दूलवर्मा और अनंतवर्मा थे। कोई आश्चर्य नहीं, कि ये कौमुदी महोत्सव में वर्णित सुंदरवर्मा और कल्याणवर्मा के ही वंशज हों।

मौखरि वंश की एक अन्य शाखा कन्नौज में राज्य करती थी। ये भी गुप्त सम्राटों के सामंत थे। और संभवतः, गुप्तों के वैश्वकाल में प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त होकर मगध से कन्नौज आये थे। पर जय हूणों के आक्रमणों और यशोधर्मा की विजयों के कारण गुप्त साम्राज्य निर्बल होने लगा तो कन्नौज के ये मौखरि राजा स्वतंत्र हो गये। इस मौखरि वंश के प्रथम तीन राजा हरिवर्मा, आदित्यवर्मा, और ईश्वरवर्मा थे। पहले दो राजा हरिवर्मा और आदित्यवर्मा गुप्त सम्राटों के सामंत थे, और उन्हीं की तरफ से कन्नौज का शासन करते थे। इनका गुप्त सम्राटों के साथ वैवाहिक संबंध भी था। आदित्यवर्मा की पत्नी गुप्त वंश की राजकुमारी थी। इस विवाह के कारण उसकी स्थिति और अधिक बढ़ गई थी। उसके पुत्र ईश्वरवर्मा का शासनकाल ५२४ से ५५० ईस्वी तक है। इसी के समय में यशोधर्मा ने हूणों का पराभव किया था। हूण राजा के विरुद्ध यशोधर्मा ने जिस विशाल सैनिक शक्ति का संगठन किया था, उसमें मौखरि ईश्वरवर्मा भी सम्मिलित था। एक शिलालेख में मौखरि राजा द्वारा हूणों के पराजय का उल्लेख है। हूणों पर यह विजय ईश्वरवर्मा ने किसी स्वतंत्र युद्ध में नहीं प्राप्त की थी। उसने हूणों का मुञ्च-

बला करने के कार्य में यशोधर्मा का साथ दिया था, और निःसंदेह इस गौरवपूर्ण विजय में उसका भी बड़ा हाथ था। इस सैनिक विजय के कारण ईश्वरवर्मा का महत्त्व बहुत बढ़ गया था और उसने अपने कन्नौज के राज्य में बहुत कुछ स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। यशोधर्मा के बाद गुप्त साम्राज्य में जो स्थल-स्थल मंच गई थी, उसका लाभ उठा कर ईश्वरवर्मा सामंत की जगह स्वतंत्र महाराज बन गया था।

ईश्वरवर्मा के बाद ईशानवर्मा कन्नौज की राजगद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल २५० से २७६ ईस्वी तक है। इसने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ किया, और महाराजाधिराज की पदवी धारण की। परिणाम यह हुआ, कि गुप्त सम्राट् कुमारगुप्त तृतीय के साथ इसके अनेक युद्ध हुए। गुप्त साम्राज्य में अभी काफी शक्ति थी। मौखरियों को परास्त कर उनकी महत्त्वाकांक्षाओं को दबाने में कुमारगुप्त तृतीय सफल हुआ, और कुछ समय के लिये मौखरि वंश का उत्कर्ष रुक गया।

ईशानवर्मा के बाद सर्ववर्मा कन्नौज का मौखरि राजा बना। यह अपने पिता के समान ही वीर और महत्त्वाकांक्षी था। गुप्तों के साथ इसने निरंतर युद्ध किये। इस समय गुप्त साम्राज्य का स्वामी दामोदरगुप्त था। उसे सर्ववर्मा ने परास्त किया। सर्ववर्मा ने अपने साम्राज्य की सीमा को पूर्व में सोन नदी तक विस्तृत कर लिया। मगध और उसकी राजधानी पाटलीपुत्र अब भी गुप्तों के हाथ में रही। पर उनका साम्राज्य अब बहुत क्षीण हो गया था। उत्तरी भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति अब गुप्तों के हाथ से निकल कर मौखरि वंश के पास आ गई थी। सर्ववर्मा के समय में ही मौखरि वंश सच्चे अर्थों में अपनी स्वतंत्र शक्ति को कायम करने में समर्थ हुआ था।

सर्ववर्मा के बाद अवंतिवर्मा और फिर महवर्मा कन्नौज के राजा हुए। महवर्मा का विवाह स्थानेश्वर (शानेश्वर) के बेटे राजा प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्याश्री के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही वर्षों के पीछे महवर्मा की मृत्यु हो गई, और राज्याश्री कन्नौज के शक्तिशाली साम्राज्य की स्वामिनी हो गई। उसके नाम पर शासन की वास्तविक शक्ति उसके भाई हर्षवर्धन के हाथ में रही। हर्षवर्धन स्थानेश्वर का राजा था, और अपनी बहिन की वरफ से कन्नौज के शासनसूत्र का भी संचालन करता था। इस समय में ये दोनों राज्य मिल कर एक हो गये थे, और इनकी सम्मिलित शक्ति उत्तरी भारत में सर्वप्रधान हो गई थी।

(२) गुप्तवंश के पिछले राजा

सम्राट् बालादित्य द्वितीय ने हूखों को परास्त कर अपनी शक्ति को किस प्रकार कायम रखा, इस पर हम पहले प्रकारा डाल चुके हैं। बालादित्य ने ५३५ ईस्वी के लगभग तक राज्य किया। उसके समय तक गुप्त साम्राज्य की शक्ति प्रायः अजुगुप्त थी। उत्तरी भारत में, बंगाल से मथुरा तक उसका शासन था। मौखरि राजा उसके सामंत थे, और यशोधर्मा की विजयों का कोई स्थिर प्रभाव न होने के कारण वह अपने राज्य को पुराने गुप्त सम्राटों के समान ही शान के साथ संचालित करने में समर्थ रहा था। उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय और दामोदरगुप्त पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुए। इन्होंने ५३५ ईस्वी के बाद लगभग पच्चीस वर्ष तक शासन किया। कुमारगुप्त तृतीय के शासनकाल में कन्नौज का मौखरि महाराजा ईशानवर्मा स्वतंत्र हो गया, और उसने सारे मध्यदेश से गुप्तों के शासन का अंत कर सोन नदी तक अपना शक्तिशाली साम्राज्य

कायम किया। इस प्रकार, गुप्तों का शासन मगध और बंगाल तक ही सीमित रह गया। उत्तरी बंगाल में दामोदरपुर नामक स्थान से पाँच ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो इस काल के इतिहास पर बहुत प्रकारा डालते हैं। इनमें से पाँचवाँ ताम्रपत्र ५४१ ई० में उत्कीर्ण कराया गया था। इसमें गुप्त सम्राट् कुमारगुप्त का उल्लेख है, जिसका शासन उस समय बंगाल में विद्यमान था। यह कुमारगुप्त तृतीय ही है, जो बालादित्य के बाद गुप्त सम्राट् बना था। इस ताम्रपत्र से सूचित होता है, कि बंगाल में गुप्तों का शासन ५४३ ईस्वी तक विद्यमान था, और वहाँ का प्रांतीय शासक इस समय राजपुत्र देव भट्टारक था। इससे पूर्व बंगाल के शासक चित्रदत्त, जगदत्त और जयदत्त रहे थे। इनका गुप्तवंश से कोई संबंध नहीं था। संभवतः, ये तीनों प्रांतीय शासक एक ही कुल के थे, पर अब बंगाल का शासन करने के लिये गुप्तवंश के ही एक कुमार राजपुत्र देव को नियत किया गया था। पहले सुराष्ट्र, अंबन्ति आदि दूरवर्ती विशाल प्रदेशों के शासन का कार्य राजपुत्रों को दिया जाता था। पर अब गुप्त साम्राज्य केवल मगध और बंगाल तक ही सीमित रह गया था। अतः वहाँ के शासन के लिये एक राजपुत्र की नियुक्ति बिलकुल स्वाभाविक थी। पर चित्रदत्त के कुल से बंगाल के शासन को लेकर एक राजपुत्र के हाथ में देने से यह भी भली-भाँति प्रगट होता है, कि इस प्रदेश पर गुप्तों का अधिकार काफ़ी मजबूत था।

कुमारगुप्त तृतीय के समय में उत्तरी भारत में भी गुप्त साम्राज्य का हास प्रारंभ हो गया। मौखरि राजा कन्नौज में स्वतंत्र हो गये, और आसाम आदि अनेक प्रदेशों में भी स्वतंत्र राज्य कायम हुए। छठवीं सदी के मध्य तक प्रतापी गुप्त सम्राटों का शासन मध्य भारत से उठ गया।

हूँसों के आक्रमणों और यशोधर्मा जैसे साहसी योद्धाओं ने गुप्त साम्राज्य की नींव को जड़ से हिला दिया था। यद्यपि बालादित्य द्वितीय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने कुछ समय तक अपने साम्राज्य को कायम रखा, पर अब सामंतों व प्रांतीय शासकों की अपने स्वतंत्र शासन स्थापित करने की महत्त्वाकांक्षाओं पर कायम रहना असंभव होता जा रहा था। इसी का परिणाम हुआ, कि भारत में फिर विविध राज्य कायम हो गये, और कोई एक ऐसी शक्ति नहीं रह गई, जो 'आसमुद्र' भारत को एक शासन में रख सके।

उत्तरी भारत के विविध राज्य

कन्नौज के मौखरि वंश ने किस प्रकार अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, इसका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। उसके अतिरिक्त जिन अन्य राजवंशों ने गुप्त साम्राज्य के भग्नावशेष पर अपने-अपने स्वतंत्र राज्य कायम किये, उनका संक्षेप से दिग्दर्शन करना इस काल के इतिहास को भलीभाँति समझने के लिये बहुत आवश्यक है।

गुप्त साम्राज्य का सबसे पश्चिमी प्रांत मुराष्ट्र था। सम्राट् स्कंदगुप्त के समय में वहाँ का शासक पर्यदत्त था। इसी ने गिरनार की सुदर्शन मील का जीर्णोद्धार कराया था। इसी समय में मुराष्ट्र में स्थित गुप्त सेनाओं का सेनानी भटार्क था, जो मैत्रक कुल का था। हूँसों के आक्रमण के कारण सेना की महत्ता बहुत बढ़ गई थी, और दूरवर्ती प्रांत में सेनापति भटार्क के अधिकारों में भी बहुत कुछ वृद्धि हो गई थी। संभवतः, पर्यदत्त के बाद मुराष्ट्र का शासन भी उसके हाथ में आ गया था। गुप्तकाल में बहुत से ऊँचे पद वंशकमानुगत होते थे। भटार्क के बाद मुराष्ट्र का शासक धरसेन हुआ। भटार्क और

धरसेन दोनों शक्तिशाली सेनाओं के सेनापति थे। एक शिलालेख में भटार्क को 'मौलभृतमित्रश्रेष्ठीबलावातराज्यधीः' कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है, कि उसने मौल, भृत, मित्रबल और श्रेष्ठीबल के द्वारा राज्यधी प्राप्त की थी। प्राचीन काल को मागध सेनाओं के ये चार विभाग होते थे, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। भटार्क की अधीनता में सुराष्ट्र में जो सेनाएँ थीं, उनमें चारों प्रकार के ही सैनिक थे। गुप्त साम्राज्य पर हूखों के जो आक्रमण हो रहे थे, उनसे भटार्क ने लाभ उठाया, और अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। शिलालेखों में भटार्क और धरसेन को केवल सेनापति कहा गया है, पर धरसेन का उत्तराधिकारी द्रोणसिंह जहाँ सेनापति था, वहाँ महाराजा भी था। मतलब यह, कि वह सुराष्ट्र में एक पृथक् राज्य स्थापित करने में सफल हुआ था, जो नाम को ही गुप्तों के अधीन था। पर अभी तक वह गुप्तों के स्वामित्व को स्वीकार करता था, और इसीलिये उसने अपने शिलालेख में स्पष्ट रूप से लिखा है, कि वह 'परम भट्टारकपाद' के परम स्वामित्व को मानता था और उसी परम भट्टारकपाद ने स्वयं अपने हाथ से उसका अभिषेक किया था। पर डधर सुराष्ट्र के मैत्रक राजा तो निरंतर शक्ति प्राप्त करते जाते थे, और डधर गुप्त सम्राटों का बल क्षीण हो रहा था। परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे सुराष्ट्र के ये मैत्रक राज्य बिलकुल स्वतंत्र हो गये। पहले सुराष्ट्र की राजधानी गिरिनगर (गिरनार) थी, बाद में मैत्रक राजाओं ने वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। संभवतः, छठवीं सदी के प्रारंभ तक सुराष्ट्र के मैत्रक राजा गुप्त सम्राटों के सामंत रूप में राज्य करते थे। यशोधर्मा की विजयों के समय गुप्तों की शक्ति को जो आघात लगा, उस समय वे स्वतंत्र हो गये। द्रोणसिंह के बाद चौसरी पीढ़ी में

धरसेन द्वितीय हुआ। वह स्थानेश्वर और कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्ष के उसके साथ अनेक युद्ध हुए थे। बाद में मैत्रक महाराज धरसेन ने हर्ष की अधीनता स्वीकृत कर ली थी, और इनके मैत्री संबंध को स्थिर रखने के लिये हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया था।

सुराष्ट्र की तरह मालवा में भी गुप्त साम्राज्य के हास के समय एक पृथक् राज्य की स्थापना हुई। मालवा की राजधानी मंदसौर थी। वहाँ गुप्त सम्राट् की ओर से प्रांतीय शासक शासन करते थे। सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम के समय में वहाँ चंद्रवर्मा इस पद पर नियुक्त था। बाद में यहीं पर यशोधर्मा ने अपनी शक्ति का विस्तार शुरू किया, और अपने अतुल्य पराक्रम से उसने सारे गुप्त साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। संभवतः, यशोधर्मा मालवा के किसी पुराने राजकुल में उत्पन्न हुआ था, और उसके पूर्वपुरुषों की स्थिति सामंतों के सदृश थी। यशोधर्मा के बाद मालवा फिर गुप्तों के अधीन नहीं रहा।

कन्नौज के मौखरि राज्य के पश्चिम में स्थानेश्वर में भी इस युग में एक स्वतंत्र राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ। इसका संस्थापक पुष्यभूति था। उसी के कुल में आगे चल कर नरवर्धन हुआ। वह गुप्त साम्राज्य का एक सामंत था, और इसी स्थिति में स्थानेश्वर तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों का शासन करता था। नरवर्धन के बाद दूसरी पीढ़ी में आदित्य वर्धन हुआ। इसे महाराजा लिखा गया है। इसका अभिप्राय यह है, कि सामंत के रूप में इसकी स्थिति अब अच्छी ऊँची हो गई थी। आदित्यवर्धन का विवाह गुप्त वंश की राजकुमारी महासेनगुप्ता के साथ में हुआ था। इसके कारण उसका प्रभाव तथा वैभव और भी अधिक बढ़ गया था। आदित्यवर्धन

का काल छठवीं सदी के शुरु में था। हूणों के आक्रमणों और यशोधर्मा की विजययात्रा के कारण जो अव्यवस्था इस समय उत्पन्न हो गई थी, उसमें गुप्त सम्राटों के लिये यह संभव नहीं रहा था, कि वे सुदूरवर्ती स्थानेश्वर के सामंत महाराजाओं को अपने अधीन रख सकें। परिणाम यह हुआ, कि आदित्यवर्धन स्वतंत्र राजा के रूप में राज्य करने लगा, और उसके बाद प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन बिलकुल ही स्वतंत्र हो गये। हर्ष के समय में कन्नौज और स्थानेश्वर के राज्य किस प्रकार एक हो गये, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं।

सम्राट् कुमारगुप्त तृतीय के समय (छठवीं सदी के मध्य) तक बंगाल गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत रहा। पर बाद में वहाँ गुप्त वंश के ही एक पराक्रमी कुमार नरेन्द्रगुप्त शशांक ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। शिलालेखों में पहले शशांक को श्री महासामंत शशांकदेव और बाद में महाराजाधिराज लिखा है। सातवीं सदी के शुरु तक शशांक बंगाल में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर चुका था। इसकी राजधानी कर्णसुवर्ण थी। यह बड़ा शक्तिशाली राजा था। कन्नौज के मीखरि राजा प्रहवर्मा को परास्त कर इसने युद्ध में मार दिया था। स्थानेश्वर के राजा राज्यवर्धन की मृत्यु भी इसी के हाथों हुई थी।

(४) मागध गुप्तवंश

दामोदरगुप्त के समय में सोन नदी से पश्चिम का सब प्रदेश मीखरियों के हाथ में चला गया था। उसके बाद महासेन राजा हुआ। गुप्तों की निर्बलता से लाभ उठा कर प्रोम्नोतिष (आसाम) के राजा सुस्थितवर्मा ने भी स्वतंत्रता

उद्धोषित कर दी। समुद्रगुप्त के समय से आसाम के राजा गुप्त सम्राटों की अधीनता स्वीकृत करते चले आ रहे थे, और उनकी स्थिति सामंतों के सदृश थी। सुस्थितवर्मा ने अपने को महाराजाधिराज उद्धोषित किया, और गुप्तों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पर महासेनगुप्त ने चढ़ाई कर लौहित्य नदी के तट पर उसे परास्त किया, और इस प्रकार पूर्वीय भारत में गुप्तों की शक्ति को स्थिर रखा। मौखरियों की शक्ति का मुकुटबला करने के लिये उसने स्थानेश्वर के राजा आदित्यवर्धन से मैत्री स्थापित की और अपनी बहिन महासेनगुप्ता का विवाह उसके साथ कर दिया।

इस प्रकार स्थानेश्वर के राजा से संधि कर महासेनगुप्त ने मौखरि राजा अवन्तिवर्मा पर चढ़ाई की। पूर्वी मालवा के अनेक प्रदेश इस समय मौखरियों के हाथ से निकल कर गुप्तों के हाथ में चले गये। इन नये जीते हुए प्रदेशों पर शासन करने के लिये महासेनगुप्त ने अपने पुत्र देवगुप्त को कुमारा-मात्य के रूप में नियत किया। महासेनगुप्त के समय में गुप्त-वंश की शक्ति फिर बढ़ गई। आसाम से मालवा तक अपने राज्य को स्थिर रख कर वह उत्तरी भारत की एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन गया।

महासेनगुप्त के दो पुत्र थे, देवगुप्त और माधवगुप्त। पिता के जीवनकाल में देवगुप्त मालवा का शासक था। माधवगुप्त अपने पिता की बहिन महासेनगुप्ता के पास स्थानेश्वर में रहता था। महासेनगुप्ता के पोते राज्यवर्धन और हर्षवर्धन माधवगुप्त की आयु के थे। उनके साथ उसकी बहुत घनिष्ट मैत्री थी। माधवगुप्त का बचपन उन्हीं के साथ में व्यतीत हुआ था।

राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की एक बहिन भी थी, जिसका

नाम राज्यश्री था। इसका विवाह मौखरिवंश के राजा महवर्मन के साथ में हुआ था। इस विवाह के कारण कन्नौज और स्थानेश्वर के राज्यों में घनिष्ठ मैत्री स्थापित हो गई थी। पश्चिमी-भारत के इन दो शक्तिशाली राज्यों की संधि गुप्त राजाओं को बिलकुल पसंद नहीं आई। गुप्तों और मौखरियों में देर से शत्रुता चली आती थी। मौखरियों की शक्ति को कमजोर करने के लिये ही गुप्त राजा महासेनगुप्त ने स्थानेश्वर के राजा से मैत्री की थी। अब स्थानेश्वर के राजा का सहयोग पाकर कन्नौज के मौखरियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। गुप्त राजा इसे सहन नहीं कर सके। मालवा के शासक देवगुप्त और गौड़ देश के शासक नरेन्द्रगुप्त शशांक (जो स्वयं गुप्तवंश का था और अभी तक पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राटों के महासामंत रूप में राज्य करता था) ने मिल कर कन्नौज पर आक्रमण किया। युद्ध में मौखरि राजा महवर्मा मारा गया और राज्यश्री को कारागार में डाल दिया गया। यह समाचार जब स्थानेश्वर पहुंचा, तो वहाँ का राजा राज्यवर्धन क्रोध से आगबबूला हो गया। वह अभी हूखों के विकट कारमीर पर चढ़ाई करके वापस लौटा था। उसने तुरंत युद्ध की तैयारी की और एक बड़ी सेना साथ में लेकर मालवराज देवगुप्त पर हमला बोल दिया। देवगुप्त स्थानेश्वर की सेना का सामना नहीं कर सका। वह परास्त हो गया और राज्यश्री कारागार से मुक्त हुई। मालवा के गुप्त शासक को परास्त कर राज्यवर्धन शशांक को ओर मुड़ा। शशांक बड़ा महत्वाकांक्षी और कृदनीतिज्ञ था। उसने सम्मुख युद्ध में राज्यवर्धन का मुकाबला करना उचित न जान चाल से काम लिया। उसने राज्यवर्धन के पास संदेश भेजा कि मैं संधि करना चाहता हूँ, और मैत्री को स्थिर रखने के लिये अपनी कन्या का विवाह राज्यवर्धन के साथ करने

लिये तैयार हैं। संधि की सब बातें तय करने के लिये राज्य-वर्धन अपने साथियों के साथ शशांक के डेरे पर गया। वहाँ सब षड्यंत्र तैयार था। शशांक के सैनिकों ने अकस्मात् राज्य-वर्धन और उसके साथियों पर हमला करके उनका घात कर दिया। ये घटनाओं इतनी शीघ्र और अचानक हुई, कि सारे कन्नौज में उथल-पुथल मच गई। घबराहट और निराशा के कारण राज्यभी को आत्मघात के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय समझ नहीं आता था। वह भाग कर विन्ध्याचल के जंगलों की तरफ चली गई।

कन्नौज के मीश्वरियों की सहायता के लिये जब राज्य-वर्धन ने अपनी सेना के साथ स्थानेश्वर से प्रस्थान किया था, तो वहाँ का शासनकार्य उसके छोटे भाई हर्षवर्धन के हाथ में था। अपने बड़े भाई की हत्या के समाचार को सुनकर उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। एक बड़ी सेना को साथ लेकर उसने शशांक से बदला लेने के लिये प्रस्थान किया। अपने ममेरे भाई मंडो को शशांक पर आक्रमण करने का आदेश देकर हर्षवर्धन स्वयं अपनी बहिन की खोज में निकल पड़ा। जंगल के निवासियों की सहायता से राज्यभी को ढूँढता हुआ वह ठीक उस समय उसके पास पहुँचा, जब वह सब तरफ से निराश हो चिंताप्रवेश की तैयारी में थी। हर्ष ने अपनी बहिन को बहुत समझाया। उसने कहा, शत्रु के भय से अपने राज्य की जिम्मेदारी को छोड़कर इस प्रकार आत्महत्या करना पौर कायरता है। शत्रुओं से बदला चुकाना पहला और मुख्य कर्तव्य है, जिस की उपेक्षा करना किसी भी दशा में उचित नहीं है। हर्ष के समझाने से राज्यभी ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और कन्नौज की राजगद्दी को संभालने के लिये वापस लौट आई।

अपनी बहिन के प्रतिनिधि रूप में हर्ष ने अब कन्नौज के राज्यभार को संभाल लिया। स्थानेश्वर का राजा वह अपने अधिकार से था, और कन्नौज के गौखरि राज्य का शासन वह अपनी बहिन की तरफ से करता था। दोनों राज्यों की सम्भलित शक्ति अब बहुत बढ़ गई थी। अब हर्षवर्धन ने शशांक से बदला लेने का कार्य प्रारंभ किया। सेनापति मंडी पहले ही शशांक से युद्ध में व्यापृत था। अब हर्ष भी पूरी शक्ति से इसमें लग गया। प्राचीन शिलालेखों से सूचित होता है, कि पूरे छः वर्ष तक हर्ष शशांक के साथ युद्ध में लगा रहा। आसाम के राजा के साथ उसने मैत्री स्थापित की। वहाँ के राजा गुप्तों के शासन से स्वतंत्र होने के प्रयत्न में थे ही। सुस्थितवर्मा के बाद भास्करवर्मा वहाँ का राजा बना था। यह भी बड़ा प्रतापी और महात्वाकांक्षी था। गुप्तवंशी शशांक के प्रभाव से मुक्त होने के लिये इसने उसके परमशत्रु हर्षवर्धन के साथ मैत्री स्थापित की। शशांक को परास्त करना सुगम बात न थी। गुप्तों की सब शक्ति उसके साथ में थी। अंत में हर्षवर्धन ने उसके साथ संधि कर ली, और उसे बंगाल के स्वतंत्र राजा के रूप में स्वीकार कर लिया।

इन सब युद्धों में माधवगुप्त हर्ष के साथ रहा। वह हर्ष का परम मित्र था, और जब अपने पिता महासेनगुप्त की मृत्यु के बाद वह पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ, तो भी हर्ष के साथ उसकी यह मित्रता कायम रही। मालवा का कुमारभाल्य देवगुप्त और बंगाल का महासामंत शशांक दोनों गुप्त बंध के थे, और दोनों से हर्ष की घोर शत्रुता थी। पर पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राट् का इन युद्धों में कोई भाग नहीं था। इसलिये जब माधवगुप्त स्वयं उस पद पर अधिष्ठित हुआ, तो भी हर्ष के साथ उसका पुराना मित्रभाव यथापूर्व बना

रहा। पर यह ध्यान रखना चाहिये, कि पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राटों की अपेक्षा इस समय कन्नौज और स्थानेश्वर के अधिपति हर्ष का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। मागधगुप्त ने ६०६ से ६४७ ईस्वी तक राज्य किया।

उसके बाद उसका पुत्र आदित्यसेन पाटलीपुत्र का सम्राट बना। उसके सिंहासनाखंड होने से एक साल पहले ६४६ ईस्वी में हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो चुकी थी। हर्ष के बाद उसका शक्तिशाली विशाल साम्राज्य खिन्न-भिन्न हो गया। काश्मीर और सिंध से बंगाल की सीमा तक अपने बाहुबल के जोर पर जो शक्ति हर्षवर्धन ने स्थापित की थी, वह उसकी मृत्यु के बाद स्थिर नहीं रह सकी। परिणाम यह हुआ, कि फिर पुराने राजवंशों और सामंतों ने सिर उठाया और अन्य महत्वाकांक्षी राजा अपनी शक्ति के विस्तार के लिये कटिबद्ध हो गये। मागध राजा आदित्यसेन ने भी इस परिस्थिति का लाभ उठाया। एक शिलालेख में आदित्यसेन को परम महारक महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। वह उपाधि पुराने प्रतापी गुप्त सम्राटों की थी, जिसे आदित्यसेन ने फिर धारण किया था। एक अन्य शिलालेख में उसे 'पृथिवीपति' और 'आसमुद्रांत वसुन्धरा' का शासक भी कहा गया है। प्रतीत होता है, कि आदित्यसेन ने गुप्त साम्राज्य का अच्छा विस्तार किया और इसी उपलक्ष्य में उसने अरबमेघ यज्ञ भी किया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त सम्राटों में आदित्यसेन ने ही पहले-पहल अरबमेघ का अनुष्ठान किया। लगभग दो सदी के बाद गुप्त सम्राटों के इस अरबमेघ से यह भली-भाँति सूचित हो जाता है, कि आदित्यसेन एक शक्तिशाली राजा था, और उसने गुप्त साम्राज्य की शक्ति का बहुत कुछ पुनरुद्धार किया था।

आदित्यसेन के बाद उसका लड़का देवगुप्त पाटलीपुत्र की राजगद्दी पर बैठा। उसे शिलालेखों में जहाँ 'परमभद्रारक महाराजाधिराज' कहा गया है, वहाँ 'सकलोत्तरापथनाथ' भी कहा है। इससे प्रतीत होता है, कि आदित्यसेन द्वारा स्थापित साम्राज्य उसके समय में अजुबख्त रहा, और वह उत्तरी भारत के अच्छे बड़े प्रदेश में शासन करता रहा। देवगुप्त शैव धर्म का अनुयायी था।

अपने शासनकाल के अंतिम सालों में देवगुप्त के चालुक्य राजा विजयादित्य से अनेक युद्ध हुए। इस समय में दक्षिणापथ में चालुक्य वंश बहुत जोर पकड़ रहा था। उसके महत्वाकांक्षी राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए मगध प्रयत्न में लगे थे। क्योंकि उत्तरापथ इस समय गुप्तों के हाथ में था, अतः स्वाभाविक रूप से उनमें परस्पर संघर्ष हुआ, और देवगुप्त को एक बार विजयादित्य से बुरी तरह हार भी खानी पड़ी। इस समय के एक शिलालेख से आभास मिलता है, कि देवगुप्त की मृत्यु भी इन्हीं युद्धों में हुई।

देवगुप्त के बाद उसका लड़का विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का स्वामी हुआ। उसका समकालीन चालुक्य राजा विजयादित्य था; यह अपने पिता के समान प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। उसने एक बार फिर उत्तरापथ पर आक्रमण किया, और मार्ग के सब प्रदेशों को जीतता हुआ मगध तक आ पहुँचा। उसने मागध राजा को हरा कर उसके परमेश्वरत्व के निरान, गंगा यमुना के चिह्नों से अंकित ध्वज को युद्ध में झीन लिया था। चालुक्य राजा से पराजित होने वाला यह गुप्त सम्राट् संभवतः विष्णुगुप्त ही था। चालुक्यों के आक्रमण से गुप्तों की शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी, और इसी कारण अनेक सामंत राजा फिर स्वतंत्र होने लग गये थे। गुप्तों की शक्ति के इस ह्रासकाल

में कन्नौज के सामंत राजाओं ने फिर सिर उठाया। वहाँ का राजा इस समय यशोवर्मा था, जो गुप्त सम्राट् अवंति के शासन-काल में अपने को गुप्तों का 'भृत्य' समझता था। पर अब वह स्वतंत्र हो गया, और उसने मगध पर चढ़ाई भी की। सोन नदी के तट पर उसने गुप्त राजा को परास्त किया और अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया।

गुप्तवंश का अंतिम राजा जीवितगुप्त था। इसका एक शिलालेख बिहार में आरा के समीप देववरनाक नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। यह एक प्राचीन विष्णुमंदिर के द्वार पर उत्कीर्ण है। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है, कि जीवितगुप्त की छावनी (विजय स्कंधावार) गोमती नदी के तट पर स्थित थी। गोमती नदी वर्तमान संयुक्त प्रांत में है। वहाँ छावनी का होना इस बात को सूचित करता है, कि उसके पूर्व का प्रदेश अब संभवतः गुप्तों के अधिकार में नहीं रहा था। कन्नौज के राजाओं ने वहाँ तक के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया था।

जीवितगुप्त के साथ गुप्तवंश की समाप्ति हो गई। इस समय उत्तरी भारत में अनेक महत्वाकांक्षी राजा अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। काश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीड बड़ा शक्तिशाली था। उसने पूर्व में दूर-दूर तक हमले किये थे। एक अनुश्रुति के अनुसार उसने गौड़ देश के राजा को कैद कर लिया था। ललितादित्य का समय ७३३ से ७६६ ईस्वी तक है। इसी समय के लगभग मगध में गुप्तवंशी राजा जीवित-गुप्त का शासन था, जिसकी अवीनता में गौड़ देश भी था। ललितादित्य द्वारा कैद किया जाने वाला गौड़नरेश यदि जीवित-गुप्त ही हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। उधर कामरूप और कन्नौज के राजा भी इस काल में विजययात्राओं में संलग्न

थे। यदि इनमें से कोई राजा मौर्यों और गुप्तों के समान भारत में स्थिर साम्राज्य की स्थापना कर सकता, तो बहुत उत्तम होता। पर इनकी विजययात्राएँ बशोधर्मा और हर्षवर्धन की दिग्विजयों के समान सृष्टिक और अचिरस्थायी थीं। उन्होंने भारत में कोई शक्तिशाली राज्य स्थापित करने को जगह सर्वत्र अराजकता उत्पन्न कर दी थी। जीवित-गुप्त के अंत के साथ मगध की राज्यशक्ति और पाटलीपुत्र का वैभव आक में मिल गये। इसके बाद फिर कभी पाटलीपुत्र भारत की प्रथम नगरी का गौरवपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सका।

गुप्तवंश का अंत आठवीं सदी के मध्य भाग में हुआ।

(५) चीनी यात्री ह्युएनत्सांग

गुप्तवंश के ह्रासकाल में जब स्थानेरवर और कन्नौज का राजा हर्षवर्धन भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, तब एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत में आया, जिसका नाम ह्युएनत्सांग है। यह ६३० ईस्वी के लगभग भारत में पहुँचा। वह १५ वर्ष तक इस देश में रहा। यहाँ उसने केवल बौद्ध धर्म का ही भलीभाँति अनुरोधन नहीं किया, अपितु इस देश के समाज, रीति-रिवाज, ऐतिहासिक अनुभूति आदि का भी नूतन गंभीरता से अध्ययन किया। उसने जो अपना यात्राविवरण लिखा है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व का है। काइयान की तरह से उसने बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य सब बातों की उपेक्षा नहीं की, अपितु बड़ी बारीकी से इस देश के जीवन के सब पहलुओं का भलीभाँति वर्णन किया है। यही कारण है, कि सातवीं सदी के भारत को भलीभाँति समझने के लिए ह्युएनत्सांग का भारतवर्षन एक प्रकार से विश्वकोष का काम देता

है। इस चीनी यात्री का कुछ परिचय देना इस काल के इतिहास को समझने के लिये बहुत उपयोगी है।

६०० ईस्वी के लगभग कन्स्यूसियस के धर्म को मानने वाले एक परिवार में ह्यु एनत्सांग का जन्म हुआ था। उसके तीन भाई और थे। उमर में वह सबसे छोटा था। छोटी आयु में ही उसका ध्यान बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुआ, और उसने भिक्षु बन कर इस उच्च धर्म का भलीभाँति अध्ययन करने का संकल्प किया। बीस वर्ष की आयु में वह भिक्षु हो गया और चीन के विविध विहारों में जाकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। चीन के स्वधियों से जो कुछ भी सीखा जा सकता था, उसने सीखा। पर उसे संतोष नहीं हुआ। चीनी भाषा में अनूदित बौद्ध ग्रंथों से उसकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई। उसने विचार किया कि भारत जाकर बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अनुशीलन करे, और उन पवित्र तीर्थस्थानों का भी दर्शन करे, जिनसे भगवान् बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों का संबंध है। सब प्रकार की तैयारी करके २६ वर्ष की आयु में ह्यु एनत्सांग ने चीन से भारत के लिये प्रस्थान किया। इस समय चीन से भारत आने के लिए अनेक मार्ग थे, जिनमें से एक उत्तरी मध्य एशिया से होकर गया था। ह्यु एनत्सांग ने इसी मार्ग का अवलंबन किया, और यह तुरफ़ान, ताशकंद, समरकंद और काचुल होता हुआ भारत पहुँचा। चीन से भारत पहुँचने में उसे एक साल लगा।

हिंदुकुश पर्वतमाला को पार कर वह कपिशा की राजधानी में शलोका नमाके विहार में रहा। अपना चातुर्मास्य उसने वहीं पर व्यतीत किया। वहाँ से अन्य अनेक नगरों और विहारों को यात्रा करता हुआ वह कारमीर गया। ह्यु एनत्सांग कारमीर में दो वर्ष तक रहा। इस युग में भी कारमीर बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केंद्र था। ह्यु एनत्सांग ने अपने ये दो साल कारमीर

में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत किये। काश्मीर से वह पंजाब के अनेक स्थानों का भ्रमण करता हुआ स्थानेश्वर पहुँचा। यहाँ जयगुप्त नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान् रहता था। ह्युएनत्सांग ने उसके पास कई मास तक अध्ययन किया। वहाँ से वह कन्नौज गया, जो उस समय उत्तरी भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति था। यहीं उसका सम्राट् हर्षवर्धन से परिचय हुआ। कन्नौज से ह्युएनत्सांग अयोध्या, प्रयाग, कोशांबी, भावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी और वैशाली आदि होता हुआ मगध पहुँचा। पाटलीपुत्र उस समय विलकुल चीख हो गया था। अब से लगभग दो सदी पहले जब फाइयान भारत आया था, तो पाटलीपुत्र में महाप्रवापी गुप्त सम्राटों का शासन था। यह नगरी न केवल एक विशाल साम्राज्य की राजधानी थी, अपितु ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति की भी बहुत बड़ी केंद्र थी। यही कारण है, कि फाइयान ने पाटलीपुत्र में रह कर ही अपनी धर्म और ज्ञान की पिपासा को शांत किया था। पर अब गुप्तों की शक्ति के चीख होने और कन्नौज के मौखरि राजाओं के उत्कर्ष के कारण पाटलीपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया था। मगध के गुप्त राजा इस समय निर्बल थे और हर्षवर्धन के सम्मुख उनकी शक्ति विलकुल फीकी थी। पिछले दिनों की अव्यवस्था और अशांति से पाटलीपुत्र का वैभव भी चीखप्राय हो गया था। यही कारण है कि ह्युएनत्सांग पाटलीपुत्र में देर तक नहीं ठहरा। वहाँ के प्रसिद्ध स्तूपों और विहारों का दर्शन कर वह बोधिवृक्ष के दर्शनों के लिये गया। ह्युएनत्सांग ने लिखा है, कि राजा शशांक बौद्ध धर्म से बड़ा द्वेष रखता था, वह स्वयं शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसने बोधिवृक्ष को कटवा दिया और पटना में बुद्ध के पदचिह्नों से अंकित पत्थर को, जिसकी बौद्ध लोग पूजा करते थे,

गंगा में फिक्रवा दिया। हा एनत्सांग ने बोधिवृक्ष के नीचे उस स्थान के दर्शन कर अपार संतोष प्राप्त किया, जहाँ भगवान बुद्ध को बोध हुआ था। भक्त लोगों ने बोधिवृक्ष का फिर से आरोपण कर दिया था। वहाँ से हा एनत्सांग नालंदा गया। इस युग में यहाँ का विहार शिक्षा और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। चीनो यात्रो कुछ समय तक वहाँ रहा, और बौद्ध धर्म के विविध ग्रंथों का मलीभौति अनुशीलन किया। नालंदा से हिरस्यदेश (मुंगेर), चंपा, राजमहल, पुण्ड्रवर्धन, कर्षसुवर्ष आदि होता हुआ वह दक्षिण भारत की ओर मुड़ा। उड़ीसा तथा दक्षिण कोशल होता हुआ हा एनत्सांग धनकटक पहुँचा। यहाँ अमरावती के विहार में वह कई महीने तक रहा। अमरावती से वह कांची गया। इसके बाद वह उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ा, और बनवासी देश होता हुआ महाराष्ट्र पहुँच गया। दक्षिण के अनेक नगरों और विहारों का भ्रमण करता हुआ हा एनत्सांग सिंध और मुलतान गया। वहाँ से अनेक नवीन स्थानों का अवलोकन करता हुआ वह नालंदा गया। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ उसने अभी तक नहीं पढ़े थे, उन सब का इस बार उसने अनुशीलन किया।

इन दिनों कामरूप (आसाम) में भास्करवर्मा का शासन था। वह कन्नौज के सम्राट् की अधीनता स्वीकार करता था। उसने हा एनत्सांग को आसाम पधारने के लिये निमंत्रण दिया। आसाम में उस समय बौद्ध धर्म का यथेष्ट प्रचार नहीं था। अतः अपने गुरु नालंदा के प्रधान आचार्य शीलभद्र की आज्ञा से हा एनत्सांग ने आसाम के लिये प्रस्थान किया। भास्करवर्मा ने बड़े आदर के साथ इस प्रसिद्ध विदेशी बौद्ध विद्वान् का स्वागत किया।

इस समय सम्राट् हर्षवर्धन बंगाल में राजमहल में पड़ाव

डाले पड़े थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ, कि ह्युएनत्सांग आसाम में हैं, तो उन्होंने भास्करवर्मा को यह आदेश दिया, कि इस चीनी विद्वान को साथ लेकर गंगा के रास्ते कन्नौज आवे। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक बौद्ध महासभा का आयोजन किया था, जिसमें बौद्ध धर्मतत्त्वों पर विचार करने के लिये दूर-दूर से पंडितों और भिक्षुओं को निर्मांत्रित किया गया था। हर्ष की इच्छा थी, कि ह्युएनत्सांग भी इस महासभा में सम्मिलित हो। हर्ष के आदेश से भास्करवर्मा ह्युएनत्सांग को लेकर कन्नौज आया। वहाँ इस चीनी विद्वान ने अपने पांडित्य का सूब प्रदर्शन किया। बाद में वह हर्ष के साथ प्रयाग गया, जहाँ सम्राट् ने बहुत दान-पुण्य किया। इस तरह १५ वर्ष के लगभग भारत में रह कर और यहाँ के बहुत से धर्मग्रंथों को साथ लेकर ह्युएनत्सांग उत्तर-पश्चिम के स्थलमार्ग से ही चीन को लौट गया।

पच्चीसवाँ अध्याय

पाल बंस का शासन

(?) पराजकता का काल

आठवीं सदी के पूर्वार्ध में मगध के गुप्त सम्राटों की शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। गुप्तों के शासन में जिस सामंत पद्धति का विकास हुआ था, वह अब अपना फल दिखा रही थी। देश में कोई एक राजा ऐसा नहीं था, जो विविध सामंतों को अपने कानू में रख सके और अव्यवस्था और अशांति की प्रवृत्तियों को दबाने में समर्थ हो। गुप्त साम्राज्य की शक्ति के समय में जो विविध राजा अधीनस्थ सामंत रूप में शासन करते थे, वे सब अब स्वतंत्र हो रहे थे, और उनमें से अनेक महत्वाकांक्षी राजा विजययात्राओं और दिग्विजयों द्वारा देश में और भी अशांति उत्पन्न कर रहे थे। यशोधर्मा और हर्षवर्धन की विजयों ने किसी स्थिर साम्राज्य की नींव नहीं डाली। अब आठवीं सदी के शुरू में अनेक ऐसे महत्वाकांक्षी राजकुल थे, जो इन्हीं की तरह विजययात्राओं के लिये तत्पर थे, और चारों तरफ हमले करके अन्य सामंतों को परास्त कर अपने को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का स्वप्न देख रहे थे। पर इनमें से किसी को भी एक स्थिर साम्राज्य बनाने में सफलता नहीं हुई। सामंत पद्धति ही इसका प्रधान कारण है।

अव्यवस्था के इस काल में मगध पर अनेक राजाओं ने हमले किये। ६३१ ईस्वी के लगभग कन्नौज के राजा यशोधर्मा ने दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया। हर्षवर्धन के कोई संतान

नहीं थी, अतः ६४४ ईस्वी के लगभग, जब उसकी मृत्यु हुई, तो भंडी कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठा था। भंडी हर्षवर्धन का ममेरा भाई था। यशोवर्मा संभवतः भंडी का ही वंशज था। उसने कन्नौज की राजशक्ति को फिर बढ़ाया। कवि बाहूपतिराज ने गौड़वहो में इस यशोवर्मा के विजयवृत्तांत को विस्तार के साथ लिखा है। इससे ज्ञात होता है, कि यशोवर्मा ने बंगाल पर आक्रमण किया था। उन दिनों बंगाल मगध के अधीन था और वहाँ गुप्तवंशी राजा राज्य करते थे। यशोवर्मा ने इन्हें परास्त किया और अनेक सामंत राजाओं को नष्ट किया।

७३१ ईस्वी के यशोवर्मा के आक्रमण का असर अभी दूर नहीं हुआ था, कि काश्मीर के शक्तिशाली राजा मुक्तापीड ललितादित्य ने दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया। पंजाब और मध्यदेश के विविध राजाओं को परास्त करता हुआ ललितादित्य मगध और बंगाल तक बढ़ा, और पाटलीपुत्र के गुप्त राजा को परास्त किया। ललितादित्य बड़ा प्रतापी राजा था। कन्नौज के राजवंश को भी उसने युद्ध में नीचा दिखाया था। मगध के गुप्त वंश का अंत संभवतः इसी के आक्रमणों से हुआ। दिग्विजय के बाद ललितादित्य तो अपने देश को वापिस लौट गया, पर भारत में सर्वत्र अराजकता छा गई। इस अव्यवस्था से, लाभ उठाकर आसाम के राजा श्रीहर्ष ने सिर उठाया और ६४८ ईस्वी के लगभग बंगाल और मगध पर आक्रमण किये। जब वह समाचार काश्मीर पहुँचा, तो वहाँ का राजा फिर विजययात्रा के लिये निकला। मुक्तापीड की मृत्यु हो जाने से अब वहाँ जयापीड का शासन था। वह भी अपने पिता के समान ही प्रतापी और महत्त्वाकांक्षी था। इसने अपनी विजययात्रा में एक बार फिर मगध और बंगाल का मर्दन किया। उन दिनों

पुरज्वर्धन में जयंत नाम का एक सामंत राजा राज्य करता था। जयापीड ने उसकी कन्या कल्बाणदेवी के साथ विवाह किया, और जयंत को बंगाल में शासन करने के लिये नियत करके वह स्वयं कारमीर वापस लौट आया। पर जयापीड को बंगाल तक के विस्तृत प्रदेश में स्थिर शासन स्थापित करने में सफलता नहीं हुई। यह शक्तिशाली सामंतों का युग था, जो इस अव्यवस्था के काल में सर्वत्र स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। दिग्विजय करके जयापीड के वापस लौटते ही फिर सर्वत्र अराजकता और अव्यवस्था छा गई। जयंत इस अशांति की दशा को दूर करने में जरा भी सफल नहीं हुआ। तिब्बती लामा गारानाथ ने इस दशा का क्या ठीक वर्णन किया है—“उस समय वहाँ कोई भी एक शक्तिशाली राजा न था। ओडिबिप (शायद उड़ीसा का ओड़ु देश), बंगाल और पूर्व के पाँच राज्यों में हरेक ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य अपने पास-पड़ोस के प्रदेश में राजा बन बैठा था। देश में किसी राजा का शासन नहीं था।”

निःसंदेह, कन्नौज, आसाम, कारमीर आदि के महत्त्वाकांक्षी राजाओं की निरंतर विजययात्राओं का यही परिणाम हुआ, कि सारे देश में अराजकता छा गई, और बहुत से छोटे-छोटे सामंत राजा ही नहीं, अपितु प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने-अपने प्रभावक्षेत्र में पृथक्-पृथक् शासन करने लगा।

(२) मात्स्य न्याय का अंत और पाल वंश का प्रारंभ

अराजकता की इसी दशा को इस काल के एक शिलालेख में 'मात्स्य न्याय' के नाम से कहा गया है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसी तरह जब शक्तिशाली निर्वल के भक्षण के लिये तत्पर होता है, 'वो मात्स्य न्याय' हो जाता

है। मगध और बंगाल में अथ 'मात्स्य न्याय' ही छाया हुआ था। शक्तिशाली लोग सब जगह राजा बन बैठे थे, और निर्बल सर्वसाधारण लोग उनसे परेशान थे। व्यवस्थित राजसत्ता का सर्वथा लोप हो गया था। इस दशा को दूर करने के लिये जनता ने गोपाल नामक एक वीर पुरुष को स्वयं राजा निर्वाचित किया। यह किसी प्राचीन राजकुल का कुमार नहीं था। इसका पितामह दयितविष्णु था, जो सब विद्याओं में निष्णात विद्वान् था। गोपाल के पिता का नाम बप्पट था। यह भी एक प्रसिद्ध विद्वान् था। पर इस समय देश में जो अराजकता फैली हुई थी, उससे विवश हो बप्पट ने शास्त्र छोड़कर शस्त्र का ग्रहण किया, और अनेक शत्रुओं को परास्त कर प्रसिद्धि प्राप्त की। उसका पुत्र गोपाल बड़ा वीर था। अराजकता की इस दशा में उसने अपने बाहुबल से और भी अधिक ख्याति प्राप्त की, और लोगों ने अनुभव किया कि यही वीर पुरुष देश की अशांति और अव्यवस्था को दूर कर के जनता के जान और माल की रक्षा कर सकता है। इसीलिये उसे राजा बनाया गया और इस प्रकार पाल वंश का प्रारंभ हुआ। गोपाल ने पहले बंगाल में अशांति को दूर किया, और फिर मगध को जीत कर वहाँ भी एक व्यवस्थित शासन की स्थापना की।

इस काल के एक शिलालेख में लिखा है, कि "मात्स्य न्याय को दूर हटाने के लिये प्रकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी का हाथ पकड़ाया, और उसे सब राजाओं का शिरोमणि बना दिया।" सर्वसाधारण जनता ने अपने मत (वोट) देकर गोपाल को राजा चुना हो, ऐसा नहीं हुआ। अपितु अपने समय की अव्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए उस समय के विभिन्न छोटे-छोटे राजाओं ने यह अनुभव किया, कि किसी वीर और योग्य व्यक्ति को अपना शिरोमणि बनाना चाहिये। इसी लिये वीरवर

बप्पट के पुत्र श्रीगोपाल को उन्होंने अपना अधिपति स्वीकार किया और उसके नेतृत्व में गौड़ (बंगाल) और मगध (बिहार) में फिर एक बार व्यवस्थित शासन की स्थापना हुई।

इस प्रकार गोपाल ने ७६१ ईस्वी के लगभग शासनसूत्र को अपने हाथ में लिया। उसके शासन का ठीक समय ज्ञात नहीं है। संभवतः, उसने बहुत समय तक शासन नहीं किया। उसके बाद उसका लड़का धर्मपाल राजगद्दी पर बैठा। धर्मपाल का शासनकाल ७६६ से ८०६ ईस्वी तक है। पाल वंश का यह राजा बड़ा प्रतापी था। उसके समय में पाल राजाओं का शासन सारे उत्तरी भारत में विस्तृत हो गया। धर्मपाल की विजययात्राओं का बर्णन इस काल के अनेक शिलालेखों में किया गया है। धर्मपाल ने सब से पहले कन्नौज पर आक्रमण किया। गुप्तों की शक्ति के क्षीण होने पर कन्नौज उत्तरी भारत का सब से प्रमुख नगर था। राजशक्ति की दृष्टि से पाटलीपुत्र का स्थान अब कन्नौज ने ले लिया था। मौखरि राजाओं और विशेषतया हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। हर्ष के ममेरे भाई भंडी के वंश के राजा अब तक वहाँ शासन करते थे। कन्नौज के राजा यशोवर्मा का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, जिसने मगध पर आक्रमण कर वहाँ के गुप्तवंशी राजा को परास्त किया था। धर्मपाल के समय में कन्नौज का राजा इंद्रराज या इंद्रायुध था। ७८३ ईस्वी के लगभग धर्मपाल ने इस पर आक्रमण किया, और इंद्रराज को परास्त कर उसके प्रतिद्वन्द्वी चक्रायुध को कन्नौज के राजसिंहासन पर अभिषिक्त किया। संभवतः, चक्रायुध भी कन्नौज के पुराने राजवंश के साथ ही संबंध रखता था। वह धर्मपाल को अपना अधिपति स्वीकार करके, उसी की आज्ञा में रहते हुए शासन करने को तैयार था। इसी लिये धर्मपाल ने इंद्रराज को

परास्त कर उसे अपने सामंत रूप में कन्नौज की राजगद्दी पर बिठाया।

पर भारत के अन्य राजाओं ने चक्रायुध को इतनी सुगमता से कन्नौज का राजा स्वीकार नहीं किया। इसीलिये धर्मपाल को बहुत से राजाओं के साथ युद्ध करने पड़े। इस काल के लेखों के अनुसार कुह, यदु, यवन, अवन्ति, गांधार, कीर, भोज, मत्स्य और मद्र आदि अनेक देशों के राजाओं को परास्त कर धर्मपाल ने उन्हें इस बात के लिये बिचरा किया, कि वे चक्रायुध को कन्नौज का राजा स्वीकार करें। कुछ राज्य पूर्वी पंजाब में कुरुक्षेत्र व स्थानेश्वर के समीपवर्ती प्रदेशों में था। यदु लोग मथुरा के समीप के प्रदेश में रहते थे। अवन्ति की राजधानी उज्जैनी थी। यवन और गांधार उत्तर-पश्चिमी पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत के प्रदेश थे। भोज और मत्स्य देश पूर्वी राजपूताना में थे। कीर का अभिप्राय संभवतः कांगड़ा के प्रदेश से है। मद्र वर्तमान अफगानिस्तान के एक भाग का नाम था। इस प्रकार स्पष्ट है, कि धर्मपाल ने सुदूर हिंदुकुश के राजाओं को परास्त कर चक्रायुध की अधीनता स्वीकार करने के लिये मजबूर किया। इस युग में कन्नौज उत्तरी भारत का प्रधान केंद्र था, वहाँ के राजा को अन्य राजाओं के अधिपति अपना स्वामी स्वीकार करते थे। इंद्रराज को राज्यच्युत कर जब धर्मपाल ने चक्रायुध को कन्नौज का राजा बनाया, तो उत्तरी भारत के अन्य राजाओं के साथ उसे घोर युद्ध करने पड़े। पर अंत में इन सब देशों के "सामंत राजाओं को कांपते हुए राजमुकुटों समेत आदर से मुक कर उसे (चक्रायुध को) स्वीकार करना पड़ा। पंचाल के ब्रह्मों ने उसके लिये सोने के अभिषेकषट सुशी से पकड़े।" अभिप्राय यह है, कि पंजाब, मध्यभारत, पूर्वी राजपूताना, संयुक्तप्रांत

आदि संपूर्ण उत्तरी भारत के विविध राजा कन्नौज के जिस सम्राट के अधीन सामंत रूप से राज्य करते थे, वह अब मगधाधिपति धर्मपाल का 'महासामंत' बन गया। इस युग में सामंत पद्धति का इतना खोर था, कि धर्मपाल ने इंद्रराज को परास्त कर न कन्नौज को सीधे अपने अधीन किया, और न चक्रायुध को एक साधारण सामंत की स्थिति में ला दिया। चक्रायुध धर्मपाल का सामंत था, और कुरु, यवन, मत्स्य आदि विविध देशों के राजा कन्नौज के महासामंत चक्रायुध के सामंत थे।

(३) राजपूत वंशों का प्रादुर्भाव

गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर भारत में जो बहुत से नये राजवंश शासन करने लगे, वे सामूहिक रूप से राजपूत कहे जाते हैं। भारतीय इतिहास में यह राजपूत शब्द नया है। पुराने राजवंश या तो क्षत्रियों (शुद्ध आर्य या व्रात्य क्षत्रिय) के होते थे, या ब्राह्मण, वैश्य आदि अन्य कुलों के। पर सातवीं सदी के अंतिम भाग से ऐसे अनेक नये राजकुलों का प्रारंभ हुआ, जो भारत के प्राचीन इतिहास में सर्वथा अज्ञात थे। गुर्जर, प्रताहार, पंचार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चौहान आदि अनेक नये राजवंशों के इस काल में राज्य स्थापित हुए। अनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि ये सब उन शक, कुशाण, हण आदि विदेशी आक्रांताओं की संतान थे, जिन्होंने भारत में प्रवेश कर यहाँ की भाषा, धर्म, सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया था। भारत में आकर ये पूरी तरह भारतीय हो गये थे, और शैव, वैष्णव आदि विविध पौराणिक धर्मों को मानने लगे थे। इन्हें भारतीय सप्ताज का ही अंग मान लिया गया था, और इनकी वीरता और मुद्ध की प्रतिभा को दृष्टि में रख कर इन्हें क्षत्रिय वर्ग में शामिल कर लिया गया था। पुराने क्षत्रिय

कुलों से भिन्नता प्रदर्शित करने के लिये इन्हें राजपुत्र या राज-पूत कहा गया।

ऐतिहासिकों के इस मत की पुष्टि एक प्राचीन अनुवृत्ति से भी होती है, जिसके अनुसार इन राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि-कुण्ड से हुई थी। इसीलिये इन्हें 'अग्निकुल' के राजपूत कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इन सब को वाकायदा हिंदू समाज में शामिल करने के लिये अग्नि द्वारा इनकी शुद्धि की गई, और इसीलिये ये अग्निकुल के राजपूत कहलाये। कुछ विद्वानों ने इस मत को अस्वीकार करते हुए यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है, कि अग्निकुल के राजपूत शुद्ध क्षत्रिय थे, और उनका संबंध पुराने समय के सूर्य, चंद्र या अन्य राज-वंशों से था। पर हमारी सम्मति में यही मानना युक्तिसंगत है, कि जो विदेशी आक्रांता भारतीय भाषा, धर्म, आदि को स्वी-कार कर पूर्वतया इस देश के समाज के अंग बन गये थे, उन्होंने ही गुर्जर, प्रतीहार, चालुक्य आदि विविध नये राजवंशों का प्रारंभ किया। इन राजपूत कुलों के राज्य नबी, दसवीं और ग्यारहवीं सदियों में विशेष रूप से विकसित हुए।

आठवीं सदी में इन राजपूतों के निम्नलिखित राज्य बहुत शक्तिशाली थे:—

१—भिन्नमाल (राजपूताना में जोधपुर के दक्षिण में स्थित भिनमाल) का गुर्जर प्रतीहार राज्य। पालवंशी राजा धर्मपाल के समय में वहाँ का राजा बत्सराज था। वह भी बड़ा प्रतापी और महत्वाकांक्षी था।

२—वाठापी (वादामी, बंबई प्रांत के बीजापुर जिले में स्थित) का चालुक्य राज्य। इसका प्रारंभ छठवीं सदी में हुआ था। गुप्तवंश के क्षीण होने पर जब हर्षवर्धन उत्तरी भारत का सार्व-भौम अभिपति था, तब चालुक्यवंशी पुलकेशी द्वितीय दक्षिण

का सम्राट् था। पुलकेशी द्वितीय के बाद चालुक्यों का साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। वातापी में पुलकेशी के वंशज राज्य करते रहे, और पूर्व में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में कुब्ज विष्णुवर्धन ने एक स्वतंत्र चालुक्य राज्य की स्थापना की। वह पुलकेशी द्वितीय का भाई था। आगे चलकर वातापी के चालुक्यों को राष्ट्रकूटों ने अपने अधीन कर लिया, पर पूर्वी चालुक्य वंश ग्यारहवीं सदी तक स्वतंत्र रूप से राज्य करता रहा।

३—महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट राज्य। इसका संस्थापक दंतिदुर्ग था। उसने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त कर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पहले दंतिदुर्ग वातापी के चालुक्य वंश का सामंत था, पर ७५४ ईस्वी में उसने न केवल अपने को स्वतंत्र कर लिया, पर वातापी के चालुक्य वंश का अंत कर अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। पालवंशी धर्मपाल का समकालीन राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष भूव था। यह बड़ा शक्तिशाली और महत्त्वाकांक्षी राजा था। उसने दूर-दूर के प्रदेशों पर आक्रमण कर अपनी शक्ति का बहुत विस्तार किया।

इस प्रकार आठवीं सदी के अंत और नवीं सदी के प्रारंभ में भारत में तीन प्रमुख राजशक्तियाँ थीं। मगध में पालवंशी धर्मपाल का राज्य था। कन्नौज का राजा चक्रायुध उसके हाथ की कठपुतली था। पंजाब, अवंति, गांधार, मध्यभारत, और संयुक्तप्रांत के विविध देशों के राजा चक्रायुध के सामंत थे, और चक्रायुध धर्मपाल का महासामंत था। राजपूताना में गुर्जर प्रतीहार राजा वत्सराज का शासन था और दक्षिण में राष्ट्रकूट राजा भूव राज्य करता था। इन तीन राजशक्तियों में अपनी सावर्भौम सत्ता के लिये इस काल में घोर संघर्ष जारी था।

(४) पालवंशी राजा धर्मपाल और देवपाल

उत्तरी भारत में जिस प्रकार धर्मपाल ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, वह भीनमाल के गुर्जर प्रतीहार राजा बत्सराज को सहन नहीं हुआ। उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, और धर्मपाल तथा चक्रायुध को परास्त किया। बत्सराज के आक्रमण से विवश होकर धर्मपाल और चक्रायुध ने राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से सहायता के लिये प्रार्थना की। धर्मपाल का राष्ट्रकूट राजा से घनिष्ठ संबंध था। उसकी पत्नी रत्नदेवी राष्ट्रकूट कुमारी थी। रत्नदेवी विदिशा के राष्ट्रकूट सामंत परबल को कन्या थी। परबल राजा ध्रुव के ही कुल का था। बत्सराज के आक्रमणों से उत्तरी भारत की रक्षा करने के लिये ध्रुव ने भिन्नमाल पर हमला कर दिया। बत्सराज परास्त हुआ। कन्नौज पर अपना शासन स्थिर करने की सब आशाओं छोड़ वह अपने राज्य को वापस लौट गया।

७६४ ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष ध्रुव की मृत्यु हो गई। राजगद्दी पर कौन बैठे, इसके लिये वहाँ झगड़े हुए। परिणाम यह हुआ, कि कुछ समय के लिए राष्ट्रकूट राजशक्ति निर्बल हो गई। इसी बीच में भीनमाल के राजा बत्सराज की भी मृत्यु हो गई थी, और उसका लड़का नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतीहारों का राजा बना था। नागभट्ट अपने पिता के समान ही वीर और महत्वाकांक्षी था। राष्ट्रकूटों के गृहकलह से लाभ उठा कर उसने तुरंत कन्नौज पर आक्रमण किया। धर्मपाल और चक्रायुध फिर परास्त हुए। पर इस समय तक राष्ट्रकूटों के आपस के झगड़े समाप्त हो चुके थे, और गोविंद तृतीय वहाँ की राजगद्दी पर आरूढ़ हो गया था। गोविंद तृतीय ने ध्रुव के समान फिर भीनमाल पर हमला किया। नागभट्ट

उसका मुकाबला नहीं कर सका। एक शिलालेख के अनुसार जिस प्रकार शरद ऋतु के आगमन से वर्षा ऋतु के बादल भाग जाते हैं, वैसे ही गोविंद तृतीय के आने के समाचार से नागभट्ट भाग गया था। गुर्जर प्रतीहारों की शक्ति को नष्ट करने के लिए ही गोविंद तृतीय ने अपने भतीजे कर्कराज को गुजरात का "महासामन्ताधिपति" नियत किया। राजपूताने के पड़ोस में ही एक शक्तिशाली राष्ट्रकूट सामंत के स्थापित हो जाने का परिणाम यह हुआ, कि गुर्जर प्रतीहार राजा देर तक सिर नहीं ठठा सके, और कन्नौज पर अधिकार करने का उनका स्वप्न चिरकाल के लिये नष्ट हो गया।

गोविंद तृतीय केवल नागभट्ट को परास्त करके ही संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उत्तर में हिमालय तक आक्रमण किये। ऐसा प्रतीत होता है, कि धर्मपाल और चक्रायुध गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार करने लगे थे, और कुछ समय के लिये गोविंद की शक्ति सर्वप्रधान हो गई थी।

पाल वंश के राजा गोपाल और धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एक लेख में धर्मपाल को 'परम सौगत' लिखा गया है। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना की, जो आगे चलकर नालंदा के समान ही शिक्षा और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया।

राष्ट्रकूट राजा गोविंद के आक्रमणों से उत्तरी भारत में धर्मपाल की स्थिति ढाँबाडोल हो गई थी, पर मगध और बंगाल में उसकी शक्ति अक्षुण्ण बनी रही। चालीस वर्ष के लगभग शासन करके ८०६ ईस्वी में धर्मपाल की मृत्यु हुई। उसके दो पुत्र थे, त्रिभुवनपाल और देवपाल। संभवतः, बड़े सुभराज त्रिभुवनपाल की मृत्यु धर्मपाल के जीवनकाल में ही हो गई थी।

अतः धर्मपाल के बाद देवपाल मगध का राजा बना ।

इन पालवंशी राजाओं की राजधानी कौन सी थी, इस विषय में ऐतिहासिकों के अनेक मत हैं । अनेक माल राजाओं के शिलालेख पाटलीपुत्र व श्रीनगर से प्रकाशित किये गये थे, जिसे 'भीमवज्रयस्कंधावार' कहा गया है । श्रीनगर पाटलीपुत्र का ही अन्य नाम था । यद्यपि गुप्तों के साथ पाटलीपुत्र की स्थिति भी सीख ही गई थी, पर इस नगर का सदियों पुराना गौरव अभी सर्वथा नष्ट नहीं हुआ था । इसीलिये पाल राजाओं ने वहाँ अपनी एक अमुख्य छावनी बनाई थी । संभवतः, यही नगरी उनकी राजधानी का भी काम देती थी ।

धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल अपने पिता के समान ही प्रतापी और महत्वाकांक्षी था । उसके समय में पाल वंश उन्नति की चरम सीमा को पहुँच गया । उसके प्रयत्न से मगध एक बार फिर उत्तरी भारत की प्रधान राजशक्ति बन गया । उसके चचा (धर्मपाल के भाई) वाक्पाल के पुत्र जयपाल ने उत्कल (उड़ीसा) और प्राग्ज्योतिष (आसाम) पर विजय स्थापित की । जयपाल देवपाल का प्रधान सेनापति था । पूर्व में समुद्रपर्यंत अपनी शक्ति को स्थापित कर देवपाल ने पश्चिम और दक्षिण में आक्रमण करने शुरू किये । धीरे-धीरे हिमालय और विंध्याचल के बीच का सब प्रदेश पाल साम्राज्य के अधीन हो गया । चक्रायुध के बाद कर्नाज में किसका शासन था, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है । पर देवपाल ने कर्नाज-पति और उसके अधीन सब सामंत राजाओं को जीत कर अपने अधीन कर लिया था, इसमें कोई संदेह नहीं । नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी गुर्जर प्रताहार राजा रामभद्र बहुत निर्बल था । उधर राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय की भी ८१४ ईस्वी में

मृत्यु हो गई थी। उसका उत्तराधिकारी कौन हो, इस संबंध में मगधे चल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में देवपाल का मुक्ताबला कर सकने वाला कोई शक्ति उत्तरी भारत में न थी। परिणाम यह हुआ, कि उसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और काश्मीर से प्रोम्ब्योतिष तक उसका अबाधित शासन स्थापित हो गया। अपने विरोधियों को परास्त कर जब अमोघवर्ष राष्ट्र-कूट राजा बना, तो उसने देवपाल पर आक्रमण किया। पर विंध्याबल के समीप देवपाल ने उसे बुरी तरह परास्त किया। उड़ीसा के इक्ष्वाकु के कुछ अन्य राज्यों को भी उसने अपने अधीन किया।

(५) राजा मिहिरभोज

पर देवपाल की यह शक्ति देर तक कायम नहीं रह सकी। ८३६ ईस्वी में भोजमाल के गुर्जर प्रवीहार राजा रामभद्र की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका लड़का भोज, मिहिरभोज या आदिवराह भोजमाल के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। यह भोज बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ है। इसके राजा बनते ही स्थिति ने एक बार फिर पलटा साया। मिहिरभोज ने अपने पितामह नागभट्ट द्वितीय का अनुकरण करते हुए एक बार फिर कन्नौज पर आक्रमण किया। इस बार देवपाल उसका मुक्ताबला नहीं कर सका। वह परास्त हो गया, और कन्नौज स्थिर रूप से गुर्जर प्रवीहारों के हाथ में चला गया। मिहिरभोज ने भोजमाल की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इस युग में कन्नौज की स्थिति मुराल युग की दिल्ली के समान थी। कन्नौज के हाथ आते ही उत्तरी भारत के विविध देशों के सामंत राजा भी भोज के अधीन हो गये।

मिहिरभोज का साम्राज्य बड़ा विस्तृत था। पश्चिम में

मुलतान, उत्तर में कारमीर, दक्षिण में विन्धाचल और पूर्व में सोन नदी तक मिहिर का साम्राज्य विस्तृत था। काठियावाड़ का प्रदेश भी उसके अधीन था। पाल राजा उसके सम्मुख बिलकुल निष्प्रभ हो गये थे। मिहिरभोज ने ८२६ ईस्वी से ८६० ईस्वी तक कुल ३४ वर्ष राज्य किया। उसके समय में एक बार फिर उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली स्थिर साम्राज्य की स्थापना हुई, सामंत राजा निर्बल हुए और देश में लगभग एक सदी तक अस्थिर और शांतिमय शासन कायम हुआ। मिहिरभोज की विजयों के कारण पालवंशी देवपाल का राज्य केवल वर्तमान बिहार प्रांत और बंगाल में ही सीमित रह गया।

८२१ ईस्वी में देवपाल की मृत्यु हुई। उसके बाद उसके भतीजे विमहपाल ने तीन वर्ष तक राज्य किया। विमहपाल देवपाल के चचेरे भाई जयपाल का पुत्र था। राजा बनने के समय तक उसकी आयु काफी हो चुकी थी, उसकी प्रवृत्ति भी वैराग्य की ओर थी। अतः केवल तीन वर्ष तक शासन करके विमहपाल ने राज्य का भार अपने पुत्र नारायणपाल को सौंप दिया। उसने ३४ वर्ष तक (८२४ से ८०८ तक) राज्य किया। ८०१ ईस्वी में मिहिरभोज ने फिर बिहार पर आक्रमण किया। विरहूत और राजशाही के इलाके इस आक्रमण में नारायणपाल से जीत लिये गये। मिहिरभोज को इतने से ही संतोष नहीं हुआ। उसने फिर पाल राज्य पर हमले किये। इस बार मगध भी गुर्जर प्रतीहार साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। नारायणपाल का अधिकार केवल अंग और दक्षिणी बंगाल पर ही रह गया। पाटलीपुत्र अब पालों के हाथमें नहीं रहा था। अतः पालों का 'श्रीमज्जयस्कंधाबार' अब पाटलीपुत्र की जगह मुंगेर (मुद्गगिरि) में चला गया।

इन विजयों के परिणामस्वरूप गुर्जर प्रतीहार साम्राज्य की सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। कलिंग (उड़ीसा) देश भी इन शक्तिशाली सम्राटों के अधीन था, और कन्नौज का साम्राज्य अब एक बार फिर बंगाल की खाड़ी से काठियावाड़ (अरब सागर के तट पर) तक और कारभार से विंध्याचल तक विस्तृत हो गया।

८६० ईस्वी में मिहिरभोज की मृत्यु होने पर उसका लड़का महेंद्र कन्नौज के राजा सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसने ६०७ ईस्वी तक कुल १७ वर्ष राज्य किया। महेंद्र के बाद महीपाल गुर्जर प्रतीहार साम्राज्य का स्वामी बना। इसके शासनकाल के प्रारंभ में ही नारायणपाल ने मगध का उत्तरी भाग फिर अपने अधीन कर लिया। नारायणपाल का एक लेख उद्दण्डपुर (वर्तमान बिहार शरीफ) से मिला है, जिससे सूचित होता है, कि अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में उसने पाल वंश की शक्ति का थोड़ा पुनरुद्धार करने में सफलता प्राप्त की थी।

महेंद्र के बाद महीपाल के शासनकाल में गुर्जर प्रतीहारों की बटती कला का प्रारंभ हुआ। इस समय विंध्याचल के दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा फिर जोर पकड़ रहे थे। उनका राजा कृष्ण (८८७ से ९११ ईस्वी तक) बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसकी कन्नौज के साम्राज्य से पुरानी शत्रुता थी। कृष्ण के एक लेख से सूचित होता है, कि उसने विंध्याचल के उत्तर में मगध, अंग और गोंड देशों को अपने अधीन किया। इन देशों का राजा इस समय पालवंशी नारायणपाल ही था। वह गुर्जर प्रतीहारों के मुकाबले में राष्ट्रकूटों से मैत्री करने और उनकी सहायता प्राप्त करने के लिये सदा उत्सुक रहता था। इसी लिये उसने अपने लड़के राज्यपाल का विवाह एक राष्ट्रकूट कुमारी के

साथ किया था। संभवतः, कृष्ण ने नारायणपाल की सहायता प्राप्त करने के लिये ही उत्तर भारत में प्रवेश किया था, और गुर्जर प्रतीहारों के विरुद्ध अंग, मगध और भौड़ देशों को अपने संरक्षण में ले लिया था। राष्ट्रकूटों का एक लेख बिहार में गया से मिला है। इससे सूचित होता है, कि वास्तुतः ही कृष्ण के समय में दक्षिण के इन शक्तिशाली राजाओं का प्रभाव मगध में विद्यमान था।

राष्ट्रकूट तो गुर्जर प्रतीहारों के विरुद्ध खड़्गहस्त थे ही, अब महीपाल के शासनकाल में उनके अपने साम्राज्य में से भी अनेक अधीनस्थ राजा स्वतंत्र होने लगे। इनमें मालवा और बुंदेलखंड के सामंत राजा मुख्य हैं। इसी समय कृष्ण के उत्तराधिकारी राष्ट्रकूट राजा इंद्र नित्यवर्ष ने बहुत बड़ी सेना के साथ उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। उसने सीधा कन्नौज पर हमला कर इस समृद्ध नगरी का बुरी तरह सत्यानाश किया। गुर्जर प्रतीहार राजा महीपाल उसके सम्मुख न ठहर सका, प्रयाग तक उसका पीछा किया गया, और राष्ट्रकूट सेनाओं के घोड़ों ने गंगा का जल पान कर अपनी प्यास को बुझाया। राष्ट्रकूटों के इस हमले से कन्नौज की राजशक्ति को खर्बंदस्व बना लगा। इसके बाद गुर्जर प्रतीहार साम्राज्य निरंतर निर्बल ही होता गया, और उसके भग्नावशेष पर अनेक स्वतंत्र राज-पूत राज्यों की स्थापना हुई।

(६) पालवंश के अन्य राजा

नारायणपाल के बाद राज्यपाल (६०८ से ६३२ ईस्वी तक) और गोपाल द्वितीय (६३२ से ६४६ ईस्वी तक) पाल राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। ६१६ ईस्वी के इंद्र नित्यवर्ष के आक्रमणों से कन्नौज की शक्ति अत्यंत निर्बल हो गई थी। इस

परिस्थिति से इन्होंने लाभ उठाया, और अपने वंश की शक्ति को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किया। पर पाल वंश के ये राजा देर तक शांतिपूर्वक मगध में शासन नहीं कर सके। गुर्जर प्रतीहारों के विरुद्ध विद्रोह करके जो अनेक राजा इस समय उत्तरी भारत में स्वतंत्र हो गये थे, उनमें से बुंदेलखंड के चंदेलों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इनका राजा यशोवर्मन (६२५ से ६५० ईस्वी तक) बड़ा शक्तिशाली था। उसने चारों ओर के प्रदेशों पर आक्रमण कर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया। कालिंजर को जीत कर उसने कलचुरि राजाओं को परास्त किया। मज्जा पर हमला करके वह विष्णु भगवान की एक पवित्र मूर्ति को अपने साथ ले गया और खजूरहो के एक विशाल मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा की। पूर्व की तरफ उसने मगध, मिथिला और गौड़ देश तक आक्रमण किये। यशोवर्मन के हमलों के कारण गोपाल द्वितीय को मगध छोड़कर भुंगेर की पहाड़ियों में भाग जाना पड़ा। पाल वंश की राजलक्ष्मी एक बार फिर परास्त हो गई।

गोपाल द्वितीय का उत्तराधिकारी विग्रहपाल द्वितीय (६४६ से ६७५ ईस्वी तक) था। उधर जेजाकमुक्ति (जम्बीती या बुंदेलखंड) के चंदेलवंश में यशोवर्मन का उत्तराधिकारी राजा धंग (६५० से ६६६ ईस्वी तक) था। यह भी अपने पिता के समान ही प्रतापी और महत्त्वाकांक्षी था। इसके सम्मुख पालवंशी राजा विग्रहपाल द्वितीय अपना सिर नहीं उठा सका, और उसे पहाड़ों में ही आश्रय लिये रहने के लिये विवश होना पड़ा। धंग के बाद चंदेलों की शक्ति निर्बल पड़ने लगी। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर विग्रहपाल द्वितीय के उत्तराधिकारी महीपाल (६७५ से १०२६ ईस्वी तक) ने फिर अपने वंश की कीर्ति की

स्थापना की।

महीपाल को अपनी शक्ति के पुनरुद्धार में सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था, कि इस समय में राजनी के तुर्क सुलतानों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। पहले सुबुक्तगीन और बाद में महमूद गजनवी ने भारत पर अनेक हमले किये। उत्तर-पश्चिम भारत के सब राजा इन हमलों का मुकाबला करने में व्यापृत थे। बुंदेलखंड के चंदेल, कन्नौज के गुर्जर प्रतीहार और काजंजर के कालचूरि, सब राजा इस समय अपने एक शक्तिशाली विदेशी शत्रु का सामना करने में लीन थे। उन्हें यह अवकाश नहीं था, कि पूर्वी भारत की तरफ ध्यान दे सकें। परिणाम यह हुआ, कि महीपाल को अपनी शक्ति के विस्तार का अवसर मिल गया, और उसने धीरे-धीरे विहार व बंगाल में फिर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया।

पर महीपाल भी देर तक शांति के साथ अपने नये प्राप्त किये हुए राज्य पर शासन नहीं कर सका। इसी समय में सुदूर दक्षिण में तामिल चोल राजा बड़े शक्तिशाली थे। उनकी राजधानी वांजोर थी। चोल सम्राट् राजराज (१०११ से १०१२ ईस्वी तक) बड़ा प्रतापी था। पाण्ड्य, केरल, सिंहल और हिंद महासागर के अनेक द्वीप उसके साम्राज्य में शामिल थे। पर वह इतने से ही संतुष्ट नहीं था। पूर्वी चालुक्य राजाओं को भी उसने परास्त किया, और धीरे-धीरे वह सारे दक्षिणी भारत का सम्राट् हो गया। इस समय तक राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीय हो चुकी थी, और दक्षिण में उनका स्थान चालुक्यों ने ले लिया था। राजराज ने उन को भी परास्त कर अपने अधीन किया।

चोल सम्राट् राजराज का उत्तराधिकारी राजेंद्र हुआ।

उसका समय १०१२ से १०४२ ईस्वी तक है। इसने चोल साम्राज्य को और भी विस्तृत किया। १०२३ ईस्वी में राजेंद्र ने भारत के पूर्वी तट के साथ-साथ उत्तर की ओर बढ़ कर कर्लिंग को विजय किया और फिर बंगाल पर आक्रमण किया। पालवंशी राजा महीपाल उसके सम्मुख असहाय था। वह परास्त हो गया, और गंगा तक के प्रदेशों को जीतकर, गंगा के प्रशस्त घाटों में अपने हाथियों व सैनिकों को स्नान करा तथा समुद्र मगध, अंग और बंग को अपने अधीन कर राजेंद्र चोल अपने देश को वापिस लौट गया। इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने 'गंगैकोण्ड' (गंगा का विजेता) की उपाधि धारण की। राजेंद्र की सामुद्रिक शक्ति भी बड़ी विशाल थी। उसने अपने जंगी बेड़े को साथ ले समुद्रपार श्रीविजय के साम्राज्य पर चढ़ाई की। इस साम्राज्य में उस समय बरमा, मलाया, सुमात्रा और जावा आदि समुद्रपार के भारतीय उपनिवेश शामिल थे। श्रीविजय के शैलेंद्र राजा उसका मुक़ाबला नहीं कर सके। उन्होंने सम्राट् राजेंद्रदेव गंगैकोण्ड की अधीनता स्वीकार कर ली।

सम्राट् राजेंद्र चोल ने स्थिर रूप से उत्तरी भारत पर शासन करने का प्रयत्न नहीं किया। उसका आक्रमण दिग्विजय के रूप में था। उसके वापिस लौटते ही महीपाल फिर मगध और बंगाल पर शासन करने लगा। पर इस चोल सम्राट् के आक्रमण के कारण उसकी शक्ति और स्थिति को ख़ूबदस्त धक्का लगा था। उसकी स्थिति अब एक निर्बल स्थानीय राजा से अधिक नहीं रह गई थी। १०२६ ईस्वी में महीपाल की मृत्यु हुई, और उसका लड़का नयपाल (१०२६ से १०४१ ईस्वी तक) राजा बना।

इस समय में कलचूरि वंश की शक्ति बहुत बढ़ रही थी। तुर्कों के हमलों से कन्नौज के गुर्जर प्रतीहार वंश और बृह्लखंड के चंदेलवंश की शक्ति थिलकुत्र चीख हो गई थी। पर कलचूरि वंश पर तुर्कों के हमलों का विशेष प्रभाव नहीं हुआ था। यही कारण है, कि अब कलचूरि राजा, जो पहले चंदेलों के सामंत थे, स्वतंत्र हो गये और अबसर पाकर अपने राज्य को बढ़ाने के लिये उद्योग करने लगे। दक्षिण के खोल आक्रमण से महीपाल को शक्ति को अवर्द्धत भक्ता लगा था, पर कलचूरि राजा इस आक्रमण से भी बच रहे थे।

इस समय कलचूरि वंश का राजा कर्ण था। उसका शासनकाल १०४१ से १०७३ ईस्वी तक है। उसने राजगढ़ी पर बैठते ही मगध पर हमला किया। विक्रमशिला के आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान ने कर्ण और नयपाल दोनों को समझाया, कि जब भारत पर तुर्कों के हमले हो रहे हैं, तो आपस में लड़ना उचित नहीं है। परिणाम यह हुआ, कि दोनों ने परस्पर संधि कर ली, और मगध पर पाल वंश का शासन कायम रहा।

नयपाल के बाद विमलपाल तृतीय पालवंश का राजा बना। उसका काल १०४१ से १०५४ ईस्वी तक है। कलचूरि राजा कर्ण के साथ नयपाल की जो संधि हुई थी, वह देर तक कायम नहीं रह सकी। कुछ समय बाद ही कर्ण ने फिर पाल राज्य पर आक्रमण किया। प्राचीन अनुभूति के अनुसार इस बार विमलपाल तृतीय से कर्ण को मैह की खानी पड़ी। आखिर, उनमें परस्पर संधि हो गई, और दोनों राजवंशों में मैत्री भाव को स्थिर रखने के लिये कर्ण ने अपनी कन्या यौवनश्री का विवाह विमलपाल के साथ कर दिया।

इसी समय विंध्याचल के दक्षिण में चालुक्यवंशी सोमे-
श्वर प्रथम (१०४४ से १०६८ ई० तक) का राज्य था। इसकी
राजधानी कल्याणी थी। सोमेश्वर के शासनकाल में ही उसके
पुत्र विक्रमादित्य ने महाकौशल और कलिंग के रास्ते उत्तरो भारत
पर आक्रमण किया। कामरूप (आसाम) और गौड़ के प्रदेश
विक्रमादित्य (विक्रमांक) ने जीत लिये, और विग्रहपाल तृतीय
को बुरी तरह परास्त होना पड़ा। नेपाल की सीमा तक इस
समय चालुक्यों का अधिकार हो गया। पर चालुक्य विक्रमा-
दित्य का यह आक्रमण भी एक विजययात्रा से अधिक नहीं
था। उसके वापिस लौटते ही पाल राज्य फिर से कायम हो
गया। चालुक्यों ने स्थिर रूप से उत्तरो भारत पर शासन करने
का प्रयत्न नहीं किया। पर इस आक्रमण का एक स्थिर प्रभाव
भी हुआ। चालुक्य सेना में बहुत से दक्षिण व कर्णाटकी सर-
दार थे, जो अब अपने सैनिकों व अनुयायियों के साथ बंगाल
और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में बस गये। शुरू में इनकी
स्थिति सामंतों और जागीरदारों की रही। पर अबसर आने
पर इनमें से अनेक शक्तिशाली सरदारों ने अपने स्वतंत्र राज्य
स्थापित करने का प्रयत्न किया। बंगाल का सेनवंश इन्हीं कर्णाट
सरदारों द्वारा शुरू हुआ।

विग्रहपाल तृतीय के तीन पुत्र थे, महीपाल द्वितीय, शूरपाल
और राजपाल। विग्रहपाल की मृत्यु के बाद १०५४ ईस्वी में
महीपाल द्वितीय राजा बना। वह बड़ा कल्याचारी, क्रूर और
अदूरदर्शी था। एक भविष्यवाणी से भयभीत होकर उसने अपने
दोनों भाइयों को कैद में डाल दिया। प्रजा और सामंत राजाओं
पर भी उसने अत्याचार करने शुरू किये। उसकी अनीति से
तंग आकर चारेंद्री के कैवर्तों ने विद्रोह किया। इनका नेता

दिव्योक था। मंत्रियों की यह सम्पत्ति थी, कि कैवर्तों से लड़ाई न ठानी जाय। पर महीपाल ने यह स्वीकार नहीं किया। आखिर इसी युद्ध में लड़ते हुए महीपाल द्वितीय की मृत्यु हुई। दिव्योक ने गौड़ देश में अपना स्वतंत्र राज्य क्रायम किया। महीपाल की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने शूरपाल और राजपाल को कैवलाने से मुक्त किया और बड़े भाई शूरपाल को राजगद्दी पर बिठाया।

अध्यावस्था के इस काल में पाल राजाओं के अधीन अनेक सामंत राजा स्वतंत्र हो गये। शूरपाल उन्हें अपने अधीन नहीं कर सका। उसने बहुत थोड़े समय तक शासन किया और फिर रामपाल पालवंश की राजगद्दी पर आसीन हुआ। इस के दरबार में संव्याकर नंदी नाम का एक कवि था, जिसने रामचरित नामक संस्कृत का काव्य लिखा है। यह द्वयर्थक काव्य है। रामायण की सारी कथा के साथ-साथ इसमें राजा रामपाल का भी चरित दिया गया है, और टीका में दोनों अर्थों को भलीभाँति स्पष्ट कर दिया गया है। इस काव्य के आधार पर हमें रामपाल का कुशांत बड़े विस्तार के साथ ज्ञात होता है।

सामंत राजाओं की फिर से क्रावु में लाने में इसे अच्छी सफलता मिली। राजगद्दी पर बैठते ही पहले उसने मगध के विद्रोही सामंत देवरचित पर आक्रमण किया। वह गया के समीप पीठी का एक शक्तिशाली जागीरदार था। अपने मामा, अंग के सामंत राष्ट्रकूट वंशी मथनदेव की सहायता से रामपाल ने देवरचित को परास्त किया। इसके बाद अन्य विविध सामंत राजाओं को फिर से अपना अनुयायी बनाने के लिये रामपाल ने अपने राज्य का दौरा किया। देवरचित के परास्त हो जाने से अन्य सामंतों पर रामपाल की धाक भलीभाँति जम

गई थी। उन्होंने रामपाल की अवीनता स्वीकार कर ली। रामपाल ने भी उन्हें नई-नई जागीरें देकर संतुष्ट किया, और बदले में सहायता प्राप्त करने का वचन लिया। इस प्रकार अपने राज्य में व्यवस्था और शांति स्थापित करके रामपाल ने कैवर्तों पर आक्रमण किया। अब कैवर्त पाल राजा का सामना नहीं कर सके। वे परास्त हो गये, और सारे बंगाल बिहार पर रामपालका व्यवस्थित शासन स्थापित हो गया। इसके बाद कामरूप की विजय की गई, और वहाँ पर शासन करने के लिये वीरदेव को सामंत रूप में नियत किया गया। रामपाल पाल वंश की शक्ति को फिर से स्थापित करने में सफल हुआ। उसका शासनकाल १०५७ से ११०२ ईस्वी तक है।

रामपाल के बाद उसका लड़का कुमारपाल राजा बना। उसने केवल चार साल तक राज्य किया। फिर गोपाल तृतीय राजा बना। उसके विरुद्ध षडयंत्र करके उसके चाचा (कुमारपाल के भाई) मदनपाल ने राज्य प्राप्त किया। मदनपाल ने कुल १६ वर्ष तक (११०६ से ११२५ ई० तक) शासन किया। प्रतापी रामपाल ने जिस व्यवस्थित राज्य की स्थापना की थी, उसके निर्वल उत्तराधिकारी उसे संभाल नहीं सके। सामंतों के विद्रोह फिर शुरू हो गये। चालुक्य राजा विक्रमादित्य के आक्रमण के समय में जो अनेक दक्षिणी कर्णाट सरदार बिहार बंगाल में बस गये थे, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इन्हीं में से एक शक्तिशाली कर्णाट सरदार लाड देश (पश्चिमो बंगाल) में बस गया था। वह रामपाल के समय में सामंत रूप में अपनी जागीर का शासन करता था और कैवर्तों के विद्रोह लड़ाई में उसने रामपाल की सहायता भी की थी। लाड के इसी कर्णाट सामंत के कुल में विजयसेन हुआ, जो मदनपाल का समकालीन

लीन था। पाल वंश की निर्बलता से लाभ उठा कर विजयसेन लाह में स्वतंत्र हो गया, और एक नये वंश का प्रारंभ किया, जो इतिहास में सेनवंश के नाम से प्रसिद्ध है। धीरे-धीरे विजयसेन ने बंगाल के अन्य प्रदेशों पर भी हमले किये, और सारे बंगाल से पाल वंश के शासन का अंक कर अपना राज्य कायम कर लिया।

उत्तरी बिहार में (तिरहुत में) भी एक अन्य दक्षिणी कर्णाट सरदार ने अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया। इसका नाम नान्यदेव था। वह भी विजयसेन के समान ही प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। विजयसेन और नान्यदेव के विद्रोहों के कारण मदनपाल का पाल राज्य केवल मगध में ही सीमित रह गया। आस मगध में भी अनेक छोटे-छोटे सामंतों ने विद्रोह किये, पर ये मदनपाल के विकट स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके।

(७) मुसलिम आक्रमणों का प्रारंभ

सातवीं सदी में अरब में एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिसका नाम मुहम्मद है। उसके समय में अरब की हालत बहुत खराब थी। वहाँ बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जो सदा आपस में लड़ते रहते थे। राजनीतिक एकता का अरब में सर्वथा अभाव था। धर्म की दृष्टि से भी अरब लोग बहुत हीन दशा में थे। वे विविध देवी-देवताओं को मानते थे और अनेक विधि-विधानों व अनुष्ठानों से उनकी पूजा करते थे। स्त्रियों की स्थिति अरबों में बहुत हीन थी। अरब पुरुष जितनी स्त्रियों से चाहें, विवाह कर सकते थे। मुहम्मद ने इस दशा से अरब का उद्धार किया। उसने अरब के धर्म में बहुत से सुधार

किये। उसने कहा, ईश्वर एक है। ईश्वर की मूर्ति नहीं होती और उसकी उपासना के लिये मंदिर की आवश्यकता नहीं। ईश्वर पर विश्वास रखना और उसे सारे संसार का स्वामी मानना प्रत्येक मनुष्य के लिये आवश्यक है। सब मनुष्य एक दूसरे के बराबर हैं, कोई ऊँचा या नीच नहीं है। मुहम्मद के धर्म-विषयक विचारों का पहले-पहल बहुत विरोध हुआ। पर धीरे-धीरे अरब लोग उसके अनुयायी होने लगे। कुछ ही समय बाद, सारा अरब मुहम्मद की शिक्षाओं को मानने लग गया। मुहम्मद ने जिस नये धर्म का प्रारंभ किया, उसका नाम इस्लाम है। ईश्वर ने मुहम्मद द्वारा जिस सत्यज्ञान को मनुष्य-मात्र के कल्याण के लिये अभिव्यक्त किया था, उसका नाम कुरान है। मुसलमान लोग मुहम्मद को ईश्वर का पैगंबर और कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं।

मुहम्मद केवल धर्मसुधारक ही नहीं था। उसने अरबों को विविध जातियों को संगठित कर एक सूत्र में बाँधने के लिये भी अनुपम कार्य किया। अरब के अनेक छोटे-छोटे राज्यों का अंत कर उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया। मुहम्मद ने अरब लोगों में इस तरह नवजीवन और स्फूर्ति का संचार किया, कि वे पिछड़े हुए न रह कर एक शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी लोग बन गये। मुहम्मद के उत्तराधिकारियों ने अरब की इस नई शक्ति का उपयोग साम्राज्य के विस्तार के लिये किया। खलीफ़ाओं के नेतृत्व में अरबों ने चारों ओर हमले शुरू किये। देखते-देखते सीरिया, ईजिप्ट, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान अरबों के हाथ में चले गये। फ्रांस में लार नदी से लेकर एशिया में आक्सस और काबुल नदियों तक अरबों का साम्राज्य विस्तृत हो गया।

अब अरब साम्राज्य की सीमा भारत से आ लगी थी। आठवीं सदी के शुरू में भारत में कोई एक शक्तिशाली सम्राट् नहीं था। गुप्त साम्राज्य लीप्त हो चुका था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज के राजाओं की शक्ति भी शिथिल हो गई थी। पश्चिमी भारत में विविध राजा राज्य कर रहे थे, जो अब किसी शक्तिशाली सम्राट् के सामंत न होकर स्वतंत्र शासक थे। सिंध में इस समय दाहिर नाम के राजा का राज्य था। अरब साम्राज्य के खलीफा के आदेश पर मुहम्मद कासिम ने ६१२ ईस्वी में एक बड़ी सेना के साथ सिंध पर आक्रमण किया। दाहिर ने अरब आक्रांताओं के खिलाफ बड़ी वीरता प्रदर्शित की। उसने एक-एक कदम पर मुहम्मद कासिम का मुकाबला किया। दाहिर युद्ध में मारा गया। उसकी मृत्यु से भी सिंध के लोग निराश नहीं हुए। दाहिर की विधवा रानी ने अब उनका नेतृत्व किया। पर आखिरकार अरबों ने सिंध को राजधानी अलोर को घेर लिया। सिंध की सेनाओं ने वीरता के साथ अपनी राजधानी की रक्षा के लिये युद्ध किया, पर अंत में वे परास्त हो गये और सिंध पर अरबों का अधिकार स्थापित हो गया। अरब लोग भारत में और आगे बढ़ कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। पर वे सफल नहीं हो सके। कारख यह कि उनकी बाढ़ को रोकने के लिये गुज्जर प्रतीहारों की मजबूत दीवार कायम थी। भीनमाल में इन वीर राजपूतों का स्वतंत्र राज्य कायम था। इनको परास्त कर अरब लोग भारत में आगे नहीं बढ़ सके। बाद में गुज्जर प्रतीहारों ने कन्नौज को भी जीत लिया, और वे उत्तरी भारत की प्रबल राजनीतिक शक्ति बन गये। अरबों ने गुज्जर प्रतीहारों के विरुद्ध दक्षिण के राष्ट्रकूट राजाओं से भी संधि की। पर उन्हें सिंध से आगे बढ़ने में सफलता नहीं मिली।

अरब लोगों ने ईरान के सासानी राज्य को जीत करके अपने अधीन कर लिया था। वे उत्तर-पूर्व में उससे आगे बढ़े। मध्य एशिया उस समय भारत का ही एक अंग था। खोतान आदि विविध प्रदेशों में भारतीय धर्म, भाषा और सभ्यता का प्रचार था। मध्य एशिया के भारतीय राज्य लगभग आधी सदी तक अरबों का सफलता के साथ मुकाबला करते रहे। पर ७५१ ईस्वी में समरकंद के पास अरबों ने उन्हें परास्त किया, और ये सब प्रदेश अरब साम्राज्य में सम्मिलित हो गये। वहाँ से वहाँ के बौद्ध लोग इस्लाम के अनुयायी होने लगे और धीरे-धीरे सारे मध्य एशिया के लोग मुसलमान धर्म में दीक्षित हो गये।

हूणों की एक शाखा का नाम तुर्क था। मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेशों के संपर्क में आने के कारण इन तुर्कों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये बौद्ध तुर्क विशाल अरब साम्राज्य की उत्तर-पूर्वी सीमा पर रहते थे। आठवीं और नवीं सदीयों में अरबों का साम्राज्य अजुष्ट रूप से कायम रहा। सिंध से स्पेन तक विस्तृत यह अरब साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली और वैभवसंपन्न था। पर जिस प्रकार गुप्त साम्राज्य पर हूणों के आक्रमण शुरू हुए थे, और उनके कारण विशाल गुप्त साम्राज्य क्षिप्त-भिन्न हो गया था, वैसे ही अब हूणों को बौद्ध धर्मावलंबी तुर्क शाखा ने उत्तर की तरफ से अरब साम्राज्य पर हमले शुरू किये। वैभवपूर्ण अरब शासक इनका मुकाबला नहीं कर सके और अरब साम्राज्य के भग्नावशेष पर अनेक तुर्क राज्य कायम हुए।

यद्यपि अरब साम्राज्य इन आक्रमणों से नष्ट-भ्रष्ट हो गया, पर इस्लाम में इस समय में अनुपम शक्ति थी। धार्मिक दृष्टि से मुसलमानों में अपूर्व जोश और जीवन था। परिणाम यह

हुआ, कि तुर्क लोग राजनीतिक दृष्टि से विजेता होते हुए भी धार्मिक दृष्टि से अरबों द्वारा परास्त हो गये। जैसे भारत के संपर्क में आकर यवन, शक, कुशाण और हूण आक्रांता भारत के धर्म और सभ्यता में दीक्षित हो गये थे, वैसे ही अब ये तुर्क आक्रांता इस्लाम के संपर्क में आकर मुसलिम धर्म और सभ्यता के अनुयायी हो गये, और उन्होंने बौद्ध धर्म का परित्याग कर इस्लाम को स्वीकार किया।

अरब साम्राज्य के भग्नावशेष पर जिन विविध तुर्क राज्यों की स्थापना हुई थी, उनमें से राजनी का तुर्क राज्य एक था। इसका संस्थापक अलप्तगीन था। उसने राजनी में अपनी शक्ति को कायम कर अफगानिस्तान पर हमला किया। उन दिनों अफगानिस्तान के सब निवासी बौद्ध और पौराणिक धर्मों के अनुयायी थे। अलप्तगीन ने इन्हीं परास्त किया, और इस प्रकार इस्लाम का वहाँ प्रवेश हुआ। ६७५ ईस्वी में अलप्तगीन की मृत्यु हुई। उसके बाद सुबुक्तगीन राजनी का राजा बना। उसने हिंदूकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया। उत्तर-पश्चिमी भारत का राजा उस समय जयपाल था, जो ब्राह्मण-साही वंश का था और जिसकी राजधानी भटिण्डा थी। जयपाल ने सुबुक्तगीन का मुकाबला करने के लिये जोर-शोर से तैयारी की। अन्य भारतीय राजाओं के पास सहायता के लिये संदेश भेजे गये। कन्नौज के गुर्जर प्रतीहार राजा राज्यपाल बड़े उत्साह के साथ जयपाल की सहायता के लिये अग्रसर हुआ। इन्हीं गुर्जर प्रतीहार राजाओं की अदम्य शक्ति के कारण सिंध के अरब शासक अब तक भारत में आगे नहीं बढ़ पाये थे। राज्यपाल के अतिरिक्त चौहान और चंदेल राजाओं ने भी जयपाल की सहायता की। अफगानिस्तान में सुरैम नदी की घाटी में सुबुक्तगीन का भारतीयों राजाओं ने मिलकर मुकाबला

किया। दोनों ओर से खूब वीरता दिखाई गई। पर विजय अंत में सुबुक्तगीन की ही हुई। सिंध नदी तक तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया।

सुबुक्तगीन के बाद ६६७ ईस्वी में महमूद राजनी को राजगद्दी पर बैठा। यह संसार के सब से बड़े विजेताओं में से एक है। उसकी तुलना सीजर और समुद्रगुप्त से की जा सकती है। उसने राजनी के छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। भारतवर्ष पर उसने बहुत से हमले किये। पेशावर के पास एक लड़ाई में उसने एक बार फिर जयपाल को परास्त किया। जयपाल के बाद उसका पुत्र आनन्दपाल उत्तर-पश्चिमी भारत का राजा बना। उसने महमूद का मुकाबला करने के लिये बड़ी भारी तैयारी की। उत्तरी भारत के बहुत से राजा आनन्दपाल की सहायता के लिये एकत्र हुए। पर इस बार भी महमूद की विजय हुई। १०१६ में महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ के गुर्जर प्रतीहार राजा राज्यपाल को परास्त किया। महमूद के हमलों का यहाँ अधिक उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उसने भारत पर दूर-दूर तक आक्रमण किये थे, और उनका परिणाम यह हुआ कि भारत के पुराने राजवंशों की शक्ति बहुत क्षीय हो गई।

सन् १०३० में महमूद की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका विशाल साम्राज्य कायम नहीं रह सका। उसके उत्तराधिकारी निर्बल और भोग-विलास में लिप्त थे। उनके समय में राजनी का साम्राज्य खिन्न-भिन्न हो गया, और भारत में फिर अनेक स्वतंत्र राज्य कायम हो गये।

(८) कन्नौज के गहरवार राजा

राजनी के तुर्क सुलतानों के आक्रमणों के कारण कन्नौज के गुर्जर प्रतीहार राजाओं की शक्ति बहुत निर्बल हो गई थी।

उन्होंने तुर्कों का कर देना स्वीकार कर लिया था, और अन्य राजपूत कुल इस बात से बहुत असंतुष्ट थे। इसीलिये १०६० ईस्वी के लगभग चंद्र नाम के एक गहरवार राजपूत सरदार ने गुर्जर प्रवीहार राजा के विरुद्ध विद्रोह किया और कन्नौज में एक नये राजवंश का प्रारंभ किया। चंद्रदेव गहरवार वीर और महत्वाकांक्षी राजा था, उसने एक बार फिर कन्नौज के क्षीण साम्राज्य का पुनरुद्धार किया। कलचूरि राजा यशःकर्ण (कर्ण का उत्तराधिकारी, समय १०७३ से ११२५ ईस्वी तक) को परास्त कर उसने बनारस और अयोध्या तक के प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया।

चंद्रदेव के समय में ही दक्षिणी कर्णाट राजा विजयसेन विहार बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। जब उसने मगध पर आक्रमण कर पालवंशी राजा मदन पाल को परास्त करने के लिये आक्रमण किया, तो चंद्रदेव ने मदनपाल की सहायता की। चंद्रदेव की सहायता के कारण ही पाल लोग मगध में अपना शासन स्थापित रख सके।

११०० ई० में चंद्रदेव गहरवार की मृत्यु हुई। उसके बाद मदनपाल गहरवार ने १११४ ई० तक और फिर गोविंदचंद्र ने कन्नौज के शक्तिशाली साम्राज्य का शासन किया। इस समय उत्तरी भारत में गहरवारों के अतिरिक्त कलचूरि और सेन वंश के राजा भी काफी प्रबल थे। यद्यपि बनारस और प्रयाग के प्रदेश कलचूरियों से चंद्रदेव गहरवार ने छीन लिये थे, वो भी इस वंश का राजा यशःकर्ण बहुत प्रतापी था। उसने बंगाल के सेनवंशी राजा लक्ष्मणसेन के साथ मैत्री की। लक्ष्मणसेन विजयसेन का पौत्र और बल्लालसेन का लड़का था और १११२ ईस्वी में बंगाल की राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ था। लक्ष्मणसेन की सहायता प्राप्त कर यशःकर्ण ने काशी पर आक्रमण किया

और मगध पर भी हमले किये । लक्ष्मणसेन ने मगध पर अपना अधिकार कर लिया, और पाल वंश के हाथ से मगध तथा गोविंदचंद्र की अधीनता से बनारस के प्रदेश निकल गये । ११२४ ई० में गोविंदचंद्र ने बड़ी शक्तिशाली सेना के साथ एक बार फिर सेन और कलचुरि राजाओं पर हमले किये । इस बार यशःकर्ण और लक्ष्मणसेन परास्त हुए, और मगध में फिर एक बार पालवंशी राजा मदनपाल राज्य करने लगा । पर उसकी स्थिति गहरवार राजा गोविंदचंद्र के अधीन सामंत की थी, और उसी की कृपा तथा सहायता से वह अपने राजसिंहासन पर आसीन रह सका था । तिरहुत का राजा नान्यदेव भी उसकी अधीनता स्वीकार करता था, और उसी की कृपा के कारण अपने राज्य में क्रायम था ।

गोविंदचंद्र के समय में एक बार फिर कन्नौज के साम्राज्य ने अपना पुराना गौरवपूर्ण पद प्राप्त किया । उसका राज्य दिल्ली से मगध तथा अंग तक विस्तृत था । जिस समय गोविंदचंद्र कलचुरियों के साथ युद्ध में व्यापृत था, वहीं अजमेर के चौहान राजा विप्रहराज ने उत्तर की तरफ आक्रमण कर दिल्ली के पश्चिम का प्रदेश जीतकर अपने राज्य की सीमा को हिमालय की उपत्यका तक विस्तीर्ण कर लिया था । पर गोविंदचंद्र के राज्य पर विप्रहराज ने हमले नहीं किये । वह शांति के साथ अपने विस्तृत साम्राज्य का शासन करता रहा । गोविंदचंद्र स्वयं शैव धर्म का अनुयायी था, पर उसकी रानी कुमारदेवी बौद्ध थी । वह मगध के एक सामंत राजा की कन्या थी । उसी के प्रभाव से गोविंदचंद्र ने अनेक बौद्ध विहारों की मरम्मत कराई और बौद्ध पंडितों को दान आदि से संतुष्ट किया ।

यद्यपि गोविंदचंद्र की राजधानी कन्नौज थी, पर वह प्रायः क.शो में निवास करता था । उसने बहुत से पंडितों को आश्रय

दिया, और उसी के प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ, कि काशी नगरी भारतीय पांडित्य और विद्या का केंद्र बन गई। उससे पहले मगध के नगंदा, विक्रमशिला और उदयपुरी के विहार भारतीय ज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रधान केंद्र थे। पर उनमें मुख्यतया बौद्ध पंडित रहते थे। पौराणिक धर्म और विद्या का मुख्य केंद्र पहले भी काशी था, पर अब गोविंदचंद्र की संरक्षकता में इसने विद्या और ज्ञान के केंद्र रूप में जो ख्याति प्राप्त की, वह अब तक भी कायम है।

गोविंदचंद्र के बाद उसका पुत्र विजयचंद्र (११५५ से ११७० ई० तक) कन्नौज का सम्राट् बना। उसके समय में गहरवारों की शक्ति अजुगुप्स रही। विरहूत के राजा नान्यदेव की मृत्यु के बाद उसका लड़का रामदेव (११५० ई० में) वहाँ का राजा बना। वह विजयचंद्र की अधीनता स्वीकृत करता था और उसका छोटा भाई मल्लदेव गहरवार सम्राट् के लड़के जयचंद्र (जयचंद) की सेवा में नियुक्त था। मगध का पालवंशी राजा भी विजयचंद्र को अपना अधिपति मानता था।

११७० ई० में विजयचंद्र के बाद जयचंद्र कन्नौज की राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ। इसके शासनकाल में शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने शुरू किये। महमूद ने राजनी को राजधानी बनाकर जिस शक्तिशाली तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। महमूद की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य निर्बल हो गया, और गौरी अफगान सरदारों ने अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया। राजनी से हीरात के रास्ते पर गोर नाम का एक प्रदेश है। वहाँ के निवासी अफगान लोग पहले बौद्ध थे। पर मुसलमान तुर्कों के प्रभाव से वे स्वयं भी मुस्लिम हो गये थे। उनके सरदार अलाउद्दीन ने ११६० ई० में तुर्कों से राजनी को छीन लिया और

फिर पंजाब पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन का भतीजा और उत्तराधिकारी शहाबुद्दीन बड़ा प्रतापी था। उसने ११८६ ई० तक पंजाब को जीत कर अपने अधीन कर लिया। अजमेर और दिल्ली के चौहान राजा पृथिवीराज ने ११६१ में तलाबकी के रणक्षेत्र में उसका मुकाबला किया। शहाबुद्दीन गोरी इस युद्ध में परास्त हुआ। पर अपनी इस पराजय से वह निराश नहीं हुआ। उसने बार-बार भारत पर आक्रमण किए। कहते हैं, कि पृथिवीराज से उसके १७ बार युद्ध हुए। अंत में वह अपने प्रयत्न में सफल हुआ और पृथिवीराज को कैद कर दिल्ली पर अपना अधिकार कायम करने में उसे सफलता प्राप्त हुई।

चौहानों के पराजय से अब शहाबुद्दीन गोरी के साम्राज्य की सीमा कन्नौज के गहरवार राज्य से आ मिली। ११६४ ई० में गोरी ने एक शक्तिशाली सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण किया। राजा जयचंद्र ने बड़ी वीरता के साथ उसका मुकाबला किया। इटावा के पास चंदावर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद्र रणक्षेत्र में ही लड़ते हुए मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के हरिरचंद्र ने युद्ध को जारी रखा। पर वह देर तक शक्तिशाली अफगान सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सका। शीघ्र ही कन्नौज और काशी पर गोरी का अधिकार हो गया और प्रतापी गहरवार राजाओं के साम्राज्य का अंत हो गया।

(६) पाल वंश का अंत

पालवंशी राजा मदनपाल (११०६ से ११२५ ई० तक) का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। वह अपने शासनकाल के अंतिम भाग में गहरवार राजा गोविंदचंद्र के अधीन हो गया

था। उसके बाद के पाल राजाओं के नाम अविफल रूप से ज्ञात नहीं हैं। केवल राजा गोविंदपाल और पालपाल के नाम मिलते हैं, जो गहरवारों के सामंत रूप से मगध में राज्य करते थे।

वनारस तक विजय करके गोरी ने मलिक इसामुद्दीन नाम के एक सरदार को पूर्वी संयुक्त प्रांत के प्रदेश पर शासन करने के लिये नियत किया। उसका एक सेनापति मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। उसने पूर्व में आगे बढ़कर मगध पर हमले करने शुरू किए। उन दिनों मगध में कोई भी शक्तिशाली राजा न था। पालवंशी राजाओं की स्थिति एक साधारण जागीरदार व सामंत से अधिक न थी, यद्यपि अभी तक वे पुरानी परंपरा के अनुसार अपने को 'परमेस्वर परममहाराज महाराजाधिराज परमसौगत' विशेषण से विभूषित करते थे। गहरवार सम्राटों के परास्त हो जाने के बाद इन पाल राजाओं व कर्णाटवंशी नान्यदेव के उत्तराधिकारियों में कुछ भी बल शेष न रहा था। ये मुहम्मद बिन बख्तियार की अफगान सेनाओं के सम्मुख सर्वथा असहाय थे। इन्होंने उनका कोई भी मुकाबला नहीं किया।

मुहम्मद बिन बख्तियार को रोकने का प्रयत्न यदि किसी ने मगध में किया, तो वे उदयपुर के विहार में रहने वाले भिक्षु लोग थे। उदयपुर (विहार शरीफ) का यह विहार उस समय बौद्ध धर्म और शिक्षा का बड़ा केंद्र था। वहाँ सैकड़ों स्थविर और भिक्षु लोग निवास करते थे। वे अंत तक अफगान सेनापति से लड़ते रहे। जब सब भिक्षु कतल हो गये, तो मुहम्मद बिन बख्तियार ने उदयपुर के विहार पर कब्जा कर लिया। वहाँ उसे पुस्तकों के अनंत भंडार के सिवाय और कोई मूल्यवान् वस्तु नहीं मिली। मुहम्मद को समझ नहीं आया कि

इन पुस्तकों का ब्रह्म क्या करे। उसने आज्ञा दी, कि पुस्तकालय को आग लगा दी जाय। सदियों के ज्ञान और विद्या का यह अपूर्व भंडार अब अग्नि के अर्पण हो गया और मगध पर आक्रमणों का अधिकार हो गया। पालवंशी सामंत राजाओं में इतनी भी शक्ति नहीं थी, कि वे बौद्ध भिक्षुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विदेशी सेनापति का मुकाबला कर सकें।

इस प्रकार मगध के गौरवमय इतिहास का अंत हुआ। इसके बाद फिर कभी मगध या पाटलीपुत्र में किसी स्वतंत्र भारतीय राजवंश ने शासन नहीं किया।

छब्बीसवाँ अध्याय

ज्ञान और संस्कृति का केंद्र मगध

(१) नालंदा महाविहार

गुप्त साम्राज्य के ह्रास के समय में और पाल राजाओं के शासनकाल में मगध भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति नहीं रह गई थी। सातवीं सदी से पाटलीपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया था। इस युग में पाटलीपुत्र के महाराजाधिराजाओं की अपेक्षा कन्नौज के सम्राट् अधिक शक्तिशाली थे। पर ज्ञान और संस्कृति की दृष्टि से अब भी मगध भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, और यहां के नालंदा, विक्रमशिला और उदयपुरी में स्थित महाविहारों में न केवल भारत अपितु दूर-दूर के विदेशों से विद्यार्थी लोग विद्याप्रहस के लिये आया करते थे। मगध के विद्वान् परिद्धत इस काल में चीन, तिब्बत, जावा, सुमात्रा आदि सब जगह गये और अपने ज्ञानरूपी दीपक से उन्हींने सब स्थानों के अविद्यांधकार को दूर किया। राजनीतिक शक्ति के क्षीण हो जाने पर भी इन सदियों में मगध सब देशों के आकर्षण का केंद्र रहा। हम यहाँ इन महाविहारों के इतिहास पर संक्षेप से प्रकाश डालेंगे।

पटना जिले के विहारशरीफ नामक नगर से आठ मील की दूरी पर विहार-वस्तिवारपुर रेलवे के बड़गाँव नामक स्टेशन से एक मील दूर, प्राचीन नालंदा महाविहार के खंडहर अब तक विद्यमान हैं। नालंदा का इतिहास बहुत पुराना है। महात्मा बुद्ध अपने धर्मचक्र का प्रवर्तन करते हुए

इस स्थान पर भी आये थे, और सारिपुत्र से उनकी यहीं पर भेंट हुई थी। बौद्ध अनुभूति के अनुसार सम्राट् अशोक ने इस स्थान पर एक विशाल चैत्य का निर्माण कराया था। बुद्ध के अन्यतम प्रमुख शिष्य सारिपुत्र ने यहीं पर निर्वाण पद पाया था। इसी उपलक्ष में अशोक ने यहाँ बहुत सा दानपुण्य किया था। संभवतः, मौर्यकाल में भी यहाँ एक विहार था, जिसमें बहुत से स्वविर व भिक्षु निवास करते थे। पर पाँचवीं सदी के शुरू में जब चीनी यात्री फाइयान भारत-भ्रमण के लिये आया, तो वह नालंदा नहीं गया। उसने मगध के अन्य अनेक धर्म-स्थानों के दर्शन किये, पाटलीपुत्र में कई वर्ष रहकर उसने बौद्ध ग्रंथों का अनुशीलन किया, पर नालंदा के विहार की उसके समय में इतनी प्रसिद्धि नहीं थी कि वह वहाँ जाता और कुछ समय वहाँ भी व्यतीत करता।

पर सातवीं सदी में जब छ एनत्सांग भारत आया, तो नालंदा का महाविहार बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। वहाँ हजारों स्वविर और भिक्षु निवास करते थे। दूर-दूर से विद्यार्थी वहाँ विद्या पढ़ने के लिये आते थे। छ एनत्सांग स्वयं वहाँ देर तक रहा, और विविध धर्मग्रंथों के अनुशीलन में व्यापृत रहा। नालंदा की उन्नति फाइयान के बाद गुप्तों के शासनकाल में विशेष रूप से हुई। गुप्त सम्राटों के संरक्षण और सहायता से वह भारत का सबसे प्रसिद्ध शिक्षाकेंद्र बन गया।

छ एनत्सांग के अनुसार नालंदा में छः बड़े-बड़े विहार थे, जिन्हें शक्रादित्य, बुधगुप्त, तथागतगुप्त, चालादित्य और वज्र नाम के राजाओं ने बनवाया था। ये सब गुप्तवंश के सम्राटों के नाम हैं। शक्रादित्य से कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य का अभिप्राय है। इसने पहले-पहल पाँचवीं सदी के मध्य में नालंदा में एक विहार बनवाया। इसी कारण जब फाइयान

भारत में आया था, तब तक यह विहार नहीं बना था। कुमार-गुप्त के बाद युवगुप्त आदि विविध गुप्त सम्राटों ने अन्य अनेक विहार वहाँ बनवाये। इनके प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ कि जब हा एनत्सांग नालंदा गया, तो वहाँ उसने एक समृद्ध और उन्नत शिक्षाकेंद्र को देखा, जिसमें हजारों शिक्षक और विद्यार्थी विद्यमान थे।

नालंदा के महाविहार में न केवल भारत अपितु सुदूर चीन, मंगोलिया, खोतान आदि से भी बहुत से विद्यार्थी अध्ययन के लिये आते थे। इन विदेशियों के साथ बड़ी शिष्टता तथा सहानुभूति का व्यवहार किया जाता था। राजाओं तथा अन्य संपन्न व्यक्तियों की तरफ से महाविहार को प्रभूत संपत्ति मिली हुई थी। चीनी यात्री का कथन है, कि "देश के राजा भ्रमणों का आदर सम्मान करते हैं। उन्होंने १०० गाँवों की मालगुजारी विहार को दान की हुई है। इन गाँवों के दो सौ गृहस्थ प्रति दिन कई सौ पिकल (१ पिकल = ६६१ सेर) चावल और कई सौ कट्टी (१ कट्टी = २ सेर) घी और मक्खन विहार को दिया करते हैं। अतः यहाँ के विद्यार्थियों को सब वस्तुएँ इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, कि उन्हें सब आवश्यक वस्तुओं को माँगने के लिये कहीं जाना नहीं पड़ता, उनके विद्याभ्ययन की पूर्णता का, जिसके लिये वे यहाँ आये हैं, यही साधन है।" इससे स्पष्ट है, कि नालंदा के विद्यार्थियों को भोजन आदि सब विहार की ओर से मिल जाता था, इसके लिये उन्हें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं थी।

यही कारण है, कि नालंदा में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी। हा एनत्सांग के अनुसार वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या दस हजार थी। नालंदा की आधुनिक खुदाई से इसमें कोई संदेह नहीं रहता, कि वहाँ बहुत बड़ी संख्या

में भिन्न लोग निवास करते थे। छोटे गये बिहार के प्रत्येक कमरे में एक या दो विद्यार्थियों के रहने की जगह है। प्रत्येक कमरे में सोने के लिये एक या दो पत्थर की राखिया हैं, साथ ही दीपक और पुस्तकें रखने के लिए खाने बने हुए हैं। एक-एक बिहार में इस तरह के कमरे सैकड़ों की संख्या में हैं। उनके बीच में बड़े आकार के चूल्हे तथा भोज्य सामग्रों के लिये घर बनाये गये हैं। नालंदा के छः बड़े बिहारों तथा अन्य छोटे संधारामों के इन सैकड़ों कमरों में यदि हजारों विद्यार्थी उस समय में निवास करते हों, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

नालंदा में विविध विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। पाठ्यक्रम में महायान संप्रदाय तथा बौद्धों के अन्य अठारह संप्रदायों के ग्रंथों को विशेष स्थान दिया गया था। इनके अतिरिक्त वेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, व्याकरण, योगशास्त्र, तंत्रविद्या, सांख्य आदि दर्शन और उस समय के अन्य सब विज्ञानों को भी यथोचित स्थान दिया गया था।

चीनी यात्री के अनुसार नालंदा में एक हजार अध्यापक ऐसे थे, जो सब सूत्रों और शास्त्रों का अर्थ समझ सकते थे। पाँच सौ अध्यापक ऐसे थे, जो तीस संप्रदायों की पूर्णतया व्याख्या कर सकते थे। और दस ऐसे भी विद्वान् थे, जो पूरे पचास संप्रदायों की व्याख्या भलीभाँति कर सकते थे। इस प्रकार स्पष्ट है, कि नालंदा में अध्यापकों की संख्या एक हजार से ऊपर थी। ये सब अपने-अपने विषयों के प्रकांड पंडित थे। कुछ विद्वान् ऐसे भी थे, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात थे। यही कारण है, कि देश-विदेश के विद्यार्थी विद्या-ग्रहण करने के लिये नालंदा पहुँचते थे। पर हर एक विद्यार्थी नालंदा में प्रवेश नहीं पा सकता था। वहाँ प्रवेश पाने के लिये

एक परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ता था। इसे द्वारपरीक्षा कहते थे, और यह एक पृथक् शिक्षाविद् के अधीन थी, जिसे 'द्वार-पंडित' कहते थे। इस परीक्षा को सुगमता से उत्तीर्ण नहीं किया जा सकता था। दस में से दो या तीन ही इसमें सफल होते थे। नालंदा में शिक्षा का मान इतना अच्छा था, कि वे ही वहाँ विद्यार्थी रूप में प्रविष्ट किये जाते थे, जो द्वार पंडित के कठिन-कठिन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें। प्रत्येक विहार का पृथक्-पृथक् द्वारपंडित होता था। नालंदा की आधुनिक खुदाई में मुख्य द्वार के दोनों ओर के गृहों को द्वार पंडित का निवासस्थान माना जाता है।

६३५ ई० में जब ह्यु एनत्सांग नालंदा पहुँचा, तो शीलभद्र महाविहार के प्रधान स्थविर या अभ्यन्त्र थे। वे सब सूत्रों, शास्त्रों व संग्रहों के प्रकांड पंडित थे। उनसे पहले इस पद पर शीलभद्र के गुरु धर्मपाल विराजमान थे। शीलभद्र समतट के एक प्राचीन राजकुल में उत्पन्न हुए थे। भोग-विलास और समृद्धि की उनके घर में कोई कमी न थी। बचपन से ही उन्हें विद्या और संगीत से बड़ा प्रेम था। वे किसी सच्चे गुरु की तलाश में अपना घर छोड़ कर निकल पड़े, और अनेक स्थानों पर घूमते हुए नालंदा पहुँचे। यहाँ आकर उन्हें धर्मपाल के दर्शन हुए। जिस गुरु की खोज में वे देर से भटकते रहे थे, वे अब उन्हें मिल गये। शीलभद्र ने धर्मपाल से प्रवृत्ता ली और विधिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करनेका कार्य प्रारंभ कर दिया। अपूर्व प्रतिभा के कारण उन्होंने इतनी अधिक उन्नति की, कि तीस साल की आयु में ही वे धर्मपाल के शिष्यों में सब से अधिक प्रसिद्ध हो गये। बौद्ध दर्शन के ज्ञान में उनका अन्य कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। राजा (संभवतः उस समय के मगध सम्राट्) की इच्छा थी, की उन्हें सम्मानित करने के लिये एक

नगर जागीर के रूप में प्रदान करे, पर उन जैसे भिक्षु पंडित को किसी जागीर आदि की आवश्यकता नहीं थी। जब राजा ने उन पर बहुत जोर दिया, तो उन्होंने जागीर लेना तो स्वीकार कर लिया, पर उसकी संपूर्ण आमदनी को नालंदा में एक मठ का खर्च चलाने के लिये लगा दिया। इस मठ को उन्होंने स्वयं बनवाया था, और इसमें भी बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। आचार्य शीलभद्र ने अनेक ग्रंथों की रचना की। विशेषतया, योगाचार संप्रदाय के सूक्ष्म तत्त्वों को समझाने के लिये उन्होंने अनेक भाष्य लिखे। वे नालंदा महाविहार के कुलपति थे, और चीनी विद्वान् ह्युएनत्सांग ने उन्हीं के घरों में बैठ कर बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्त्वों का अनुशीलन किया था। ह्युएनत्सांग ने शीलभद्र को 'सत्य एवं धर्म का भंडार' लिखा है। ह्युएनत्सांग के समय में, नालंदा के अन्य प्रसिद्ध आचार्यों में चंद्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, जिनमित्र और ज्ञानचंद्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से आचार्य चंद्रपाल बौद्ध धर्म के प्रकांड पंडित थे। धर्म के अनुष्ठानों में कोई उनकी समता नहीं कर सकता था। गुणमति और स्थिरमति का यश उनकी विद्वत्ता के लिये सर्वत्र विस्तृत था। प्रभामित्र प्रसिद्ध तार्किक थे। जिनमित्र बड़े अच्छे वक्ता थे और ज्ञानचंद्र बड़े प्रस्युत्पन्नमति तथा अपने चरित्र के लिये प्रसिद्ध थे। इन्हीं सब विद्वानों की कीर्ति से आकृष्ट होकर विद्यार्थी लोग दूर-दूर से नालंदा पहुँचते थे।

ह्युएनत्सांग के कुछ समय बाद इत्चिंग नाम का एक अन्य चीनी यात्री भारत आया। वह नालंदा भी गया और सातवीं सदी के अंतिम भाग में कई साल तक नालंदा में रहा। उसने भी अपने समय के अनेक प्रसिद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है, जो उस समय में नालंदा में शिक्षा के कार्य में व्यस्त थे। इस

The first part of the history of the
 country is a description of the
 country as it was in the
 year 1700. The second part
 is a description of the
 country as it is at present.
 The third part is a description
 of the country as it is
 at present. The fourth part
 is a description of the
 country as it is at present.

The fifth part is a description
 of the country as it is at
 present. The sixth part is
 a description of the country
 as it is at present. The
 seventh part is a description
 of the country as it is at
 present. The eighth part is
 a description of the country
 as it is at present.



पाटलीपुत्र के अवशेष

श्रीमती यात्री के अनुसार नालंदा में शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी के लिये यह आवश्यक था कि वह व्याकरण को मलीभाति जानता हो। व्याकरण के विविध अंगों को मली-भाति पढ़ कर हेतुविद्या (तर्क या न्याय) अभिव्यक्त बोध (अध्यात्मशास्त्र) और ज्ञातकों का अध्ययन करना होता था। इतनी पढ़ाई करने के बाद, द्वास्-संज्ञित को परीक्षा उत्तीर्ण करके ही कोई विद्यार्थी नालंदा में प्रविष्ट हो सकता था।

नालंदा में तीन बड़े पुस्तकालय थे, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नारंजक। ये तीनों नालंदा के धर्मगंज नामक हिस्से में स्थित थे। इनमें से रत्नोदधि पुस्तकालय सब से बड़ा था, उसकी इमारत नौ मंजिल ऊंची थी। इन पुस्तकालयों में बौद्ध धर्म व अन्य विद्याओं के हजारों ग्रंथ संग्रहीत थे। किंदरी मुसलिम आक्रमणों द्वारा नालंदा के इन पुस्तकालयों का भी अंत हुआ।

जो विद्यार्थी नालंदा में विद्या का अध्ययन कर के जाते थे, उनका नाम महाविहार के मुख्य द्वार पर रवेत अक्षरों में अंकित कर दिया जाता था। नालंदा के पढ़े हुए विद्यार्थी जहाँ राजसेवा के लिये यत्न करते थे, वहाँ धर्मप्रचार का भी कार्य करते थे। इत्सिंग ने लिखा है, कि नालंदा से शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत से विद्यार्थी राजा के दरबार में जाकर वहाँ अपनी योग्यता प्रदर्शित करते थे और राजसेवा में नियुक्त होने का प्रयत्न करते थे। कोई आरच्य नहीं, यदि गुप्त साम्राज्य के विविध कुमारामात्य नालंदा के विद्यार्थियों में से ही चुने जाते हों, और गुप्तों के बाद कन्नौज आदि के जो शक्तिशाली राज्य कायम हुए, वे भी अपने उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करते हुए नालंदा के सुशिक्षित विद्यार्थियों को विशेष महत्त्व देते हों।

हा युपनत्सांग और इत्सिंग के अतिरिक्त अन्य भी अनेक

विदेशी विद्यार्थी नालंदा में पढ़ने के लिये आये। इनमें से कुछ के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। अमण्डलानचिन (प्रकारा मति) सातवीं सदी में नालंदा आया और तीन वर्ष तक वहाँ रह कर उसने विद्याध्ययन किया। ताय-ही (श्रीदेव) ने नालंदा में महायान संप्रदाय के ग्रंथों का अनुशीलन किया। आयवर्मान नाम का एक फोरिबन भिक्षु नालंदा पढ़ने के लिये आया था, वहाँ रहते हुए ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इनके अतिरिक्त चे-हांग, ओकांग, बुद्धकर्म, ताओ फंग, हिन सुन (प्रयाखवर्मा), किंगचाउ (शीलप्रभा), चोन हिंग (प्राज्ञदेव) आदि विविध विदेशी विद्यार्थियों के नाम चीनी अनुश्रुति में मिलते हैं, जिन्होंने नालंदा में रहकर विद्या प्राप्त की थी। भारतीय संस्कृति का उस युग में इतना प्रभाव था, कि इन विदेशी विद्यार्थियों ने अपने नाम भी भारतीय रख लिये थे।

नालंदा का यह विरवविख्यात महाविहार चारहवीं सदी के अंत तक कायम रहा। दसवीं सदी से इस की महत्ता कम होने लगी थी, क्योंकि इसके पड़ोस में ही विक्रमशिला और जहरदपुरी के नये महाविहार उन्नतिपथ पर अभ्रमर हो रहे थे। इन नये महाविहारों को उस समय के राजाओं का संरक्षण और साहाय्य विशेष रूप से प्राप्त था। अतः विद्यार्थी वहाँ अधिक संख्या में जाने लग गये थे। नवीं सदी के अंत तक नालंदा भारत का सर्वप्रधान शिक्काकेंद्र रहा, और उसके बाद भी चारहवीं सदी तक उसकी सत्ता कायम रही।

(२) विक्रमशिला

इस महाविहार का संस्थापक पाजर्वशी सम्राट् धर्मपाल था, जिसका शासन काल ७६६ से ८०६ ई० तक है। धर्मपाल ने अपने राजकोष से यह विशाल महाविहार बनवाया, और

उसमें अध्यापन के लिये १०८ अध्यापक नियुक्त किये। धर्म-पाल के उत्तराधिकारी अन्य-पाल राजा भी इस महाविहार के संरक्षक तथा सहायता में सदा उत्साहशील रहे। परिणाम यह हुआ, कि दसवीं सदी में यह भारत का सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र बन गया। समृद्धि और उन्नति के काल में इस महाविहार में छः विहार (कालिन्ध्र) थे, जिनमें से प्रत्येक में १०८ अध्यापक शिक्षा का कार्य करने के लिये नियुक्त थे। महाविहार के चारों ओर दुर्ग के समान एक प्राचीर बनी हुई थी। उसमें प्रवेश करने के लिये छः द्वार थे। नारानाथ के वर्णन के अनुसार दक्षिणी द्वार का द्वार-पंडित प्रज्ञाकरमति था। पूर्वी द्वार का द्वार-पंडित रत्नाकर शांति, पश्चिमी द्वार का जामीश्वरकीर्ति, उत्तरी द्वार का नरोपंत, प्रथम केंद्रद्वार का रत्नवज्र और द्वितीय केंद्रद्वार का ज्ञानभीमिन्द्र था। ये द्वारपंडित विक्रम-शिला में छः विहारों के प्रधान थे। इनके अधीन प्रत्येक विहार में १०८ अध्यापक शिक्षा का कार्य करते थे और सैकड़ों विद्यार्थी विद्याभ्ययन में तत्पर रहते थे। विक्रमशिला में एक विशाल सभाभवन था, जिसमें २००० मनुष्य एक साथ बैठ सकते थे। इससे सूचित होता है, कि वहाँ भी अध्यापकों और विद्यार्थियों की सम्मिलित संख्या हजारों में पहुँची हुई थी। विद्यार्थियों के भोजन के लिये सत्र खुले हुए थे, जिनमें उन्हें मुफ्त भोजन व अन्य आवश्यक निर्वाहसामग्री प्राप्त होती थी। इन सत्रों का खर्च चलाने के लिये पाल राजाओं ने बहुत उदारता के साथ दान दिया था। राजाओं के अतिरिक्त, अन्य धनी पुरुषों व जागीरदारों की ओर से भी अनेक सत्रों की व्यवस्था थी।

विक्रमशिला की प्राचीर के मुख्य केंद्रद्वार के एक ओर आचार्य नागार्जुन की और दूसरी ओर आचार्य अतिश की

प्रतिमा बनी हुई थी। इसी द्वार के बाहर एक धर्मशाला थी, जिसमें अतिथि लोग विश्राम कर सकते थे।

नालंदा के समान विक्रमशिला में भी बौद्ध धर्म के विविध संप्रदायों, वेद, दर्शन, हेतुविद्या, विज्ञान आदि सब विषयों की शिक्षा दी जाती थी। पर इस महाविहार में विशेष रूप से तंत्र-विद्या की पढ़ाई का प्रबंध था। तांत्रिक प्रक्रियाएँ और तंत्रवाद इस काल के बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण अंग बन गये थे। बाद में पौराणिक धर्म में भी तंत्रवाद का प्रवेश हुआ और पूर्वी भारत के धर्म में तांत्रिक प्रक्रियाओं का बड़ा महत्त्व हो गया। विक्रमशिला में तंत्रवाद की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी और वहाँ के बहुत से अध्यापक और विद्यार्थी स्वयं तांत्रिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते थे।

विक्रमशिला में पढ़ाई आदि की क्या व्यवस्था थी, इस संबंध में तिब्बती अनुभूति से अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। कुछ तिब्बती भिक्षु विक्रमशिला के प्रधान आचार्य अतिश को अपने देश में निमंत्रित करने के लिये इस महाविहार में आये थे। तिब्बत के राजा ने उन्हें इस कार्य के लिये विक्रमशिला भेजा था। उन्होंने वहाँ का जो वर्णन किया है, वह चंद्रकृत करने के योग्य है—“श्रातः आठ बजे सब भिक्षु एक स्थान पर एकत्र हुए। मुझे भी विद्यार्थियों के बीच में बैठने के लिये स्थान दे दिया गया। सबसे पहले माननीय विद्याकोकिल ने प्रवेश किया। उनकी आकृति अत्यंत गंभीर और तेजस्वी थी। वे मुझपर्यंत के समान विशाल और ऊँचे थे। अपने पास बैठे हुए विद्यार्थियों से मैंने पूछा—“क्या ये ही आचार्य अतिश हैं।” उन्होंने उत्तर दिया—“हे तिब्बती आयुष्मान्! ये आचार्य विद्याकोकिल हैं, जो आचार्य चंद्रकीर्ति के संप्रदाय की शास्त्र-परंपरा में हैं। ये अतिश के भी गुरु रह चुके हैं।” एक अन्य

- आचार्य भंच पर बैठे हुए थे, उनकी तरफ इशारा करके मैंने प्रश्न किया—क्या ये आचार्य अतिश हैं ? मुझे बताया गया, कि वे श्रीमान् नरोपंत हैं, जिनके समान भ्रम का विद्वान् षोडशों में अन्य कोई नहीं है। वे भी अतिश के अभ्यापक रह चुके हैं। इसी बीच, जब मेरी आँखें अतिश को घूँटने में लगी थीं, विक्रमशिला के राजा ने सभाभवन में प्रवेश किया, और अपने आसन पर बैठ गया। पर राजा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये कोई भी छोटा या बड़ा भिक्षु अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हुआ। कुछ देर बाद एक अन्य पंडित ने सभाभवन में प्रवेश किया। उसके आने पर अनेक युवा भिक्षु व विद्यार्थी अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उन्होंने इस पंडित की अभ्यर्चना की। उसके सम्मान में राजा भी अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। राजा के खड़े होने पर अन्य अनेक पंडित भी इस विद्वान् के सम्मानार्थ खड़े हो गये। मैंने समझा कि जिस व्यक्ति के लिये इतना सम्मान प्रदर्शित किया जा रहा है, वह अवश्य ही अतिश होगा। मैंने पड़ोस में बैठे हुए विद्यार्थियों से उसके विषय में प्रश्न किया। उन्होंने मुझे बताया कि इस आचार्य का नाम वीरवध है। मैंने जब उसके पांडित्य के संबंध में पूछा, तो उन्होंने कहा, वे इस विषय में कुछ नहीं जानते। जब सभाभवन में सब आसन भर गये, तब माननीयों के भी माननीय भगवान् अतिश ने प्रवेश किया। उसके दर्शन से आँखें तृप्त नहीं होती थीं। सब एकत्रित लोग उसके तेजस्वी मुखमंडल और मुसकान भरे चेहरे को देखकर आश्चर्यचकित रह गये। उसकी वगल में चाधियों का एक गुच्छा लटक रहा था। भारतीय, नेपाली और तिब्बती सब उसकी तरफ एकटक होकर देख रहे थे। सब समझते थे, वह उनके अपने देवा का निवासी है। उसके मुख पर ऐसी तेजस्वित

और सरलता का भाव था, कि देखनेवालों पर जादू सा हो जाता था।

यही महा ओजस्वी आचार्य अतिशय विक्रमशिला महा-विहार का प्रधान आचार्य था। उसका जन्म ६८० ईस्वी में गौड़ देश के विक्रमपुर नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याणभी और माता का नाम प्रभावती था। इनके पिता बहुत धनी और समृद्ध थे। पर अतिशय ने घर के सब सुखों को लात मार कर त्याग के जीवन का आश्रय लिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उदयगपुर के महाविहार में हुई। वहाँ शीलरचित नाम के स्वधिर से उन्होंने प्रख्या प्रहारा की, और उनका नाम द्वीपंकर श्रीज्ञान रखा गया। उदयपुर में शिक्षा समाप्त कर वे सुमात्रा गये और वहाँ चंद्रकीर्ति तथा सुधर्मनागर नाम के प्रसिद्ध आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की। सुमात्रा में बारह वर्ष रह कर लंका होते हुए वे फिर भारत लौट आये। इस समय तक इनकी विद्वत्ता और ज्ञान की चर्चा सर्वत्र फैल चुकी थी। मगध का राजा उस समय पालवंशी नयपाल था। उसने द्वीपंकर भीज्ञान अतिशय को विक्रमशिला के प्रधान आचार्य के पद पर नियत किया। बाद में तिब्बत के राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर अतिशय उस देश में चले गये, और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार व संगठन के लिये बहुत मातृस्वपूर्व कार्य किया।

विक्रमशिला से परीक्षा उत्तीर्ण कर जो विद्यार्थी स्नातक होते थे, उन्हें मगध के राजा की ओर से पंडित की उपाधि दी जाती थी। विक्रमशिला के इन पंडितों को सारे देश में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। नातंदा के स्नातकों के समान वे भी उच्च राजकीय पदों पर नियत होते थे, और समाज में इनका बहुत ऊँचा स्थान माना जाता था। यहाँ के पंडितों में

काश्मीर निवासी रत्नवज्र, आचार्य जेतारि, रत्नकीर्ति, ज्ञानभी-
मित्र आदि अपनी विद्वत्ता के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। जब
तिब्बत के राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर आचार्य अतिरा-
तिब्बत चला गया, तो उसके स्थान पर ज्ञानभी मित्र विक्रम-
शिला का प्रधान आचार्य नियत किया गया। इससे पूर्व
वह अन्यतम द्वारपंडित था।

यह प्रसिद्ध राजकीय महाविहार ठीक-ठीक किस जगह
पर विद्यमान था, इसका सन्तोषजनक निश्चय अभी तक नहीं
हो सका। विद्वानों में इस विषय पर बहुत मतभेद हैं। यह
मगध में गंगा के तट पर कहीं विद्यमान था। नालंदा के समान
जब इसकी स्थिति का भी ठीक निश्चय हो जायगा, तो सुदाई
द्वारा इसके भी अनेक अवशेष अवश्य प्राप्त होंगे। अक्रगणों
के आक्रमण से वह भी सदा के लिये नष्ट हो गया। पर
बारहवीं सदी के अंत तक यह अपने पूर्ण वैभव के साथ
क्रियम रहा था।

(३) उदयपुर का महाविहार

बिहार प्रांत के पटना जिले में बिहारशरीफ नाम का एक
नगर है, जहाँ बारहवीं सदी के अंत तक एक महाविहार
विद्यमान था। इस नगर का पुराना नाम उदयपुर या उदांत
पुरी था। अरब लेखकों ने इसे अर्धचंद्र के नाम से लिखा है।
नालंदा की कीर्ति के कम होने पर जब उत्तर में गंगा के तट पर
विक्रमशिला महाविहार का वैभव बढ़ रहा था, तब नालंदा के
पड़ोस में ही केवल आठ मील की दूरी पर इस नये शिष्टाकेन्द्र
का विकास हो रहा था। इस महाविहार का इतिहास अभी
तक बिलकुल अंधकार में है। संभवतः इसके विकास में
किसी शक्तिशाली राजा का हाथ नहीं था, इसलिये इसका

उल्लेख किसी राजा या सामंत की प्रशस्ति में नहीं मिलता। संभवतः यह भिक्षुओं और विद्वानों के अपने प्रयास का परिणाम था। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि जब बारहवीं सदी के अंत में अफगानों ने मगध पर आक्रमण किया, तब उदयपुर का यह महाविहार विक्रमशिला और नालंदा, दोनों की अपेक्षा अधिक उन्नत और समृद्ध दशा में था। ऐसा प्रतीत होता है, कि पातवंशी राजाओं की शक्ति की इतिश्री हो जाने पर विक्रमशिला को पर्याप्त सहायता नहीं प्राप्त हो पायी थी। नालंदा का हास पहले ही शुरू हो चुका था। बारहवीं सदी के गहरवारवंशी राजा शैव चर्म के अनुयायी थे। इस उदयपुर का यह महाविहार बौद्ध पंडितों की अपनी कृति था, और अपने विद्याभवन से ही उन्होंने इसे ज्ञान और शिक्षा का एक महान् केंद्र बनाया हुआ था। नालंदा का पुराना गौरव अब उदयपुर में केंद्रित हो गया था। पात राजाओं के शासनकाल में वहाँ एक समृद्ध नगर का भी विकास हो गया था, और मगध के ये राजा पाटलीपुत्र की राजधानी वहाँ रहने लगे थे।

जब मुहम्मद बिन बख्तियार ने काशी से आगे बढ़ मगध पर हमले किये, तो उदयपुर के भिक्षुओं ने ही उसका सामना किया। अंतिम दम तक वे अफगान आक्रांताओं से युद्ध करते रहे, जब वे सब के सब मारे गये, तो दुर्ग के समान विशाल और प्राचीन से घिरे हुए महाविहार पर अफगानों का कब्जा हो गया और उन्होंने वहाँ के विशाल पुस्तकालय को अग्नि के अपेक्ष कर दिया। यही गति नालंदा और विक्रमशिला के महाविहारों की भी हुई। उस समय संसार में छापेखानों का आविष्कार नहीं हुआ था। पुस्तकों की हाथ से नकल की जाती थी। पुस्तकालयों की तरफ से यह प्रबंध रहता था, कि

अच्छे-अच्छे ग्रंथों की प्रतिलिपि कराके उनका संग्रह किया जाय। यद्यपि विद्वानों और पंडितों के पास अपने-अपने ग्रंथ भी रहते थे, पर उनका प्रधान संग्रह पुस्तकालयों में ही रहता था। मुसलिम आक्रांताओं के कोप से जब नाजंदा, विक्रमशिला और उद्दण्डपुर के विशाल संग्रहालयों को आग लगा दी गई, तो प्राचीन भारतीय धर्म, विद्या और विज्ञान के इन अक्षय भंडारों का सर्वनाश हो गया। इस समय में बहुत से पंडित लोग मगध से भाग कर उत्तर में नेपाल और तिब्बत की ओर चले गये, और बहुतों ने सुदूर दक्षिण में जाकर आश्रय लिया, जहाँ अभी तक मुसलमानों के आक्रमणों का कोई भय नहीं था। यही कारण है, कि इस समय में संस्कृत के बहुत से प्राचीन ग्रंथ नेपाल, तिब्बत, चीन और सुदूर दक्षिण में तो मिलते हैं, पर उत्तरी भारत में उनका सर्वथा लोप हो चुका है।

इस युग के वातौर आक्रांताओं का चही दंग था, वे जहाँ भी हमले करते, नून की नदियाँ बहा देते थे, और धन व धर्म का लूट कर नगरों व धर्मस्थानों को लाक में मिला देते थे। इसी समय के लगभग बौद्ध धर्म के अनुयायी वातौर सेनापति हलकू लों ने बरादाद पर आक्रमण किया। बरादाद उस समय सम्य धरवी के धर्म और विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था। हलकू लों ने जहाँ बरादाद के धन और ऐश्वर्य को लूटा, वहाँ उस नगर के प्राचीन पुस्तकालय को भी अग्निदेव ने अर्पण कर दिया। सम्य धरवी के साथ जो व्यवहार बौद्ध वातौरों ने किया, वही सम्य बौद्धों के साथ वातौर आक्रमणों व लूटों ने किया।

(४) बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार

गुप्तकाल के समृद्ध युग में विदेशों में भारतीय धर्मों का

जिस प्रकार प्रचार हो रहा था, और भारतीय लोग सुदूर पूर्व तथा सुदूर उत्तर-पश्चिम में जिस प्रकार विविध उपनिषदों की स्थापना कर रहे थे, इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर और मगध की राजनीतिक प्रभुता के नष्ट हो जाने के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रही और इसका नेतृत्व मगध के महाविहारों के ही हाथ में रहा। इस प्रक्रिया का संक्षेप के साथ वर्णन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सातवीं सदी से बारहवीं सदी तक के लगभग १०० वर्षों के मगध इतिहास की यही सबसे महत्वपूर्ण घटना है।

कुमारजीव और गुणवर्मन ने गुप्त सम्राटों के शासनकाल में चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये जो यत्न किये, उनका निर्देश पहले किया जा चुका है। गुणवर्मन के कुछ समय पीछे ४३५ ई० में आचार्य गुणभद्र मध्यदेश से चीन गये। संस्कृत की पुस्तकों को चीनी भाषा में अनूदित करने के लिये उन्होंने बड़ा प्रयास किया। कुल मिलाकर ७८ बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, जिनमें से अब केवल २८ ही प्राप्त होते हैं। ७५ वर्ष की आयु में ४६८ ई० में चीन में ही इनकी मृत्यु हुई। गुणभद्र के बाद ४८१ ई० में धर्मजात यश और छठवीं सदी में धर्मरुचि, रत्नमति, बोधिरुचि और गौतम-प्रज्ञारुचि नामके विद्वान् भारत के मध्यदेश से चीन गये, और बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने तथा धर्म के प्रचार में व्यापृत रहे। चीन के लोग मगध तथा उसके समीप के प्रदेशों को ही मध्यदेश कहते थे, और वहाँ नालंदा और काशी उस समय विद्वानों के सबसे बड़े केंद्र थे। ये सब पंडित इन्हीं नगरों के महाविहारों से संबन्ध रखते थे। भारतीय पंडितों के निरंतर चीन में जाने का यह परिणाम हुआ, कि उस देश के विहारों में हजारों की संख्या में भारतीय भिक्षु निवास करने

गयो। एक अनुभूति के अनुसार छठवीं सदी के शुरू में चीन में भारतीय भिक्षुओं की संख्या तीन हजार के लगभग थी। इन्हीं भारतीय पंडितों के प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ, कि बौद्ध धर्म की दृष्टि से छठवीं सदी चीन के इतिहास में सुवर्णयुग मानी जाती है। वहाँ का सम्राट् वू-ती बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था। अपने जीवन के अंतिम भाग में भारतीय आदर्श के अनुसार उसने राज्य का परित्याग कर भिक्षुओं के काषाय वस्त्र धारण कर लिये थे। ५३६ ई० में वू-ती की प्रेरणा से एक चीनी मंडल भारत इस उद्देश्य से आया, कि वहाँ से अन्य बौद्ध ग्रंथों को अपने देश में ले जाय। यह मंडल चीन को वापस लौटते हुए परमार्थ नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान् को भी अपने साथ ले गया, और इसी के प्रयत्न से चीन में बौद्ध धर्म के योगाचार संप्रदाय का प्रवेश हुआ। भिक्षु परमार्थ ने असंग और असुबंघु के ग्रंथों का भी चीनी भाषा में अनुवाद किया। छठवीं सदी के अन्य भारतीय पंडितों में, जो चीन गये, जिनगुप्त, ज्ञानभद्र, जिनयश और गौतमधर्मज्ञान के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से जिनगुप्त पेशावर का रहने वाला था, उसने भारतीय धर्मग्रंथों को चीनी में अनूदित करने के लिये एक संघ की स्थापना की। इस संघ में बहुत से भारतीय और चीनी पंडित शामिल हुए। इस संघ ने अपने उद्देश्य में अपूर्व सफलता प्राप्त की, और सैकड़ों संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद चीनी भाषा में किया।

सातवीं सदी के मध्यभाग में प्रसिद्ध चीनी भिक्षु वा एन-त्सांग भारत आया, वह अपने देश को लौटते समय ६३७ बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ ले गया। चीन में रहने वाले भारतीय पंडित जो कार्य कर रहे थे, उसमें इन ग्रंथों से बहुत सहायता मिली। भारत के बौद्ध धर्म में उस समय बहुत जीवनीशक्ति

थी, इसीलिये नये-नये आचार्य दर्शन, धर्म आदि पर नये-नये ग्रंथों की रचनायें करते रहते थे। चीन के बौद्ध पंडित किसी नये बौद्ध दर्शन के विकास में प्रयत्नशील नहीं थे, वे अपने धर्मगुरु भारत के विविध आचार्यों द्वारा लिखे ग्रंथों को अपनी भाषा में पढ़कर ही धर्म व तत्त्वज्ञान की पिपासा को शान्त कर लेते थे। आठवीं सदी के प्रारंभ में आचार्य अमोघवज्ज चीन गया। वह तंत्रशास्त्र का बड़ा पंडित था। मगध के बौद्ध महा-विहारों में इस समय तांत्रिक धर्म का खोर था। अमोघवज्ज ने ४१तंत्रग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन के राजा को उसमें अपार भद्दा थी। उसने उसे 'राज्यकर्षणार' और 'त्रिपिटक भद्रव' की उपाधियों से विभूषित किया था। अमोघवज्ज और उसके अन्य साधियों से ही चीन में तांत्रिक धर्म का प्रवेश हुआ। ६७१ ई० में मञ्जुश्री और फिर ६७३ ई० में धर्मदेव नाम के आचार्य चीन गये। ये नालंदा के निवासी थे। धर्मदेव ने ४६ ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। १००४ ईस्वी में धर्मरत्न अनेक पंडितों के साथ चीन गया। वह भी मगध का निवासी था। ६६ वर्ष की आयु में १०५३ ई० में चीन में ही उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद सन् १०५३ में ज्ञानश्री नाम के आचार्य ने मगध से चीन के लिये प्रस्थान किया। संभवतः, यह अंतिम आचार्य था, जो भारत से चीन में धर्मप्रचार के लिये गया था। ग्यारहवीं सदी के बाद चीनी अनुभूति में किसी ऐसे भारतीय पंडित का उल्लेख नहीं मिलता, जो चीन जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार में व्यापृत रहा हो। तुर्कों के जो आक्रमण ग्यारहवीं सदी के शुरू में भारत पर प्रारंभ हो गये थे, उन्होंने इस देश की व्यवस्था और शांति पर कठोर कुठारापाव किया था। इन नये प्रकार के म्लेच्छों व 'यवजों' के आक्रमणों से भारत की जीवनीशक्ति निर्वृत पड़ने लग गई थी, और मगध

के महाविहार भी देर तक अपनी सत्ता को कायम रखने में आसमर्थ रहे थे । इसमें संदेह नहीं, कि मगध और भारत के अन्य प्रदेशों के पंडितों ने चीन जाकर वहाँ भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता, कला और संस्कृति के प्रचार के लिये जो अनुपम कार्य किया, वह भारत के इतिहास के लिय अत्यंत गौरव की वस्तु है ।

तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश चौथी सदी में शुरू हुआ था । मौर्य राजा अशोक के समय में जो बौद्ध प्रचारक हिमवत प्रदेश में धर्मप्रचार के लिये गये थे, संभवतः उन्हीं की शिष्य परंपरा ने बाद में तिब्बत में भी कार्य किया । पर इन आचार्यों के नाम इस समय तक ज्ञात नहीं हुए हैं । तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार विशेष रूप से सातवीं सदी में हुआ । उस समय तिब्बत में स्रोङ्-सेन् गम् नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था । इसके दो विवाह हुए, एक चीन के किसी राजा की कुमारी से और दूसरा नेपाल के राजा अंशुवर्मान की कन्या भृकुटीदेवी से । ये दोनों कुमारियाँ बौद्ध धर्म को मानने वाली थीं । इनके प्रभाव से राजा ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया । इसी के वंश में आगे चल कर ति-सोङ्-दे-सेन् तिब्बत का राजा हुआ । इसका एक अमात्य चीन देश का रहने वाला थीर कट्टर बौद्ध था । उसके प्रभाव से राजा ने शांतरक्षित नाम के भारतीय आचार्य को तिब्बत आने का निमंत्रण दिया । आचार्य पद्म-संभव के सहयोग से शांतरक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया । आठवीं सदी में इन भारतीय पंडितों ने तिब्बत में अपना काम किया । ये मगध के निवासी थे । मगध के महाविहारों के अनुकरण में तिब्बत की राजधानी ल्हासा से तीस मील दक्षिण-पूर्व में सम्-ने नामक स्थान पर इन्होंने एक महाविहार का निर्माण कराया । यह बहुत समय तक तिब्-

वत में ज्ञान और विद्या का केंद्र रहा। यह अब तक भी विद्य-
 मान है, और तिब्बत के प्रसिद्ध विद्वानों में गिना जाता है।
 यह बौद्धों के सर्वास्तिवादी संप्रदाय का महत्त्वपूर्ण केंद्र
 था। शांतरक्षित इसी संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने
 अपने सहयोग के लिये बारह अन्य पंडितों को भारत से बुलाया
 और इनके प्रयत्न से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने लगे।
 पचासभवा तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था, उस के
 प्रयत्नों से तिब्बत में तंत्रवाद का प्रवेश हुआ। इनके बाद
 आर्यदेव, बुद्धकीर्ति, कुमारश्री, कर्णपति, कर्मश्री, सूर्यश्वज, सुमति-
 सेन और कमलशील आदि अनेक भारतीय आचार्य तिब्बत में
 गये, और उन्होंने एक दुर्गम देश में भारतीय धर्म का प्रचार
 का श्लाघनीय प्रयत्न किया। इन आचार्यों में कमलशील का
 नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसे खान लौर पर भारत
 से बुलाया गया था। कारण यह, कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु, जिसका
 नाम ह्या-शंग था, इस समय चीन में बौद्ध धर्म के शून्यवाद संप्र-
 दाय का प्रचार करने में व्यापृत था। भारतीय आचार्य सर्वा-
 स्तिवाद और माध्यमिक संप्रदायों के अनुयायी थे। ह्या-शंग का
 मुकाबला करने के लिये यह आवश्यकता अनुभव हुई, कि
 भारत से एक प्रकांड पंडित को तिब्बत बुलाया जाय। इसी
 उद्देश्य से कमलशील तिब्बत गये, और राजा के सभापतित्व
 में हुई भारी सभा में चीनी भिक्षु के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ।
 शास्त्रार्थ में कमलशील की विजय हुई और ह्या-शंग ने अपने
 हाथों से ही कमलशील को जयमाला पहनाई। कमलशील का
 तिब्बत में बड़ा आदर हुआ। उसे लोग दूसरा भगवान् बुद्ध
 मानने लगे। कहते हैं, कि इस भारतीय आचार्य का विविध
 मसालों से सुरक्षित किया हुआ शव अब तक तिब्बत के एक
 विहार में सुरक्षित है, और तिब्बती लोग उसे बड़े सम्मान की

दृष्टि से देखते हैं। इन भारतीय विद्वानों ने बौद्ध धर्म के संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी शुरू किया। संस्कृत की पुस्तकों का तिब्बती में अनुवाद करते के लिये जिनमित्र, शीलेंद्रबोधि, दानशील, प्रज्ञावर्मन, सुरेंद्रबोधि आदि अनेक भारतीय पंडित तिब्बत बुलाये गये, और इनके प्रयत्नों से न केवल संपूर्ण बौद्ध त्रिपिटक, अपितु अन्य भी बहुत से ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। नवीं सदी में यह प्रक्रिया निरंतर जारी रही, और अन्य भी अनेक भारतीय पंडित तिब्बत गये। तिब्बत में अनेक लोग ऐसे भी थे, जो बौद्ध धर्म के द्वेषी थे, और भारतीय आचार्यों के प्रभुत्व को पसंद नहीं करते थे। इनके विरोध के कारण दसवीं सदी में भारतीय पंडितों का तिब्बत जाना कुछ समय के लिये रुक गया। पर ग्यारहवीं सदी में फिर स्मृति, धर्मपाल, सिद्धपाल, गुणुपाल, प्रज्ञापाल, सुभूति, श्री शांति और द्वीपंकर बीजान अतिश आदि अनेक आचार्य तिब्बत गये। इनमें अतिश के संबंध में अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता है। वे बिष्णुमशिला महाविहार के प्रधान कुलपति थे। इनकी कीर्ति को सुनकर तिब्बत के राजा ने एक दूतमंडल इस उद्देश्य से भेजा था, कि अतिश को तिब्बत में निमंत्रित करे। सत्तर वर्ष के वृद्ध होने पर भी आचार्य अतिश तिब्बत गये और वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को पुनः संगठित किया। अतिश बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने २०० के लगभग ग्रंथ लिखे, जिनमें कुछ पुराने संस्कृत ग्रंथों के तिब्बती अनुवाद भी थे। उनकी मृत्यु तिब्बत में ही हुई। क्हासा से बीस मील की दूरी पर क्यु-चो नदी के तट पर उनकी समाधि अब तक विद्यमान है, और तिब्बती लोग उसे वही अट्टा की दृष्टि से देखते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो संगठन आचार्य अतिश ने

किया था, वही कुछ परिवर्तित रूप में अब तक विद्यमान है।

मगध के महाविहारों के विविध बौद्ध आचार्यों ने चीन और तिब्बत में धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिये जो उद्योग किया, वह वस्तुतः अनुपम था।

(५) बुद्धचर भारत

समुद्र के पार सुदूर पूर्व के देशों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना किस प्रकार हुई, इसका विवरण हम पहले दे चुके हैं। गुप्त साम्राज्य की शक्ति के चूस हो जाने के बाद भी अनेक सदियों तक ये उपनिवेश फलते-फूलते रहे, और इनमें भारतीय धर्मों और सभ्यता का प्रचार रहा। कंबुज देश के भारतीय राजाओं ने फुनान के प्राचीन राजवंश को पराभव कर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। ये राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। कंबुजराज भववर्मा ने अनेक मंदिरों का निर्माण कर उनमें शिवलिंगों की प्रतिष्ठा की थी। फुनान की विजय के बाद संपूर्ण कंबुज साम्राज्य (कंबोडिया) में भारतीय पौराणिक संस्कृति का श्रेष्ठ प्रचार हुआ। न केवल राजा, अपितु अल्प धनी मानी लोग भी वहाँ मंदिरों के निर्माण में संलग्न थे। कुछ ही समय में कंबुज भारतीय संस्कृति का बड़ा केंद्र बन गया। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा वहाँ सर्वत्र होने लगी। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि का सर्वत्र अध्ययन शुरू हुआ। सातवीं सदी में महेंद्र-वर्मा, ईशानवर्मा और जयवर्मा वहाँ के राजा हुए। ईशानवर्मा ने कंबुज में अनेक आश्रम बनवाये। जैसे बौद्ध धर्म के मठ बिहार कहलाते थे, वैसे ही पौराणिक धर्म के मठों को आश्रम कहते थे। इनमें बहुत से संन्यासी निवास करते थे, और भिक्षुओं की तरह धर्मप्रचार, विद्याध्ययन तथा शिक्षा कार्य में

व्यापृत रहते थे। इसी के समय में विष्णु और शिव को सम्मिलित मूर्ति बनाई गई। भारत में वैष्णव और शैव धर्मों में परस्पर विरोध था। पर सुदूर पूर्व के भारतीय पंडित शिव और विष्णु में समन्वय कर रहे थे। एक चीनी यात्री ने ईरान-वर्मा के शासन का वर्णन करते हुए लिखा है—“ईरानवर्मा का राजधानी ईरानपुर है। वहाँ बीस हजार घर हैं। नगर के मध्य में विशाल राजप्रसाद है। यहाँ राजा अपना दरबार लगाता है। राज्य में तीन बड़े नगर हैं। प्रत्येक में एक-एक शासक रहता है। उच्च राजकर्मचारी पाँच तरह के हैं। ये सब राजा के सम्मुख उपस्थित होने पर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये सिंहासन के सम्मुख तीन बार घूटने को झूते हैं। फिर राजा उन्हें आसन ग्रहण करने को कहता है। गोलाकृति में बैठकर ये राजा के साथ मंत्रणा करते हैं। सभा समाप्त होने पर ये पुनः घुटने टेकते हुए दरबार से चले जाते हैं। दरबार के द्वार पर रास्त्रों से सज्जित हथोरों सैनिक सदा सज्जद रहते हैं।”

यह संभव नहीं है, कि इन यहाँ कंबोडिया के भारतीय राजाओं का उल्लेख कर सकें। पर नहीं सदी के अंत में कंबुज का शासन करने वाले राजा वरोचर्मा का परिचय देना यहाँ आवश्यक है। उसने वरोचरपुर नाम से अपनी नई राजधानी बनाई थी। उसके भग्नावशेष अब भी अरुओरधोम में उपलब्ध होते हैं। इसके चारों ओर ३१० फीट चौड़ी खाई है, जिसके भीतर की तरफ एक विशाल प्राचीर बना हुआ है। नगर वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा लंबाई में दो मील से भी कुछ अधिक है। नगर के द्वार विराट और सुंदर हैं। इनके दोनों ओर रक्तकों के निवास के लिये मकान बने हैं। तीन सिर वाले विशाल हाथी द्वारों की मोतारों का अपनी पाठ पर याम हुए

हैं। सी फीट चौड़े और मील भर लंबे पाँच राजमार्ग द्वारों से नगर के मध्य तक गये हैं। पक्की चिनाई के भिन्न-भिन्न आकृति वाले कई सरोवर अब तक भी इन खंडहरों में विद्यमान हैं। नगर के बीच में शिव का एक विशाल मंदिर है। इसके तीन खंड हैं, प्रत्येक खंड पर एक-एक ऊँची मीनार है। बीच के मीनार की ऊँचाई भग्न दशा में भी १५० फीट के लगभग है। ऊँची मीनार के चारों तरफ बहुत सी छोटी-छोटी मीनारें हैं। इनके चारों ओर एक-एक नरमूर्ति बनी हुई है। ये समाधिस्थ शिव की मूर्तियाँ हैं। इनके मस्तक पर शिव का तृतीय नेत्र भी विद्यमान है। इस विशाल शिवमंदिर में जगह-जगह पर सुंदर चित्रकारी की गई है। मंदिर की दीवारों पर अनेकविध चित्र बने हुए हैं। पौराणिक धर्म के किसी मंदिर का इतने पुराने और विशाल अवशेष भारत में कहीं नहीं मिलते। उपनिषदों के भारतीय कितने समृद्ध और वैभवशाली थे, इसका यह जीवा-जागता उदाहरण है। बारहवीं सदी के पूर्वार्ध में कंपोडिया का राजा सूर्यवर्मा द्वितीय था। इसने एक विशाल विष्णुमंदिर का निर्माण कराया, जो अंकुशोर वत के रूप में अब भी विद्यमान है। आज कल यह एक बौद्ध विहार है। पर पहले-पहल इसका निर्माण विष्णुमंदिर के रूप में हुआ था। इस की प्रत्येक चीज बहुत बड़े परिमाण की है। इसके चारों ओर एक खाई है, जिस की चौड़ाई ७०० फीट है। इस मोल के समान चौड़ी खाई दो पार करने के लिये पश्चिम की तरफ एक पुल बना है। पुल पार करने पर एक विशाल द्वार है, जिसकी चौड़ाई १००० फीट से भी अधिक है। इसमें तीन मार्ग पैदल लोगों के लिये और दो रथों व हाथियों के लिये हैं। खाई और द्वार को पार करने के बाद जो मंदिर है, वह भी बहुत विशाल है। उसकी ऊँचाई १८० फीट के लगभग है। इसकी दीवारों पर

बहुत से विग्रह बने हैं, जिनमें पौराणिक गाथाओं को चित्रित किया गया है।

समयांतर में कंबुज में भारतीय पौराणिक धर्म का ह्रास हो गया और उसका स्थान बौद्ध धर्म ने ले लिया। पर इस प्रदेश में प्राप्त संस्कृत के लेख, मूर्तियों व मंदिरों के अवशेष उस युग का भली-भांति स्मरण दिलाते हैं, जब कि कंबुज भारत का ही एक उपनिवेश था, और वहाँ के राजा, पंडित व सर्वसाधारण लोग भारतीय जीवन ही व्यतीत करते थे। कंबुज के समान ही चंपा, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि में भी बारहवीं सदी तक भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता आदि का प्रचार रहा। इन सब देशों के राजवंशों का इतिहास बड़े महत्त्व का है। इनमें जो शिलालेख मूर्तियों व मंदिरों के अवशेष मिले हैं, वे सब भी भारत के प्राचीन गौरव के परिचायक हैं। इन सब उपनिवेशों का इस काल में भारत के साथ घनिष्ठ संबंध कायम था। जावा, सुमात्रा में जिस राजवंश का शासन था, उसे शैलेंद्र कहते थे। इसकी राजधानी श्रीविजय थी, जो अब सुमात्रा में पालेम्बांग कहलाती है। पालवंशी राजा देवपाल के समय में शैलेंद्र वंश का राजा बलपुत्र देववर्मा था। उसने देवपाल से अनुमति लेकर नारुंदा में सुवर्णद्वीप के विशारथियों के लिये अपनी तरफ से एक छात्रावास (संधाराम) बनवाया। उनके स्वर्ण के लिये देवपाल ने गया और राजगृह के समीप पाँच ग्राम लगा दिये थे, जिनको आय से इस छात्रावास में निवास करने वाले विशारथियों का खर्च चलता था। इससे स्पष्ट है, कि सुदूर पूर्व के ये भारतीय उपनिवेश मगध के इन महाविद्वानों को बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे, और अपने देश के विशारथियों को उच्च शिक्षा के लिये वहाँ भेजते थे। मगध सुहृत्तर भारत के लिये अब भी संस्कृति और ज्ञान का केंद्र बना हुआ था।

(६) बौद्ध धर्म का हास

अनेक गुप्त सम्राट् और मगध के पालवंशी राजा जिस बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और जिसके महाविहारों के विद्वान आचार्य बारहवीं सदी तक ज्ञान और धर्म के संदेशवाहक होकर सुदूर देशों में जाया करते थे, वह मुसलमानों के आक्रमण के बाद भारत में सर्वथा लुप्त सा हो गया, यह बात बड़े आश्चर्य की है। मौर्यों के बाद भारत में पौराणिक वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। भारत के सर्वसाधारण गृहस्थ ब्राह्मणों और श्रमकों का समान रूप से आदर करते थे। वे विविध स्थानीय परंपराओं के अनुसार विविध प्रकार के अनुष्ठानों का प्रयोग करते थे, और सब संन्यासियों व भिक्षुओं की एक सदृश सेवा करते थे। विदेशों में जो बौद्ध प्रचारक गये, वे जनता में एक नई सभ्यता और संस्कृति के संदेशवाहक थे। वहाँ के लोग भारत की अपेक्षा बहुत पिछड़े हुए थे। पर भारत में वे केवल धर्म का नेतृत्व करते थे। यहाँ उन्हें किसी नई सभ्यता व संस्कृति में जनता को दीक्षित नहीं करना था। बौद्ध संघ की आंतरिक शिथिलता के साथ-साथ ज्यों-ज्यों अन्य धर्मों के ब्राह्मणों व संन्यासियों में जीवन और स्फूर्ति बढ़ती गई, त्यों-त्यों बौद्ध भिक्षुओं का जनता पर प्रभाव कम होता चला गया।

इसके अतिरिक्त, पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ जिन देवी-देवताओं की उपासना का प्रारम्भ हुआ था, वे भारत की प्रचीन परंपरा के अनुसार लोगों के हृदय में गहरा स्थान रखते थे। बौद्ध लोग उनकी उपासना नहीं कर सके। उन्होंने भी उन विविध देवी-देवताओं को नये नामों से अपने धर्म में स्थान देना शुरू किया। मंजुश्री, तारा, अवलोकितेश्वर आदि के रूप

में अनेक देवी-देवताओं ने बौद्ध धर्ममें भी प्रवेश कर लिया था। बौद्धों के जो बहुत से संप्रदाय व उपसम्प्रदाय धीरे-धीरे विकसित हो गये थे, उन्होंने पौराणिक धर्म से उनके भेद को बहुत कम कर दिया था। संश्रवाद के प्रवेश से तो शक्ति के उपासक पौराणिक और तांत्रिक बौद्ध एक दूसरे के बहुत समीप आ गये थे। भगवान् के इस अवतारों में पौराणिक लोगों ने बुद्ध को भी शामिल कर लिया था। जिस महाप्रतापी सिद्धार्थ के अनुयायी न केवल भारत में अपितु सूदूर विदेशों में संस्कृत भाषा, भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार में लगे थे, जिसके स्तूपों, चैत्यों और विहारों से सारा सभ्य संसार आच्छादित था, वह भगवान् का साक्षान् अवतार नहीं था, तो क्या था? पौराणिक लोग बुद्ध को मानते थे और बौद्ध लोग भारत के पुराने देवी-देवताओं और दार्शनिक विचारों को स्वीकार करते थे। इस दशा में यदि उनका आपस का भेद बिल्कुल कम रह जाय, तो यह उचित ही था।

गुप्त सम्राटों में कुछ वैष्णव, कुछ शैव और कुछ बौद्ध थे। एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी हो सकते थे। सम्राट् हर्षवर्धन सूर्य की उपासना करता था, शिव को मानता था और साथ ही बौद्ध स्वधियों में भी श्रद्धा रखता था। पालवंशी राजा बौद्ध थे, पर ब्राह्मण पंडितों को दान देने में और पौराणिक मंदिरों की सहायता करने में संकोच नहीं करते थे। भारत के विविध धर्मों का भेद इस समय केवल उनके नेताओं में ही था। बौद्ध भिक्षु अपने महा-विहारों में रहते थे, पौराणिक संन्यासी आश्रमों और मठों में निवास करते थे। विविध धर्मों के इन विविध पंडितों में प्रायः शास्त्रार्थ चलते रहते थे। जिस धर्म के पंडित, ब्राह्मण व संन्यासी अधिक विद्वान् व त्यागी होते, वही जनता पर अपना अधिक

प्रभाव कायम कर लेता। सातवीं सदी में अनेक ऐसे पौराणिक विद्वान् भारत में हुए, जिन्होंने अपनी विद्वत्ता तक और प्रभाव से सब को चकाचौंध सा कर दिया। प्रभाकर और कुमारिल भट्ट के नाम इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुमारिल ने बौद्ध सिद्धांतों पर आक्रमण किए और वैदिक अनुष्ठानों तथा प्राचीन दर्शनपद्धतियों के गौरव को पुनरुज्जीवित किया। बाद में शंकराचार्य ने सारे भारत में भ्रमण कर बौद्धों के साथ जगह-जगह पर शास्त्रार्थ किए और बौद्ध भिक्षुसंघों के मुकाबले में अपने मठों का संगठन किया, जिनमें हजारी संन्यासी विद्या-व्ययन में व्याप्त रहने लगे। इन संन्यासियों के सन्मुख बौद्ध भिक्षुओं का प्रभाव मंद पड़ गया। बौद्ध संघ को कायम हुए हजारी से ऊपर साल हो चुके थे, वैभवपूर्ण सम्राटों के दान और साहाय्य से उसके पास अपार सम्पत्ति एकत्र हो गई थी। मगध के महाविहारों में हजारी भिक्षु निरिचन्त हो कर आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें लोगों के पास भिक्षुपात्र लेकर जाने की आवश्यकता अब नहीं रही थी। वे नाम की ही भिक्षु थे। इसके विपरीत आपसों और मठों में रहने वाले संन्यासियों में इस समय नई स्फूर्ति विद्यमान थी। परिस्थान यह हुआ, कि भारतीयों की जल्दा बौद्ध भिक्षुओं में कम हो गई और वे संन्यासियों के उपदेशों को अधिक सम्मान के साथ अवश्य करने लगे।

बारहवीं सदी के अंत में मुसलमानों के आक्रमणों से जय मगध के महाविहार तथा अन्य स्थानों के संघाराम और विहार नष्ट हुए, तो बौद्ध भिक्षुओं का राहा-सहा प्रभाव भी नष्ट हो गया। उनके स्थान पर सुदूर दक्षिण के संन्यासियों के मठ मुसलमानों के आक्रमणों से बचे रहे। रामानुज, शंकराचार्य आदि ने जिन नये धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात किया था,

उनके केंद्र दक्षिणी भारत में ही थे। वहाँ के संन्यासी वाद में भी सारे भारत में घूमते हुए जनता को धर्म का मार्ग दिखाते रहे। यही कारण है, कि पौराणिक धर्म भारत से लुप्त नहीं हुआ, और बौद्ध धर्म जो पहले ही अपना प्रभाव खोना शुरू कर चुका था, बारहवीं सदी के बाद भारत से लुप्तप्राय हो गया। बौद्ध धर्म के लोप के साथ मगध का धार्मिक नेतृत्व भी लुप्त हो गया।

(६) उपसंहार

यहाँ हम मगध की कथा को समाप्त करते हैं। एक हजार से कुछ अधिक साल तक पाटलीपुत्र भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र रहा। मगध के 'विजिगीषु' सम्राटों ने भारत के विविध जनपदों को जीत कर जिस एकराट् शासन की स्थापना की, वह ऋठीवी सदी तक कायम रहा। मगध की अनार्यवत्व-प्रधान 'भृव', 'श्रेष्ठिय' और 'आटविक' सेनायें अपने विशाल साम्राज्य पर सफलता के साथ शासन करती रहीं। इस साम्राज्य के शासक राजवंश समय-समय पर बदलते रहे। राजाओं के विरुद्ध कितनी ही क्रांतियाँ हुईं, 'ककट समान राजपुत्रों' ने अपने जनकों का ही घात किया, 'भृत्यों' ने अपने स्वामिनों के विरुद्ध षड्यंत्र कर स्वयं राजसिंहासन प्राप्त करने के सफल यत्न किये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रप्राय कुल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य-सब प्रकार के राजकुलों ने पाटलीपुत्र के सिंहासन को सुशोभित किया, पर मगध की राजशक्ति में कोई अंतर नहीं आने पाया। यवन, शक, कुशाख, हूण आदि जो भी आकांक्षा भारत में आये, मगध की इस शक्ति को स्थिर रूप से नष्ट नहीं कर सके। मगध साम्राज्य की सीमा में समय-समय पर अंतर आता रहा, पर उसकी चट्टान के समान मजबूत राज-

शक्ति इन सब विजय-वाधाओं का सफलता के साथ मुक्ताबला करती रही।

शासकों द्वारा स्थापित इस विशाल साम्राज्य की अपेक्षा भी मगध का यह धर्मसाम्राज्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसका उपक्रम अशोक और उपगुप्त द्वारा हुआ था। धर्म द्वारा मगध के विजयों ने न केवल सारे भारत की विजय की, अपितु सुदूर विदेशों में अपनी भाषा, धर्म, सभ्यता, कला और संस्कृति का साम्राज्य स्थापित किया। जो म्लेच्छ आकांता भारत में शासक-विजय के लिये आये, वे भी मगध के इस धर्मसाम्राज्य के अधीन हो गये। मगध की राजनीतिक शक्ति को नष्ट हुए, अब एक हजार वर्ष से अधिक हो चुके हैं। पर उसका धर्मसाम्राज्य अब तक भी कितने ही देशों में अवशिष्ट है। मगध की गौरव-पूर्ण कथा संसार के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखती है।

सत्ताइसवाँ अध्याय

तुर्क, अफगान और मुगलों का शासन

(१) लखनौती के खिलजी सरदार

मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने उदयगढ़पुर के महाविहार का ध्वंस कर, किस प्रकार संपूर्ण मगध में अपना आधिपत्य स्थापित किया था, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। कन्नौज के गहरवार साम्राज्य के पतन काल में जो विविध छोटे-छोटे राजा पूर्वी भारत में शासन हो गये थे, उनमें से बतुतों के साथ मुहम्मद खिलजी के युद्ध हुए और धीरे-धीरे उसने चुनार के पूर्व से शुरू कर गंगा नदी के साथ-साथ मगध और गौड़ (पश्चिमी बंगाल) पर अपना अधिकार कर लिया। उसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, और प्राचीन 'प्राच्य' देश में पहले-पहल एक मुसलिम सल्तनत को स्थापना की। पाटलीपुत्र का प्राचीन गौरव और वैभव इस समय लुप्त हो गया था। इस समृद्ध नगरी में इस काल में खंडहरों के अवशेष कुछ शेष न रहा था। लखनौती के खिलजी शासकों के राज्य में मगध और उसकी प्राचीन राजधानी पाटलीपुत्र भी अंतर्गत थी, यद्यपि उसके राजनीतिक महत्त्व का इस समय सर्वथा लोप हो चुका था।

मुहम्मद गोरी ने भारत के विविध प्रदेशों को जीतकर जिस शासन का सूत्रपात किया, वह सामंतपद्धति (फ्यूडल सिस्टम) पर आश्रित था। गोर के सम्राट के अधीन दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। उसकी स्थिति एक स्वतंत्र महाराजाधिराज के समान थी। कुतुबुद्दीन के अधीन बहुत से

शक्तिशाली सेनापति सामंत रूप में विविध प्रदेशों का शासन करते थे। दिल्ली के सुलतानों की शक्ति उनकी सेना पर निर्भर थी। जिसके हाथ में सेना रहती, उसी के हाथ में राज्य रहता था। दिल्ली के सुलतान के अधीन विविध सेनापति विविध प्रदेशों का शासन करने के लिये नियुक्त थे। इनके पास सेना इस लिये रखी जाती थी, कि अपने प्रदेशों में ये व्यवस्था और शांति कायम रखें, और नये प्रदेशों को जीतकर दिल्ली की सल्तनत के अधीन करें। पर इन्हें जब भी अवसर मिलता, वे अपने को स्वतंत्र राजा उद्घोषित करने में जरा सी संकोच न करते। अपनी सेना की सहायता से ये समय-समय पर विद्रोह करते रहते और दिल्ली के सुलतानों को सदा इस प्रयत्न में लगे रहना पड़ता, कि इन्हें जीतकर अपने काबू में रखें। प्रांतों के शासक इन सेनापतियों के अधीन भी बहुत से सरदार व सेनापति रहते थे, और वे भी विद्रोह करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने व अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह करने में तत्पर रहते थे। लखनौती के खिलजी सरदार नाम की वो दिल्ली के सुलतान के अधीन थे, पर वस्तुतः उनकी स्थिति स्वतंत्र महाराजाओं के समान थी। इन्होंने अपने साइस और सेना के आधार पर, अपनी मूर्क के अनुसार ही पूर्वी भारत में एक नये राज्य की स्थापना की थी, और यही कारण है कि उस पर उनका शासन स्वतंत्र महाराजाओं के सदृश था।

१२०४ ई० में मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की मृत्यु हुई। इसके बाद लखनौती के विविध खिलजी सरदार (अमीर) आपस में लड़ने लगे। इस स्थिति से लाभ उठाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लखनौती पर हमला किया, और खिलजी सरदारों को मुद्र में परास्त कर मगध और गौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। खिलजी सरदारों ने विद्रोह होकर दिल्ली के सुल-

दान की अधीनता स्वीकार की। पर १२१० ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लखनौती में फिर विद्रोह हुआ। खिलजी सरदारों ने परस्पर मिलकर गयासुद्दीन उबयन को अपना नेता चुना, और एक बार फिर लखनौती में स्वतंत्र खिलजी शासन की स्थापना की। गयासुद्दीन बड़ा प्रतापी और महत्त्वाकांक्षी था। उसने न केवल मगध और गौड़ पर इबरा के साथ शासन किया, अपितु उड़ीसा, पूर्वी बंगाल और तिरहुत के स्वतंत्र पुराने राजवंशों पर भी अनेक आक्रमण किये। कुछ समय के लिये संपूर्ण पूर्वी भारत को अपनी अधीनता में लाने में उसे सफलता हुई।

दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद अल्तमश (१२१० से १२३६ ई० तक) सुलतान बना। उसने उत्तरी भारत में दिल्ली की सल्तनत को कायम करने के लिये बड़ा उद्योग किया। १२२५ ई० में उसने लखनौती पर भी हमला किया और वहाँ के खिलजी सुलतान गयासुद्दीन को अपनी अधीनता स्वीकृत करने के लिये विवश किया। पर अल्तमश के दिल्ली लौटते ही गयासुद्दीन ने फिर विद्रोह किया, और एक बार फिर अपने को स्वतंत्र सुलतान उद्घोषित कर दिया। अगले साल १२२६ ई० में अल्तमश ने बड़ी तैयारी के साथ लखनौती पर हमला किया। गयासुद्दीन लड़ाई में मारा गया और अल्तमश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को लखनौती का प्रांतीय शासक नियुक्त किया। पर वहाँ के खिलजी सरदार सुगमता के साथ काबू में नहीं आये। उन्होंने बाद में भी अनेक बार दिल्ली की सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह किये। पर अल्तमश संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना सुहृद् और अधाधिव शासन स्थापित करने के लिये कटिबद्ध था। उसने बार-बार लखनौती पर बर्दाई की, और अंत में अपने उद्देश्य में सफल हुआ। उसके निरंतर

आक्रमणों से खिलजी सरदारों की शक्ति टूट गई। १२२८ से १२८८ ई० तक ६० वर्ष निरंतर लखनौती दिल्ली के शक्तिशाली सुलतानों के अधीन रहा। वहीं नियुक्त प्रांतीय शासक बिहार और बंगाल के प्रदेशों पर निरंतर शासन करते रहे। पूर्वी भारत में अभी तक अनेक प्राचीन राजवंश स्वतंत्रता के साथ राज्य करते थे। लखनौती के इन प्रांतीय शासकों ने उनके साथ बुद्धों को ज़ारी रखा, और धीरे-धीरे सेन, कर्णोड आदि अनेक राजवंशों का अंत कर अपनी सल्तनत का विस्तार किया।

इन साठ वर्षों में दिल्ली की राजगद्दी पर अलतमश के बाद सुलतान रजिया बेगम (१२३६ से १२४० तक), और बलबन (१२४० से १२८७ तक) ने राज्य किया। बलबन के शासनकाल के अंतिम भाग में उसका बड़ा लड़का नासिरुद्दीन तुग़ड़ा लखनौती का शासक था। पिता की मृत्यु के बाद वह लखनौती में स्वतंत्र हो गया।

(२) तुग़लकों का शासन

बलबन की मृत्यु के बाद जब नासिरुद्दीन तुग़ड़ा लखनौती में स्वतंत्र हो गया, तो दिल्ली के राजमिह्रासन पर कैकुबाद आरुढ़ हुआ। यह बलबन का पोता था। वह बड़ा लंपट और स्वेच्छाचारी था। उसे अभी शासन करते हुए चार वर्ष ही हुए थे, उसके अत्याचारों या ज्यादतियों से तंग आ कर उसके एक शक्तिशाली सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कैकुबाद को क़त्ल करके दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लिया।

पर लखनौती में बलबन के वंशज स्वतंत्रतापूर्वक राज्य करते रहे। नासिरुद्दीन (१२८७ से १२९१ ई० तक) के बाद उसके दो लड़कों ने १३२२ ईस्वी तक वहाँ का शासन किया। ये दोनों

लड़के भी अपने पिता के समान ही प्रतापी थे। इनमें से कैकोस ने १२६१ से १३०० तक और फिर राम्मुहीन ने १३०० से १३२२ तक राज्य किया। इनके राज्य में संपूर्ण बंगाल शामिल हो गया था। उन्होंने पूर्वी भारत के बचे-बुचे प्राचीन राजवंशों के साथ युद्ध जारी रखे, और धीरे-धीरे बिहार व बंगाल पर अपना सुदृढ़ शासन स्थापित कर लिया। इस समय दिल्ली के अफगान सुलतान विविध सेनापतियों से लड़ने और राजपूत राजाओं तथा दक्षिणी भारत के विविध स्वतंत्र राज्यों के साथ युद्ध में व्याप्त थे। उन्होंने लखनौती के इस स्वतंत्र मुसलिम राज्य को जीव कर अपने अधीन करने के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किया।

राम्मुहीन के चार लड़के थे। लखनौती की राजगद्दी पर किसका अधिकार हो, इसके लिये उनमें भ्रातृ युद्ध का प्रारंभ हुआ। आखिर, दो भाइयों ने अपनी सहायता के लिये दिल्ली के सुलतान से सहायता की याचना की। इस समय तक, दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी वंश का अंत हो चुका था, और सेना की सहायता से गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के राजसिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया था। सुलतान गयासुद्दीन तुगलक ने लखनौती के राज्य में हस्तक्षेप करने के इस सुवर्णाय अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने एक बड़ी सेना लेकर, लखनौती के भ्रातृ युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिये, पूर्व की ओर प्रस्थान किया। इस विजययात्रा में उसने न केवल लखनौती पर अपना अधिकार कर लिया, अपितु सारे बिहार और बंगाल को जीव कर दिल्ली को सर्वनत के अधीन कर दिया। गंगा के उत्तर में तिरहुत के प्रदेश पर अब तक भी प्राचीन कर्णाट वंश का शासन था, जिसके राजा मिथिला की राजधानी बनाकर स्वतंत्र रूप से शासन करते थे।

गयामुहीन तुगलक ने मिथिला पर भी हमला किया, और वहाँ के राजा हरिसिंह देव को परास्त कर अपने अधीन किया।

सन् १३२५ ईस्वी में गयामुहीन की मृत्यु हुई। उसके बाद मुहम्मद तुगलक दिल्ली की राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ। मुहम्मद बहुत ही शिक्षित, विद्वान तथा सुयोग्य व्यक्ति था। अपने समय के तुर्क व अफगान सुलतानों में उसमें अधिक योग्य और विद्वान अन्य कोई सुलतान नहीं हुआ। उसकी स्मरस्तुति अद्भुत थी। उस युग में जो भी विचार्यें थीं, मुहम्मद तुगलक उनमें पारंगत था। वह गणित, ज्योतिष, दर्शन, विज्ञान, कविता आदि सब विषयों का पंडित था। कविता व साहित्य का उसे बड़ा शौक था। स्वयं कठोर मुसलमान होते हुए भी उसमें धर्मा-धता नहीं थी। शासनकार्य में वह धर्माचार्यों को अपना पर-प्रवर्शक नहीं मानता था। उसके दरबार में बहुत से विद्वान तथा साहित्यसेवी निवास करते थे। जहाँ मुहम्मद तुगलक में इतने सुख थे, वहाँ दोषों को भी उसमें कमी नहीं थी। शासन में वह बहुत कठोर था। अनेक बार उसकी कठोरता, क्रूरता और अत्याचार के रूप में परिणत हो जाती थी। उसमें क्रिया-स्मकता का बहुत अभाव था। उसने अनेक ऐसी योजनाएँ बनाईं, जिन्होंने लाभ की अपेक्षानुष्ठान अधिक किया। वह क्रोधी भी बहुत था। अनेक बार गुस्से में आकर वह अपने आप को भूल जाता था, और लोगों के साथ बड़ा कठोर व्यवहार करता था। इसी का यह परिणाम हुआ, कि उसके शासन-काल में दिल्ली की सुविशाल सल्तनत क्षिप्त-भिन्न होनी शुरू हो गई। साम्राज्य के अनेक भागों में बिद्रोह हुए और विभिन्न प्रांतीय शासक व सेनापति अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने लग गये।

सन् १३३६ में बिहार बंगाल में फिर बिद्रोह हुआ। इसका

नेता शम्सुद्दीन इलियास नाम का एक कुशल सेनापति था। उसने लखनौती पर अपना कब्जा कर लिया, और काशी से पूर्व के सारे पूर्वी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मुहम्मद तुगलक इस विद्रोह को शांत करने में सर्वथा असमर्थ था।

सन् १३५१ में मुहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई और उसका चचेरा भाई फीरोजशाह तुगलक दिल्ली का सुलतान बना। सन् १३५४ में उसने बिहार बंगाल के प्रदेशों को फिर से अपने अधीन करने के लिये एक बड़ी सेना को साथ ले चढ़ाई की। गंगा के उत्तर में गोरखपुर और तिरहुत के रास्ते वह आगे बढ़ा, और शम्सुद्दीन इलियास पर आक्रमण किया। कई सालों तक दोनों पक्षों में लड़ाई जारी रही। शम्सुद्दीन को परास्त करने में फीरोजशाह सफल नहीं हो सका। तिरहुत और बिहार के प्रदेशों को उसने जीत लिया, पर बंगाल पर शम्सुद्दीन का स्वतंत्र शासन कायम रहा। इस समय बिहार का प्रदेश दिल्ली को सल्तनत के अंतर्गत हो गया। पूर्वी भारत पर आक्रमण करते समय फीरोजशाह तुगलक ने एक नई नगरी की स्थापना की, जिसका नाम जौनपुर है। यह नगर उसने अपने भाई जूना (मुहम्मद तुगलक) के नाम पर बसाया था। वहाँ सल्तनत के पूर्वी प्रदेशों का शासन करने के लिये एक प्रबन्धकारी शासक की नियुक्ति की गई, जिसे मलिक उम्-शर्क (प्राच्यदेश का शासक) की उपाधि दी गई। तिरहुत और बिहार के प्रदेश इस मलिक उम्-शर्क के शासन में शामिल कर दिये गये।

(३) वहाँ सुलतानों का शासन

सन् १३६८ में फीरोजशाह तुगलक की मृत्यु हुई। उसके

बाद दिल्ली की सल्तनत की शक्ति चीस हो गई। विविध प्रांतीय शासकों, सेनापतियों व अधीनस्थ राजाओं ने विद्रोह प्रारंभ कर दिये। राजपूताना के जिन विविध राजाओं को अलाउद्दीन खिलजी जैसे प्रतापी सुल्तानों ने अपने अधीन किया था, वे सब अब स्वतंत्र हो गये, और गुजरात, मालवा, दक्षिणी भारत आदि सल्तनत के सब दूरवर्ती प्रदेशों में विविध अफगान सेनापतियों ने अपने नये स्वतंत्र राज्य स्थापित किये। इसी समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। वह एक बड़ा विजेता और साम्राज्यनिर्माता था। उसने मध्य एशिया में अपने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत की राजशक्ति की अस्त-व्यस्त दशा को देख कर उसने यहाँ भी आक्रमण किया। मुलतान, दीपालपुर आदि के दुर्गों को जीतता हुआ वह दिल्ली तक आ पहुँचा। रास्ते में उसने लोगों पर भयंकर अत्याचार किये। उसके हमलों से सैकड़ों गाँव और नगर नष्ट हुए। लाखों आदमी कत्ल हुए और लाखों कैद कर लिये गये। इस समय दिल्ली में फ़ीरोजशाह का उत्तराधिकारी महमूद तुगलक राज्य करता था। उसने सेना एकत्र कर दिल्ली के बाहर तैमूर का मुकाबला किया। पर उसे परास्त कर सकना सुगम बात न थी। महमूद हार गया और तैमूर ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली आकर तैमूर ने खूब लूट मार मचाई। पाँच दिन तक निरंतर दिल्ली की लूट जारी रही। दिल्ली में जो कुछ भी कीमती सामान दिखाई दिया, सब को लूट कर तैमूर अपनी राजधानी समरकंद को वापस लौट गया। तैमूर के इस आक्रमण से दिल्ली की सल्तनत अड़ से हिल गई। वहाँ के तुर्क-अफगान शासकों में जो थोड़ी बहुत शक्ति शेष थी, वह भी नष्ट हो गई। तैमूर ने भारत में स्थिर रूप से शासन करने का प्रयत्न नहीं किया। वह आधी

के समान आया और आंध्रों को ही तरह दिल्ली को सल्तनत को नष्ट कर अपने देश को लौट गया।

तेमूर के इस आक्रमण के कारण दिल्ली की सल्तनत आगरा, दिल्ली और उनके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित रह गई। शेष सारे भारत में पुराने भारतीय राजवंश व अफगान सरदार स्वतंत्ररूप से शासन करने लगे। जौनपुर में तिन प्रांतीय शासकों को इसलिये नियत किया गया था, कि वे दिल्ली की सल्तनत के प्रतिनिधिरूप में पूर्व के प्रदेशों पर शासन करें, वे भी अब स्वतंत्र हो गये। सन् १३६६ में जौनपुर में एक नये अफगान राजवंश का प्रारंभ हुआ, जो पूर्व में राज्य करने के कारण शर्की सुलतान कहलाते थे। इनका शासन कन्नौज से बंगाल की सीमा तक विस्तृत था। मगध (बिहार) भी इनके अधीन था।

सन् १३६६ से १४६४ तक लगभग सौ वर्ष तक मगध जौनपुर के शर्की सुलतानों के अधीन रहा। जौनपुर के ये सुलतान बड़े समृद्ध तथा शक्तिशाली थे। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध सुलतान इब्राहीमशाह हुआ है। वह कला और साहित्य का बड़ा प्रेमी था। उसके समय में जौनपुर मुसलिम शिक्षा का बड़ा भारी केंद्र बन गया। इब्राहीमशाह ने बहुत सी इमारतें जौनपुर में बनवाईं, जो अपने समय की सबसे बढ़िया इमारतों में गिनी जाती हैं, और अफगान काल की कला की सर्वोत्तम उदाहरण हैं।

उपर दिल्ली में महमूद तुगलक के बाद सैयद वंश (१४१४ से १४५१ ई० तक) और लोदीवंश (१४५१ से १५२६ ई० तक) ने शासन किया। सैयद वंश के सुलतान बड़े निर्बल थे। दिल्ली को पुरानी सल्तनत के पुनरुद्धार का कोई प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। इस काल में दिल्ली के सुलतानों को अपने

जौनपुर के शर्की सुलतान ही उत्तरी भारत में अधिक शक्तिशाली व समृद्ध थे। पर लोदी वंश में बहलोल खाँ लोदी (१४२१ से १४८६ ई० तक) बहुत महत्वाकांक्षी सुलतान हुआ। उसने एक बार फिर दिल्ली की सल्तनत के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया। जौनपुर के शर्की सुलतानों से उसने अनेक युद्ध किये। शर्की सुलतान हुसैनशाह ने १४६६ में ग्वालियर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और बहलोल लोदी को परास्त कर दिल्ली पर भी अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत, बहलोल लोदी ने ही कई युद्धों में हुसैनशाह को पराजित कर अंत में १४७६ ई० में जौनपुर पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब शर्की सुलतानों का राज्य केवल मगध (बिहार) में ही सीमित रह गया। बहलोल खाँ के बाद उसके उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी ने भी शर्की सुलतानों के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। उसने १४६४ ई० में हुसैनशाह शर्की से बिहार भी जीत लिया। इमाद्दीन लोदी ने बिहार से आगे बढ़कर बंगाल पर भी आक्रमण किया। पर बंगाल विजय के अपने प्रयत्न में वह सफल नहीं हो सका। पर शर्की सुलतानों की शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने में उसे पूर्ण सफलता मिली, और मगध पर एक बार फिर दिल्ली के सुलतानों का आधिपत्य स्थापित हो गया। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इमाद्दीन लोदी था। वह कुशल और योग्य शासक नहीं था। उसके दुर्बल्यवहार और दुरभिमान के कारण विविध अकाल सैन्यापतियों व प्रांतीय शासकों ने फिर विद्रोह का नंडा खड़ा किया। बिहार का शासन करने के लिये इस समय दरिया खाँ लोहानी दिल्ली की सल्तनत की तरफ से नियुक्त था। १४२१ ई० में उसने विद्रोह कर दिया और अपने को

स्वतंत्र मुलतान स्वीकृत कर दिया। इब्राहीम लोदी ने इसे काबू करने के कई प्रयत्न किये, पर उसे सफलता नहीं मिली। बिहार में अब पहले दरिया खाँ ने, और बाद में उसके पुत्र बहादुर खाँ लोहानी ने स्वतंत्र रूप में शासन किया।

जिस समय इब्राहीम लोदी बिहार के अफगान सरदारों को काबू करने के लिये प्रयत्न में लगा था, उसी भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेश पर एक नई शक्ति प्रगट हो रही थी। यह शक्ति मुगल आक्रांताओं की थी। इनका नेता बाबर था, जो फरगाना राज्य का स्वामी था। उसने हिंदूकुश पर्वतमाला को पार कर भारत की ओर प्रस्थान किया। उन दिनों पंजाब का सूबेदार दौलत खाँ था, यह अपने मुलतान इब्राहीम लोदी से सख्त नाराज था। उसने बाबर की सहायता की। पानीपत के रणक्षेत्र में बाबर और इब्राहीम लोदी की सेनाओं में युद्ध हुआ। दिल्ली के अफगानों की शक्ति इस समय बहुत कुछ क्षीण हो चुकी थी। लड़ाई में इब्राहीम हार गया और १५२५ ई० में बिजेता के रूप में बाबर ने दिल्ली में प्रवेश किया।

इब्राहीम लोदी की मृत्यु के समाचार से बंगाल (बिहार) के शासक बहादुर खाँ लोहानी को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने अपना नाम परिवर्तित कर महमूद खाँ रख लिया, और सारे उत्तरी भारत में अपनी सत्तन्त्र कायम करने का स्वप्न देखने लगा। बहुत से अफगान सरदार उसके नेतृत्व में एकत्रित हो गये, और अब वह उत्तरी भारत की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया। पर महमूद खाँ (बहादुर खाँ) की यह स्थिति देर तक कायम नहीं रह सकी। दिल्ली के मुलतान इब्राहीम लोदी का उत्तराधिकारी महमूद लोदी था। बाबर के दिल्ली जीत लेने के बाद वह मेवाड़ के अतापी और स्वाभिमानों का

साँगा के साथ जा मिलता था। साँगा के नेतृत्व में राजपूतानों के विविध राजाओं ने जिस प्रकार बाबर का मुकाबला किया, इसका उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अंत में साँगा को पराजय हुई, और महमूद लोदी पूर्व में बिहार की तरफ चला गया। वहाँ के अनेक शक्तिशाली अफगान सरदारों ने उसका नेतृत्व स्वीकार किया, और उनकी सहायता से महमूद लोदी ने बहार खाँ को परास्त कर बिहार पर अपना अधिकार कायम कर लिया। बिहार को अपना केंद्र बना कर महमूद लोदी ने बाबर का मुकाबला करने के लिये पश्चिम की तरफ कूच किया। पर बाबर को परास्त कर सकना उसकी ताकत से बाहर की बात थी। बाबर का मुकाबला वह नहीं कर सका, और इस मुगल विजेता ने बिहार को विजय कर जलाल खाँ लोहानी को अपनी तरफ से वहाँ का शासन करने के लिये नियत किया। इस प्रकार बिहार का प्रदेश दिल्ली की मुगल बादशाहत के अधीन हो गया।

(४) शेरशाँ का अभ्युदय

पश्चिम में आमू नदी से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मालवा तक विस्तृत सुविराज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना कर चुकने पर १५३० ई० में बादशाह बाबर की मृत्यु हुई। निस्संदेह, बाबर एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था। उसके बाद हुमायूँ दिल्ली का बादशाह बना। नये स्थापित हुए साम्राज्य पर दृढ़ता से शासन कर सकना सुगम बात नहीं थी। राजपूत राजा लड़ाई में अनेक बार परास्त होकर भी आधु में नहीं आते थे। मौका पाते ही वे पुनः स्वतंत्र हो जाते थे। अब बाबर की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राणा ने फिर बल पकड़ा। उधर अफगान सरदार भी इस बात

को भूले न थे, कि कुछ साल पहले तक भारत में उन्हीं का शासन था। वे हुमायूँ के विरुद्ध विद्रोह करके फिर से अपनी सत्ता कायम करने के मौके की प्रतीक्षा में थे। हुमायूँ के विरुद्ध सबसे पहले बिहार में शेरशाह नामक अफगान सरदार ने विद्रोह किया। वह न केवल बिहार में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ, अपितु मुगल बादशाह को परास्त कर भारत से बाहर निकाल देने और दिल्ली में एक बार फिर अफगान सल्तनत को कायम कर देने में उसे अपूर्व सफलता हुई। पूर्वी भारत के शर्का और लोहानी अफगान सरदारों ने जिध्र राजनीतिक और सैनिक शक्ति का प्रादुर्भाव किया था, शेरशाह ने उसका कुशलता से उपयोग किया, और कुछ समय के लिये फिर से अफगान साम्राज्य का पुनरुद्धार कर दिया।

शेरशाह का पिता हसनशाह सूर बिहार प्रांत का एक जागीरदार था। उसकी जागीर में शाहाबाद जिले के सहसराम, बरौंग और विलौधू जाने सम्मिलित थे। सामंतपद्धति या जागीरदारी प्रथा के उस युग में जागीरदार अपनी जागीर का एक प्रकार का स्वतंत्र राजा सा होता था। वह अपनी प्रजा के साथ मनमाना व्यवहार करता था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद या फरीदुद्दीन था। जब अपने पिता की जागीर का प्रबंध उसने अपने हाथ में लिया, तो इस बात की भली-भाँति व्यवस्था की, कि कोई सैनिक, पटवारी, मुकदम या अन्य राजकर्मचारी रैथव पर अत्याचार न कर सके। अपनी जागीर का उसने बहुत उत्तम प्रबंध किया। उसकी जागीर के अंतर्गत अपने क छोटे-बड़े जमींदार थे। वे लोग प्राचीन पुराने खमाने के राजकुलों के व्यक्ति थे, जिन्हें पुराने राजाओं ने राजकर को बसूल करने व स्थानीय व्यवस्था के लिये नियुक्त किया था। पिछले समय की राजनीतिक अव्यवस्था से लाभ उठा कर वे

सब अपने-अपने इलाके के मालिक और जमींदार बन बैठे थे, और मौका पाते ही विद्रोह व अपनी स्वतंत्रता के लिये तैयार रहते थे। तलवार के बिना इनसे न कर लिया जा सकता था, और न इन्हें कानून में रखा जा सकता था। केवल फरीद की जागीर में ही नहीं, अपितु सर्वत्र वही वशा थी। पर शेरशाह (फरीद) ने इनको वशा में लाने के लिये अपनी अलग सेना को संगठित किया। अनेक अफगान सैनिक खाने का खर्च, वेतन तथा इनाम का प्रलोभन पाकर इस सेना में सम्मिलित हुए। प्रजा के बहुत से ऐसे युवक भी, जिनके पास खेती आदि का अन्य धंधा नहीं था, वेतन के लालच से इस सेना में शामिल हुए, और फरीद ने अपनी जागीर के छोटे-बड़े जमींदारों से बाकायदा लड़कर उन्हें अपना वशावर्ती बनाया। जमींदारों पर कानून पाकर फरीद ने अपनी जागीर को ऐसी उत्तम व्यवस्था की, कि वह अपने समय की एक आदर्श जागीर बन गई। प्रत्येक खेत की बाकायदा नपाई होती थी, उससे कितनी मालगुजारी ली जाय, इसका निर्णय फसल के अनुसार किया जाता था। मालगुजारी वसूल करने के लिये सर्वत्र कमचारी नियत थे, जिन्हें नियमपूर्वक निश्चित वेतन मिलता था। फरीद को अपनी जागीर के किसानों के साथ सीधा संबंध था। सामंतपद्धति के दोषों को नष्ट कर फरीद ने अपनी जागीर को एक छोटे से आदर्श राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। वह शासन और न्याय के संबंध में बड़ी कठोर नीति का अनुसरण करता था। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए यह बहुत आवश्यक था। इन सब बातों से उसकी जागीर की खूब समृद्धि हुई, सब किसान और सैनिकों ने संतोष अनुभव किया। धीरे-धीरे फरीद की प्रसिद्धि सारे बिहार में फैल गई। शेर के साथ बाकायदा लड़ाई कर उसे मारने के कारण वह शेरशाह

नाम से प्रसिद्ध हुआ, और अब हम इसी नाम से उसका सम्बोधन करेंगे।

हम ऊपर लिख चुके हैं, कि महमूद लोदी को परास्त कर बाघर ने जलालखां लोहानी को बिहार का शासक नियत किया था। वह शेरशाह के गुर्गों और योग्यता से मलीभोक्ति परिचित था। उसने शेरशाह को अपना मंत्री व सेनापति नियत किया और इसी की सलाह के अनुसार वह बिहार का शासन करने लगा।

इसी बीच में बाघर बीमार पड़ा, १३० ई० में उसकी मृत्यु हो गई। अफगान सरदारों ने विद्रोह करके अपनी शक्ति को बढ़ाने के इस सुवर्णोपसर को हाथ से नहीं जाने दिया। मुगल साम्राज्य से असंतुष्ट अफगान सरदार इस समय बिहार को अपना अह्दा बना रहे थे। वे अनुभव करते थे, कि शेरशाह के रूप में उन्हें एक ऐसा सुयोग्य नेता मिल गया है, जो फिर से अफगान सल्तनत का पुनरुद्धार कर सकता है। शेरशाह की भी महत्वाकांक्षा अब जाग चुकी थी। उसके नेतृत्व में बिहार में अफगानों ने विद्रोह कर दिया, और परिषद की सरफ बढ़कर चुनार के किले पर अपना दखल कर लिया। यह समाचार सुनकर दिल्ली के बादशाह हुमायूँ ने एक बड़ी सेना को साथ ले १५३१ ई० में अफगान विद्रोह को शांत करने के लिये पूर्ण की तरफ प्रस्थान किया। चार महीने तक शेरशाह ने चुनार के किले में डट कर हुमायूँ का मुकामबिला किया, पर अंत में विचरता होकर उसने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकृत कर ली।

शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव से अनेक अफगान जागीरदार बहुत चिंतित थे। वे नहीं चाहते थे, कि अपनी जागीरों के मनमाने शासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। पर शेरशाह ने अपनी जागीर में जिस प्रकार विविध जमींदारों को काबू किया था, उसी प्रकार वह बिहार के अनेक जागीरदारों

व जमींदारों को भी काबू में लाने के लिये प्रचलनशील था। अक़गान सरदार इस बात से बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने जलालखाँ लोहानी को शेरखाँ के विरुद्ध भड़काया और निर्धन जलालखाँ ने अपने शक्तिशाली मंत्री शेरखाँ से छुटकारा पाने के लिये बंगाल के अक़गान सुलतान महमूदशाह की शरण ली। पर शेरखाँ इस बात से जरा भी चिन्तित नहीं हुआ। उसने अक़गान जागीरदारों और बंगाल की सेना का बीरता के साथ सामना किया, और १५३४ में संपूर्ण मगध (बिहार) पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यद्यपि नाम को वह अब भी हुमायूँ की अधीनता स्वीकार करता था, पर वस्तुतः उसकी स्थिति एक स्वतंत्र सुलतान के समान थी।

इन दिनों मुग़ल बादशाह हुमायूँ गुजरात के अक़गान सुलतान बहादुरशाह के साथ युद्ध करने में व्यस्त था। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर पूर्वी भारत में शेरखाँ ने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। धीरे-धीरे उसने बंगाल के सुलतान महमूदशाह से प्राचीन अंग और गौड़ देशों को जीत लिया, और उसके राज्य की सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। चुनार से षट्गॉव तक विस्तृत प्रदेश उसकी अधीनता में आ गया।

शेरखाँ की इस बढ़ती हुई शक्ति के समाचार से हुमायूँ बहुत चिन्तित हुआ। उसने एक शक्तिशाली सेना को साथ ले शेरखाँ को परास्त करने के नदंश्य से पूर्व की तरफ़ प्रस्थान किया। शेरखाँ हुमायूँ की शक्ति से भलीभाँति परिचित था। वह जानता था, कि सन्मुख युद्ध में हुमायूँ को परास्त कर सकना संभव नहीं है। अतः उसने कूटनीति का आश्रय लिया। वह लगातार पीछे हटता गया। पूर्व का रास्ता खुला पड़ा था, कोई रुकावट नहीं। हुमायूँ निरंतर आगे बढ़ता गया। उसे

अपनी सफलता की अपूर्व प्रसन्नता थी। यह आगे बढ़ता-बढ़ता पूर्वी बंगाल तक पहुँच गया। इतने में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। बंगाल में वर्षा ऋतु बड़ी भयंकर होती है। सारी वृष्टिहीन जलमय हो जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये नौका का आश्रय लेना पड़ता है। बरसात की अधिकता से बीमारी भी खूब फैलती है। हुमायूँ की मुगल सेना बंगाल की बरसात में फँस गई। मुगल सिपाही, जो सुशी के आदी थे, बंगाल की बरसात से तंग आ गये। ऐसी दशा में शेरशाह ने, जो अब तक अपने पुत्रे हुए सैनिकों के साथ मारबंद के जंगलमय प्रदेश में छिपा था, हुमायूँ पर आक्रमण करने प्रारंभ किये। उसने दिल्ली लौटने के सब रास्ते पर कब्जा कर लिया। दिल्ली से भी सहायता की आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वहाँ हुमायूँ के छोटे भाई हिदाल ने अपने को स्वतंत्र बादशाह उद्घोषित कर दिया था। हुमायूँ बड़ी मुसीबत में पड़ा। उसने आपस लौटने का निश्चय किया, पर शेरशाह की सेनाओं उस पर निरंतर हमले कर रही थीं। बड़ी मुश्किल ने वह अपने प्राण बचा कर आपस लौटा। उसकी प्रायः सारी सेना नष्ट हो गई।

आगरा लौट कर हुमायूँ ने एक बार फिर शेरशाह को परास्त करने के लिये तैयारी की। कन्नौज के समीप उनका आपस में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूँ की पूरी तरह पराजय हुई। यह युद्ध १५५० ई० में लड़ा गया था। इसके बाद हुमायूँ के लिये भारत में रहना कठिन हो गया। भारत का साम्राज्य उसके हाथ से निकल गया, और उस पर शेरशाह का अधिकार हो गया।

कन्नौज से भाग कर हुमायूँ आगरा होता हुआ लाहौर पहुँचा। पंजाब उस समय हुमायूँ के अन्यतम भाई कामरान के अधीन था। पर उसने शेरशाह के दर से हुमायूँ को आश्रय

देने से इन्कार कर दिया। निराश होकर हुमायूँ सिंध की ओर चला गया, और वहाँ अमरकोट नामक स्थान पर उसे एक पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, जो आगे चल भारत में मुगल बादशाह की पुनः स्थापना में समर्थ हुआ। इस बालक का नाम अकबर रखा गया।

हुमायूँ को परास्त कर शेरशाह ने भारत में अकाल साम्राज्य का पुनरुद्धार किया। वह स्वयं शेरशाह के नाम से दिल्ली के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसके प्रवृत्त से कुछ समय के लिये भारत से मुगलों का राज्य उठ गया। शेरशाह बड़ा शक्तिशाली सुलतान हुआ है। उसने पंजाब, सिंध और मालवा पर विजय प्राप्त की। राजपूत राजाओं के साथ भी उसके बहुत से युद्ध हुए। राजपूताना में राणा सांगा के बाद मारवाड़ का राज मालदेव बहुत प्रबल हो गया था। सिंध और मालवा को जीतने के बाद शेरशाह ने मालदेव पर चढ़ाई की। इस युद्ध में शेरशाह को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। पर अंत में वह न केवल मारवाड़, अपितु मेवाड़ को भी जीत कर वहाँ के राजाओं से अधीनता स्वीकार कराने में समर्थ हुआ। इसमें संदेह नहीं, कि उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रदेशों पर शेरशाह ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसके प्रवृत्तों से अकाल सल्तनत ने एक बार फिर अपनी पुरानी शान और शक्ति को प्राप्त कर लिया था।

शेरशाह न केवल सुयोग्य योद्धा और सेनापति था, अपितु चतुर शासक और सुधारक भी था। दिल्ली का सुलतान बन कर उसने शासन में बहुत से सुधार किये। अकबर के समय में भारत में जो अनेक सुधार हुए, उनका सूत्रपात शेरशाह द्वारा किया गया था। साम्राज्य में व्यवस्था कायम रखने के लिए उसने पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई, और अनेक नई सड़कें

भी बनवाई। पेशावर से बंगाल तक जाने वाली बड़ी सड़क उसके समय में अच्छी दशा में विद्यमान थी। सड़कों के साथ-साथ शेरशाह ने बहुत सी सरायें बनवाईं, जिनमें राजकर्मचारियों व यात्रियों के आराम के लिये साज-सामान उपस्थित रहते थे। मालगुजारी बसूल करने के लिये भी शेरशाह ने बड़ा अच्छा प्रबंध किया। इस कार्य में उसका प्रधान सहायक राजा टोडरमल था, जो बाद में बादशाह अकबर का अर्थ सचिव बना। टोडरमल ने जमीनों का पैदाइश कर के उपज के अनुसार उनकी मालगुजारी नियत की। पैदावार का तीसरा हिस्सा मालगुजारी के रूप में लेने का व्यवस्था की गई। शेरशाह जिस प्रदेश को जीवता, छः महीने के अंदर-अंदर वहाँ जमीन का पैमाइश और मालगुजारी के बंदोबस्त की व्यवस्था कर दी जाती थी। जागीरदार, सेनापति, प्रांतीय शासक—सब पर उसका कठोर नियंत्रण था। इसी का परिणाम था, कि उसके विशाल साम्राज्य में सब जगह शांति और व्यवस्था थी।

शेरशाह के रूप में एक बार फिर प्राचीन मगध के एक छोटे से जागीरदार ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह ध्यान में रखना चाहिये, कि शेरशाह की सेना में केवल अफगान लोग ही नहीं थे, अपितु प्राचीन मगधवीरों के वंशज भी बहुत बड़ी संख्या में सैनिक रूप में सम्मिलित थे।

१५४५ ई० में इस अनुपम वीर, साम्राज्य-निर्माता शेरशाह मूर की मृत्यु हुई।

(५) पटना के रूप में पाटलीपुत्र का पुनरुद्धार

पटना के रूप में पाटलीपुत्र के पुनरुद्धार का श्रेय भी शेरशाह को है। इस युग के एक मुनक्तिम ऐतिहासिक ने लिखा है—“१५४१ ई० में बंगाल से लौटकर शेरशाह पटना आया।

उस समय यह एक छोटा सा नगर था, जो बिहार के अंतरगत था। उस समय बिहार इस प्रदेश की राजधानी था। शेरशाह गंगा के किनारे पर खड़ा था। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने अपने पार्ष्वचरों से कहा—“यदि इस स्थान पर एक दुर्ग का निर्माण किया जाय, तो गंगा का प्रवाह उससे कभी दूर नहीं हो पायगा। एक दिन पटना देश के प्रमुख नगरों में से एक हो जायगा।” यह विचार करके उसने सुयोग्य मित्रियों और स्वपितृव्यों को यह आज्ञा दी, कि वे हिसाब लगाकर यह बतायें, कि इस स्थान पर एक किला बनाने में कितना खर्च बैठेगा। इन अनुभवी शिल्पियों ने हिसाब लगाकर बताया, कि किला बनाने में पाँच लाख रुपया खर्च बैठेगा। उसी समय विश्वस्त लोगों के हाथ यह काम सुपुर्न कर दिया गया। शीघ्र ही किला बनकर तैयार हो गया, और यह समझा गया कि वह असाधारण रूप से मजबूत बना है। इस समय से बिहार का अर्थकर्म प्रारंभ हुआ। लोग वहाँ से उठ गये, वह उजड़ने लगा और उसकी जगह पर पटना उस प्रदेश का सबसे बड़ा नगर हो गया।” इस पुराने ऐतिहासिक उदाहरण से स्पष्ट है, कि शेरशाह ने पाटलीपुत्र का पुनरुद्धार किया। पालवंशी राजाओं के शासनकाल में पाटलीपुत्र की अपेक्षा उदयपुर (वर्तमान बिहार शरीफ) का महत्व बढ़ गया था। वहाँ के प्रसिद्ध महाविहार के कारण वह नगर भी बिहार कहलाता था। बाद में वह सारा प्रदेश भी इसी महाविहार के कारण बिहार कहाने लगा, और प्राचीन मगध के स्थान पर इसका नाम बिहार प्रचलित हो गया। अकबरो और मुगलों के शासनकाल में बिहार पुराने मगध को ही कहते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में एक विशाल सूबे को बिहार नाम दे दिया गया, जिसमें प्राचीन

मगध जनपद के अतिरिक्त अंग, वज्जि आदि कितने ही जनपद सम्मिलित हैं।

उदयपुर (बिहार) के उत्कर्ष के कारण पालवंश के शासन-काल में पाटलीपुत्र का गौरव बहुत कुछ कम हो गया था। मुक्त और अक्षयगणों के शासनकाल में भी इस प्रदेश की राजधानी बिहार ही रहा, और उसके अन्मुख पाटलीपुत्र की स्थिति हीन रही। इस समय तक, सर्वसाधारण की भाषा में पाटलीपुत्र का नाम पटना प्रचलित हो गया था। प्राचीन भारत में बड़े नगर को पत्तन कहते थे। भारत का प्रमुख नगर होने के कारण पाटलीपुत्र 'पत्तन' भी कहा जाता था। इसी को सर्वसाधारण लोग पटन या पटनः कहते थे।

पटना में गंगा के तट पर एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण शेर-शाह ने कराया। इससे वहाँ अनेक लोग आकर बसने लगे। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण पटना नदी के मार्ग से व्यापार का बड़ा उपयुक्त केंद्र था। संभवतः व्यापारिक दृष्टि से इस स्थान का महत्व कभी भी कम न हुआ था। उदयपुर (बिहार) के राजनीतिक और धार्मिक केंद्र बन जाने के समय में भी पटना (पाटलीपुत्र) का व्यापारिक महत्व जारी था। शेरशाह ने जब वहाँ नये दुर्ग का निर्माण कर उसे फिर से राजनीतिक और सैनिक केंद्र बनाया, तब से पटना की फिर दिन-दूनी रात-बौगुनी उन्नति हुई। इसीलिये जब १३मई में राल्फ फिच नामक यूरोपियन यात्री वहाँ गया तो उसने उसे एक अत्यंत समृद्ध तथा वैभवपूर्ण नगर पाया। राल्फ फिच ने लिखा है—“पटना एक बहुत लंबा और विराल नगर है। इसके मकान सारे हैं, जो मट्टी और फूस के बने हुए हैं, पर इसकी सड़कें बहुत चौड़ी हैं। इस नगर में कपास और कपड़े का व्यापार बहुत उन्नत है। खाद्य की भी

यहाँ बहुत विजारत होती है। यहाँ से व्यापारी लोग बंगाल में और भारत के अन्य प्रदेशों में माल ले जाते हैं। अफगान और अन्य माल का भी यहाँ व्यापार होता है।" १६२० ई० तक पोर्तुगीज व्यापारी भी पटना के व्यापारिक महस्ब से आकृष्ट हो कर वहाँ पहुँच गये थे, और उन्होंने अपनी कोठियाँ यहाँ कायम कर ली थीं। फ्रांसीसी यात्री ट्रुवनिसे के बिबरन से ज्ञात होता है, कि वह उत्तरी भारत के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कि "पटना बंगाल का सबसे बड़ा नगर है, और व्यापार के केंद्र रूप में सबसे अधिक प्रासङ्ग है।" ट्रुवनिसे की पटना में बहुत से आर्मीनियन व्यापारियों से भेंट हुई थी, जो यूरोप के प्रसिद्ध बंदरगाह ब्रांसिंग से व्यापार के लिये यहाँ आये हुए थे। भारत के विविध प्रदेशों के प्रसिद्ध व्यापारी तो यहाँ आते जाते रहते ही थे। यहाँ तिब्बत से बहुत बड़ी मात्रा में माल बिक्री के लिये आता था। ट्रुवनिसे ने स्वयं पटना से छत्तीस हजार रुपये की मुस्क खरीदी थी। तिब्बत और पटना के बीच में काफिले निरंतर आते जाते रहते थे।

शेरशाह के प्रयत्न से एक सर्दी के अंदर-अंदर ही पटना का विलुप्त गौरव फिर से कायम हो गया था, और वह भारत का एक प्रमुख नगर बन गया था।

(६) मुगलों का उत्कर्ष

१५४४ ई० में शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका लड़का आदिल खान सलीमशाह के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। उसने १५४४ ई० तक राज्य किया। उसके समय में शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य स्थिर रहा और सर्वत्र शांति और व्यवस्था कायम रही। सलीम शाह की मृत्यु के समय उसका

पुत्र कोरोख नाबालिग था। उसके एक चाचा ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर उसका पात करा दिया और स्वयं मुहम्मद आदिलशाह के नाम से सुलतान बन गया। इस घटना से सूर सल्तनत में खलबली मच गई और बिहार के अफगान शासकों ने विद्रोह कर दिया। इस समय बिहार (मगध) का शासक मुलेमान करानी था। उसे परास्त करने के लिये हेमचंद्र या हेमू नाम के एक सेनापति को भेजा गया। हेमू आदिलशाह का विरुद्ध बमहत्वाकांक्षी सेनापति था। जिस समय वह अपने सुलतान को तरफ से विद्रोही अफगान सरदारों के साथ युद्ध करने में व्यापृत था, उधर उत्तर-पश्चिमी सीमा को पार कर हुमायूँ फिर भारत पर आक्रमण कर रहा था।

शेरशाह द्वारा परास्त होकर हुमायूँ ने भारत से निकल कर ईरान के शाह के पास आश्रय लिया था। उसकी सहायता से पहले उसने काबुल पर इत्कल किया और फिर दिल्ली की सल्तनत की निर्बलता तथा आपसी झगड़ों से लाभ उठा कर पंजाब पर आक्रमण कर दिया। १५५५ ई० में उसने दिल्ली पर भी विजय प्राप्त कर ली। एक बार फिर दिल्ली-आगरा के प्रदेशों में मुगल शासन की स्थापना कर ज़ःमहोने बाद ही उसका मृत्यु हुआ। हुमायूँ का मृत्यु का समाचार पाते ही आदिलशाह सूर की तरफ से हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया। एक बार फिर मुगल सेनाएँ परास्त हुईं। दिल्ली-आगरा के प्रदेश पर हेमू का अधिकार हो गया। पर उसकी शक्ति-क्षेत्र तक कायम नहीं रही। पानीपत के प्रसिद्ध रणक्षेत्र में हुमायूँ के पुत्र अकबर ने हेमू की सेनाओं को बुरी तरह परास्त किया और इस युवक मुगल नेता के हाथ से ही हेमू की मृत्यु हुई।

अकबर ने किस प्रकार उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य

का विस्तार किया, इसे यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। मगध पर इस काल में सुलेमान करीनी का ही शासन रहा। मुगलों के आक्रमण की परिस्थितियों से लाभ उठा कर उसने अपनी शक्ति को और भी बढ़ा लिया था और गौड़ (पश्चिमी बंगाल) के भी अनेक प्रदेश उसके हाथ में आ गये थे। अकबर की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला करने का उसने प्रयत्न नहीं किया। वह चतुर और नीतिनिपुण शासक था। उसने यही उचित समझा कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और प्रतापी मुगल बादशाह के अधीन मगध-गौड़ के प्रदेश पर अपना शासन जारी रखे।

१६६२ ई० में सुलेमान करीनी की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका लड़का दाऊद मगध-गौड़ का सुल्तान बना। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। सुलेमान करीनी के समय में मृत्यु के अकबर का नाम पड़ा जाता था। दाऊद ने यह बंद करा दिया और अपने सेनापति लोदी खाँ को मुगल बादशाह के ऊपर आक्रमण करने के लिये भेजा। अकबर दाऊद खाँ की इस उद्वेगता को न सह सका। उसने राजा टोखरमल और मुनीम खाँ नामक सेनापतियों के साथ एक विशाल सेना को दाऊद खाँ को बरा में लाने के लिये भेजा। पटना के समीप दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। शेरशाह ने पटना में भिन्न मजबूत किले का निर्माण कराया था, वही इस समय दाऊद खाँ की शक्ति का प्रधान केंद्र था। पटना के किले से दाऊद खाँ ने मुगल सेनाओं का डट कर मुकाबला किया। आखिर, १५७४ ई० में स्वयं अकबर पटना आने के लिये विवश हुआ। इस काल के एक ऐतिहासिक के वर्णनों से सूचित होता है, कि पटना के किले के बाहर प्राचीन पाटलीपुत्र की अनेक विशाल इमारतों

के अक्षरोप अब तक भी विद्यमान थे। अकबर ने इन इमारतों पर बढ़कर पटना के किले का निरीक्षण किया। मुगल बादशाह की प्रबल सेनाओं के सामने दाऊद खाँ देर तक नहीं टहर सका। अपने मंत्री श्रीधर के साथ वह रात के समय चुपचाप किले से बाहर चला गया और पटना पर अकबर का कब्जा हो गया। धीरे-धीरे मुगलों ने सारे मगध को जीत लिया। १५७५ ई० तक संपूर्ण मगध विरहुत और गौड़ पर अकबर का आधिपत्य कायम हो गया।

अकबर ने विरहुत, मगध और अंग का एक प्रथक सूबा बनाया, जिसका नाम बिहार रखा गया। इस सूबे को सात सरकारी में बाँटा गया। इनके नाम ये हैं, रोहतास, बिहार, मुंगेर, सारन, चंपारन, झाँसीपुर और विरहुत। बिहार प्रांत की राजधानी पटना बनाई गई। वहाँ का शासन करने के लिये एक प्रथक सिपहसालार की नियुक्ति की गई, जो सेना के नेतृत्व के साथ साथ प्रांत का शासन भी करता था। बिहार का पहला प्रांतीय शासक (सिपहसालार) मुजफ्फर खाँ नियत हुआ। उसके बाद अकबर के समय में आवम खाँ, शाहबाज खाँ और सईद खाँ पटना के सिपहसालार रहे। इनके बाद १५८६ में राजा मानसिंह को पटना में सिपहसालार नियत किया गया। वह अकबर का सुयोग्य सेनापति था। उसने पूर्वी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के अनेक प्रदेशों को जीत कर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर की मृत्यु तक (१६०५ ई०) राजा मानसिंह बिहार प्रांत के सिपहसालार व सूबेदार के पद पर रहा।

मुगल बादशाहों के शासन का प्रभाव वहाँ निश्चय सक्षम संभव नहीं है। अकबर ने जिस शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी, वह दो सदी के जगमग कायम रहा। मुगलों

के इस सुदीर्घ शासनकाल में पटना की निरंतर उन्नति होती रही। वह एक समृद्ध प्रांत की राजधानी था। अकबर के उत्तराधिकारी जहाँगीर के शासनकाल (१६०५ से १६२६ ई० तक) में उसके भाई खुसरौ ने विद्रोह किया और पटना में ही अपने को बादशाह उद्घोषित किया। इसी प्रकार, जब शाहजादा सुरेंद्र ने सन् १६२२ में अपने पिता जहाँगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, तो वह पंजाब से दक्षिणी भारत का चक्र फाट कर उड़ीसा के रास्ते बिहार पहुँचा और वहाँ पटना में उसने अपना दरबार लगाया। काफी समय तक पटना शाहजादा सुरेंद्र का केंद्र बना रहा। जहाँगीर के एक अन्य पुत्र परवेज़ खाने भी अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर के पटना पर कब्जा किया और कुछ समय तक स्वतंत्र रूप से वहाँ का शासन किया। उसकी बनवाई हुई एक मसजिद अब तक पटना में विश्रमान है, जो शाहजादा परवेज़ के विद्रोह की जीती-जागती यादगार है। शाही घराने के इन कुमारों का पटना को अपने विद्रोहों का केंद्र बनाना यह सूचित करता है, कि मुगल काल में इस प्राचीन नगरी का राजनीतिक महत्त्व फिर से स्थापित हो गया था।

जहाँगीर के बाद शाहजादा सुरेंद्र शाहजहाँ के नाम से बादशाह बना। उसने १६०५ से १६५८ ई० तक राज्य किया। शाहजहाँ के शासनकाल में अनेक वर्षों तक शाइस्ता खान पटना का सूबेदार रहा। १६५७ ई० में शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर उसके पुत्रों में आतंक का प्रारंभ हुआ। इस कलह में औरंगजेब को सफलता हुई, और अपने वृद्ध पिता को कैदखाने में डाल कर १६५८ ई० में वह दिल्ली के राज-विहासन पर आरुढ़ हुआ। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था। जिस प्रकार निजी जीवन में वह इस्लाम की शिष्टाओं का अचरितः पालन करता

था, वही तरह वह साम्राज्य के शासन में भी इस्लाम के सिद्धांतों को प्रयोग में लाना चाहता था। पर भारत की अधिकांश जनता इस्लाम की अनुयायी नहीं थी। अकबर ने धार्मिक साहिष्णुता को जिस नीति का प्रारंभ किया था और जिसका अनुकरण जहाँगीर और शाहजहाँ ने भली-भाँति किया था, औरंगजेब ने उसका परित्याग कर दिया। उसने हिंदुओं पर फिर अजबिया लगाया और शासन में मुसलमानों के साथ पक्षपात किया। परिणाम यह हुआ, कि मुगल साम्राज्य में सर्वत्र विद्रोह प्रारंभ हो गये। हिन्दुओं की जो शक्ति अब तक मुगल साम्राज्य के लिये सहारा बनी हुई थी, वह अब उसे पलटने के लिये उठ खड़ी हुई। मथुरा के समीप जाटों ने, मारवाड़ के आसपास सतनामियों ने, पंजाब में सिक्खों ने और मारवाड़ में राजपूतों ने उसके विकट प्रचण्ड विद्रोह किये। दक्षिण में मराठे उठ खड़े हुए और मुगलों की शक्ति डोबाडोल हो गई। पंजाब, राजपूताना, मालवा, बुंदेलखंड आदि सर्वत्र इस समय विद्रोह हो रहे थे। दिल्ली और आगरा के प्रदेश विद्रोहियों के क्षेत्र के बहुत समीप थे। मुगलों के अमोर-उमरा वहाँ अब शांति और निरिन्धतता के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे।

सारे मुगल साम्राज्य में केवल विहार बंगाल के प्रदेश ही इस समय ऐसे थे, जो विद्रोह की प्रवृत्तियों से सर्वथा अछूते थे। वहाँ की राजकीय आसदनी से मुगल साम्राज्य का सर्वे चल सकता था, इस बात को अनुभव कर औरंगजेब ने अपने पोते अजीमुरशान को विहार बंगाल का शासक नियुक्त किया और अपने सुदोम्ब राजकर्मचारी मुर्शिदाबली खाँ को वहाँ का गवर्नर बनाया। अजीमुरशान ने पटना को अपना गवर्नर केंद्र बनाया। वहाँ

को किलाबंदी को फिर से मजबूत किया गया। दिल्ली के बहुत से अमीर-उमरा और बनी लोग पटना बुलाये गये, और उन्होंने बड़े ठाठ-बाट के साथ वहाँ रहना शुरू किया। वहाँ उन्हें अनेक जागीरें दी गईं। औरंगजेब के कट्टरपन के कारण संगीत, कला आदि में प्रवीण कलावंतों का निर्वाह दिल्ली में हो सकना संभव नहीं रहा था। उन्होंने भी अब पटना का आश्रय लिया। वहाँ का शासक अजीमुद्दौला कलावंतों का आदर करता था। दिल्ली के बहुत से अमीर-उमरा अब पटना में आ गये थे। उनके आश्रय में ललित कलाओं की पटना में अच्छी उन्नति हुई, और चित्रकला को एक नई शैली का वहाँ पर विकास हुआ। गरौब और अनाब लोगों की भी अजीमुद्दौला ने उपेक्षा नहीं की। उनके लिये अनेक सरायों और गरीबलानों का निर्माण कराया गया। वहाँ भोजन भी मुफ्त दिया जाता था। इन सब बातों से पटना का वैभव इस समय बहुत बढ़ गया। अजीमुद्दौला की यह आकांक्षा थी, कि पटना को दूसरी दिल्ली बना दिया जाय। साथ ही वह अपने प्रयत्न में सफल भी हो जाता, पर १७०७ ई० में मराठों से युद्ध करते हुए औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल बादशाह के उत्तराधिकार के लिये फिर गृहयुद्ध का प्रारंभ हो गया। इसमें अजीमुद्दौला के पिता मुअज्जम को सफलता मिली और वह बहादुरशाह के नाम से दिल्ली के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। तब से अजीमुद्दौला अपने पिता के साथ दिल्ली रहने लगा, और पटना की उन्नति और समृद्धि के लिये जो प्रयत्न उसने शुरू किया था, वह अधूरा हो रह गया। पर इसमें संदेह नहीं, कि अजीमुद्दौला के प्रयत्नों से पटना की बहुत वृद्धि हुई। उसने इस नगर का नाम भी बदल कर अपने नाम से अजीमाबाद रखा। अब तक भी पटना के एक दरगाने को अजीमा-

बाद कहा जाता है, और अजीमुरशान के पटना के प्रति कार्यों की स्मृति इस नाम में भलीभाँति सुरक्षित है।

१७१२ ई० में बहादुरशाह की मृत्यु हुई। अजीमुरशान साम्राज्य के लिये अपने भाई जहाँदारशाह से लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया। अजीमुरशान का लड़का फर्रुखसियर इस समय बंगाल में था। अपने पितामह और पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वह पटना आया और वहाँ उसने अपने को बादशाह उद्घोषित कर दिया। बहादुरशाह के शासनकाल में बिहार का सूबेदार सैयद हुसैनअली खॉं था। वह अजीमुरशान का विरवस्त और योग्य सेनापति था। उसने फर्रुखसियर का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। सैयद हुसैन अली का भाई सैयद हसन अब्दुल्ला इस समय इलाहाबाद का फौजदार था। इन सैयद-बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर ने आगरा के समीप सामूगढ़ के रणक्षेत्र में जहाँदारशाह को परास्त किया, और दिल्ली के राजसिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। बाद में सैयदबंधुओं ने मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को कैद कर लिया और अंत में उसे मार कर एक-एक करके तीन शाहजादों को दिल्ली की राजगरी पर बिठाया। अंत में, सैयदबंधुओं की मदद से ही १७२० ई० में मुहम्मदशाह दिल्ली का बादशाह बना।

इस समय पटना का सूबेदार फर्रुखदौला था। वह वहाँ के अमीर-उमराओं के साथ बहुत बुरा बरताव करता था। अनेक अमीरों से उसने जमकी जागीरें छीन ली थीं। इन अमीर-उमराओं ने फर्रुखदौला के दुर्न्यायहार के विरुद्ध मुहम्मदशाह से अपील की। इस समय तक (१७३२ ई०) सैयद बंधुओं का पतन हो चुका था। फर्रुखदौला इनका बड़ा कृपापात्र था। पर अमीर-उमराओं की अपील पर बादशाह ने उससे

विहार की सूबेदारी खीन ली और इस सूबे को बंगाल की सूबे-दारी में मिला दिया। १७६३ ई० में विहार मुगल बादशाह का एक पृथक् सूबा नहीं रहा। बंगाल के सूबेदार उसका शासन करने के लिये पटना में अपना एक नायब नियत करने लगे। परिणाम यह हुआ, कि पटना का राजनीतिक महत्त्व फिर कम होने लगा और मुगलों के समय में प्रांतीय राजधानी के गौर पर जो महत्त्व इस प्राचीन नगर ने प्राप्त किया था, उसका हास हो गया।

(७) व्यापार का केंद्र पटना

शेरशाह ने जहाँ पाटलीपुत्र के राजनीतिक महत्त्व का पुनरुद्धार किया, वहाँ मुगलकाल में यह नगर व्यापार का भी एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया। मुगलों के शासन में पटना पूर्वी भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक मंडी थी। धीरे-धीरे यूरोपियन व्यापारियों का ध्यान भी इसकी तरफ आकृष्ट हुआ, और वे वहाँ अपनी व्यापारिक कोठियाँ कायम करने लगे।

भारत के पूर्वी समुद्रतट पर सबसे पहले पोर्तुगीज लोगों ने चटगाँव में प्रवेश किया था, चटगाँव के बाद उन्होंने हुगली व गङ्गा के मुहाने के समीप के अनेक नगरों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाईं। उनकी अनेक वास्तियाँ भी इन नगरों में कायम हो गईं। पोर्तुगीज लोग केवल व्यापार से ही संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप शुरू किया और अनेक उपद्रव अड़े किये। परिणाम यह हुआ, कि १६३१ ई० में शाहजहाँ ने हुगली पर चढ़ाई कर हजारों पोर्तुगीज लोगों का संहार किया। इसीलिये बाद में डच (हॉलैंड के निवासी) और अंग्रेज लोग सामुद्रिक व्यापार में उनकी प्रभुता को तोड़ने में समर्थ हुए और पूर्वी भारत में डच, अंग्रेज

और फ्रांसीसी लोगों की व्यापारिक कोठियाँ कायम होनी प्रारंभ हुई।

पटना के व्यापार से आकृष्ट होकर डच लोगों ने वहाँ अपनी कोठी कायम की। इनमें मुख्यतया शोरा साफ करने का काम होता था। उस समय तक वारुड का आविष्कार हो चुका था और युद्ध में वारुड के इधियारों (बंदूक और तोप) का भलीभाँति उपयोग होने लगा था। वारुड बनाने के लिये शोरे का इस्तेमाल किया जाता था और बिहार में शोरा लूब होता था। इस शोरे की न केवल भारत में, अपितु यूरोप में भी बहुत माँग थी। बिहार प्रांत के विविध स्थानों से शोरा पटना लाया जाता था, वहाँ उसे साफ किया जाता और फिर गंगा नदी के रास्ते जहाजों पर लाद कर सुदूर देशों में भेज दिया जाता। इसी तरह पटना चीनी और कपड़े की भी बड़ी मंडी था। साथ ही, तिब्बत, नेपाल आदि के पहाड़ों और जंगलों से अनेक कीमती पदार्थ—सुरक, लाल, जड़ी बूटी आदि, वहाँ बड़ी तादाद में विकने के लिये लाये जाते और वहाँ के व्यापारी उसे देश-विदेश में भेजते थे। १६५० ई० तक डच लोगों की अनेक कोठियाँ बिहार में खुल चुकी थीं और उनकी पटना वाली कोठी लूब उन्नति कर रही थी। जिस इमारत में आजकल पटना कालेज है, वह पहले डच लोगों की कोठी ही थी।

डच लोगों के अनुकरण में अंग्रेजों ने भी पहले हुगली में अपनी कोठी कायम की और फिर पटना के शोरे के व्यापार में हिस्सा बटाने के लिये उन्होंने वहाँ पर अपनी कोठियाँ स्थापित कीं। इससे पहले सन १६२० और १६३२ में भी, मूरत और आगरा की अंग्रेजी कोठियों की तरह से पटना के साथ व्यापार के प्रयत्न हो चुके थे। सन १६२० में जूजस और पाकर नाम के दो अंग्रेज व्यापारी इन प्रयत्नों से आगरा से पटना भेजे

गये कि वे वहाँ से कपड़ा खरीदें और एक अंग्रेजी कोठी वहाँ कायम करें। पर पटना से स्थल के रास्ते माल को पहले आगरा और फिर सुरत ले जाकर वहाँ से यूरोप ले जाना बहुत महंगा पड़ता था। हुलाई का शर्च इसमें बहुत बढ़ जाता था। परिग्राम यह हुआ, कि ह्यूजस और पार्कर अपने उद्देश्य में असफल हुए और आगरा की कोठी द्वारा पटना के व्यापार को संवाहित करने के प्रयत्न को छोड़ दिया गया। १६३२ ई० में पीटर मुण्डी को सुरत से फिर पटना भेजा गया। इसके साथ बहुमूल्य वस्तुओं से भरी हुई आठ गाड़ियों का बड़ा काफिला था। मुण्डी को यह आदेश था, कि इस माल को पटना के बाजार में बेच कर उस कीमत से वहाँ कोठी खोलने का प्रयत्न किया जाय। पर मुण्डी भी अपने प्रयत्न में असफल हुआ। उसने यही परामर्श दिया, कि सुरत और आगरा द्वारा पटना के व्यापार को दस्तगत करना ब्र संवाहित करना किवात्मक बात नहीं है।

जब अंग्रेजों ने बंगाल की खाड़ी में आना-जाना शुरू किया और हुगली में उनकी कोठी कायम हो गई, तो उनके लिये पटना के व्यापार में हिस्ता बटाना सुगम हो गया। १६५० ई० तक पटना में उनकी कोठी बाकायदा स्थापित हो चुकी थी। वहाँ से अंग्रेज लोग न केवल शोरे की खरीद करते थे, अपितु कपड़ा, चीनी, मुश्क, जड़ो-वृट्टी और अफीम आदि अन्य माल को भी बड़ी मात्रा में खरीद कर पश्चिमी देशों में ले जाते थे। १६६४ ई० में चार्नाक नाम का अंग्रेज व्यापारी पूर्वी भारत की कोठियों का प्रबंधक बना कर भेजा गया। उसके समय में अंग्रेजों का व्यापार इस प्रदेश में खूब उन्नत हुआ, और शोरे तथा अन्य कीमती माल से लदे हुए जहाज गंगा में निरंतर आने-जाने लगे। इसी व्यापारिक सर्वाह के कारण १६६६ ई० में जब

दबर्निये नाम का प्रॉसीसी यात्री पटना आया, तो उसने इसे "भारत के सबसे बड़े नगरों में से एक" पाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों ने अनुभव किया, कि पटना का शोरा अन्य सब स्थानों के मुकाबले में सस्ता और अच्छा है। इसलिये १६७० ई० में उन्होंने निश्चय किया, कि असलीपट्टम आदि अन्य स्थानों पर शोरे के जो ठेके अंग्रेजों ने लिये हुए हैं, उन सब को छोड़ दिया जाय, और पटना से ही अधिक से अधिक मात्रा में शोरा खरीदने का प्रयत्न किया जाय।

पर इंग्लैंड के ये व्यापारी देर तक शांति के साथ पटना में व्यापार नहीं कर सके। शाहजहाँ के समय में शाहखादा राजा जब बंगाल का सूबेदार था, तो उसने यह व्यवस्था की थी, कि अंग्रेजों के विविध व्यापारी माल पर अलग-अलग चुंगी लेने के बजाय ३००० रु० वार्षिक एक मुश्क रकम चुंगी के तौर पर ले ली जाया करे। पर बाद में अंग्रेजों ने अपना व्यापार बहुत अधिक बढ़ा लिया। १६६८ ई० में उनका व्यापार कुल ३४ हजार पौंड का था। १६८० में वह बढ़ कर ११ लाख पौंड से भी अधिक का हो गया। अंग्रेज कहते थे, कि व्यापार के बढ़ जाने पर भी उनसे चुंगी ३००० रु० ही ली जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त, वे लोग अंग्रेजी मंडे के नीचे दूसरे लोगों का माल भी अनुचित रीति से ले जाते थे, ताकि उस पर चुंगी न देनी पड़े। बादशाह औरंगजेब इस बात को सहन नहीं कर सका। उसने व्यवस्था की कि फिर्गियों (यूरोप के ईसाइयों) को अपने माल पर २३ फी सदी की जगह ३३ फी सदी चुंगी देनी पड़े और अंग्रेजों से भी उनके माल की कीमत पर इसी हिसाब से चुंगी बसूल की जाय। उन दिनों बंगाल का सूबेदार शाहस्ता खान था। उसने बादशाह की आज्ञा के अनुसार १६८० ई० में अंग्रेजों से ३३ फी सदी के हिसाब से चुंगी

वसूल करने का आदेश दिया। इस पर अंग्रेजों ने अशांति और बिद्रोह शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि पटना की अंग्रेजी कोठी के अध्यक्ष पोकौक को गिराफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और फिरंगियों के शोरे के व्यापार को बिलकुल रोक दिया गया। इस पर अंग्रेज और भड़के और उन्होंने हुबली में खूटमार शुरू कर दी। तब शाइस्ता खान ने बिहार-बंगाल के सब अंग्रेजों की संपत्ति जब्त करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के सब कर्मचारियों को जेल में डालने का आदेश जारी किया। अंत में बंबई की कोठी के अध्यक्ष जान चाइल्ड के प्रार्थना करने पर, हरजाना वसूल करके अंग्रेजों को माफ़ी दी गई और पटना तथा अन्य पूर्वी प्रदेशों में व्यापार करने की उन्हें फिर अनुमति दी गई। इसी बीच में १७०७ ई० में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद की अव्यवस्था और अशांति से लाभ उठा कर अंग्रेजों ने न केवल अपने व्यापार में उन्नति की, पर बड़ी संख्या में सैनिकों को भी रखना शुरू कर दिया। फर्रुख-सिंघर व अन्य मुगल बादशाहों ने पटना के समृद्ध फिरंगी व्यापारियों से अनेक बार बड़ी मात्रा में जुरमाने वसूल किये व भेंट-उपहार प्राप्त किये। पर इन मुगल शासकों को आपस के झगड़ों से ही कुरसत नहीं थी। वे यह नहीं समझ सके, कि आत्मरक्षा के नाम पर वे फिरंगी व्यापारी अपनी जिस सेना का संगठन करने में लगे हैं, उसका उपयोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिये भी किया जा सकता है। वह समय अब दूर नहीं रहा था, जब कि पूर्वी भारत में फिरंगी व्यापारी एक प्रमुख राज शक्ति बन गये।

(८) मराठों का भ्रम

मुगल साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर मराठों ने किस

प्रकार अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया था, इसका संक्षेप ने भी उल्लेख कर सकना यहाँ संभव नहीं है। दक्षिण में मराठों का स्वतंत्र राज्य कायम हो गया था, पर उत्तरो भारत में उनकी नीति यह थी, कि मुगल शासन का बाहरी रूप बना रहने दिया जाय, किंतु वास्तविक शक्ति अपने हाथ में कर ली जाय। यही कारण है, कि जब से सैयदवंशुओं ने फर्रुखसियर को शासनच्युत करने के लिये मराठों की सहायता प्राप्त की, तब से मुगल बादशाहत में उनका प्रभाव बढ़ता ही गया और बाद में दिल्ली की गद्दी पर चाहे अकबर और औरंगजेब के वंशज नाम को विराजमान रहे हों, पर असली शक्ति मराठों के हाथ में आ गई।

मराठे लोग अपने विजित प्रदेशों से चौथ और सरदेशमुखी नाम के विशेष कर वसूल करते थे। शासन का संचालन पुराने नवाबों व सूबेदारों के हाथ में ही रहता था, उसके खर्च के लिये वे परंपरागत करों तो वसूल करते रहते थे। पर क्योंकि अपने विजित प्रदेशों को प्राण राज्यों के आक्रमणों से रक्षा को जिम्मेवारी मराठों की होती थी, अतः वे अपनी सेना के लिये चौथ और सरदेशमुखी नाम के विशेष करों को प्राप्त करते थे।

१६४० ई० में मराठों ने बंगाल विहार पर आक्रमण प्रारंभ किये। वहाँ का सूबेदार अब अलीवर्दी खाँ था। मुगल बादशाहों के निर्धूल होने के कारण इसकी स्थिति स्वतंत्र नवाबों के समान थी, यद्यपि नाम को वह दिल्ली के बादशाह की अधीनता स्वीकार करवा था। मराठा सरदार रघुजी भोंसले ने इसके साथ अनेक युद्ध किये। अंत में विहार बंगाल से चौथ वसूल करने का अधिकार मराठों ने प्राप्त कर लिया। यद्यपि

इन प्रदेशों में मुगल सूबेदारों का शासन जारी रहा, पर मराठे
इससे निरंतर वीथ बसूल करने लगे और बिहार मराठों के
प्रभाव में आ गया ।

अट्टाईसवाँ अध्याय

ब्रिटिश शासन की स्थापना

(१) यूरोप में साम्राज्यवाद की नई लहर

पंद्रहवीं सदी तक यूरोप के लोग अपने महाद्वीप से बाहर के लोगों से सर्वथा अपरिचित थे। उस समय तक हिन्दोक्त यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था। अतः सामुद्रिक व्यापार समुद्रतट के साथ-साथ ही होता था। पर पंद्रहवीं सदी के अंतिम सालों में एक नई प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। यूरोप और एशिया के देशों में व्यापार वेर से चला आता था। भारत के कालोकाट आदि पश्चिमी बंदरगाहों से आदत होता हुआ इस देश का माल मक्का पहुँचता था और वहाँ से ऊँटों के कारिगलों पर लाद कर उसे नील नदी पर पहुँचाया जाता था। नील नदी के मुहाने से यह माल जहाजों पर लादकर बेनिस तथा भूमध्यसागर के अन्य बंदरगाहों पर आता था। इस व्यापारी मार्ग पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जायगा, कि अरब और एशिया माइनर के बंदरगाहों पर किस राजवशालि का आधिपत्य है, वह बात इस व्यापार की सुरक्षितता के लिये बड़े महत्व की थी। १४५३ ई० में प्रसिद्ध तुर्क आकांता मुहम्मद द्वितीय ने कांस्टेंटिनोपल को जीत लिया और संपूर्ण एशिया-माइनर पर अपना अधिकार जमा लिया। तुर्कों की इस विजय से पूर्व और पश्चिम के बीच के व्यापारी मार्ग सुरक्षित नहीं रहे। तुर्कों से पूर्व इन प्रदेशों पर अरबों का शासन था। अरब लोग सम्भवतः की दृष्टि से बहुत ऊँचे थे और स्वयं व्यापार को

बहुत महत्व देते थे। तुर्क लोग अभी जंगली थे। असभ्य तुर्कों के आक्रमणों में व्यापार के ये महत्वपूर्ण मार्ग बहुत कुछ रुक गये और यूरोपीय राज्यों को यह विचार हुई, कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिये किसी नये मार्ग का आविष्कार करें। इस काम में स्पेन और पोर्तुगाल के लोगों ने विशेष उत्प्रेरणा प्रदर्शित की। पोर्तुगीज लोगों में पहले-पहल यह कल्पना उत्पन्न हुई, कि अफ्रीका का चक्कर काट कर पूर्वी देशों तक पहुँचा जा सकता है। इसी उद्देश्य से अनेक पोर्तुगीज मल्लाहों ने अफ्रीका के समुद्रतट के साथ-साथ चलते हुए पूर्वी देशों तक पहुँचने का प्रयत्न प्रारंभ किया। सन १४८७ में बाथो लोमियो दिवाज इस प्रयत्न में सफल हुआ। वह अफ्रीका के सबसे निचले सिरे तक पहुँच गया। इसका नाम उसने सदाशा का अंतरीप (केप ऑफ गुड होप) रखा, क्योंकि अब भारत पहुँचने के एक नये मार्ग के ज्ञात होने की पूरी आशा हो गई थी। १४९८ ई० में प्रसिद्ध पोर्तुगीज मल्लाह वास्को डि गामा अफ्रीका का चक्कर काट कर भारत पहुँच गया, और इस प्रकार पूर्वी व्यापार के एक नये मार्ग का आविष्कार हो गया।

इसी समय कोलंबस नाम के एक इटालियन मल्लाह के मन में एक नई कल्पना का उदय हुआ। पृथिवी गोला है, वह बात उस समय तक ज्ञात हो चुकी थी। कोलंबस ने सोचा कि यदि अटलांटिक महासागर को पार कर निरंतर पश्चिम की तरफ चलते जायें, तो भारत तक पहुँचा जा सकता है। स्पेन के राजा की सहायता से उसने अपनी सामुद्रिक यात्रा प्रारंभ की और अटलांटिक महासागर में जाते हुए १४९२ में उसे भूमि के दर्शन हुए। उससे समझा यही भूमि भारत है। वस्तुतः वह विशाल भूखंड था, पर उसने एकनये महाद्वीप का पता

लगा लिया और स्पेन के लोग उसमें अपने उपनिवेश बसाने तथा वहाँ अपना कब्जा कायम करने में लग गये।

पोर्तूगीज लोगों के बाद डच, फ्रांसीसी, डेनिश और अंग्रेज लोग भी अफ्रीका का चक्कर काट कर समुद्र मार्ग से भारत तथा अन्य पूर्वी देशों में आने जाने लगे और उन्होंने वहाँ के व्यापार को हस्तगत करने के लिये प्रयत्न आरंभ कर दिया। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी इसी उद्देश्य से बनी, और विविध यूरोपियन देशों के व्यापारियों ने भारत के समुद्र तट के बंदरगाहों में अपनी-अपनी व्यापारिक कोठियाँ कायम कीं। हुगली से आगे बढ़ कर आर्मीनियन, डच और इंगलिश लोगों ने पटना में कितने प्रकार अपनी कोठियाँ स्थापित कीं, यह पहले लिखा जा चुका है।

भारत को राजनीतिक दशा ठीक न होने से इन विदेशी व्यापारियों के दिल में एक नई कल्पना का उदय हुआ। उन्होंने देखा, कि भारत में अनेक राजनीतिक शक्तियाँ परस्पर लड़ने में लगी हैं। इस देश को जीत कर वहाँ अपना राजनीतिक आधिपत्य भी स्थापित किया जा सकता है। पर भारत को विजय करने के लिये यूरोप से सेनाओं को ला सकना सुगम बात नहीं थी। फ्रांस की एक व्यापारिक कोठी पाण्डिचेरी में थी। उसका अध्यक्ष शॉप्ले नाम का कुरान और चाणाल व्यक्ति था। उसने अनुभव किया, कि भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का सर्वथा अभाव है। बतन देकर इस देश में जितने चाहें, सैनिक भर्ती किये जा सकते हैं। हिंदू, मुसलिम, अफगान, राजपूत—सब प्रकार के आदमी केवल बतन के लालच से सेना में भरती होने को सदा तैयार रहते हैं, और उनकी सह्यता से कोई भी महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी राजशक्ति बढ़ा सकता है। भारतीय सैनिकों की मदद से ही भारत को

जोता जा सकता है, यह विचार शून्ने को भलाभाँति समझ में आ गया। यूरोपियन लोगों की इन व्यापारिक कोठियों में पहले भी सैनिक रहते थे, पर अब राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के प्रयोजन से शून्ने ने बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को भरवा करना शुरू किया, और इस सेना को यूरोपियन ढंग से शिक्षित कर भारतीय नरेशों के आपस के झगड़ों में प्रयुक्त करना प्रारंभ कर दिया। शून्ने के नीति के कारण अब फ्रांसीसी लोग भारत में केवल व्यापारी ही नहीं रह गये, उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित करने का प्रयत्न भी प्रारंभ कर दिया। फ्रांसीसियों की देखा-देखी अंग्रेज व अन्य यूरोपियन व्यापारियों ने भी इसी नीति का अनुसरण किया। मुगल साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर विविध सूबेदार स्वतंत्र राजाओं की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। उनमें राजगढ़ी पर अधिकार करने के लिये विविध उम्मीदवारों में संघर्ष चलता रहता था। फ्रांसीसी और अंग्रेज लोगों ने भारतीय बेतनभोगी सैनिकों की जो फौजे तैयार की थीं, उनसे इन विरोधी उम्मीदवारों का पक्ष लेकर परस्पर लड़ना शुरू किया और इस प्रकार अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। यूरोपियन लोगों की भारत में यह अपने साम्राज्यवाद की नई जड़ थी। धीरे-धीरे ब्रिटिश लोग अपने प्रयत्न में सफल हुए और भारत की विविध राजनीतिक शक्तियों की निर्बलता और मूर्खता से लाभ उठाकर उन्होंने अपना शासन इस देश में स्थापित कर लिया।

बिहार में ब्रिटिश शासन का सूत्रपात

संगल बिहार के स्वतंत्र सूबेदार नवाब अलीउद्दीन खाँ का उत्सोख हम पहले कर चुके हैं। यह नाम की दिल्ली के मुगल

बादशाह के अधीन था, पर वस्तुतः मराठों को चौध देकर अपनी पूरक सत्ता कायम रखने में समर्थ था। मराठों ने चौध के बदले में उसकी रक्षा व पूरक सत्ता की जिम्मेवारी ली हुई थी। नवाब अलीवर्दी खाँ एक समझदार और चतुर शासक था। इच्छिणी भारत में राजगद्दी के विविध उम्मीदवारों की सहायता के नाम से अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग जिस प्रकार अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे, उससे वह बहुत चिन्तित था। वह जानता था, कि फिरंगी लोग जो चाल दक्षिण में चल रहे हैं, वह एक दिन बंगाल में भी चलेंगे। इसीलिये वह हुबली और कलकत्ता के फिरंगियों से बहुत सशंक हो गया था। कहते हैं, कि मरने से पूर्व उसने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को यह शिक्षा दी थी, कि वह यूरोपियन व्यापारियों को बढ़ती हुई ताकत पर निगाह रखे और उन्हें किलाबंदी करने या फौज को बढ़ाने की कभी अनुमति न दे। पर अलीवर्दीखाँ के निकल उत्तराधिकारी उसको इस शिक्षा का पालन नहीं कर सके।

१७५६ ई० में नवाब अलीवर्दीखाँ की मृत्यु हुई। उसके मरते ही अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलाबंदी को भंगवृत्त करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने यत्न किया, कि कोई विदेशी उसके राज्य में किलाबंदी न करने पाय, पर अंग्रेजों ने उसकी आज्ञा पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हनला कर दिया। बात की बात में कलकत्ता जीत लिया गया, और बंगाल बिहार में उनकी सब कोठियाँ जप्त कर लीं। इस समय मद्रास में अंग्रेजों की कोठी का अग्र्यत्त कत्ताइय था। वह फ्रांसीसी इ प्ले के समान ही चतुर और महत्त्वाकांक्षी था। दक्षिण में उसने अपनी सत्ता का भलीभाँत संगठन कर लिया था। जब उसे सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता

के विजय का समाचार मिला, तो एक बड़ी सेना लेकर उसने बंगाल की तरफ प्रस्थान किया और फिर कलकत्ता पर अधिकार जमा लिया। क्लाइव केवल कलकत्ता की विजय से ही संतुष्ट नहीं हुआ। वह सिराजुद्दौला के संपूर्ण राज्य पर अपना कब्जा करना चाहता था। उसने बंगाल के प्रधान सेनापति मीर जाफर के साथ षड्यंत्र किया। मीर जाफर नवाब अली-वर्दीखान का बहनोई था और राज्य में उसका प्रभाव बहुत अधिक था। क्लाइव ने मीर जाफर को यह वचन देकर अपने साथ मिला लिया, कि सिराजुद्दौला को राजगद्दी से च्युत कर उसे बंगाल विहार का नवाब बनाया जाएगा। राज्य के अनेक अन्य प्रभावशाली व्यक्ति भी इस षड्यंत्र में शामिल हुए। सब तैयारी ठीक हो जाने पर क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध को उद्योपस्था कर दी, पलासी के रणक्षेत्र में दोनों सेनाओं में लड़ाई हुई। लड़ाई के बीच में मीर जाफर अपनी सेना के साथ क्लाइव से जा मिला। सिराजुद्दौला परास्त हो गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद पर कब्जा किया। मीर जाफर ने चौबीस परगना का इलाका क्लाइव को जागीर के रूप में प्रदान किया और पीने तीन करोड़ रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्मचारियों को भेंट और रिश्वत के रूप में दिया।

सिराजुद्दौला की तरफ से बिहार का नायक राजा रामनारायण था, जो पटना में राज्य करता था। अब अंग्रेजों ने मीर जाफर के सड़के मीरन को साथ ले पटना पर हमला किया। रामनारायण उनका मुकाबला करने में अशक्त था। उसने मीर जाफर को बिहार बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। मीरन बिहार का सूबेदार बनाया गया और रामनारायण को उसके नायक का पद दिया गया। भगध के जिन जमींदारों ने अंग्रेजों

का विरोध करने का साहस किया, उन्हें कठोर दंड दिये गये और बिहार पर इन फिरंगी व्यापारियों का कब्जा हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति आयर कूट था।

सिराजुद्दौला के विकृत षड्यंत्र और पलासी के युद्ध के समय बिहार मराठों के साम्राज्य के अंतर्गत था। वे उस प्रदेश से नियमपूर्वक चौक घसूल करते थे। इस स्थिति में मराठों का यह कर्तव्य था, कि वे अंग्रेजों के षड्यंत्रों और आक्रमणों से बिहार बंगाल के नवाबों को रक्षा करें। पर मराठे सरदार आपस के झगड़ों में इतने लीन थे, कि उन्होंने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और बिहार बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में चले गये।

बाद में जब मराठों के पेशवा को इस बात का ध्यान आया, तो १७५८ ई० उसने दत्ताजी शिंदे को आगरा का सूबेदार और उत्तरी भारत में अपना मुख्य प्रतिनिधि नियत किया। उसे यह कार्य भी सुपुर्द किया गया, कि बिहार बंगाल पर फिर मराठों का आधिपत्य स्थापित करें। पर दत्ताजी अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने का उद्योग नहीं कर सका। इस समय अहमदशाह अब्दाली भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा को पार कर मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने में लगा था। नाम के मुगल बादशाह का असली शासनसूत्र मराठों के हाथ में था। सन् १७३१ में पानीपत के प्रसिद्ध रणक्षेत्र में अहमदशाह अब्दाली और मराठों में घोर संग्राम हुआ। मराठा सेनाएँ परास्त हुईं। सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव आदि बहुत से मराठे सरदार युद्धक्षेत्र में मारे गये। मराठे लोग इस युद्ध में तुरी तरह नष्ट हुए। पानीपत की इस पराजय से मराठा राजशक्ति को बहुत धक्का लगा।

बिहार बंगाल को अंग्रेजों से वापस लेने की सख आशा

पानीपत के रक्तक्षेत्र में मट्टी में मिल गई। अब मराठों के लिये दिल्ली, आगरा और उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों में ही अपनी शक्ति और प्रभाव को स्थिर रखना कठिन हो गया था। बिहार बंगाल को जीतने का प्रयत्न करना उनके लिये दुःसाहस मात्र था। मराठों की इस भयंकर पराजय से अंग्रेजों को बिहार बंगाल में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का सुवर्ण अवसर मिल गया।

मीर जाफर शासनकार्य के लिये सर्वथा अयोग्य था। लोग उससे बहुत असंतुष्ट थे। उधर अंग्रेजों के सैनिक सर्च बहुत बढ़ गये थे। अंग्रेजों को यह आशा नहीं रही थी, कि मीर जाफर से और अधिक रुपया वसूल किया जा सकता है। अतः उन्होंने निश्चय किया कि उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाय। इलाहबाद इस समय इंग्लैंड वापस जा चुका था। उसका उत्तराधिकारी वांसिस्टार्ट था। यह स्वयं मुशिदाबाद गया और मीर जाफर को राज्यच्युत कर मीर कासिम को राजगद्दी पर बिठाया गया। पहले में मीर कासिम ने मेदिनीपुर, बर्दवान और चटगाँव जिले की माल-गुजारी सैनिक सर्च के लिये मीर कासिम को दी। साथ में उसने बीस लाख रुपया कंपनी के कर्मचारियों को रिखत रूप में भी प्रदान किया।

मीर कासिम देर तक अंग्रेजों का कृपापात्र नहीं रह सका। वह योग्य शासक था। सर्च में कमी करके तथा अनेक प्रकार से आमदनी बढ़ाकर उसने अपनी सेना का शेष पचासवें वेतन चुकवा कर दिया। इससे सेना उस पर अनुरक्त हो गई। मुंगेर में उसने शोष बंदूक आदि हथियार ढालने का कारखाना खोला और एक यूरोपियन सेनापति को अपनी नौकरी में रख कर अपनी सेना का नये ढंग में संगठन किया। शासन

में भी उसने अनेक सुधार किये। फर्दश्चसियर के बमाने से ईस्ट इंडिया कंपनी के माल पर चुंगी माफ थी। जो माल कंपनी की तरफ से यूरोप जाता या यूरोप से भारत आता, उस पर कोई चुंगी नहीं ली जाती थी। पर यह रिवाज केवल कंपनी के माल पर ही। परंतु इस समय कंपनी के बहुत से कर्मचारी अपना निज व्यापार भी करते थे, और अपने माल को भी कंपनी का बताकर उस पर चुंगी देने से इन्कार करते थे। कंपनी के अप्रैज कर्मचारियों के निजी व्यापार के कारण नबाब की चुंगी की आमदनी इस समय बहुत कम हो गई थी। उसने अप्रैजों से इस बात की बार-बार शिकायत की, पर कोई परिणाम न हुआ। आखिर, तंग आकर मीर कासिम ने देशी व्यापारियों की रक्षा के लिये सारे सूबे में चुंगी ठा दी। अब अप्रैजों के व्यापारियों का माल भारतीय व्यापारियों के मुकाबले में सस्ता नहीं बिक सकता था। अप्रैज जो अनुचित मुनाफा ठा रहे थे, वह बंद हो गया और उन्होंने मीर कासिम का घोर विरोध शुरू किया। पर नबाब ने उनके विरोध की जरा भी परवाह नहीं की। अब अप्रैजों ने मीर कासिम को च्युत कर मीर जाफर को फिर नबाब बनाने के लिये षडयंत्र प्रारंभ किया। अप्रैजों और नबाब में डेर तक मुल्ह नहीं रह सकी। १७६२ ई० में पटना की अप्रैजों की कोठी का अध्यक्ष एलिस नियुक्त किया गया। वह मीर कासिम के प्रति बैर भाव रखता था। उसने बात-बात पर नबाब के कर्मचारियों से झेड़-झाड़ शुरू कर दी। वह सुदृजमसुदृजता लड़ाई की तैयारी में लगा था। इसीलिये दयियारों से भरी दो बड़ी नौकायें उसने कलकत्ता से पटना भंगवाई थी, पर उबर नबाब भी एलिस की कारवाइयों को सशंक दृष्टि से देख रहा था। इन नौकाओं को पटना पहुँचने से पहले ही ठकवा दिण

गया। इस पर २५ जून १७६१ ई० को एलिस ने पटना पर कब्जा करने की कोशिश की। उसके पास यूरोपियन सेना की पाँच कंपनियाँ थीं, और भारतीय सिपाहियों की तीन बैटेलियन। इन सेनाओं द्वारा पटना को सुरी तरह से लूटा गया और कुछ समय के लिये एलिस मनमानी करने में समर्थ हुआ। पर नवाब की सेनायें शीघ्र ही मुंगेर में वहाँ पहुँच गईं। उन्होंने पटना को घेर कर वीरता के साथ एलिस का मुकाबला किया। अंग्रेजों सेना अपनी कोठी में घेर ली गई। नवाब की विजय हुई और कंपनी को सेना को सुरी तरह हार हुई। उसके बाद मीर कासिम ने बिहार बंगाल के सब अंग्रेजों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अब कंपनी और नवाब में शाकायदा युद्ध का प्रारंभ हो चुका था।

बिहार बंगाल के सूबे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत माने जाते थे। अब मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की सहायता मांगी। पर १७६२ ई० में कलकत्ता के अंग्रेज मराठों को चीय को पूरी बकाया रकम दे चुके थे। वह रकम देते हुए उन्होंने मराठा सरदार से यह शर्त करा ली थी, कि अंग्रेजों और नवाब के औपसी झगड़े में मराठे लोग नवाब की सहायता नहीं करेंगे। परिणाम यह हुआ, कि मराठों ने अंग्रेजों और मीर कासिम की लड़ाई को एक अंदरूनी झगड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा, और नवाब को सहायता देने से इन्कार कर दिया। इस दशा में कंपनी को सेनाओं के लिये मीर कासिम को पराल्त कर सकना कठिन नहीं था। अंग्रेजों ने मुंगेर जीतकर पटना पर हमला किया। नवाब की सेना के बहुत से कर्मचारी भीतर-भीतर अंग्रेजों से मिले हुए थे। मीर कासिम ने आस-सक्तों से काम लिया और अनेक उच्च कर्मचारियों और जागारदारों को गिरफ्तार किया गया। पटना की अंग्रेजों कोठी

का अभ्युदय एलिस और उसके बहुत से अभिनेत्र साथी भी, जो कुछ समय से नवाब के पास कैद थे, अब मौत के घाट उतारे गये। मीर कासिम ने डट कर पटना में अंग्रेजों का मुकाबला किया पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हुई। शक्तिशाली व सुसंगठित अंग्रेजी सेना के सामने वह नहीं ठहर सका और अपनी खुशी सेना को साथ ले अवध के नवाब की शरणा में चला गया। अंग्रेजों ने न केवल पटना अपितु सम्पूर्ण बिहार पर अपना दखल कर लिया।

अवध के नवाब इस समय न केवल इस सूबे के स्वतंत्र सूबेदार थे, पर मुगल साम्राज्य के वजीर भी माने जाते थे। मुगल बादशाहों का शासन इस समय दिल्ली, आगरा व अन्य समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित रह गया था। संपूर्ण दक्षिणी व मध्य भारत मराठों के अधीन था। बिहार बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार बढ़ रहा था। पंजाब में अफगान लोगों का जोर था और लखनौ दिल्ली आगरा के मुगल शासन में भी मराठों का बोलबाला था। मराठों और अफगानों के अस्तर से बचने के लिये मुगल बादशाह शाहआलम ने दिल्ली से भाग कर अवध के नवाब-वजीर शुजाउद्दौला के पास इलाहाबाद में आश्रय माहसूस किया हुआ था। इलाहाबाद आकर मीर कासिम ने शुजाउद्दौला और शाह आलम को इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वे अपनी सेनाएँ लेकर बिहार पर आक्रमण करें और अंग्रेजों को परास्त कर इस सूबे को फिर मुगल साम्राज्य में मिला लें। मुगल सेना के आक्रमण से बिहार के लोग पहले बहुत खुश हुए। पर मुगलों का शासन इस समय तक बहुत पतित हो चुका था। सेना के अनेक उच्च कर्मचारी वैयक्तिक लाभ की दृष्टि से किसी भी षडयंत्र में शामिल होने के लिये सदा तैयार रहते थे। नवाब वजीर की सेना में भी ऐसे लोगों

को कमी न थी। अंग्रेजों ने इन्हें अपनी ओर मिला लिया। शाह आलम वरु का बे अपनी ओर मिला लेने में समर्थ हुए। उन्होंने उसे भरौसा दिलाया, कि अपनी सभी हुई सेना की मदद से वे उसे एक बार फिर दिल्ली के राजसिंहासन पर बिठाने में समर्थ हो सकेंगे। परिस्थान यह हुआ, कि शुजाउद्दौला की सेना में फूट पड़ गई। १७६४ ई० में बक्सर के रणक्षेत्र में अंग्रेजों ने उसे बुरी तरह पराजित किया। परास्त शुजाउद्दौला का पोग्ला कर उन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ पर भी अपना अधिकार कर लिया।

मुगल साम्राज्य के बजोर शुजाउद्दौला को अब केवल एक आशा थी। उसने मराठों से सहायता को याचना की। पानीपत के युद्ध में परास्त होकर मराठों की शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो चुकी थी। अपने साम्राज्य की विविध समस्याओं को सुलभ्य सकना ही उनके लिये कठिन बात थी। फिर भी मुगल बादशाहत उनकी संरक्षा में थी। अतः प्रसिद्ध शक्तिशाली मराठा सरदार महारराव होल्कर जो उस समय उत्तरी भारत में मराठा पेशवा का प्रतिनिधि था, शुजाउद्दौला की सहायता के लिये उत्तर हुआ। पर वह भी अब अंग्रेजों का मुकाबला कर सकने में असफल हुआ। ३ मई सन १७६५ में कोरा (जिला फतहपुर) के रणक्षेत्र में अंग्रेजों ने उसे पराजित किया। अब शुजाउद्दौला के सामने अपने बचाव का कोई मार्ग शेष नहीं रहा। बिबरा होकर उसने अंग्रेजों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच में भीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उसका पुत्र नजीमुद्दौला बिहार बंगाल का नवाब बना। राजगढ़ी पर बैठते समय उसने भी कंपनी के कर्मचारियों को बीस लाख रुपया रिश्वत में दिया। पर नजीमुद्दौला अब केवल नाम की ही नवाब था। असली शासनशक्ति अब अंग्रेजों के हाथ में

आ गई थी। नवाब की सेना तोड़ दी गई थी और उससे शासन के सब अधिकार छीन लिये गये थे। इस समय बिहार बंगाल की शासनशक्ति, पूर्णतया अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। उन्होंने अपनी पसंद से बंगाल में मुहम्मद रजाखान को और बिहार में राजा सिवाधराय को दीवान के पद पर नियत किया। ये दोनों अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे।

सन् १७६५ में ही क्लाइव एक बार फिर कलकत्ता की अंग्रेजी कौंसिल का अध्यक्ष बनाकर भारत भेजा गया। पलासी के युद्ध द्वारा क्लाइव ने भारत में जिस अंग्रेजी शासन का बीजारोपण किया था, अब उसने उसे खूब उन्नत किया। इसमें संदेह नहीं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में क्लाइव का कर्तृत्व बड़े महत्त्व का है।

नजीमुद्दौला ने राजगद्दी पर बैठते समय १७६५ ई० के शुरू में बंगाल, बिहार के निजामत के सब अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिये थे। इसके अनुसार नवाब अब अपनी पृथक् सेना नहीं रख सकता था, उनको सेना बर्खास्त कर दी गई थी। सेना केवल कंपनी रख सकती थी और सारे सूबे में शांति रक्षा का कार्य अब नवाब के हाथ में न रह कर कंपनी के हाथ में आ गया था। अब क्लाइव कलकत्ता से मुर्शिदाबाद होता हुआ सीधा बनारस गया। वहाँ उसने नवाब-बजौर शुजाउद्दौला से और फिर इलाहाबाद जाकर बाबरशाह शाह आलम से पृथक्-पृथक् संधि की। शुजाउद्दौला ने ५० लाख रुपये अंग्रेजों को हरजाने के रूप में प्रदान किये। शाह आलम के साथ क्लाइव की संधि बहुत महत्त्वपूर्ण थी। उसके अनुसार बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। इन प्रदेशों की निजामत का अधिकार पहले ही कंपनी के हाथ में आ चुका था। अब दीवानों का अधिकार भी कंपनी को

मिल गया। इस अधिकार के अनुसार इन प्रदेशों से मालगुजारी, चूंगी व अन्य राजकीय कर कंपनी ही वसूल कर सकती थी। राज्य कर वसूल करने का काम कंपनी के हाथ में था, और शासन का संचालन नवाब करता था। शासन का खर्च चलाने के लिये नवाब को ४३ लाख रुपये की बंधी हुई रकम प्रति वर्ष दी जाती थी। बाद में १७६६ में यह रकम घटा कर ४१ लाख कर दी गई और फिर १७६६ में इसे घटा कर केवल ३२ लाख कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी बिहार बंगाल की आमदनी में से २६ लाख रुपया वार्षिक देने की व्यवस्था की गई।

अब स्थिति यह हुई, कि बिहार बंगाल में सेना और राज्य-कर की वसूली का काम कंपनी के हाथ में था। शासन नवाब के कर्मचारियों के द्वारा होता था। बड़े कर्मचारियों की नियुक्ति अंग्रेज अपनी मर्जी से करते थे और छोटे-बड़े सब राजकर्मचारी उनके हाथ में कठपुतली के समान रहते थे, यह एक तरह का दोहरा राज था। इसमें शासन की सब शक्ति और लाभ वे अंग्रेजों के पास थे, पर कर देने वाली जनता की रक्षा या भलाई को कोई भी जिम्मेवारी उनके ऊपर न थी। शासन को चलाने के लिये जो रकम उन्होंने देनी थी, उसको मात्रा निश्चित थी। पर वे अपनी मर्जी से जितना चाहें, कर वसूल कर सकते थे। ज्यादा कर बढ़ा कर वे अपनी आमदनी को वयोष्ट रूप से बढ़ा सकते थे। मालगुजारी को बढ़ाने के लिये उन्होंने उसे वसूल करने के अधिकार की नीलामी शुरू की। एक इलाके से कितनी मालगुजारी वसूल करके कंपनी को दी जाय, इसके लिये बोली बुलाई जाने लगी। जो सब से ऊंची बोली बोलता, उसी के हाथ में उस इलाके की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार सौंप दिया जाता। वे ठेकेदार प्रजा पर सब तरह के अत्याचार कर

के अधिक से अधिक कर वसूल करते। परिणाम यह हुआ, कि बिहार बंगल के सब नीलामी इस व्यवस्था में पीड़ित हो गये। पर वे विवश थे। उनके नबाब व बादशाह अशक्त और निर्बल थे। सेना अंग्रेजों के हाथ में थी। राजकर्मचारियों में देशभक्ति व जनसेवा का जरा भी ख्याल न था। अपना वैयक्तिक स्वार्थ ही उनको दृष्टि में उनका सब से बड़ा ध्येय था।

(३) घोर दुर्भिक्ष

बिहार में ब्रिटिश शासन के सूत्रपात होने के कुछ ही सालों बाद सन् १७९० में वहाँ एक भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। कंपनों की तरफ से मालगुजारी नीलाम होने पर जो ठेकेदार इस कार्य के लिये नियुक्त हुए, वे मनमाने तरीके से किसानों से रुपया वसूल करते थे। ऊँची से ऊँची बोली-बोल कर अपने इलाके की मालगुजारी वसूल करने का ठेका प्राप्त वे करते थे। इस ठेके की नीलामी हर साल होती थी। इसका परिणाम यह होता था कि प्रतिवर्ष ठेके की मात्रा बढ़ती जाती थी। स्वभाविक रूप से इन ठेकेदारों की यह कोशिश रहती थी, कि ठेके की रकम पूरी करने के बाद अधिक से अधिक जितना भी अपने लिये बचा सके, बचाने का यत्न करें। किसानों से कितना कर लिया जाय, इसकी कोई मात्रा निश्चित नहीं थी। जो भी ज्यादा से ज्यादा वसूल किया जा सकता था, उनसे ले लिया जाता था। परिणाम यह था, कि किसान लोग बिलकुल दरिद्र होते जाते थे। अपना पेट भरने के लिये भी उनके पास खाना नहीं बच पाता था। उनके पशु, हल, आदि भी मालगुजारी की रकम वसूल करने के लिये नीलाम होते रहते थे। सारे देश में अव्यवस्था मच गई थी, एक प्रकार का आतंक सा छा गया था। बहुत से किसानों

ने तो अपनी ज़ातव से परेशान होकर खेती करना ही छोड़ दिया था। बहुत सी जमीन बिना खेती के परती पड़ी रहने लगी थी। इस दशा में १७६६ ई० में वर्षा की भी कमी रह गई। परिणाम यह हुआ, कि १७७० में संपूर्ण बंगाल बिहार में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। कहते हैं, इस दुर्भिक्ष में बंगाल बिहार की विद्वाह आबादी भोजन के अभाव में भूख से तड़प-तड़प कर मर गई। उस समय इस सूने की कुल आबादी तीन करोड़ थी। उसमें से एक करोड़ आदमी इस भयंकर दुर्भिक्ष के अर्पण हो गये। पटना पर इस दुर्भिक्ष का बहुत बुरा असर पड़ा। वहाँ के नायब सिताबराय ने कलकत्ता की ब्रिटिश कौंसिल को यह रिपोर्ट भेजी, कि २० के लगभग आदमी प्रतिदिन पटना शहर में भूख से मर रहे हैं। उसने प्रस्ताव किया कि दो लाख रुपये पटना के लुधापीड़ितों की सहायता के लिये मंजूर किया जाय। उस समय तक कज़ाईव भारत से इंग्लैंड वापस जा चुका था। कलकत्ता का प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी उस समय जॉन कार्टरर (१७७० से १७७२ ई० तक) था। उसने न तो दुर्भिक्ष निवारण के लिये स्वयं कोई फ़ारवाड़े की और न ही स्थानीय अधिकारियों को यह अधिकार दिया, कि वे इस बिपत्ति से जनता की रक्षा के लिये कोई कदम उठा सकें। सिताबराय के सब प्रस्ताव व आवेदन कागज पर ही रह गये। पटना में भूख से मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। कुछ समय बाद, इस प्रकार की मृत्यु की संख्या उस नगरी में १४० प्रति दिन तक पहुँच गई। बिहार के स्थानीय कर्मचारियों व धनी पुरुषों ने अपनी तरफ से जनता की सहायता के लिये एक निधि खोली। पटना के फ़्रांसीसी और डच व्यापारियों ने भी अपनी शक्ति के अनुसार इस निधि में चंदा दिया। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के कानों पर इस भयंकर बिपत्ति के समय ऊँ

तक भी नहीं रेंगी। इस दुर्भिक्ष ने बिहार बंगाल के प्रदेशों को घोर विपत्ति में डाल दिया। वहाँ का आर्थिक जीवन बिलकुल खिन्न-भिन्न हो गया और इस मुसीबत के अक्षर को इटने में दसों साल जग गये।

कृषि के अतिरिक्त बिहार के व्यवसाय भी इस काल में बड़े संकट में पड़े। पटना पूर्वी भारत के व्यापार का बड़ा भारी केंद्र था। वहाँ का शोरा, चीनी, कपड़ा, मुरक व अन्य बहुमूल्य माल बड़ी मात्रा में विदेशों में जाता था। सूती और रेशमी, दोनों प्रकार के कपड़ों का पटना बहुत बड़ा मंडा था। वहाँ के इसी व्यापार से आकृष्ट होकर विविध यूरोपियन लोगों ने अपनी कोठियाँ पटना में कायम की थीं। पर इस समय तक यूरोप में व्यावसायिक क्रांति का प्रारंभ हो चुका था। सूत कातने व कपड़ा बुनने के नये-नये साधन इंगलैंड में प्रयुक्त होने शुरू हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी भारत के कारीगरों पर भयंकर अत्याचार करते थे। कंपनी के कारिंदे कारीगरों को किसी भी वस्तु में जा पहुँचते। कपया पेशगी देकर उनसे जबर्दस्ती यह इकरार करते, कि वे अपना सारा माल कंपनी को ही देंगे। इस माल की कीमत भी वे मनमानी तय करते। यदि कारीगर जरा भी विरोध करते, तो उन्हें कोढ़ों से पीटा जाता। वे इस बात के लिये मजबूर किये जाते, कि कंपनी द्वारा निश्चित की गई कीमत पर अपना सब माल अंग्रेजों के सुपुर्द कर दें। यह कीमत इतनी कम होती थी, कि कारीगर कम मूल्य पर माल देने को अपेक्षा खाली बैठना ही पसंद करते थे। कंपनी के कारिंदे उन्हें जबर्दस्ती माल देने के लिये विवरा न कर सफें, इस लिये बहुत से जुलाहों ने स्वयं अपने अंगूठे कटवा लिये थे। इस सब का परिणाम यह हुआ, कि बिहार बंगाल के व्यवसाय नष्ट होने लगे। उच्च व्यावसायिक क्रांति के कारण

इंग्लैंड में कपड़ा व अन्य माल बड़ी मात्रा में तैयार होने लगा और इतर भारत के कारीगर कंपनी के अत्याचारों से परेशान होकर अंगूठे काट कर खाली बैठने लगे। भारत की कारीगरी रुक होने लगी और इंग्लैंड का माल इस देश के बाजारों में बिकना शुरू हो गया। बिहार वंगाल के लिये यह बड़ी भयंकर विपत्ति थी। किसान लोग ठेकेदारों के अत्याचारों से तंग थे और कारीगर लोग परिस्थितियों से विचर होकर बेकार बैठे थे। कारीगरों की बेकारी ने १७७० ई० के दुर्भिक्ष की भयंकरता को और भी बढ़ा दिया। जो बिहार वंगाल अपनी समृद्धि व संपत्ति के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थे, वहाँ अब दरिद्रता का नग्न मृत्यु दिखाई पड़ने लगा।

पटना में शासन के लिये जो कौंसिल १७६६ ई० में नियत हुई थी, उसके तीन सदस्य थे, १-मिडल्टन, जो पटना की अंग्रेजी कोठी का अध्यक्ष था, २-सिवावरम, जो अंग्रेजों की तरफ से बिहार का दीवान नियत हुआ था, ३-बीरजनारायण, यह बिहार के भूतपूर्व नायक रामनारायण का भाई था, और इस समय उसकी जगह बिहार के नायक के पद पर नियुक्त था। ये तीनों व्यक्ति कलकत्ता की अंग्रेजी कौंसिल की तरफ से बिहार का शासन करते थे। पर १७७० ई० के दुर्भिक्ष को दूर करने में इन्हें कोई भी सफलता नहीं हुई। वस्तुतः, इस समय सारे बिहार वंगाल में एक प्रकार की अराजकता मी छाई हुई थी। सूबे का नाममात्र का नवाब नजोमुद्दौला सर्वथा अशक्त और निर्बल था। उसके नवाब व दीवान शक्तिहीन थे। शक्ति केवल अंग्रेजों के पास थी। पर वे शासनकार्य में अपनी कोई भी जुम्मेवारी नहीं समझते थे। उनका काम केवल यह था, कि अधिक से अधिक राज्यकर वसूल करें और अपने व्यापार द्वारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त करें। पाटलीपुत्र के हथारों साल

के इतिहास में इतना भयंकर काल इस प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ। अंत में इतलैंड में विद्यमान कंपनी के डाइरेक्टरों और अन्य राजनीतियों का ध्यान भी देश की इस दुर्दशा की तरफ अकृष्ट हुआ, और उन्होंने स्थिति को संभालने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता अनुभव की।

(४) ब्रिटिश शासन का संगठन

इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिये सन १७७३ ई० में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इस कानून द्वारा बिहार बंगाल के दोहरे शासन का अंत किया गया। कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे उसकी शासन में सहायता करने के लिये एक कौंसिल की व्यवस्था की गई, जिसके कुल पाँच सदस्य होते थे। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को भी कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। कलकत्ता की कौंसिल को यह आदेश दिया गया कि वह बिहार बंगाल के दीवानों और फौजी शासन को अपने अधिकार में कर ले। यह व्यवस्था की गई, कि इन प्रदेशों की मालगुजारी व अन्य करों को वसूल करने के लिये अपने प्रथम राजकर्मचारी नियुक्त किये जायें। इसीलिये बिहार और बंगाल के दीवानों को पदच्युत किया गया। उनके स्थान पर राजकीय करों की वसूली और व्यवस्था के लिये कलकत्ता में एक 'बोर्ड आफ रेवेन्यू' की स्थापना की गई। इस बोर्ड की तरफ से राजकीय कर की वसूली के लिये विविध इलाकों में 'कलेक्टरों' की नियुक्ति की गई। पर कुछ वर्षों तक मालगुजारी की वसूली पहले की तरह नीलामी द्वारा ही होती रही। अंतर केवल यह पड़ा कि नीलामी की अवधि बढ़ाकर एक साल की जगह पाँच साल कर दी गई। १७७७ ई० में

मालगुजारी की मीलामी फिर साजाना होने लगी, और यह व्यवस्था लार्ड कानॉनवालिस के समय तक जारी रही।

इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार न्याय के लिये एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का गई। गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल को वह अधिकार दिया गया, कि वे देश में शासन के लिये कानून बना सकें। पर ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे, तो उनमें परिवर्तन कर सकती थी। गवर्नर जनरल और कौंसिल अपने कार्यों के लिये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों को शासन संबंधी सब मामले पार्लियामेंट के सम्मुख पेश करने आवश्यक थे। अब कंपनी के शासनसंबंधी कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था। रेगुलेटिंग एक्ट का परिणाम यह हुआ, कि बिहार बंगाल में दोहरे शासन का अंत होकर ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। मालगुजारी की बसूली का इंतजाम देखने के लिये कलकत्ता के 'बोर्ड आफ रेवेन्यू' की तरफ से जो कलक्टर नियत किये जाते थे, वे अपने इलाके (जिले) का शासन भी करते थे। उन्हें शासन और न्याय संबंधी भी अनेक अधिकार दिये गये थे।

१७७२ ई० में कलकत्ता का गवर्नर वारन हेस्टिंग्स था। अगले साल रेगुलेटिंग एक्ट पास होने पर वही गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। १७८५ ई० तक वह अपने पद पर रहा। इस बीच में भारत में ब्रिटिश सत्ता के प्रसार के लिये जो उचित व अनुचित उपाय वह प्रयोग में लाया, उनका यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। इसमें संदेह नहीं, कि उसके समय में बिहार बंगाल में ब्रिटिश शासन सुदृढ़ रूप से स्थापित हो गया। वहाँ का नवाब पहले ही नाममात्र का शासक था। वारन हेस्टिंग्स के इस सुवीर्य शासनकाल में उसके

पंचे-नुचे शासन अधिकार भी छीन लिये गये और आखिरकार उसकी सत्ता का ही अन्त कर दिया गया। दीखानी शासन के लिये जो पृथक् दीखान बिहार व बंगाल में नियत रहते थे, उन्हें हटा दिया गया। सर्वत्र ब्रिटिश कर्मचारी सीधे स्वयं शासन करने लगे। वे अपनी सहायता के लिये भारतीय कर्मचारियों को अवश्य नियत करते थे, पर सारी शासनशाक्ति अंग्रेजों के ही हाथों में थी।

१८५४ ई० में भारत में ब्रिटिश शासन को पुनः संगठित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसीलिये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट ने पार्लियामेंट में एक नया कानून पास कराया, जिसके अनुसार यहाँ के शासन के लिये ब्रिटिश सरकार की ओर से एक बड़े आफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई। इस बोर्ड के छः स्वस्थ होते थे, इनका भारत के शासन पर पूरा नियंत्रण रहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों को यह अधिकार नहीं था, कि वे भारत के ब्रिटिश शासकों को अपनी तरफ से कोई सीधी आज्ञा दे सकें। गवर्नर जनरल, गवर्नर व सेनापति आदि प्रधान राजकर्मचारियों की नियुक्ति भी ब्रिटिश सरकार स्वयं करे, यह व्यवस्था की गई। अब इस नये कानून के अनुसार वारन हेस्टिंग्स के बाद लार्ड कार्नवालिस को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। उसका प्रथम शासन को सुव्यवस्थित व संगठित करने लिये प्रसिद्ध है। कार्नवालिस ने सबसे पहले मालगुजारी की नौलाही को बंद कर स्थायी बंदोबस्त की प्रथा का प्रारंभ किया। इस प्रथा के अनुसार वह स्थिर रूप से लय कर दिया गया, कि किस जमीन से कितना मालगुजारी ली जाय। जमींदारों व किसानों को अब यह भरोसा हो गया, कि उन्हें सरकार को नया कुछ देना है। अब वे अपनी शक्ति और धन जमीन की उन्नति और पैदावार की वृद्धि पर लगा

सकते थे। मालगुजारी की नीलामी के कारण किसानों की जो भयंकर दुर्दशा हो गई थी, अब उसमें धीरे-धीरे सुधार प्रारंभ हुआ। १७५० के दुर्भिक्ष के बाद से बिहार बंगाल में जो भयानक गरीबी और भुखमरी शुरू हुई थी, वह अब कुछ-कुछ ठीक होने लगी। लार्ड कार्नवालिस के समय में ही सारे बिहार बंगाल को शासन की दृष्टि से जिलों में विभक्त कर उनके शासन के लिये विविध अफसरों और न्यायालयों की सूत्रपात किया गया। नौकरशाही का जो ढाँचा इस समय ब्रिटिश भारत के विविध प्रदेशों का शासन करने के लिये विद्यमान है, उसका प्रारंभ इसी काल में हुआ था।

कार्नवालिस के बाद जो विविध गवर्नर जनरल नियुक्त हुए, उन सबने भारत में दूर-दूर तक ब्रिटिश सत्ता का विस्तार किया। भारत में कोई भी राजनैतिक शक्ति इस समय ऐसी नहीं रही थी, जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकती। मुगल बादशाह और उसके अधीन विविध सूबों के नबाब अब तक सर्वथा शक्तिहीन हो चुके थे। मराठों में आपस के झगड़ों के कारण संगठन का अभाव था। भारत की इन विदेशी फिरंगियों से रक्षा करनी चाहिये, वह भावना उस समय के राजाओं व नबाबों में किसी में भी नहीं थी। परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे सारा भारत अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। सन् १८४६ तक प्रायः सारे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई थी। बिहार और पटना तो इससे बहुत पहले, अठारहवीं सदी के मध्य में ही अंग्रेजों की अधीनता में आ चुके थे।

(५) पटना का हास

जो पाटलीपुत्र एक हजार से भी अधिक साल तक भारत

की राजनीतिक शक्ति का प्रधान केंद्र रहा, गुप्त सम्राटों के बाद उसका बहुत कुछ हास हो गया था। शेरशाह के समय में पटना के रूप में उसका पुनरुत्थान हुआ और मुगल बादशाहत के काल में यह एक समृद्ध तथा वैभवपूर्ण सूबे की राजधानी रहा। प्राचीन काल में पाटलीपुत्र स्थल तथा जल, दोनों प्रकार के मार्गों से होने वाले व्यापार का बड़ा केंद्र था, मुगल काल में भी उसकी यह विशेषता कायम रही। इसमें संदेह नहीं, कि मुगलों के समय में पटना उत्तर-पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था और उसके व्यापार से आकृष्ट होकर ही विभिन्न यूरोपियन देशों के व्यापारियों ने अपनी कोठियाँ वहाँ कायम की थीं। मुगल बादशाहत की शक्ति के क्षीण होने पर बिहार बंगाल के नबाबों के अधीन हो गया था, पर बंगाल की अधीनता में भी पटना का वैभव कम नहीं हुआ था। नबाब के नायब वहाँ शासन करते थे और बिहार प्रांत के शासन का यही नगर केंद्र था। पटना को यह महत्त्वपूर्ण स्थिति कलाइच द्वारा स्थापित दोहरे शासन में भी कायम रही।

पर वारन हेस्टिंग्स के समय में जब बिहार और बंगाल का शासन कलकत्ता के गवर्नर जनरल के हाथ में आया, तब से पटना का फिर हास प्रारंभ हुआ। वहाँ जो नायब और दीवान बिहार का शासन करने के लिये रहते थे, उनके इत्तर साइ दिये गये और सारा राज्यकार्य कलकत्ता से होने लगा। पटना की स्थिति एक मोफसिल शहर को रह गई और राजनीतिक केंद्र के रूप में उसका महत्त्व बहुत कम रह गया।

उन्नीसवीं सदी में पटना का व्यापारिक महत्त्व भी घटने लगा। इसके कई कारण हुए। भारत में रेलों के विस्तार से सब जगह का माल सीधा कलकत्ता पहुँचने लगा। रेलों के युग से पहले बिहार तथा आस-पास के प्रदेशों का सब माल पहले पटना

की मंडी में काफिलों द्वारा लाया जाता था। वहाँ से वह गंगा के जलमार्ग द्वारा जहाजों पर लाद कर बाहर भेजा जाता था। यही बात विदेशों के आने वाले माल के साथ होती थी। बंगाल की खाड़ी पर जो माल विदेशों से आता था, वह पहले गंगा द्वारा पटना लाया जाता था और फिर वहाँ से व्यापारी लोग उसे अपने-अपने नगरों में काफिलों द्वारा ले जाते थे। पर रेल बन जाने से अब पटना की मंडी का महत्त्व बहुत कम हो गया था। बिहार प्रांत में रेल के जो बहुत से स्टेशन बन गये थे, उनसे सब माल कलकत्ता के लिये सीधा भेजा जा सकता था। उसे पहले पटना की मंडी में भेजने की जरूरत अब नहीं रही थी। यही कारण है, कि उन्नीसवीं सदी में पटना की मंडी निरंतर उजड़ती गई। वहाँ की आबादी भी निरंतर कम होती गई। डा० चुकानन के अंदाज के अनुसार १८१२ ई० में पटना की आबादी ३,१२,००० थी। पर १८८१ में इस नगर की आबादी घट कर १,७०,६५४ रह गई थी। सत्तर साल में पटना की आबादी में सबा दो लाख की कमी हो गई थी। १८८१ के बाद भी पटना का यह हास जारी रहा। विविध मनु म शुमारियाँ इसका सर्वोत्तम प्रमाण हैं।

मनु मशुमारी का साल

पटना की जनसंख्या

१८८१

१७०, ६५४

१८६१

१६५, १६२

१६०१

१३४, ७८४

१६११

१३६, १५३

१६२१

११६, ६७६

रेलमार्ग की उन्नति के साथ-साथ पटना का व्यापारिक महत्त्व कम होता जा रहा था। मध्यकाल में शोरा, कपड़ा, अफीम आदि जिन व्यापारिक पदार्थों का पटना महत्त्वपूर्व

केंद्र था, उनकी पैदावार भी अब भारत में कम होने लगी थी। विलायती कपड़े के आगमन से भारतीय कपड़े का बाजार मंदा पड़ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने बिहार के व्यवसायियों और कारीगरों के साथ जो निष्ठुरता का बरताव किया था, उसके कारण भी इस प्रदेश के व्यवसाय नष्ट हो रहे थे। इस दशा में यदि पटना का व्यापारिक महत्त्व कम हो गया, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

(६) सन् ५७ का राजविद्रोह

भारत की विविध राजनीतिक शक्तियों में किस प्रकार बल, राष्ट्रीय भावना और देशप्रेम की कमी थी, इसका उल्लेख हम अनेक बार पहले कर चुके हैं। पर अभी राष्ट्रीय चेतना का भारत में सर्वथा लोप नहीं हुआ था। लोग वे दिन नहीं भूले थे, जब दिल्ली की राजगद्दी पर शक्तिशाली मुगल बादशाह बिराजमान थे। राजपूत, जाट, अफगान और मराठे, सब उसके प्रति अनुरक्त थे, और दिल्ली के राजसिंहासन का आदर करते थे। मराठों ने प्रायः संपूर्ण भारत पर अपना अधिपत्य स्थापित किया, पर मुगल सम्राट् का अनादर नहीं किया। दिल्ली के इन मुगल शासकों के रूप में भारत की राजनीतिक एकता कायम रही। पर अब विदेशी अंग्रेज जिस प्रकार सारे भारत में छातेजारहे थे, उससे यहाँ के राजनीतिक नेता जागरूक होगये और उनका स्वात्माभिमान व स्वाधीनता की आकांक्षा सन् २७ के राजविद्रोह के रूप में भड़क उठी। इस विद्रोह या स्वातंत्र्य संग्राम के प्रधान नेता मराठा पेशवाओं के अंतिम वंशधर नाना साहब और उनके मंत्री अजीमुल्ला थे। उस समय ब्रिटिश लोगों की सेना में प्रधानतया पुरबिये लोग होते थे। वे पुरबिये (अब, भोजपुर तथा समीप के प्रदेशों के निवासी) लोग

उन्हीं सैनिकों के वंशज थे, जिनके बल पर किसी समय में मगध के सम्राटों ने अपने शक्तिशाली 'असमुद्र' साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका पेशा ही सैनिक सेवा था। मुगल बादशाहत और अवध के बंगाल के नरेशों की सेनाओं में इन्हीं की प्रधानता होती थी। अब ब्रिटिश लोगों की सेना में भी ये ही लोग अधिक संख्या में थे। इन पुरवियों में राष्ट्रीय चेतना अब तक विद्यमान थी। आवश्यकता केवल इस बात की थी, कि कोई सुयोग्य नायक इनको मार्ग प्रदर्शित करे। नाना-साहब के रूप में उन्हें एक कुशल और महत्वाकांक्षी नेता मिला गया और उन्होंने सन् १८१७ की प्रोपम ऋतु में विद्रोह का भंडा खड़ा कर दिया। मेरठ से शुरू होकर विद्रोह की यह अग्नि संपूर्ण उत्तरी भारत में फैल गई।

पटना भी इसके असर से न बच सका। वहाँ की भारतीय सेना में बड़ी प्रबल उत्तेजना विद्यमान थी। जनता पर भी इसका बड़ा असर था। पटना में विद्रोह की पहल आम लोगों द्वारा हुई। तीन जुलाई १८१७ को पटना के लोगों की एक टोलीने शहर के रोमन कैथोलिक चर्च पर हमला बोल दिया। पटना में अंग्रेजों की अफ्रीम की कोठी उस समय बहुत उन्नत दशा में थी। उसका अम्बुच डा० लायल बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था। वह रोमन कैथोलिक चर्च की रक्षा के लिये अग्रसर हुआ। पर विद्रोहियों के सामने उसकी एक न चली। वह वहाँ लोगों की गोलियों का शिकार होकर मारा गया। पर शीघ्र ही सिक्ख सेनायें वहाँ पहुँच गईं और लोगों को काबू करने में समर्थ हुईं। इसके बाद पटना में जगह-जगह तलाशियाँ ली गईं। बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये। इनमें से चौदह नेताओं को फाँसी चढ़ाया गया। इनमें सबसे प्रमुख विद्रुत का एक ज़मींदार था, जिसका नाम वारिसअली था। फाँसी के तख्ते पर चढ़ते

हुए उसने आवेश में आकर कहा—“दिल्ली के बादशाह के दोस्तों की रक्षा के लिये।”

पर इससे पटना में विद्रोह की भावना शांत नहीं हो गई। २५ जुलाई को वहाँ विद्रोह की आग फिर भड़क उठी। इस बार विद्रोही लोगों का नेता पीरअली था। अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर फाँसी मर चढ़ा दिया। इस पर पटना के समीप दानापुर झाबनी की भारतीय सेना उत्तेजित हो गई। अंग्रेजों ने कोशिश की कि सेना से हथियार रखा लिये जावें। पर सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों का कहना मानने से इंकार कर दिया। अंग्रेजों के हुक्म की उपेक्षा कर दानापुर के सिपाही आरा के विद्रोहियों के साथ जा मिले। इनका नेता राजा कुंवरसिंह था, जो जगदीशपुर का एक प्रभावशाली जमींदार था। उसकी आयु इस समय अस्सी साल की थी। इस बुद्ध नेता के नेतृत्व में बिहार के विद्रोही लोग कई महीनों तक अंग्रेजों के साथ युद्ध करते रहे। इन युद्धों में ही कुंवरसिंह की मृत्यु हुई। उसके बाद उसके भाई अमरसिंह के नेतृत्व में बिहार के विद्रोही अंग्रेजों के साथ संघर्ष में व्यापृत रहे। पर सन् १६ का यह स्वातंत्र्य संग्राम सफल न हो सका। धीरे-धीरे अंग्रेजों ने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ आदि पर फिर से अधिकार कर लिया। इस दशा में बिहार के लोग कब तक लड़ते रह सकते थे। वे भी परास्त हो गये और अंग्रेजों का शासन फिर एक बार अबाधित रूप से स्थापित हो गया।

सन् १७ के विद्रोह के शांत हो जाने के बाद भी बिहार में अल्पवस्था और अशांति जारी रही। सन् १६ में मारखंड और संथाल परगने के संथालों ने और नील के खेतों के किसानों ने निलहे गोरों के चिह्न विद्रोह किया। बिहार में शिल्प और व्यवसाय के नष्ट होने पर बेकार लोगों की संख्या

बहुत बढ़ गई थी। १७७० ई० के दुर्भिक्ष ने भी ऐसे लोगों की संख्या को बहुत बढ़ा दिया था, जो थिलकुल बेकार थे और किसी भी मजदूरी पर काम करने के लिये तैयार हो जाते थे इस परिस्थिति से लाभ उठा कर उत्तरी बिहार में अंग्रेजों ने बहुत बड़ी-बड़ी जागीरें बना ली थीं, जहाँ वे बहुत सस्ती मजदूरी पर लोगों को रख कर उनसे खेती कराते थे। इन जमीनों पर मुख्यतया नील की खेती होती थी। नील के व्यापार से ग़ोरे लोग लाखों रुपया पैदा करते थे, पर मजदूरों को वेतन नाममात्र ही मिलता था। यही कारण है, कि सन् १८५६ में जब इन मजदूरों ने अपने ग़ोरे मालिकों के खिलाफ बिद्रोह किया, तो उसने बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया। विवश होकर ब्रिटिश सरकार को नील की खेती के संबंध में विचार करने के लिये एक कमीशन बिठाना पड़ा और इस कमीशन की सिफारिशों पर मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये।

(७) ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत

ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत तथा अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार के उद्देश्य से की गई थी। इसमें संदेह नहीं, कि इस कंपनी ने व्यापार द्वारा इंग्लैंड की समृद्धि को बहुत बढ़ाया। पर भारत की अव्यवस्थित राजनीतिक दशा से लाभ उठा कर कंपनी के कर्मचारियों ने यहाँ अपनी राजशक्ति का भी बिस्तार किया और धीरे-धीरे सारे देश को जीत कर अपने अधीन कर लिया। वस्तुतः, संसार के इतिहास में एक व्यापारिक कंपनी का इस प्रकार के विराल साम्राज्य की स्थापना एक अद्भुत व आश्चर्यजनक घटित है। अंग्रेजों का भारतीय साम्राज्य प्राचीन रोमन साम्राज्य की अपेक्षा भी अधिक विस्तृत

और समृद्धिपूर्ण है। इसको स्थापना किसी सम्राट् की विजया कांक्षा द्वारा न हो कर एक व्यापारिक कंपनी की सूझ और कुशलता द्वारा हुई है। इसके लिये न इंग्लैंड से सेनाएँ लाई गईं, और न उस देश का रुबया ही खर्च हुआ। भारत को इसी देश के सिपाहियों और इसी देश के धन से जीता गया। निःसंदेह, यह कंपनी के कर्मचारियों की अपूर्व प्रतिभा का ही चमत्कार था।

बारन हेस्टिंग्स के समय से भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार का हाथ निरंतर बढ़ रहा था। अथ सन १७७७ के राज-विद्रोह के बाद यह आवश्यक समझा गया, कि भारत के शासन को कंपनी के हाथ से लेकर पूर्यंतया ब्रिटिश सम्राट् के अधीन कर दिया जाय। इतने विशाल साम्राज्य का शासन एक व्यापारिक कंपनी के हाथ में रखे रहना किसी भी प्रकार उचित न था। अतः १७८२ के एक कानून के अनुसार भारत की सरकार ब्रिटिश सम्राट् के अधीन कर दी गई, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत मंत्री के नाम से एक नये मंत्री की नियुक्ति की गई, जो भारत के शासन के लिये पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल को सम्राट् के प्रतिनिधि (वायसराय) का भी पद दिया गया। इसमें संदेह नहीं, कि इस परिवर्तन से भारत में एक सुव्यवस्थित शासन के स्थापित होने में बहुत मदद मिली और धीरे-धीरे संपूर्ण देश में एक मजबूत और शांतिमय शासन का विकास हो गया। इस शासन में भारतीयों को कोई स्थान नहीं था। उनकी राजनीतिक व राष्ट्रीय भावना के वह शासन सर्वथा प्रतिरूप था। पर अंग्रेजों के प्रयत्न से एक बार फिर भारत में ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, जिसमें आंतरिक युद्ध, अशांति तथा लूटमार का सर्वथा अभाव था।

उन्तीसवाँ अध्याय

वर्तमान और भविष्य

(१) राष्ट्रीय पुनरुत्थान

पिछली एक सदी भारत के इतिहास में राष्ट्रीय पुनरुत्थान का काल है। इस काल में सारे एशिया में एक नवीन जागरण की एक नई लहर सी चल रही थी। यूरोप में जो नये वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे, उनके कारण वहाँ के देशों की कायापलट सी हो गई थी। एक समय था, जब यूरोप में भी अविद्या का अंधकार छाया हुआ था, लोगों में अन्धविश्वास घर किये हुए थे। जनता रूढ़ि की पुजारी थी। पुराने धर्मग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है, उसके बिना सोचना तक कुफर माना जाता था। यूरोप में यह दशा सोलहवीं सदी में ही सुधरनी शुरू हो गई थी। एक बार लोगों के दिमाग जब अंधविश्वासों से मुक्त हो गये, वे अपनी बुद्धि से सत्य असत्य का निर्णय करने लग गये, तब यूरोप में उस आश्चर्यजनक उन्नति का प्रारंभ हुआ, जिसके कारण उन्होंने सारी दुनिया पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। सोलहवीं सदी में भारत में भी अनेक धार्मिक सुधारक उत्पन्न हुए। पर उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इनकी संपूर्ण शक्ति जनता में एक आशासन की भावना उत्पन्न करने में ही लग गई। इनके उद्योग से लोगों के सतप्त हृदयों को शांति अवरय मिली, पर भारत से अविद्या का अंधकार दूर कर एक नई जागृति उत्पन्न करने में इन संतों से कोई विशेष सहायता नहीं मिली।

ब्रिटिश शासन के स्थापित होने पर भारत के लोगों ने

अनुभव किया कि दुनिया उन्नति की दौड़ में कितनी आगे बढ़ चुकी है। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं, कि वे अंग्रेज लोग भारतीयों से सब बातों में आगे थे। उनका सैन्य संगठन अधिक उत्तम था, उनके हथियार नये प्रकार के थे। विज्ञान की उन्नति के कारण उनके पास ऐसे साधन थे, जिनका भारतीयों को कोई भी परिचय नहीं था। शासन, राजनीति, दर्शन और समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी यूरोप के वे निवासी भारतीयों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़े हुए थे। इस दशा में यह स्वभाविक था, कि अपने नये शासकों के सम्मुख भारतीयों में एक प्रकार की हीन भावना उत्पन्न होने लगती, वे हर एक बात में अंग्रेजों की नकल करने में ही अपना कल्याण समझते, और अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म को तिलांजलि देकर वे अंग्रेजों का अनुकरण करने में तत्पर हो जाते। अंग्रेजों ने अपना राज्यशासन सुदृढ़ करके यहाँ अंग्रेजी की शिक्षा का प्रारंभ किया। परिणाम यह हुआ, कि भारत में शिक्षित लोगों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न हो गई, जो अपने विचारों की दृष्टि से अंग्रेजों के पूर्णतया गुलाम थे।

पर भारत में राष्ट्रीय चेतना का सर्वथा लोप नहीं हो गया था। यही कारण है, कि यहाँ ऐसे अनेक सुधारक उन्नीसवीं सदी में उत्पन्न हुए, जो भारत के प्राचीन धर्म में संशोधन कर जनता में आत्मगौरव और देशप्रेम की भावना को पुनः जागृत करने में सफल हुए। इन सुधारकों में सबसे मुख्य अग्नि दयानंद थे। दयानंद को अंग्रेजी का बिलकुल भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने प्राचीन वेदशास्त्रों का अध्ययन कर वह अनुभव किया, कि वर्तमान हिंदू धर्म बहुत विकृत हो चुका है। उन्होंने कहा, कि प्राचीन आर्यधर्म न केवल पूर्णरूप से सत्य है, पर अन्य सब धर्मों का उद्गम भी उसी से हुआ है। देश की उन्नति के

लिये भारतीयों को पश्चिमी देशों का अन्वेषण करना नहीं करना चाहिये, अपितु अपने धर्म, सभ्यता और संस्कृति पर दृढ़ रह कर भारत की वास्तविक आत्मा का विकास करना चाहिये। इयानंद के अनुसार विज्ञान कोई पश्चिमी देशों का आविष्कार नहीं। स्वराज्य, स्वदेशी, लोकतंत्र शासन आदि के सब विचार भारत के अपने हैं, विज्ञान की भी भारत में कभी बहुत उन्नति रह चुकी थी। बाद में लोग अन्धविश्वासों में फँस कर नीचे गिर गये। भारत को फिर से उन्नत करने के लिये पश्चिमी देशों का आँख मीच कर अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं। यदि पुरानी भारतीय सभ्यता का ही पुनरुद्धार किया जाय, तो यह देश फिर से संसार में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। मानसिक गुलामी को दूर करने, असत्य को त्याग कर सत्य को ग्रहण करने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर इयानंद ने बड़ा जोर दिया। इसी तरह रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, राजा राममोहनराय आदि अनेक सुधारकों ने अपने-अपने ढंग से भारत के राष्ट्रीय गौरव का पुनरुत्थान करने का उद्योग किया। दक्षिण में प्रार्थना समाज ने वही कार्य किया, जो उत्तरी भारत में आर्यसमाज और ब्राह्मसमाज ने किया था। इन सब आंदोलनों ने भारत को उस राजनीतिक शक्ति के लिये तैयार कर दिया, जो अंग्रेजों की अधीनता से जनता को मुक्त कराके स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने में समर्थ हुई। धर्मसुधारकों के अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में भी नई भावना का प्रादुर्भाव हुआ। बंगाल में बंकिमचंद्र इस नई भावना के पहले प्रतिनिधि हैं। अपने 'आनंदमठ' में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर स्वाधीनता की प्राप्ति के आदर्श को प्रस्तुत किया। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' बंकिमचंद्र की ही देन है। बंकिम के समान

हाली ने उर्दू में, हरिश्चंद्र ने हिंदी में और बिष्णु राम्नी विप-
ल्लकर ने मराठी में नई जागृति की लहर का प्रारंभ किया।

अंग्रेजी शिक्षा ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रादुर्भाव में मदद की। अंग्रेजी द्वारा भारत के नवयुवक न केवल पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान से परिचित हुए, अपितु उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि किस प्रकार फ्रांस के लोगों ने अपने राजा को राजगद्दी से उच्युत कर लोकतंत्र की स्थापना की थी, अंग्रेज लोगों ने स्वयं अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर पार्लियामेंट की शक्ति को किस प्रकार बढ़ाया था। यूरोप के विचारकों के लोकतंत्र शासन संबंधी विचारों ने भारत की शिक्षित जनता में एक नवीन चेतना उत्पन्न की। अंग्रेजों में से भी कुछ उदार प्रवृत्तियों के लोगों ने इस चेतना को उत्पन्न करने में सहायता दी। इसी का परिणाम यह हुआ, कि सन् १८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरू में यह कांग्रेस जनता की शिकायतों और इच्छाओं को प्रस्तावों द्वारा सरकार तक पहुंचाने का ही कार्य करती थी। पर धीरे-धीरे इसने अपना रूप बदला। बाद में कांग्रेस ने स्व-राज्य प्राप्ति को अपना उद्देश्य बनाया और उसके लिये असह-योग, शांतिमय सत्याग्रह, कानून भंग आदि उग्र उपायों का अनुसरण किया। आधी सदी से भी कम समय में कांग्रेस भारत में सर्वसाधारण जनता की सर्वमान्य राजनीतिक संस्था बन गई, और उसने उस राष्ट्रीय संघर्ष का प्रारंभ किया, जिसके कारण अब यह देश स्वतंत्र हो गया है।

जिस समय कांग्रेस में पढ़े-लिखे लोग एकत्र होकर अपनी राजनीतिक मांगों को सरकार के सम्मुख उपस्थित करने के लिये प्रयत्न कर रहे थे, तभी भारत में उन क्रांतिकारों समितियों का भी उदय हुआ, जिन्होंने आतंक के उपायों द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने और जनता में स्वदेश

गौरव का भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से अपना कार्य धारण किया। १६०५ ई० में एशिया के एक छोटे से देश जापान ने यूरोप के रशिया जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध में परास्त किया। यूरोप के लोग एशिया के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं, इस धारणा को इस युद्ध से बड़ा धक्का लगा। भारत में भी लोगों में यह विचार उत्पन्न हुआ, कि यदि जापान रशिया को हरा सकता है, तो हम अंग्रेजों को क्यों नीचा नहीं दिखा सकते? इस समय भारत का गवर्नर-जनरल लार्ड कर्जन था। उसने चाहा कि बंगाल के विशाल सूबे को दो भागों में बाँट दिया जाय। उस समय तक बिहार, बंगाल, आसाम और उड़ीसा का एक ही सूबा था। बंगाल के लोगों ने कर्जन के इस प्रस्ताव को राष्ट्रीयता की दृष्टि से हानिकारक समझा। उन्होंने इसके विरुद्ध प्रचंड आंदोलन प्रारंभ किया। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार इस आंदोलन के मुख्य साधन थे। अनेक जोशीले नवयुवकों ने इस समय आंतक के उपायों का भी आश्रय लिया। जगह-जगह पर क्रांतिकारी लोग हथियार और बंब बनाने लगे। कई अंग्रेज अफसरों पर इस समय हमले भी किये गये और यह स्वातंत्र्य आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रह कर सारे भारत में व्याप्त हो गया। पंजाब इसका दूसरा केंद्र बना। सरकार ने भी इस समय जनता पर अत्याचार करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। अनेक नेता गिरफ्तार किये गये। पर स्वतंत्रता का यह आंदोलन दबा नहीं। आखिर, सन् १६११ में ब्रिटिश सम्राट् जार्ज पंचम भारत आये और दिल्ली दरबार में उन्होंने बंगमंग को रद्द करने की घोषणा की। आसाम और बिहार-उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दो नये सूबे बनाये गये। भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली बनाई गई।

सन् १६१३ में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों ने सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की संख्या बहुत है। इन्हें कुली के रूप वहाँ ले जाया गया था और इन्हीं की मेहनत से गोरे लोगों ने उस जंगली देश को समृद्ध देश तक पहुँचाया था। पर धीरे-धीरे वहाँ भारतीयों ने व्यापार व अन्य धंधे भी शुरू कर दिये। यह बात यूरोपियन लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कई ऐसे कानून बनाये, जिनमें भारतीय लोग अफ्रीका में स्वतंत्ररूप से व्यापार नहीं कर सकते थे। गांधी जी ने इन्हीं कानूनों के विरुद्ध सत्याग्रह किया। अन्त में वे अपने प्रयत्न में सफल हुए। दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मंत्री स्मट्स के साथ उनका समझौता हो गया। सन् १६१५ में महात्मा गांधी भारत आये। यहाँ आकर उन्हें मालूम हुआ, कि बिहार में निलहे गोरे किसानों व मजदूरों पर बड़ा अत्याचार करते हैं। महात्मा जी इन शिकायतों की जाँच के लिये जब बिहार गये, तो उन्हें चंपारन में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस पर उन्होंने सत्याग्रह किया। आखिर सरकार को वह हुकूम लौटाना पड़ा। जाँच होने पर किसानों की शिकायतें ठीक मालूम हुईं और निलहे गोरों को अपने देश लौट जाने के लिये विवश होना पड़ा। गांधी जी का भारत में यह पहला कार्य था और उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ बिहार से ही हुआ था।

१६१४ से १६१८ ई० तक अंग्रेजों ने जर्मनी के विरुद्ध जो महायुद्ध लड़ा, उसमें भारतीयों ने उनकी दिल खोलकर सहायता की। महात्मा गांधी ने स्वयं लोगों को इस लड़ाई में अंग्रेजों की मदद करने के लिये प्रेरणा की। अंग्रेजों ने भी इस बात का खुले तौर पर आश्वासन दिया, कि युद्ध समाप्त होते ही भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जायगी। पर

शासनसुधार के लिये जो नये कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाये, उनसे भारत को संतोष नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ, कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। लोग इंचारों की संख्या में जेल गये और सारे देश में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हो गई। कांग्रेस के नेतृत्व में देश ने स्वराज्य के लिये जो संघर्ष पिछली चौथाई सदी में किया है, उसका संक्षेप के साथ भी उल्लेख कर सकता यहाँ संभव नहीं है।

बिहार में राष्ट्रीय जागृति का प्रधानप्रेय आर्यसमाज और कांग्रेस को है। स्वामी दयानंद स्वयं पटना गये थे और उन्होंने वहाँ आर्यसमाज की स्थापना कर बिहार में धार्मिक सुधार के कार्य का प्रारंभ किया था। क्रांतिकारी आंदोलनों ने बिहार में कभी जोर नहीं पकड़ा। पर कांग्रेस के शान्तिमय कानून भंग और सत्याग्रह के आंदोलन वहाँ बहुत लोकप्रिय हुए। दाँसख अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी ने करना पहला कार्य-क्षेत्र बिहार को ही चुना था। चंपारन के सत्याग्रह और जाँच के समय बाबू अज किशोर प्रसाद, बाबू राजेन्द्रप्रसाद आदि अनेक बिहारी कार्यकर्ता गांधी जी के साथ थे। गांधी जी के सत्संग से इन नवयुवकों ने एक नये जीवन की दीक्षा ली और देश सेवा को ही अपने जीवन का मुख्य व्रत बनाया। चंपारन के सत्याग्रह की सफलता के कारण बिहार की जनता ने यह प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया, कि बीसवीं सदी में असहाय और निःशस्त्र लोगों के लिये अपने शक्तिशाली शासकों के खिलाफ मोरचा लेने का यही एकमात्र उपाय है। यही कारण है, कि कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलनों में बिहार के लोगों ने खूब हाथ बटाया और वह प्रांत कांग्रेस की शक्ति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। असहयोग और सत्याग्रह के आंदोलनों में बिहार का बहुत बड़ा कर्तृत्व था। १९४२ के स्वातंत्र्य युद्ध में

भी इस प्रांत के लोगों ने अपूर्व साहस प्रदर्शित किया और कुछ समय के लिये ब्रिटिश सरकार को पंगु सा बना दिया।

(२) पटना के उत्कर्ष का पुनः प्रारंभ

बिहार को जीतने के बाद अंग्रेजों ने उसे बंगाल के सूबे में ही सम्मिलित रखा। इससे पटना का जिस प्रकार हास हुआ, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। पर बिहार को बंगाल के साथ रखना उचित नहीं था। बिहार की भाषा हिंदी है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है। सन १८६४ में बादू महेश नारायण ने बिहार को एक पृथक् प्रांत बनाने का आंदोलन प्रारंभ किया। सन १९०८ में बिहार के लोगों ने अपनी पृथक् प्रांतीय महासभा का संगठन किया, जिसका पहला अधिवेशन भीयुत अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ। इस प्रकार बिहार के लोगों में यह भावना निरंतर प्रबल हो रही थी, कि बंगाल से पृथक् होकर उनका एक पृथक् प्रांत बनना चाहिये। १९११ ई० में उनकी यह आकांक्षा फलीभूत हुई। दिल्ली दरबार के अवसर पर सम्राट् जार्ज पंचम ने बिहार-उड़ीसा को बंगाल से पृथक् कर एक नये प्रांत के रूप में परिचर्चित करने की घोषणा की। इस नये प्रांत की राजधानी पटना को बनाया गया, और एक बार फिर इस प्राचीन नगरी ने प्रांतीय राजधानी के गौरवमय पद को प्राप्त किया। शेरशाह के समय से कई सदियों तक पटना प्रांतीय राजधानी रहा था। एक बार फिर इस पद पर अधिष्ठित होकर पटना के उत्कर्ष का पुनः प्रारंभ हुआ। सम्राट् जार्ज पंचम दिल्ली से पटना भी गये। वहाँ इथारों की संख्या में लोगों ने उनका समारोहपूर्वक स्वागत किया। प्रांतीय राजधानी बन जाने से पुराने पटना के पश्चिम में एक नये शहर का विकास शुरू हुआ, जिसका विस्तार तीन वर्ग-

मोल से भी अधिक है। पुराने पटना को अब पटना सिटी नाम से कहा जाता है, और ब्रिटिश शासन में बसे हुए नये शहर को केवल 'पटना' कहते हैं। प्रांतीय सरकार के सब दफ्तर इस पटना में ही हैं।

१६१६ में बिहार का हाईकोर्ट भी पृथक् बना दिया गया। इसका उद्घाटन उस समय के गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंज ने पटना में किया। हाईकोर्ट के पटना में स्थापित हो जाने के कारण इस नगर की बहुत उन्नति हुई। बहुत से वकील अथ कलकत्ता से आकर पटना में बस गये और अदालत के काम पर संपूर्ण बिहार के संपन्न लोग पटना आने-जाने लगे। १६२१ में प्रिंस आफ वेल्स भारत की यात्रा करते हुए पटना भी आये। पांकीपुर के मैदान में उन्होंने दरबार किया, जिसमें संपूर्ण बिहार के बड़े लोग एकत्र हुए। इससे कुछ समय पूर्व १७७६ ई० में भी उस समय के प्रिंस आफ वेल्स, जो आगे चलकर एडवर्ड सप्तम के नाम से सम्राट् बने, पटना आये थे। बिहार का इंजीनियरिंग स्कूल उसी पटना की स्मृति में स्थापित हुआ था।

१६११ में बिहार का जब पृथक् प्रांत बना, तो वहाँ का अग्रेसर सूबेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाया था। १६१६ के कानून के अनुसार बिहार में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा की स्थापना हुई और शासन के कुछ मामले जनता द्वारा चुने हुए व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के सुपुर्दे किये गये। १६३५ में बिहार प्रांत की स्थिति और अधिक ऊँची कर दी गई। वहाँ का सूबेदार अब लेफ्टिनेंट गवर्नर (नायब) की जगह गवर्नर कहा जाने लगा। १६३५ के कानून के अनुसार प्रांत के शासन में जनता को काफी अधिकार दिया गया। प्रांतीय एसेम्बली के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होने लगा और एसेम्बली में जिस दल का बहुमत हो, उसका नेता ही प्रांत

का प्रधानमंत्री बनने लगा। बिहार में कांग्रेस का जोर है। नये कानून के अनुसार जब १९३७ में एसेम्बली का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस की विजय हुई। कांग्रेस दल के नेता बाबू श्रीकृष्ण सिंह, बिहार के प्रधानमंत्री बने। सन् १९४६ में नई प्रांतीय एसेम्बली का निर्माण हुआ, इसमें कांग्रेस को और भी अधिक शानदार विजय प्राप्त हुई। बिहार में राष्ट्रीय चेतना इतनी अधिक उत्पन्न हो चुकी है, कि वहाँ जमींदारों व धनपतिवर्गों की अपेक्षा देशसेवकों का प्रभाव बहुत अधिक है। यही कारण है, कि वह कांग्रेस की शक्ति का महत्त्वपूर्ण गढ़ है।


१९१७ में बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया। इसे पटना यूनिवर्सिटी कहते हैं। १९२१ के असहयोग आंदोलन से पटना में राष्ट्रीय विद्यापीठ की भी स्थापना हुई। यह बिहार के राष्ट्रीय जीवन का केंद्र है।

१९११ में जब बिहार बंगाल से पृथक हुआ, तो पटना इस नये प्रांत के जीवन का केंद्र हो गया। वहाँ प्रांतीय सरकार के सब दफ्तर बने, हाईकोर्ट बना और बाद में उसकी अपनी अलग यूनिवर्सिटी भी बन गई। धीरे-धीरे पटना से अंग्रेजी और हिंदी के अनेक समाचार पत्र भी निकलने लगे। यह बिहार के राजनीतिक जीवन का केंद्र बन गया। इसमें कोई संदेह नहीं, कि बीसवीं सदी में एक बार पटना का फिर उत्कर्ष शुरू हुआ है। अब वह शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। वहाँ मैट्रिक कालिज, इंजीनियरिंग कालिज, ट्रेनिंग कालिज, पटना पुस्तकालय, स्मूथियम व रिसर्च संस्थाएँ भी वहाँ स्थापित हो चुकी हैं। प्रांतीय शासन की राजधानी होने से लोकतंत्र शासन के इस युग में पटना बिहार के राजनीतिक जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है।

(३) पटना का भविष्य

भारत के राष्ट्रीय पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया अब से एक सदी पहले शुरू हुई थी, वह अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। भारत अब स्वतंत्र हो चुका है। सदियों की पराधीनता की जंजीरों को तोड़ कर अपनी शक्ति द्वारा अब भारत स्वराज्य प्राप्त करने में समर्थ हुआ है। जेद यही है, कि भारत की अखंडता कायम नहीं रह सकी। मगध साम्राज्य के निर्माता आचार्य चाणक्य के अनुधार उत्तर-पश्चिमी हिमालय से समुद्र पर्यन्त जो पृथिवी है, वह एक चक्रवर्ती क्षेत्र है। पाटलीपुत्र के अनेक राजवंशों ने हिंदूकुरा पर्वत से कलिंग तक और हिमालय से सुदूर दक्षिण समुद्र तक विस्तीर्ण इस विशाल चक्रवर्ती क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। स्वतंत्र भारत इस स्वामाविक 'चक्रवर्ती क्षेत्र' की अलुप्यता को कायम नहीं रख सका।

पर भारत एक विशाल देश है, और इसका भविष्य बहुत उज्वल है। यद्यपि इसमें अनेक भाषाने बोली जाती हैं, नस्ल की दृष्टि से भी इसमें अनेकविध लोग बसते हैं, धर्म के लिहाज से भी वहाँ के सब निवासी एक नहीं हैं, पर इन विविधताओं के होते हुए भी इस देश में एक प्रकार की आचारभूत एकता विद्यमान है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में अनेक 'जन' बसते हैं, और इन जनो के पृथक्-पृथक् जनपद (प्रदेश) हैं। इन जनो में पृथक्त्व होते हुए भी भारत के सब निवासी राष्ट्रीय दृष्टि से एक हैं। वर्तमान समय में जो बिहार प्रांत है, थोड़े से परिवर्तनों के साथ वह इस देश का एक स्वामाविक जनपद है। यह ठीक है, कि प्राचीन समय में इस प्रांत में भी अनेक छोटे-बड़े जनपद थे। पर मगध के महाजनपद ने बहुत



पाटलीपुत्र
के अश्वशेखों का
मानचित्र

गंगा नदी का प्रवाह
सोन नदी का प्रवाह

सोन नदी

गंगा नदी

शुद्ध

शुद्ध

गंगा नदी

पाटना

सोन नदी द्वारा बने हुए शुद्ध

प्राचीन काल में उन सब को एक सूत्र में संगठित कर दिया था। बिहार का यह प्रांत भारत का एक आदर्श जनपद है। आर्थिक दृष्टि से इसका भविष्य बहुत ही उज्वल है। इस व्यावसायिक युग में जिस देश के पास कोयला और लोहा हो, वही सब से समृद्ध है। बिहार में लोहे और कोयले की बहुत सी खानें हैं। एशिया का सब से बड़ा लोहे का कारखाना बिहार में ही है। अन्य बहुत से खनिज द्रव्य भी बिहार में विद्यमान हैं। कृषि की दृष्टि से भी बिहार की स्थिति अनुपम है। ईश्वर की खेती के कारण बिहार में न केवल कृषि, अपितु कारखानों की भी बहुत उन्नति हुई है। वह समय अब दूर नहीं है, जब अपने खनिज द्रव्यों और कृषि की पैदावार के कारण बिहार एक बार फिर भारत में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रांत बन जायगा और व्यावसायिक दृष्टि से इसका महत्त्व बहुत बढ़ जायगा।

आने-जाने के साधनों में जो उन्नति इस युग में हो रही है, उनके कारण एशिया के विभिन्न देश एक दूसरे के बहुत समीप आ गये हैं। तिब्बत, चीन, जापान आदि अनेक एशियाई देशों में अब भी उस अष्टांगिक आर्य धर्म का प्रचार है, जिसे हजारों वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने इसी प्रांत में प्रारंभ किया था। बुद्ध के जीवन के साथ संबंध रखने वाले बहुत से स्थान बिहार में ही हैं। संसार भर के बौद्धों के लिये यह प्रदेश पुण्य भूमि है। पुराने समय में दुर्गम पर्वतमालाओं और कठिन रेगिस्तानों को पार कर के भी धर्मप्राण यात्री इस पुण्य भूमि का दर्शन करने और यहाँ के सत्य धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिये आते रहे हैं। जहाज, रेल और वायुयान के इस युग में इन बौद्ध यात्रियों के लिये बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध की इस पुण्यभूमि के दर्शनों के लिये आना बहुत सुगम हो गया है। इसमें संदेह नहीं, कि निकट भविष्य में बिहार का यह

प्रदेश एशिया के बौद्धों के लिये आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बन जायगा।

बिहार का भविष्य बहुत उज्वल है, और उसके साथ उसकी राजधानी पटना का भविष्य बंधा हुआ है। बिहार के उत्थप और समृद्धि के साथ-साथ पटना का भी महत्त्व बढ़ता जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी समय पटना सारे भारत का केंद्र था, बिहार का केंद्र वह अब भी है। यह कहना तो बहुत कठिन है, कि यह प्राचीन नगर फिर कभी अपने विलुप्त गौरव को पूर्णतया प्राप्त कर सकेगा। पर यह निश्चित है, कि भावी भारत में बिहार का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होगा और उसके साथ ही पटना अपने प्राचीन गौरव को बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा।





936

Ind

Pa

ha

Sept

CATALOGUES

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY,
NEW DELHI

BORROWER'S RECORD.

Catalogue No. 934.0131/Sat - 9916.

Author—Vidyalankar, Satya Kāntu

Title— Patli-Putar ki Katha

Borrower No.

Date of Issue

Date of Return

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book
clean and moving.